उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

1

समुदाय एवं सामुदायिक संगठन

इकाई 1
समुदाय का अर्थ एवं विशेषताएं 4

इकाई 2
समुदाय के प्रकार 15

इकाई 3
सामुदायिक संगठन का अर्थ एवं उद्देश्य 29

इकाई 4
सामुदायिक संगठन की प्रकृति एवं विशेषतायें 43

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0पी0 दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ0 एम0 एन0 सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो0 एस0 त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो0 अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

प्रो0 एन0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखक

डॉ0 राकेश द्विवेदी	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो0 (डॉ0) जी0एस0 शुक्ल	:	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की ओर से कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार द्वारा पुनः मुद्रित एवं प्रकाशित वर्ष 2025

मुद्रक : सिग्नस ईन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0 लि0, लोढ़ा सुप्रिमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई

NODE-078

खण्ड 1 का परिचय

समुदाय एवं सामुदायिक संगठन

खण्ड 1 कुल चार इकाइयों में बॉटा गया है। पहली इकाई समुदाय का अर्थ एवं विशेषताओं से सम्बन्धित हैं। इस इकाई में समुदाय के अर्थ की व्याख्या के साथ ही साथ समुदाय की विभिन्न विशेषताओं पर भी चर्चा की गयी है। इस खण्ड की दूसरी इकाई समुदाय के प्रकारों पर आधारित हैं। इस इकाई में समुदाय के विभिन्न प्रकारों एवं उसकी विशेषताओं की व्याख्या की गयी है। इस इकाई में ग्रामीण समुदाय, कस्बा नगरीय समुदाय आदि को विश्लेषित किया गया है। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामुदायिक संगठन का अर्थ एवं उद्देश्यों पर आधारित है इस खण्ड की चौथी इकाई सामुदायिक संगठन की प्रकृति एवं विशेषताओं पर आधारित है। इस इकाई सामुदायिक संगठन की प्रकृति, विशेषताओं आदि की व्याख्या की गयी है।

इकाई–1 : समुदाय का अर्थ एवं विशेषताएं

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 समुदाय का अर्थ

1.3 समुदाय की विशेषताएं

1.4 सारांश

1.5 शब्दावली

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई में समुदाय का अर्थ एवं इसकी विशेषताओं की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- समुदाय के विषय में जान सकेंगे।
- समुदाय का अर्थ स्पष्ट हो सकेगा।
- समुदाय की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

समाज के अन्दर समुदाय वह क्षेत्र होता है जहां पर व्यक्ति अपना सामान्य जीवनयापन करते हैं। समुदाय एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। समुदाय की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है तथा एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिन्न किया जा सकता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है। जिससे समुदाय की पृथक पहचान स्थापित होती है। एक ही समुदाय के लोगों में हम की भावना पायी जाती है जो उन्हें एक सूत्र में जोड़ती है।

1.2 समुदाय का अर्थ

शाब्दिक दृष्टि से समुदाय 'Community' शब्द दो लैटिन शब्दों–'Com' तथा 'Munis' से बना है। 'Com' शब्द का अर्थ 'Together' अर्थात एक साथ से और 'Munis' का अर्थ 'Serving' अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ–साथ मिलकर सेवा करने से है। अन्य शब्दों में, समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भू–भाग पर साथ–साथ रहते हैं और वे किसी एक

उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं, उनका सम्पूर्ण जीवन सामान्यतः यहीं व्यतीत होता है।

समुदाय को परिभाषित करते हुए किंग्सले डेविस लिखे हैं, "समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है, जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं।" इस परिभाषा में समुदाय के तीन तत्वों का उल्लेख किया गया है–

1. व्यक्तियों का समूह
2. निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
3. सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश

समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित शब्द है जिसका प्रयोग कई बार नृजातीय पहचान को स्थापित करने के लिये किया जाता है जैसे किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय विशेष के लागों के समूह के लिए किया जाता है, जैसे हिन्दू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिक्ख समुदाय, जैन समुदाय आदि। परन्तु समाजशास्त्रीय रूप से समुदाय शब्द का प्रयोग किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर तथा देश के लिये किया जाता है। समुदाय की अवधारणा में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। इसलिये प्रायः समुदायों की एक निशचित सीमा भी देखी जाती है और उनका नामकरण भी किया जाता है। अतः एक विशिष्ट नाम एवं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी समुदायों की पहचान की जाती है जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बंगलौर आदि नगरों के अपने–अपने निश्चित भौगोलिक प्रदेश हैं, जिसका एक निश्चित क्षेत्र हैं जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्यतः स्थायी रूप से निवास करता है। इस प्रकार कोई भी गांव, प्रान्त और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना सम्पूर्ण जीवन जीते हैं किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय सामान्यतः अपने आप में आत्म–निर्भर इकाई होता है, अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। समुदाय में तो व्यक्ति अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रिया कलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होते हैं। इसीलिए समुदाय को सम्पूर्णता का क्षेत्र कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जान–बूझकर नहीं बनाया जाता बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक–दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण 'हम की भावना' या सामुदायिक भावना पायी जाती है।

समाज में लोगों की आवश्यकतायें एक दूसरे से सम्बन्धित होती हैं इसलिये समाज में पारस्परिक निर्भरता की स्थिति पायी जाती है इसलिये समाज से अलग व्यक्ति का सामान्य जीवन सम्भव नहीं है। उसे अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तियों के सहयोग के बिना कर पाना असम्भव है। समाज के सभी सदस्य अपनी विशेष योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिये समाज में अनेकता में एकता दिखाई देती है। स्पष्ट है कि समाज का अकेला सदस्य अपनी एवं अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्वयं के प्रयास से नहीं कर पाता। इसलिये उसका अन्य लोगों पर आश्रित रहना सम्भावित है। आज समाज के बदलते हुये परिवेश में जहां विशेषीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है, वहां लोग व्यवसाय विशेष में विशेषज्ञ हो रहे हैं, ना कि सभी व्यवसायों में। फलस्वरूप अन्य व्यवसायों के कार्यों से लाभान्वित होने के लिए उन्हें किसी न किसी रूप से अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता है।

मानव जीवन में एक साथ, एक निश्चित भू–भाग में रहने की प्रवृत्ति का विकास सामूहिक शक्तियों की उपयोगिता महसूस होने के बाद से ही प्रारम्भ हुआ। जब व्यक्तियों को यह विश्वास हुआ कि व्यक्तिगत रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति असम्भव है तो लोग अलग–अलग रहने के स्थान पर समूह में निवास करना अच्छा समझने लगे। उन्हें विश्वास हुआ कि एक निश्चित भू–भाग में रहने से एक तो बाहरी शक्तियों से सामूहिक रूप से मुकाबला करनें में सफलता मिलेगी और दूसरे सामुदायिक भावना होने के कारण पारस्परिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

समुदाय की परिभाषाएं

1 मैकाइवर के अनुसार

"समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं, जिसे सामाजिक सम्बन्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके।"

2 ऑसबर्न एवं न्यूमेयर के अनुसार

"समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केन्द्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख कार्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों।"

3 बोगार्डस के अनुसार

"समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो।"

4 आगबर्न और निमकॉफ के अनुसार

"समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है।"

5 एच. टी. मजूमदार के अनुसार

"समुदाय किसी निश्चित भू–क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।"

6 डेविस के अनुसार

"समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है।"

इस प्रकार उपर्युक्त विद्वानों द्वारा व्यक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय एक ऐसे क्षेत्र का नाम है जहां के मानव प्राणियों के कार्य, व्यवसाय, संस्कृति एवं सभ्यता में समानता के साथ–साथ उनमें आपसी जिम्मेदारियों को महसूस करने तथा वहन करने की सामूहिक भावना होती है।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समुदाय का अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. समुदाय के सामान्य लक्षणों पर प्रकाश डालिये।

.....

.....

.....

.....

1.3 समुदाय की विशेषताएं

किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए तीन आधारों का होना प्रमुखतः आवश्यक माना गया है जो इस प्रकार है : प्रथम, व्यक्तियों का समूह, द्वितीय, भौगोलिक क्षेत्र, तृतीय सामुदायिक भावना।

1. मनुष्यों का समूह

किसी भी समुदाय के लिए मनुष्यों का समूह प्रथम आवश्यकता है। मनुष्यों के बिना न तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही सामुदायिक भावना की। अतः व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम आधार है।

समुदाय से यहां तात्पर्य मानव समुदाय से है जो अपनी सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं ना कि पशु–पक्षियों को।

2. निश्चित भौगोलिक क्षेत्र

प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसीलिए समुदाय कहा

जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना–अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ–साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में अपनत्व की भावना पनपती है। वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक–दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अन्तः किया की मात्रा बढ़ती है जो सामाजिक सम्बन्धों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है।

निश्चित भू–भाग का तात्पर्य यहां उस सीमा एवं घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक–आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में सम्मिलित करता है। मानव जाति की एक परम्परागत विशेषता रही है कि जब मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के लिये प्रस्थान करता है तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है जहां उसके समान सामाजिक–आर्थिक एवं धार्मिक विचारों वाले लोग निवास करते हैं। इस प्रकार धीरे–धीरे काफी परिवार उस समान विशेषता वाले परिवार के समीप आकर बस जाते हैं इन सभी क्षेत्र में बसे परिवारों की समानता एवं समीपता के आधार पर इसके एक नाम दिया जाता है जो इस पूरे समुदाय क्षेत्र का परिचायक होता है। समुदाय के इस निश्चित भू–भाग में बसने के आधार पर ही उसका प्रशासन एवं सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना निर्धारित की जाती है।

3. सामुदायिक भावना अथवा हम की भावना

किसी भी समुदाय के अस्तित्व के लिये उसमें एक सामुदायिक भावना का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इस भावना के आधार पर ही किसी समुदाय के लोग आपस में एक सह सम्बन्ध का विकास करते हैं जिससे उनमें एक ही समुदाय का होने की भावना पायी जाती है। इसे हम की भावना के नाम से भी पुकारते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्यिों के समूह तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदायों से भिन्न है, इसके सुख–दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं आदि से है। सामान्यतः प्रत्येक समुदाय अन्य समुदायों के सन्दर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोग लम्बे समय से इकट्ठे साथ–साथ रहते हैं, साथ–साथ कार्य करते हैं, एक–दूसरे के सुख–दुख में भाग लेते हैं, सामूहिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं तो उनमें ' हम की भावना या सामुदायिक भावना का पनपना स्वाभाविक ही है। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़े नगर में यकायक किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उसी के गांव अथवा नगर का रहने वाला है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कुशल समाचार पूछते हैं वहां आने का कारण मालूम करते हैं और आवश्यकतानुसार एक–दूसरे की सहायता तक को तैयार हो जाते हैं, यद्यपि पहले कभी उनमें मूल गांव या नगर में उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। यह सामुदायिक भावना ही है जो उन्हें यहां एक–दूसरे से सम्पर्क, संचार और अन्तःक्रिया के लिए प्रेरित करती है।

सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहां सदस्यों के आपसी मेल–मिलाप, पारस्परिक सम्बन्ध से है। आज बदलते परिवेश में मानव अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अधिक जुड़ा हुआ है न कि सामुदायिक से। प्रारम्भिक काल में व्यक्तियों में एक दूसरे के विकास एवं कल्याण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लोग व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों की अपेक्षा सामुदायिक जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देते थे और सामुदायिक जिम्मेदारियों को महसूस करने में अपना सम्मान समझते थे इस प्रकार समुदाय में 'हम

भावना' व्यापक थी। आज भी ग्रामीण समुदाय के पुराने सदस्य सामुदायिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हैं।

समुदाय में 'हम' भावना की व्यापकता का मुख्य कारण उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समीपता से है। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से समीप सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं में भी एकरूपता होने के कारण लोग एक दूसरे के काफी सन्निकट करते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक समुदाय का प्रशासन उस समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा होता है न कि व्यक्ति विशेष द्वारा।

सामुदायिक भावना के अन्तर्गत प्रमुखतः तीन बातें पायी जाती हैं :

i. हम की भावना

हम की भावना व्यक्तियों को एक दूसरे के सुख–दुख में साथ देने और मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव पाया जाता है। वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझते हैं। उनमें भाई–चारे के सम्बन्ध पाये जाते हैं। हम सब एक हैं हमारे सबके सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है।

ii. उत्तरदायित्व निर्वाह की भावना

सामुदायिक भावना का एक अन्य तत्व सदस्यों में समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की भावना है क्योंकि समुदाय के हितों से सम्बन्धित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अतः विभिन्न सदस्य अपनी–अपनी प्रस्थितियों के अनुसार भूमिका निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योग देते हैं, अन्य सदस्यों की सहायता करना अपना दायित्व समझते हैं।

iii. पारस्परिक निर्भरता की भावना

सामुदायिक भावना के अन्तर्गत निर्भरता की भावना एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति अपने को एक–दूसरे पर और सम्पूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य के सहयोग पर निर्भर रहना पडता है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योग देती हैं।

वर्तमान समय में औद्योगीकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व का दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एवं जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ना तथा द्वैतीयक सम्बन्धों की प्रधानता आदि कारणों से सामुदायिक भावना में कमी आती जा रही है और ऐसा विशेषतः नगरीय समुदायों में देखने को मिलता है।

4. स्वतः विकास

समुदायों में स्वतः विकास का गुण पाया जाता है क्योंकि समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जान–बूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता। इसका तो समय के बीतने के साथ–साथ स्वतः ही विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते है। तो धीरे–धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहां रहने वाले सभी

लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है।

वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरीय आवासीय योजनायें आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही हैं, लेकिन प्रारम्भिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास में स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण थी।

मानव ने अपने योग्य एवं मिलनसार समुदाय का स्थापन स्वयं किया है। जैसे–जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने की आवश्यकता महसूस करते उनके सामने कुछ प्रश्न आ जाते जैसे– ऐसे समुदाय या स्थान पर अपना निवास स्थान बनाये जो अपनी परिस्थितियों के अनुरूप एवं सुविधाजनक हो। इसलिए सदस्यगण अपनी सुविधानुसार उपयुक्त स्थान का चयन करते हैं। धीरे–धीरे अधिकाधिक सदस्य उस स्थान को प्राथमिकता देने लगते हैं और वह स्थान समुदाय के रूप में परिर्तित हो जाता है।

5. स्थायित्व

समुदायों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनकी दीर्घ जीवन अवधि का होना है जिसके कारण समुदायों में स्थायित्व भी पाया जाता है। समुदाय आसानी से विघटित नहीं होते हैं। अतः इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता–समूह या खानाबदोश झुण्ड को समुदाय नहीं माना जाता क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि भूकम्प, तूफान, बाढ़ या युद्ध के कारण वह पूरी तरह से नष्ट न हो जाये। हम स्पष्टतः यह जानते हैं कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका कारण समुदाय के साथ स्थायित्व के तत्व का जुड़ा होना है।

6. विशिष्ट नाम

प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो उस समुदाय के लोगों में हम की भावना जाग्रत करने और उसे बनाये रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लम्बा इतिहास जुड़ा हुआ है जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है।

7. मूर्तता

समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भू–भाग पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि समुदाय से सम्बन्धित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता परन्तु मनुष्यों के रूप में इसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है।

8. सामान्य उद्देश्य

समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता। यह तो व्यक्यिों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केन्द्र स्थल है। इसमें अनेक समूह समितियां एवं संस्थाएं समाहित होती है जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योग देती

है। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक है कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों एवं समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करता है।

9. सामान्य जीवन

एक समुदाय में रहने वाले सभी लोग एक समान जीवन शैली को अपनाते हैं विशेषकर ग्रामीण समुदायों में। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति–रिवाज परम्पराएं, विश्वास, उत्सव एवं त्यौहार तथा संस्कार आदि होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एकरूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यहीं उसका सम्पूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का सम्पूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है।

10. सामान्य नियम–व्यवस्था

समुदायों में लोगों के कार्य एवं व्यवहार में एकरूपता एवं नियन्त्रण बनाये रखने के लिये कुछ सामान्य नियमों की व्यवस्था को भी लागू किया जाता है जिनका सम्बन्ध समाज के रीति रिवाजों तथा परम्पराओं से होता है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं एवं उन्हें सामाजिक नियमों के पालन के लिये प्रोत्साहित करते हैं। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे ग्राम समुदाय या जनजातीय समुदाय में विशेषतः पाया जाता है जहां अनौपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियन्त्रित किया जाता है।

11. आत्म निर्भरता

प्रारम्भ समुदायों को आत्म निर्भर इकाई माना जाता था अर्थात एक समुदाय अपने सदस्यों के जीवन से सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। समुदाय ही उत्पादन की इकाई एवं उत्पादन का केन्द्र होता था इसलिये समुदाय को एक आत्म–निर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती । समुदाय की यह विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोट समुदायों में पायी जा सकती है। वर्तमान समय के बड़े समुदायों में नहीं आज तो छोटे समुदायों, जैसे ग्रामों तक के अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसी समय आत्म–निर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी परन्तु अब इसका महत्व कम हो गया है। अब तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में साधरणतः अन्य समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि आज भौतिक दृष्टि से तो समुदाय आत्म निर्भर नहीं रहे हैं परन्तु सामाजिक दृष्टि से आत्म निर्भर अवश्य हैं क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी पहलू समुदाय में आ जाते हैं।

12. अनिवार्य सदस्यता

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अन्तःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह अर्थात समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लम्बी अवधि तक अन्य लोंगों के साथ रहने से उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते है। परन्तु इतना अवश्य है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है।

13. सार्वभौमिक नियम

प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाये गये नियमों पर निर्भर होता है। औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बांधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने, कमजोर सदस्यों को शोषण से बचाने तथा शोषितों पर नियंत्रण रखने या समुदायिक व्यवहारों को नियमित करने के लिए प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक नियमों को जन्म देता है। इन निर्धारित नियमों (मूल्यों) का पालन प्रत्येक सामुदायिक सदस्य के लिए आवश्यक होता है। इनका उल्लंघन करने वालों को दण्डित किया जाता है।

14. विशिष्ट नाम

समुदायों की पहचान उनके नामों से की जाती है, चूंकि समुदायों का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है इसलिये उनका विशिष्ट नाम होना आवश्यक हो जाता है जिससे कि किसी समुदाय की सीमाओं की पहचान की जा सके।

15. समानता

एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उनकी भाषा, रीति–रिवाज, रूढियों आदि में भी समानता होती है। सभी सामुदायिक परम्पराएं एवं नियम सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनायी जाती हैं। इसलिए समुदाय में समानता पाया जाना स्वाभाविक है।

1.4 सारांश

समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपना सामान्य जीवन साथ–साथ व्यतीत करता हैं। समुदाय में लोगों के आपसी सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ एवं सुदृढ़ होते हैं। इसी कारण एक समुदाय के लोग आपस में अपनापन का अनुभव करते हैं समुदाय लोगों की सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने का भी कार्य करता है। समुदाय में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। समुदायों की अपनी विशिष्ट संस्कृति भी होती है। जिससे समुदाय में एकता उत्पन्न होती है।

1.5 शब्दावली

निश्चित भौगोलिक क्षेत्र — प्रत्येक समुदाय की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है और उस सीमा तक ही समुदाय का विस्तार होता है।

हम की भावना — एक समुदाय के लोगों में एक समुदाय का ही सदस्य होने की भावना पायी जाती है। जिससे उनमें स्नेह एवं सहयोग का विकास होता है।

सहयोग सामूहिक — उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक–दूसरे की सहायता करना तथा मिल–जुल कर कार्य करना।

सार्वभौमिक नियम — समुदाय में प्रेम, स्नेह, सहयोग, आदर, सम्मान एवं समानता के नियम प्रत्येक समाज में पाये जाते हैं। जो समुदायों को एक सूत्र में बांधते हैं।

1.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- एम0जी0 रॉस, (1955), कम्युनिटी आर्गनाईजेशन–थ्योरी एण्ड प्रिन्सीपल्स, हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क।
- सिंह, ए0एन0, (1990), सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1997) वर्किंग विद कम्युनिटी एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंडियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–2

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

1.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जिसमें रहने वाले लोगों के बीच परस्पर स्नेह एवं हम की भावना पायी जाती है।
   'Community' शब्द दो लैटिन शब्दों–'Com' तथा 'Munis' से बना है। 'Com' शब्द का अर्थ 'Together' अर्थात एक साथ से और 'Munis' का अर्थ 'Serving' अर्थात सेवा करने से है। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ–साथ मिलकर सेवा करने से है।

2. प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें रहने वाले लोग अपने आप को उस समुदाय का सदस्य मानते हैं जिसके कारण एक समुदाय के सभी लोगों में सामुदायिक भावना पायी जाती है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम भी होता है।

बोध प्रश्न 2

1. समुदाय स्वतः स्फूर्त होता है इसका निर्माण जानबूझ कर नहीं किया जाता है बल्कि समुदाय का विकास अपने आप होता रहता है। समुदाय एक आत्मनिर्भर इकाई होती है और समुदाय में सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को समुदाय के अन्दर ही पूरा करते हैं। समुदाय की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बल्कि व्यक्ति जन्म से ही समुदाय का सदस्य होता है इस कारण समुदाय में एक निरंतरता और स्थयित्व पाया जाता है।

2. समुदाय से यहां तात्पर्य मानव समुदाय से है जो अपनी सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं ना कि पशु–पक्षियों को।

इकाई–2 : समुदाय के प्रकार

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 समुदाय के प्रकार

2.2.1 ग्रामीण समुदाय

2.2.2 कस्बा

2.2.3 नगरीय समुदाय

2.3 सारांश

2.4 शब्दावली

2.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

इस इकाई में समुदाय के प्रकार की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- समुदाय के विभिन्न प्रकारों से अवगत हो जायेंगे।
- ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय की विशेषताओं एवं अन्तरों से परिचित हो सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

समुदायों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके कारण समुदायों में अन्तर उत्पन्न हो जाता है। इन अन्तरों के आधार पर ही समुदायों को हम गांव, कस्बा, नगर आदि नामों से जानते हैं। समुदाय के इन सभी स्वरूपों की अपनी अलग–अलग विशिष्टतायें होती हैं जिनका प्रभाव समुदाय में रहने वाले निवासियों पर पडता है और इन अन्तरों का व्यक्ति के संस्कृति, वेशभूषा और भाषा तथा बोली पर भी प्रभाव पड़ता है जिसके कारण हम किसी व्यक्ति को ग्रामीण या शहरी व्यक्ति के तौर पर पहचानते हैं। ग्राम और

नगर के पर्यावरण मे भी अन्तर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन में प्रकृति से निकटता पायी जाती है ग्राम के लोग प्रकृति के प्रत्यक्ष सम्पर्क में रहते हैं। जबकि नगरों में व्यक्ति का जीवन कृत्रिम होता है।

2.2 समुदाय के प्रकार

मानव निवास के स्थानों को विद्वानों ने उनकी जनसंख्या, मकानों की बनावट, प्रशासन तथा वैधानिक एवं सरकारी आधार पर कई भागों में विभक्त किया है जिनमें पुरवा, गाँव, कस्बा, नगर, महानगर, मैगापोलिस लूप प्रदेश या क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। ग्राम और नगर मानव के सामाजिक जीवन के दो पहलू हैं। नगर समाज से निर्मित एक ऐसा वातावरण है जिसमें सामुदायिक जीवन के उददेश्यों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनेक पहलुओं का सम्पूर्ण संशोधन किया जाता है। गाँवों का प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट सम्पर्क पाया जाता है। जहाँ मानव और प्रकृति के बीच अन्तः किया का रूप अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन है वह ग्राम और जहाँ इन दोनो के बीच संबंध अप्रत्यक्ष और क्षीण हैं वह नगर है। इन दोनों के पर्यावरण में पर्याप्त अन्तर है। यह पर्यावरण संबंधी अन्तर ही दो भिन्न प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। ग्रामीण सामाजिक जीवन के विशिष्ट लक्षणों को समझने के लिए ग्रामीण और नगरीय समुदाय के भेद को समझना आवश्यक है।

समुदाय के आकार के आधार पर उसका निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि समुदाय का आकार बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दोनों प्रकार का भी हो सकता है। बड़े से बड़े समुदाय में एक राष्ट्र को समुदाय की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि एक विशेष राष्ट्र के लोगों की एक भाषा एवं संस्कृति होती है जो उस राष्ट्र की विशेषता के अनुसार निर्धारित होती है। एक विशेष राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता दूसरे देश की सभ्यता एवं संस्कृति से भिन्न होती है।

छोटे समुदायों के भी अनेक उदाहरण है। राष्ट्र से छोटा यदि एक प्रान्त को देखें तो उसका भी एक निश्चित क्षेत्र है, निवासियों की सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं में एकता है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा प्रान्तीय जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। इसी प्रकार एक प्रान्त के अन्तर्गत हम ग्रामीण और शहरीय समुदाय देख सकते हैं। सामान्यतः गांव को समुदाय का एक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है।

2.2.1 ग्रामीण समुदाय

प्राचीन काल से ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे–धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी। आज औद्योगिकीकरण, शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है लेकिन आज भी शहरीय दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिये प्रोत्साहित हो रहे हैं।

ग्रामीण समुदाय की कुछ प्राचीन प्रचलित विशेषतायें जैसे कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, हम भावना, साधारण जीवन स्तर आदि सार्वभौमिक थीं, लेकिन आज औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन ले आया है। इसलिये ग्रामीण जीवन शहरी जीवन के समीप आता दिखाई दे रहा है। ग्रामीण समुदाय की कुछ परिभाषायें निम्नलिखित हैं–

फेयरचाइल्ड के अनुसार

"ग्रामीण समुदाय पडोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाये जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक शैक्षणिक धार्मिक एवं अन्य सेवाओ की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है।"

इस परिभाषा में ग्रामीण समुदाय को संस्थाओं और व्यक्तियों का संकलन माना है जो प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय एक ऐसे भू–क्षेत्र का नाम है जहां के व्यक्तियों का जीवन कृषि एवं सम्बन्धित कार्य पर निर्भर है और उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ अधिक लगाव, नजदीक का सम्बन्ध पाया जाता है तथा उन का जीवन सामाजिक मूल्यों एवं संस्थाओं से प्रभावित होता है।

ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं

ग्रामीण विशेषताओं को हम ग्रामीण जीवन का अंग कह सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही ग्रामों को पहचाना और नगरों से पृथक किया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय की कुछ विशेषतायें निम्नवत् हैं–

जीवन यापन का प्रकृति पर निर्भरता

ग्रामीण जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने एवं भोजन संग्रह करने आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। इसके लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट सम्पर्क में रहना होता है। भूमि, मौसम, जंगल सभी प्रकृति के ही अंग है। व्यवसाय की प्रकृति को प्रभावित करने में प्राकृतिक व्यवसायों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वर्षा, शीत, गर्मी आदि भी कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। नगरवासियों का प्रकृति से अप्रत्यक्ष सम्पर्क होता है। वे मशीन, कोयला, कारखाने, लोहा, धातु आदि निर्जीव पदार्थों के अधिक सम्पर्क में आते हैं। और एक प्रकार से कृत्रिमतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

समुदाय का लघु आकार

प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता समुदाय के आकार को लघु बनाती है क्योंकि कार्य अथवा पशुचारण में जीवन यापन के लिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा अधिक चाहिए अन्यथा सभी लोगों का जीवन निर्वाह सम्भव नही हो पाता। नगर उद्योगों पर आश्रित होते हैं, जहाँ हजारों आदमी एक ही व्यवसाय अथवा कारखानें में काम करते हैं। उनके लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नही होती। यही कारण है कि शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है।

कृषि व्यवसाय

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश ग्रामीणों का खेती योग्य जमीन पर स्वामित्व होता है किन्तु वर्तमान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं उपलब्ध आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के फलस्वरूप उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि एक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं होती। वे दस्तकारी तथा कुटीर उद्योग–धन्धों में लगे रहते हैं, लेकिन उनमें कृषि के प्रति आकर्षण होता है। कुछ गरीब

और कृषि योग्य जमीन न रखने वाले ग्रामीण वासियों का भी जीवन कृषि कार्य से जुड़ा होता है अर्थात् उनका जीवन भी कृषि कार्य पर निर्भर होता है।

जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व

रूढ़िवादिता एवं परम्परावाद ग्रामीण जीवन के मूल समाजशास्त्रीय लक्षण हैं। फलस्वरूप आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों की जातिवाद, धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। देखा जाता है कि ग्रामीण निवासी अपने–अपने धर्म एवं जाति के बड़प्पन में ही अपना सम्मान समझते हैं। ग्रामीण समुदाय में जातीयता पर ही पंचायतों का निर्माण होता है। ग्रामीण समाज में छुआछूत व संकीर्णता पर विशेष बल दिया जाता है। इसी प्रकार उनको विश्वास होता है कि पुण्य कार्यों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की उपलब्धि भी उसी पर निर्भर है। स्वर्ग व नरक की भावना से ही व्यक्ति पापों से दूर रहता है।

सरल जीवन शैली

ग्रामीण समुदाय के अधिकाधिक सदस्यों का जीवन सरल एवं सामान्य होता है। उनका भोजन, खान–पान एवं रहन–सहन सादा एवं शुद्ध होता है। गांव का शिष्टाचार, आचार–विचार एवं व्यवहार सरल एवं वास्तविक होता है तथा अतिथि के प्रति अटूट श्रद्धा एवं लगाव होता है।

विस्तृत/संयुक्त परिवार

ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार का अपना विशेष महत्व है। इसीलिये ग्रामीण लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। परिवार को टूटने से बचाना तथा परिवारिक समस्याओं को अन्य परिवारों से गोपनीय रख निपटाने का वे भरसक प्रयास करते हैं। पारिवारिक विघटन का सम्बन्ध उनकी सामाजिक परिस्थिति एवं सम्मान से जुड़ा होता है। इसलिये परिवार का मुखिया एवं बड़े–बूढ़े सदस्य इसे अपना सम्मान समझ परिवार की एकता को बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं।

सामाजिक जीवन में साहचर्य

वास्तव में ग्रामीण जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। अधिकाधिक ग्रामीण समुदायों के केवल व्यवसायिक समीपता ही नहीं अपितु उनके सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अत्यधिक समीपता पाई जाती है। इस समीपता का मुख्य कारण कृषि एवं उससे सम्बन्धित व्यवसाय है। यदि कृषि को ग्रामीण समुदाय की धुरी माना जाय तो गलत न होगा जो कि सम्पूर्ण ग्रामीण परिवार को एक दूसरे के समीप लाता है। इस समीपता का दूसरा प्रमुख कारण ग्रामीण समुदाय में समान धर्म के लोगों की बाहुल्यता है।

सामुदायिक भावना

ग्रामीण समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनमें व्याप्त सामुदायिक भावना है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में व्यक्तिगत निर्भरता के स्थान पर सामुदायिक निर्भरता अधिक पायी जाती है। इसलिये लोग एक दूसरे पर आश्रित होता है सामुदायिक नियंत्रण एवं सदस्यों के व्यवहारों का नियमन भी वहां के सदस्यों पर निर्भर होता है। सामुदायिक सदस्य बुराईयों के जिम्मेदार सदस्यों को दण्ड देनें, आपसी ताल–मेल को बनाये रखने तथा पारस्परिक विकास के लिये नियम भी बनाते हैं। ग्रामीण समुदाय के एक सीमित क्षेत्र में

बसने के कारण सदस्यों की आपसी समीपता बढ़ जाती है उनमें स्वभावतः हम भावना का विकास हो जाता है जिसे सामुदायिक भावना का नाम दिया जाता है।

सामाजिक समरूपता

भारतीय ग्रामों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में शहरों की भांति जमीन आसमान का अन्तर नहीं है। सभी लोग एक जैसी भाषा, त्योहार–उत्सव, प्रथाओं और जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन में गहरी खाई और विभेद नहीं पाये जाते। यहां अनेक प्रान्तों, वर्गों, प्रजातियों, भाषाओं और देशों के लोग निवास करते हैं। उनके जीवन में समानता और एकरूपता की अजस्र धारा बहती है।

आत्म निर्भरता

भारतीय गांवों को आत्म निर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आत्म निर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक दृष्टि से भी थी। जजमानी प्रथा द्वारा जातियां परस्पर एक–दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती थीं। राजनैतिक दृष्टि से ग्राम पंचायत और ग्राम का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। प्रत्येक गांव की अपनी एक संस्कृति और कुछ विशिष्टताएं पायी जाती थी। जिन्हें स्वयं ग्रामवासी और दूसरे ग्राम के लोग जानते थे। किन्तु वर्तमान में यातायात के साधनों के विकास, केन्द्रीय शासन की स्थापना, औद्योगीकरण आदि के कारण गांवों की आत्म निर्भरता समाप्त हुई है। अब वे राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था के अंग बन गये हैं। दिनों–दिन अन्योन्याश्रितता बढ़ रही है।

स्त्रियों की निम्न प्रस्थिति

ग्रामीण समुदाय की अशिक्षा, अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता का सीधा प्रभाव ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति पर पड़ता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में अभी भी अशिक्षा काफी अधिक है। परिणामस्वरूप ग्रामीण सदस्यों का व्यवहार रूढ़ियों एवं पुराने सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है। कुछ भारतीय ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा का प्रभाव ग्रामीण महिलाओं के जीवन में ऐच्छिक परिवर्तन लाने में सहायक हो रहा है लेकिन आज भी अधिकाधिक ग्रामीण समुदाय में बाल–विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, लड़कियों को शिक्षा एवं बाहर नौकरी से रोक लगाना, विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित करना आदि सार्वभौमिक दिखाई देती हैं जो स्त्रियों की गिरी दशा के लिये उत्तरदायी है।

परम्परा का महत्व

ग्रामीण लोग पुरानी परम्पराओं एवं रूढ़ियों में विश्वास करते हैं तथा उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार एवं परम्पराओं से प्रभावित होता है। ग्रामीण समुदाय का सीमित क्षेत्र उसे बाहरी दुनिया के प्रभावों से मुक्त रखता है। और इसी कारण उसमें विस्तृत दृष्टिकोण भी आसानी से नहीं पनप पाता। अतः ग्रामीण लोग नयी चीजों से दूर अपनी पुरानी परम्पराओं में लुप्त रहते हैं।

लोकमत का प्रभाव

ग्रामीण जनता में लोकमत का अत्यधिक प्रभाव होता है। वे सामुहिक निर्णयों का सम्मान करते हैं तथा उसकी अवहेलना से डरते हैं। वे रूढियों से भयभीत रहते हैं। जनमत

की अवहेलना करने वाले की निन्दा की जाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा गिर जाती है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान रहे हैं। बाढ, अकाल, क्रान्ति और अन्य संकटों के समय सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते है। गांवों में सामाजिक गतिशीलता का अभाव रहा है। वहां विशेषीकरण नहीं पाया जाता वरन् हर व्यक्ति छोटा–मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है।

2.2.2 कस्बा

आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई भागों में बांटा गया है उनमें से एक कस्बा भी है। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती का कहा जाता है जिसकी आबादी 500 से 10,000 तक हो कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को तो कुछ 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा एवं इससे अधिक आबादी होने पर उसे नगर कहते हैं। भारत में गंगा–यमुना दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 या 35,000 से अधिक है। कस्बे की आवधारणा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों एवं समय के साथ–साथ बदलती रही है।

रिचथाफेने ने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा है, "कस्बा एक संगठित समूह है जिसमें सामान्यतया प्रमुख व्यवसाय, कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से सम्बन्धित है।"

रेजटल महोदय ने कस्बे की तीन विशेषताएं बताई हैं–

i. कस्बे में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता होती है,

ii. मकानों का केन्द्रीयकरण, तथा

iii. निवासियों की एक न्यूनतम जनसंख्या (2000 से अधिक) होती है।

1971 एवं 1981 की जनगणना में निम्नांकित आधारों पर कस्बे का निर्धारण किया गया–

1. वे सभी स्थान कस्बे कहे जायेंगे जिनमें नगरपालिका, नगर निगम, छावनी, नोटीफाइड नगर क्षेत्र या इसके समकक्ष की कोई इकाई हो।

2. जहां की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो।

3. जहां पुरूषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75 प्रतिशत भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हुआ हो।

4. जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर (1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील) हो।

5. अन्य कोई स्थान जो उपर्युक्त विशेषताओं में सीमावर्ती हैं लेकिन प्रान्तीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं एवं विशेषताएं रखता हो।

गांव, कस्बा एवं नगर का भेद व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की परिभाषाएं प्रधान रही है।, एक वैधानिक एवं दूसरी भौगोलिक। वैधानिक परिभाषाओं में कस्बा वह है जिसे सरकार कानून या सरकारी जनगणना के द्वारा कस्बे की मान्यता प्रदान करती है। भौगोलिक दृष्टि से कस्बे में वह सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र शामिल है जो सभी दिशाओं में उस सीमा तक फैला होता है जहां तक कृषि क्षेत्र, जंगल तथा अन्य नगरीय भूमि या जलाशय महत्वपूर्ण ढंग से कस्बे के फैलाव को अलग न करता हो। कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है और कस्बे व नगर के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त 'टाउन' तथा 'सिटी' शब्दों का समानार्थक रूप में प्रयोग होता रहा है।

2.2.3 शहरी समुदाय

नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बसाये गये हैं लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गये हैं। आज भी स्पष्ट है कि नियोजित ढंग से बसाये जा रहे शहरी समुदायों के अतिरिक्त, स्थान विशेष में निवास करने वाले सदस्यों के उच्च जीवन–स्तर एवं विकसित संस्कृति, सभ्यता तथा बढ़ती हुयी जनसंख्या को देख उसको उचित श्रेणी के शहर का दर्जा दिया जाता है।

नगरीय समुदाय को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है–

मैकाइवर के अनुसार

"ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के विषय में बताया है कि इन दोनों के मध्य कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिन्दु पर अन्त होता है तथा देहात का अमुक बिन्दु पर प्रारम्भ होता है।"

विकलाक्स के अनुसार

"नगरों के अन्तर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील एक हजार से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो।"

ई० ई० बर्गेल के अनुसार

"इस प्रकार हम उस बस्ती को एक नगर कहेंगे जहां के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त हों।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगरीय समुदाय उस समुदाय का नाम है जहां की जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर निर्भर हो तथा वहां की संस्कृति एवं सभ्यता में आधुनिकता की छाप हो। इस नगरीय समुदाय की कुछ विशिष्टतायें स्पष्ट होती हैं जो निम्नवत् है–

शहरी समुदाय की विशेषताएं

सघन जनघनत्व

जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन पड़ रहा है। फलस्वरूप लोग रोजगार की तलाश में शहरों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पिछड़ापन एवं विकसित सुविधा एवं साधनों के कारण कुछ लोग बच्चों को उचित शिक्षा देने तथा आवश्यक वातावरण देने के लिये शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। इन सब कारणों से नगरीय जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है।

मिश्रित संस्कृति

कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिये आरक्षित नहीं होता। इसलिए देश के विभिन्न गांवों से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये लोग विभिन्न रीति–रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं। इसलिए नगर भारतीय संस्कृति का केन्द्र होते हुये भी विभिन्न संस्कृतियों का केन्द्र है।

औपचारिक/द्वितीयक सम्बन्ध

नगरीय समुदाय में औपचारिक सम्बंध का बाहुल्य होता है। देखा जाता है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन एवं उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उनका आपसी सम्बन्ध औपचारिक होता है। नगरीय समुदाय में सदरस्यों के सम्बन्धों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती है और वे औपचारिक होते हैं।

तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा

नगरीय समुदाय में विकास के साधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता के साथ–साथ यहां शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। अतएव स्पष्ट है कि यहां के लोगों का पुराने अन्ध विश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होगा। इसके अतिरिक्त नगरीय सामुदायिक जीवन व्यस्त होने के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है कि वे पुराने रीति–रिवाजों एवं अन्ध विश्वासों का पालन कर सकें।

अनामता

नगरीय समुदाय की विशालता एवं उसके व्यस्त जीवन के कारण लोगों को पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रहता है और क्या करता है। बहुधा देखा गया है कि लोग एक दूसरे के विषय में जानते तथा उनसे ताल–मेल रखने में कम रूचि रखते हैं जब तक कि उनकी कोई विशेष लाभ न हो या उनका पारिवारिक सम्बन्ध न हो। ली के अनुसार " अनामकता लाखों व्यक्तियों के नगर में पहचान को समाप्त कर देती है। अनेक नगरवासी सामाजिक रिक्तता में निवास करते हैं। उनके सामाजिक व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करने वाले संस्थात्मक आदर्श नियम प्रभावी नहीं होते। यद्यपि वे अपने चारों ओर की अनेक संस्थागत संगठनों से परिचित होते हैं तथापि वे किसी समूह अथवा समुदाय के प्रति अपनापन का अनुभव नहीं करते। सामाजिक रूप में वे प्रचुरता के मध्य निर्धन होते हैं।"

एकल परिवार

नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां वहन करना कठिनतम साबित होता है। अतएव शहरी समुदाय में एकाकी परिवार का बाहुल्य होता है। इन परिवारों में लगभग स्त्री एवं पुरूषों की स्थिति में समानता पायी जाती है।

सामाजिक गतिशीलता

शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पायी जाती है। लोग अर्जित प्रयासों से अपना वर्ग परिवर्तित कर लेते हैं।

राजनैतिक जागरूकता

नगरीय जीवन में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता एवं परिवर्तित सभ्यता राजनैतिक क्षेत्र में लोगों की रूचि बढ़ा देती है। इनको अपने अधिकारों, कर्तव्यों एवं राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है और इससे राजनैतिक क्षेत्र में झुकाव बढ़ जाता है।

नेल्स एण्डरसन ने आधुनिक नगरीय समुदायों की पांच विशेषताओं का उल्लेख किया है–

1. **मुद्रा अर्थ व्यवस्था**

आधुनिक नगरों में मुद्रा अर्थ व्यवस्था पायी जाती है। इसके फलस्वरूप व्यापार का कार्य सुविधा से होता है। विनिमय के लिए सामान को लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना पड़ता है। इसके कारण धन का संचय भी होने लगा जो व्यक्ति की शक्ति का परिचायक बन गया।

2. **लिखित आलेख**

नगरों में मुद्रा के प्रचलन एवं व्यापार के प्रसार के साथ–साथ लेखन कार्य व कागज का प्रचलन बढ़ा है। अब मनुष्य अपने हस्ताक्षर और मोहर से जाना जाने लगा कागज पर समझौते होने लगे और आलेख अस्तित्व में आये। पुलिस एवं न्यायालय लिखित आलेखों को अधिक विश्वसनीय मानते हैं। अतः नगरों में अधिकांश कार्य लिखित रूप में ही होते हैं।

3. **अविष्कार एवं तकनीकी**

नगरों में विकसित तकनीकी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाया जाता है, फलस्वरूप वहां नित्य नये अविष्कार जन्म लेते हैं। अनेक प्रकार की समस्याओं का नगर के लोगों को सामना करना पड़ता है जिन्हें हल करने के लिए नये–नये अविष्कार एवं प्रविधियों की खोज करते रहते हैं।

4. **सुदृढ़ प्रशासन**

नगरीय जीवन की जटिलता एवं समस्याओं के समाधान के लिए वहां सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता महसूस होती है। सुरक्षा, न्याय, पुलिस, पानी, बिजली, शिक्षा,

व्यापार, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, सफाई एवं सार्वजनिक कल्याण को देख–रेख आदि के लिए सुदृढ़ प्रशासन का होना आवश्यक है।

5. सांस्कृतिक आविष्कार

नगर सांस्कृतिक अविष्कार के भी जनक हैं और वहां से कई नये सांस्कृतिक परिवर्तन ग्रामों की ओर जाते हैं। नगरों में विभिन्न संस्कृतियों के सम्पर्क एवं पर–संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया के कारण संस्कृति में परिवर्द्धन, परिष्कार एवं परिवर्तन होते रहते हैं।

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में भेद

ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के भेद को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है–

1. जनसंख्या के आधार पर अन्तर

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों के बीच सबसे बड़ा अन्तर जनसंख्या का है। गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक जनसंख्या पायी जाती है। यही कारण है कि गांवों का आकार छोटा व नगरों का बड़ा होता है। चूंकि नगरों में शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, बैंक, यातायात, मनोरंजन एवं सुरक्षा आदि की सुविधाएं होती हैं, अतः गांवों से लोग नगरों की ओर गमन करते हैं और नगरों की जनसंख्या बढ़ती जाती है।

गांवों की अपेक्षा नगरों की जनसंख्या अधिक ही नहीं होती वरन् वहां की जनसंख्या में विभिन्नता भी पायी जाती है। सभी धर्मों, जातियों, प्रान्तों, देशों, प्रजातियों एवं दलों से सम्बन्धित व्यक्ति शहरों में निवास करते हैं। गांवों की जनसंख्या में एक रूपता और सजातीयता पायी जाती है।

2. सामाजिक संगठन में अन्तर

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों की निम्नलिखित सामाजिक संगठन की प्रकृति एवं स्वरूपों में भेद पाया जाता है –

परिवार

परिवार सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। गांवों में परिवार अधिकांशतः संयुक्त होते हैं जिनमें कर्ता की सत्ता सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही वहां व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करता है वही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक कियाओं का केन्द्र होता है। गांवों में व्यक्ति पर परिवार के सदस्यों का प्रभाव एवं नियन्त्रण अधिक होता है।

दूसरी ओर नगरों में व्यक्तिवाद की प्रबलता के कारण एकाकी परिवार की बहुलता पायी जाती है। पारिवारिक दबाव एवं नियन्त्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिक पायी जाती है। यहां अपने जीवन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति स्वयं ही लता है।

विवाह एवं नातेदारी

गांवों में विवाह दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी होता है। विवाह के निर्धारण में परिवारीजनों एवं रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। गांव में अधिकांशतः व्यक्ति अपनी

ही जाति में विवाह करता है। इसके विपरीत, नगरों में विवाह दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है और विवाह तय करने में लड़के व लड़की की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। नगरों में प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, तलाक तथा विधवा पुनर्विवाह की संख्या गांवों की अपेक्षा अधिक है। गांवों में बाल विवाह अधिक होते हैं जबकि शहरों में कम। इस प्रकार नगरों में नातेदारी का महत्व कम होता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नातेदारी सम्बन्धों में घनिष्ठता पायी जाती है।

पड़ोस

गांवों में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। नगरों में पडोस अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता यहां तक कि कई पड़ोसी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं, नगरों में पड़ोसी से सम्बन्ध आत्मीय एवं घनिष्ठ न होकर औपचारिक होते हैं।

सामाजिक स्तरीकरण

गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति है। यहां अधिकांश लोग कृषि करते हैं। अतः स्तरीकरण का एक आधार कृषि व्यवस्था भी है जिसमें एक तरफ किसान और दूसरी तरफ जमींदार होते हैं शहरों में जाति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वहां वर्ग व्यवस्था के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। एक तरफ श्रमिक एवं मजदूर वर्ग है तो दूसरी तरफ पूंजीपति वर्ग। नगरों में विषमता अधिक है। ग्रामों में नगरों की भांति वर्ग विषमता नहीं है।

सामाजिक नियंत्रण में अन्तर

ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में सामाजिक नियन्त्रण के साधनों के प्रकारों एवं प्रकृति में भी अन्तर पाया जाता है। गांवों में सामाजिक नियन्त्रण बनाये रखने में अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, जाति, पंचायत, पड़ोस, प्रथा, जनरीति, धर्म, नैतिकता एवं जनमत आदि की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीसेन्ज और बीसेन्ज लिखते हैं, "ग्रामीण समुदाय में प्रथा राजा है, रीति–रिवाज और रूढ़ियां अधिकतर व्यवहार को नियन्त्रित करती हैं।" नगर में नियन्त्रण बनाये रखने के लिए औपचारिक साधनों जैसे पुलिस, जेल, कानून, न्यायालय, गुप्तचर विभाग, सरकार, संविधान एवं द्वैतीयक समूहों आदि का सहारा लिया जाता है। नगर अपरिचित लोगों का क्षेत्र है, भीड़–भाड़युक्त वातावरण में वहों कोई किसी की परवाह नहीं करता जैसा कि डेविस कहते हैं, वह जब भी चाहें अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियन्त्रण से बच सकता है।

आर्थिक जीवन में अन्तर

नगरीय एवं ग्रामीण आर्थिक जीवन में भी महान अन्तर हैं। सिम्स लिखते हैं जीविकोपार्जन की दो मौलिक रूप से भिन्न रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है। गांव मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है तो नगर व्यवसायों पर। गांववासियों का जीवन स्तर नगरवासियों की तुलना में भिन्न होता है। नगर के लोग गांववासियों की अपेक्षा अधिक खर्चीले होते हैं। रॉस ने सही कहा है कि "ग्रामीण जीवन सुझाव देता है 'बचाओ' नागरिक जीवन सुझाता है 'खर्च करे'। नगर में ग्राम की अपेक्षा खर्च के अवसर भी अधिक हैं। आराम और विलासिता पर नगर वाले अधिक खर्च करते हैं तो ग्राम वालों की खर्च की सीमा आवश्यकताओं तक ही होती है। गांव की अपेक्षा नगरों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण अधिक पाया जाता है।

सामाजिक अन्तःक्रिया में अन्तर

गांवों एवं नगरों में सामाजिक अन्तःक्रिया के आधार पर भी भेद पाया जाता है। गांवों में प्राथमिक एवं प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। नगरों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण द्वैतीयक एवं अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। गांवों में प्रतिस्पर्द्धा बहुत कम अथवा नहीं पायी जाती है क्योंकि वहां व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारण परिवार, जाति एवं वंश के आधार पर होता है। नगर में धन एवं काम का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊंची उठाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करता है। गांवों की अपेक्षा नगरों में सहिष्णुता अधिक होती है। अतः वहां विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच सामंजस्य अधिक पाया जाता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी एवं परम्परावादी होते हैं। अतः वे नये कानून एवं परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करते हैं। नगरों में नये कानून एवं अविष्कार कर लिये जाते हैं। ग्रामों की अपेक्षा नगरों में आत्मसात् की प्रक्रिया तीव्र होती है। वहां विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच आदान–प्रदान एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिक चलती है।

सामाजिक विघटन में अन्तर

गांवों में वैयक्तिक विघटन कम है जबकि नगरों में व्यक्ति मानसिक संघर्ष और निराशा से पीड़ित है। नगर में आये दिन आत्महत्याएं, हत्याएं, चोरी, डकैती, बलात्कार, विवाह विच्छेद, पृथक्करण आदि घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीण समाज में अपराध और बाल अपराध नगरों की तुलना में कम ही पाये जाते हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार की अवैध आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं जिनके कारण अपराधों तथा सामाजिक विघटन को बढावा मिलता है।

सांस्कृतिक जीवन में अन्तर

गांवों में सांस्कृतिक स्थिरता पायी जाती है जबकि नगर की संस्कृति परिवर्तनशील है। सांस्कृतिक स्थिरता ग्रामों में रूढ़िवादिता को जन्म देती है जबकि नगरों में सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता प्रगति की परिचायक है। ग्रामीण संस्कृति में परम्परा का अधिक महत्व है जबकि नगरों में नवीनता एवं फैशन को अधिक महत्व दिया जाता है।

भावनात्मक अन्तर

ग्रामीण लोग सामुदायिक भावना को अधिक महत्व देते हैं। उनमें सहनशीलता एवं प्रेम अधिक पाया जाता है। नगर के लोगों में व्यक्तिवादी भावना प्रबल होती है। वे सामूहिकता के स्थान पर व्यक्तिगत हितों को अधिक महत्व देते हैं।

गांव और नगर एक–दूसरे से बिल्कुल पृथक समुदाय हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि इनमें भेद मात्रा का है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो विशेषताएं गांवों में पायी जाती है, वे नगरों में नहीं होंगी। दोनों ही समुदाय आज परस्पर निकट की तरफा रहें हैं और एक की विशेषता दूसरे में फैल रही है।

2.3 सारांश

व्यक्ति एक सामुदायिक प्राणी है वह अपना जीवन समुदायों के छोटे–छोटे समूहों में व्यतीत करता है जैसे परिवार एक महत्वपूर्ण समूह है। समूह व्यक्ति के समाजीकरण में भी

उपयोगी होता है तथा व्यक्ति के सम्बन्ध समूहों में पाये जाते हैं किन्तु व्यक्ति के समाजीकरण एवं समूहों में रहने की प्रक्रिया पर समुदायों के स्वरूप में पाये जाने वाले अन्तरों का भी प्रभाव पड़ता है जैसे– ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय इसलिये मानव समाज में व्यक्ति के परिवेश में पाये जाने वाले अन्तरों को समझने में गांव, कस्बा, नगर, राष्ट्र और राज्य के बीच पाये जाने वाले अन्तरों का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

2.4 शब्दावली

सामाजिक स्तरीकरण — मानव समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अन्तर पाये जाते हैं जिनके आधार पर समाज में उच्चता और निम्नता के आधार पर सामाजिक विभाजन पाया जाता है जिससे समाज में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों या परतों का निर्माण हो जाता है।

सामाजिक गतिशीलता — सामाजिक गतिशीलता से आशय किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर आसानी से आवागमन कर सके। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति की स्थिति में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर परिवर्तन होता है।

2.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- एम0जी0 रॉस, (1955), कम्युनिटी आर्गनाईजेशन–थ्योरी एण्ड प्रिन्सीपल्स, हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क।
- सिंह, ए0एन0, (1990), सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1997) वर्किंग विद कम्युनिटी एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंड़ियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेंज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समुदाय के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिये।

.....

.....

.....

.....

2. ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

3. नगरीय समुदाय की विशिष्टताओं को स्पष्ट की कीजिये।

.....

.....

.....

.....

2.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. समुदायों में उनकी जनसंख्या के आकार बसावट एवं भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अन्तर पायी जाती हैं जिनके कारण हम समुदायों को गांव, कस्बा, नगर तथा राष्ट्र और राज्य के रूप में जानते हैं।

2. ग्रामीण समुदाय में कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पायी जाती है।

3. नगरीय समुदायों जनसंख्या की बहुलता एवं विविधता पायी जाती है। गैर–कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन विशेषीकरण द्वैतीयक सम्बन्धों की प्रधानता, औपचारिकता, आदि नगरीय केन्द्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं।

इकाई–3 : सामुदायिक संगठन का अर्थ एवं उद्देश्य

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 सामुदायिक संगठन का अर्थ

3.3 सामुदायिक संगठन का उद्देश्य

3.4 सारांश

3.5 शब्दावली

3.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन के अर्थ एवं उद्देश्य की चर्चा की गयी है इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप–

- सामुदायिक संगठन का अर्थ जान सकेंगे।
- आपको सामुदायिक संगठन का उद्देश्य स्पष्ट हो सकेगा।
- आप किसी समुदाय को संगठित करने के तरीकों से परिचित हो सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। इसके अन्तर्गत समुदाय को संगठित किया जाता है। यह समुदाय नगरीय अथवा ग्रामीण समुदाय हो सकता है। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी मूलभूत समस्याओं को सुलझाने तथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग करने का कार्य करता है। समुदाय को इस योग्य बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाती है जिससे समुदाय संगठित और वह आत्मनिर्भर हो सके।

3.2 सामुदायिक संगठन का अर्थ

सामुदायिक, संगठन समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति उन्नीसवीं शताब्दी में दान संगठन समिति आन्दोलन के द्वारा हुयी। उस समय यह अनुभव किया गया कि बहुत सी गैर सरकारी सहायका समितियों और कल्याण संस्थाओं में परस्पर

सहयोग नही था। दान संगठन समिति ने विभेदक शिक्षा दिये जाने, सहायता प्रयासों में द्विगुणन, सहायता कोष का अपव्यय आदि के विरूद्ध जो प्रयास किये उन्ही से समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामुदायिक संगठन की उत्पत्ति हुयी।

इस प्रणाली के माध्यम से विघटित समुदाय के सदस्यों को एकत्र करने, इनमें सामुदायिक कल्याण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को खोजने तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था करनी की योग्यता एवं क्षमता का विकास किया जाता है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन की प्रकिया में सामुदायिक समस्याओं के अभिकेन्द्रण से लेकर उनके समाधान तक किये गये सम्पूर्ण कार्यों एवं चरणों को सम्मिलित किया जाता है। असंगठित एवं विघटित समुदाय के साथ उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच संतुलन एवं संतुष्टि बनाये रखने के लिए सामुदायिक संगठन का कार्य किया जाता है।

स्टुप ने सामुदायिक संगठन शब्द के तीन अर्थ बताये हैं–

1. समाज कल्याण के मौलिक उददेश्यों के पूर्ण प्रकटन के लिये।
2. समुदाय के कल्याण के लिये व्यावसायिक व्यक्तियों एवं नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली कियाओं का बोध कराने के लिये।
3. समाजशास्त्रियों एवं समाज वैज्ञानिकों द्वारा समुदाय की संरचना का बोध करने के लिये।

सामुदयिक संगठन का अर्थ, सामुदायिक संगठन की परिभाषाओं से भी स्पष्ट किया जा सकता है जो निम्नलिखित है:–

सामुदायिक संगठन की प्रमुख परिभाषायें:

लिण्डमैन (1921) के अनुसार, "सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीकें से अपने कार्यों को कियान्वित करने और अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं, संगठनों के मान्य परस्पर संबंधों द्वारा उच्च सेवा प्रदान करने के सचेत प्रयास सम्मिलित हैं।"

पैटिट (1925) के शब्दों में, "सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।"

सैन्डरसन एण्ड पोल्सन (1939) के अनुसार, "सामुदायिक संगठन का उददेश्य समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य ऐसे संबंध विकसित करना है जिससे उन्हे ऐसी सुविधाओं तथा संस्थाओं का निर्माण करने तथा उन्हे बनाये रखने के लिये एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी तथा जिसके माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों के समान कल्याण अपने उच्चतम मूल्यों का अनुभव कर सकें।"

मैकमिलन (1947) कें अनुसार, समान्य अर्थ में सामुदायिक संगठन समूहों की सहायता का विचारपूर्वक किया हुआ निर्देशित प्रयास है जिससे वे अपने उददेश्यों और कार्यों को प्राप्त कर सकें। इनका प्रयोग चाहे लोगों को इसका ज्ञान हो या न हो से परे

कर उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर दो या दो से अधिक समूहों की योग्यताओं व साधनों को सामान्य व विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एकत्र करना होता है।"

"समाज कल्याण के लिये सामुदायिक संगठन एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रक्रिया से है।"

रॉस (1955) के मत में, "सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं तथा उददेश्यों को पहचानता है, इन आवश्यकताओं अथवा उददेश्यों के साथ कार्य करने के लिये विश्वास एवं इच्छा विकसित करता है, इन आवश्यकताओं अथवा उददेश्यों के साथ कार्य करने के लिये साधनों का पता लगाता है, इनके संबंध में क्रिया करता है और ऐसा करते हुये समुदाय में सहयोगात्मक तथा सहकारात्मक मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों का विकास एवं विस्तार करता है।"

"समाज कल्याण के सन्दर्भ में सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा सामुदायिक कल्याण साधनों के बीच क्रमिक व अधिक सार्थक समायोजन उत्पन्न करने वाली समाज कार्य की एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है।"

सामुदायिक संगठन की एक आधुनिक परिभाषा रोस ने की है जिसके अनुसार सामुदायिक संगठन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, अपने अन्दर इन आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का विश्वास और इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय होता है, और इस प्रक्रिया द्वारा समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।

समाज कार्य की सभी प्रणालियों में जो सामान्य भाव है वह यह है कि यहाँ सेवार्थी में आत्म निर्देशन की योग्यता विकसित करने का प्रयास है। चाहे वह वैयक्तिक समाज कार्य हो, चाहे सामूहिक सेवा कार्य, अथवा सामुदायिक संगठन, अन्तिम उद्देश्य सेवार्थी में अपने पैरों पर आप खडा होने की योग्यता का विकास है। यही बात समुदायिक संगठन के लिये भी सत्य है। समाज कार्यकर्ताओं को समुदायों के साथ जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि जब तक समुदाय में आत्म विश्वास, आत्म निर्देशन एवं आत्म निर्भरता उत्पन्न न हो जाये वह अपनी समस्याओं को स्वयं नहीं सुलझा सकता और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि स्वयं अपनी शक्तियों के आधार पर करने में सफल नहीं हो सकता। वास्तव में कार्यकर्ता की सफलता की पहचान यही है कि समुदाय एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाये जहां उसे कार्यकर्ता की आवश्यकता का न्यूनतम अनुभव हो। यह तभी संभव हो सकता है। जब समुदाय के सदस्यों में "हम की भावना" का सम्पूर्ण विकास हो और वह अपने समुदाय को एक पृथक अस्तित्व के रूप में देखने लगें। इन सब बातों के लिए एक प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है जो सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के साथ–साथ समुदाय में एकता एवं संगठन की योग्यता उत्पन्न करने की निपुणता रखता। हमारे देश सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के असफलता का मुख्य कारण योजनाओं को जनता पर लाद दी है जिसके कारण जन साधारण कोम इन योजनओं को अपना नहीं समझे पाते है और जनता का सहयोग इन योजनाओं श्रये को सफल बनाने में नहीं मिल पाता।

रॉस की परिभाषा का विस्तारपूर्ण विश्लेषण किया जाये तो सामुदायिक संगठन की पूरी प्रकिया की व्याख्या हो जाती है। इस परिभाषा में कहा गया है कि सामुदायिक संगठन वह प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को पहचानता है। इस प्रकिया में कार्यकर्ता समुदाय की सहायता करता है। वह समुदाय के उप समूहों के नेताओं द्वारा समुदाय की इच्छा का पता लगाता है और उन्हीं नेताओं द्वारा समुदाय में आवश्यकताओं और उद्देश्यों की चेतना उत्पन्न करता है। आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को निश्चित करने के उपरान्त यह प्रश्न उठता है कि किन उद्देश्यों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाये और किन उद्देश्यों को तत्पश्चात पूरा किया जाये। इस प्रकिया में भी कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में अपने अनुभव के आधार पर समुदाय के एक निर्णय करने में सहायता करता है। कार्यकर्ता विषयात्मक रूप से समुदाय का मार्ग प्रदर्शन करता है। केवल आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति की इच्छा और आत्म विश्वास उत्पन्न हो। कार्यकर्ता समुदाय में इच्छा एवं आत्म विश्वास उत्पन्न करता है। वह समुदाय को उसकी वर्तमान स्थिति के अनुसार ही आगे बढाता है और आरम्भ में छोटे–छोटे कार्यक्रम बनाता है जो आसानी से प्राप्त किये जा सकें और जिनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके।

इच्छा और आत्म विश्वास विकसित हो जाने के पश्चात भी एक महत्वपूर्ण समस्या रह जाती है वह है साधनों को एकत्रित करने की समसया। साधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो समुदाय के अपनी आन्तरिक साधन और दूसरे समुदाय के बाहर के साधन, अर्थात राज्य या अन्य संस्थाओं के साधन या अन्य समुदायों के साधन। इन साधनों के विषय में कार्यकर्ता को सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान उसे अपने प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है और इस ज्ञान का प्रयोग वह समुदाय में करता है। समुदाय में विभिन्न साधन उपलब्ध होते हैं किन्तु समुदाय को उसकी चेतना नहीं होती। बहुधा साधन सहयोग के अभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं। कार्यकर्ता साधनों में समन्वय स्थापित करता है और उन्हें गतिमान करता है। वह साधनों के उच्चतम प्रयोग से समुदाय को निपुण बना देता है। कुछ साधन समुदाय के बाहर से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्यकर्ता समुदाय को स्पष्ट है कि वह किन–किन साधनों को समुदाय के बाहर से प्राप्त कर सकता है और इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकता है।

इन चरणों को पूर्ण करने के पश्चात जब यह सब चरण पूरा हो जाता है तो समुदाय अपने उद्देश्यों की प्रप्ति के लिये सक्रिय रूप से कार्य करना आरम्भ कर देता है और ऐसा करने से समुदाय के सदस्यों में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को प्रलोभन मिलता है।

सहयोग एवं सहकारिता की भावनाओं का स्थाई रूप धारण करना ही सामुदायिक संगठन प्रकिया की सफलता है। यदि यह भावनाएं स्थाई रूप से समुदाय में उत्पन्न हो जाएं तो समुदाय निरन्तर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि और उद्देश्यों की प्राप्ति अपनी शक्ति के आधार पर कर सकता है। यही सामुदायिक संगठन का मानदण्ड है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय होता है इसका मुख्य उददेश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है कि वह अपनी सहायता स्वंय करने में सक्षम हो सके। यह एक उद्देश्यमूलक प्रकिया है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से अधिक समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर निर्भर है।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए, नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक संगठन क्या है? इसे परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3.3 सामुदायिक संगठन का उद्देश्य

सहयोग एवं सहकारिता की भावनाओं का स्थायी विकास ही सामुदायिक संगठन की सफलता है। यदि यह भॉव स्थायी रूप से समुदाय में उत्पन्न हो तो समुदाय निरन्तर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि और उददेश्यों की प्राप्ति अपनी शक्ति के आधार पर कर सकता है। यही सामुदायिक संगठन कार्य का आवश्यक मानदण्ड है।

वैयक्तिक समाज कार्य की उत्पतित्त के समान सामुदायिक संगठन कार्य के प्रणाली की उत्पत्ति भी दान संगठन समिति आन्दोलन से हुई। 1840 में न्यूयार्क नगर में 30 दान समितियां थी, जो एक दूसरे की योजनओं के विषय में कुछ न जानते हुए कार्य करती थीं। इन समितियों के कार्यों में सहयोग स्थापित करने और उन्हें समन्वित करने की आवश्यकता का अनुभव किये जाने लगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1843 में एसोशियेशन ऑफ इम्प्रूवमेण्ट ऑफ दी पुअर स्थापित किया गया। तत्पश्चात अमेरिका में बफेलो नाम के स्थान पर 1977 में एक दान संगठन समिति की स्थापना हुई। सी0ओ0एस0का उद्देश्य वर्तमान दान एवं समाज सेवी समितियों को समन्वित करना, सेवाओं की दोहराव को समाप्त करना और समाज सेवी संस्थाओं मे प्रतिस्पर्द्धा की अपेक्षा सहयोग को प्रोत्साहन देना था। इन समस्याओं के समाधान के लिए 1882 में कुछ दान संगठन समितियों के अन्तर्गत विशेष परिषदें स्थापित की गई। इन परिषदों के सदस्य नगर की प्रमुख दान समितियों के प्रतिनिधि होते थे। परन्तु कुछ लोगों का यह बिचार हुआ कि कल्याणकारी संस्थाओं को समन्वित करने और कार्यक्रमों का आयेाजन करने के लिए एक पृथक संस्था होनी चाहिये। इस विचार के अनुसार 1908 में पिट्सबर्ग में समुदाय कल्याण समिति का निर्माण हुआ।

तत्पश्चात इसी प्रकार की संस्थाएं काउन्सिल ऑफ सोशल एजेन्सीज ने नाम से विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुई। 1960 में 700 कम्युनिटी वेलफेयर काउन्सिल्स केन्द्रीय संघ यूनाइटेड कम्युनिटी फन्ड्स एण्ड काउन्सिल्स की सदस्य थीं। इन संस्थाओं का उद्देश्य कल्याणकारी कियाओं का समन्वय करना, सार्वजनिक एवं ऐच्छिक संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना, सेवाओं के स्तर को ऊंचा बनाएं रखना, स्वास्थ्य एवं कल्याण के विकास के लिए सामुदायिक नेतृत्व को विकास करना और सामाजिक नियोजन करना था। सोशल वेलफेयर काउन्सिल का कार्य अब समुदाय की सामाजिक आवश्यकताओं की खोज करना और संस्थाओं के प्रयासों को समन्वित करना है।

प्रारम्भ से ही दान संगठन समितियों की रूचि दान समितियों के लिए धन उपलबध करानी थी। दान समितियों की एक बड़ी संख्या निरन्तर योगदान के लिए धनी नागरिकों से अनुरोध करती रहती थी। अतः 1913 में सर्वप्रथम "कम्युनिटी चैस्ट" की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य समाज कार्य सम्बन्धी सेवाओं के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। कुछ ही समय के अन्दर, 15 बड़े नगरों में इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार की संस्थाएं स्वास्थ्य एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के लिए धन एकत्रित करने तथा इस धन का रचनात्मक रूप से संस्थाओं में वितरण करने का कार्य कर रही थीं।

इसप्रकार सामुदायिक संगठन का कार्य नगरों एवं महानगरों में 6 भिन्न–भिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा था जो निम्नवत् है–

1. कम्युनिटी वेलफेयर काउन्सिल जो सामुदायिक नियोजन और स्थानीय स्वास्थ्य कल्याण एवं मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं का समन्वय के उद्देश्य से कार्य कर रही थी।

2. कम्युनिटी चेस्ट– इसका उद्देश्य धन एकत्र करने के कार्य को व्यवास्थित रूप से संचालित करना और धन की प्राप्ति एवं वितरण को केन्द्रीय करना।

3. समन्वय समिति– जिसका उद्देश्य एक स्थानीय क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय स्थापित करना है।

4. नेबरहुड काउन्सिल–यह नागरिकों की एक समिति है जिसका उद्देश्य एक पडोस की सामाजिक दशाओं को उच्च करना है।

5. समाजिक सेवा– यह कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं का एक संघ है जो कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं द्वारा सहायता पाने वाले समस्त व्यक्तियों का अभिलेख रखता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक समाज सेवी संस्था को के विषय में यह जजानकारी लेना कि वह सहायता किसी अन्य संस्था से भी तो नहीं प्राप्त कर रहा हैं।

6. व्यक्तिगत समाज सेवी वे संस्थाएं जैसे परिवार कल्याण संस्थाएं शिशु रक्षा संस्थाएं, दत्तक ग्रहण संस्थाएं एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाएं जो सामुदायिक संगठन का कार्य करती है। इस प्रकार की यह संस्थाएं मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं का विकास तथा मनोचिकित्सा औषधालय आदि की स्थापना करती है और उनका संचालन करती रहती हैं।

सामान्य उद्देश्य

1. आवश्यकताओं की खोज एवं परिभाषा।
2. अनुचित सामाजिक आवश्यकताओं तथा अयोग्यताओं की रोकथाम।
3. साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण एवं परिवर्तित साधनों का पुर्नसमन्वयन।

विशिष्ट उद्देश्य

उपरोक्त सामान्य उददेश्यों की पूर्ति के लिये कुछ विशिष्ट उददेश्यों की पूर्ति सामुदायिक संगठन के लिये आवश्यक है–

1. सार्थक नियोजन एवं प्रयास के लिये वास्तविक आधार की प्राप्ति एवं स्थिरता।
2. साधनों और आवश्यकताओं के बीच समन्वय के लिये कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरूआत, विकास एवं आवश्यक संशोधन।
3. समुदाय के स्तर में गुणात्मक वृद्धि एवं व्यक्तिगत संस्थाओं के प्रभावात्मकता में वृद्धि।
4. समाज कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित संगठन, समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य समार्योजन को बढाना।
5. समुदयिक उददेश्यों, कार्यक्रमों, प्रणालियों तथा कल्याण संबंधी आवश्यकताओं एवं समस्याओं के विषय में जनता के ज्ञान में वृद्धि करना
6. इन कल्याण कार्यक्रमों के लिए जनता में समर्थन एवं सहभागिता को विकसित करना।

सन् 1939 में नेशनल कान्फ्रेंस आफ सोशल वर्क ने एक समिति नियुक्त की जिसका नाम लेन कमेटी था। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य बताएं–

सामान्य लक्ष्य

सामुदायिक संगठन का सामान्य लक्ष्य यह है कि समाज कल्याण साधनों और समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बीचद प्रगतिशील एवं क्षमताशाली समायोजन स्थापित किया जाये और उसका प्रतिपालन किया जाये।

द्वितीयक लक्ष्य

1. ठोस नियोजन एवं प्रयास के लिए एक उचित वास्तविक आधार प्राप्त करना और उसका प्रतिपालन करना।
2. कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों और सेवाओं को आरम्भ करना, विकसित करना और परिवर्तित करना जिससे साधनों एवं आवश्यकताओं के बीच उच्चतर समायोजन स्थापित हो सके।

3. समाज के स्तर को ऊंचा करना और वैयक्तिक संस्थाओं की कार्यक्षमता को बढाना।

4. परस्पर सम्बन्धों में विकास करना, सुविधा प्रदान करना और ऐसे संगठन, समूहों और व्यक्तियों में सहयोग उत्पन्न करना जो समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं सेवाओं से सम्बद्ध है।

5. जनता को कल्याण सम्बन्धी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं समाज कार्य के उद्देश्यों, कार्यक्रमों और प्रणालियों के विषय में उच्चतर ज्ञान प्राप्त कराना।

6. समाज कल्याण–सम्बन्धी क्रियाओं के प्रति जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त करना। आर्थिक सहायता के अन्तर्गत कर निधि, ऐच्छिक अंशदान एवं अन्य साधनों की आय सम्मिलित हैं।

सैण्डरसन तथा पोल्सन ने भी सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार, "सामुदायिक संगठन का सामान्य उद्देश्य समूहों और व्यक्तियों के बीच ऐसे सम्बन्धों को विकसित करना है जो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करने के योग्य बना सकें जिससे वे ऐसी सुविधाओं एवं संस्थाओं का निर्माण और प्रतिपालन कर सकें जिनके द्वारा वे अपने सर्वोच्च मौलिक मूल्यों को समुदाय के समस्त सदस्यों के सामान्य कल्याण के लिए प्राप्त कर सकें"।

इन उपरोक्त सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्यों का होना आवश्यक है। यह विशेष उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. सामुदायिक सम्बद्धता की चेतना प्राप्त करना। समुदाय के समूहों एवं व्यक्तियों में परस्पर सम्बन्धित होने की भावना होनी चाहिये जिससे वे अपने को अन्य समुदायों से पृथक एक इकाई समझ सके।

2. समुदाय की सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाना और उनकी पूर्ति के लिए मिल जुलकर प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से ही सदस्यों में सामुदायिक चेतना उत्पन्न होगी।

3. समाजीकरण के लिए सामाजिक जीवन में भाग लेना। व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण द्वारा होता है और सामुदायिक संगठन का एक उद्देश्य यह है कि ऐसे समूहों और क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाये जिनमें वे लोग भाग ले सके जो समूहिके जीवन में भाग लेने और समूह से सम्पर्क स्थापित करने में कमजोर है।

4. समूहों एवं क्रियाओं को समन्वित करना जिससे संघर्ष को दूर किया जा सके और कार्यक्षमता एवं सहयोग को प्रोत्साहन मिले।

5. समुदाय को अवांछित प्रभाव और दशाओं से सुरक्षित रखना।

6. समुदायों और संस्थाओं के साथ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सहयोग करना।

7. एकमत की प्राप्ति के लिये एक साधन स्थापित करना।

8. निर्णय करने, सामुदायिक कियाओं को निर्देशित करने और समुदाय के आन्तरकि संगठन और बाहरी सम्बन्धें के विषय में विचार प्रकट करने के लिये सामुदायिक नेताओं का होना आवश्यक है।

सामुदायिक संगठन के अन्य उद्देश्य

बायलेट एम0 सीडर ने सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के विकास की पांच स्थितियों बतलायी हैं–

1. पहली स्थिति में सेवार्थियों द्वारा सेवाओं के दुरूपयोग को रोकने के प्रयास किये गये।

2. दूसरी स्थिति में सेवार्थियों को सेवा प्रदान करते हुए धन एवं प्रयासों के अपव्यय और पुनरावृत्ति के रोकने का प्रयास किये गये।

3. तीसरी स्थिति में संस्थाओं के साधनों को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य की स्थिति में ले जाने के प्रयास किये गये।

4. चौथी स्थिति में सामुदायिक संगठन को समुदाय के अन्तर्गत कारणात्मक कारकों का पता लगाते हुए सामाजिक समस्याओं को रोकने पर जोर दिया गया।

5. पांचवी स्थिति में सामुदायिक संगठन को समुदायों की एक प्रत्यक्ष सेवा के रूप में देखा गया।

सैण्डर्सन तथा पॉल्सन के अनुसार इसके विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. सामुदायिक पहचान की चेतना जागृत करना।

2. सम्पूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना।

3. समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की वृद्धि करना।

4. सामुदायिक आत्मा तथा भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियन्त्रण को प्राप्त करना।

5. संघर्ष को रोकने तथा कुशलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और कियाओं में समन्वय स्थापित करना।

6. समुदाय की अवांछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना।

7. सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा समुदायों से सहयोग करना।

8. एकमतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना।

9. नेतृत्व को विकसित करना।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों से तीन तथ्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

1. मूल्य

2. समस्या

3. ढंग

मूल्य सम्बन्धी तथ्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

1. व्यक्ति की आवश्यक गरिमा एवं उसके नैतिक गुण तथा व्यक्तित्व के प्रकटन के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।

2. प्रत्येक सामाजिक प्राणी में अभिवृद्धि की महान क्षमता होती है अपने जीवन की व्यवस्था के लिए शक्तियों एवं साधनों का पाया जाना आवश्यक है।

3. जीवन एवं पर्यावरण में सुधार लाने के लिए व्यक्ति द्वारा संघर्ष और प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

4. उन आवश्यक आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, मकान) के प्रति व्यक्ति का अधिकार है, जिनके बिना जीवन पूर्ण होने में बाधायें आती हैं।

5. आवश्यकता एवं संकट के समय व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

6. एक ऐसे सामाजिक संगठन का महत्व है जिसके प्रति व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है और जो स्वयं व्यक्ति की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होता है।

7. ऐसे पर्यावरण की आवश्यकता जो वैयक्तिक अभिवृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करती है।

8. व्यक्ति को अपने समुदाय के कार्यों में भाग लेने का अधिकार तथा साथ ही साथ कर्तव्य भी होता है।

9. आत्म सहायता किसी भी कार्यक्रम की आवश्यक आधार होती है।

समस्या से सम्बन्धित तथ्य

1. वृहद उप समूहों के पृथक इकाईयों के रूप में दृढता विकसित करने की प्रवृत्ति समुदाय में सामाजिक तनाव उत्पन्न करती है जो उसके लिए अचेतन रूप से हानिकारक है।

2. सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय सहभागिता को रोकने वाली बाधायें वैयक्तिक विकास को रोकती है।

3. प्रजातंत्र उस अवस्था में और भी दुर्बल हो जाता है जब सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं को सहायता न प्रदान की जाये तथा नवीन संस्थाओं का विकास न किया जाये।

4. व्यक्तियों की समुदाय के प्रति अपनत्व की भावना को नगरीकरण की समस्या ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है।

5. प्रौद्योगिकी ही परिवर्तन की प्रमुख शक्ति है। प्रौद्योकीकरण से सामाजिक सम्बन्धों पर पडने वाले प्रभावों पर बिना ध्यान दिये नगरीकरण तथा औद्योगीकरण पर जोर दिया जा रहा है।

6. औद्योगीकरण तथा नगरीकरण के द्वारा सामान्य अथवा सम्मिलित मूल्यों को विकसित करने तथा बनाये रखने की समस्या को और कठिन बना दिया है।

ढंग से सम्बन्धित तथ्य

1. व्यक्ति परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं।

2. समुदाय अपनी समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास कर सकते हैं।

3. व्यक्ति को अपने समुदाय में परिवर्तन लाने तथा उनके साथ सामंजस्य प्राप्त करने में भाग लेना चाहिए।

4. उन समस्याओं के साथ पूर्णतावादी ढंग सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जिसका आशावादी ढंग कदापि सामना नहीं कर सकता है।

5. प्रायः व्यक्ति व समुदाय अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित होने में ठीक उसी प्रकार सहायता की आवश्यकता का अनुभव करते हैं जिस प्रकार अनेक व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए सहायता चाहते हैं।

6. सामुदायिक जीवन में अपने आप लाये गये अथवा आत्म विकसित परिवर्तन अर्थपूर्ण तथा स्थायी होते हैं जो जबरदस्ती लादे गये परिवर्तनों में नहीं होता है।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित कौशलों पर आधारित है।

निम्नांकित निपुणताओं की आवष्यकता कार्यकर्ता में अनिवार्य है–

1. समुदाय से सौहार्द या घनिष्ठता स्थापित करना।

2. समस्याओं का पता लगाना, समझना, कारणों की खोज करना तथा इसकी गहनता को जानना।

3. लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना।

4. समुदाय में भावनाओं के प्रकटीकरण तथा बाधाओं को दूर करना।

5. सामुदायिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

6. समस्या समाधान के लिये जनसमुदाय को प्रेरित करना।

7. समुदाय के विकास के लिये लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करना।

8. समुदाय में उपलब्ध सार्वजनिक एवं निजी संसाधनों का पता लगाकर विकास के लिये उन्हें उपयोग में लाना।

9. सामाजिक नीति निर्धारण में विधायिक स्तरों का ज्ञान।

10. समुदाय के विचारों में सामंजस्य बनाए रखना।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित विधियों का सहारा लिया जाता है।

राबर्ट पी0 लेन ने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विधियां बताई हैं–

1. निरन्तर केन्द्रीकृत अभिलेख तैयार करना।

2. नियोजन (मुख्य रूप से दो या दो से अधिक संस्थाओं के लिये)।

3. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण।

4. वित्त व्यवस्था का नियोजन या संयुक्त बजट बनाना।

5. शिक्षा, अर्थनिरूपण तथा जनसम्पर्क सम्बन्धी प्रणालियों का प्रयोग।

6. संयुक्त अभियानों का नियोजन एवं कार्यान्वयन।

7. संगठन प्रणाली का प्रयोग।

8. क्षेत्रीय रेखा या अन्य तरीके से अन्तःअभिकरण परामर्श।

9. सामूहिक विचार विमर्श, कान्फ्रेन्स प्रक्रिया का विकास व इस्तेमाल।

10. दो संस्थाओं के विलय के लिये वार्ता द्वारा समझौते को प्रोत्साहन।

11. संयुक्त रूप से सेवाओं का दिया जाना।

12. सामाजिक किया द्वारा सामाजिक विधानों को प्रोत्साहित करना।

मेकनील ने निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है–

1. प्रशासकीय एवं प्रक्रिया अभिलेखन

2. अनुसंधान

3. परामर्श

4. सामूहिक कान्फ्रेन्स

5. कमेटी कार्य

6. अर्थनिरूपण

7. प्रशासन

8. साधनों का संग्रहण

9. संधिकर्ता

3.4 सारांश

सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रकिया है जिसके माध्यम से समुदाय में संगठन उत्पन्न किया जाता है जिससे कि समुदाय सकारात्मक ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन कर्ता के द्वारा समुदाय को अपनी आवश्यकताओं को जानने तथा उसकी पूर्ति करने के योग्य बनाने में तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनों की सहायता दी जाती है। समुदाय में जागरूकता उत्पन्न की जाती है जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने की पहल स्वयं कर सके।

3.5 शब्दावली

सामुदायिक संगठन	समाज कार्य की प्रमुख प्रणाली जिसके माध्यम से किसी समुदाय को एक इकाई के रूप मे संगठित किया जाता है।
जागरूकता	समुदाय के अन्दर पायी जाने वाली समस्याओं के प्रति समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना एवं चेतना का विकास करना।

3.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- एम0जी0 रॉस, (1955), कम्युनिटी आर्गनाईजेशन–थ्योरी एण्ड प्रिन्सीपल्स, हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क।
- सिंह, ए0एन0, (1990), सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1997), वर्किंग विद कम्युनिटी एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल, इण्डिया प्रा0लि0।
- अग्रवाल, जी0के एण्ड एस0एस0 पाण्डेय, (2006), ग्रामीण समाज शास्त्र, साहित्य भवन, ।

बोध प्रश्न–2

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समुदायिक संगठन के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक संगठन की मौलिक मान्यताएं क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

3.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के लोग अपनी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं तथा समुदाय में एक संगठन का निर्माण करते हैं। वे समुदाय के आन्तरिक तथा बाह्य संसाधनों का आकलन करते हैं और आपसी सहयोग के माध्यम से लक्ष्यों को पूरा करते हैं।

2. भाग 3.2 देखें

बोध प्रश्न 2

1. भाग 3.3 देखें

2. सामुदायिक संगठन की मान्यतायें, व्यक्ति और समुदाय की आवश्यकताओं से सम्बन्धित हैं। समुदायिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया जाता है और उसकी समस्याओं को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रजातान्त्रिक ढंग से समस्याओं के समाधान का कार्य किया जाता है। सामुदायिक संगठन समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की भावना के विकास में विश्वास करता है।

इकाई–4 : सामुदायिक संगठन की प्रकृति एवं विशेषताएं

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 सामुदायिक संगठन की प्रकृति

4.3 सामुदायिक संगठन की विशेषताएं

4.4 सारांश

4.5 शब्दावली

4.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 उद्देश्य

इस इकाई में समुदायिक संगठन की प्रकृति एवं विशेषताओं की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- समुदायिक संगठन के विषय में जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन की प्रकृति से परिचित हो सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

4.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके अन्तर्गत समुदाय को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा समस्याओं के समाधान के लिए संगठित ढंग से कार्य करने एवं क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। समान्यतः सामुदायिक संगठन कार्य समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय को इस कार्य के लिए सक्षम बनाया जाता है कि वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पहचान कर सके, समुदाय में एकता एवं सहयोग की भावना का विकास कर सके, समाज में जागरूकता उत्पन्न कर सके तथा समुदाय के लोगों में मिल–जुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास कर सके। जिससे समुदाय के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समुदाय की संसाधनों से करने में सक्षम हो सकें तथा सुखी एवं संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकें।

4.2 सामुदायिक संगठन की प्रकृति

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र वृहद है तथा इसकी विषयवस्तु विविध प्रकार की है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों–गांव, शहर, कस्बा, मलिन बस्तियों को है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया चेतन या अचेतन रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों–राजनीति, कला, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन के उपयोग में लायी जाती हैं। आज समाज कल्याण सेवाओं का सामुदायिक संगठन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता अनेक कारकों से निरन्तर बढ़ रही हैं।

सामुदायिक जीवन की उत्पत्ति के साथ ही सामुदायिक संगठन शब्द की उत्पत्ति भी हुयी है। जहाँ कहीं भी लोग एक साथ रहते हैं, संगठन आवश्यक हो जाता है। इन स्थितियों में जब जीवन में जटिलताएं आती हैं तो समुदाय के कल्याण के लिये कुछ औपचारिक संगठन की आवश्यकता प्रतीत होती है। सामुदायिक संगठन की उत्पत्ति का आधार एलिजाबेथ के निर्धन कानून को माना जा सकता है। दान संगठन समिति नवीन सामुदायिक संगठन की आधारशिला थी। इसकी स्थापना 1889 में लंदन में की गई थी। इसके उपरान्त पेनिसिल्वेनिया, बोस्टन, न्यूयार्क, फिलाडेल्फिया तथा अन्य स्थानो पर भी इसकी स्थापना की गई। इन दान संगठन समितियों का मूल उददेश्य एक क्षेत्र की सभी दान संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना तथा उनके प्रयत्नों में एकात्मकता लाना था। इस दिशा में दूसरा कदम सैटेलमेण्ट हाउस आन्दोलन था। पहला नेबरहुड गिल्ड सन 1886 में न्यूयार्क में स्थापित किया गया। अन्य औद्योगिक नगरों में भी कालान्तर में ये स्थापित होते गयें। प्रथम विश्वयुद्ध कें दौरान अमेरिकन रेडक्रास गृह कार्यक्रम, यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग वीमन्स क्रिश्चियन ऐसोसिएशन, ब्वायज स्काउटस, गर्ल गाइड आदि कार्यक्रम चलाये गये।

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों जैसे– गाँव, शहर, कस्बा, मलिन बस्तियों आदि को है। समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहें है। समाज कल्याण के क्षेत्र में इसी गति से आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समुदाय के लिये उच्च स्तर की सेवाओ तथा उनके प्रशासन की विशिष्ट कला की आवश्यकता है। यद्यपि समाज कल्याण संस्थाओं में संख्यात्मक वृद्धि हो रही है। तथापि बढ़ते हुये विशेषीकरण के लिये उनमें परस्पर अधिक संगठन की आवश्यकता है। एकता व सहयोग में कमी समुदायों में समस्या का मुख्य कारण है। वर्तमान समय में समुदाय में कार्य करने के लिये विशेष ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता है।

सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय में आत्म–विश्वास आत्म–निर्देशन व आत्म–निर्भरता का विकास किया जाता है। वह समुदाय को अपना कार्यक्रम स्वयं बनाने, स्वयं निर्णय निर्णय लेने तथा सहकारिता के आधार पर संयुक्त सामुदायिक प्रयास करने में सहायता देता है। वह समुदाय के सदस्यों में ही नेतृत्व की भावना का विकास करता है न कि स्वयं सामुदायिक नेतृत्व ग्रहण करता है।

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामान्यतः आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का प्रयास किया जाता है। समुदाय आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिये स्वयं इन उपायों को करता है। सामुदायिक संगठन में मानव कल्याण हेतु दो प्रकार की शक्तियों का एकीकरण आवश्यक है–

1. सहयोग, स्व–सहायता, आत्मसात करने की योग्यता एवं शक्ति

2. सामुदायिक तथा आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता।

सामुदायिक संगठन में सामुदायिक सदस्यों विशेषकर अविकसित एवं विकास की ओर अग्रसित समुदायों के विकास पर बल दिया जाता है। यह विकास की ऐसी प्रकिया है जिसके द्वारा जनता के प्रयासों को शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाया जाता है।

यह आवश्यक नहीं है कि सामुदायिक संगठन सरकार द्वारा संचालित हो, यह स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक संगठनकर्ताओं के सहयोग से भी किया जा सकता है, जबकि सामुदायिक विकास सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक सदस्यों के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कार्यकम हैं

सामुदायिक संगठन द्वारा समुदाय में अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं एवं सामुदायिक संसाधनों में समायोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक एकीकरण तथा परस्पर सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है। सामुदायिक संगठन के कार्यकम सरकारी तथा स्वैच्छिक दोनों प्रकार के होते हैं जबकि सामुदायिक संगठन शासकीय होते हैं। सामुदायिक संगठन के कार्यकम जनसामान्य द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ता की सहायता से चलाये जाते हैं। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के लिये सामुदायिक संगठन के कार्यकम चलाये जाते हैं। सामुदायिक संगठन के कार्यकम सहयोगपूर्ण मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों को विकसित करने एवं सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के लिये सभी देशों में चलाये जाते हैं।

सामुदायिक संगठन की प्रकृति को निम्नवत् समझा जा सकता है–

1. सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय होता है, इसका मुख्य उददेश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है कि वह अपनी सहायता स्वंय करने में सक्षम हो सके। यह एक उददेश्यमूलक प्रकिया है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से अधिक समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर निर्भर करती है।

2. समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहे हैं।

3. समाज कल्याण संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है।

4. समाज कल्याण के क्षेत्र में आवश्यकतायें निरन्तर बढ़ रही हैं।

5. आज के समुदाय के लिए उच्च स्तर की सेवाओं तथा उनके प्रशासन की विशिष्ट कला की आवश्यकता है।

6. बढ़ते हुए विशेषीकरण के लिए उनमें परस्पर अधिक संगठन करने की आवश्यकता है।

7. समुदायों में एकता और सहयोग कम होता चला जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप समस्यायें अधिक बढ़ रही हैं।

8. आज परस्पर कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता अनुभव होने लगी है।

9. सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन कावह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीकें से अपने कार्यों को कियान्वित करने और अपने विशेषज्ञों, संस्थाओं, संगठनों के मान्य परस्पर संबंधों द्वारा उच्च सेवा प्रदान करने के सचेत प्रयास सम्मिलित हैं।

10. सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

11. सामुदायिक संगठन का उददेश्य समूहों तथा व्यक्तियों के मध्य ऐसे संबंध विकसित करना है जिससे उन्हे ऐसी सुविधाओं तथा संस्थाओं का निर्माण करने तथा उन्हे बनाये रखने के लिये एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी तथा जिसके माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों के समान कल्याण अपने उच्चतम मूल्यों का अनुभव कर सकें।

12. समान्य अर्थ में सामुदायिक संगठन समूहों की सहायता का विचारपूर्वक किया हुआ निर्देशित प्रयास है जिससे वे अपने उददेश्यों को प्राप्त कर सकें। इनका प्रयोग चाहे लोगों में इसका ज्ञान हो या न हो से पर, उस स्थान पर किया जाता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक समूहों की योग्यताओं व साधनों को सामान्य व विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एकत्र करना होता है।

13. समाज कल्याण के लिये सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रकिया से है।

14. सामुदायिक संगठन एक प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं तथा उददेश्यों को पहचानता है, इन आवश्यकताओं अथवा उददेश्यों के साथ कार्य करने के लिये विश्वास एवं इच्छा विकसित करता है, इन आवश्यकताओं अथवा उददेश्यों के साथ कार्य करने के लिये साधनों का पता लगाता है, इनके संबंध में किया करता है और ऐसा करते हुये समुदाय में सहयोगात्मक तथा सहकारात्मक मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों का विकास एवं विस्तार करता है।

15. समाज कल्याण के सन्दर्भ में सामुदायिक संगठन की परिभाषा एक भौगोलिक क्षेत्र में समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा सामुदायिक कल्याण साधनों के बीच क्रमिक व अधिक सार्थक समायोजन उत्पन्न करने वाली समाज कार्य की एक प्रकिया के रूप में की जा सकती है।

16. सहयोग एवं सहकारिता की भावनाओं का स्थायी रूप धारण करना ही सामुदायिक संगठन प्रकिया की सफलता है। यदि यह भावनाएं स्थायी रूप से समुदाय में उत्पन्न हो जाये तो समुदाय निरन्तर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि और उददेश्यों की प्राप्ति अपनी शक्ति के आधार पर कर सकता है। यही सामुदायिक संगठन का मानदण्ड है।

17. सामुदायिक संगठन में कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये समुदाय से उपलब्ध सामाजिक सेवायें मात्रा तथा गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त होनी चाहिये।

18. समुदाय के भीतर या बाहर कोई व्यक्ति आवश्यकता का प्रकटन करता है जो बाद में एक निश्चित परियोजना का रूप ले लेती है।

19. समुदाय के भीतर कोई नेता अपने समूह अथवा उसके भाग में इस आवश्यकता की वास्तविकता के विषय में विश्वास उत्पन्न करता हैं।

20. समुदाय का जो समूह आवश्यकतापूर्ति में रूचि रखता है वह आवश्यकता की चेतना का समुदाय के नेताओं पर प्रक्षेपण कर उन्हें आवश्यकतापूर्ति के लिये तैयार करता है जिससे आवश्यकता की चेतना एक सामान्य रूप ग्रहण कर लेती हैं।

21. इस कार्य के लिये प्रभावशाली सहायता जुटाई जाती है।

22. आवश्यकतापूर्ति के लिये अन्य समाधानों को समुदाय के सामने रखा जाता है।

23. विशेषज्ञों की सहायता से समस्या की जांच की जाती है।

24. एक विशाल सभा या व्यक्तियों के सम्मुख समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। वह समूह जो अधिक प्रभाव रखते हैं अपनी योजनाओं की स्वीकृति लेने का प्रयास करते हैं।

25. जो सुझाव समाधान के रूप में रखे जाते हैं उनकी परीक्षा कर के सभी के अच्छे पक्ष चुन कर एक नया समाधान निकाला जाता है।

26. समूह अपनी योजना का कुछ अंश त्याग कर समझौता कर लेते हैं और इसी समझौते के आधार पर कार्य की शुरूआत होती है।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन की प्रकृति के बारे में बताइये?

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक संगठन की प्रकृति सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण से सम्बन्धित है स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4.3 सामुदायिक संगठन कि विशेषताएं

सामुदायिक संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय तथा संगठन। समुदाय की एक भौगोलिक सीमा होती है तथा उस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। समाज कार्य की दृष्टि से समुदाय वह क्षेत्र है जहां पर लोग समाज कल्याण सम्बन्धी सामान्य रूचियां रखते हैं तथा जहां सामुदायिक संगठन की प्रकिया चल रही होती है। यह एक छोटा समुदाय, नगर का एक क्षेत्र अथवा पूरा नगर, एक राज्य, एक देश सभी कुछ हो सकता है। संगठन एक प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों को अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने, सुलझाने तथा इसके लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। समुदाय स्वयं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करता है। चाहे ये संस्थायें आर्थिक विकास से सम्बन्धित हो अथवा स्वास्थ्य से या कल्याण से, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का कार्य निरन्तर उत्साहित करते रहना होता है।

सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

1. समुदाय का विशलेषण एवं निदान

समुदाय के विषय में पूर्ण रूप में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय के ढांचे, जनसंख्या, व्यवहारिक विशेषताओं और प्रमुख सामाजिक शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाये। सामुदायिक प्रथाओं एवं परम्पराओं, जनरीतियों एवं मनोवृत्तियों, सामाजिक सम्बन्धों एवं संघर्षों सामुदायिक नेताओं और परस्पर–विरोधी शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

2. गतिकी

मौलिक समस्या यह है कि सामान्य आवश्यकताओं के प्रति सामान्य रूचि विकसित की जाये। समुदाय को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें उन्नति की इच्छा और वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्टि विकसित की जाये।

3. परिस्थिति की परिभाषा

समुदाय के विश्लेषण और निदान और उसकी गतिकी पर विचार करने के उपरान्त ही सामुदायिक परिस्थिति की परिभाषा की जा सकती है। परिस्थिति की परिभाषा का अर्थ यह निश्चित करना होता है कि समुदाय के लिए क्या वांछित है और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों का मत ज्ञात किया जाये और फिर इन सब मतों और तथ्यों को सामने रखकर परिस्थिति की पुनः परिभाषा की जाये।

4. औपचारिक संगठन

समुदाय के संगठन का प्रकार समुदाय के आकार और वर्तमान संगठनों की जटिलता पर निर्भर करता है। बड़े समुदायों में संगठनों की संख्या अधिक होती है जो संगठन बनता है वह समन्वयात्मक रूप रखता है और उसका उद्देश्य वर्तमान सदस्य संगठनों का सहयोग प्राप्त करना और उन्हें समन्वित करना होता है। जैसे कम्युनिटी काउन्सिल आदि।

5. सर्वेक्षण

औपचारिक संगठन के निर्माण के पश्चात सामुदायिक दशाओं के सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण का उद्देश्य तथ्यों को ज्ञात करना है। उच्चतर यह है कि आरम्भ में एक या दो समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाये और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए तथ्य सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किये जाये।

6. कार्यक्रम

कार्यक्रम के निर्माण के समय सर्वप्रथम यह देखना पडता है कि कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनके पूरा करने में सदस्यों की सबसे अधिक रूचि है और जिनकी संतुष्टि में न्यूनतम संघर्ष की सम्भावना है। जब समुदाय का कुछ संगठन हो जाता है तो फिर पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जा सकता है और प्रत्येक योजना के लिए विशेष उद्देश्यों निर्धारित किये जा सकते हैं।

कार्यक्रम बनाने में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि समुदाय के सभी सदस्यों एवं समूहों को योजनाओं के विषय में अपना मत प्रकट करने और विचार विमर्श करने की पूरी सुविधा दी जाये।

7. नेतृत्व

कार्यक्रम एवं उद्देश्यों का होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि एक प्रभावशाली नेतृत्व न हो। आवश्यक है कि समुदाय में से ही कोई नेतृत्व का उत्तरदायित्व स्वीकृत करें। हो सकता है कि समुदाय के बाहर का कोई व्यक्ति आवश्यकता की चेतना उत्पन्न करे, उत्तेजित करे, परन्तु नेतृत्व का अन्तिम उत्तरदायित्व समुदाय के अन्दर ही किसी व्यक्ति को लेना होगा।

जब हम विभिन्न लेखकों द्वारा दी गयी परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं, तो सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विशेषतायें सामने आती हैं

1. यह एक प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय पहले से अधिक सकारात्मक एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकिया को जान–बूझ कर सतर्क होकर उपयोग में लाता है।

2. इस प्रकिया के द्वारा समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जानने तथा उसकी पूर्ति की महत्ता को पहचानने में सफल होता है। समुदाय स्वयं आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्या समाधान का प्रयास करता है। इस स्थिति में कार्यकर्ता का पहला कार्य समुदाय की उन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने में सहायता करना होता है। जिनसे उनका सम्पूर्ण जीवन प्रभावित होता है।

3. जब समस्याओं एव आवश्यकताओं का ज्ञान समुदाय को हो जाता है तो कार्यकर्ता उन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समस्याओं के निराकरण करने हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने में समुदाय की सहायता करता है। जिससे उसी के अनुसार प्रयासों में एकरूपता तथा गहनता लायी जा सके।

4. सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय को उन संसाधनों की खोज करने में सहायता करता है जिनसे आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं का समाधान सम्भव है। समुदाय में अनेक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करती है लेकिन समुदाय को उनका ज्ञान नहीं होता है। कार्यकर्ता इन संस्थाओं का पता लगाकर समुदाय द्वारा इनकी सेवाओं का उपयोग किए जाने पर बल देता है।

5. इस प्रकिया के द्वारा कार्यकर्ता समुदाय को उनकी विशेष समस्या का समाधान करने तथा आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता है, प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है तथा मार्गदर्शन करता है।

6. जैसे–जैसे कार्य आगे बढ़ता है समुदाय के लोग उसकी महत्ता को समझने लगते हैं स्वीकार करने लगते हैं एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगते हैं, आपसी मतभेदों को दूर करते हैं तथा सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं एवं स्वयं समर्थ बनने की प्रबल इच्छा जागृत कर लेते हैं।

7. सामुदायिक संगठन दो शब्दों से मिल कर बना है। समुदाय की एक भौगोलिक सीमा होती है तथा उस क्षेत्र की कुछ सामान्य विशेषतायें होती हैं। संगठन एक प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय के लोगों को अपनी मूलभूत समस्याओं को समझने, सुलझाने तथा आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है।

8. सामुदायिक संगठन में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता के वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता का उपयोग अनिवार्य आवश्यकता है।

9. यह वह प्रकिया है जिसके द्वारा समुदाय पहले से अधिक सकारात्मक एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित करता है। सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकिया को जानबूझ कर सतर्क हो कर उपयोग में लाता है।

10. इस प्रकिया के द्वारा समुदाय अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पहचान कर, उनकी पूर्ति एवं समस्या समाधान का प्रयास करता है। इस स्थिति में कार्यकर्ता का पहला कार्य समुदाय की उन समस्याओं पर ध्यानाकृष्ट करने में सहायता करता है, जो उनके सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है।

11. कार्यकर्ता समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समस्याओं के निराकरण हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने में समुदाय की सहायता करता है।

12. सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान हेतु संसाधनों की खोज करने में समुदाय की सहायता करता है।

13. कार्यकर्ता इस प्रकिया के माध्यम से समुदाय की विशेष समस्या के समाधान एवं आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन करता है।

14. कार्य की उत्तरोत्तर प्रगति के साथ साथ समुदाय के लोग परस्पर सहयोग कर, आपसी मतभेदों को दूर कर समस्त संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। वह स्वंय समर्थ बनने की इच्छा जागृत कर लेते हैं।

15. सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत विघटित समुदाय के सदस्यों को एकत्र करने, उनकी सामुदायिक कल्याण एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को खोजने तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था की योग्यता एवं क्षमता का विकास किया जाता है।

16. सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं के अभिकेन्द्रण से लेकर उनके समाधान तक किये गये सम्पूर्ण कार्यों एवं चरणों को सम्मिलित किया जाता है।

17. असंगठित एवं विघटित समुदाय के साथ उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच संतुलन एवं संतुष्टि बनाये रखने के लिए सामुदायिक संगठन का प्रयोग किया जाता है।

18. सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किसी समुदाय या समूह में लोगों द्वारा आपस में मिल कर कल्याण कार्यों की योजना बनाना तथा कियान्वयन के लिये उपायों को निश्चित करना है। किसी समुदाय से संबंधित अनेक प्रक्रियाएं होती हैं किन्तु सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का विकास किया जाता है।

19. सामुदायिक संगठन में समस्याओं के समाधान के लिये सम्पूर्ण समुदाय को एक सेवार्थी के रूप में लिया जाता है।

20. सामुदायिक संगठन में सहयोग और संबद्धता के पर्यावरण को निर्मित कर लोगों को स्वंय सहायता के आधार पर संयुक्त प्रयासों के आयोजन के लिये प्रेरित किया जाता है।

21. सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण के मौलिक उददेश्यों को पूर्णतम या प्रकटन के लिये कार्य किया जाता है।

22. समुदाय के कल्याण के लिये व्यावसायिक व्यक्तियों एवं नागरिकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली कियाओं का बोध कराने के लिये कार्य किया जाता है।

4.4 सारांश

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति एवं समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत मूल्य अभिविन्यास, समुदाय के साथ कार्य करने के स्वीकृत तरीके तथा निश्चित अवधारणाओं तथा तथ्यों का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एवं समुदाय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया जाता है। सामुदायिक संगठन की कार्य प्रणाली भी मानव गरिमा एवं व्यक्ति के अधिकारों से सम्बन्धित है इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र ढंग से विचारों की अभिव्यक्ति करने, संगठन बनाने एवं आपसी सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से कार्य करने का अवसर मिलता है। सामुदायिक संगठन में समस्याओं के समाधान के लिए सम्पूर्ण समुदाय को एक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा कार्यकर्ता के सहयोग से लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है।

4.5 शब्दावली

मौलिक आवश्यकताएं	व्यक्ति एवं समुदाय की विकास एवं वृद्धि से सम्बिन्धित आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मौलिक आवश्यकताएं होती हैं।
जागरूकता	समुदाय के अन्दर पायी जाने वाली समस्याओं के प्रति समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना एवं चेतना का विकास करना।
संसाधन	संसाधन जैसे भौतिक सामग्री, धन, एवं व्यक्ति आदि जिन्हें किसी परियोजना में प्रयुक्त किया जा सके।
सहयोग	सामुदायिक कार्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक–दूसरे की सहायता करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना अति आवश्यक होता है।

4.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- एम0जी0 रॉस, (1955), कम्युनिटी आर्गनाईजेशन–थ्योरी एण्ड प्रिन्सीपल्स, हार्पर ब्रदर्स, न्यूयार्क।
- सिंह, ए0एन0, (1990), सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1997) वर्किंग विद कम्युनिटी एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- अग्रवाल, जी0के एण्ड एस0एस0 पाण्डेय, (2006) ग्रामीण समाज शास्त्र, साहित्य भवन, ।

बोध प्रश्न–2

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक संगठन की विशेषताओं के ज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. सामुदायिक संगठन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों जैसे– गाँव, शहर, कस्बा, मलिन बस्तियों आदि को है। समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहें है। समाज कल्याण के क्षेत्र में इसी गति से आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समुदाय के लिये उच्च स्तर की सेवाओ तथा उनके प्रशासन की विशिष्ट कला की आवश्यकता है।

   सामुदायिक संगठन में सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय में आत्म–विश्वास आत्म–निर्देशन व आत्म–निर्भरता का विकास किया जाता है। वह समुदाय को अपना कार्यक्रम स्वयं बनाने, स्वयं निर्णय लेने तथा सहकारिता के आधार पर संयुक्त सामुदायिक प्रयास करने में सहायता देता है। वह समुदाय के सदस्यों में ही नेतृत्व की भावना का विकास करता है न कि स्वयं सामुदायिक नेतृत्व ग्रहण करता है।

2. भाग 4.2 देखें

बोध प्रश्न 2

1. भाग 4.3 देखें

2. भाग 4.3 देखें

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

2

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त एवं प्रणालियाँ

इकाई 5
सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त 58

इकाई 6
सामुदायिक संगठन की प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ 76

इकाई 7
सामुदायिक संगठन कार्य की निपुणताएँ 88

इकाई 8
सामुदायिक संगठन के चरण 103

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0पी0 दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ0 एम0 एन0 सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो0 एस0 त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो0 अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

प्रो0 एन0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखक

डॉ0 अनूप भारतीय	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो0 (डॉ0) जी0एस0 शुक्ल	:	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खण्ड 2 का परिचय

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त एवं प्रणालियां

इस खण्ड सामुदायिक संगठन के सिद्धांत एवं प्रणलियों को कुल चार इकाइयों में बॉटा गया है। पहली इकाई सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों पर आधारित है इस इकाई में विभिन्न विद्वानों आर्थर डनहम, एम. जी. रौस, मैक्लीन, जोन्स और डीमार्क, कैसिडि आदि के सिद्धांतों की व्याख्या की गयी है इसके अतिरिक्त सामुदायिक संगठन के अन्य सिद्धांतों, उद्देश्यपूर्ण, आत्मनिर्धारण, प्रगतीशील कार्यक्रम, नेटवर्किंग, स्वीकृति आदि के सिद्धांतों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इस खण्ड की दूसरी इकाई सामुदायिक संगठन की प्रणलियों एवं कार्यविधियों पर आधारित है। इस इकाई में विभिन्न विद्धानों लेन, मैकलीन, यूनाइटेड नेशन्स, आर्थर डनहम, प्रो. सुरेन्द्र सिंह आदि द्वारा प्रस्तुत विधियों एवं कार्यविधियों को उल्लेखित किया गया है तथा साथ ही साथ सामुदायिक संगठन की विधियों एवं प्रणलियों के अन्य तथ्यों की भी व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामुदायिक संगठन में निपुणताओं पर आधारित है। इस इकाई में निपुणता सें तात्पर्य, विभिन्न विद्वानों की विचारधारायें, निपुणताओं को प्रभावित करने वाले तथ्यों की व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की चौथी इकाई सामुदायिक संगठन के चरणों पर आधारित है। इस इकाई में विभिन्न विद्वानों के विचारों के साथ ही साथ सामुदायिक संगठन के चरणों की व्याख्या की गयी है।

इकाई– 5 सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्देश्य

5.2 प्रस्तावना

5.3 विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.1 आर्थर डनहम द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.2 एम0 जी0 रौस द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.3 मैक्लीन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.4 जोन्स और डीमार्क द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.5 कैसिडी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.2.6 एच0 वाई0 सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.4 सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

5.3.1 सामुदायिक संगठन साधन है न कि साध्य

5.3.2 स्वीकृति का सिद्धान्त

5.3.3 अनुभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धान्त

5.3.4 विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धान्त

5.3.5 स्थानीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का सिद्धान्त

5.3.6 नियोजन का सिद्धान्त

5.3.7 अन्तर–समूह अभिगम का सिद्धान्त

5.3.8 उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध का सिद्धान्त

5.3.9 आत्म–निर्धारण का सिद्धान्त

5.3.10 प्रगतिशील कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभव का सिद्धांत

5.3.11 जन सहभागिता का सिद्धांत

5.3.12 लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त

5.3.13 नेटवर्किंग का सिद्धान्त

5.3.14 संस्कृति अभिविन्यास का सिद्धान्त

5.3.15 सतत् मूल्यांकन का सिद्धान्त

5.4 सारांश

5.5 शब्दावली

5.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। समुदाय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन–किन सिद्धान्तों के द्वारा एक सामुदायिक कार्यकर्ता लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तथा इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- सिद्धान्त के अर्थ को, जान सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धान्तों को, समझ सकेंगे।
- सिद्धान्तों के महत्व को, जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन में विशिष्ट उद्देश्यों के महत्व को जान सकेंगे।
- अन्तर–समूह अभिगम को, समझ सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त को सामान्य रूप से अभ्यास के लिए एक निर्देशित नियम के रूप में समझा जा सकता है। कार्यकर्ता को यदि सिद्धान्तों की सैद्धान्तिक समझ है तो कार्यकर्ता उस अभ्यास को व्यावसायिक आधार प्रदान करता है। ये सिद्धान्त सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुलभ एवं आसान तरीके बताते है तथा अनुभव एवं सिद्ध ज्ञान से कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते है। इन सिद्धांतों का ज्ञान सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। यदि सामान्य और व्यावसायिक दृष्टिकोणों में अन्तर किया जाये तो एक व्यावसायिक अपने विशिष्ट अनुभव और ज्ञान के सदुपयोग द्वारा न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अनुकूलतम परिणाम प्राप्त करते हैं। एक व्यावसायिक को स्पष्ट ज्ञान होने से वह सेवार्थी के साथ कार्य प्रारम्भ करता है।

5.2 विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

समाज कार्य साहित्य में मूल्य तथा सिद्धान्त एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि सिद्धान्त की उत्पत्ति निश्चित मूल्यों को स्वीकार करने से होती है। नीतिगत मूल्य अत्यधिक महम्वपूर्ण होते हैं जोकि सेवार्थी की समस्या के प्रति कार्यकर्ता के दृष्टिकोण में सम्मावित समाधान तथा सेवार्थी एवं समाज के बीच पाये जाने वाले सम्बन्धों को प्रभावशाली रूप से प्रमावित करते है।

सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों की व्याख्या करने से पहले आवश्यक है कि हम सिद्धांत के अर्थ को समझे तथा सामुदायिक संगठन में इसका क्या महत्व है उस पर भी विचार करें। सिद्धांत एक ऐसा ज्ञान है जो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के चिन्तन, अनुभव, अवलोकन एवं अध्ययन से प्राप्त होता है और जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता या सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त कर सकता है।

लियोनार्ड ने सिद्धांत के अर्थ को समझाते हुए कहा है कि 'एक सिद्धांत, एक ऐसी उपकल्पना है जिसका निरीक्षण तथा प्रयोग से परीक्षण किया गया है और जिसको एक बुद्धिमानीपूर्ण किया के पथ–प्रदर्शक के रूप से देखा जा सकता है (लियोनार्ड,1936)।

समुदाय के साथ कार्य करने के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान सामुदायिक संगठन कार्य के अनुभव पर आधारित है। अतः इन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करते हुए हम सामुदायिक संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है। यह हमें सही दिषा का ज्ञान करा सकता है एवं हमारे मार्ग को आसान बना सकता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों की जानकारी अत्यन्त आवष्यक है। इनके ज्ञान के बिना कार्यकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा कार्यकर्ता की लक्ष्य पूर्ति में असफल सिद्ध होने की सम्मावना भी बनी रहती है।

1 आर्थर डनहम द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

आर्थर डनहम ने 'कम्युनिटी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन'(1958) में अध्ययन के पश्चात् सामुदायिक संगठन के 28 सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया। जिसे मुख्यतः सात मुख्य बिन्दुओं के तहत वर्गीकृत किया गया है। जो कि निम्नवत् है :–

1. समाज कल्याण एवं प्रजातन्त्र
2. सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक आधार
3. नागरिकों की समझ, आलम्बन, व्यावसायिक सेवा एवं सहभागिता
4. सहयोग
5. समाज कल्याण कार्यक्रम

6. समाज कल्याण सेवाओं की पर्याप्तता, वितरण एवं संगठन, तथा

7. रोकथाम

डनहम द्वारा प्रस्तुत किये गये सिद्धान्तों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिससे समुदाय के लोगो को समाज कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। डनहम द्वारा प्रस्तुत 'समुदाय' की अवधारणा भारत में समुदायों के साथ कार्य करने की अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। आपने एक ऐसे समुदाय की कल्पना की है जहां पर समाज कल्याण सेवाओं का जाल एक आदर्श रूप में है। डनहम ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तो को सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है।

2 एम0 जी0 रौस द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

एम0जी0 रौस ने अपनी पुस्तक 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन थ्योरी, प्रैक्टिस एण्ड प्रन्सिपल्स'(1967) में सामुदायिक संगठन के विशिष्ट सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। सामुदायिक संगठन के विशिष्ट सिद्धान्तों को व्यावसायिक कार्यकर्ता की भूमिका अथवा संगठन अथवा संघ की प्रकृति के आधार पर समझा जा सकता है। रौस द्वारा सामुदायिक संगठन के 12 विशिष्ट सिद्धान्तों को बताया गया है, जो निम्नवत् है :–

1. समुदाय में वर्तमान स्थिति के प्रति असन्तोष के कारण संगठन का विकास प्रारम्भ अथवा/और पोषित होता है।

2. विशिष्ट समस्याओं के लिए किए जाने वाले संगठन, नियोजन एवं कार्य योजना व्याप्त के प्रति असन्तोष को केन्द्रित किया जाना आवश्यक है।

3. असन्तोष जो सामुदायिक संगठन को जन्म देता है, ऐसा होना चाहिए जो समुदाय के अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता हो।

4. संघ अथवा संस्था में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से नेताओं को कार्य में सम्मिलित करना चाहिए तथा समुदाय के अधिकांश उप–समूहो द्वारा स्वीकार्य होने चाहिए।

5. संघ अथवा संस्था के उद्देश्य, विधियां एवं प्रक्रिया सदस्यों की स्वीकृति के अनुसार होनी चाहिए।

6. संघ अथवा संस्था के कार्यक्रमों में ऐसे क्रियाकलापों से जोड़ना चाहिए जिसमें भावनात्मक तत्व भी सम्मिलित हों।

7. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह समुदाय में विद्यमान व्यक्त और अव्यक्त सद्भाव का उपयोग करे।

8. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह समुदाय में और संस्था के मध्य संस्था के अन्दर सक्रिय एवं प्रभावी संचार को विकसित करें।

9. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह एक साथ किए जाने वाले सहकारी कार्यों में समूह को सहारा एवं सुदृढ़ता प्रदान करें।

10. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह समुदाय की विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को गति प्रदान करें।

11. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह समुदाय में प्रभावशली नेता को विकसित करें।

12. संघ अथवा संस्था को चाहिए कि वह समुदाय में को अपनी शक्ति, सुदृढ़ता, स्थिरता और सम्मान को विकसित करें।

3 मैक्लीन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

मैक्लीन ने अपने लेख 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफयर'(1951) में अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया है।

1. समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उनकी आवश्यकताओं से सम्बन्धित है।

2. समाज कल्याण के लिए समुदाय एक प्राथमिक इकाई माना जाता है। यह समुदाय, पड़ोस (मोहल्ला), नगर या राज्य या देश या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी हो सकता है।

3. सामुदायिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि समुदाय जैसा भी हो जहॉ भी हो उसे वैसा ही स्वीकार किया जाता है। समुदाय के वातावरण को समझना इस प्रक्रिया में अनिवार्य होता है।

4. समुदाय के सभी सदस्य सामुदायिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाओं में रूचि रखते है। समुदाय के सभी वर्गों और तत्वों द्वारा संयुक्त प्रयासों में भाग लिया जाना, सामुदायिक संगठन के लिए उपयोगी होता है।

5. हर समुदाय की अपनी एक गतिशीलता होती है। समुदाय की समस्याएं एवं आवश्यकताएं बदलती रहती है। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। परिवर्तित रहती मानवीय आवश्यकताएं और व्यक्तियों के आपसी और व्यक्तियों और समूहों के आपसी सम्बन्धों की वास्तविकता ही सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की गति की मानी जाती है। सामुदायिक संगठन में इस उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया जाता है।

6. सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण की सभी संस्थओं और संगठनों में परस्पर निर्भरता आवश्यक है। कोई भी संस्था अकेले में उपयोगी नहीं हो सकती बल्कि दूसरी संस्थाओं के सहयोग से ही कार्य करती है।

7. सामुदायिक संगठन सामान्य समाज कार्य का ही एक भाग है। समाज कल्याण के लिए एवं सामुदायिक संगठन के लिए व्यावसायिक शिक्षा समाज कार्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से ही अच्छे तरीके से दी सकती है।

4 जोन्स और डीमार्क द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

जोन्स और डीमार्क ने अपने अनुभवों के आधार पर सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है :–

1. सामुदायिक संगठन साधन है साध्य नहीं। वैयक्तिक सेवा कार्य और सामूहिक सेवा कार्य के अनुरूप सामुदायिक संगठन, व्यक्ति के जीवन को सुखों बनाने का एक माध्यम है। संस्थान, कर्मचारीगण, कार्यक्रम, ज्ञान और निपुणतायें अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते है न कि साध्य। अन्तिम साध्य व्यक्ति का कल्याण और उसकी उन्नति होता है।

2. समुदाय व्यक्तियों और समूहों की भांति भिन्न होते है। प्रत्येक समुदाय की अपनी भिन्न–भिन्न विषेषतायें एवं आवश्यकतायें होती है। इसलिए प्रत्येक समुदाय का व्यक्तिकरण किया जाना आवश्यक है।

3. व्यक्तियों की तरह समुदाय को भी आत्मनिर्धारण का अधिकार होता है। समुदायिक संगठन में कार्यकर्ता समुदाय को अपनी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करने के योग्य बनाता है। वह समुदाय पर इन्हें आरोपित नहीं करता है।

4. समाजिक आवश्यकता, संगठन का आधार होता है। सामुदायिक आवश्यकता का पता लगाकर ही उसको पूर्ण करने के लिए संगठन का निर्माण होता है।

5. कार्यक्रमों के निर्धारण में सबसे प्रथम विचार या लक्ष्य, संस्था के अपने हित की अपेक्षा सामुदायिक कल्याण में होना चाहिए।

6. समन्वय ही विकास का मार्ग है। यह समन्वय किसी दबाव या दमन से नहीं बल्कि प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए और यह सामान्य हितों एवं उद्देश्यों के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए।

7. सामुदायिक संगठन की संरचना को जितना सरल बनाया जा सके। वह उतना ही अच्छा होता है।

8. सेवाओं का न्यायोचित वितरण किया जाना चाहिए। सामाजिक सेवायें सभी जरूरतमन्द सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार एवं बिना किसी पक्षपात के उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

9. कार्यक्रम निर्धारण में विविधता का आदर किया जाना चाहिए।

10. अर्न्त–संस्था निकाय में व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

11. केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण में सन्तुलन होना चाहिए।

12. संचार की बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। समुदाय के विभिन्न समूहों में सभी स्तरों पर एक अच्छा और मुक्त सम्पर्क होना चाहिए।

13. समुदायों को व्यावसायिक सहायता की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता की भूमिका समुदाय की समाज कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को खोजने, पहचानने और पूरा करने की योजना बनाने में, एक सहायक के समान होनी चाहिए।

5. कैसिडी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

कैसिडी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी संगठन को आरम्भ करने, उसे बनाये रखने, उसमें अशोधन करने या उसे प्राप्त करने में सामाजिक आवश्यकता एक निर्धारक कारक होनी चाहिए। इस विचार पर आधारित आपने निम्नलिखित चार सिद्धांतों की चर्चा की है। जो कि निम्नवत् है :–

1. सामाजिक आवश्यकता संगठन का आधार,

2. पर्याप्त सामुदायिक सेवाओं की उपलब्धता,

3. संस्था के संचालन के अनिवार्य अनुभागों पर नागरिकों का नियंत्रण, एवं

4. मुक्त सम्पर्क एवं संचार की स्थापना और बाधाओं या रुकावटों को तोड़ना/समाप्त करना।

6. एच0 वाई0 सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए एच0वाई0 सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक 'वर्किंग विद कम्युनिटिजः ऐन इन्ट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क'(1997) में समुदाय के साथ कार्य करने के लिए आठ मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया है –

1. विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धान्त
2. नियोजन का सिद्धान्त
3. जनसहभागिता का सिद्धान्त
4. अन्तर–समूह अभिगम का सिद्धान्त
5. प्रजातान्त्रिक प्रकार्य का सिद्धान्त
6. लचीले संगठन का सिद्धान्त
7. स्थानीय संसाधानों के अनुकूलतम उपयोग का सिद्धान्त
8. संस्कृति अभिविन्यास का सिद्धान्त

5.3 सामुदायिक संगठन के सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में यथा सुरेन्द्र सिंह, ए0 एन0 सिंह, एच0वाई0 सिद्दीकी, द्वारा दिए गए सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उसका यदि अध्ययन किया जाए तथा उपरोक्त विश्लेषण के अध्ययन के आधार पर तो सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते है। जिन्हें निम्नवत् समझा जा सकता है :–

5.3.1 सामुदायिक संगठन साधन है न कि साध्य

सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए समुदाय के कार्यों को एकीकृत रूप में करता है और उसमें वृद्धि करता है। इस अर्थ में सामुदायिक संगठन एक विधि अथवा साधन है जो लोगों को इस योग्य बनाता है। जिससे कि वे खुशहाल एवं विकसित जीवन जी का आनन्द ले सके। सामुदायिक संगठन एक प्रणाली है कि जिसमें हस्तक्षेप के द्वारा एक समुदाय के लोगों को क्रमशः व्यक्तिगत, सामूहिक अथवा संगठन के रूप में सहायता की जाती है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओ का समाधान नियोजित सामूहिक क्रिया द्वारा कर सके।

5.3.2 स्वीकृति का सिद्धान्त

समुदायिक संगठन कार्य का यह महत्वपूर्ण सिद्धान्त है स्वीकृति सिद्धान्त का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए अत्यन्न महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय को उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में समुदाय दिखाई देता है एवं अपने को समुदाय से स्वीकार कराये अर्थात् कार्यकता को अपने कार्य के प्राथमिक चरण में सामुदायिक सदस्यों द्वारा बतायी गई समस्या को ही नहीं बल्कि समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं, सभ्यता–संस्कृति एंव सामुदायिक मूल्यों को भी गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समुदाय की न केवल अपनी अलग संस्कृति होती है, वरन् उस समुदाय के लोगों के लिए वह अन्य समुदाय की संस्कृति एवं सभ्यता से उत्तम होती है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय विशेष के प्रत्येक कार्य व्यवहार की भावनात्मक धरातल पर देखना चाहिए। इसके साथ–साथ कार्यकर्ता को अपने विचार–व्यवहार क्रिया प्रतिक्रिया को समुदाय के व्यवहार से जोड़ते हुए दोनो में तालमेल स्थापित करना चाहिए और समुदाय से अपने आपको इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि समुदाय उसे स्वीकार कर ले। इसके लिए आवश्यक है कि सामुदायिक संगठन कर्ता न केवल समुदाय के कुछ प्रमुख व्यक्तियों नेताओं सदस्यों संगठनों समूहो से ही मिले, बल्कि समुदाय के प्रत्येक जाति–प्रजाति, धर्म, वर्ग, समूह, उपसमूह, संगठन तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर एवं विभिन्न प्रभाग में रहने वाले सदस्यों से मिले। अपने विचार–व्यवहार में और समुदाय की संस्कृति में तालमेल स्थापित करते हुए उसे समुदाय में अपना लोकप्रिय स्थान बनाना चाहिए।

5.3.3 अनुभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में सदस्यों के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसलिए स्वीकार करने एवं अपने को समुदाय द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् उसे समुदाय की उन तमाम आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों की नजर में महत्वपूर्ण हों। कार्यकर्ता को कभी भी अपने समुदाय की आवश्यकता या जिस जिस समुदाय में वह कार्य कर चुका है की आवश्यकता को प्रत्येक समुदाय की आवश्यकता नही मानना चाहिए। बल्कि जिस समुदाय में वह कार्य कर रहा है उसके द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि एक समुदाय के लिए सार्वजनिक टेलीफोन उसकी आवश्यकता हो और दूसरे के लिए उच्च शिक्षण संस्था। सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों में तालमेल स्थापित करना है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को स्वंय समुदाय में एवं समुदाय के आस–पास कार्यरत सरकारी एवं गैर–सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाना चाहिए तथा सामुदायिक कल्याण के विकास के लिए उन्हे संचालित करना चाहिए।

5.3.4 विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्यकर्ता यह कठिनाई महसूस करता है कि वह समुदाय के साथ कार्य करने के विभिन्न चरणों को किस प्रकारा से संगठित करे। दूसरा यह कि समुदाय में विभिन्न तरह के लोग होते हैं यथा स्त्री, पुरूष, बच्चे, वृद्ध इत्यादि के लिए अलग–अलग प्रकार के कार्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप कैसे निर्मित करे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके लिए आवश्यक है कि विशिष्ट उद्देश्यों का निर्माण किया जाए। विशिष्ट उद्देश्य कार्यकर्ता की सहायता करते हैं कि किस प्रकार से सेवार्थी की विभिन्न श्रेणियों के साथ कार्य किया जाए और दूसरी सामुदायिक स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों के निरूपण में सहायता मिलती है। इसी प्रकार सामुदायिक कार्य अभ्यास के लिए कौन सा सामुदायिक प्रारूप उपयुक्त होगा, का भी निर्धारण विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण से सरल हो जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धान्त कार्यकर्ता को सोचने, समझने तथा निर्णय करने में सहायता करता है तथा सेवार्थियों की कौन–कौन सी आवश्यकताए का पता लगाने में भी मदद प्राप्त होती है। इस प्रकार विशिष्ट उद्देश्यों के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

5.3.5 स्थानीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग का सिद्धान्त

सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने अथवा समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय संसाधनों का अत्यधिक महत्व होता है। अधिकतर समुदायों में आधारभूत आवश्यकताओं यथा आवास, पीने योग्य जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का आभाव रहता है। कार्यकर्ता अधिकतर स्थानीय संसाधनों अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। संसाधनों के अभाव में कार्यकर्ता सदैव स्थानीय संसाधनों को गतिमान करने के लिए तैयार रहता है। भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त स्थानीय मानव संसाधनों को गतिमान करना एक दुष्कर्म कार्य है। बहुत से लोग सामुदायिक क्रिया–कलापों में अपना

योगदान देने के लिए तैयार नहीं रहते है। अनुभव यह बताता है कि ऐसे कार्यों के लिए युवा ज्यादा सहायता मूलक हो सकते हैं। सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सरकारी संसाधनों अथवा अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रीय, गैर सरकारी संगठन प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को उपयोग लाया जाता है। अधिकांश कार्यकर्ता अथवा संगठन अपने स्तर से पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को संचालित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक परियोजनाए समुदायों को बिना किसी लागत के सेवाएं प्राप्त हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में समुदाय पूर्णतयः वाह्य सहायता पर निर्भर हो जाता है। आज के बदलते परिवेश में समाज अथवा राज्य के उत्तरदायित्व की अवधारणा के स्थान पर सामुदायिक अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्व की भावना का सूत्रपात हुआ है।

कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह नयी/आधुनिक विधियों के द्वारा संसाधनों को गतिमान करते हुए सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करे तथा इस बात पर बल दे कि स्वयं सहायता द्वारा एक समुदाय आत्म–निर्भर बन सकता है।

5.3.6 नियोजन का सिद्धान्त

कार्यकर्ता इस तथ्य को स्वीकार करता है कि समुदाय के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए नियोजन आवश्यक है। एक बार कार्यकर्ता यह प्रारम्भिक निर्णय ले लेता है कि किस प्रकार से लोगों की आवश्यकता को पूर्ण किया जाएगा तो नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा विचारों को लागू करने की शुरूआत हो जाती है। नियोजन, मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य का ब्लू प्रिंट अथवा खाका होता है जिससे विचारों को सही आकार देना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाना तथा कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, इत्यादि का ज्ञान होता है। नियोजन के द्वारा यह भी पता चलता है कि कार्यक्रम को लागू करने में किन–किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए कार्यकर्ता लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। कार्यकर्ता, नियोजन के सिद्धान्त की सहायता से व्यवसायिक तरीके से समस्या को दूर करने का प्रयास करता है।

5.3.7 अन्तर–समूह अभिगम का सिद्धान्त

समुदाय के साथ कार्य के विभिन्न नेताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए उनके साथ कार्य करता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से मतभेद होते हैं जिससे आपस में संघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। जिसके कारण कार्यकर्ता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विभाजित करे तथा उसे समूहों में निर्मित करे। समुदाय के साथ करने की अपेक्षा समूहों के साथ कार्य करना आसान रहता है। समुदाय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूहों के मध्य अर्न्तसम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। जिससे समूह के सभी सदस्य पूर्ण रूप से प्रक्रिया में शामिल हो सके। समूहों के मध्य तारतम्यता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि समूहों के साथ लगातार नियमित अन्तराल पर मीटिंग करे। यद्यपि समुदाय के साथ मीटिंग को संगठित करना आसान कार्य

नहीं है फिर भी मीटिंग के लिए ऐसे समय का निर्धारण किया जाए जो सभी के लिए अनुकूल हो। इसके साथ ही वृहत् स्तर पर आयोजित की जाने वाली मीटिंग में अधिक से अधिक योजनाओं एवं संसाधनों को गतिमान किया जाए। यद्यपि वृहत् स्तर पर समुदाय की आवश्यकताओं पर चर्चा करना कठित कार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे–छोटे समूहों को बनाया जाए तथा समुदाय के लोगों के साथ विचार विमर्श किया जाए। इस प्रकार कार्यकर्ता समुदाय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा समूह की आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता करने की शुरूआत कर सकता है। लघु स्तर पर आयोजित होने वाले विचार–विमर्श की प्रक्रिया में लोग सामूहिक रूप से सहभागिता करते है तथा विचारों में मतभेद कम देखने को मिलते है।

अतः यह कहा जा सकता है कि समुदाय को समूहों अथवा उपसमूहो में विभाजित करने से कार्यक्रमा को आवश्यकता के अनुरूप निर्मित किया जा सकता है और प्रत्येक चरण पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

5.3.8 उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध का सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में एक व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसलिए उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्य के विषय में सचेत रहना चाहिए। उसे सदस्यों में भी अपने उद्देश्य के विषय में चेतन पैदा करनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों की मजबूतों के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के उन शक्तिशाली संगठनों समूह एवं उपसमूह के सदस्यों से भी अपना प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाये जिनसे किसी न किसी रूप से समुदाय–प्रभावित हो सके।

अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता अपने कार्य में नियमितता बरतें। इस नियमितता को तब तक बनाये रखना चाहिए जब तक उसे विश्वास न हो जाये कि सामुदायिक सदस्यों में अब अपनों समस्याओं व आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने की आत्मशक्ति का विकास हो गया है।

5.3.9 आत्म–निर्धारण का सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन कार्य कर्ता सामुदायिक सदस्यों के साथ कार्य कर उनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास उन्हें आत्म निर्भर बनाने में करता है। उसे सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक चरण में सदस्यों की शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास आवश्यक दिशा में करते रहना चाहिए। उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पहचानने उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाने तथा दोनों के बीच आवश्य तालमेल स्थापित करने के लिये आवश्यक निर्णय लेने का पूरा–पूरा खुला अवसर प्रदान करना चाहिए। कार्यकर्ता को आवश्यकतानुसार आवश्यक ज्ञान से उनका ज्ञानवर्द्धन तो अवश्य करना चाहिए लेकिन उन्हें निर्णय लेने की पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए। इससे वे अपने को जिम्मेदार महसूस करेंगे और अपने द्वारा लिये। गये निर्णय के कार्यान्वयन एवं उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय में लिये जा रहे प्रत्येक निर्णय में सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे निर्णय से सकें जिसमें समुदाय के अधिकाधिक जरूरतमन्द लोगों का कल्याण हो सकें। यदि कार्यकर्ता को लगे कि सामुदायिक सदस्य ऐसा निर्णय लेने जा रहे है। जिससे समुदाय के किसी विशेष पक्ष या वर्ग के लोगों को ही लाभ होगा तो उस समय कार्यकर्ता को सामुदायिक शक्तियों को हाथ में रखने वाले प्रमुख सदस्यों के सहयोग एवं अपने चातुर्थ से इसे रोकना चाहिए। एक समझदार कार्यकर्ता समुदाय में लिखे जा रहे निर्णयों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है, समुदाय अधिकासिक लोगो के लिए उसे लाभकर बनाने का प्रयत्न करता है सदस्यों का यथासम्भव ज्ञानवर्द्धन करना है तथा समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में लिए जा रहे निर्णयों में आवश्यक परिवर्तन एवं नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास करता है।

5.3.10 प्रगतिशील कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभव का सिद्धांत

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को कार्यक्रम के निर्धारण के समय उसके आधार बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में सदस्यों की अभिरूचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं का पता लगाना चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रम किसी बाहरी संस्था द्वारा निश्चित नहीं होने चाहिए। कार्यकर्ता को उपलब्ध समुदाय कल्याण के स्तर को देखकर विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यक्रमों की तरफ सकेत करना चाहिए। आरम्भ में संचालित कार्यक्रम समुदाय की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार छोटे आसान और अल्पकालीन होने चाहिए इस प्रकार आसान कार्यक्रमों से आरम्भ कर जटिल एवं उपयोगी कार्यक्रमों को योजना बनाने कार्यक्रम तैयार करने उनका क्रियान्वयन करने, संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने एवं मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रमों में सुधार करने में सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

5.3.11 जन सहभागिता का सिद्धांत

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक संगठन कार्य सामुदायिक सदस्यों के लिए सदस्यों के द्वारा और संदस्यों के साथ किया जाता है किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सदस्यों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकर्ता को न केवल कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसके कार्यन्वयन में ही सदस्यों की सहभागिता पर बल देना चाहिए बल्कि समुदाय के अन्दर एवं आस–पास उपलब्ध साधनों को पहचानने और प्रत्येक चरण पर लिए जाने वाले निर्णयों में भी उनकी सहभागिता को प्रात्साहित करना चाहिए। इसमें ऐसे सभी लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो औपचारिक रूप से समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत हो।

सामुदायिक कार्यकताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक सदस्य सामुदायिक कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किसी बाहरी संस्था या संगठन का कार्यक्रम न समझ बैठे। यदि सामुदायिक सदस्य प्रत्येक निर्णय में सहभागी होगें तो वे इसे अपना निर्णय एवं अपना कार्यक्रम मानकर इसे सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे।

5.3.12 लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त

सामुायिक संगठन कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सभी सदस्यों को इकट्ठा कर एक ऐसे प्रभावपूर्ण संगठन का निर्माण कराये जिसमें समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म एवं सामाजिक–आर्थिक वर्ग वाले सदस्य शामिल हों। कार्यकर्ता की इस प्रकार के संगठन के निर्माण में इसके आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। आकार ऐसा होना चाहिए जो न ही अधिक बड़ा ही और न ही अधिक छोटा। संगठन के नेता का चुनाव कराने में भी सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे नेता का चुनाव कर सकें जो संगठन की जिम्मेदारी निभाने, समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पहचानने तथा समुदाय की स्वीकृति हासिल करने में निपुण हो साथ ही वह ऐसा भी हो जो विरोध समूहों एवं उपसमूहों के तनावों को प्रभावकारी ढंग से रोक सके।

हर संगठन की एक व्यवस्थित नियम में बांधने की आवश्यकता होती है जिससे संगठन के जिम्मेदार चयनित कार्यकर्ता कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। संगठन के कर्मचारियों में संगठन के कार्यो का पूरा बंटवारा होना चाहिए। कार्यो के कार्यान्वयन तथा जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कुछ समितियों एवं उप– समितियों का निर्माण किया जाता चाहिए।

5.3.13 नेटवर्किंग का सिद्धान्त

सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के बीच समायोजन स्थापित करना है। अर्थात समुदाय के सदस्यों की अनुभूत आवश्यकताओं को ज्ञात करते हुए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को गतिमान करना एवं उचितपूर्ण समायोजन स्थापित करना है। जिससे कि समुदाय के सदस्य व समुदाय आत्मनिर्भर हो सके। सामुदायिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने तथा सामुदायिक आवश्यकताओं की संदृष्टि तक समुदायिक कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हुए सेवार्थी समुदाय, आवश्यकताओं संसाधनों स्थापित करना पड़ता है। और इसके लिए उसे नेटवर्किंग की जरूरत होती है अर्थात एक ऐसे 'जाल' का निर्माण करता है जिससे कि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

नेटवर्क या सजांल से आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर जुड़े रहते है। सामाजिक लक्ष्यों अथवा सामुदायिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए एक कार्यकर्ता विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। क्योंकि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यकर्ता को चाहिए कि निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संगठनों से सम्पर्क स्थापित करे। जिससे कि नेटवर्किंग का लाग यह होता है कि संगठन किसी विषय की समझ का विकास स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक करते हैं और अनुभवों को पारस्परिक लेन–देन भी करती है।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में नेटवर्किंग का अत्यधिक महत्व है। इसके महत्व को आर्भर डनहम ने परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है। जिसमें समाज कल्याण के लिए समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है समाज कल्याण साधनों में संस्थाए या संस्थान ही सम्मिलित नहीं होते है बल्कि इसमें कर्मचारी, भौतिक साधन, वित्तिय व्यवस्था नियम व कानून नेतत्व, नगरिकों में जागरूकता सीख और सहयागिता भी शमिल है। सामुदायिक संगठन एक गतिशील, व्यापक और प्रभाव कारी प्रक्रिया है।

5.3.14 संस्कृति अभिविन्यास का सिद्धान्त

किसी भी राष्ट्र, समाज, अथवा समुदाय की परम्पराएं संस्कृति, प्रतिमान, मूल्य लोगों के लिए अत्यधिक मूल्यवान होती है। इसके अतिरिक्त एक कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ होता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसने जिन लोगों के साथ कार्य किया हो, वह प्रक्रिया दूसरों पर भी लागू की जा सकती हो। अतः आवश्यक है कि कार्यकर्ता विविधताओं को अपने अन्दर स्थापित करे। एक कार्यकर्ता किसी विशेष परिस्थिति में अत्यधिक कुशल हो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि परम्पराओं से बंधा एक समुदाय उसे स्वीकार करे और कार्यकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करे। एक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय की संस्कृति को समझने का प्रयास करे तथा समुदाय की परम्पराओं और प्रयासों का आदर करे। कार्यकर्ता द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि समुदाय की प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर प्रभाव पड़े। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कार्यकर्ता ऐसी परम्पराओं का विरोध नहीं कर सकता है जो कि समुदाय के लोगों के लिए हानिकारण हो।

5.3.15 सतत् मूल्यांकन का सिद्धान्त

समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विकसित किए गए कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है कि समय–समय पर कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता रहे। समुदाय से नियमित रूप में कार्यक्रम की प्रतिपुष्टि होना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए मानदण्डों को निर्धारित किया जाना आवश्यक है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू हो पाया है अथवा नहीं तथा उसकी उपलब्धियां क्या रही है।

कार्यक्रम आयोजन एवं संचालन के पश्चात् कार्यकर्ता को कार्यक्रम में रही कमियों एवं त्रुटियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन न केवल पिछले कार्यक्रमों में आयी हुई बुटियों जानने के लिए उपयोगी है बल्कि नए कार्यक्रमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए भी। मूल्यांकन से प्राप्त ज्ञान का उचित सदुपयोग नियोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में करने कार्यक्रमों में करने से कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की सम्भावनायें हट जाती है।

5.4 सारांश

उपर्युक्त सामुदायिक संगठन कार्य के सिद्धांतों के अध्ययन एवं इनके व्यवहारिक कार्य में प्रयोग से ज्ञात होता है कि ये ऐसे कठोर नियम नहीं है जिन पर चलना मुश्किल हो। इनका पालन करने से सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन कार्य के उद्देश्य को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। ये सभी सिद्धान्त अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि सामुदायिक वातावरण में परिवर्तन के साथ–साथ इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और लोगों के अनुभव ज्ञान निपुणता तथा प्रविधियों में वृद्धि होने के साथ–साथ सिद्धांतों में भी परिवर्तन आवश्यक है, अतः सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वह समयानुसार इन सिद्धांतों में आने–वाले परिवर्तनों के लिये तत्पर रहें।

5.5 शब्दावली

नेटवर्क

नेटवर्क या सजांल से आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न तत्व एक दूसरे से किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर जुड़े रहते है। सामाजिक लक्ष्यों अथवा सामुदायिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए एक कार्यकर्ता विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। क्योंकि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए इन संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कार्यकर्ता को चाहिए कि निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संगठनों से सम्पर्क स्थापित करे। जिससे कि नेटवर्किंग का लाग यह होता है कि संगठन किसी विषय की समझ का विकास स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक करते हैं और अनुभवों को पारस्परिक लेन–देन भी करती है।

नियोजन

नियोजन, मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य का ब्लू प्रिंट अथवा खाका होता है जिससे विचारों को सही आकार देना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, वित्तीय आवश्यकताओं का पता लगाना तथा कार्य को क्रियान्वित करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, इत्यादि का ज्ञान होता है। नियोजन के द्वारा यह भी पता चलता है कि कार्यक्रम को लागू करने में किन–किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

सहभागिता — किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सदस्यों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकर्ता को न केवल कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसके कार्यन्वयन में ही सदस्यों की सहभागिता पर बल देना चाहिए बल्कि समुदाय के अन्दर एवं आस–पास उपलब्ध साधनों को पहचानने और प्रत्येक चरण पर लिए जाने वाले निर्णयों में भी उनकी सहभागिता को प्रात्साहित करना चाहिए।

स्वीकृति — स्वीकृति सिद्धान्त का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए अत्यन्न महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय को उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में समुदाय दिखाई देता है एवं अपने को समुदाय से स्वीकार कराये अर्थात् कार्यकता को अपने कार्य के प्राथमिक चरण में सामुदायिक सदस्यों द्वारा बतायी गई समस्या को ही नहीं बल्कि समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं, सभ्यता–संस्कृति एंव सामुदायिक मूल्यों को भी गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समुदाय की न केवल अपनी अलग संस्कृति होती है, वरन् उस समुदाय के लोगों के लिए वह अन्य समुदाय की संस्कृति एवं सभ्यता से उत्तम होती है।

5.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू, एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।

- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- लियोनार्ड, डी. डब्ल्यू., मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, द फ्रन्टियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिकागोः शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 1936।
- सिंह, ए. एन., सामुदायिक संगठन, चण्डीगढ़, हरियाण साहित्य अकादमी, 1990।
- पाटिल, ए. आर., कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट : एवं इण्डियन पर्सपेक्टिव, दिल्ली : पीएच आर्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013।
- सिद्दीकी, एच.वाई, वर्किंग विद कम्यूनिटी : एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, नई दिल्ली : हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन, के. एस., (सं.) होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, लखनऊ : ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, 1986।
- मेक्लीन, सी.एफ., 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफयर' इन सोशल वर्क इयर बुक 1951, न्यूयार्क : अमेरिकन एशोसियेशन ऑफ सोशल वर्कर्स।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. सतत् मूल्यांकन सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

....

3. संस्कृति अभिविन्यास को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. आत्म–निर्धारण का सिद्धान्त के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. स्थानीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग कैसे किया जाता है ?

.....

.....

.....

.....

5.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 5.2 देखे।
2. उपभाग 5.3.15 देखें।
3. उपभाग 5.3.14 देखे।
4. उपभाग 5.3.9 देखे।
5. उपभाग 5.3.5 देखे।

इकाई–6 सामुदायिक संगठन की प्रणालियां एवं कार्यविधियां

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन की विधियां एवं कार्यविधियां

6.2.1 लेन द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

6.2.2 मेकलीन द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

6.2.3 यूनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रस्तुत विधियां एवं कार्यविधियां

6.2.4 आर्थर डनहम द्वारा प्रस्तुत विधियां एवं कार्यविधियां

6.2.5 सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस वर्मा द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

6.3 सामुदायिक संगठन की प्रणालियां एवं कार्यविधियां

6.3.1 समुदाय का अध्ययन

6.3.2 तथ्यों का विश्लेषण

6.3.3 समुदाय सदस्यों के मध्य असंतोष

6.3.4 संदेह को दूर करना

6.3.5 संगठन का निर्माण

6.3.6 योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण

6.3.7 वित्तीय व्यवस्था

6.3.8 प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास

6.3.9 आत्मनिर्धारण की क्षमता का विकास

6.3.10 सहभागिता

6.3.11 नेटवर्किंग

6.3.12 समन्वय

6.3.13 संचार

6.3.14. मूल्यांकन

6.3.15 अभिलेखन

6.3.16 अनुवर्तन

6.4 सारांश

6.5 शब्दावली

6.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों का उल्लेख किया गया है। सामुदायिक उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों से सहायता लेता है, को इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों के अर्थ को, जान सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा स्पष्ट की गई प्रणालियों एवं कार्यविधियों को, समझ सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों की उपयोगिता को, जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधिया के उद्देश्यों को जान सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

यदि प्रणाली को ज्ञान, सिद्धान्तों एवं निपुणताओं पर आधारित विशेष प्रकार की कार्यरीति माना जाये, तो समाज कार्य की सभी प्रणालियों, व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्यऔर सामुदायिक संगठन की एक समान आधारशिला है, परन्तु कार्यप्रणाली या कार्यरीति के रूप में प्रणाली के अर्थ, ज्ञान और सिद्धान्तों के सम्मिश्रण से अधिक व्यापक हो जाते हैं। इसके मूल अर्थ यह है किसी एक क्रियाकलाप में ज्ञान और सिद्धान्तों का प्रयोग इस ढंग से करना कि बहुत ही प्रभावशाली तरीकों से परिवर्तन आ जाये। प्रणाली का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिचित कार्यविधियों का व्यवस्थित प्रयोग।

6.2 सामुदायिक संगठन की प्रणालियां एवं कार्यविधियां

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति उन संस्थाओं द्वारा, जो सामुदायिक संगठन में लगी होती है, विशेष प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा की जाती है। क्रियाकलाप और विधि या प्रणाली के भेद को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। क्रियाकलाप एक विशेष परियोजना या सेवा होती है जो प्रणाली के प्रयोग होने के परिणामस्वरूप की जाती है। क्रियाकलाप वह वस्तु है जो की जाती है, और विधि या प्रणाली वह तरीका है जिसके द्वारा कोई भी क्रियाकलाप किया जाता है।

6.2.1 लेन द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

इस पृष्ठभूमि में लेन ने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विधियों या प्रणालियों का उल्लेख किया है :–

1. सतत् केन्द्रीयकृत अभिलेख एक प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।

2. नियोजन मुख्य रूप से दो या दो से अधिक संस्थाओं के लिए दूसरी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।

3. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।

4. संयुक्त बजट बनाना अर्थात् वित्त व्यवस्था का नियोजन, जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है।

5. सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में शिक्षा, अर्थनिरूपण और जनसंपर्क सम्बन्धी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैनिक पत्रों, वार्षिक प्रतिवेदनों, रेडियों, नुमाइशों, पुस्तकों आदि द्वारा प्रचार।

6. सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की प्रणालियों के रूप में कोष एकत्रीकरण करने के लिए संयुक्त अभियानों का नियोजन करना और ऐसे अभियानों का चलाया जाना।

7. संगठन की प्रणालियों का प्रयोग करना।

8. क्षेत्रीय सेवा या अन्य तरीकों से अन्तःअभिकरण परामर्श सामुदायिक संगठन की एक सामान्य प्रणाली है।

9. सामूहिक विचार–विमर्श, सम्मेलन प्रक्रिया का विकास और प्रयोग।

10. दो संस्थानों की आपसी विलीनता के लिए वार्ता द्वारा समझौते को प्रोत्साहित करना।

11. संयुक्त रूप से सेवाओं का दिया जाना।

12. सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधानों को प्रोत्साहित करना।

6.2.2 मेकलीन द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

मेकलीन ने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित कार्यविधियों का उल्लेख किया है जिसका विकास समाज कार्य में सामुदायिक संगठन में अभ्यासकर्ता के द्वारा किए गए प्रयासों से हुआ :–

1. प्रशासकीय एवं प्रक्रिया अभिलेखन

2. अनुसंधान

3. परामर्श

4. सामूहिक कान्फ्रेन्स

5. कमेटी कार्य

6. अर्थनिरूपण

7. प्रशासन

8. साधनों का संग्रहण

9. संधिवार्ता या समझौते की बात–चीत।

6.2.3 यूनाइटेड नेशन्स द्वारा प्रस्तुत विधियां एवं कार्यविधियों

सामुदायिक विकास के साहित्य का अध्ययन करने से जिन मौलिक प्रक्रियाओं या विधियों या कार्यविधियों का ज्ञान होता है वह समाज कार्य के विद्धान्तों और अभ्यास से बहुत निकट सम्बन्ध रखती है। यह प्रक्रियाएं या विधियां और उनका विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और संकट से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रयोग समाज कार्य से इनकी समानता दर्शाता है।

यूनाइटेड नेशन्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सामुदायिक विकास के मानवीय सम्बन्धों में इन प्रक्रियाओं की व्याख्या द्वारा इस प्रकार की गई है :–

1. स्थानीय समुदाय का ज्ञान ग्रहण करना और इसकी स्वीकृति प्राप्त करना।

2. स्थानीय समुदाय के विषय में सूचनाएं एकत्र करना। समुदाय के विषय में तथ्यात्मक सूचनाएं जैसे जनसंख्या का आकर, आयु, लिंग, व्यवसाय, आर्थिक स्तर आदि सम्बन्धी ज्ञान।

3. स्थानीय नेता की पहचान।

4. समुदाय को समझने के लिए उद्दीपन और प्रेरणा देना कि उसके सामने समस्याएं है।

5. व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के विषय में विचार–विमर्श करने में सहायता देना।

6. व्यक्तियों को अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचानने में सहायता देना।

7. आत्म–विश्वास की पालना। समाज कार्य का मौलिक उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों और समुदाय में विश्वास का विकास करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साधनों का प्रयोग करने में सहायता देना है।

8. एक क्रियात्मक कार्यक्रम के विषय में निर्णय लेना।

9. सामुदायिक शक्तियों और साधनों की पहचान। व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान में अपनी शक्तियों और साधनों को पहचानने और उन्हे गतिमान करने में सहायता देना।

10. व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के समाधान कार्यों में निरन्तर लगे रहने में सहायता देना।

11. व्यक्यिों को अपनी सहायता आप करने की क्षमता में वृद्धि करना।

6.2.4 आर्थर डनहम द्वारा प्रस्तुत विधियां या प्रणालियां

एस0 रेन्गासैमी ने सामुदायिक संगठन की प्रणालियों से सम्बन्धित संकलित साहित्य में, आर्थर डनहम ने सामुदायिक संगठन की प्रणालियों को उसकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया है, का उल्लेख किया है :–

1. नियोजन तथा उससे सम्बन्धित की जाने वाली क्रियाओं की प्रणालियां

    + तथ्यों की खोज

    + तथ्यों का विश्लेषण

    + मूल्यांकन

    + नियोजन

2. सहकारी क्रिया हेतु तथा समूह निर्णयन प्रक्रिया हेतु प्रणालियां

    + बैठक/सभा अभ्यास

    + सम्मेलन

    + समिति अभ्यास

    + समझौता

    + जनसंगठन

3. संचार की प्रणालियां

    + शिक्षा

    + परामर्श

    + जनसम्पर्क

    + औपचारिक लिखित संचार

    + औपचारिक मौखिक संचार

    + साक्षात्कार

4. सामाजिक क्रिया एवं प्रोत्साहन हेतु प्रणालियां

    + प्रोत्साहन

+ विधायी प्रोत्साहन

+ प्रत्यक्ष क्रिया

+ गैर विधायी सामाजिक क्रिया कार्यविधि

6.2.5 सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस वर्मा द्वारा प्रस्तुत विधियां एवं कार्यविधियां

सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस वर्मा ने अपने लेख "सामुदायिक संगठन" में सामुदायिक संगठन अभ्यास को करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों एवं कार्यविधियों का उल्लेख किया है:–

1. समुदाय का अध्ययन करने के क्रम में समुदाय के इतिहास, सामुदायिक संरचना, गुटबन्दी की तीव्रता, सामुदायिक आवश्यकताओं और समुदाय के लोगों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं तथा सामुदायिक संसाधनों इत्यादि को जानना।

2. अध्ययन के दौरान एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण, निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना जिससे कि समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के कारणों का सामना किया जा सके, लोगों की समस्याओ को सुलझाया जा सके और समुदाय की दुर्बलताओं को जानना जिससे वह प्रभावित हो रहा है।

3. लोगों में शिक्षा के माध्यम से वर्तमान समुदाय में व्याप्त विभिन्न प्रकार की हानिकारक दशाओं के प्रति असंताष को उत्पन्न करना और अन्य समुदायों के विषय में लोगों को बताना कि किस प्रकार से विविध परिस्थितियों में समुदाय अपनी समस्याओ को दूर कर सका है अथवा लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो पाया है।

4. लोगों की मानसिकता को परिवर्तित करना कि समुदाय में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव होंगे।

5. संगठन का निर्माण करना जिसमें सभी सामाजिक सांस्कृतिक समूहों तथा उपसमूहों से सम्बन्धित औपचारिक और अनौपचारिक नेताओं को सम्मिलित करना।

6. प्रजातांत्रिक नेतृत्व तथा आत्म–निर्धारण की योग्यता का विकास।

7. उचित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण।

8. वित्त से सम्बन्धित क्रमशः कोष का निर्माण, बजट तथा केन्द्रीय स्तर पर कोष का आवंटन।

9. समन्वय।

10. अनुवर्तन।

6.3 सामुदायिक संगठन की प्रणालियां एवं कार्यविधियां

उपरोक्त सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया की प्रणालियों एवं कार्यविधियों का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित बिन्दुओं के अर्न्तगत प्रणालियों एवं कार्यविधियों को समझा जा सकता है:–

1. समुदाय का अध्ययन

समुदाय के अध्ययन के अन्तर्गत समुदाय का इतिहास, सामुदायिक संरचना, शक्ति संरचना, गुटबन्दी की स्थिति, समुदाय में रहने वाले लोगों की सामुदायिक आवश्यकताएं और समस्याएं, सामुदायिक संसाधनों इत्यादि की पहचान की जाती है अथवा उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है।

2. तथ्यों का विश्लेषण

समुदाय का अध्ययन करते समय तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है जिससे कि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, साथ ही आवश्यकताओं तथा समस्याओं के कारणों का ज्ञान करना आवश्यक है क्योंकि इसके कारण समुदाय में असंतोष की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए कार्यकर्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिए कि वह समस्या के साथ लोगों को समझ सके तथा उन कमियों को ज्ञात कर सके जिसके कारण समुदाय प्रभावित हो रहा है।

3. समुदाय सदस्यों के मध्य असंतोष

समुदाय के सदस्यों को शिक्षा व जागरूकता के द्वारा समुदाय की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हैं, विभिन्न प्रकार के हानि पहुंचाने वाले कारकों के विषय में बताना और उनमें असंतोष उत्पन्न करना ताकि वे परिवर्तन के लिए तैयार हो सके तथा यह भी स्पष्ट करना कि समुदाय की स्थिति में परिवर्तन होने से समुदाय के सदस्यों तथा समुदाय को कौन–कौन से लाभ प्राप्त होंगे।

4. संदेह को दूर करना

समुदाय के सदस्यों को इस बात के लिए तैयार करना कि यदि समुदाय की स्थिति तो इसके द्वारा समुदाय व समुदाय के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरे शब्दों में समुदाय के सदस्यों के मन से संदेह को दूर करना कि परिवर्तन के कारण नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे।

5. संगठन का निर्माण

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें सभी प्रमुख लोगों विशेषकर औपचारिक व अनौपचारिक रूप से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूहों व उपसमूहों के नेतृत्वकर्ता को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6. योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण

सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए।

7. वित्तीय व्यवस्था

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय व्यवस्था में विशेषकर धन कहां से प्राप्त किया जायेगा, आय–व्यय किस प्रकार होगा, तथा केन्द्रित रूप में कोष का आवंटन कैसे होगा, इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास

समुदाय के सदस्यों की योग्यताओं तथा क्षमताओं में भिन्नता होती हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता भी भिन्न–भिन्न होती है। अतः कार्यकर्ता का उत्तरादायित्व होता है कि वह उन सदस्यों का पता लगायें जिनमें सकारात्मक नेतृत्व के गुण विद्यमान है और वे उत्तरादायित्व को ग्रहण कर सकते हैं। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि नेतृत्व भी उन्हीं सदस्यों में से हो, अन्यथा कार्यकर्ता को यह कार्य करना होगा जो कि न तो समुदाय के लिए हितकर है और न ही समुदाय सिद्धान्तों के अनुकूल है। कार्यकर्ता पहले उन सदस्यों की सहायता करता है जो नेतृत्व का कार्य करते है तथा कार्यक्रम क्रियाओं को पूरा करने में अगुवाई करते हैं, जिससे वे अधिक सक्रियता से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। तदुपरान्त प्रत्येक सदस्य को ऐसे अवसर देने का प्रयत्न करता है जहां पर वे अपनी इस शक्ति का मूल्यांकन कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।

9. आत्मनिर्धारण की क्षमता का विकास

कार्यकर्ता का यह उत्तरादायित्व होता है कि वह समुदाय के सदस्यों में आत्मनिर्धारण की क्षमता का विकास करने के लिए एक ऐसी उपयुक्त प्रणाली का चयन करें अथवा कार्यविधि को अपनाए जिससे कि समुदाय के सदस्य आत्मनिर्भर बन सके और वे अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके।

10. सहभागिता

समुदाय के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे सहभागिता के द्वारा अपनी उपयोगिता को सिद्ध करें। सहभागिता के द्वारा सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। सहभागिता एक प्रणाली है जिसके द्वारा कार्यकर्ता समुदाय में आपसी सामंजस्य को स्थापित करता है और समुदाय के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

11. नेटवर्किंग

सामाजिक नेटवर्क्स से तात्पर्य ऐसे नेटवर्क्स से है जहां पर सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय के सदस्य अथवा लोगों का समूह एक–दूसरे से अन्तःक्रिया करते हुए सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सामाजिक नेटवर्क्स में नेटवर्क के सदस्य निश्चित नियमों, सिद्धान्तों, मूल्यों अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर एक–दूसरे से बंधे हुए होते हैं। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय में नेटवर्किंग के द्वारा समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करते हुए आपस में सहयोग स्थापित करें और लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें।

12. समन्वय

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि कार्यकर्ता अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए ऐसी कार्यविधि को अपनाए जिससे कि समुदाय के सदस्यों के मध्य आपसी समन्वय स्थापित हो सके।

13. संचार

किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक प्रभावी संचार की प्रक्रिया को न अपनाया जाए। इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि वह उचित संचार के द्वारा सभी सूचनाओं को प्रेषित करे।

14. मूल्यांकन

कार्यकर्ता कार्यक्रम प्रक्रिया का मूल्यांकन सामुदायिक प्रक्रिया के साथ ही साथ करता रहता है। वह सबसे पहले समुदाय के उद्देश्यों को निश्चित करके उनके औचित्य की जांच करता है। सामुदायिक क्रियाओं के मूल्यांकन द्वारा ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समुदाय के लिए कौन से उद्देश्यों महत्वपूर्ण हैं। वह विकास की गति तथा परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है। कार्यकर्ता समुदाय तथा सदस्यों के व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, जिससे व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हेाता है।

15. अभिलेखन

कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह सम्पूर्ण प्रक्रिया का अभिलेखन करें। अभिलेखन के लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि वह ऐसी कार्यविधि को अपनाए जिससे कि पूरी प्रक्रिया को लिपिबद्ध किया जा सके ताकि उसका उपयोग आवश्यकता के अनुरूप किया जा सके।

16. अनुवर्तन

कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समय–समय पर समुदाय के सदस्यों अनुवर्तन की प्रक्रिया को अपनाता रहे। जिससे कि समुदाय के उद्देश्यों की प्राप्ति की माप की जा सके और उसमें आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन लाया जा सके।

6.4 सारांश

उपर्युक्त सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों के माध्यम से एक सामुदायिक कार्यकर्ता, सामुदायिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास करता है। ये प्रणालियां एवं कार्यविधियां एक ऐसा माध्यम है जो सामुदायिक कार्यकता को समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करने में मदद करता है। ये प्रणालियां एवं कार्यविधियां एक उपकरण के रूप में के लिए कार्यकता को मदद करती है।

6.5 शब्दावली

प्रणाली — प्रणाली को ज्ञान, सिद्धान्तों एवं निपुणताओं पर आधारित विशेष प्रकार की कार्यरीति माना जाये, तो समाज कार्य की सभी प्रणालियों, व्यक्तिगत समाज कार्य, समूह समाज कार्यऔर सामुदायिक संगठन की एक समान आधारशिला है, परन्तु कार्यप्रणाली या कार्यरीति के रूप में प्रणाली के अर्थ, ज्ञान और सिद्धान्तों के सम्मिश्रण से अधिक व्यापक हो जाते हैं। इसके मूल अर्थ यह है किसी एक क्रियाकलाप में ज्ञान और सिद्धान्तों का प्रयोग इस ढंग से करना कि बहुत ही प्रभावशाली तरीकों से परिवर्तन आ जाये।

समुदाय का अध्ययन — समुदाय के अध्ययन के अन्तर्गत समुदाय का इतिहास, सामुदायिक संरचना, शक्ति संरचना, गुटबन्दी की स्थिति, समुदाय में रहने वाले लोगों की सामुदायिक आवश्यकताएं और समस्याएं, सामुदायिक संसाधनों इत्यादि की पहचान की जाती है अथवा उसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है।

तथ्यों का विश्लेषण — समुदाय का अध्ययन करते समय तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है जिससे कि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, साथ ही आवश्यकताओं तथा समस्याओं के कारणों का ज्ञान करना आवश्यक है क्योंकि इसके कारण समुदाय में असंतोष की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए कार्यकर्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिए कि वह समस्या के साथ लोगों को समझ सके तथा उन कमियों को ज्ञात कर सके जिसके कारण समुदाय प्रभावित हो रहा है।

6.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।

- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- लियोनार्ड, डी. डब्ल्यू., मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, द फ्रन्टियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिकागोः शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 1936।
- सिंह, ए. एन., सामुदायिक संगठन, चण्डीगढ़, हरियाण साहित्य अकादमी, 1990।
- पाटिल, ए. आर., कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट : एवं इण्डियन परसपेक्टिव, दिल्ली : पीएच आर्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013।
- सिद्दीकी, एच.वाई, वर्किंग विद कम्यूनिटी : एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, नई दिल्ली : हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन, के. एस., (सं.) होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, लखनऊ : ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, 1986।
- मेक्लीन, सी.एफ., 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफयर' इन सोशल वर्क इयर बुक 1951, न्यूयार्क : अमेरिकन एशोसियेशन ऑफ सोशल वर्कर्स।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. विभिन्न विद्वानों द्वारा स्पष्ट की गई प्रणालियों एवं कार्यविधियों को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

3. सामुदायिक संगठन की प्रणालियों एवं कार्यविधियों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

6.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 6.2 देखे।
2. भाग 6.2 देखे।
3. भाग 6.2 व 6.3 देखे।

इकाई– 7 सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 निपुणता से तात्पर्य

7.2.1 वेब्स्टर शब्दकोष के अनुसार

7.2.2 वर्जिनिया राबिन्सन के अनुसार

7.3 विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन कार्य की निपुणताएं

7.3.1 जॉनसन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

7.3.2 राव द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

7.3.3 राइवरा तथा इरविच द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

7.3.4 एच.वाई. सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

7.4 सामुदायिक संगठन कार्य की निपुणताएं

7.4.1 सौहार्द एवं व्यवसायिक सम्बन्धों को स्थापित करने की निपुणता

7.4.2 सामुदायिक स्वीकृति प्राप्त करने की निपुणता

7.4.3 आवश्यकताओं को पहचानने तथा समुदाय को समझने की निपुणता

7.4.4 प्राप्त सूचनाओं एवं एकत्रित आंकड़ो को प्रस्तुत करने की निपुणता

7.4.5 सामुदायिक शक्तियों को पहचानने एवं उसका आंकलन करने की निपुणता

7.4.6 सामुदायिक संसाधनों को गतिमान करने की निपुणता

7.4.7 सामुदायिक सहभागिता एवं सहभागी निर्णय को प्रोत्साहित करने की निपुणता

7.4.8 कार्यक्रम का नियोजन एवं प्रबन्धन करने की निपुणता

7.4.9 समुदाय के अनुरूप संगठन को कायम रखने,एवं कानूनों में परिवर्तन लाने की निपुणता

7.4.10 समुदाय के अनुरूप कार्यक्रमों को तैयार करने, लागू करने, ऐच्छिक परविर्तन करने की निपुणता

7.4.11 संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करने की निपुणता

7.4.12 सामुदायिक क्रिया/कार्यवाही को लाभबन्द करने की निपुणता

7.4.13 सतत् मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिलेखन में निपुणता

7.5 सारांश

7.6 शब्दावली

7.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन में निपुणताओं का उल्लेख किया गया है। समुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन–किन निपुणताओं के द्वारा एक सामुदायिक कार्यकर्ता लक्ष्य की प्राप्ति करता है, को इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- निपुणताओं के अर्थ को, समझ सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए बतायी गई निपुणताओं को, जान सकेंगे।
- निपुणताओं के महत्व को, समझ सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

समुदाय को गतिमान करने की प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः सामुदायिक कार्यकर्ता एक सुविधाकर्ता की भूमिका का प्रतिपादन करता है। एक सफल सुविधाकर्ता के लिए भूमिका का प्रतिपादन करने के लिए आवश्यक है कि उसमें विभिन्न विशिष्ट निपुणताएं हो। यह निपुणताएं कार्यकर्ता को विशेष अवसर प्रदान करती है जिससे कि वह न्यूनतम् प्रयास द्वारा अधिकतम निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यहां पर कार्यकर्ता की निपुणता से आशय उसकी कार्यकुशलता एवं सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति से है। कार्यकर्ता की निपुणता उसकी सफलता का निर्णायक है। सामुदायिक कार्यकर्ता की निपुणता का संबंध उसके विकास से है और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता के विकास से है।

7.2 निपुणता से तात्पर्य

सामुदायिक संगठन में निपुणता को समझने से पूर्व निपुणता के अर्थ को जानना आवश्यक है।

निपुणता से तात्पर्य कार्यकर्ता की क्षमता से है जिसमें वह दी हुई स्थिति को समझने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करता है। सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की निपुणताओं की आवश्यकता होती है। एक ही कार्य को पूरा करने के लिए अलग–अलग व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके अलग–अलग होते है। कुछ लोग कार्य को अधिक समय लगाकर भी नहीं कर पाते है। जबकि अन्य कम समय एवं कम साधनों के प्रयोग से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत शिक्षण, प्रशिक्षण अनुभव, कार्य करने की तत्परता एपं ज्ञान पर निर्भर होता है। स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कार्य करने का अनुभव प्राप्त है वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर सकेगा। व्यक्ति या कार्यकर्ता की कार्य करने की कुशलता एवं उसके कार्य करने के वेग को निपुणता से जोड़ा जा सकता है।

7.2.1 वेब्स्टर शब्दकोष के अनुसार

निपुणता का तात्पर्य कार्य के कियान्वयन व उसे पूर्ण करने के ज्ञान एवं दक्षता से है। कार्यकर्ता में कार्यक्रम चलाने तथा उद्देश्य प्राप्त करने का ज्ञान एवं सामर्थ्य होनी चाहियें। यही कार्यकर्ता की निपुणता होती है।

7.2.2 वर्जिनिया राबिन्सन के अनुसार

निपुणता का अर्थ विशिष्ट वस्तु नियंत्रण तथा कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता से है जिससे वस्तु में होने वाला परिवर्तन प्रभावित होता है।

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निपुणता का विकास व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त करने के अवसर एवं अनुभव से होता है। व्यक्तियों की सतत् कार्य करने की योग्यता निपुणता पैदा करती है।

7.3 विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता में निपुणता का विकास आवश्यक है। निपुणता के अभाव के कारण व्यक्ति को सामुदायिक संगठन कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति करना ही नहीं, वरन् समुदाय में स्वीकृति प्राप्त करना एवं अपने को समुदाय से स्वीकार कराना भी असम्भव है। यहां पर विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताओं का उल्लेख किया गया है जो कि निम्नवत् है :–

7.3.1 जॉनसन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

जॉनसन के शब्दों में, निपुणता में कार्यकर्ता और व्यवसाय की क्षमता सम्मिलित होती है। इन क्षमताओं का विकास निपुणता के रूप में होता है। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी कुछ विशेष निपुणताएं होती है। जो कि निम्नवत् है :–

- सौहार्द अथवा घनिष्ठ सम्बन्धों का विकास।
- भावनाओं को निर्मुक्त करने एवं प्रतिरोध पर काबू पाने की क्षमता का विकास।
- विशिष्ट सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रेरित करने एवं व्यक्गित एवं सामाजिक प्रबोध का विकास ।
- विचारों को स्पष्ट करने एवं उद्देश्यों की व्याख्या करने की क्षमता का विकास।
- समाज कल्याण आवश्यकताओं, साधनों, माध्यमो और कार्यक्रमों का विकास।
- विचारों की एकता और एकीकरण के प्रयासों का विकास।
- उद्देश्य के अनुरूप गति की मात्रा को बनाये रखने का विकास।

7.3.2 राव द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

राव के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता से कार्य करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को समाज कार्य की मौलिक प्रणालियों में अपने प्रशिक्षण पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है जिसमें उसकी मनोवृत्तियां, ज्ञान, प्रबोध और अभ्यास सम्मिलित होते है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता के ज्ञान का आधार सामुदायिक प्रक्रियाये जैसे सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण, नेतृत्व, सामूहिक गतिकीय आदि होती है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अन्त क्रियाओं (सकारात्मक एवं नकारात्मक) और सामाजिक नियन्त्रण के साधनों का ज्ञान आवश्यक होता है। राव ने विशेषरूप से निम्नलिखित निपुणताओं पर बल दिया है।

- व्यक्तियों, समूहों और समूह के आन्तरिक सम्बन्धों को समझने की योग्यता।
- डचित समय पर व्यावसायियिक निर्णय लेने की निपुणता।
- समुदाय में रूचि के कम होने या समाप्त होने के प्रति संवेदनशीलता।
- सामुदायिक कल्याण एवं समस्या समाधान सम्बन्धी योजनाओं के संचालन एवं समापन सम्बन्धी सूझ–बूझ की निपुणता।
- समुदाय के सामान्य उद्देश्यों के निर्धारण में सामूहिक चिंतन को प्रोत्साहित करने की निपुणता।

इसके अतिरिक्त राव ने अन्य निपुणताओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। जो कि इस प्रकार है :–

- साक्षात्कार एवं परामर्श सम्बन्धी निपुणता।
- शोध की विधियों को प्रयोग में लाने की निपुणता।
- नीति निर्धारण की निपुणता।
- कार्यक्रमों के नियोजन एवं कल्याण साधनों के न्यायोचित आबंटन की निपुणता।
- समिति, संगठन एवं प्रशासकीय कार्यो की निपुणता।
- सामाजिक नीति के निर्धारण में वैधानिक स्तरों के ज्ञान की निपुणता।
- अभिलेखन एवं प्रतिवेदन तैयार करने की निपुणता।

7.3.3 राइवरा तथा इरविच द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

राइवरा तथा इरविच (1995) ने मूल्यों तथा मनोवृत्तियों के साथ कुछ निपुणताओं की पहचान की है। जो कि सामुदायिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए :–

- एक जैसी संस्कृति एवं प्रजाति की पहचानने की निपुणता
- परम्पराओं, प्रथाओं, सामाजिक नेटवर्कस और मूल्यों के साथ भिज्ञ होने की निपुणता
- भाषा तथा समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का आत्मीय ज्ञान
- नेतृत्व शैली एवं विकास
- आर्थिक एवं राजनैतिक विश्लेषण के लिए विश्लेषणात्मक ढांचा
- पूर्व में संचालित की गयी रणनीतियों, उनके सामर्थ्य तथा सीमाओं का ज्ञान
- सशक्तीकरण एवं आत्म–जागरण की निपुणता
- समुदाय के मनोविज्ञान का आंकलन करने की निपुणता
- निर्णयन एवं संगठनात्मक व्यवहार का ज्ञान
- सहभागी शोध एवं मूल्यांकन की निपुणता
- प्रशासनिक प्रबन्धन और कार्यक्रम नियोजन एवं विकास की निपुणता
- अपनी सीमाओं एवं सामर्थ्य तथा स्वयं का जागरूक होना

7.3.4 एच.वाई. सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन में निपुणताएं

एच.वाई. सिद्दीकी ने अपनी पुस्तक 'वर्किंग विद कम्युनिटी ऐन. इन्ट्रोडक्शन द कम्युनिटी वर्क' में सामुदायिक कार्य में निपुणताओं का उल्लेख किया है जो कि निम्नवत् है:–

- सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध निर्माण की निपुणता
- आवश्यकताओं को पहचानने की निपुणता
- संसाधनों को लाभबन्द करने की निपुणता
- कार्यक्रम नियोजन की निपुणता
- कार्यक्रम प्रबन्धन की निपुणता
- मूल्यांकन की निपुणता
- अभिलेखन की निपुणता
- सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की निपुणता

- समूह के साथ कार्य करने की निपुणता
- व्यक्तियों के साथ करने की निपुणता
- सामुदायिक कार्यवाही करने के लिए लामबन्दी करने की निपुणता।

7.4 सामुदायिक संगठन में निपुणता

निपुणताओं एवं दक्षता से सम्पन्न सामुदायिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठन के प्रत्येक चरण में निर्धारित भूमिकाओं को निभाते हुए सामुदायिक संगठन की लक्ष्य प्राप्ति में सामुदायिक सदस्यों के लिए एक योग्य एवं अनुभवशील मार्गदर्शक सिद्ध होता है। एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए आवश्यक प्रमुख निपुणतायें निम्नलिखित है :–

7.4.1 सौहार्द एवं व्यवसायिक सम्बन्धों का निर्माण करने की निपुणता

समुदाय के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ता को दक्ष व कुशल होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के साथ व्यवसायिक सम्बन्धों की स्थापना करे। स्वस्थ्य एवं उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार को समझना होता है साथ ही कर्ता अपने आपको भी समझने का प्रयास करता है। जब कार्यकर्त्ता विशेष परिस्थिति में अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अपने ज्ञान को उपयोग में लाता है तो वह लोगों से सम्बन्धों को विकसित करने में पारंगत एवं निपुण हो जाता है। इसी समय कार्यकर्ता में अन्य लोगों के व्यवहार को समझने उसमें आवश्यक परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित होती है। कार्यकर्ता को इस बात में निपुण होना चाहिए कि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, संवेगों इत्यादि को प्रकट न करे। व्यवसायिक एवं तार्किक संहिताएं कार्यकर्ता के व्यवहार को निर्देशित करती है जिससे वह पक्षपात से बचा रहता है।

कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपने सहयोगियों के साथ बिना किसी द्वेष अथवा भेदभाव के, सौहार्द्रपूर्ण एवं व्यवसायिक सम्बन्धों को बनाने में निपुण हो। सकारात्मक सोच तथा विश्वास एक कार्यकर्ता को सहयोगियों के साथ स्वस्थ्य सम्बन्ध बनाने में सहायता करती है।

7.4.2 सामुदायिक स्वीकृति प्राप्त करने की निपुणता

सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त स्वीकृति पर आधारित होती है। जब तक कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले विभिन्न जाति, धर्म, समूह उप–समूह, संगठन एंव विभिन्न सामाजिक–अर्थिक विशेषताओं वाले सदस्यों की परम्पराओं व्यवहारों एवं कार्यकलापों को उसी रूप में नहीं स्वीकार करता और अपने व्यवहार कार्य एवं विचार को समुदाय के व्यवहार कार्य एवं विचार के अनुरूप नहीं साबित करता तब तक उसे समुदाय से स्वीकृति प्राप्त करना असम्भव है। इसलिए निपुण कार्यकर्ताओं को समुदाय से स्वीकृति हासिल करने के लिये समुदाय के (निश्चित भू भाग के कई भागों में निवास करने वाले) विभिन्न सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं वाले व्यक्तियों के कार्य–व्यवहार के अनुरूप बनानी चाहिए।

7.4.3 आवश्यकताओं को पहचानने तथा समुदाय को समझने की निपुणता

सामुदायिक लक्ष्य को निर्धारित करते समय कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय के विभिन्न लोगों को विभिन्न आवश्यकताओं को उचित तरीके से पहचाने क्योंकि समुदाय विभिन्न वर्ग के लोग यथा बच्चे, वृद्ध महिलाएं, युवा इत्यादि की आवश्यकताएं अलग–अलग होती है। कार्यकर्ता को इस बात में निपुण होना चाहिए कि वह आवश्यकताओं का आंकलन करते समय उससे सम्बन्धित लक्षणों, कारकों, स्थितियों को भी जानें। कार्यकर्ता इस बात में निपुण होना चाहिए कि वह अपनी दक्षता व कौशल से सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति एकमत होने के लिए लोगों की सहायता करे और उसमें निष्पक्षता तथा पारदर्शिता को बनाये रखे।

सामुदायिक कार्यकर्ता में समुदाय की स्थिति का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने की समझ होनी चाहिए। कार्यकर्ता की निपुणता ही उसे समुदाय के सदस्यों को समझने, आवश्यकताओं को पहचानने, सम्बन्धों को पहचानने तथा एक–दूसरे की भावनाओं को समझने के योग्य बनाती है। कार्यकर्ता में यह निपुणता होनी चाहिए कि वह समुदाय की वर्तमान एवं प्रसंगिक आवश्यकताओं को जाने और उसका अध्ययन करे। कार्यकर्ता अध्ययन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों की आवश्यकताओं को पहचानने में सहायक हो सकता है। इसके साथ ही कार्यकर्ता निपुणता उसे समुदाय के आन्तरिक व वाह्य संसाधनों को पहचानने व उपयोग में सक्षम बनाती है।

7.4.4 प्राप्त सूचनाओं एवं एकत्रित आंकड़ो को प्रस्तुत करने की निपुणता

एक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि यह विभित्र सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं वाले सदस्यों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध विभित्र साधनों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करें तथा प्राप्त आंकड़ों को श्रेणीकरण कर इस प्रकार से प्रस्तुत करे जिससे कि समस्या एवं आवश्यकता विशेष से सम्बन्धित विभिन्न जाति, धर्म, समूह उप–समूह के सदस्यों की संख्या स्पष्ट हो सके तथा समस्याएं एवं आवश्यकताएं ज्ञात हो सके । इसके साथ–साथ कार्यकर्ता में एकत्रित सूचनाओं के प्रमुख पक्षों का श्रेणीकरण कर उनको प्रस्तुत करने में निपुणता होनी चाहिए।

7.4.5 सामुदायिक शक्तियों को पहचानने एवं उसका आंकलन करने की निपुणता

किसी समुदाय का भावी स्वरूप उस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विशेषताओं पर निर्भर होती है। इसलिए सामुदायिक कार्यकर्ता में सामुदाय में उपलब्ध शक्तियों को पहचानने में निपुणता होनी चाहिए। एक निपुण कार्यकर्ता सामुदायिक समस्याओं के निराकरण में सामुदायिक सदस्यों में विद्यमान कमियों का पता लगाता है। वह अपनी निपुणता से समस्या के लिए जिम्मेदार तत्वों को ज्ञात करता है और सामुदायिक सदस्यों की कार्यक्षमताओं का मूल्यांकन करता है। निपुण कार्यकर्ता द्वारा समस्याओं के वर्तमान कारकों के आंकलन से समस्या निराकरण के लिए योजना तैयार करने एवं कार्यकम बनाने में सुविधा होती है।

7.4.6 सामुदायिक संसाधनों को गतिमान करने की निपुणता

सामान्यतः स्वैच्छिक समूह जो कि समुदाय के साथ कार्य करते हैं इस बात के लिए जागरूक नहीं होते है कि कार्यक्रम के संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। उन्हें इसका भी ज्ञान नही होता है कि कौन सी सरकारी/गैर सरकारी संस्थाएं कार्यक्रम संचालन के लिए अनुदान दे सकती है। एक सामुदायिक कार्यकर्ता को इस बात में निपुण होना चाहिए कि वह अपने ज्ञान व कौशल से विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्धारण करे और

कार्यक्रम संचालन के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करे। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता की निपुणता उसे सहायता देती है कि वह विभिन्न स्रोतों से संसाधनों को पता लगाए और उसका अनुकूलतम् उपयोग करे।

सामुदायिक कार्यकर्ता में एक अन्य महत्वपूर्ण निपुणता यह होनी चाहिए कि वह स्थानीय संसाधनों का पता लगाये। इसके लिए आवश्यक है कि वह इस तथ्य को समझे कि संसाधन से उसका तात्पर्य क्या है। स्थान, स्वयंसेवी तथा मौद्रिक सहायता आदि परम्परागत स्थानीय संसाधन है। कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की सहायता से स्थानीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए सामुदायिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।

7.4.7 सामुदायिक सहभागिता एवं सहभागी निर्णय को प्रोत्साहित करने की निपुणता

सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे कठित कार्य जनसहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा समुदाय के सदस्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता नवीन तरीकों से खोज करे तथा प्रक्रिया में सदस्यों के मध्य दिलचस्पी बनी रहे। कार्यकर्ता अपने विचारों को लोगो तक पहुंचाये तथा धैर्य रखें। समुदाय विभिन्न तरह के लोग होते हैं, अतः लोगों की इच्छा के अनुरूप इनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का प्रयास करे। कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब लोग किसी विषय पर अर्थपूर्ण वाद–विवाद करना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों को कार्यकर्ता संभालने में कार्यकर्ता को निपुण होना चाहिए। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह एक ऐसे यन्त्र का निर्माण करे जिसमें प्रभावी संचार हो, जागरूक किया जाए तथा लोग किसी भी मुद्दे पर आपस में विचार–विमर्श कर सके। छोटे समूहों अथवा समितियों के निर्माण से विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श आसानी से हो सकता है जो कि कार्यकर्ता को वृहत् स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में सहायता कर सकता है।

एक निपुण कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता के लिए विभिन्न निर्णयों में सदस्यों की सहभागिता के महत्व का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक निर्णय में वह अपनी निपुणता से समुदाय के उन सभी जाति समूह समुदाय के औपचारिक एवं अनौपचारिक सम्पूर्ण सदस्यों को सहभागी बनाता है जो किसी न किसी प्रकार से समुदाय कल्याण एवं का संचालन सामुदायिक सदस्यों द्वारा ही सम्भव है। इसलिए वह सभी सम्बन्धित सदस्यों को सहभागी बनाने का प्रयत्न करता है।

एक निपुण कार्यकर्ता सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए तथा सदस्यों की सहभागिता से सहभागी निर्णय लेने में सदस्यों की सहायता कर सकता है। सहभागी निर्णय कार्यकर्ता को वृहत् स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में मदद कर सकता है और लिए गए निर्णय को सभी की सहमति से लागू कर सकता है।

7.4.8 कार्यक्रम का नियोजन एवं प्रबन्धन करने की निपुणता

सामुदायिक कार्यकर्ता को समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रमों को विकसित करने में निपुण होना चाहिए। अधिकतर सामुदायिक योजनाए लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप न बनाये जाने के कारण असफल रही है। यथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम/सामुदायिक योजनाओं की सफलता मुख्य रूप से सामुदायिक सहभागिता के सूचक पर निर्भर करती है। सामुदायिक आवश्यकताओं का आंकलन करना तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना कार्यकर्ता के लिए कठिन कार्य होता है। कार्यकर्ता को चाहिए

कि वह उन कार्यक्रमों को विकसित करे जो सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और सभी लोगों की उस पर सहमति हो।

सामुदायिक कार्यकर्ता को इस बात से निपुण होना चाहिए कि वह समुदाय की सांस्कृति जरूरतों तथा परम्परागत क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तथा सौहार्द्र वातावरण में कार्यक्रमों का निर्माण करें। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह कार्यक्रम का निर्माण करते समय न्यूनतम संसाधनों के उपयोग पर बल दे तथा स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करे। एक कुशल कार्यकर्ता की निपुणता न्यूनतम संसाधनों के उपयोग से अधिकतम सामाजिक लाभ को प्रोत्साहित करती है।

कार्यक्रम प्रबन्धन के द्वारा एक कार्यकर्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके उसके प्रत्येक भाग का विश्लेषण कर सकता है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्यकर्ता में एक प्रबन्धकर्ता के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए सामुदायिक कार्य से सम्बन्धित कार्यक्रम की सफलता सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। यह कार्यकर्ता की निपुणता पर निर्भर करता है कि वह किस कौन सी भूमिका को निभाने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सभी कार्यविधियों की रूपरेखा तैयार कर ले और उसी के अनुरूप सभी को उत्तरदायित्व सौंप दे।

कार्यकुशल प्रबन्धकीय निपुणता द्वारा कार्यकर्ता सामुदायिक लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है।

7.4.9 समुदाय के अनुरूप संगठन को कायम रखने, एवं कानूनों में परिवर्तन लाने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता जानता है कि सामुदायिक संगठन कार्य की सफलता या संगठन की स्थापना के बिना सम्भव नहीं है। इसलिए वह अपनी निपुणता से संगठन की आवश्यकता लोगों को महसूस कराता है। इसके साथ–साथ एक उपयुक्त संगठन की स्थापना प्रजातांविक ढंग से कराने पर बल देता है। संगठन मं समुदाय के विभिन्न जाति, धर्म, समूह एवं उप–समूह के सदस्यों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के कल्याण की दिशा में कानूनों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिये समुदाय के सदस्यों को संगठित करता है। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण एवं आर्थिक नीतियों में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सदस्यों को सम्बन्धित विभाग एवं संगठन तक पहुंचाने में मदद करता है।

7.4.10 समुदाय के अनुरूप कार्यकमों को तैयार करने, लागू करने, ऐच्छिक परविर्तन करने की निपुणता

एक निपुण कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि समुदाय के विभिन्न कार्यकमों में से उन कार्यकमों को प्राथमिकता दे जो समुदाय के अधिकाधिक लोगों के लिए कल्याणकारी एवं श्रेयस्कर है। ऐसे निर्णयों के लिए कार्यकर्ता को अपनी निपुणता से सदस्यों के समक्ष विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं की विवेचना करते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर सामुदायिक सदस्यों का ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। साथ–साथ कल्याणकारी योजना बनाने एवं कार्यकम तैयार करने में अधिकाधिक सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए।

सक्षम कार्यकर्ता आवश्यक कल्याणकारी कार्यकमों के कार्यान्वयन में उन सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक सदस्यों, संगठनों समूहों उपसमूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित करता है। जो किसी न किसी प्रकार से सम्बन्धित है। अधिक सहयोग देने वाले एवं जिम्मेदारी महसूस करने वाले सदस्यों को अधिकाधिक सह भागिता के लिए प्रोत्साहित करता है।

एक निपुण कार्यकर्ता समय–समय पर कार्यकम में उत्पन्न होने वाली रूकावटों कठिनाइयों एवं परविर्तन की आवश्यकता के समय सदस्यों से उनके सुझाव एकत्रित कर कार्यकम में ऐच्छिक मोड़ लाने का प्रयास करता है। सुझाव एकत्री करण के साथ–साथ वह सुझाव एकत्री करण के साथ–साथ वह सुझावों की व्यावहारिकता पर भी विचार करता है।

7.4.11 संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करने की निपुणता

सामुदायिक कार्यकर्ता को विभिन्न संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करने में निपुण होना चाहिए। समुदाय में लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं होती है तथा सभी की आवश्यकताओं के सीमित स्थानीय संसाधनों से पूर्ण करना कार्यकर्ता के लिए दुष्कर कार्य होता है। इसके लिए कार्यकर्ता विशिष्टता रखने वाले संगठनों से सम्पर्क स्थापित करता है और उनके सहयोग से कार्य करने का प्रयास करता है। कई संगठन ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त अनुभव होता है और` विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञता रखते हैं। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपनी पूर्ण क्षमता व कुशलता का प्रयोग करते हुए ऐसे संगठनों के साथ सम्पर्क करे और सामुदायिक स्तर पर उनका सहयोग लेते हुए समुदाय के सदस्यों की अनुभूत आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद करे।

7.4.12 सामुदायिक क्रिया/कार्यवाही को लामबन्द करने की निपुणता

सामुदायिक कार्यकर्ता पूरे समुदाय को लामबन्द करता है अथवा समुदाय के बाहरी लोगों को भी परिवर्तन के लिए तैयार करता है। परिवर्तन के लिए समुदाय के लोग को लामबन्द करने की प्रक्रिया को सामान्यतः सामुदायिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अथवा नगरीय मलिन बस्ती के लोग परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं विशेषकर सामाजिक मनोवृत्ति और अभ्यास के प्रति। जबकि यह संभव है कि समुदाय में ऐसे मुद्दों की पहचान की जाये जो लोगों के द्वारा स्वीकार हो। मुद्दों क चयन महत्वपूर्ण होता है जिससे समुदाय के लोगों को लामबन्द किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण निपुणता होती है।

कार्यकर्ता को सक्षम होना चाहिए कि वह समुदाय के लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों की पहचान करे जिससे कि लोग लामबन्द हो सके। कार्यकर्ता में यह निपुणता होनी चाहिए कि वह सामुदायिक क्रियाओं से सम्बन्धित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करे। कार्यकर्ता में यह क्षमता होती है कि वह लोगों द्वारा स्वीकार की गई उपयुक्त रणनीति का चयन करे।

7.4.13 सतत् मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिलेखन की निपुणता

मूल्यांकन की निपुणता में एक कार्यकर्ता में पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की भी निपुणता होनी चाहिए। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे विशिष्ट सूचकों/मानकों की पहचान करे जिससे कि वह की जा रही कार्यविधियों के प्रत्येक उद्देश्य का अनुश्रवण कर सके। उद्देश्यों के आधार पर ही कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है जिसका प्रभाव पूरे समुदाय पर पड़ता है। मूल्यांकन की निपुणता कार्यकर्ता को इस योग्य

बनाती है कि वह विभिन्न मानकों/सूचकों द्वारा कार्यक्रम की सफलता, उद्देश्यों की प्राप्ति परिमणात्मक अथवा गुणात्मक अथवा दोनों रूप में हो सकी है या नहीं। आंकड़ों को एकत्र करने की निपुणता कार्यकर्ता की सहायता करती है कि आंकड़े उसके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप हैं या नहीं तथा आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किन उपयोग का उपयोग में लाया गया है।

कार्यकर्ता में आंकड़ों का विश्लेषण करने की भी निपुणता होनी चाहिए। जिसके द्वारा वह तथ्य आधारित निष्कर्ष की रूपरेखा तैयार कर सकता है। कार्यकर्ता को अभिलेखन में भी निपुण होना चाहिए। अभिलेखन की निपुणता से कार्यकर्ता, संस्था तथा समुदाय को सहायता मिलती है। समुदाय में क्या हुआ है, पर कार्यकर्ता सोच विचार के एवं पुनरावलोकन करके सभी क्रियाओं में शालिम हो सकता है। अभिलेखन की निपुणता कार्यकर्ता में व्यवसायिक गुणों को विकसित करती है विशेषकर किए जा रहे कार्यों के प्रति समुदाय की क्या भूमिका है। अभिलेखन की प्रक्रिया कार्यकर्ता के विश्लेषणात्मक गुण पर निर्भर करती है। अभिलेखन को बनाए रखने की निपुणता से कार्यकर्ता संस्था की विभिन्न कार्यवाहियों को समझता है बजट का निर्माण करता है और प्रायोजित संस्था को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अभिलेखन निपुणता के द्वारा कार्यकर्ता अभिलेखों विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है, तारतम्यता स्थापित करता है तथा सम्बन्धित सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकता है।

व्यक्ति समूह एवं समुदाय के साथ कार्य करने में निपुणता सामुदायिक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप में लोग सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। कार्यकर्ता अपनी निपुणता के आधार पर इस प्रकार के लोगों पहचानने का प्रयास करता है तथा उन्हें उसी समय स्वीकार कर लेता है। अधिकतर सामुदायिक कार्यकर्ता इस प्रकार के सेवार्थियों को नकार देते हैं और अपने को एक वैयक्तिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं देखते हैं। विशेषकर कार्यकर्ता वृहत स्तर के मुद्दों पर कार्य करते हैं और विषय से हटकर व्यक्तिगत मामलों के साथ कार्य करते हैं। आवश्यक है कि कार्यकर्ता व्यक्तिगत मामलों पर भी कार्य करे जिससे समुदाय में उसकी साख बनती है कार्यकर्ता को चाहिए कि वह व्यक्तिगत समस्याओं को पहचाने तथा उसका आंकलन करे। ऐसी स्थिति सेवार्थी कार्यकर्ता को सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्यकर्ता को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि सेवार्थी विशिष्ट सहायता चाहता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत मामलों को प्रत्यक्ष रूप न ले। कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से सेवार्थी की सहायता नहीं कर पाता है तो वह ऐसे मामलों को किसी विशेषज्ञ अथवा संस्था को संदर्भित कर दे।

सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय में विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ लम्बा समय व्यतीत करता है। समूह के साथ कार्य करने में मुख्य निपुणता यह है कि यह समूह की स्थिति एवं उसकी गत्यात्मक को समझ सके। समूह के सदस्यों, उनकी क्षमताओं, प्रेरकों तथा सम्बन्धों की समझ कार्यकर्ता को सहायता प्रदान करती है कि किस प्रकार से प्रभावी रणनीतियों को बनाया जाए जिससे कि उन्हें समझ सके। कार्यकर्ता के पास समूह की भावनाओं को समझने की निपुणता होनी चाहिए। कार्यकर्ता में यह समझ होनी चाहिए कि वह समूह की इच्छा क्या है, समूह का आकार, अन्तःक्रिया की प्रकृति, आयु, लिंग, जाति, सांस्कृतिक परंपराएं तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति के विषय में कार्यकर्ता का ज्ञान आदि सभी महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि समूह की इच्छाओं को समझने के लिए आवश्यक है। समूह के सदस्यों के बीच अन्तरा–समूह सम्बन्धों की स्थापना करना भी कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है।

सामुदायिक कार्यकर्ता, समुदाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समुदाय के सदस्यों की सहायता करता है। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न इच्छाओं वाले समूहों के मध्य अन्तर सम्बन्ध स्थापित हो तथा एक समूह दूसरे समूह को आदर व सम्मान दे तथा इच्छाओं की पूर्ति में मदद करे। कार्यकर्ता को समुदाय के साथ कार्य करने में निपुण होना चाहिए तथा सहयोगात्क एवं समझौते के आधार पर लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।

7.5 सारांश

इस प्रकार विशिष्ट निपुणताओं के द्वारा सामुदायिक कार्य को पहचानने तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। इन निपुणताओं के साथ संचार, विश्लेषण, सुनना, अवलोकन, सम्बन्ध निर्माण, व्यवहार अशोधन और अभिलेखन इत्यादि कार्य के अवसर जल्दी पूर्ण हो जाते हैं।

7.6 शब्दावली

निपुणता – निपुणता से तात्पर्य कार्यकर्ता की क्षमता से है जिसमें वह दी हुई स्थिति को समझने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करता है। सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की निपुणताओं की आवश्यकता होती है। एक ही कार्य को पूरा करने के लिए अलग–अलग व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके अलग–अलग होते है। कुछ लोग कार्य को अधिक समय लगाकर भी नहीं कर पाते है। जबकि अन्य कम समय एवं कम साधनों के प्रयोग से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत शिक्षण, प्रशिक्षण अनुभव, कार्य करने की तत्परता एपं ज्ञान पर निर्भर होता है।

सामुदायिक अध्ययन – सामुदायिक कार्यकर्ता में समुदाय की स्थिति का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने की समझ होनी चाहिए। कार्यकर्ता की निपुणता ही उसे समुदाय के सदस्यों को समझने, आवश्यकताओं को पहचानने, सम्बन्धों को पहचानने तथा एक–दूसरे की भावनाओं को समझने के योग्य बनाती है। कार्यकर्ता में यह निपुणता होनी चाहिए कि वह समुदाय की वर्तमान एवं प्रसंगिक आवश्यकताओं को जाने और उसका अध्ययन करे।

मूल्यांकन की निपुणता – मूल्यांकन की निपुणता कार्यकर्ता को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न मानकों/सूचकों द्वारा कार्यक्रम की सफलता, उद्देश्यों की प्राप्ति परिमणात्मक अथवा गुणात्मक अथवा दोनों रूप में हो सकी है या नहीं। आंकड़ों को एकत्र करने की निपुणता कार्यकर्ता की सहायता करती है कि आंकड़े उसके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप हैं या नहीं तथा आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किन उपयोग का उपयोग में लाया गया है।

कार्यक्रम प्रबन्धन – कार्यक्रम प्रबन्धन के द्वारा एक कार्यकर्ता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके उसके प्रत्येक भाग का विश्लेषण कर सकता है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कार्यकर्ता में एक प्रबन्धकर्ता के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए सामुदायिक कार्य से सम्बन्धित कार्यक्रम की सफलता सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है। यह कार्यकर्ता की निपुणता पर निर्भर करता है कि वह किस कौन सी भूमिका को निभाने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सभी कार्यविधियों की रूपरेखा तैयार कर ले और उसी के अनुरूप सभी को उत्तरदायित्व सौंप दे।

7.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क, 1957।
- लियोनार्ड, डी. डब्ल्यू., मीनिंग ऑफ प्रिंसिंपल्स, द फ्रन्टियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिकागो: शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 1936।
- सिंह, ए. एन., सामुदायिक संगठन, चण्डीगढ़, हरियाण साहित्य अकादमी, 1990।
- पाटिल, ए. आर., कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट : एवं इण्डियन परसपेक्टिव, दिल्ली : पीएच आर्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013।
- सिद्दीकी, एच.वाई, वर्किंग विद कम्यूनिटी : एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, नई दिल्ली : हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन, के. एस., (सं.) होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, लखनऊ : ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, 1986।
- मेक्लीन, सी.एफ., 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफयर' इन सोशल वर्क इयर बुक 1951, न्यूयार्क : अमेरिकन एशोसियेशन ऑफ सोशल वर्कर्स।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. निपुणता से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2. मूल्यांकन व अनुश्रवण को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3. कार्यक्रम प्रबन्धन को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

4. सामुदायिक अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

5. संसाधनों को गतिमान कैसे किया जाता है ?

.....

.....

.....

.....

.....

7.4 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 7.2 देखे।
2. उपभाग 7.4.13 देखें।
3. उपभाग 7.4.8 देखे।
4. उपभाग 7.4.3 देखे।
5. उपभाग 7.4.6 देखे।

इकाई – 8 सामुदायिक संगठन के चरण

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 निपुणता से तात्पर्य

8.2.1 एडवर्ड सी0 लिन्डमैन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.2.2 हेरथा क्रॉस द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.2.3 डी0 सैन्डरसन और आर0 ए0 पौलसन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.2.4 कार्ल सी0 टेलर द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.2.5 सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस. वर्मा द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.2.6 ए0 एन0 सिंह द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

8.3 सामुदायिक संगठन के चरण

8.3.1 सामुदायिक स्वीकृति

8.3.2 समुदाय का अध्ययन

8.3.3 अनुभूत आवश्यकताओं की पहचान एवं उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण

8.3.4 अनुभूत आवश्यकताओं के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना

8.3.5 कार्यात्मक संगठन का निर्माण

8.3.6 प्रजातांत्रिक नेतृत्व की पहचान करना

8.3.7 प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों निर्माण

8.3.8 प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

8.3.9 आन्तरिक एवं वाह्य साधनों को लामबन्द करना

8.3.10 सामुदायिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित करना

8.3.11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

8.3.12 कमियों/अन्तराल को दूर करना एवं ऐच्छिक परिवर्तन लाना

8.3.13 अनुवर्तन

8.4 सारांश

8.5 शब्दावली

8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन के चरणों का उल्लेख किया गया है। समुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता इन चरणों का पालन करता है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप –

- सामुदायिक संगठन के चरण के अर्थ को, समझ सकेंगे।
- विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सामुदायिक संगठन के चरणों को, जान सकेंगे।
- सामुदायिक संगठन के चरणों की उपयोगिता को, समझ सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

किसी भी व्यवसाय अथवा कार्य को तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करने के लिए जिस प्रकार एक क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कर्ता को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया में कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न विद्धानों ने सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया के चरण बताएं हैं। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इन चरणों का पालन करना आवश्यक है।

एम0 जी0 रौस ने सामुदायिक संगठन की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज कार्यकर्ता अपनी अन्तर्दृष्टि एवं निपुणता का प्रयोग करके समुदायों (भौगोलिक एवं कार्यात्मक) को अपनी–अपनी समस्याओं को पहचानने और उनके समाधान हेतु कार्य करने में सहायता देता है। इस परिभाषा में (1) सामुदायिक कार्यकर्ता की निपुणता, (2) सामुदायिक सदस्यों की अपनी समस्याओं की पहचान और (3) समस्या समाधान हेतु सहायता जैसी बातों पर विशेष बल दिया है। अपनी इस परिभाषा के साथ–साथ रौस ने एक और विस्तृत एवं आधुनिक परिभाषा देकर इसके अर्थ और उद्देश्य के साथ प्रक्रिया को भी बड़े ही सारगर्भित एवं साधारण शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

आपके अनुसार 'सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पहचानता या निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, अपने अन्दर इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों (आन्तरिक और बाहरी) का पता लगता है, उनकी प्राप्ति के लिए कार्यवाही करता है, और ऐसा करने में समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।

एम0 जी0 रौस द्वारा दी गई उपरोक्त परिभाषा का यदि विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो इसमे सामुदायिक संगठन के चरण देखने को मिलते है।

8.2 विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सामुदायिक संगठन के प्रमुख चरण

विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए सामुदायिक संगठन के प्रमुख चरणों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया हैं :–

8.2.1 एडवर्ड सी0 लिन्डमैन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

एडवर्ड सी0 लिन्डमैन ने लगभग 700 सामुदायिक परियोजनाओं का अध्ययन करके 10 चरणों की व्याख्या की है। जो निम्नलिखित है :–

- **आवश्यकता की चेतना** :– समुदाय के अन्दर या बाहर का कोई व्यक्ति आवश्यकता का प्रकटन करता है जो बाद में एक निश्चित परियोजना का रूप ले लेती है।

- **आवश्यकता की चेतना का प्रसार** :– समुदाय के अन्दर कोई समूह या संस्था के अन्दर कोई नेता अपने समूह या समूह के एक भाग को इस आवश्यकता की वास्तविकता के विषय में विश्वास दिलाता है।

- **आवश्यकता की चेतना का प्रक्षेपण** :– समुदाय का जो समूह आवश्यकता की पूर्ति में रूचि रखता है वह आवश्यकता की चेतना का समुदाय के नेताओं पर प्रक्षेपण करता है और उन्हें आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार करता है जिससे आवश्यकता की चेतना एक सामान्य रूप ग्रहण कर लेती है।

- **आवश्यकता को शीघ्र पूर्ण करने का भावनात्मक आवेग** :– एक भावनात्मक आवेग का उत्पन्न होती और उस आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने के लिए कुछ प्रभावशाली सहायक जुटाई जाती है।

- **आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाधानों का प्रस्तुतीकरण** :– आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य समाधानों को समुदाय के सामने रखा जाता है।

- **आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाधानों में संघर्ष** :– विभिन्न प्रकार के विरोधी समाधान या सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्न समूह इनके किसी एक का समर्थन करते हैं।

- **अन्वेषण या जांच पड़ताल** :– विशेषज्ञों की सहायता से परियोजना या समस्या की जांच की जाती है।

- **समस्या के विषय में वाद–विवाद** :– एक विशाल सभा या कुछ व्यक्तियों के सम्मुख परियोजना या समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और वह समूह जो अधिक प्रभाव रखते हैं अपनी योजनाओं की स्वीकृति लेने का प्रयास करते हैं।

- **समाधानों का एकीकरण** :– जो भी समाधान सुझाव के रूप में सामने रखे जाते हैं उनकी परीक्षा करके सभी के अच्छे पक्ष चुनकर एक नया समाधान निकाला जाता है।

- **अस्थायी प्रगति के आधार पर समझौता** :– कुछ समूह अपनी–अपनी योजना का कुछ भाग त्याग देते हैं जिसके फलस्वरूप एक समझौता हो जाता है और उसी समझौते के आधार पर कार्य आरम्भ किया जाता है।

लिन्डमैन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी परियोजनाएं में इन्हीं चरणों का पालन किया जाए।

8.2.2 हेरथा क्रॉस द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

हेरथा क्रॉस ने सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित छः चरणों की चर्चा की है :–

- सेवा के उद्देश्यों का निश्चित विवरण एवं कथन।
- तथ्यों की खोज, समस्याग्रस्त व्यक्तियों की विशेषताओं, सामुदायिक साधनों और सेवाओं की समस्याएं
- आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच वांछित समयोजन के सन्दर्भ में प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं का प्रारूप।
- अस्थायी योजना ....सेवाओं की वैधता की जांच के लिए उसे जनता के सम्मुख प्रेषित करना।
- मुख्य योजना का विकास जो अस्थायी योजनाओं से भिन्न परीक्षण पर आधारित अनुभवों के कारण विकसित की जाती है।
- निर्धारित मुख्य योजना को सेवाओं में बदला जाता है। अर्थात् इसे सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार इसमें वर्तमान सेवाओं का पुनर्संगठन, वर्तमान सेवाओं का स्तर ऊंचा करना, उनका विस्तार या नई सेवाओं का निर्माण करना जुड़ा हुआ हैं।

8.2.3 डी0 सैन्डरसन और आर0 ए0 पौलसन द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

डी0 सैन्डरसन और आर0 ए0 पौलसन ने सामुदायिक संगठन चरणों को सात प्रमुख भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं :–

- **समुदाय का विश्लेषण एवं निदान** :– जिसमें समुदाय के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। समुदाय के ढांचे, जनसंख्या का आकार व्यावहारिक विशेषताओं और प्रमुख सामाजिक शक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। सामुदायिक प्रथाओं, परम्पराओं, जनरीतियों, मनोवृत्तियों, सम्बन्धों, संघर्षों, नेताओं परस्पर विरोधी शक्तियों आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
- **गतिकी** :– सामान्य आवश्यकताओं के प्रति, सामान्य रूचि का विकास और समुदाय को क्रियाशील बनाने के लिए उनमें उन्नति की इच्छा और वर्तमान परिस्थिति से असुन्तुष्टि की जाती है।

- **परिस्थिति की परिभाषा** :– समुदाय के विश्लेषण और निदान और उसकी गतिकी को ध्यान में रखकर सामुदायिक परिस्थिति की पुनः परिभाषा करके यह निश्चित किया जाता है कि समुदाय के लिए क्या वांछित है और उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं एवं संगठनों का मत मालूम किया जाता है और इन सब तथ्यों को सामने रखकर सामुदायिक परिस्थिति को पुनः परिभाषित किया जाता है।

- **औपचारिक संगठन** :– समुदाय का संगठन समुदाय के आकार और वर्तमान संगठनों की जटिलता को देखकर बनाया जाता है। जब समुदाय बड़ा होता है और उसमें संगठनों की संख्या अधिक होती है तो जो संगठन बनाया जाता है वह समन्वयात्मक रूप रखता है और उसमें उद्देश्य सभी संगठनों को संगठित किया जाना और उनमें समन्वय लाना होता है।

- **सर्वेक्षण** :– औपचारिक संगठन के बाद सामुदायिक दशाओं को समझने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के विषय में तथ्यों को ज्ञात करना होता है। आरम्भ में एक या दो समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाना लाभदायक होता है। इन समस्याओं के सुलझाने के लिए सर्वेक्षण द्वारा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं।

- **कार्यक्रम** :– जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में सदस्यों की सबसे अधिक रूचि होती है और जिनकी संतुष्टि में न्यूनतम संघर्ष की सम्भावना हो, उसी की पूर्ति के लिए सबसे पहले कार्यक्रम बनाया जाता है। इस अनुभव से जब समुदाय संगठित हो जाता है तो लम्बी अवधि के कार्यक्रम बनाये जाते हैं। कार्यक्रम कि निर्माण में समुदाय के सभी सदस्यों और समूहों को योजना के विषय में अपना मत प्रकट करने और विचार–विमर्श की सुविधा दी जाती है।

- **नेतृत्व** :– एक प्रभावशाली नेतृत्व के बिना कार्यक्रम का होना पर्याप्त नहीं होता। समुदाय में से ही नेतृत्व का उत्तरादायित्व स्वीकार करना आवश्यक माना जाता है। बाहर का व्यक्ति समुदाय में चेतना उत्पन्न कर सकता है परन्तु नेतृत्व प्रदान करने का उत्तरदायित्व समुदाय का अपना मत है।

8.2.4 कार्ल सी0 टेलर द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

कार्ल सी0 टेलर ने सामुदायिक विकास के निम्नलिखित चरणों और विधियों की व्याख्या की है जो समुदाय संगठन के चरणों और विधियों के समान है :–

- सामुदायिक विकास का पहला चरण समुदाय के सदस्यों द्वारा समान अनुभूत आवश्यकताओं के विषय में व्यवस्थित विचार–विमर्श करना।

- सामुदायिक विकास का दूसरा चरण समुदाय द्वारा चयन की गई प्रथम स्वयं सहायता परियोजना को पूरा करने के लिए व्यवस्थित नियोजन करना है।

- सामुदायिक विकास का तीसरा चरण स्थानीय सामुदायिक समूहों की भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समर्थताओं को जुटाना और उन्हें गतिमान करना है।

- सामुदायिक संगठन का चौथा चरण समुदाय में आकांक्षाओं का सृजन और समुदाय के सुधार हेतु अतिरिक्त परियोजनाओं को चलाने के लिए निर्णय लेना है।

8.2.5 सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस. वर्मा द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस. वर्मा ने अपने लेख सामुदायिक संगठन में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित चरणों का उल्लेख किया है :–

- सामुदायिक आवश्यकता और समस्याओं तथा संसाधनों की पहचान करना।
- समुदाय के लोगों में अनुभूत आवष्यकताओं के प्रति जागरूक करना तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण करना।
- विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक समूहों तथाउपसमूहों के औपचारिक नेतृत्वकर्ता की पहचान करना।
- लचीले कार्यात्मक संगठन का निर्माण करना तथा विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक समूहों अथवा उपसमूहों के प्रतिनिधियों को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से संगठन में शामिल करना।
- समुदाय के लोगों की एवं विशेषज्ञों की सहायता से सामुदायिक योजना एवं कार्यक्रमों का निरूपण करना तथा समुदाय की इच्छा के अनुरूप कार्यक्रमों को लागू करना।
- समुदाय की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए समुदाय के आन्तरिक एवं वाहय संसाधनों को लाभबन्द करना।
- सामुदायिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने में समुदाय के लोगों को सम्मिलित करना।
- समय–समय पर सामुदायिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावकता का मूल्यांकन करना योजनाओं पाये जाने वाले स्थानों की पहचान करना।
- अभ्यास प्रक्रिया के समय आने वाली कठिनाइयों को पूरा करने के लिए लगातार अनुवर्तन करते रहना विशेषकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निरूपण एवं लागू करने में।

8.2.6 ए0 एन0 सिंह द्वारा प्रस्तुत सामुदायिक संगठन के चरण

ए0 एन0 सिंह ने अपनी पुस्तक 'सामुदायिक संगठन' में सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रकिया के चरणों को स्पष्ट किया है :–

- अवलोकन तथा स्वीकृत करना
- अध्ययन करना
- आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना

- नेतृत्व का विकास
- कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम तैयार करना
- कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना
- साधनों को संचालित करना
- मूल्यांकन एवं ऐच्छिक परिवर्तन लाना

8.3 सामुदायिक संगठन के चरण

उपरोक्त चरणों के विश्लेषण के पश्चात् सामुदायिक संगठन के चरणों को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत् समझा जा सकता है :–

8.3.1 सामुदायिक स्वीकृति

प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग संस्कृति एवं सभ्यता होती है, जो दूसरे समुदाय से उसे अलग करती हैं। समुदाय के सदस्य अपनी संस्कृति को दूसरे समुदाय की संस्कृति से विशिष्ट मानकर उसमें प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं और उसे बनाये रखने का प्रयास करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को समुदाय में भ्रमण कर वहां की सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण अवलोकन करना चाहिए। कार्यकर्ता को समुदाय के साथ कार्य करना है, इसलिए उसे समुदाय की सभ्यता एवं संस्कृति को स्वीकार कर अपने व्यवहार, कार्य एवं अन्तःक्रियाओ को उनके अनुसार ढालना चाहिए। कार्यकर्ता को समुदाय की प्रत्येक जाति, धर्म, समूह एवं उप–समूह के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करनी नितान्त आवश्यक है। कार्यकर्ता का समुदाय के साथ तालमेल एवं प्राप्त स्वीकृति ही सामुदायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्णायक सिद्ध होते हैं।

सामुदायिक कार्यकर्ता का मुख्य कार्य समुदाय के सदस्यों के साथ कार्य कर, उनके विचारों एवं कार्यों में आवश्यक परिवर्तन स्थापित कर, उनमें अपनी समस्या समाधान एवं आवश्यकता की पूर्ति करने की योग्यता का विकास करना है। इसलिए कार्यकर्ता को अपने सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ समुदाय विशेष जहां उसे कार्य करना है, की वास्तविक/व्यावहारिक विशेषताओं को जानता है।

8.3.2 समुदाय का अध्ययन

सामुदायिक संगठन कार्य का दूसरा चरण समुदाय का अध्ययन करना है। अध्ययन कार्य की सफलता स्वीकृति के अभाव में असम्भव है। स्वीकृति प्राप्त सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ द्वितीय चरण में समुदाय की उन सभी समस्याओं एवं अनुभूत आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए जो उस समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन करते समय कार्यकर्ता को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि समुदाय के इस निश्चित भू–भाग में रहने वाले सभी जाति, धर्म एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित किया जाए। इसके साथ–साथ कार्यकर्ता सामुदायिक कल्याण तथा विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सूचनाओं को भी एकत्रित करता है। इससे

सामुदायिक सदस्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा सही योजना बनाने में सहायता मिलती है।

8.3.3 अनुभूत आवश्यकताओं की पहचान एवं उनमें प्राथमिकताओं का निर्धारण

सामुदायिक कार्यकर्ता को समुदाय के ऐसे सदस्य, जो कि संगठित प्रयासों के साथ कार्य करने के इच्छुक हो, की सहमति से मुद्दों की पहचान करनी चाहिए। अर्थात् ऐसे मुद्दों को चयन किया जाए जिस पर प्रत्येक सदस्य की सहमति हो।

सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समुदाय की उन्नति के लिए किये जाने वाले सभी संगठित प्रयासों अथवा अभियानों के निर्धारित लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी वे कार्यों को किस प्रकार से सम्पादित करेंगे।

इसके अतिरिक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अल्पकालिक, माध्यमिक तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि उसमें तारतम्यता हो। किसी भी समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अथवा समस्या की समाधान करने हेतु सामुदायिक संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति की जानी चाहिए।

8.3.4 अनुभूत आवश्यकताओं के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना

सामुदायिक सदस्य अपनी सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण कुछ मूलभूत सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक आर्थिक उन्नति आदि को भी नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक सदस्यों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से अवगत कराना है।

आवश्यकता के अन्तर्गत, आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी आवश्यकता सामुदायिक सदस्यों के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी है। जिसके आधार पर सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन सदस्यों की इच्छा के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से तथा पूरे समुदाय के साथ विचार–विमर्श कर सामुदायिक आवश्यकताओं के विषय में सभी सदस्यों की चेतना बढ़ाता और उन्हें जागरूक करता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा एक उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए सुनियोजित ढंग से सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाये।

8.3.5 कार्यात्मक संगठन का निर्माण

सामुदायिक संगठन कार्य इस चरण में सामुदायिक सदस्यों में संगठन की आवश्यकता एवं संगठित जीवन की उपयोगिता पर बल देते हुए संगठित जीवन को प्रोत्साहन देना है। सामुदायिक कार्यकर्ता विभिन्न सामुदायिक समस्याओं को सामान्य का रूप देने के लिए समुदाय के सभी सदस्यों की सहमति एवं सहयोग प्राप्त करता है। सामुदायिक शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए, संगठन में समुदाय की विभिन्न जातियों, धर्म

और वर्ग के सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे समुदाय में संगठन का विकास होता है और सामुदायिक संगठन में अधिकाधिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है।

8.3.6 प्रजातांत्रिक नेतृत्व की पहचान करना

समुदाय में संगठन की रचना के पश्चात् योग्य नेतृत्व के चयन की आवश्यकता होती है। योग्य नेतृत्व में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने तथा उन्हें निर्देशित करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तियों के विकास में करता है। अपनी कार्यकुशलता एवं अन्तःक्रियाओं की कुशलता से वह व्यक्तियों में नवीन चेतना का संचार करता है और सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देता है। समय–समय पर वह अपने सुझाव रखता है, जो दूसरे लोगों के लिए मान्य होते है। इसलिए कार्यकर्ता सदस्यों में योग्य एवं जिम्मेदार नेतृत्व का प्रजातांत्रिक ढंग से चयन करने के लिए सामुदायिक सदस्यों को प्रोत्साहित करता है।

8.3.7 प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों निर्माण

प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों की रणनीति द्वारा सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुदाय के सदस्यों की सहायता की जाती है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों को निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसे सभी द्वारा स्वीकार किया जाये तथा कार्यक्रम को लागू करते समय सभी लोगों को सहभागिता हो। प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता तथा उनकी रूचियों के अनुसार किये जाने चाहिए।

प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करते समय यदि आवश्यक हो तो समुदाय के सदस्यों के अनुभवों को शामिल करना चाहिए तथा सदस्यों को अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे कि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके। प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें लचीलेपन का गुण हो जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके और सदस्यों को अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्राप्त हो।

8.3.8 प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारण के पश्चात् प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। अपने व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव से कार्यकर्ता इस बात से पूर्ण अवगत होता है कि प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता सदस्यों की रूचि, दक्षता और सहभागिता पर निर्भर होती है। इसलिए कार्यकर्ता प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों के जिम्मेदार सदस्यों को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित कर उन्हें अपनी भूमिका निभाने तथा उनकी भूमिकाओं को सरल बनाने का प्रयास करता है। निर्धारित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न रूकावटों एवं विवादों को सदस्यों के समक्ष रख उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है।

8.3.9 आन्तरिक एवं वाह्य साधनों को लामबन्द करना

प्रगतिशील योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय में उपलब्ध आन्तरिक साधनों को लक्ष्यों के अनुरूप लामबन्द करता है और उनका अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता समुदाय से बाहर उपलब्ध वाह्य साधनों को लक्ष्यों के अनुरूप लामबन्द करता है और उनका अनुकूलतम उपयोग करने का प्रयास करता है। समुदाय के साधनों को लक्ष्यों के अनुरूप लामबन्द करने के लिए कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखे कि समुदाय के सभी लोगों को सहभागिता हो।

8.3.10 सामुदायिक संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित करना

सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के साधनों को लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग में लाने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित करता है तथा उन्ही संस्थाओं का चयन करता है जो समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कर सके। सामुदायिक कार्यकर्ता उन्ही सामुदायिक संस्थाओं से सम्पर्क बनाने का प्रयास करता है जिनके पास कार्य का पर्याप्त अनुभव होता है। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कल्याणकारी संस्थाओं की सेवाओं एवं समुदाय की आवश्यकताओं पर आपस में विचार–विमर्श कर, समुदाय की आवश्यकतानुसार इन कल्याणकारी सेवाओं को पर्याप्त एवं नियमित बनाने का प्रयास किया जाता है।

8.3.11 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सामुदायिक संगठन में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का एक विशेष महत्व है। मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से हमें सामुदायिक उद्देश्यों की सफलता एवं असफलता का ज्ञात होता है। सामुदायिक प्रयासों को सफल बनाने अथवा उसमें सुधार लाने हेतु यह आवश्यक है कि सामुदायिक सदस्यों द्वारा कौन–कौन से कार्य किए गए तथा उनके द्वारा किन–किन उद्देश्यों की प्राप्ति की गई है। किन–किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है और प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक प्रयासों में शामिल था अथवा नहीं। निर्धारित किए लक्ष्यों के द्वारा क्या समुदाय की स्थिति में सुधार आया है अथवा नहीं? लक्ष्य प्राप्ति में अपनाई गइ रणनीतियां, उपकरण, विधियां उपयुक्त थी या अनुपयुक्त। किन–किन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। कौन से लोगों ने संस्थाओं/संगठनों ने सहायता दी? तथा किन–किन चुनौतियों का सामना किया गया? योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करने, लागू करने एवं योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ सदस्यों को प्राप्त हुआ है कि नहीं, इत्यादि तथा अपनाये गये तरीकों एवं प्रविधियों की उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता का आभास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से हमें ज्ञात होता है।

8.3.12 कमियों/अन्तराल को दूर करना एवं ऐच्छिक परिवर्तन लाना

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रकिया द्वारा यदि उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनाये गये तरीकों एवं प्रविधियों, संसाधनों को लामबन्द करने में, लोगों को सहभागिता में, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करने, लागू करने एवं योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कमी /अन्तराल ज्ञात होने के पश्चात् से कार्यकर्ता सदस्यों में आवश्यक परिवर्तन लाने की चेतना का विकास करता है, जिससे अपनायी गयी प्रविधियों, तरीकों में ऐच्छिक परिवर्तन लाया जा सके।

8.3.13 अनुवर्तन

किसी भी कार्य योजना का अन्तिम चरण अनुवर्तन होता है। किसी भी योजना एवं कार्यक्रम लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं यह अनुवर्तन चरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। एक बार उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाने के पश्चात् कार्यकर्ता को यह देखने की आवश्यकता होती है कि कहीं समुदाय पुनः पूर्व की स्थिति में तों नहीं पहुंच गया है और समुदाय की समस्या में किसी प्रकार का सुधार हुआ है कि नहीं।

8.4 सारांश

सरांशतः यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। एक सामुदायिक कार्यकर्ता में इन चरणों का प्रयोग करते हुए एक समुदाय को आत्मनिर्भर बनाता है।

8.5 शब्दावली

चरण — किसी भी व्यवसाय अथवा कार्य को तार्किक एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न करने के लिए जिस प्रकार एक क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कर्ता को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रक्रिया में कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न विद्धानों ने सामुदायिक संगठन अभ्यास प्रकिया के चरण बताएं हैं। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए इन चरणों का पालन करना आवश्यक है।

सामुदायिक संगठन — सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पहचानता या निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, अपने अन्दर इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्दश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों (आन्तरिक और बाहरी) का पता लगता है, उनकी प्राप्ति के लिए कार्यवाही करता है, और ऐसा करने में समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।

अनुवर्तन — किसी भी कार्य योजना का अन्तिम चरण अनुवर्तन होता है। किसी भी योजना एवं कार्यक्रम लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं यह अनुवर्तन चरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। एक बार उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाने के पश्चात् कार्यकर्ता को यह देखने की आवश्यकता होती है कि कहीं समुदाय पुनः पूर्व की स्थिति में तों नहीं पहुंच गया है और

समुदाय की समस्या में किसी प्रकार का सुधार हुआ है कि नहीं।

प्रजातांत्रिक नेतृत्व

समुदाय में संगठन की रचना के पश्चात् योग्य नेतृत्व के चयन की आवश्यकता होती है। योग्य नेतृत्व में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने तथा उन्हें निर्देशित करने की क्षमता होनी चाहिए। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तियों के विकास में करता है। अपनी कार्यकुशलता एवं अन्तःक्रियाओं की कुशलता से वह व्यक्तियों में नवीन चेतना का संचार करता है और सामाजिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देता है। समय–समय पर वह अपने सुझाव रखता है, जो दूसरे लोगों के लिए मान्य होते है। इसलिए कार्यकर्ता सदस्यों में योग्य एवं जिम्मेदार नेतृत्व का प्रजातांत्रिक ढंग से चयन करने के लिए सामुदायिक सदस्यों को प्रोत्साहित करता है।

8.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क, 1957।
- लियोनार्ड, डी. डब्ल्यू., मीनिंग ऑफ प्रिंसिंपल्स, द फ्रन्टियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शिकागोः शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, 1936।

- सिंह, ए. एन., सामुदायिक संगठन, चण्डीगढ़, हरियाण साहित्य अकादमी, 1990।
- पाटिल, ए. आर., कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड डेवलेपमेण्ट : एवं इण्डियन परसपेक्टिव, दिल्ली : पीएच आर्ड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013।
- सिद्दीकी, एच.वाई, वर्किंग विद कम्यूनिटी : एन इन्ट्रोडक्शन टू कम्यूनिटी वर्क, नई दिल्ली : हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन, के. एस., (सं.) होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, लखनऊ : ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, 1986।
- मेक्लीन, सी.एफ., 'कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वेलफयर' इन सोशल वर्क इयर बुक 1951, न्यूयार्क : अमेरिकन एशोसियेशन ऑफ सोशल वर्कर्स।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक चरण से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. अनुश्रवण व मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. डी0 सैन्डरसन और आर0 ए0 पौलसन द्वारा बताए सामुदायिक संगठन के चरणों को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. सुरेन्द्र सिंह एवं आर.बी. एस. वर्मा द्वारा बताए सामुदायिक संगठन के चरणों को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

5. सामुदायिक संगठन के चरणों के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 8.1 व 8.2 देखे।
2. उपभाग 8.3.11 देखें।
3. उपभाग 8.2.3 देखे।
4. उपभाग 8.2.5 देखे।
5. भाग 8.3 देखे।

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

3

सामुदायिक कार्य की प्रक्रिया

इकाई 9
सामुदायिक संगठन मे समस्या पहचान (पी0आर0ए0 तकनीकी) 120

इकाई 10
सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया 129

इकाई 11
सामुदायिक संगठन मे मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया 137

इकाई 12
सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक संसाधन प्रबन्ध 144

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0पी0 दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ0 एम0 एन0 सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 ए0एन0 सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो0 एस0 त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो0 अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

प्रो0 एन0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखक

डॉ0 राकेश द्विवेदी	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो0 (डॉ0) जी0एस0 शुक्ल	:	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खण्ड 3 का परिचय

सामुदायिक कार्य की प्रक्रिया

इस खण्ड सामुदायिक कार्य की प्रकिया कों कुल चार इकाइयों में बॉटा गया हैं। पहली इकाई समुदाय में समस्या की पहचान पर आधारित है। इस इकाई में समुदाय में समस्या की पहचान का अर्थ पी. आर. ए. तकनिकी की अवधारणा, पी. आर. ए. की पद्धतियों एवं उपागम आदि पर चर्चा की गयी है। इस खण्ड की दूसरी इकाई सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के अंर्तगत, अवलोकन स्वीकृती, प्रसार, अध्ययन, नेतृत्व, कार्यक्रम, संचालन, मूल्यांकन आदि की विस्तृत चर्चा की गयी है। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामुदायिक संगठन में मानव प्रबन्धन पर आधारित है। इस इकाई में सामुदायिक संगठन मानव संसाधन प्रबन्ध की प्रकिया की व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की चौथी इकाई सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक संसाधन प्रबन्ध पर आधारित है इस इकाई में सामुदायिक संगठन, सामाजिक संसाधन आन्तरिक एवं बाहय संसाधन आदि का वर्णन किया गया है।

इकाई–9 : सामुदायिक संगठन में समस्या पहचान (पी0 आर0 ए0 तकनीकी)

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 पी0आर0ए0 की अवधारणा

9.3 पी0आर0ए0 की पद्धतियां एवं उपागम

9.4 अन्तःनिर्भर या अन्योन्याश्रित/मध्यस्थ मॉडल

9.5 सारांश

9.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.7 बोध प्रश्न

9.8 बोध प्रश्न के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- पी0आर0ए0 की पद्धतियों एवं उपागम के बारे में समझ सकेंगें।
- सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन द्वारा समुदाय की समस्याओं की पहचान व समाधान की पद्धति से परिचित होगें।

9.1 प्रस्तावना

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन एक तकनीकी है जिसमें समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त कर, उनकी समस्याओं को क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें समुदाय के सदस्यों की सहभागिता हेतु आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों का प्रयोग करके समस्या को दूर किया जाता है। पी0आर0ए0 तकनीक में समुदाय के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता रहती है जिसमें वे अपनी समस्या के बारे में बताते है। इस तकनीकी के माध्यम से समुदाय के बाहर का कोई भी व्यक्ति समुदाय के विषय में आसानी से जान सकता है।

9.2 पी0 आर0 ए0 की अवधारणा

सामुदायिक संगठन, समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसका आविर्भाव मानव सभ्यता के आरम्भ से हुआ परन्तु साक्ष्य के तौर पर देखने पर दान संगठन समिति के आंदोलनों द्वारा इसका प्रारम्भ दृष्टिगोचर होता है। सामुदायिक संगठन में एक निश्चित भू–भाग में रहने वाले व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं का अध्ययन कर उपलब्ध आंतरिक व बाह्य संसाधनों द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है अर्थात् सामुदायिक संगठन में आवश्यकताग्रस्त समुदाय के सदस्यों को एकत्रित कर उनमें आवश्यकताओं की खोज की योग्यता का विकास किया जाता है। इस प्रकार से यदि दृष्टि डाली जाए तो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी समुदाय की समस्या की पहचान कर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है जिससे समुदाय की विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

समुदाय में विकासमूलक एवं कल्याणकारी कार्यों को करने से पूर्व समुदाय की समझ रखना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण समझा गया कि समुदाय की आवश्यकताओं को समझने के लिए समुदाय के लोगों को भी सम्मिलित किया जाए और जन सहभागिता की प्राप्ति की जाये। प्रभावी जन–सहभागिता की प्राप्ति करना एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियों एवं विधिक सूचनाओं के पुनर्वितरण का कार्य करती है। इसलिए ग्रामीण सहभागी निष्पादन (पी0आर0ए0) एक ऐसी तकनीकी उपागम है जिसमें समुदाय को आसानी से समझा जा सकता है।

यह एक ऐसा उपागम है जिसके द्वारा स्थानीय समुदायों तथा समूहों से सीखने, सहभागिता को संगठित करने, उन्हें समझने तथा उनसे सीखने की क्रिया की जाती है। यह सहभागी प्रक्रिया को प्रारम्भ करने तथा परस्पर सहयोग का रास्ता खोलने का कार्य करती है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका अभी भी विकास किया जा रहा है। एक स्तर पर यह ग्रामीण जीवन एवं परिस्थितियों को ग्रामीण लोगों के माध्यम से ही समझने के लिए उनकी तरफ हो जाता है। इस प्रकार पी0आर0ए0 का विस्तार विश्लेषण, नियोजन, कार्यवाही, निरीक्षण और मूल्यांकन हो जाता है। वस्तुतः यह लक्षित समूहों को चिन्हित करने, सक्रिय करने और उनमें सहभागिता को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है जिससे ऐसे समूह परियोजना, निर्णय निर्माण, संरचना, नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में सहभागिता निभा सके।

पी0आर0ए0 की पद्धति के पीछे मुख्य अवधारणा यह है कि समुदाय के सदस्य अपनी परिस्थितियों के सबसे अच्छे विशेषज्ञ स्वयं होते हैं इसलिए यह समुदाय के विषय में सूचनाओं के संग्रहण की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। इसका उपयोग करने के लिए, वाह्य आंगतुकों को समुदाय के साथ अच्छा सम्बन्ध व विश्वास निर्मित करता है। इसके पश्चात् विभिन्न तकनीकों एवं यंत्रों का उपयोग करते हुए सही एवं तथ्यात्मक सूचनायें एकत्र करता है। ध्यातव्य है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जन सहभागिता में परिवर्तन होता रहता है। हालांकि पी0आर0ए0 एक सहभागी विधि है फिर भी यह स्थान–स्थान पर एक दूसरे से भिन्न होती है, यहाँ तक एक ही समुदाय में सहभागिता के स्तर पर भिन्नतायें पायी जाती है। इसी कारण सहभागिता की प्रक्रिया के हानि एवं लाभ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। किसी समुदाय में जब तक पी0आर0ए0 की सभी तकनीकों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग नहीं कर लिया जाता है यह कह पाना कठिन होता है कि कौन सी तकनीक समुदाय में उपयोग होगी और कौन सी नहीं। पी0आर0ए0 के माध्यम से समुदाय के बाहर का या समुदाय का कोई भी व्यक्ति

समुदाय के विषय में आसानी से जान सकता है। पी0आर0ए0 कर्ता समुदाय का सदस्य न होकर बाहरी व्यक्ति होता है, जो समुदाय के व्यक्तियों को अपने विश्वास में लेकर पी0आर0ए0 के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए उन्हें इस बात के लिए सहमत करता है कि वे भी पी0आर0ए0 का उपयोग करते हुए नवीन तकनीकें सीख सकते हैं तथा समुदाय के हित में इसका लाभ उठा सकते हैं। पी0आर0ए0 कर्ता को समुदाय में सभी लोगों को पी0आर0ए0 की गतिविधि में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पी0आर0ए0 की तकनीक सामुदायिक समस्याओं के पहचान में अत्यन्त ही उपयोगी है चूंकि पी0आर0ए0 करने वाले व्यक्ति समुदाय के बाहर से होते हैं इसलिए इस विधि का प्रयोग कर वे समुदाय की समस्याओं को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। समुदायों में कार्य करने के दौरान पी0आर0ए0 सदस्यों की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है जिसमें वह समुदाय के साथ बात–चीत कर सामाजिक संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और कर्ता द्वारा अपने ज्ञान, संसाधनों एवं सूचना का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करता है। पी0आर0ए0 दृश्य साधनों और पद्धतियों का विस्तारपूर्वक उपयोग कर, एक बड़े समूह से विस्तृत सूचनायें प्राप्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम है। पी0आर0ए0 की अधिकांश गतिविधियों में दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। अतः इसके माध्यम से समुदाय के वे समस्त लोग भी पी0आर0ए0 का लाभ उठा सकते हैं जिनकी साक्षरता अत्यन्त कम है अथवा जो अनपढ़ है।

पी0आर0ए0 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे स्थानीय जनता को सक्रिय रूप से सहभागिता करने, अपने विचारों को प्रस्तुत करने तथा अपनी छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है किन्तु पी0आर0ए0 सदस्यों को इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उन्हें अपने विचारों अथवा कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों पर थोपना नहीं है बल्कि आपस में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम को बढ़ाना है।

9.3 पी0आर0ए0 की पद्धतियाँ और उपागम

पी0आर0ए0 की पद्धतियाँ और उपागम पी0आर0ए0 कर्ता या संगठनकर्ता के लिए सामुदायिक कार्यों को करने में अत्यन्त ही सहायक और महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह प्रक्रिया समुदाय में स्थानीय, सीमान्त और संकटग्रस्त लोगों का सशक्तिकरण करती है। इससे लोगों में समस्या समाधान के लिए योजना बनाने और कार्य के प्रति विश्वास जाग्रत होता है। अतः समुदाय में सहभागिता का विकास करने में पी0आर0ए0 कर्ता द्वारा कुछ पद्धतियों और उपागम का प्रयोग किया जा सकता है, जो निम्नवत् हैं–

1. प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों की जाँच पड़ताल

पी0आर0ए0 कर्ता को समुदाय में कार्य करने से पूर्व उस समुदाय के विषय में आवश्यक सूचनायें पहले से ही एकत्र कर लेनी आवश्यक है। इन सूचनाओं के माध्यम से वह समुदाय के लोगों की अभिरूचि, उनकी संस्कृति और जीवनशैली के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इन जानकारियों द्वारा कर्ता द्वारा समुदाय की प्रकृति विषय में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए प्राथमिक अवलोकन एवं द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए सूचनाऐं/आंकड़ें प्राप्त किये जाने चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों के लिए कर्ता द्वारा प्राथमिक स्त्रोतों का उपयोग करते हुए आंकडें एवं सूचनायें प्राप्त करनी चाहिए जैसे– अवलोकन, साक्षात्कार आदि। जबकि द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से भी सूचनायें

प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे– प्रतिवेदन, मानचित्र, क्षेत्रीय चित्र, लेख तथा प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य आदि।

2. मुख्य सूचना स्त्रोत

पी0आर0ए0 कर्ता यह पता लगाना चाहिए कि समुदाय में कौन विशेषज्ञ हैं। इसके लिए लोगों का चयन सही ढंग से करना चाहिए।

3. अर्ध–संरचित साक्षात्कार–

पी0आर0ए0 की विधि का उपयोग करने में अर्ध संरचित साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसकी सबसे महत्पूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें सहभागी चित्रण तथा पारम्परिक मौखिक विधियों का समावेश रहता है जिसका उपयोग बंद मुक्त प्रश्नावलियों के लिए भी उपयोगी होता है। इस विधि का उपयोग समुदाय में मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए भी किया जा सकता है। साक्षात्कारों का महत्व इस दृष्टि से भी अधिक है कि इसे लोगों की उपलब्धता के अनुसार उपयोग मे लाया जा सकता है जैसे साक्षात्कारों का आयोजन खेतों में, घरों में, पंचायतों आदि स्थलों पर किया जा सकता है।

4. साक्षात्कारों की श्रृंखला

समूह से समूह तक आवश्यक सूचनाओं को सूचनाकर्ताओं की श्रृंखला में साक्षात्कार करके सूचनायें एकत्र करने का कार्य किया जाता है।

5, केस स्टडी विधि

केस स्टडी विधि सामुदायिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का एक अत्यन्त ही प्रभावी माध्यम है। केस स्टडी विधि के माध्यम से किसी समुदाय में संभावी संकटों के प्रबन्धन एवं संघर्षों के समाधान के तरीकों के विषय में जाना जा सकता है। कर्ता को समुदाय में एक उदाहरण लेकर उसका केस इतिहास तैयार कर सकता है क्योंकि एक अच्छी केस स्टडी समुदाय के समस्त परिवेश तथा स्थिति की सही व्याख्या करने में सक्षम होती है तथा एक कर्ता केस स्टडी की पद्धति से पूरी तरह से अवगत भी होता है।

6. सहभागी चित्रण और निरूपण

सहभागी चित्रण की विधि में पी0आर0ए0 कर्ता की सहभागिता और सहयोग से समुदाय की स्थितियों का चित्रण कर सकते हैं। सहभागी ढंग से उद्देश्य प्राप्त करने की यह एक अत्यन्त ही सरल मनोरंजक एवं प्रभावी विधि है। इसका प्रयोग कागज पर किया जाता है। इसमें समुदाय के लोगों से समुदाय के जनसंख्या के संगठन की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसे कागज पर चित्रित किया जाता है। इसमें समुदाय के लोगों के बीच के आपसी सम्बन्धों तथा समाजिक स्वास्थ्य को भी चित्रित किया जाता है। इसमें समुदाय में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का भी चित्रण किया जाता है।

7. औचित्य टहलना

इसके अर्न्तगत कर्ता समुदाय के विषय में उपलब्ध सूचना स्त्रोतों के साथ पूरे समुदाय में भ्रमण करते हैं। वे पूरे समुदाय का अवलोकन करते हुए, समुदाय के लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी चर्चायें सुन सकते हैं तथा समुदाय में विकास कार्यों के लिए सामुदायिक

स्थानीय तकनीकों के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं तथा समुदाय की समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

8. महत्वपूर्ण प्रश्न

पी0आर0ए0 की पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें उन प्रश्नों की पहचान की जाती है जो समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित होते हैं। कर्ता द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची बनायी जा सकती है जिनका प्रयोग कर समुदाय की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9. केन्द्रिय समूह परिचर्चा

समुदायों में सूचना एकत्र करने की यह भी एक अत्यन्त प्रभावी कार्यप्रणाली है इसके माध्यम से सीमित समय में ही समुदाय के कुछ चुने हुए लोगों से सूचनायें प्राप्त की जा सकती है। किन्तु इस प्रकार की चर्चा के लिए पर्याप्त अनुभव, संचार कौशल एवं समुदाय से सम्बन्धित मुद्दों की अच्छी जानकारी तथा प्रश्न पूछने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है।

10. मौसमी कैलेण्डर

ग्रामीण परिक्षेत्रों के मौसमी पद्धति को समझने के लिए इस कैलेण्डर का निर्माण किया जाता है इसमें वर्ष भर की मौसमी गतिविधियों जैसे वर्षा होना, कृषि कार्यों का किया जाना, दुग्ध उत्पादन आदि के विषय में जानकारियों को दर्ज किया जाता है।

11. नक्शानवीसी

इसमें समुदाय के रिहायशी क्षेत्रों के विषय में रंगोली अथवा चाक पाउडर का प्रयोग करते हुए जमीन पर नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शे में समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों के साथ–साथ सामाजिक नक्शा भी बनाया जाता है। प्राकृतिक नक्शे में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों के विषय में जानकारी होती है वहीं सामाजिक नक्शे में समुदाय में रहने वाले लोगों की जातियां और धर्म के आधार, बसावट, पेयजल की सुविधा आवास के प्रकार तथा मन्दिर–मस्जिद, विद्यालय तथा डाकघर आदि के विषय में नक्शे बनाये जाते हैं।

9.4 अन्तःनिर्भर या अन्योन्याश्रित/मध्यस्थ माडल

इस प्रारूप का परिचय स्वावर्ड्ज द्वारा दिया गया। यह प्रारूप खुली व्यवस्था मानव मनोविज्ञान आदि पर निर्भर करता है। माडल की प्रमुख मान्यताए निम्न प्रकार से है–

1. समाज और व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पारस्परिक है। जब इन आवश्यकताओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम संघर्ष होता है।

2. उक्त प्रकार के संघर्ष का समाधान तभी सम्भव हो पाता है जब संबंधित समूह अपने द्वन्द्वों को समझने का प्रयास करते हैं और समूह के आन्तरिक संसाधनों का उपयोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति में तत्काल करते हैं।

3. इस प्रारूप में संबंधों का ध्यान समूह के प्रत्येक सदस्य पर दिया जाता है और उसकी दिशा समूह के सभी सदस्यों की ओर होती है। यह दिशा कार्यकर्ता तथा समूह के बीच तथा समूह के प्रत्येक सदस्यों के बीच आपस में होती है।

4. सदस्यों के बीच यह संबंध समूह का प्रमुख चरित्र है।

5. यह प्रारूप समूह की क्रियाओं एवं लक्ष्यों को प्रमुखता प्रदान करता है जो समूह की भावनाओं पर आधारित होते हैं।

6. इस प्रारूप में कर्ता और समूह दोनों अपनी–अपनी क्षमताओं के आधार पर समूह के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निबटने का कार्य करते हैं।

7. इस प्रारूप द्वारा समूहों के प्रकार एवं भिन्नता के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। बल्कि इस प्रारूप को व्यापक रूप से लागू किया जाता है।

विकासात्मक माडल

इस प्रारूप का विकास बोस्टन यूनिवर्सिटी के संकाय सदस्यों द्वारा **बेरूस्टीन** के नेतृत्व में किया गया किन्तु **लोई** इसके प्रमुख निर्माणकर्ता थे। इस प्रारूप की प्रमुख विशेषता समूहों की स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ता है जहां पर कि समूह के सदस्य अपने एवं अपने सामाजिक परिवेश जिस पर कि उसका अस्तित्व निर्भर करता है से कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इस माडल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

1. प्राथमिक रूप से यह प्रारूप सदस्यों के बीच आपसी घनिष्ठता कि तीव्रता पर आधारित है।

2. घनिष्ठता की यह मात्रा कर्ता के समूह में हस्तक्षेप को सुनिश्चित करती है।

3. इस प्रारूप में अध्ययन, निदान और उपचार सभी व्यक्तिगत समूह और समूह के परिवेश के तीनों स्तर पर किया जाता है।

4. इस प्रारूप में एरिक्सन का अहं मनोविज्ञान, समूह गतिशीलता और संघर्ष सिद्धान्तों से ज्ञान की विधा को लिया गया है।

5. इस प्रारूप में कर्ता समुदाय, संस्था और व्यक्तिगत सदस्यों से संबंध रखता है।

6. इस प्रारूप में समूह को लघु समाज के रूप में देखा जाता है।

7. इस प्रारूप में समूह कार्यकर्ता समूह की स्थितियों, सदस्यों के बीच की स्थितियों और सामाजिक पर्यावरण आदि की स्थितियों में सुधार का प्रयत्न करता है। इस प्रकार से यह प्रारूप परस्पर निर्भर प्रारूप, उपचारात्मक प्रारूप तथा परम्परागत प्रारूप के बीच एक कड़ी का कार्य करता है।

सामाजिक लक्ष्य प्रारूप

इस प्रारूप की मुख्य अवधारणा सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक परिवर्तन है। इस प्रारूप की मान्यता के अनुसार एक समूह में रहकर व्यक्ति दूसरों के साथ सहभागिता के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। इस प्रारूप के द्वारा

सामाजिक प्रकार्यात्मकता को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। जिसके लिए समूह कार्यकर्ता एक उत्प्रेरक और एक सामर्थ्यदाता की भूमिका का निर्वाह करता है। जिसमें वह व्यक्तियों में मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योग्यता का विकास करता है और बिना किसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाये हुए समूह सदस्यों के लिए एक उत्तेजक एवं उत्प्रेरक तथा रोल मॉडल की भूमिका का निर्वाह करता है। यह प्रारूप प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंध रखता है तथा सामाजिक दायरे में व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रकार्यात्मकता में वृद्धि का प्रयास करता है।

व्यवहारात्मक प्रारूप

इस प्रारूप के अनुसार समूह कार्यक्रमों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की दुश्प्रकार्यात्मकताओं को दूर करने में और नवीन प्रकार की शैलियों को सीखने में किया जाता है। समूह उपचारकर्ता के द्वारा समूह के सीमाओं में प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए विशिष्ट प्रकार की उपचार योजना का निर्माण किया जाता है। इस प्रारूप के अन्तर्गत समूह कार्यकर्ता विशिष्ट प्रकार के परेशान करने वाली क्रियाओं को हतोत्साहित करता है तथा अपेक्षित व्यवहार करने वाली क्रियाओं को बढ़ावा देता है। किसी सदस्य के उपचार के संदर्भ में अन्य सदस्य उपचार की प्रक्रिया में सहायता देते हैं और फीडबैक देने का कार्य करते हैं।

पी0आर0ए0 की तकनीकी के अन्तर्गत समुदाय में विभिन्न समूहों के लिए कार्य करना पड़ता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि समुदाय में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के अलग–अलग समूह गठित किए जाए। इस कार्य में समूह समाज कार्य जो कि समाज कार्य की एक प्रणाली है का ज्ञान स्वयं सेवकों के लिए अत्यन्त उपयोगी हो सकता है।

पी0आर0ए0 एक ऐसी तकनीकी है जिसमें समुदाय के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता होती है और वे ही अपनी समस्याओं को सही प्रकार से बतलाते हैं। सामान्यतौर पर सामुदायिक संगठन में समस्या पहचान की यह तकनीक सबसे उचित है। पी0आर0ए0 कर्ता समुदाय के बाहर का व्यक्ति होता है इसलिए उसे समुदाय में कार्य करने से पूर्व समुदाय से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त कर लेनी आवश्यक होती है, जिससे समुदाय के लोग पी0आर0ए0 कर्ता को गलत जानकारी न दे सके। साथ ही उसे यह पहले से अवगत हो कि समुदाय में किस संस्कृति, भाषा, धर्म या समुदाय के लोग निवास करते हैं। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना भी एक प्रमुख प्रक्रिया है। इन मधुर संबंधों की स्थिति में समुदाय निवासी अपने समुदाय की प्रत्येक छोटी–बड़ी समस्याओं को खुलकर कर्ता के समक्ष रखने में सक्षम होते हैं। साथ ही समुदाय की जनता इस प्रक्रिया में अपनी उचित सहभागिता प्रस्तुत करती है तथा पी0आर0ए0 तकनीकि में समुदाय के सहयोग के बिना समस्या की उचित पहचान व समाधान सम्भव नहीं है। अतः यह समस्त कार्य संगठनकर्ता या पी0आर0ए0 कर्ता अपने ज्ञान, कौशल व क्षमतओं के अनुसार करता है।

इस प्रकार से किसी भी समुदाय में पी0आर0ए0 तकनीकि का उपयोग कर समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त करके उनकी समस्याओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसके साथ ही इन समस्याओं के समाधान हेतु आंतरिक व बाह्य संसाधनों के प्रयोग से समुदाय की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

9.5 सारांश

सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन सदस्यों की सहभागिता पर पूर्ण निर्भर करती है। इसमें समुदाय की समस्याओं को एकजुट होकर दूर करने का प्रयास किया जाता है। पी0आर0ए0 की तकनीक सामुदायिक समस्याओं की पहचान में अत्यन्त ही उपयोगी है। इस तकनीकी द्वारा किसी भी समुदाय या गांव की आवश्यकताओं या समस्याओं को समुदाय या गांव के सदस्यों की सहभागिता द्वारा पहचान कर दूर किया जाता है।

9.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 1969।
- सिंह, ए0एन, सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2002।
- सूदन, कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन0एस0 पब्लिकेशन, लखनऊ, 2012।

9.7 बोध प्रश्न

टिप्पणी

1. अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

2. इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन में समुदाय की समस्या पहचान में पी0आर0ए0 तकनीकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. पी0आर0ए0 की विभिन्न पद्धतियों एवं उपागमों को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. 9–2

2. 9–3

इकाई–10 : सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया

10.3 सारांश

10.4 कुछ उपयोगी पुस्तके

10.5 बोध प्रश्न

10.6 बोध प्रश्न के उत्तर

10.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में समझ सकेगें।
- सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के द्वारा समुदाय की समस्याओं के समाधान के विषय में परिचित हो सकेगें।

10.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत किसी समुदाय की आवश्यकताओं या समस्याओं का समाधान समुदाय के लोगों की सहभागिता के माध्यम से किया जाता है। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें समस्या का समाधान चरणों के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विषय में भिन्न–भिन्न चरण बताये गये हैं जिसके द्वारा समुदाय की समस्या का निवारण किया जा सकता है।

10.2 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया

समुदाय शब्द लैटिन भाषा के **com** और **munis** शब्दों से बना है। **com** का अर्थ है **together** अर्थात् एक साथ तथा **munis** का अर्थ है **serving** अर्थात् सेवा करना। अतः हम कह सकते हैं कि समुदाय शब्द से अर्थ है **हम की भावना का होना।** समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित जनसंख्या एवं हम की भावना का होना आवश्यक है।

मैकाइवर के अनुसार, "समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबंधता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके"।

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों की सहायता इस प्रकार से की जाती है कि समस्या का समाधान अपनी आवश्यकताओं को देखकर उपलब्ध साधनों के माध्यम से कर सकें। अतः हम यह कह सकते है कि सामुदायिक संगठन का निर्माण समुदाय की आवश्यकताओं और साधनों को मिलाकर किया जा सकता है एवं इन्हीं साधनों के माध्यम से समुदाय की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

एम0 जी0 रॉस के अनुसार, "सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पहचानता है या निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है। अपने अंदर इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, साधनों का पता लगाता है उनकी प्राप्ति के लिए कार्यवाही करता है और ऐसा करने में समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।"

10.3 सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया

प्रत्येक कार्य को उचित ढंग से सम्पन्न करने के लिए कुछ योजनाएं बनायी जाती है और योजनाओं के अनुसार कार्य को सम्पन्न किया जाता है। जिस प्रकार वैयक्तिक सेवा कार्य की तीन प्रमुख प्रक्रिया है, अध्ययन, निदान, उपचार उसी प्रकार सामुदायिक संगठन की भी अपनी कुछ प्रक्रियायें है जिनके माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया निम्नलिखित है–

1. **अवलोकन तथा स्वीकृति प्राप्त करना** – प्रत्येक समाज में अलग–अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अलग सभ्यता एवं संस्कृति होती है और प्रत्येक समुदाय अपनी संस्कृति को दूसरे की संस्कृति एवं सभ्यता से अलग मानता है एवं उसमें अटूट विश्वास करता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समुदाय के लोगों के साथ घुल–मिल कर उनकी समस्याओं, उनके विचारों के बारे में जानने का प्रयास करता है एवं उनमें आवश्यक परिवर्तन लाता है। जिससे समुदाय अपनी आवश्यकता को समझ कर उसे दूर करने का प्रयास कर सकें। सामुदायिक संगठनकर्ता को समुदाय की संस्कृति एवं सभ्यता के अनुसार स्वयं को ढाल लेना आवश्यक है जिसमें उसे समुदाय के प्रत्येक धर्म, संस्कृति एवं समूह के सदस्यों से पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हो सके एवं वह समुदाय में भ्रमण कर वहां की सभ्यता एवं संस्कृति का अवलोकन कर सके। कार्यकर्ता का समुदाय के लोगों के साथ अच्छा ताल–मेल ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकता है।

2. **अध्ययन करना** – समुदाय से स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद सामुदायिक संगठनकर्ता को समुदाय में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन करना होता है और यह तभी सम्भव है जब समुदाय के सदस्यों के साथ सामुदायिक संगठनकर्ता का ताल–मेल अच्छा हो। सामुदायिक संगठनकर्ता उस समुदाय में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जाति एवं धर्म के लोगों की समस्याओं से संबंधित बातों एवं सूचनाओं की जानकारी एकत्र करता है और इन समस्याओं को दूर करने से संबंधित गैर–सरकारी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं की जानकारी भी सामुदायिक संगठनकर्ता को होनी चाहिए, जिससे की वह समुदाय के विकास एवं समस्याओं को दूर करने में सही ढंग से योजना बना सके।

3. **आवश्यकता की चेतना का प्रसार करना** – समुदाय के सदस्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते या जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक संगठनकर्ता स्वयं सामूहिक रूप से या पूरे समुदाय के लोगों के साथ बैठता है, उनके साथ विचार–विमर्श करता है एवं अपनी बातों से उनमें मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चेतना को बढ़ाता है, जिससे समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पहचान सके एवं उन्हें पूरा कर सके।

4. **संगठन की रचना करवाना** – किसी भी समस्या के समाधान हेतु समुदाय के सदस्य एक जुट होकर ही समाधान निकाल सकते हैं। इसके लिए सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के प्रत्येक धर्म, समूह एवं जाति के लोगों को एकत्र कर एक संगठन बनाता है जिससे लोगों में हम भावना आए और सभी की समस्याओं का हल निकाला जा सके।

5. **नेतृत्व का विकास** – एक अच्छे संगठन की सफलता के लिए एक योग्य नेतृत्व का होना आवश्यक है। अतः कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों में से ही एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो उचित ढंग से पूरे समुदाय का नेतृत्व कर सकें एवं अपनी कार्यकुशलता एवं सूझ–बूझ से समुदाय की समस्याओं को समझ सके और उन्हें दूर कर सके। वह समय–समय पर अपने सुझाव रखे जिसमें समुदाय के सभी सदस्य स्वीकृति प्रदान करें। इसलिए सामुदायिक संगठनकर्ता सदस्यों में से ही किसी एक ऐसे जिम्मेदार एवं योग्य व्यक्ति का प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करने के लिए सामुदायिक सदस्यों को प्रोत्साहित करता है।

6. **कल्याणकारी योजना एवं कार्यक्रम तैयार करना** – इसके पश्चात् कार्यकर्ता संगठन की उन समस्याओं से संबंधित कार्यक्रम को बनाने का प्रयास करता है जिनसे महत्वपूर्ण समस्याएं कम प्रयास से दूर की जा सकें। इसके साथ ही वह समस्याओं के समाधान संबंधित उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं से समुदाय के सदस्यों को जोड़ता है।

7. **कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना** – सामुदायिक संगठनकर्ता को व्यावसायिक ज्ञान होता है जिसके कारण वह इस बात को अच्छे से जानता है कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता समुदाय के सदस्यों की रूचि, सहभागिता एवं दक्षता पर निर्भर करती है इसलिए कार्यकर्ता कुछ योग्य लोगों को चुनकर उन्हें प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित करता है। जिससे वे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में उत्पन्न रूकावटों एवं विवादों को दूर कर सकें तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बिना किसी अवरोध के हो सकें।

8. **साधनों को संचालित करना** – गैर–सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा बहुत सी कल्याणकारी सेवायें समुदाय के विकास हेतु चलाई जाती हैं, जिन्हें सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप उपयोग में लाने का प्रयास करता है। इसके लिए सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय की आवश्यकता तथा कल्याणकारी सेवाओं के संबंध में समुदाय के सदस्यों से विचार–विमर्श करता है जिससे इन सेवाओं का पर्याप्त एवं नियमित लाभ समुदाय को मिल सकें।

9. **मूल्यांकन एवं ऐच्छिक परिवर्तन लाना** – मूल्यांकन करने से कार्यकर्ता को समुदाय की वास्तविक स्थिति, उसकी कमियां, अच्छाइयां एवं समुदाय के सदस्यों की कार्यशक्तियों, निपुणताओं एवं दोषों को जानने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही सामुदायिक संगठनकर्ता के सामने वास्तविक परिणाम निकल कर सामने आते हैं। जिसकी सहायता से सामुदायिक संगठनकर्ता सदस्यों में आवश्यक परिवर्तन लाने की चेतना का

विकास करता है तथा अपनायी गयी विधियों एवं तरीकों में भी ऐच्छिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।

इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त सामुदायिक संगठन की और भी प्रक्रियाएं हैं जो **लिण्डमैन** के द्वारा दी गयी हैं। **लिण्डमैन** ने दस प्रक्रियाओं के बारे में बताया है जो इस प्रकार हैं–

1. **आवश्यकता की चेतना** – प्रत्येक समुदाय की एक आवश्यकता होती है जिसकी पहचान होना समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इन आवश्यकताओं का समुदाय में प्रकट होना बहुत आवश्यक है ताकि कार्यकर्ता एक परियोजना बनाकर उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

2. **आवश्यकता की चेतना का प्रसार** – समुदाय की आवश्यकता की पहचान के बाद समुदाय में कार्यकर्ता लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि सदस्यों की मूलभूत आवश्यकतायें है और उन्हें उनकी पूर्ति करनी चाहिए।

3. **आवश्यकता की चेतना का प्रक्षेपण** – समुदाय के कुछ समूह जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाता है वे अपने समुदाय के नेता को उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं। समुदाय की आवश्यकता अब उस व्यक्ति की हो जाती है जो समुदाय का नेतृत्व करता है तथा वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति में समुदाय की मदद भी करता है।

4. **आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने का भावनात्मक आवेग** – समुदाय की आवश्यकताओं को शीघ्रताशीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से कुछ प्रभावशाली संस्थाओं जैसे गैर–सरकारी, सरकारी संस्थाओं से सहायता ली जाती है जिससे समस्याओं का समाधान जल्दी एवं उचित ढंग से किया जा सके।

5. **समाधानों का प्रस्तुतीकरण** – आवश्यकतओं एवं समस्याओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा सुझाव एवं समाधान समुदाय के सामने रखे जाते हैं।

6. **समाधानों में संघर्श** – आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं वे सभी उस समुदाय के अनुरूप नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही समुदाय के लिए सहायक होते हैं जिन्हें समुदाय के सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता है।

7. **अन्वेशण या जांच–पड़ताल** – विशेषज्ञों की सहायता से आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं तथा उनकी जांच भी की जाती है। जिससे यह ज्ञात होता है कि वे योजनाएं सही ढंग से कार्य कर रही है या नहीं।

8. **समस्या के विशय में वाद–विवाद** – परियोजनाओं की जांच–पड़ताल होने के बाद समस्या को एक विशाल समूह में रखा जाता है जिसमें समुदाय के सभी समूह आते हैं। फिर प्रत्येक समूह अपनी बात को रखता है और इसमें से जो प्रभावशाली समूह होता है वह अपनी योजनाओं की स्वीकृति लेने का प्रयास करते हैं।

9. **समाधानों का एकीकरण** – जो भी सुझाव या समाधान समुदाय के समक्ष रखें जाते हैं उन पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श कर उनमें से कुछ समाधान निकाले जाते हैं तथा उनमें से ही सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है। वे सुझाव जो सभी

समुदाय के सदस्यों के लिए हितकारी हो, उन्हें ही समुदाय की आवश्यकता पूर्ति हेतु रखा जाता है।

10. **अस्थायी प्रगति के आधार पर समझौता** – कुछ समुदाय अपनी–अपनी योजनाओं का कुछ भाग त्याग देते हैं जिसके कारण एक समझौता होता है जिसमें समझौते के आधार पर कार्य आरम्भ किया जाता है।

सैन्डरसन और **पॉलसन** ने सामुदायिक संगठन की सात प्रक्रियायें बताई हैं–

1. **समुदाय का विश्लेषण एवं निदान** – इसमें सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के विषय में जानकारी एकत्र करता है। कार्यकर्ता समुदाय में शामिल हो, समुदाय की जनसंख्या, आकार, समुदाय के सदस्यों का व्यवहार, रीति–रिवाज, परम्पराओं, संबंधों, संघर्षों आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त करता है, जिससे समुदाय की आवश्यकताओं को आसानी से समझा जा सकें।

2. **गतिकी** – कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों में गतिशीलता लाने का प्रयास किया जाता है। समुदाय के सदस्यों को कार्यकर्ता द्वारा उनकी रूचि, विकास आदि के बारे में क्रियाशील करने का प्रयास किया जाता है। कार्यकर्ता उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि यदि समुदाय के सुधार का प्रयास करें तो उनकी स्थिति भविष्य में बहुत अच्छी हो सकती है।

3. **परिस्थिति की परिभाषा** – समुदाय के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर एवं उन्हें उनकी रूचि एवं विकास के बारे में जागृत करने के पश्चात् परिस्थिति का पुनः अवलोकन किया जाता है एवं यह जानने का प्रयास किया जाता है कि समुदाय के सदस्यों के लिए क्या वांछित है एवं उन्हें किस तरह से प्राप्त किया जाए ? व्यक्तियों, सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों का मत इन समस्याओं पर लिया जाता है और इन तथ्यों को सामने रख समुदाय की परिस्थितियों को पुनः पारिभाषित किया जाता है।

4. **औपचारिक संगठन** – समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए समुदाय के अंदर ही कुछ औपचारिक संगठनों का निर्माण कर लिया जाता है। ये औपचारिक संगठन समुदाय के आकार के अनुसार होते हैं। यदि समुदाय बड़ा है तो उसमें कई संगठन होंगें तथा यदि समुदाय छोटा है तो उसमें एक ही संगठन होगा, जो संगठन बनाया जाता है वह समन्वयात्मक रूप रखता है और उसका कार्य सभी संगठनों का समन्वय करना होता है जिससे समुदाय के सभी संगठनों की समस्याओं को सुनकर उनका हल निकाला जा सके।

5. **सर्वेक्षण** – औपचारिक संगठनों के निर्माण के बाद समुदाय की स्थितियों को अच्छे से समझने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। यह सर्वेक्षण समुदाय के अंदर ही होता है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य समुदाय में व्याप्त समस्याओं से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। जब सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जाता है तब समुदाय की एक या दो समस्याओं पर ही ध्यान दिया जाता है और उन समस्याओं से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर सर्वेक्षण द्वारा उनका हल निकालने का प्रयास किया जाता है।

6. **कार्यक्रम** – जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुदाय के सदस्य रूचि दिखाते हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता द्वारा कुछ कार्यक्रम बनाए जाते हैं। यह कार्यक्रम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है जिन्हें न्यूनतम् संघर्ष के पश्चात् पाया जा सकता है। इस अनुभव से जब समुदाय संगठित हो जाता है तो लम्बी अवधि के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, इन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए समुदाय के प्रत्येक समूह के सदस्य एक साथ बैठकर विचार–विमर्श करते है एवं अपना एकमत देते हैं। सदस्यों के एकमत के आधार पर ही एक निश्चित कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है।

7. **नेतृत्व** – एक प्रभावशाली नेतृत्व के बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता को निश्चित नहीं किया जा सकता है। अतः कार्यकर्ता समुदाय में से ही किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो प्रभावशाली हो और जो अपने समुदाय का नेतृत्व अच्छे ढंग से कर सके। बाहर का कोई भी व्यक्ति समुदाय के लोगों में चेतना का प्रसार तो अवश्य कर सकता है परन्तु उसे समुदाय की आवश्यकताओं की जानकारी सही ढंग से नहीं होती है जिसके कारण वह समुदाय का नेतृत्व नहीं कर सकता है। अतः समुदाय का नेतृत्व स्वयं समुदाय का सदस्य ही कर पाएगा।

क्रौस ने भी सामुदायिक संगठन की प्रक्रियाओं के कुछ मुख्य चरण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं–

1. समुदाय की समस्या का सही रूप में विवरण करना आवश्यक होता है।

2. समस्याग्रस्त समुदाय के बारे में सामुदायिक संगठनकर्ता को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस प्रकार की समस्या है एवं उसकी समस्या को दूर करने के लिए वह जिन साधनों का उपयोग करना चाहता है वह उचित है या नहीं।

3. जिस प्रकार की समस्या हो उसी प्रकार के समाधान भी होने चाहिए। आवश्यकता एवं उपलब्ध कराए जा रहे साधनों में उचित समायोजन होना अत्यन्त आवश्यक है।

4. समुदाय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी योजनाएं बनायी गयी है उन्हें जनता के बीच में अवश्य रखना चाहिए जिससे समुदाय के सदस्य उस पर विचार–विमर्श कर सकें एवं उन योजनाओं का कहां तक सही से कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसकी परीक्षा भी हो सकें।

5. अस्थायी योजनाओं पर विचार–विमर्श कर एक मुख्य योजना बनायी जाती है जो समुदाय के सदस्यों द्वारा जांच–पड़ताल कर बनायी जाती है। इसके साथ ही यह उनके अनुभवों द्वारा विकसित की जाती है।

6. अंतिम चरण में मुख्य योजना द्वारा लोगों को सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वर्तमान में चल रही योजनाओं एवं सेवा के स्तर को देखा जाता है एवं उन्हें और उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाता है और कुछ अन्य नयी योजनाओं का निर्माण भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त **टेलर** ने भी सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के चरण बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. सामुदायिक विकास के पहले चरण में समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान की जाती है एवं समस्याओं के विषय में सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया जाता है।

2. दूसरे चरण में समुदाय द्वारा अपनी स्वयं की सहायता के लिए जो परियोजनाएं बनायी जाती हैं उनको पूरा करने के लिए उचित ढंग से उनका नियोजन किया जाता है।

3. तीसरे चरण में समुदाय के सदस्यों की भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सामर्थ्यता की पहचान कर उन्हें गतिशील बनाया जाता है।

4. सबसे अंतिम चरण में समस्या के समाधान के लिए बनायी गयी रूपरेखा को समुदाय में कार्यान्वित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान में समुदाय में उपस्थित सेवाओं के स्तर को ऊंचा उठाया जाता है या उनका और विस्तार किया जाता है। इसके साथ ही समस्या के समाधान हेतु कभी–कभी नयी सेवाओं का भी निर्माण किया जाता है।

10.3 सारांश

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में कार्यकर्ता द्वारा समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने में समुदाय के सदस्यों की सहायता तथा प्रक्रिया में सहभाग करने के लिए समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करता है जिससे समुदाय की समस्यायें स्वयं समुदाय के सदस्यों द्वारा हल की जा सके। साथ ही आवश्यकताओं की पूर्ति में सदस्यों की सहभागिता पूर्ण प्राप्त होती है। यह समस्त कार्य एक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। सामुदायिक संगठनकर्ता के पास समुदाय की समस्याओं पर कार्य करने के लिए व्यावसायिक कार्य कुशलता व निपुणता होती है। जिसके कारण वह सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सुगमतापूर्वक कर पाता है।

10.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 1969।
- सिंह, ए0एन, सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2002।
- सूदन, कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन0एस0 पब्लिकेशन, लखनऊ, 2012।

10.5 बोध प्रश्न

टिप्पणी

1. अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताइए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. लिण्डमैन द्वारा दिए गए सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. 10.2

इकाई–11 : सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया

11.3 सारांश

11.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

11.5 बोध प्रश्न

11.6 बोध प्रश्न के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया के विषय में चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में समझ सकेंगें।
- सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन में समुदाय के सदस्यों की भूमिका के बारे में जान सकेगें।

11.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समुदायों में संगठन के निर्माण के लिए प्रयास किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध के माध्यम से समुदाय में निर्मित संगठन के द्वारा लक्ष्यों को प्रभावशाली एवं कुशलतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने हेतु सक्षम श्रम बल की खोज करने, उसका विकास करने एवं उसका अनुरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत वे सभी प्रबंधकीय क्रिया–कलाप एवं निर्णयन की प्रक्रिया सम्मिलित है, जो मानवीय संसाधनों को प्रभावित करते हैं। मानव संसाधन संगठनात्मक प्रक्रियाओं का एक सम्मुचय है। इन प्रक्रियाओं में मानव संसाधनों का नियोजन, निष्पादन, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण, संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोगों के प्रभावी उपयोग करने से संबंधित है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

11.2 सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन

सामुदायिक संगठन की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा समुदायों में संगठन के निर्माण के लिए प्रयास किया जाता है क्योंकि संगठन ही वह तत्व है जो समुदाय में पाए जाने वाले मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रबंध करता है। यद्यपि सामुदायिक तथ्यों की प्राप्ति में मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों का महत्व स्पष्ट है किन्तु मानव संसाधन प्रबंध समुदाय को संगठित करने की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वास्तव में मानव संसाधन प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध किसी भी प्रकार के संगठन के अन्तर्गत मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से होता है। जिसका ध्येय समुदाय के सदस्यों के आपसी सहयोग द्वारा उनका सर्वोत्तम योगदान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मानव संसाधन प्रबंध के माध्यम से समुदाय में निर्मित संगठन के द्वारा लक्ष्यों को प्रभावशाली एवं कुशलतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने हेतु सक्षम श्रम बल की खोज करने, उसका विकास करने एवं उसका अनुरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत वे सभी प्रबंधकीय क्रिया–कलाप एवं निर्णयन की प्रक्रिया सम्मिलित है, जो मानवीय संसाधनों को प्रभावित करते हैं। चूंकि संगठनों का निर्माण व्यक्तियों से ही होता है इसलिए उनकी सेवाओं की प्राप्ति करना, निपूर्णताओं का विकास करना, योगदान के लिए प्रेरित करना, संगठन के लिए निष्ठा का विकास करना आवश्यक हो जाता है। मानव संसाधन संगठनात्मक प्रक्रियाओं का एक सम्मुचय है। इन प्रक्रियाओं में मानव संसाधनों का नियोजन, निष्पादन, मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण, संरक्षण एवं सुधार सम्मिलित है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोगों के प्रभावी उपयोग करने से संबंधित है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। वस्तुतः यह मानवीय संसाधनों की योग्यता, कुशलता, उनकी अभिक्षमता के निर्माण तथा व्यक्तित्व के विकास की कला है। जिसके माध्यम से व्यक्तियों के द्वारा सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत मानव संसाधनों का प्रबंध करते समय कुछ निश्चित विश्वासों, योजनाओं तथा व्यवहारों का पालन किया जाता है। सामुदायिक संगठन में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय में स्थित मानवीय संसाधनों का संगठित करना, नियंत्रित करने, अभिप्रेरित करने एवं निर्देशित करने का प्रयास किया जाता है। चूंकि समुदाय में लोगों के आपसी संबंध महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि समुदाय के अन्तर्गत जिस संगठन का विकास हुआ है, उसमें सदस्यों के आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहें।

मानव संसाधन प्रबंधन में मानवीय संबंधों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक एवं सामूहिक लक्ष्यों का संगठन के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है। जिससे सामुदायिक सदस्यों के वैयक्तिक एवं सामूहिक विकास के लिए सुविधाओं एवं अवसरों का समुचित विकास किया जा सकें। प्रायः समुदाय में संगठनों के विकास एवं मानव संसाधनों के प्रबंध हेतु अन्तर–सामूहिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जिसके माध्यम से एक ऐसे संगठन के विकास का प्रयत्न किया जाता है, जिसमें समुदाय के सभी जातियों, धर्मों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सकें। इस प्रकार के संगठन के द्वारा ही समुदाय में हल की जाने वाली समस्याओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है तथा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की खोज की जाती है। जिनके समुचित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग के माध्यम से ही सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष प्रकार के क्रिया–कलापों का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक है कि संगठन के साथ–साथ समुदाय के लोगों का भी इस प्रकार का शिक्षण एवं प्रशिक्षण किया जाए कि वे संगठन के माध्यम से किए जाने वाले क्रिया–कलापों एवं विधियों का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कुछ सामान्य एवं

विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। इसके लिए संस्थाओं के द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। "लेन" ने ऐसी कुछ विशिष्ट कार्य प्रणालियां का उल्लेख किया है जिनके माध्यम से सामुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जैसे– नियोजन, निरन्तर केन्द्रीकृत अभिलेख, विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण वित्त की व्यवस्था करना, संयुक्त बजट बनाना, शिक्षा प्रदान करना, जन सम्पर्क करना, कोष इकट्ठा करने के उद्देश्य से संयुक्त अभियानों का नियोजन करना सामूहिक विचार–विमर्श कान्फ्रेन्स आदि का प्रयोग करना, संस्थाओं के बीच समझौतों को लागू करना, संयुक्त रूप से सेवाओं को प्रदान करना, सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक कानूनों को प्रोत्साहित करना आदि। इसी प्रकार से सामुदायिक संगठन की कार्य प्रणालियों का उल्लेख "मैक्नील" ने भी किया है। जिसके अन्तर्गत उन्होंने प्रशासकीय एवं प्रक्रिया अभिलेखन, अनुसंधान, परामर्श, सामूहिक कान्फ्रेंस, कमेटी का कार्य व्याख्या करना, प्रशासन का कार्य तथा संसाधनों को गतिशील करने जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इस प्रकार के सामुदाकिय संगठन के अन्तर्गत कार्य करने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं निपुणताओं की आवश्यकता होती है। जिससे की समुदायों में प्रभावशाली ढंग से परिवर्तन लाया जा सके। इन क्रिया–कलापों को सम्पन्न करने के लिए कुशलता एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसके लिए कुशल मानव संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। प्रबंध का आधुनिक दर्शन भी इसी तथ्य पर बल देता है कि मानव संसाधन किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान संसाधन होते हैं। चूंकि व्यक्ति ही किसी कार्य को करने के लिए संगठन का निर्माण, प्रबंधन एवं संचालन करते हैं इसी लिए सामुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशल मानव संसाधनों का प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता असीमित होती है। यदि मानव संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जाए तो विभिन्न प्रकार का अवसरों का सृजन करते हैं।

समुदाय में लक्ष्यों को प्राप्त करना सहज एवं आसान लक्ष्य नहीं होता बल्कि समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव संसाधनों का प्रबंध करना संस्थाओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अतः संस्थाओं के द्वारा मानव संसाधनों के विकास के लिए कुछ सिद्धान्तों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे– संगठन में ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित करना चाहिए जिनका मनोबल उच्च हो एवं वह प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक हो। समुदाय में एक प्रेरणा का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य कर रहे लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकें। इसके लिए कार्यकर्ताओं का सद्व्यवहार, समुदाय के लोगों के द्वारा अच्छे कार्यों की प्रशंसा, अभिप्रेरणा कार्य कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के माध्यम से सामुदायिक संगठन के सदस्यों के उच्च मनोबल को भी बनाए रखा जा सकता है। सामुदायिक संगठन में मानव संसाधनों का समुचित प्रबंधन करने के लिए आपसी संचार को बनाए रखना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। जिसके लिए समुचित सम्प्रेषण की व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए संस्थाओं के द्वारा सम्प्रेषण के सिद्धान्तों का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि संगठन के प्रत्येक स्तर पर सम्प्रेषण की उचित व्यवस्था होने पर ही संदेश निचले स्तर तक सही ढंग से पहुंच सकता है। इसीलिए संगठन के सभी सदस्यों को उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों की पूरी सूचना दी जानी चाहिए। कभी–कभी सूचनाओं का न दिया जाना अथवा उचित सम्प्रेषण का अभाव सामुदायिक संगठन में समस्याऐं उत्पन्न कर सकता है। चूंकि समुदाय में गठित किसी भी संगठन में सदस्यों को किसी भी प्रकार का मौद्रिक प्रलोभन नहीं दिया जाता है। अतः संस्थाओं के द्वारा सामुदायिक संगठन में श्रम के महत्व एवं उसके प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। सामुदायिक संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए श्रम विभाजन भी किया जाना चाहिए तथा संगठन के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता, निर्णय क्षमता एवं कार्य निष्पादन के आधार पर सामान अवसर

प्रदान किया जाना चाहिए। मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का अधिकतम् उपयोग करने तथा उनकी छिपी हुयी कार्य योग्यताओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया जाना चाहिए। उनसे कोई भी कार्य अनैच्छिक रूप से अथवा बल पूर्वक नहीं कराना चाहिए। समुदायों में किसी भी प्रकार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदस्यों में समूह भावना का होना आवश्यक होता है। जिससे कि व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों से विलग किया जा सके तथा सामूहिक हितों की रक्षा की जा सके।

सामुदायिक संगठन में किसी भी कार्यक्रम को लागू करने से पूर्व कर्मचारियों की प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। उसके अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी प्रचार करना चाहिए। समुदाय में स्थित संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में नियोजन एक आधारभूत प्रबंधकीय कार्य है क्योंकि नियोजन के माध्यम से ही यह स्पष्ट होता है कि किसी कार्य को कब प्रारम्भ करना है, क्यों करना है तथा किस व्यक्ति के द्वारा यह कार्य किया जाएगा? नियोजन के माध्यम से ही आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जाता है। जब समुदाय में संगठन का विकास हो जाए तब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य, कार्यप्रणालियों तथा भौतिक संसाधनों के बीच क्रियात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। संगठन के सदस्यों को विभिन्न दायित्वों का आवंटन किया जाता है एवं उनके अधिकारों को पारिभाषित किया जाता है क्योंकि संगठन एवं प्रबंधन में घनिष्ठ संबंध होता है। सामुदायिक संगठन में कार्यों के वितरण के पश्चात् संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करना तथा उनका मार्ग दर्शन करना आवश्यक हो जाता है। अतः संगठन में उचित नेतृत्व एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके लिए संगठन के नेतृत्व के द्वारा सदस्यों को आदेश–निर्देश तथा सूचनाएं प्रदान करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। नेतृत्व के द्वारा सदस्यों के कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा प्रभावी सम्प्रेषण का भी प्रबंध किया जाता है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वयन का भी प्रबंध किया जाता है। समन्वयन मानव संसाधन प्रबंधन का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। समन्वयन के अन्तर्गत संगठन की समस्त क्रियाओं, नीतियों, नियमों तथा कार्य प्रणालियों में समुचित संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित किया जाता है क्योंकि समन्वयन के माध्यम से ही संगठन के सभी क्रिया–कलापों में एकता स्थापित होती है एवं नियोजन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण का कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न हो पाता है। इसी प्रकार संगठन में अनुशासन एवं नियंत्रण को भी स्थापित किया जाता है। नियंत्रण के माध्यम से ही समस्याओं का पता लगाया जाता है एवं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है।

समुदाय में स्थिति मानव संसाधनों के विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप, आवश्यकताओं के आधार पर आधारित ज्ञान, कौशल एवं मनोवृत्तियों के विकास का कार्य किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत सदस्यों के कार्य निष्पादन एवं विकास के लिए उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है जिसे निष्पादन मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सदस्यों के तकनीकी एवं संचालनात्मक निपूर्णताओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत समुदाय में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए कुशल मानव संसाधन का होना आवश्यक है। जिसके लिए मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन के संबंध में मानव संसाधन के विकास की उपयोगिता इस प्रकार समझी जा सकती है कि यह संगठन

के कार्य बल के ज्ञान, कुशलताओं, सृजनात्मक योग्यताओं तथा मूल्य एवं विश्वासों से संबंधित है। किसी भी संगठन का प्रभावी निष्पादन केवल संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि इसकी गुणवत्ता तथा क्षमता पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार समुदाय में कोई भी संगठन तभी कार्यकुशल हो सकता है जबकि वह संगठन में मानव संसाधनों को उपयोगी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है। मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन प्रबंधन का एक प्रमुख अंग है। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता स्थानीय स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से लेकर वृहद स्तर पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए होती है।

टी0वी0 राव के अनुसार, मानव संसाधन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संगठन के सदस्यों की नियोजित ढंग से सहायता की जाती है। इसके अन्तर्गत सदस्यों की व्यक्तियों के रूप में सामान्य क्षमताओं का विकास करना, उनकी आन्तरिक शक्तियों की खोज करना एवं उनका प्रयोग करना, संगठनात्मक शक्ति का विकास करना एवं समूह भावना को दृढ़ करना। मानव संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत समुदायों में वैयक्तिक एवं सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समुदाय में स्थित मानवीय संसाधनों के रचनात्मक क्षमताओं के विकास का कार्य किया जाता है। संगठन के अन्तर्गत सदस्यों को उनकी प्रतिभावों, आन्तरिक गुणों एवं शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल कार्यात्मक वातावरण को निर्मित किया जाता है। इसके अन्तर्गत सदस्यों को उनकी भूमिका निष्पादन के सदर्भ में सक्षम बनाने का कार्य किया जाता है। जिससे कि उनकी क्षमताओं का विकास हो सके एवं व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकें। सामुदायिक मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ही भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों, सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तनों एवं आन्तरिक एवं बाह्य परिवर्तनों के साथ समायोजन बनाने के योग्य क्षमताओं का विकास किया जाता हैं। चूंकि सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से ही आवश्यकताओं की पूर्ति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। सामुदायिक संगठन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सामुदायिक सदस्य व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में या समूह के प्रतिनिधित्व के रूप में एक–दूसरे के साथ संयुक्त होते है। जिससे समाज कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निश्चित कर सके। यह एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यवस्थित एवं संगठित कार्य प्रणाली उपयोग में लायी जाती है। प्रशिक्षण के द्वारा सामुदायिक संगठन के सदस्यों के ज्ञान निपुणताओं एवं मनोवृत्तियों में सुधार किया जाता है एवं परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है।

"डेल0एच0 बीच" के अनुसार, "प्रशिक्षण एक संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान अथवा कुशलताओं को सीखते हैं।" इस प्रकार प्रशिक्षण सामुदायिक संगठन के सदस्यों के विकास की एक व्यवस्थित एवं पूर्ण नियोजित प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से लोगों के ज्ञान तथा निपूर्णताओं में वृद्धि की जाती है तथा उनकी अभिरूचियों एवं मतों में परिवर्तन लाया जाता है। जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जा सकें। मानव संसाधन में प्रबंधन के द्वारा सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य की आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रायः प्रशिक्षण को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे– नियमों तथा विनियमों का ज्ञान एवं जानकारी। इसके अन्तर्गत संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं प्रदत्त सेवाओं के विषय में निर्धारित नियमों एवं विनियमों की जानकारी दी जाती है। जिसका उद्देश्य संगठन के भीतर तथा बाहर घटित होने वाले घटनाओं से सदस्यों को अवगत कराना है। समुदाय में विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्य भी सम्पन्न करने होते हैं। जैसे– किसी यंत्र को संचालित करना, बहिखातों एवं लेखों का रख–रखाव करना, कम्प्यूटर का संचालन करना आदि। अतः प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्यों को तकनीकी निपुणताओं से

युक्त करवाने की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वही प्रशिक्षण के माध्यम से सदस्यों में सामाजिक कुशलताओं एवं निपुणताओं को भी सीखाया जाता है। इसके अन्तर्गत सदस्यों को कार्य करने हेतु प्रेरित करना, अपने सहकर्मियों के प्रति आचरण के तरीकों को सीखाया जाता है। इसमें एक संगठनात्मक संस्कृति के विकास का भी प्रयास किया जाता हैं।

सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य करने के लिए सदस्यों के बीच आपस में सुदृढ़ मानवीय संबंधों को होना भी आवश्यक होता है। इसके लिए संगठन में नियंत्रण की व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। इसलिए संगठन में अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखना भी आवश्यक होता है। किसी संगठन के अन्तर्गत प्रभावी अनुशासन को बनाए उसके मानवीय संसाधनों एवं अन्य संसाधनों के बीच समरसता बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसलिए संगठनों में अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखना मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। यह संगठनों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है।

"सुरेन्द्र सिंह" के अनुसार, अनुशासन से अभिप्राय एक विशेष प्रकार के व्यवहार से है, जो सामाजिक मान्यता एवं मानदण्डों के अनुरूप होता है। इसके विपरीत अनुशासन हीनता मान्यताओं एवं मानदण्डों के उल्लंघन को बोध कराती है। वस्तुतः अनुशासन मानव संसाधन प्रबंधन हेतु एक प्रभावी साधन है, जो किसी संगठन के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है तथा कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंधन वह प्रक्रिया है, जिसका संबंध मानव शक्ति से होता है। इसका संबंध हर प्रकार के संगठनों जैसे सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, राजकीय, वित्तीय आदि से होता है। यह प्रबंध की वह शाखा है जिसके माध्यम से किसी संगठन के अन्तर्गत भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास, कार्य निष्पादन, अनुशासन एवं अभिप्रेरणा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। मानवीय संसाधन प्रबंधन मानवीय संसाधनों की योग्यता, कौशल, सामर्थ्य एवं व्यक्तित्व के विकास की कला है।

11.3 सारांश

सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक संगठनात्मक प्रक्रियाओं का एक सम्मुचय है। इसके अन्तर्गत मानव शक्तियों का प्रयोग कर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन द्वारा समुदाय में स्थित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, जिसके लिए सदस्यों को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः मानवीय संसाधन प्रबंधन मानवीय संसाधनों की योग्यता, कौशल, सामर्थ्य एवं व्यक्तित्व के विकास की कला है।

11.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 1969।
- सिंह, ए0एन, सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2002।
- सूदन, कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन0एस0 पब्लिकेशन, लखनऊ, 2012।

11.5 बोध प्रश्न

टिप्पणी

1. अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. 9.2

2. 9.3

इकाई–12 : सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक संसाधन प्रबन्ध

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 सामुदायिक संगठन

12.3 सामाजिक संसाधन प्रबन्ध

12.4 सारांश

12.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.6 बोध प्रश्न

12.7 बोध प्रश्न के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक संसाधन प्रबन्ध के विषय में चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्न बिन्दु से आप परिचित हो सकेगें–

- सामुदायिक संगठन के विषय में समझ सकेगें।
- सामाजिक संसाधन प्रबंध के विषय में परिचित हो सकेगें।

12.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत किसी समुदाय की आवश्यकताओं या समस्याओं का समाधान समुदाय के लोगों की सहभागिता के साथ किया जाता है। सामुदायिक संगठन में सामाजिक संसाधनों का विशेष महत्व है। अतः सामाजिक संसाधनों का उचित प्रबंध अति आवश्यक है। सामाजिक संसाधन प्रबन्ध के माध्यम से समुदाय की समस्याओं या आवश्यकताओं के समाधान के लिए आंतरिक व बाह्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता हैं। इन समस्त संसाधनों का उपयोग समुदाय के सदस्यों की एकजुटता पर निर्भर करता है।

12.2 सामुदायिक संगठन

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की प्राथमिक पद्धति की एक मुख्य प्रणाली है जिसमें समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों के माध्यम से की जाती है। यह समस्त कार्य सामुदायिक संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान व कुशलता होती है। सामुदायिक संगठन में एक निश्चित भू–भाग में रहने वाले समुदाय के

सदस्यों की आवश्यकताओं को पहचानने व उसकी पूर्ति करने में समुदाय के सदस्यों की भूमिका आवश्यक होती है। इसके साथ ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास किया जाता है। जिससे समुदाय भविष्य में अपनी आवश्यकताओं या समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम हो सके।

सामुदायिक संगठन की उत्पत्ति प्राचीन समय में ही हो गयी थी परन्तु प्रमाणित रूप में इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में दान संगठन समिति आंदोलन के दौरान हुयी। उस समय यह अनुभव किया गया कि बहुत सी गैरसरकारी सहायता समितियों और कल्याण संस्थाओं में परस्पर सहयोग नहीं था। दान संगठन समिति ने विभेदक शिक्षा दिए जाने, सहायता प्रयासों में द्विगुणन, सहायता कोष का अपव्यय आदि के विरूद्ध जो प्रयास किए उन्हीं से समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामुदायिक संगठन की उत्पत्ति हुयी।

सामान्यतः सामुदायिक संगठन के कार्य में आवश्यकताग्रस्त समुदाय की आवश्कताओं को पहचानने तथा उसकी पूर्ति करने के लिए समुदाय के विभिन्न सदस्यों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है ताकि आवश्यकता की पहचान करने में समुदाय के सभी सदस्य अपनी सहभागिता प्रदान कर सकें। इसके साथ ही सदस्यों द्वारा आवश्कताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक संसाधनों का प्रयोग करने की योग्यता का विकास किया जाता है। यह संसाधन समुदाय में उपलब्ध भी हो सकते हैं और समुदाय के बाहर भी उपलब्ध हो सकते है। अतः संगठनकर्ता का कार्य समुदाय की समस्याओं का अध्ययन करना, उनकी आवश्यकताओं को पहचानने में उनकी मदद करना, उपलब्ध साधनों के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करना एवं सामुदायिक समस्या समाधान के लिए उन्हें उचित रास्ता दिखाने का कार्य कर्ता द्वारा एक वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन का केन्द्र बिन्दु समुदाय की आवश्यकता या समस्या ही होती है।

सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत समुदायों के विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, स्वयं सहायता समूह आदि। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत उक्त विषयों को लेकर न केवल समुदाय में जागरूकता उत्पन्न की जाती है बल्कि इनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्य किया जाता है। सामुदायिक संगठन की प्रणाली अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है। प्रायः यह देखा जाता है कि समुदाय, जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक आर्थिक विभेदों से ग्रसित रहते हैं। जिसके कारण समुदाय को संगठित कर पाना और उनका सहयोग प्राप्त कर पाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है।

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। इसकी आवश्यकता सभी प्रकार के समुदायों जैसे– गांव, शहर, कस्बा, मलिन बस्तियों आदि को है। समुदाय पहले से अधिक जटिल एवं समस्याग्रस्त हो रहे हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में इसी गति से आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समुदाय के लिए उच्च स्तर की सेवाओं तथा उनके प्रशासन के लिए विशिष्ट कला की आवश्यकता है। यद्यपि समाज कल्याण संस्थाओं में संख्यात्मक वृद्धि हो रही तथापि बढ़ते हुए विशेषीकरण के लिए उनमें परस्पर अधिक संगठन की आवश्यकता है। एकता व सहयोग में कमी समुदायों में समस्या का मुख्य कारण है। वर्तमान समय में समुदाय में कार्य करने के लिए विशेष ज्ञान एवं निपुणता की आवश्यकता है।

सामुदायिक संगठन में सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा समुदाय में आत्म विश्वास, आत्म निर्देशन व आत्म निर्भरता का विकास किया जाता है। वह समुदाय को अपना कार्यक्रम स्वयं बनाने, स्वयं निर्णय लेने तथा सहाकारिता के आधार पर संयुक्त सामुदायिक प्रयास करने में सहायता देता है। वह समुदाय के सदस्यों में ही नेतृत्व की भावना का विकास करता हैं न कि स्वयं सामुदायिक नेतृत्व ग्रहण करता है।

सामुदायिक संगठन में सेवार्थी समुदाय होता है, इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की इस प्रकार सहायता करना होता है कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो सके। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय के सदस्यों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करते हुए ही समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

12.3 सामाजिक संसाधन प्रबन्ध

समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय के सदस्यों को संगठनकर्ता द्वारा संसाधन के बारे में अवगत कराया जाता है। इन संसाधनों के माध्यम से ही समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है साथ ही समुदाय के सदस्यों की क्षमता इस प्रकार विकसित की जाती है कि भविष्य में इन संसाधनों का प्रयोग कर अपनी आवश्यकताओं या समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके।

सामान्य तौर पर संसाधन दो प्रकार के होते है–

- आंतरिक संसाधन
- बाह्य संसाधन

सामान्य रूप से किसी भी समुदाय की मूलभूत आवश्यकता/समस्या को दूर करने में संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इन संसाधनों में आंतरिक संसाधन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह आंतरिक संसाधन समुदाय में उपलब्ध होते है। जिससे समुदाय के सदस्य भली प्रकार से अवगत नहीं होते हैं। सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के सदस्यों की सहभागिता के माध्यम से समुदाय में ही स्थिति संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। यह प्रक्रिया सामुदायिक संगठनकर्ता के लिए आसान नहीं होती है परन्तु व्यावसायिक ज्ञान रखने वाले एक सुलभकर्ता के रूप में वह समुदाय के सदस्य के रूप में कार्य करता है। यह आंतरिक संसाधन समुदाय में अनेक रूपों में उपस्थित होते हैं। जिसका प्रयोग अलग–अलग आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

इसी प्रकार से समुदाय के बाहर भी कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनके माध्यम से समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये समस्त संसाधन समुदाय में न उपस्थित होकर बाहर पाए जाते हैं तथा यह बाह्य संसाधन होते है। जब समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताएं समुदाय में पाए जाने वाले संसाधनों से पूरी नहीं होती है तब ऐसी स्थिति में वे इन्हीं बाह्य संसाधनों का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

सामान्य तौर पर यह आंतरिक एवं बाह्य संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं जिससे समुदाय अपनी समस्याओं का निवारण करता है–

परिवार– परिवार का तात्पर्य किसी भी एक समूह से है जिसके सदस्य सेवाभाव से एक–दूसरे के साथ रहते हैं। संस्था के रूप में किसी भी समुदाय में परिवार का रूप लगभग एक समान ही है लेकिन आकार और संगठन के दृष्टिकोण से भिन्न–भिन्न समुदायों में इसका रूप भी एक दूसरे से भिन्न पाया जाता है। परिवार समुदाय का एक अभिन्न अंग होता है। परिवार भी समुदाय की समस्याओं को हल करने में एक मुख्य संसाधन के रूप में कार्य करता है। समुदाय के समस्त परिवारों के सदस्य एकजुट होकर कार्य करते हैं। जिसके फलस्वरूप आवश्यकता की पहचान व पूर्ति की जाती है।

विद्यालय– विद्यालय एक संसाधन के रूप में समुदाय की समस्याओं को हल करने में सहायक है। समुदाय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में विद्यालय एक केन्द्र बिन्दु के रूप में होता है। ग्रामीण या शहरी समुदाय में विद्यालय ही एक मात्र ऐसा संसाधन होता है जिसके सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रयोग समुदाय की विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने में किया जाता है। विद्यालय एक प्रमुख स्थल है जहां पर शिक्षा कार्य सुचारू रूप से संचालित होता है। शिक्षा के कार्य हेतु विद्यालय के प्रांगण का प्रयोग करने के साथ ही समुदाय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को विद्यालय में संचालित किया जा सकता है।

समितियां– समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताएं अनन्त होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय के सदस्य अनेक प्रकार के उपायों को अपनाते हैं। ये सदस्य निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित उद्देश्यों को लेकर सहयोग के आधार पर एक संगठन का निर्माण करते हैं और यही संगठन समिति कहलाता है। सामान्यतः किसी भी समिति की स्थापना पूर्व विचार के पश्चात् ही की जाती है तथा समुदाय के व्यक्ति ऐच्छिक रूप से सदस्यता प्राप्त करते है। समुदाय में उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्मित समिति अस्थायी होती है, जो उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात् स्वयं समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही ये समितियां नियमों पर आधारित होती हैं। समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए भी सभी को सामान्य नियमों का पालन आवश्यक होता है। इस प्रकार से समुदाय में विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति में समिति अपना अभिन्न योगदान देती है। यह समितियां धार्मिक या विकास संबंधी भी हो सकती है। समितियां समुदाय के सदस्यों को समस्या के समाधान के लिए एकजुट करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही समितियों द्वारा विकास कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है।

नगरीय स्थानीय स्वशासन– भारतीय संविधान के 74वें संशोधन 1993 में नगरीय स्थानीय स्वशासन में सुधार किया गया है। इसके प्रतिनिधि जनता द्वारा पांच वर्ष के लिए निर्वाचित होते है। इसके कार्य क्षेत्र में नगर नियोजन, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का नियोजन, जल स्वास्थ्य, स्वच्छता, नगर वानिकी, सार्वजनिक सुख–साधन आदि सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाता है।

पंचायती राज – भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार किया गया। जिसमें बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनी समिति ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया, जो निम्न है–

- **ग्राम पंचायत** – ग्राम पंचायत का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत में एक प्रधान होता है। 1000 की आबादी तक 9, 2000 की आबादी तक 11, 3000 की आबादी तक 13 तथा 3000 से अधिक आबादी तक 15 सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक एक माह में एक बैठक होना आवश्यक है। इसमें बैठक बुलाने का पूरा अधिकार ग्राम प्रधान का होता है, उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान भी बैठक बुला सकता है। ग्राम पंचायत कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, पेय जल,

यातायात व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार एवं मेले का आयोजन आदि कार्यों का सम्पादन करता है।

+ **क्षेत्र पंचायत** – क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव सीधे चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रति दो माह में एक बार होनी आवश्क है। क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा किए गए समस्त कार्यों में सहयोग करता है।

+ **जिला पंचायत** – प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक दो माह में एक बैठक का होना आवश्यक होता है। जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के कार्यों का पर्यवेक्षण, मूल्यांकन व सहयोग करता है।

स्वास्थ्य – स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं समुदाय में आंतरिक संसाधन के रूप में कार्य करती है। समुदाय में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र व स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ हेतु समुदाय के सदस्य एकजुट होकर कार्य करते है। जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती है। सामुदायिक संगठन के अंतर्गत समुदाय की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में स्वास्थ्य केन्द्र आंतरिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ पाने के लिए जनता द्वारा एक जुट होकर प्रयास किया जाता है। जिसमें बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला स्वास्थ्य, टीकाकरण आदि संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों पर सुविधाएं समुदाय का प्राप्त होती है।

सरकारी तंत्र – समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी तंत्र एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य ऐसी भी आवश्यकताएं या समस्याएं समुदाय में व्याप्त होती है, जिसकी पूर्ति समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से नहीं हो सकती है। विभिन्न विभाग जैसे समाज कल्याण विभाग, जल विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, सुरक्षा तंत्र आदि के सहयोग से समुदाय को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन विभागों के माध्यम से ही समुदाय की भिन्न–भिन्न समस्याओं का निदान होता है। जैसे– समुदाय में विधवा महिलाओं की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि सुविधाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। सरकारी तंत्र में कुछ विभागों में समुदाय के सदस्यों के लिए कई योजनाएं भी चलती है, जिनके माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सरकारी तंत्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, तालाब, नलकूप आदि की भी व्यवस्था करायी जाती है। इस तरह से समुदाय की समस्याओं का निदान सरकारी तंत्र द्वारा संसाधन के रूप में किया जाता है।

सम्प्रेशण – सम्प्रेषण किसी भी समुदाय में अपनी बात को पहुंचाने का सबसे सरल व प्रभावशाली पद्धति है। सम्प्रेषण द्वारा व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति या समुदाय को पहुंचाता है। समुदाय में अपनी बात को प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए समाचार पत्रिका, आई0ई0सी0 आदि सम्प्रेषण के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी समुदाय में अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं और सम्प्रेषण भी एक प्रमुख संसाधन के रूप में कार्य करता है।

12.4 सारांश

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में कार्यकर्ता द्वारा समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान कर समस्या के निवारण का प्रयास समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय में उपस्थित विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इन्हीं संसाधनों के उपयोग द्वारा ही समुदाय की आवश्यकताएं पूरी होती है तथा समुदाय के लोग भविष्य में विभिन्न संसाधनों की गतिशीलता के माध्यम से ही अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं।

12.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 1969।
- सिंह, ए0एन, सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2002।
- सूदन, कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन0एस0 पब्लिकेशन, लखनऊ, 2012।
- कटारिया, सुरेन्द्र, सामाजिक प्रशासन, आर0बी0एस0ए0 पब्लिशर्स, जयपुर, 2014।

12.6 बोध प्रश्न

टिप्पणी

1. अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन में सामाजिक संसाधन प्रबन्ध की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक संसाधन प्रबन्ध द्वारा समस्या निवारण किस प्रकार से किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. 12.2 12.3

2. 12.3

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

4

समुदायिक संगठन की राजनीतियाँ

इकाई 13
सामुदायिक संगठन कार्य की रणनीतियाँ 154

इकाई 14
सामुदायिक संगठन के अभिगम 167

इकाई 15
सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक नेटवर्क्स 183

इकाई 16
सामुदायिक संगठन की सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका 203

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो0 एम0पी0 दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ0 एम0 एन0 सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो0 ए0एन0 सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो0 एस0 त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो0 अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो0 ए0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

प्रो0 एन0 एन0 सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखक

डॉ0 अनूप भारतीय	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ0 अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो0 (डॉ0) जी0एस0 शुक्ल	:	कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खण्ड का परिचय

समुदायिक संगठन की राजनीतियाँ

इस खण्ड सामुदायिक संगठन की रणनितियों को कुल चार इकाइयों में बॉटा गया है। पहली इकाई सामुदायिक संगठन की रणनितियों पर आधारित है। इस इकाई में समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने की रणनीति, विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान, सामुदायिक संसाधनों को पता लगाने की रणनीति, प्रगतिशील कार्यक्रमों के निर्माण की रणनीति, सहभगिता की रणनीति आदि की व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की दूसरी इकाई सामुदायिक संगठन कं उपागम, अभिगम पर आधारित है इस इकाई में एम. जी. रॉस. द्वारा प्रस्तुत अभिगम, समाज कार्य अभिगम, दान अभिगम, राजनैतिक क्रियात्मक अभिगम, आदि की व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामुदायिक संगठन एवं नेटवर्किंग पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक नेटवर्किंग पर चर्चा की गयी है। इसमें नेटवर्क का परिचय, अवधारणा, विशेषता, उद्देश्य, लाभ, सिद्धाता, स्वरूप, नेटवर्क सस्थायें आदि की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इस खण्ड की चौथी इकाई सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता की भूमिका पर आधारित है। इस इकाई में सामुदायिक कार्यकर्ता की विशेषता, पथप्रदर्शक के रूप, सक्रियकर्ता, अधिवक्ता, शिक्षक, मध्यस्थकर्ता, प्रबन्धक आदि के रूप में कार्यकर्ता की भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी है।

इकाई–13 सामुदायिक संगठन कार्य की रणनीतियां

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सामुदायिक संगठन कार्य की रणनीतियों

13.2.1 समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने की रणनीति

13.2.2 विशिष्ट लक्ष्यों को पहचान की रणनीति

13.2.3 विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रूपरेखा तैयार करने की रणनीति

13.2.4 सामुदायिक संसाधनों का पता लगाने की रणनीति

13.2.5 प्रगतिशील कार्यक्रमों के निर्माण की रणनीति

13.2.6 सक्रिय सम्मिलन की रणनीति

13.2.7 अभ्यन्तर समूह के निर्माण की रणनीति

13.2.8 सामुदायिक सहभागिता की रणनीति

13.2.9 सामुदायिक विकास की रणनीति

13.2.10 सदस्यों को सामुदायिक प्रयासों में बनाये रखने की रणनीति

13.2.11 सहयोगी संस्थाओं को जानने व विरोधियों को पहचानने की रणनीति

13.2.12 क्रियाओं को सम्पादित करने की रणनीति

13.2.13 प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्णय को लागू करने की रणनीति

13.2.14 नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने की रणनीति

13.2.15 सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति

13.2.16 प्रभावी संचार की रणनीति

13.2.17 समुदाय को सशक्त बनाने की रणनीति

13.2.18 समुदाय के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों को बनाये रखने की रणनीति

13.2.19 समुदाय के सदस्यों में आत्म–निर्धारण तथा आत्म–निर्भरता उत्पन्न करने की रणनीति

13.2.20 सामुदायिक चेतना उत्पन्न करने की रणनीति

13.2.21 सामुदायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने व जवाबदेही की रणनीति

13.2.22 समुदाय के लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करने की रणनीति

13.2.23 आंकलन एवं मूल्यांकन की रणनीति

13.3 सारांश

13.4 शब्दावली

13.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन की रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। समुदाय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन–किन रणनीतियों के द्वारा एक सामुदायिक कार्यकर्ता लक्ष्य की प्राप्ति करता है, को इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने की रणनीति को, जान सकेंगे।
- लक्ष्यों निर्धारण करने की रणनीति को, समझ सकेंगे।
- प्रगतिशील कार्यक्रमों के निर्माण की रणनीति को, जान सकेंगे।
- सक्रिय सम्मिलन की रणनीति को जान सकेंगे।
- सामुदायिक विकास की रणनीति को, जान सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन, समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। सामुदायिक संगठन के द्वारा सामुदायिक समस्याओं का समाधान सामुदायिक हस्तक्षेप के साथ किया जाता है। एक प्रणाली के रूप में सामुदायिक सहभागिता के सहायता से किया जाता है। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित है और एक सिक्के के दो पहलू हैं। सामुदायिक संगठन समाज कार्य की अन्य विधियों समूह कार्य तथा वैयक्तिक कार्य को शामिल करता है। सामुदायिक संगठन में शक्ति संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि सामुदायिक संगठन अभ्यास के लिए वह शक्ति संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करे जिससे विकास के लिए लोगों को सशक्त किया जा सके।

सामुदायिक संगठन को समाज कार्य अभ्यास में एक समष्टि विधि के रूप में समझा जा सकता है जिसका उपयोग सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। समष्टि शब्द का प्रयोग से तात्पर्य यह है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा संख्या में लोग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ शामिल होते हैं। सामुदायिक संगठन समष्टि विधि हैं क्योंकि इसे समुदाय के स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर इत्यादि पर सफलतापूर्वक लागू किया जाता है।

सामुदायिक संगठन विधि में समुदाय सेवार्थी होता है। सामुदायिक संगठन सामुदायिक समस्याओं का समाधान करता तथा समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समुदाय के लोगों की सहायता करता है। सामुदायिकअ संगठन विधि से विभिन्न प्रकार की सामुदायिक स्तर की समस्याएं यथा सामाजिक अन्याय, निर्धनता, अपर्याप्त आवास, स्वास्थ्य में कमी, चिकित्सकीय सेवाओं में कमी, बेरोजगारी, प्रदूषण शोषण, बंधुआ व श्रमिक,

व्यवस्था, दहेज, भ्रूण हत्या, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार इत्यादि को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

सामुदायिक संगठन प्रणाली को प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है –

- आवश्कयताओं को पूर्ण करने में सहायता तथा आवश्यकताओं एवं समुदाय में उपलब्ध साधनों के मध्य समायोजन स्थापित करना।

- समुदाय की समस्या के समाधानके लिए प्रभावी रूप लोगों की सहायता करना जिससे कि वे निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर सदस्यों में सहभागिता के गुण को विकसित करना, आत्मनिर्दशन तथा सहयोग के लिए तैयार करना और विकास के समुचित अवसर प्रदान करना है।

- सामुदायिक तथा सामूहिक संबंधों में परिवर्तन तथा निर्णय की शक्ति के विक्रेन्द्रीकरण के परिवर्तन के लोगों को तैयार करना।

- समुदाय की उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना तथा सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए उसका प्रयोग करना।

इस प्रकार, सामुदायिक संगठन का मुख्य लक्ष्य सामुदायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं का पूर्ण करना है जिससे कि समुदाय में सामंजस्य स्थापित कर सके और एक संतोषजनक जीवन स्तर को प्राप्त कर सके।

13.2 सामुदायिक संगठन, कार्य की रणनीतियां

सामुदायिक संगठन की रणनीतियों को जानने से पूर्व रणनीति का अर्थ जानना आवश्यक है। 'रणनीति' से तात्पर्य योजना/नीति/अभिगम से है, जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित लक्ष्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।

रणनीति अथवा नीति उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक रूपरेखा अथवा कार्य योजना है अथवा एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा एक समुदाय सामुदायिक शक्तियों का प्रयोग, सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में करता है। दूसरे शब्दों में रणनीति एक नियोजित श्रृंखला और क्रिया है जिसके द्वारा स्पष्ट तथा निर्धारित लक्ष्य अथवा उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।

सामुदायिक संगठन रणनीतियों का प्रयोग सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है जिसके लक्ष्य अथवा उद्देश्य पूर्ण निर्धारित होते हैं, और जिसका उद्देश्य समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

निर्धारित लक्ष्य व विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रणनीति का चयन किया जाये इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय के सदस्यों के मध्य मुद्दों के विषय में पूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराया जाये तथा सभी मुद्दों पर समुदाय के सदस्य एकमत हों। क्योंकि मुद्दों से सम्बन्धित अनेक प्रकार के अवरोध सामने आते हैं जिससे कि परिवर्तन के तैयार समुदाय के सदस्य असमंजस में रहते हैं। एक उचित रणनीति के द्वारा इन अवरोधों को दूर करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सरल हो जाती है।

सामुदायिक संगठन के लक्ष्य व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में निम्नलिखित रणनीतियों को प्रयोग में लाता है जिससे कि सामुदायिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

13.2.1 समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने की रणनीति

सामुदायिक संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य समुदाय की स्थिति का अध्ययन करना है। सामुदायिक कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ उनके कल्याण कार्य के लिए उनकी वर्तमान स्थितियों तथा उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानना चाहिए। साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी समस्याओं के विषय में चेतना और समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक कल्याण एवं विकास कार्य में लगी विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। समुदाय की स्थिति का अध्ययन करने में कार्यकर्ता न केवल विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी संस्थाओं का पता लगाता है बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी जानने का प्रयास करता है कि ये सेवायें किन लोगों को और किस प्रकार से प्रदान की जा रही हैं। इन सूचनाओं के ज्ञान से तथा समुदाय की स्थिति के अध्ययन से समुदाय के उद्देश्यों के निर्धारण तथा कार्यक्रम योजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त समुदाय के ऐसे सदस्य जो कि संगठित प्रयासों के साथ कार्य करने के इच्छुक होते हैं, की सहमति से मुद्दों की पहचान होती है तथा मुद्दों के चयन के लिए प्रत्येक सदस्य की सहमति प्राप्त होती है।

13.2.2 विशिष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करने की रणनीति

सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समुदाय की उन्नति के लिए किये जाने वाले सभी संगठित प्रयासों अथवा अभियानों के निर्धारित लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी वे कार्यों को किस प्रकार से सम्पादित करेंगे। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अल्पकालिक माध्यमिक तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों का भी निर्धारण किया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि उसमें तारतम्यता हो।

सभी अभियानों में मुख्यतः दो प्रकार के लक्ष्य होते हैं यथा बाह्य लक्ष्य और आन्तरिक लक्ष्य। बाह्य लक्ष्यों में लोक लक्ष्य अर्थात् लोग परिवर्तन के लिए क्या चाहते हैं जबकि आन्तरिक लक्ष्य संगठनात्मक लक्ष्य होते हैं जो कि उद्देश्यों को निर्धारण के आधार निर्मित करते हैं अर्थात् किस प्रकार से संगठन को निर्माण किया जाये और उसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाए।

लक्ष्यों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही समय पर एक अथवा दो से अधिक न हो। अल्पकालीन लक्ष्य का उद्देश्य माध्यमिक लक्ष्यों को आधार प्रदान करना तथा माध्यमिक लक्ष्य का उद्देश्य दीर्घकालीन लक्ष्यों को आधार प्रदान करना होना चाहिए तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समय–सीमा को विकसित किया जाना चाहिए।

13.2.3 विशिष्ट लक्ष्य प्राप्ति हेतु रूपरेखा तैयार करने की रणनीति

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामान्य योजना क्या होगी। इसके लिए आवश्यक है कि एक उपयुक्त रूपरेखा बनाई जाए एवं उचित उपकरणों की पहचान की जाए। एक बार सामुदायिक लक्ष्यों का निर्धारण हो जाने के पश्चात् लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त रणनीतियों का विकास किया जाता है –

- विशेष रूप से अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है?
- लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्तमान समय में कौन–कौन से संसाधन उपलब्ध है?
- लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन लोगों की सहायता की जायेगी और उसके प्रयास क्या होंगे?
- ऐसे कौन से लोग तथा संस्थाएं होंगी जो कि इस बात का निर्धारण करेंगे कि निष्कर्ष क्या रहे हैं?
- निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु कौन–कौन से क्रियात्मक चरणों को उपयोग में लाया गया है।

13.2.4 सामुदायिक संसाधनों को पता लगाने की रणनीति

किसी भी समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अथवा समस्या की समाधान करने हेतु सामुदायिक संसाधन की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। समुदाय में सदस्यों की अज्ञानता के कारण तथा सामाजिक, आर्थिक उत्तरदायित्व एवं विशेषज्ञों की सलाह के अभाव में समुदाय के सदस्य संसाधनों को पहचान नहीं पाते हैं। इसके लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह एक विशेषज्ञ या सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए समुदाय अथवा समुदाय के आस–पास विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लोग जान सके। जिससे कि समयानुसार अपनी अनुभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग यथासंभव किया जा सके। इससे उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्त मात्रा एवं आवश्यक दिशा में सही उपयोग हो सकता है।

13.2.5 प्रगतिशील कार्यक्रमों के निर्धारण की रणनीति

प्रगतिशील कार्यक्रम की रणनीति द्वारा सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में समुदाय के सदस्यों की सहायता की जाती है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यक्रमों को निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उसे सभी द्वारा स्वीकार किया जाये तथा कार्यक्रम को लागू करते समय सभी लोगों को सहभागिता हो। कार्यक्रमों का निर्माण समुदाय के सदस्यों की आवश्यकता तथा उनकी रूचियों के अनुसार किये जाने चाहिए। कार्यक्रम का निर्माण करते समय यदि आवश्यक हो तो समुदाय के सदस्यों के अनुभवों को शामिल करना चाहिए तथा सदस्यों को अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिससे कि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें लचीलेपन का गुण हो जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके और सदस्यों को अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्राप्त हो।

13.2.6 सक्रिय सम्मिलन की रणनीति

संगठित प्रयासों में लोग, केन्द्र बिन्दु होते हैं। लोगों को संगठित प्रयासों में शामिल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन से लोग पूरी सहभागिता एवं तन्मयता के साथ प्रयासों को पूरा करने में सहायता करने तथा इन लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जायेगा। लोगों को संगठित प्रयासों में शामिल करने एवं प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए–

- मुद्दों तथा अभियान से सम्बन्धित साहित्य को एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध कराना जिससे कि वे अभियान अथवा लक्ष्य के विषय में जान सके और बातचीत के द्वारा समझ सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि इस क्रिया को सम्पादित करने के लिए लोगों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

- मुद्दों तथा अभियान के विषय से सम्बन्धित साहित्य को लोगों में उनके स्थान पर वितरित कर दिया जाये तथा उसके विषय में उनको विस्तार से बताया जाए।

- सामुदायिक मुद्दों अथवा अभियान के विषय में लोगों को जागरूक करने अथवा स्पष्ट करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यों खेलकूद कार्यक्रमों, अन्य सामुदायिके स्थलों पर बताना चाहिए जिसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए।

- सामुदायिक मुद्दों अथवा अभियानों के विषय में लोगों का क्या मत है, के सम्बन्ध में लोगों के दृष्टिकोणों भावनाओं, इत्यादि का सर्वेक्षण के द्वारा पता लगा लेना चाहिए।

- सामुदायिक मुद्दों अथवा अभियान के विषय में अभिमत प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लोगों के घर जाकर बताया जाए। यदि किसी के द्वारा सहयोग अथवा अभिमत नहीं दिया जाता है तो इससे परेशान अभिमत नहीं दिया जाता है तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए। तथा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुनः इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये।

13.2.7 अभ्यन्तर समूह के निर्माण की रणनीति

सामुदायिक क्रियाओं को संगठित एवं संचालित करने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसे अभ्यन्तर समूह का सम्मिलित किया जाए जो समुदाय की स्थिति को बेहतर व उन्नत करने में अपना पूर्ण सहयोग दे सके। दूसरे शब्दों में जो लोग अभ्यन्तर समूह में सम्मिलित किये जाए उनमें समुदाय की बेहतरी के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

13.2.8 सामुदायिक सहभागिता की रणनीति

सामुदायिक सहभागिता को सामान्य शब्दों में समुदाय के लोगों की सहभागिता के द्वारा अपनी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामुदायिक जीवन को उन्नत करने में सहभागिता के लिए लोगों पर दबाव नहीं डाला जा सकता है बल्कि जहां तक सम्भव हो उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। यह प्रजातन्त्र का एक मूलभूत सिद्धान्त है तथा एक मुख्य मानवाधिकार है।

सामुदायिक सहभागिता एक रणनीति है जिसके द्वारा कार्यकर्ता/नियोजनकर्ता उचित एवं प्रभावी रूप से समस्या के विषय में लोगों को अवगत कराता है। सामुदायिक

सहभागिता की प्रक्रिया में प्राप्त होता है। सामुदायिक सदस्यों को अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त होता है कि सामुदायिक समस्या के कारणों का पता लगाने तथा सक्रिय रूप से समस्या की समाधान हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने, उसे लागू करने तथा उसका मूल्यांकन कर सके। सामुदायिक सहभागिता की प्रक्रिया में निम्नलिखित क्रियाओं का सम्पादन किया जाता है :–

- आवश्यकताओं का आंकलन
- नियोजन
- संघटित करना
- प्रशिक्षण
- लागू करना
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

13.2.9 सामुदायिक विकास की रणनीति

सामुदायिक विकास एक ऐसी रणनीति है जो आत्म सहायता व सहयोग के सिद्धान्तों पर आधारित है। सामुदायिक विकास के द्वारा समुदाय के सदस्यों का स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता है तथा, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति पर बल दिया जाता है। सामुदायिक विकास के द्वारा किसी समुदाय को अपने आप करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा भौतिक एवं आध्यत्मिक रूप से सामुदायिक जीवन के समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अतः कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास के द्वारा आवश्यकताग्रस्त लोगों की समुदाय में विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

13.2.10 सदस्यों को सामुदायिक प्रयासों में बनाए रखने की रणनीति

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामुदायिक प्रयासों में सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता का होना आवश्यक है। जिसके लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जाना आवश्यक है :–

- सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता अनवरत् बनी रहे। इसके लिए उनसे लगातार मिलते रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आमने–सामने के सम्बन्ध हमेशा बने रहें।
- सामुदायिक प्रयासों में नये सदस्यों को शामिल करते समय अन्य सदस्यों से उनका परिचय कराया जाना चाहिए।
- लोगों के द्वारा कई चीजों को न पसन्द किया जाता है। ऐसी स्थिति में अच्छा यह कि लक्ष्य केन्द्रित कार्य किया जाये।

- लक्ष्य प्राप्ति हेतु सामूहिक/सामुदायिक कार्य पद्धति पर बल दिया जाना चाहिए न कि अकेले कार्य करने पर।

- सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि निर्णयन प्रक्रिया में सभी लोगों की सहभागिता कि निर्णयन प्रक्रिया में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा निर्णय पर सभी की सहमति प्राप्त कर ली जाए। निर्णय को अन्तिम रूप देने से पूर्व लोगों के द्वारा दिये जाने वाले विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया लम्बी होती है तो वोटिंग के माध्यम से निर्णय लिया जाना चाहिए। सामुदायिक सदस्यों को इस बात का एहसास कराया जाना चाहिए। कि उनके विचारों को शामिल किया गया तथा उनकी सहभागिता उद्देश्यपूर्ण रही।

13.2.11 सहयोगी संस्थाओं को जानने तथा विरोधियों को पहचानने की रणपनीति

सामुदायिक प्रयासों को सहायता लक्ष्यों अथवा देने की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि कौन–कौन से लोग संस्थाएं/संगठन सहयोगी हो सकते हैं तथा इनसे किस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

सामुदायिक प्रयासों को असफल करने अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावट उत्पन्न करने में अनेक तत्व लगातार प्रयास करते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिरोध करने वाले लोगों की पहचान की जाये तथा उनसे निपटने के लिए कौन से प्रयास किए जाए।

13.2.12 क्रियाओं को सम्पादित करने की रणनीति

सामुदायिक क्रियाएं निश्चित एवं विशिष्ट होनी चाहिए अर्थात् सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन–किन लोगों से सम्पर्क किया जायेगा किन–किन लोगों से सहायता ली जायेगी, कैसे लाभकारी की जायेगी, इत्यादि।

13.2.13 प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्णय को लागू करने की रणनीति

सामुदायिक कार्य की सफलता समुदाय के सदस्यों के सहयोग एवं निर्णय ही संभव है। इसलिए सामुदायिक कार्य के प्रत्येक निर्धारित चरण में लोगों के विचार, भावनाओं को जानना, उनका आदर करना तथा निर्विवाद निर्णय लेना अत्यन्त आवश्यक है। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर निर्विवाद निर्णय लेना सरल होता है।

13.2.14 नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करने की रणनीति

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों को होना। पर्याप्त नहीं जब तक कि एक प्रभावशाली नेतृत्व न हो। आवश्यक है कि समुदाय से ही कोई नेतृत्व का उत्तरदायित्व स्वीकृत करे। यह सम्भव है कि समुदाय के बाहर को कोई व्यक्ति आवश्यकता की चेतना उत्पन्न करे या उत्तेजित करे परन्तु नेतृत्व का अन्तिम उत्तरदायित्व समुदाय के अन्दर ही किसी व्यक्ति/सदस्य को लेना होगा। अतः एक ऐसे प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास करना चाहिए। जिसके अधीन समुदाय कार्य कर सके। निर्णय करने, सामुदायिक

क्रियाओं को निर्देशित करने और समुदाय के आन्तरिक संगठन और बाहरी सम्बन्धों के विषय में विचार प्रकट करने के लिए सामुदायिक नेतृत्व का होना आवश्यक है।

13.2.15 सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति

समुदाय में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैण्डरसन एवं पॉलसन ने बताया है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। 1. दल सदस्यता की भावना, 2. उत्साह और 3. प्रतीक। दल सदस्यता की भावना का अर्थ है सामुदायिक भावना तथा उत्साह का अर्थ है सामान्य इच्छा। समुदाय का उत्साह उसके उद्देश्यों की स्थिरता और उसकी अपनी स्थिरता है। यह उत्साह दल सदस्यता की भावना के उत्साह से अधिक शक्तिशाली है। इसका आधार विश्वास और ज्ञान पर है और सामुदायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

प्रतीक का अर्थ यह है कि समुदाय में विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते हैं जो सामाजिक नियंत्रण करने में सहायता देते हैं। समुदाय के प्रतीक समुदाय के सदस्यों में आत्मीयता और एकता की भावना उत्पन्न करते है और समुदाय के उद्देश्यों की याद दिलाते और उन्हें प्राप्त करने का सम्प्रेरणा उत्पन्न करते हैं।

13.2.16 प्रभावी संचार की रणनीति

संचार किसी भी संगठन अथवा समुदाय के लक्ष्यों को प्राप्त करने अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। संचार को 'जीवन रेखा' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि एक कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों के मध्य उचित संचार व्यवस्था को स्थापित करे। जिससे कि सभी प्रकार की सूचनायें निश्चित समय पर एवं सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। संचार की प्रभावशीलता इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सही सूचनायें लोगों तक नहीं पहुंचती है तो सदस्यों के बीच असंतोष उत्पन्न हो जाता है तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में असहयोग प्राप्त हो सकता है।

13.2.17 समुदाय को सशक्त बनाने की रणनीति

सामुदायिक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह समुदाय को सशक्त बनाने के लिए उन सभी प्रयासों को अथवा तरीकों को अपनाये जिससे कि समुदाय अपनी अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय के सदस्यों में सहभागिता, चेतना, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि, सहयोग, समन्वय इत्यादि की भावना का विकसित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान की जाये।

13.2.18 समुदाय के सदस्यों के मध्य सम्बन्धों को बनाये रखने की रणनीति

समाज कार्य इस तथ्य में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के अनेक कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त एक समुदाय में विभिन्न धर्म, जाति, प्रजाति, वर्ग तथा विचारों वाले व्यक्ति रहते हैं। इन सभी के मध्य सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखना अत्यधिक कठिन कार्य होता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह उचित रणनीति बनाते हुए सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समुदाय सदस्यों के मध्य सम्बन्धों में सामंजस्य बनाये रखे।

13.2.19 समुदाय के सदस्यों में आत्मनिर्धारण एवं आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने की रणनीति

सामुदायिक कार्यकर्ता का यह उत्तरदायित्व है कि समुदाय को इस बात के लिए प्रेरित करे कि समुदाय के लक्ष्यों का निर्धारण समुदाय के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाये। जिससे कि उनमें आत्मनिर्धारण की योग्यता विकसित हो सके तथा सदस्यों को इस प्रकार से सहायता प्रदान की जाये जिससे कि वे आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए उचित रणनीति का अपनाया जाना आवश्यक है।

13.2.20 सामुदायिक चेतना उत्पन्न करने की रणनीति

समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं का पता लगाने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक है कि एक कार्यकर्ता समुदाय में जन चेतना उत्पन्न करे। जिससे कि समुदाय के सभी सदस्य जागरूक हो सके और अपने अधिकारों तथा उद्देश्यों की पूर्ति में अपना सम्पूर्ण योगदान दे सके।

13.2.21 सामुदायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने तथा जवाबदेही की रणनीति

सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर कार्यकर्ता को चाहिए की वह पारदर्शिता को बनाये रखे। किसी भी प्रक्रिया में यदि पारदर्शिता बनी रहती है तो लोगों में विश्वास होता है कि जो भी कार्यों का निर्धारण किया गया है वह स्पष्ट एवं सरल हैं तथा उसमें किसी भी प्रकार की सूचनाओं को छिपाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह समुदाय के सदस्यों में जवाबदेही की भावना को विकसित करे। जिसका परिणाम यह होगा कि निर्धारित लक्ष्य निश्चित समय–सीमा पर पूरे किये जा सकेंगे और लोगों में आम सहमति बनी रहेगी तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया पर संदेह नहीं रहेगा।

13.2.22 समुदाय के लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार रहने की रणनीति

सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समुदाय में स्थापित व्यवस्थाओं तथा संरचनाओं में परिवर्तन आता है इसके लिए जरूरी है कि समुदाय के सभी सदस्य परिवर्तन के लिए तैयार हो जायें। समुदाय में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक स्तर के लोग होते हैं। उनके विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। सामुदायिक संगठन के कार्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिए है, न ही व्यक्ति विशेष के प्रयास से इसके लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। बल्कि समुदाय के संपूर्ण व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों के द्वारा संभव है इसलिए सामुदायिक कार्य की वास्तविक सफलता समुदाय के सदस्यों पर निर्भर करती है। अतः आवश्यक है कि समुदाय के सभी सदस्य एकमत से परिवर्तन के लिए तैयार रहे और अपना संपूर्ण योगदान दे।

13.2.23 आंकलन एवं मूल्यांकन की रणनीति

सामुदायिक प्रयासों को सफल बनाने अथवा उसमें सुधार लाने हेतु यह आवश्यक है कि सामुदायिक सदस्यों द्वारा कौन–कौन से कार्य किए गए तथा उसके द्वारा किन–किन उद्देश्यों की प्राप्ति की गई। किन–किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई और कोई मूल्यांकन के द्वारा इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक प्रयासों में

शामिल था अथवा नहीं। निर्धारित किए लक्ष्यों के द्वारा क्या समुदाय की स्थिति में सुधार आया? लक्ष्य प्राप्ति में अपनाई गइ रणनीतियां, उपकरण, विधियां उपयुक्त थी या अनुपयुक्त। किन–किन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। कौन से लोगों ने संस्थाओं/संगठनों ने सहायता दी? तथा किन–किन चुनौतियों का सामना किया गया?

13.3 सारांश

सामुदायिक संगठन रणनीति का मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इन रणनीतियों का प्रयोग समुदाय संगठन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने अनुभव, ज्ञान एवं कौशल के आधार पर उचित रणनीतियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में समुदाय के सदस्यों की सहायता करता है। जिससे कि समुदाय अपनी अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके अथवा सामुदायिक समस्याओं का समाधान कर सके।

13.4 शब्दावली

नेतृत्व क्षमता — सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि समुदाय के सदस्यों के मध्य से ही किसी का चयन करते हुए उसमें नेतृत्व क्षमता को विकसित करे तथा चयनित नेतृत्वकर्ता सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार्य हो। कार्यकर्ता को चाहिए कि वह नेतृत्व क्षमता के अवसर सभी सदस्यों को प्रदान करे।

सामुदायिक संसाधन — सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सी ऐसी सामुदायिक समस्या होती हैं जिससे सम्बन्धित संसाधनों के विषय में सदस्यों अज्ञान रहते हैं तथा संसाधन का पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सामुदायिक संसाधनों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है।

सामुदायिक चेतना — अधिकतर समुदाय में सामुदायिक समस्यायें लोगों की अचेतना के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि समुदाय के सदस्य समय तथा स्थिति के अनुरूप जागरूक रहें तो वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। सामुदायिक कार्यकर्ता उचित रणनीतियों के द्वारा समुदाय के सदस्यों में उद्देश्य प्राप्ति के लिए सामुदायिक चेतना को उत्पन्न करता है।

सामाजिक नियंत्रण — समुदाय में सामाजिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समुदाय के नियमों एवं कानूनों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

13.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- खिन्डूका एस.के., सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1995।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक संगठन की रणनीतियों से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. सामुदायिक सहभागिता की रणनीति का स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. प्रभावी संचार की रणनीति को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

4. पारदर्शिता तथा जवाबदेही के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर निर्णय को लागू करने की रणनीति को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

13.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 13.2 देखे।
2. उपभाग 13.2.8 देखें।
3. उपभाग 13.2.16 देखे।
4. उपभाग 13.2.21 देखे।
5. उपभाग 13.2.13 देखे।

इकाई–14 सामुदायिक संगठन के अभिगम

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 सामुदायिक संगठन के अभिगम

14.2.1 एम0जी0रॉस द्वारा प्रस्तुत अभिगम

14.2.1.1 सुधार अभिमुखीकरण अभिगम

14.2.1.2 नियोजन अभिमुखीकरण अभिगम

14.2.1.3 प्रक्रिया अभिमुखीकरण अभिगम

14.2.2 सामुदायिक संगठन के अन्य अभिगम

14.2.2.1 समाज कार्य अभिगम

14.2.2.2 दान आधारित अभिगम

14.2.2.3 राजनैतिक क्रियात्मक अभिगम

14.2.2.4 व्यवस्था परिवर्तन अभिगम

142.2.5 संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम

14.2.2.6 आवश्यकता आधारित अभिगम

14.2.2.7 अधिकार आधारित अभिगम

14.2 सारांश

14.3 शब्दावली

14.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.5 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामुदायिक संगठन के अभिगमों विशेषकर एम0जी0 रॉस द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिगम तथा अन्य वे अभिगम जो कि सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक

कार्यकर्ता को मार्ग प्रस्तुत करते हैं जिससे कि वे समुदाय की समस्याओं के समाधान में समुदाय के सदस्यों की सहायता कर सके। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- एम0जी0 रॉस द्वारा प्रस्तुत अभिगमों विशेषकर सुधार अभिमुखी अभिगम, नियोजन अभिगम, प्रक्रिया अभिगम को जान सकेगें।
- सामुदायिक संगठन के समाज कार्य अभिगम को समझ सकेगें।
- व्यवस्था परिवर्तन अभिगम, को जान सकेगें।
- राजनैतिक क्रियात्मक अभिगम को, समझ सकेगें।
- आवश्यकता आधारित अभिगम को, जान सकेगें।
- अधिकार आधारित अभिगम के उद्देश्य को जान सकेगें।
- दान आधारित अभिगम को, समझ सकेगें।
- संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम को, जान सकेगें।

14.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन को सरल शब्दों में 'सामुदायिक कार्यकर्ता क्या करेगा' के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामुदायिक कार्यकर्ता विभिन्न अभिगमों का प्रयोग करता है। ये अभिगम यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्य करते हैं कि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता से बेहतर है और उसका कार्यशैली दूसरे से भिन्न है बल्कि यह व्यक्त करता है कि एक कार्यकर्ता इन अभिगमों को कितने प्रभावशाली तरीके से उपयोग में लाता है। ये अभिगम साधारणतया यह स्पष्ट करते है कि समुदाय में कार्य करने के विभिन्न मार्ग हैं, क्योंकि प्रत्येक अभिगम की अपनी विधियां होती है, अपना दर्शन होता है, अपने मूल्य होते हैं तथा उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अलग होते हैं। यथा यदि व्यक्ति के साथ कार्य किया जाए तो एक वैयक्तिक कार्यकर्ता विभिन्न मनोचिकित्सा अथवा मनोविश्लेषण को अपनाता है। जिसकी विधियां, मूल्य व दर्शन अलग–अलग होते हैं। जिसके आधार पर अभिगमों के मध्य अन्तर स्थापित किया जा सकता है। यदि अभिगमों का दर्शन हो उनके मूल्य व मान्यताएं एक हो, अथवा उनके प्रयोग के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष एक हो तो व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसी प्रकार समुदाय के साथ विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हुए कार्य किया जाता है। अतः सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयोग में लाए जाने वाले अभिगमों की स्थिति विशेष लागू करे और सामुदायिक समस्याओं के समाधान में समुदाय के सदस्यों सामुदायिक समस्याओं के समाधान में समुदाय के सदस्यों की सहायता करे।

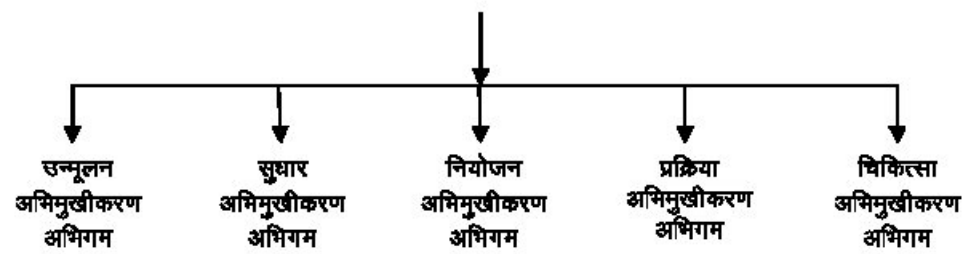
14.2 सामाजिक संगठन के अभिगम

सामुदायिक संगठन के अभिगमों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम एम0जी0 रॉस द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिगम, द्वितीय अन्य अभिगम। सामुदायिक संगठन के अभिगमों का वर्णन निम्नवत् किया है।

14.2.1 एम0जी0रॉस द्वारा प्रस्तुत अभिगम

एम0जी0 रॉस ने अपनी पुस्तक 'केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन' में सामुदायिक संगठन के पांच अभिगमों का उल्लेख किया है। यह आवश्यक नहीं है कि सामुदायिक संगठन के पांच अभिगम हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। इन अभिगमों के अपने विशिष्ट मूल्य हैं, दर्शन है तथा परिणाम हैं। एम0जी0 रॉस द्वारा बताए गए पांच अभिगमों को नीचे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है–

सामुदायिक संगठन के अभिगम



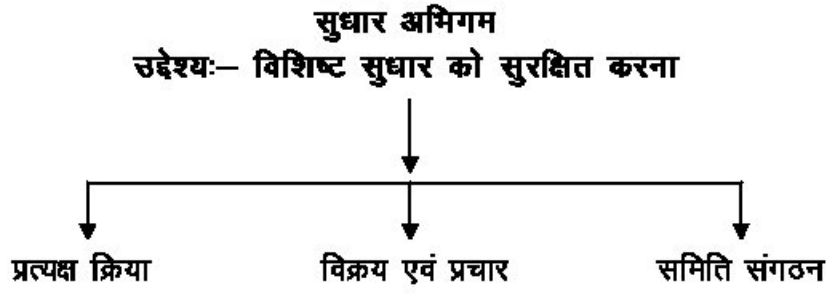
सामुदायिक संगठन के तीन अभिगम, समुदाय में कार्य करने के विभिन्न मार्गो के बारे में बताते हैं। प्रत्येक अभिगम का अपना एक दर्शन. मूल्य एवं परिणाम है। ऐसा नहीं है कि इन तीन अभिगमों की महत्ता अधिक है। सामदुायिक संगठन के अन्य अभिगम भी हो सकते हैं। सामुदायिक संगठन के तीन अभिगमों का वर्णन इस प्रकार है :–

- सुधार अभिमुखीकरण अभिगम
- नियोजन अभिमुखीकरण अभिगम
- प्रक्रिया अभिमुखीकरण अभिगम

14.2.1.1 सुधार अभिमुखीकरण अभिगम

इस अभिगम में सामान्यतः एक लघु समूह या कभी–कभी एक व्यक्ति ऐसी क्रिया करता है जो विशिष्ट रूप से सुधारवादी हो तथा समुदाय के लिए ऐच्छिक एवं लाभदायक हो। यह सुधार कई प्रकार का हो सकता है जैसे दण्ड संहिता में कोई बदलाव लाना या विधवा माताओं के भत्ते को बढ़ाना आदि अथवा कोई परियोजना जैसे नये मनोरंजन केन्द्र की स्थापना, नया विवाह, परामर्श केन्द्र या बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी नया कार्यक्रम आदि। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुधार या परियोजना समूह का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।

समूह को अपने सुधार कार्य या परियोजना की गुणवत्ता के संबंध में आश्वस्त होना चाहिए एवं इससे संबंधित उनके कार्य का प्रमुख केन्द्र क्रिया का ऐसा प्रकार होना चाहिए जो इस सुधार या परियोजना की सुरक्षा कर सके। जब समूह का मत निर्माण हो चुका हो, उन्हें अपने कार्य के परिणाम का आभास हो तथा लक्ष्य स्पष्ट हो। तब समूह स्वयं को कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करके समुदाय से मिलता है। सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई आवश्यकताओं को खोजना या कार्यनीति में कोई बदलाव को न लाते हुए पूर्व निर्धारित क्रिया के लिए समर्थन एकत्र किया जाता है। इस अभिगम में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत से चरण होते हैं। जो भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। किन्तु मुख्यतः इसके अन्तर्गत निम्न विधियां आती हैं :–



कुछ परिस्थितियों में, संबंधित समूह द्वारा प्रयास क्रिया संभव होती है। संभव है कि समूह द्वारा कुछ विधानों के लागू होने में शिथिलता की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाये या समूह में पर्याप्त अधिकार, प्रस्थिति एवं शक्ति हो सकते हैं जिससे वह दबाव द्वारा या सुधारवादी क्रिया या परियोजना द्वारा अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों को सुरक्षित कर सकता है। उदाहरण के लिए समूह स्वयं धन एकत्रित कर सकता है और अविवाहित माताओं के लिए नये घर का निर्माण करे। अतः कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष क्रिया एक उपयुक्त विधि हो सकती है।

किन्तु अपने लक्ष्यों को सुरक्षित रखने की समस्या अधिक जटिल हो सकती है। ऐसा संभव है कि समुदाय के अन्य व्यक्ति एवं समूह या तो समूह के प्रस्ताव के प्रति उदासीन हो या इसका विरोध करें। ऐसी स्थिति में सफल क्रिया को करने के लिए समूह द्वारा समुदाय में पर्याप्त समर्थन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहां निम्न दो विधियों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। विक्रय विधि में समूह समुदाय को 'बेचने' का प्रयास करता है तथा समुदाय के उदासीन लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है या दबाव बनाकर विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। प्रस्ताव के लिए सोचे गये बहस के बिन्दुओं को भाषण, समूह चर्चा, समाचार पत्रों के कालमों, विज्ञापन इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव के मजबूत पक्षों को बढ़ाते हुए प्रस्ताव में उपस्थित कमियों को दूर करने पर विस्तृत चर्चा की जाती है। जिससे सुधार एवं समाज को बेहतर प्रकार से समुदाय एवं समाज को बेहतर प्रकार से समदुाय एवं समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने में सुगमता होती है। बहुधा यह शैक्षिक अभिगम सुधार अभिगम का आवश्यक पक्ष होता है।

सुधार अभिगम के अन्तर्गत अन्य प्रणाली एक वृहद् समिति या सम्मेलन समूह का संगठन है जो सुधार संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करता है। यहां यह बताना उचित होगा कि इस समिति या सम्मेलन को प्रस्ताव निर्माण हेतु नहीं बुलाना चाहिए, वरन् वास्तविक समूह द्वारा पूर्व में प्रस्ताव निर्माण करने के उपरान्त उस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए बुलाना

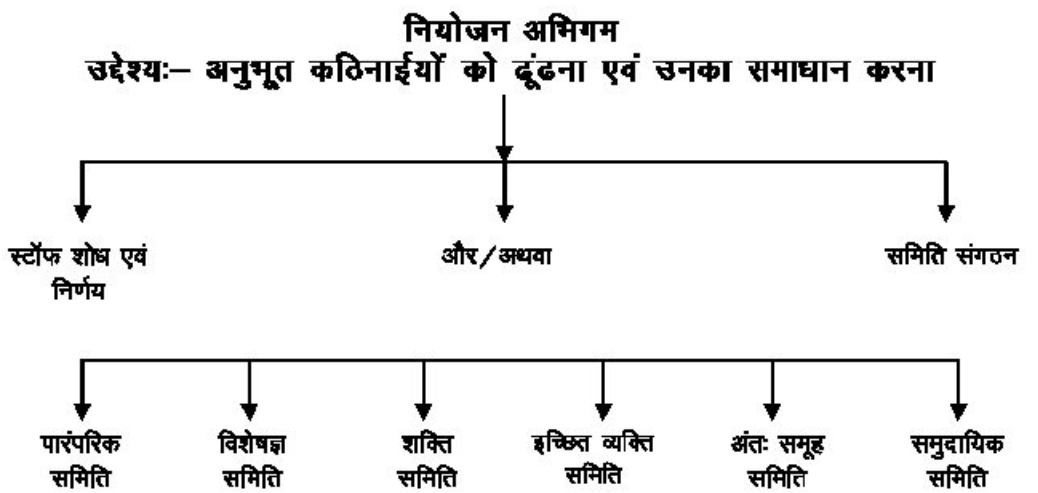
चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे समय में समदुाय के अन्दर आवश्यकताओं का अन्वेषण अथवा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के सुधार अथवा समस्या के अन्य पक्ष उत्पन्न होंगे, किन्तु समित या सम्मेलन का संगठन किसी अन्य समाधान का विकास करने के लिए न होकर समुदाय द्वारा पूर्व में निश्चित किये गये समाधान का समर्थन करने के लिए किया जाता है। समिति संगठन या सम्मेलन आयोजित करने का वास्तविक उद्देश्य प्रस्तुत समाधान के क्रियान्वयन में सहायता करना होता है।

14.2.1.2 नियोजन अभिमुखीकरण अभिगम

इस अभिगम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कठिन समझे जाने वाले वाले मुद्दे, समाज के प्रति चिंता या ऐसी समस्या जिसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता हो, इत्यादि को आधार बनाकर समुदाय में कार्य प्रारंभ करता है। ऐसी चिंता विशिष्ट प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ परिवारों में वित्तीय संकट, अथवा सामान्य प्रकार की भी हो सकती है जैसे समुदाय के लिए आवश्यक कल्याण सेवाओं में बेहतर तालमेल। सामान्यतः ऐसी चिन्ता समुदाय में उपस्थित संस्था जैसे कल्याण समिति द्वारा की जाती है, अथवा समुदाय की समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति का भी गठन किया जा सकता है।

किन्तु स्थिति कैसी भी हो, प्रारंभिक अवस्था में 'अन्वेषण करना' ही मुख्य उद्देश्य होता है। सुधार अभिगम की भांति इसमें किसी एक निश्चित समाधान के प्रति गतिशील न होकर समुदाय की कठिनाईयों की प्रकृति को खोजने एवं इसके समाधान के साधनों का नियोजन करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार, नियोजन अभिगम का आरंभिक अभिमुखीकरण सुधार अभिगम से बहुत भिन्न होता है।

निश्चित रूप से, नियोजन करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। चयनित प्रणाली से मुख्य उद्देश्य अथवा कम से कम उप–लक्ष्यों की जानकारी तो मिल ही जाती है। नियोजित करने के लिए गठित कार्यकारी समिति के विभिन्न प्रकार लक्ष्य अभिमुखीकरण में आने वाली असमानताओं को भी बाताते हैं। यद्यपि, इन असमानताओं को अन्य साधनों द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे व्यावसायिक कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण में समस्या, समुदाय में अल्पसंख्यक मतो से निपटने में असमानताएं, या समुदाय में संचार माध्यम के प्रयोग में असमानताएं इत्यादि।



नियोजन का कार्य समूहों या किसी समिति को सौंपा जा सकता है, यद्यपि बहुधा आधारभूत शोध करने के लिए स्टाफ या जिस प्रकार की समिति निर्मित की गई है उससे नियोजन कार्य के उद्देश्य एवं प्रकृति स्पष्ट हो जाते हैं। समिति संगठन पारंपरिक समिति हो सकती है। जिसका संगठन समस्याओं से निपटने के लिए समितियों के निर्माण की सामान्य प्रथा के लिए किया जाता है।

समस्या से निपटने का एक अन्य माध्यम विशेषज्ञों की समिति का संगठन करना है जिसके द्वारा समस्या के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा क्षमतावान व्यक्तियों को नियोजन हेतु चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शक्ति समिति समुदाय के शक्ति सोपानक्रम में प्रमुख हों या ऐसे व्यक्ति जो नियोजन से सहमत होने पर उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

रूचि रखने वाले व्यक्तियों की समिति एक अन्य माध्यम हैं जिसमें ऐसे व्यक्तियों को चर्चा में सम्मिलित किया जाता है जो समस्या में विशेष रूचि रखते हैं। उदाहरण के लिए किशोर अपराध संबंधी समस्या में ऐसी समिति में कोई स्वयं सेवक, किशोर न्यायालय का जज, ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे किशोरों एवं युवाओं के साथ विशिष्ट कार्य करने के लिए जाना जाता हा अथवा नामचीन जन–मनोरंजन कार्यकर्ता को सम्मिलित किया जा सकता है।

अन्य माध्यम से समस्या से संबंधित बड़े समूहों की समिति के प्रतिनिधियों अथवा लिए गये निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को एकत्र करके समिति बनायी जाती है जिसे अन्तः समूह समिति कहा जाता है। इस प्रकार किशोर अपराध के संबंध में Y.M.C.A. किशोर अपराध न्यायालय, मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि समस्या के संबंध में नियोजन निर्माण हेतु सभी के लिए संतोषजनक समाधान निकालने हेतु कार्य कर सकते हैं।

समुदाय समिति उपरोक्त वर्णित प्रकारों से भिन्न है क्योंकि समुदाय समिति में केवल समस्या के प्रति रूचि रखने वाले अथवा समस्या से संबंधित व्यक्तियों या समूहों को न लेकर समुदाय के अन्य महत्वपूर्ण समूहों एवं व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाता है, चाहे उनकी इसमें रूचि हो या न हो। इसमें मात्र पारंपरिक संस्थाओं को न लेकर धार्मिक एवं Ethnic समूहों को भी सम्मिलित किया जाता है। जिनका प्रभाव समुदाय के बहुत से सदस्यों पर पड़ता है।

स्पष्ट रूप से एक समिति के संगठन में उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार के कुछ तत्व सम्मिलित होते हैं। कुछ बिन्दुओं पर इनमें असमानताएं हो सकती हैं। प्रत्येक समिति को (पारंपरिक समिति को छोड़कर) उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर इस प्रकार बांटा जा सकता है :–

- एक अच्छी (प्राविधिक रूप से उपयुक्त) योजना का होना। अतः विशेषज्ञों का उपयोग आवश्यक है।

- एक ऐसी योजना जिसका क्रियान्वयन हो सके। अतः समुदाय के शक्तिशाली व प्रभावशाली व्यक्तियों का उपयोग आवश्यक है।

- ऐसी योजना होनी चाहिए जिसे उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत एवं समर्थित किया जाये जिनकी रूचि उस विशिष्ट समस्या क्षे में हैं।

- समुदाय के जिम्मेदार समूहों द्वारा विकसित एवं समर्थित योजना का होना। इसके दो उद्देश्य है – प्रथम, ऐसी योजना जो स्वीकार्य हो तथा द्वितीय, इन समूहों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करना।

- 'सामुदायिक' योजना को बनाये रखना। इसके अन्तर्गत न केवल संबंधित समस्या (योजना) का समाधान होना चाहिए। बल्कि भविष्य में समुदाय में कोई भी क्रिया करने के लिए समुदाय के सदस्यों को एकीकृत रूप से कार्य करने के लिए संगठित समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण नियोजन की सहायता से तैयार किया जाना चाहिए।

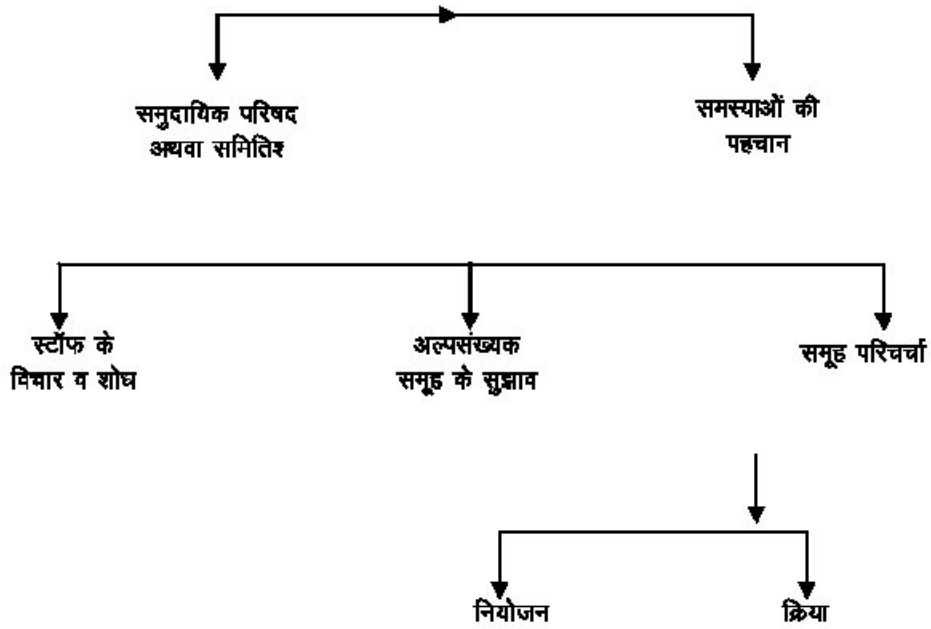
14.2.1.3 प्रक्रिया अभिमुखीकरण अभिगम

इस अभिगम का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को आरंभ करना होता है। प्रक्रिया वह है जिसकी पहचान समुदाय द्वारा की जाती है, तत्पश्चात् सामुदायिक समस्याओं के संबंध में क्रिया की जाती है। इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट सुधार को लाने हेतु क्रिया करना न ही हैं। (जैसा कि सुधार अभिगम में होता है) न ही नियोजन अभिगम की भांति किसी विशिष्ट समस्या क्षेत्र में नियोजन करना होता है। हलांकि कुछ बिन्दुओं पर इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया अभिगम का उद्देश्य समुदाय को प्रोत्साहित करना है। जिससे वह यह समझ सके कि उसकी वास्तविक समस्याएं क्या है? एवं उन समस्याओं से निपटने के लिए क्रियाबद्ध रूप से किस प्रकार कार्य किया जाये। प्रक्रिया अभिगम में यह विश्वास निहित है कि ऐसे अनुभव भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में समुदाय की क्षमता को बढ़ाते हैं।

यह अभिगम पूर्वधारणा रखता है कि कुछ ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा समुदाय सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं की पहचान कर सकता है। ऐसी समझ एवं ग्राम एवं छोटे कस्बे में एक समान होती हैं। किन्तु एक बड़े जटिल शहर में बहुत से प्रकार्यात्मक समुदाय आस–पड़ोस इत्यादि होते हैं। इनमें से किसी भी शहर का अध्ययन ऐसे लघु समूहों को सामने लायेगा। जिनके नेता या प्रतिनिधि उस समूह से संबंधित इच्छाओं समस्याओं एवं प्रवृत्तियों को भलीभांति बताते हैं। ऐसे नेताओं की समिति एक विशिष्ट समुदाय के लोगों की विशिष्ट मनोभावना को दर्शाते हैं।

ऐसा माना जाता है कि ऐसे समूह यदि समान समस्याओं से प्रभावित रहे हैं तो वे बेहतर इच्छाशक्ति, क्षमता व सहयोगपूर्वक कार्य करते हैं। इन समस्याओं की पहचान किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होती है यह निम्न प्रकार से दर्शाया गया है –

प्रक्रिया अभिगम
उद्देश्य – सामान्य समस्याओं के प्रति सामुदायिक क्षमता का विकास



शोध समूह या स्टाफ द्वारा अध्ययन के लिए समस्या की पहचान समुदाय के किसी व्यक्ति अथवा समूह के माध्यम से की जाती है अथवा समिति चर्चा द्वारा भी समस्या की पहचान से की जा सकती हैं। हलांकि ऐसा अनुभव किया जाता है कि यदि उद्देश्य को प्राप्त करना है तो समुदाय के नेताओं एवं समिति को प्राप्त करना है तो समुदाय के नेताओं एवं समिति के उप समूहों को समस्या को मुख्य महत्ता पर किसी एक निष्कर्ष पर एकमत होना पड़ेगा।

समस्या की पहचान इस प्रकार कर लेने के पश्चात् नियोजन एवं क्रिया की प्रक्रिया आरंभ होती है जिसके अंतर्गत नियोजन अभिगम एवं सुधार अभिगम की कुछ विधियों को भी अपनाया जाता है। फिर भी, इस अभिगम से सहमत विद्धान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने हेतु नियोजन करने के लिए एक 'समुदाय–समिति' की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका यह भी मानना है कि जब ऐसी कोई समिति एक योजना पर सहमत होती है तब समुदाय का समर्थन होने के कारण तुरंत क्रिया होती है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित तीनों अभिगम किसी वास्तविक क्रिया में अपने शुद्ध रूप में नहीं पाये जाते हैं। अवधारणात्मक रूप से प्रत्येक प्रकार दूसरे अभिगम से भिन्न है, किन्तु अभ्यास में आने पर इन सभी अभिगमों को मिलाकर एक अलग अभिगम बन जाता है

जिसमें नियोजन एवं क्रिया के स्तर को बताते हुए प्रक्रियात्मक अभिमुखीकरण के तत्व भी सम्मिलित होते हैं।

जिस प्रकार वैयक्तिक एवं सामूहिक समाज कार्य में कार्यकर्ता निश्चित विधियों के प्रयोग प्रति प्रतिबद्ध होता है उसी प्रकार सामुदायिक संगठन में समुदाय के भीतर समस्याओं को दूर करने की दिशा में कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए ऐसी विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जो समस्या को उसके वास्तविक रूप में परिभाषित कर सकें, समझा सकें एवं उनसे निपट सकें।

14.2.2 सामुदायिक संगठन के अन्य अभिगम

सामुदायिक संगठन के अन्य अभिगमों को भी सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रयोग में लाता है। प्रत्येक अभिगम के अपने मूल्य, आदर्श अथवा परिणाम होते हैं। इसलिए एक सामुदायिक कार्यकर्ता परिस्थिति विशेष में सामुदायिक संगठन के अभिगमों का प्रयोग करता है। सामुदायिक संगठन के अन्य अभिगमों का विवरण नीचे किया जा रहा है –

14.2.2.1 समाज कार्य अभिगम

समाज कार्य अभिगम समाज को एक सामाजिक अवयव के रूप में देखा जाता है इसलिए समुदाय में चेतना का निर्माण करने के प्रति प्रयास किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक कर्ता की एक वकालतकर्ता अथवा सामर्थ्यदाता के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिपादन करता है। सामुदायिक कर्ता, समुदाय स्थानीय समस्याओं को पहचानने में मदद करता है और समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यकताओं से सम्बन्धित उपलब्ध सामाजिक सेवाओं के द्वारा प्रयास करता है तथा स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सम्पूर्ण शक्ति के साथ लामबन्दी करता है। यह अभिगम विधि का अधिकतर प्रयोग सामुदायिक कार्यकर्ता स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु करने का प्रयास करता है

14.2.2.2 दान आधारित अभिगम

दान आधारित अभिगम मूलभूत रूप से मूल प्रवृत्ति तथा संवेगों पर आधारित है। जब हम किसी निर्धन अथवा आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उनकी सहायता करने का विचार उत्पन्न होता है जिसे कभी–कभी उदारवादी अभिगम के नाम से भी जाना जाता है। हजारों वर्ष पूर्व से ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस अभिगम का प्रयोग किया जाता रहा है। यह अभिगम इस मान्यता पर आधारित है कि परोपकार की भावना से निर्धन लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

सामान्य रूप से दानवादी अभिगम में दानादाता द्वारा धन, भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा चिकित्सकीय सहायता के द्वारा आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास

किया जाता है। तात्कालिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्धन अथवा आवश्यकताग्रस्त पुनः दान पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर यह देखने को मिलता है कि निर्धन वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने में सहभागी नहीं होते हैं तथा पूर्ण रूप से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दान अभिगम के द्वारा सामुदायिक आवश्यकताओं अथवा लोगों की आवश्यकताओं को व्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने का प्रयास नही किया जाता है और न ही किसी निश्चित समस्या का समाधान ही प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान समय में दान अभिगम का प्रयोग सामुदायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयोग नहीं किया जाता है। परन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाया तो कहीं न कहीं इसके उदाहरण मिलते रहते हैं। जब समुदाय सामूहिक सेवार्थी के रूप में उपलब्ध होता है।

14.2.2.3 राजनैतिक क्रियात्मक अभिगम

सॉल एलिन्सकी द्वारा राजनैतिक क्रियात्मक अभिगम का प्रतिपादन किया गया। इस अभिगम का मुख्य दर्शन इस बात पर आधारित है कि संगठन के जितने अधिक प्रतिनिधि होंगे वह संगठन उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। इस अभिगम के अनुसार समुदाय को स्वतंत्र राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है न कि एक सामाजिक अवयव के रूप में। यहां पर क्षेत्रीयता की शक्ति को सामर्थ्य के रूप में देखा जाता है जिससे शक्ति को प्राप्त किया जाता है। इस अभिगम के अनुसार सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका. शक्ति के परिप्रेक्ष्य में समस्या को समझने में. समुदाय की सहायता करना है. ताकि समुदाय को गतिशील करने में आवश्यक चरणों को निर्धारित किया जा सके. क्षेत्र की समस्या को शक्ति की अनुपस्थिति में पहचाना जाता है तथा क्षेत्रीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्यकर्ता को समूहों के संघर्षों का सामना करना पड़ता है. क्योंकि अधिकतर सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के बाहर का व्यक्ति होता है जो कि शक्ति सम्बन्धों की समानता तथा सामुदाय में नेतृत्व की समस्या से गुजरना पड़ता है।

14.2.2.4 व्यवस्था परिवर्तन अभिगम

व्यवस्था परिवर्तन अभिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित रणनीतियों को स्थापित द्वारा व्यवस्था की संरचना अथवा उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। जिसे की सामुदायिक कार्य के व्यवस्था परिवर्तन अभिगम के नाम से जाना जाता है। यह अभिगम अत्यधिक लोकप्रिय नहीं है परन्तु संकेतों से स्पष्ट होता है कि इसकी स्वीकृति बढ़ रही है। हम सभी जानते हैं कि समाज की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आवास, महिला सशक्तीकरण रोजगार इत्यादि विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा पूर्ण होती है। ये सभी सेवायें विभिन्न प्रकार व्यवस्थाओं तथा उससे सम्बन्धित उप व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होती है। इस अभिगम का मुख्य आधार यह कि विभिन्न कारणो से व्यवस्था अकार्यशील हो गयी है।

उदाहरण के रूप में यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये तो स्पष्ट होता है कि शिक्षा सुविधाएं ग्रामीण यंत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था

(शिक्षा नीति) से समाज में असमानता उत्पन्न होती है। इस अभिगम के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन को एक उपकरण मानते हुए ऐसे सशक्त माध्यमों की स्थापना करना है जिससे कि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति के लोगों के मध्य असमानता को क्रय किया जा सके। यदि व्यवस्था उद्देश्य प्राप्ति में असफल होती है तो कार्यकर्ता को चाहिए कि वह इस तथ्य का अवलोकन करे कि समुदाय में यह क्यों असफल हुआ तथा महत्वपूर्ण रणनीतियों को विकसित करना जिससे कि व्यवस्था को पुर्नसंरचित अथवा परिवर्तन किया जा सके।

व्यवस्था परिवर्तन अभिगम में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करता है :–

- व्यवस्था के व्याप्त कमियों को समझना।
- प्राप्त चीजों के साथ सामुदाय के साथ को सम्प्रेषित करना।
- निर्णय निर्धारण करने वाले निकायों को प्रभावित करने के लिए रणनीतियों का निर्माण करना।
- जनसहभागिता को बढ़ाना तथा बाह्य सहायता के आवश्यक संसाधनों को गतिमान करना है।
- संगठनों तथा समुदायों की सहायता से व्यवस्था में परिवर्तन की मांग को पूरा करना।

14.2.2.5 संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम

संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम के अनुसार समाज लघु समुदायों से मिलकर निर्मित होता है तथा उनके मध्य सामाजिक सम्बन्धों का जाल पाया जाता है। लोगों के सम्बन्ध औपचारिक रूप से राष्ट्र, राज्य, नीतियों, कानूनों तथा संविधान द्वारा तथा अनौपचारिक रूप से परम्पराओं, मूल्यों, विश्वासों इत्यादि द्वारा संरचित होते हैं। कुछ समाजों की सामाजिक संरचना राज्यों के द्वारा नियंत्रित होती है। व्यष्टि सामाजिक वास्तविकता पर समष्टि स्तर के संरचनात्मक सम्बन्धों एवं उसके प्रभावों को समझने के लिए कार्यकर्ता वृहत् स्तर पर आमूल परिवर्तन लाने के लिए जनमत के दृष्टिकोणों परिवर्तन/गतिशील करने का प्रयास करता है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम के द्वारा नयी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने अथवा व्यष्टि स्तर पर स्थापित दशाओं में परिवर्तन लाने के लिए अन्य विकल्प प्रस्तुत करता है। यह तभी संभव है जब यदि प्रस्तुत विकल्प की राजनीतिक विचारों/आदर्शों को अपनाया जाये। सामुदायिक कार्य का यह प्रकार समुदाय में स्वतः उत्पन्न होता है जो कि व्यापक स्तर पर पूरे समाज अथवा राष्ट्र को प्रभावित करता है। कभी–कभी यह सामाजिक क्रिया का रूप धारण कर लेता है, जो कि समाज कार्य की एक प्रणाली है। वास्तव में सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए इस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ कार्य करना कठिन होता है। क्योंकि इसकी सफलता की संभावना व्यक्त करना कठिन है।

संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम में एक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित कर सकता है –

- व्यष्टि एवं समष्टि सामाजिक वास्तविकता के बीच व्याप्त के सम्बन्धों को समझना।
- वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा/आदर्शों को स्वीकार करना।
- समुदाय की सहायता करना।
- समुदाय की सहायता करने के लिए उपयुक्त क्रिया विधि की पहचान करना।

14.2.2.6 आवश्यकता आधारित अभिगम

बीसवीं शताब्दी के मध्य तक विकासात्मक क्षेत्रों के द्वारा नये अभिगम का प्रयोग किया जाने लगा। जिससे आवश्यकता अभिगम के नाम से जाना जाता है। यह अभिगम इस मान्यता पर आधारित है कि लोगों के द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं को दूर करने अथवा आवश्यकताओं को पूर्ण करने में हस्तक्षेप आवश्यक हैं। जिसे लोग स्वयं पूर्ण करने में अपनी सहायता करते हैं। इस अभिगम के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये जाते है क्योंकि दाता यह निर्धारित नहीं करता है कि निर्धन लोग क्या चाहते हैं बल्कि निर्धन तथा आवश्यकताग्रस्त व्यक्ति वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान करने की प्रक्रिया में सहभागिता करते हैं तथा यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। पिछले कुछ दशकों से आवश्यकता आधारित अभिगम का प्रयोग विकास के क्षेत्रों में किया जा रहा है जिसके द्वारा दाता तथा आवश्यकताग्रस्त लोगों के बीच सम्मानपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में दान अभिगम की अपेक्षा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यहां तक कि आवश्यकता आधारित अभिगम के अन्तर्गत सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया में आवश्यकताग्रस्त लोगों द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति में नियमनों तथा व्यस्थित परिवर्तन को रोका भी जा सकता है यदि वह उनके द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आवश्यकता आधारित अभिगम के अन्तर्गत आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कौन सी आवश्यकता सामुदायिक सदस्यों के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी है। जिसके आधार पर सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन सदस्यों की इच्छा के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामुदायिक कार्यकर्ता के द्वारा एक उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए सुनियोजित ढंग से सामुदायिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाये।

14.2.2.7 अधिकार आधारित अभिगम

इस शताब्दी के मध्य में इस तथ्य को स्वीकार किया जाने लगा कि व्यक्ति का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी स्वीकार किया गया कि 'लोगों के विकास का अधिकार' एक मानवाधिकार है। वैश्वीकरण तथा राजनैतिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया में विकास को एक अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति सहभागिता करने, योगदान देने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक विकास का आनन्द लेने तथा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने विकास का अधिकार रखते हैं। आधिकार आधारित अभिगम के अन्तर्गत निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाते हुए लोगों एवं समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि 'विकास' उनका अधिकार है :–

+ सार्वभौमिकता
+ गैर–विभेदता एवं समानता
+ अविभाज्यता
+ आत्मनिर्भरता एवं अर्न्तसम्बद्धता
+ सहभागिता
+ जवाबदेही

14.3 सारांश

अभिगम का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मार्ग का निर्धारण करना है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कार्यकर्ता को सहायता प्राप्त होती है। सामुदायिक संगठन के अभिगम भी समुदाय के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ता को एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। जिसके माध्यम से कार्यकर्ता समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विभिन्न प्रकार की विधियों एवं तकनीकियों का प्रयोग करते हुए सहायता करता है। जिससे कि वे संतोषजनक एवं खुशी जीवन को जी सके।

14.4 शब्दावली

सुधारात्मक अभिगम — सुधारात्मक अभिगम के द्वारा एक कार्यकर्ता समुदाय में सुधार लाने का प्रयास करता है। जो कि समुदाय के लाभदायक होता है। सुधारात्मक अभिगम द्वारा समुदाय में व्याप्त पुराने तौर–तरीकों तथा वर्तमान में स्थापित अस्वीकार योग्य व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय के सदस्य सुधार के लिए तैयार रहें।

नियोजन अभिगम

नियोजन अभिगम के द्वारा समुदाय में उन सामुदायिक मुद्दों अथवा समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जिसे समुदाय के सदस्य कठिन मानते हैं। इसके लिए समुदाय के सदस्यों के मध्य चेतना उपलब्ध करके नियोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों को स्पष्ट किया जाता है।

प्रक्रिया अभिगम

प्रक्रिया अभिगम के माध्यम से समुदाय के उद्देश्यों को पहचानते हुए कार्य प्रारम्भ किया जाता है तथा सामुदायिक समस्याओं के सम्बन्ध में क्रिया की जाती है। प्रक्रियात्मक अभिगम का उद्देश्य विशिष्ट न होकर के समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करना होता है जिससे कि वे समझ सके वास्तव में उनकी समस्या क्या है।

व्यवस्था परिवर्तन अभिगम

व्यवस्था परिवर्तन अभिगम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन लाना होता है। समुदाय में प्रदान की जाने वाली अनेक सेवाओं विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिसमें असन्तुलन बना रहता है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए तथा सेवाओं को प्रभावशाली रूप से लागू करने में इस अभिगम का प्रयोग किया जाता है।

संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम

संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम से तात्पर्य यह कि समुदाय विभिन्न लघु समुदायों तथा समूहों से निर्मित होता है। जिसके मध्य सामाजिक सम्बन्धों का जाल होता है। समुदाय की सामाजिक संरचना को जानने एवं समझने के लिए कार्यकर्ता संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम का प्रयोग करता है।

14.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

+ रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।

+ रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।

- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- खिन्डूका एस.के., सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1995।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. सामुदायिक संगठन के अभिगम से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

7. एम.जी. रॉस द्वारा प्रस्तुत समुदायिक संगठन के अभिगमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

.....

.....

.....

.....

8. समाज कार्य अभिगम को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

9. संरचनात्मक परिवर्तन अभिगम का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

10. दान आधारित अभिगम की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

14.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 14.2 देखे।
2. उपभाग 14.2.1.1 देखें।
3. उपभाग 14.2.2.1 देखे।
4. उपभाग 14.2.2.5 देखे।
5. उपभाग 14.2.2.2 देखे।

इकाई–15 सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक नेटवर्क्स

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 सामाजिक नेटवर्क्स

15.2.1 नेटवर्क्स का परिचय

15.2.2 नेटवर्क्स की अवधारणा एवं परिभाषाएं

15.2.3 नेटवर्क की सामान्य विशेषता

15.2.4 नेटवर्क्स के उद्देश्य

15.2.5 नेटवर्क्स से लाभ

15.2.6 नेटवर्क्स के सिद्धान्त

15.2.7 नेटवर्क्स के स्वरूप

15.2.7.1 सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क्स

15.2.7.2 ज्ञान आधारित नेटवर्क्स

15.2.7.3 क्षेत्रीय नेटवर्क्स

15.2.7.4 सामाजिक परिवर्तन अथवा वकालत नेटवर्क्स

15.2.7.5 सेवायें प्रदान करने वाले नेटवर्क्स

15.2.7.6 वित्तीयन करने वाली संस्थाओं से नेटवर्क्स

15.2.7.7 मध्यवर्ती संगठन नेटवर्क्स

15.2.7.8 प्रतिनिधि संगठन नेटवर्क्स

15.2.7.9 सहकारी संगठन नेटवर्क्स

15.2.7.10 दबाव समूहों का नेटवर्क्स

15.3 सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक नेटवर्किंग

15.3.1 सामुदायिक संगठन एवं नेटवर्क्स संस्थाए

15.3.1.1 सामुदायिक कल्याण परिषद्

15.3.1.2 सामुदायिक कोष

15.3.1.3 समन्वित परिषद्

15.3.1.4 नेबरहुड परिषद्

15.3.1.6 समाज सेवाए विनिमय

15.3.1.7 व्यक्तिगत समाज सेवी संस्थाए

15.4 सारांश

15.5 शब्दावली

15.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.0 उद्देश्य

इस इकाई में समुदायिक संगठन एवं सामाजिक नेटवर्क्स विषय पर चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप–

1. सामुदायिक संगठन एव सामाजिक नेटवर्किंग की अवधारणा को समझ सकेगें।
2. नेटवर्क्स परिभाषा व अवधारणा को समझ सकेगें।
3. सामुदायिक संगठन के द्वारा नेटवर्किंग किस प्रकार की जायेगी को जान सकेगें।
4. विभिन्न प्रकार के नेटवर्किंग समूहों से अवगत हो सकेगें।
5. विभिन्न नेटवर्किंग संस्थाओं के विषय में अवगत हो सकेगें तथा यह भी जान सकेगे कि किस प्रकार से नेटवर्किंग संस्थाए कार्य को करती है।

15.1 प्रस्तावना

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है। सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सामाजिक नेटवर्क्स एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सामुदायिक संगठन व सामाजिक नेटवर्क्स को भी एक–दूसरे के पूरक माना जा सकता है। क्योंकि सामुदायिक समस्याओं के समाधान और समुदाय के सदस्यों की आवश्कताओं को पूर्ण करने में सामाजिक नेटवर्क्स की उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामाजिक नेटवर्क्स के द्वारा ही सामुदायिक संगठन की विधि को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग में लाते हुए समुदाय के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। समुदाय में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं, समस्याएं अथवा उद्देश्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसीलिए सामाजिक नेटवर्क्स की प्रकृति भी भिन्न प्रकार की होती हैं।

15.2 सामाजिक नेटवर्क्स

सामाजिक नेटवर्क्स से तात्पर्य ऐसे नेटवर्क्स से है जहां पर सामाजिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय के सदस्य अथवा लोगों का समूह एक–दूसरे से अन्तःक्रिया करते हुए सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सामाजिक नेटवर्क्स में नेटवर्क के सदस्य निश्चित नियमों, सिद्धान्तों, मूल्यों अथवा विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर एक–दूसरे से बंधे हुए होते हैं। सामाजिक नेटवर्क्स को समझने के लिए नेटवर्क्स की अवधारणा को समझना अत्यन्त आवश्यक है। जिसकी चर्चा आगे की गयी है।

15.2.1 नेटवर्क्स का परिचय

वैश्वीकरण तथा तकनीकी के इस युग में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समुदायों में नेटवर्क्स का प्रचुर रूप में विस्तारीकरण हुआ है। विभिन्न विषयों में नेटवर्क्स और 'नेटवर्किंग' शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया गया हैं। इसलिए आज के समय में इसकी अवधारणा नई नहीं है। नेटवर्क्स प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्रागैतिहासिक समाज में, लोगों ने समुदाय को निर्मित किया तथा एक दूसरे के सहयोग से अपनी क्षमताओं का सदुपयोग, विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया। यथा कुछ शिकारी बने, कुछ अन्य उद्देश्यों हेतु तथा कुछ कल्याण कार्य हेतु एकत्रित हुए। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज समुदाय परिष्कृत रूप में दिखायी पड़ता है। मध्य युग में नेटवर्क्स की स्थापना उत्पादकों को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने हेतु तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लाभ प्राप्त हो सके, के सन्दर्भ में की गई तथा उत्पादन के नये प्रतिमान स्थापित किये गए। जिससे कि उत्पादक श्रेणी द्वारा पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। औद्योगिककरण के युग में उत्पादक श्रेणी अत्यधिक तकनीकीयुक्त एवं विशेषज्ञतापूर्ण हुई तथा उत्पादक प्रक्रिया के नये मानकों को स्थापित किया तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण व तकनीकी निपुणता प्रदान की गयी। उन्नीसवीं शताब्दी में श्रमिक संघ द्वारा औद्योगीकरण के क्षेत्र में नयी चुनौतियों को सफलतापूर्वक उत्पन्न किया गया। जिसके लिए श्रमिकों को समुदायों से संरक्षण प्राप्त हुआ तथा सामाजिक परिवर्तन के नये मार्ग को वकालत के द्वारा निर्माण करते हुए लोगों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए वकालत की जाने लगी। आज, व्यावसायिक संगठन समग्र रूप में सदस्यों को शोध तथा वर्तमान अभ्यासों द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है तथा सदस्यों की सहायता कर रहे हैं जिससे कि वे अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सके और अपनी साख को बनाए रख सके।

उपरोक्त परिदृश्य से स्पष्ट होता है कि नेटवर्क्स द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करता है जिससे समूह के सदस्यों के कल्याण में वृद्धि करते हुए समानान्तर व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि की जाती है। अकेले कार्य करते हुए, समूह के सदस्यों की कार्यकुशलता तथा दृढ़ता में वृद्धि करना तथा एक साथ कार्य करने में, समूह के सदस्यों की कार्यकुशलता, क्षमता तथा शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे कि वे एक दूसरे से सीख सके और सामुदायिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार के विचार को विकासशील राष्ट्रों में अपनाया गया है। प्रारम्भिक रूप में सामुदायिक संस्कृति के आधार पर नेटवर्क्स की स्थापना करते हुए विभिन्न मुद्दों की चर्चा करना है।

15.2.2 नेटवर्क्स की अवधारणा एवं परिभाषाएं

नेटवर्क्स शब्द को परिभाषित करना अत्यधिक कठिन कार्य है क्योंकि इस शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक रूप में लिया जाता है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर इसे 'सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क्स', अथवा 'ज्ञान आधारित नेटवर्क्स' अथवा 'पार्श्वीय सीख नेटवर्क्स' इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस शब्द से तात्पर्य विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में लिया जाता है। विभिन्न नेटवर्क के सदस्यों अथवा इस विचारधारा के नेतृत्वकर्ता इस शब्द के अर्थ पर एकमत नहीं है लेकिन विस्तृत रूप में 'नेटवर्क्स' शब्द से तात्पर्य "One-size-fits-all" से लिया जाता है। विभिन्न लोगों के द्वारा किसी भी समय में नेटवर्क्स के विषय में चर्चा की जाती है और उनके द्वारा मान्यताओं, रूढ़ियों, परम्पराओं इत्यादि विशेषताओं के आधार पर इसकी अवधारणा को व्यक्त किया जाता है। कैरेन लेबन (2004) ने एक साक्षात्कार में कहा है कि 'कुछ संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, लेकिन नेटवर्क्स शब्द के प्रयोग से चिंतित रहते है, क्योंकि नेटवर्क्स शब्द का प्रयोग करने से स्वतंत्रता में कमी, उत्तरदायित्व तथा सदस्यों की आवश्यकताओं में कमी तथा नेटवर्क्स से सम्बन्ध रखने में जोखिम की संभावना बनी रहती है।

सामान्य अर्थ में नेटवर्क्स से तात्पर्य किसी भी 'इकाई के समूह' से है जिसमें एक इकाई अन्य इकाईयों से सम्बन्धित होती है। जोकि एक निश्चित नियम द्वारा परिभाषित होती है। यथा लोगों का समूह, संगठनों का समूह इत्यादि।

आज नेटवर्क्स तथा नेटवर्किंग को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है लेकिन नेटवर्क्स तथा नेटवर्किंग के मध्य अन्तर व्याप्त है। एजेल (1999) ने नेटवर्क्स तथा नेटवर्किंग में अन्तर स्थापित करते हुए कहा है कि साधारण अर्थों में नेटवर्कस से तात्पर्य एक–दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने से है जहां पर मात्र व्यक्ति और संस्थाएं सामान्य इच्छाओं के आधार पर साझेदारी करते हैं। नेटवर्किंग के साथ सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। जबकि नेटवर्क्स से तात्पर्य सामुदायिक विचारों अर्थात् एक ऐसा स्थान जहां पर समान विचारधारा के लोगों के अतिरिक्त विपरीत विचारधारा के लोग भी समान लक्ष्य के लिए, एक दूसरे से अन्तःक्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर विश्वास करते हुए तथा सीख के द्वारा अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं।

नेटवर्किंग, समुदायों में, विभिन्न कर्ताओं में आत्म–निर्भरता की अनुभूति को प्रदर्शित करता है। एक साध्य के रूप में गतिशीलता तथा लोचशीलता उन्मुख संगठनात्मक रणनीति को स्पष्ट करता है। इस परिप्रेक्ष्य में नेटवर्किंग को आत्म–निर्भरता की शर्त के अनुसार सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक संरचनात्मक संचार, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनैतिक दृष्टिकोण के अनुसार नेटवर्किंग से तात्पर्य उन प्रयासों से है जिसके द्वारा सामान्य इच्छाओं की खोज की जाती है तथा प्रभावी संचार से समुदाय में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं। नेटवर्किंग को एक गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हुए परिभाषित भी किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नेटवर्किंग से तात्पर्य विकासात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यवस्था स्वीकार करने योग्य क्षमता की वृद्धि द्वारा वाह्य पर्यावरण के लिए वैकल्पिक सूचनात्मक स्रोतों की खोज से हैं।

आज, नेटवर्क्स समाज के प्रत्येक क्षेत्र में यथार्थ रूप में दिखाई देता है। यह कहा जा सकता है कि हम आज नेटवर्क्स के युग में है। नेटवर्क्स को, विस्तृत उद्देश्यों के आधार पर निर्मित किया जा सकता है तथा विश्व में प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। नेटवर्क्स की स्वीकार्यता सीमा के आधार पर मानव जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र में

यथा चिकित्सा, विज्ञान, शोध मनोरंजन, शिक्षा इत्यादि यथार्थ रुप में मिलता है। आज इस समय जहां सामाजिक–आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है वहीं पर नेटवर्क्स में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है।

नेटवर्क्स विस्फोट में प्रौद्योगिकी में वृद्धि अत्यधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा विश्व के किसी भी स्थान पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा लोग सीमाओं को लांघते हुए एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं। मैक्कार्थी मिलर तथा स्किडमोर ने (2004) ने स्पष्ट किया है कि आज के समय में एक से अधिक तक के स्थान पर 'अधिक से अधिक तक' के प्रारूप का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। प्रौद्योगिकी के द्वारा ही लोगों के साथ नेटवर्किंग की जा सकती है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा नेटवर्किंग को सरलता से निर्मित किया जा सकता है परन्तु आज के युग इस प्रगतिशील युग में नेटवर्क्स को अत्यधिक आकर्षित बनाए जाने की आवश्यकता है।

15.2.3 नेटवर्क की सामान्य विशेषताएं

नेटवर्क्स शब्द का विश्लेषण करने से इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जिसपर सभी लोग एकमत हो सकते हैं। इन सामान्य विशेषताओं को निम्नवत् स्पष्ट किया गया है :–

- **उद्देश्यों को निर्मित तथा विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना** :– नेटवर्क्स विभिन्न उद्देश्यों को निर्मित तथा विभिन्न संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है नेटवर्क्स का निर्माण इस पर निर्भर करता है कि निश्चित लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है जिसके कारण नेटवर्क की संरचना में विभिन्नता होती है।

- **अनौपचारिक तथा औपचारिक संगठन** :– अनौपचारिक नेटवर्क्स का निर्माण किसी विशेष अध्ययन अथवा नेटवर्क्स निर्माण सदस्यों की विशिष्ट योग्यता के आधार पर तथा संचार संरचना एवं स्पष्ट प्रबन्ध द्वारा होता है।

- **सदस्यों के लिए संसाधन केन्द्रित होना** :– नेटवर्क्स का निर्माण सदस्यों के योगदान एवं लाभों के आधार पर निर्भर करता है। इसलिए अधिकतर नेटवर्क्स में ज्ञान व सूचना का आदान–प्रदान बहुत महत्वपूर्ण होता है इसके साथ सदस्यों के बीच पाया जाने वाला 'सम्बन्ध' भी मुख्य केन्द्रबिन्दु होता है।

- **भौगोलिक सीमा से परे** :– राष्ट्रीय नेटवर्क्स, वैश्विक और क्षेत्रीय नेटवर्क्स सदस्यों को भौगोलिक सीमा से परे सूचना को साझा करने, सामाजिक विनिमय सम्बन्धों के निर्माण यहां तक कि सामाजिक क्रिया हेतु अवसर प्रदान करते है। नेटवर्क सदस्य उस संगठन को दर्शाते हैं जिससे कि वे सम्बन्धित होते हैं। कुछ संगठनों को व्यक्तिगत अथवा संगठनात्मक दोनों रूपों में स्थापित किया जाता है। इसके सदस्य स्वतंत्र होते है और अधिकतर समान उद्देश्यों को साझा करते हैं। जबकि औपचारिक नेटवर्क्स में कर्मचारियों को (विशेष संदर्भ में) भुगतान किया जाता है, जिससे कि नेटवर्क के संगठनों को सहायता दे सके एवं नेटवर्क्स में आपसी अथवा संयुक्त क्रियाओं द्वारा सदस्यों की साझेदारी में सहायता कर सके।

15.2.4 नेटवर्क्स के उद्देश्य

नेटवर्क्स के निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट होते है:–

- स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकासात्मक मुद्दों एवं नीतियों को प्रोत्साहित करना।

- सूचना हस्तान्तरण, ज्ञान विनिमय तथा क्षमता निर्माण द्वारा सहयोग में वृद्धि करना।

- स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक ज्ञान को हस्तान्तरित करना एवं इसके विपरीत भी तथा समुदाय की क्षमता में वृद्धि करना।

- समुदाय के सदस्यों को मुख्य धारा में आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा यथासंभव प्रयास करना।

- विभिन्न विकासात्मक मुद्दों व नीतियों को लागू करने में सामुदायिक प्रयासों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना तथा सामुदायिक आवाज को बुलन्द करना।

15.2.5 नेटवर्क्स से लाभ

नेटवर्क्स की स्थापना से निम्नलिखित लाभ होते है :–

- **अभिगमन में वृद्धि** :– नेटवर्क सदस्यता के द्वारा यथा सूचना, विशेषज्ञता, वित्तीय संसाधनों इत्यादि के अभिगमन में वृद्धि होती है।

- **कार्यकुशलता में वृद्धि** :– नेटवर्क सदस्यता के द्वारा तुलनात्मक लाभ में वृद्धि, लागत में कमी, प्रयासों के दोहरीकरण में कमी आती है तथा इसी समय, एक दूसरे से सीखते हुए साझेदारी तथा अभ्यास के द्वारा नये मार्गों का निर्माण होता रहता है। जिससे कि लक्ष्यों को और सरलता से प्राप्त किया जाता है।

- **गुणात्मक प्रभाव** :– नेटवर्क सदस्यता के द्वारा संसाधन के उपयोग में गुणवत्ता प्रभाव पड़ता है जो प्रभावी नेटवर्क्स के निर्माण में मदद करता है।

- **भाईचारा तथा सहयोग** :– नेटवर्क्स सदस्यता के द्वारा सदस्यों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित होती है तथा एक दूसरे के प्रति सहायता देने की भावना भी विकसित होती है।

- **पारदर्शिता** :– नेटवर्क्स में पारदर्शिता होने से कार्य करने, अभ्यास करने, मुद्दों के स्पष्टीकरण में पूर्ण, योगदान मिलता है तथा उचित संचार से उसके लाभ सभी को प्राप्त होते हैं।

- **जोखिम में कमी** :– नेटवर्क्स में जोखिम की संभावना सदैव बनी रहती है। जोकि प्रभावी संचार द्वारा कम किया जा सकता है। परियोजना के लक्ष्यों को विभिन्न निपुणताओं, सम्बन्धों व अनुभवों द्वारा प्राप्त करने तथा संगठन लगातार परिवर्तित परिवेश में कार्य करता है जिससे जोखिम की संभावना रहती है।

- **अलगाव में कमी** :– नेटवर्क्स सदस्यता के द्वारा अलगाव में कमी आती है तथा सामूहिकता के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की जाती है।

15.2.6 नेटवर्क्स के सिद्धान्त

नेटवर्कस में स्थायित्व लाने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को प्रयोग में लाया जा सकता है :–

- **स्थायित्व** :– नेटवर्क्स का विश्लेषण करने के पश्चात् विभिन्न माध्यमों द्वारा नेटवर्क्स की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है जिसके द्वारा नेटवर्क्स में स्थायित्व हो सकता है। कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नेटवर्क्स में स्थायित्व लाया जा सकता है।

- **विश्वास** :– विश्वास, नेटवर्क्स स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेटवर्क्स निर्माण के लिए विश्वास के द्वारा ही रणनीतियों तथा स्वच्छ साझेदारी को विकसित किया जा सकता है। स्टेफेन्सन (2004) ने कहा है कि पारस्परिकता के द्वारा ही नेटवर्क्स में शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। यह पारस्परिकता अथवा आदान–प्रदान विश्वास से ही उत्पन्न हो सकता है। विश्वास के द्वारा प्रभावी नेतृत्व को विकसित किया जा सकता है। नेटवर्क्स में विश्वास को आमने–सामने के सम्बन्ध द्वारा, मिटिंग्स द्वारा, सदस्यों द्वारा दीर्घकालीन वादों आदि के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क्स स्थापना के समय सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया जाए तथा स्पष्ट यंत्र को स्थापित किया जाए, विशेषकर उस समय पर जब संक्रमण काल की स्थिति हो।

- **स्वीकार्य योग्य** :– प्रभावी नेटवर्क्स के लिए आवश्यक है कि सदस्यों की आवश्कयताएं तथा परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य योग्य होना चाहिए। पिन्जास एवं रैनाबोल्डो (2004) में इस संदर्भ में ठीक कहा है कि नेटवर्क्स को समझने तथा प्रभावी रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि नवप्रवर्तन, प्रयोग व सीख के लिए सहायता की जाए और सदस्य परिवर्तित परिदृश्य के लिए सदैव तैयार रहे। गिलक्रिस्ट (2004) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे समुदाय जो कि उचित कार्यक्षमता द्वारा नयी क्षमताओं को स्पष्ट करते हैं अथवा परिवर्तन को स्वीकार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, सामूहिक क्रिया द्वारा आन्तरिक तनावों को समाप्त करने या उसका उपयुक्त समाधान सरलता से कर लेते हैं।

- **नेतृत्व** :– नेटवर्क्स में स्थायित्व लाने के लिए नेतृत्व एक मुख्य सूचक है। यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नेटवर्क के लिए किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है। स्किडमोर (2004) ने कहा है कि नेतृत्व के लिए नेटवर्क्स में स्थायित्व के लिए निर्देश देने वाले नेतृत्व के स्थान पर सुविधा/सहायता प्रदान करने वाला नेतृत्व होना चाहिए।

स्किडमोर ने नेटवर्क नेतृत्व भूमिका के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक बताया है:–

- नेटवर्क में वाह्य नेतृत्व हो।

- एक उत्प्रेरक रूप में पर्यावरण तथा मार्गों को आवश्यकतानुरूप स्वीकार करे।

- नेटवर्क सदस्यों की शक्ति को ऊर्जा के रूप में गतिमान करे।

- नेटवर्क सदस्यों में विश्वास उत्पन्न करे व सशक्त करे।

- ऐसे लोग जो कि नेटवर्क के सदस्य नहीं है, को भी महत्वपूर्ण आधार प्रदान करे।

- नेटवर्क सदस्यों में नेतृत्व के गुण को विकसित करे तथा एक सीखकर्ता की भूमिका का प्रतिपादन करते हुए सदस्यों को अपने आप सहायता करने योग्य बनाए।

15.2.7 नेटवर्क्स के स्वरूप

सामाजिक नेटवर्कस के अर्न्तगत संस्थाओं को भौगोलिक अथवा उनके गठन के उददेश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकांशतः संस्थायें विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। इनमें से अधिकांश संस्थायें स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। जबकि बहुत सी संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है जैसे केयर और ऑक्सफेम जैसी संस्थायें विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं और ये विकासशील देशों में भी सक्रिय है। ये संस्थायें इन देशों में प्रत्यक्षतः कार्य करती हैं तथा सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हुए स्थानीय संस्थाओं के साथ सहकार स्थापित करते हैं और लक्ष्य के लिए कार्यवाही करती है। समाजिक नेटवर्क क अन्तर्गत एकल देशीय संस्थायें भी होता है तथा दूसरी तरफ अन्य समूह निकाय और संस्थायें भी होती है जो पूरी तरह से सरकारों के नियंत्रण से मुक्त होती हैं इन संस्थओं में बहुत सी संस्थाएं धरातल पर सक्रिय होती हैं कुछ मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करती हैं तथा कुछ सामाजिक क्रिया के लिए कार्य करने के लिए सक्रिय होती हैं।

विभिन्न विद्धानों, लेखकों, विशेषज्ञों ने अपने अध्ययनों व अनुभवों के आधार पर नेटवर्क्स के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख किया है। रोजर्स एवं अग्रवाल (1976) ने नेटवर्क्स के विषय पर बल देते हुए कहा है कि नेटवर्क्स संगठनों का एक समूह होता है जिसके सदस्य समान उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक–दूसरे से सम्पर्क व सम्बन्ध स्थापित करते हैं। रोजर्स एवं अग्रवाल ने तीन प्रकार के नेटवर्क्स का उल्लेख किया है:–

- सम्पूर्ण व्यवस्था नेटवर्क्स

- गुटबन्दी नेटवर्क्स

- व्यक्तिगत नेटवर्क्स

सम्पूर्ण व्यवस्था नेटवर्क्स में प्रभावी संचार के माध्यम से संगठनों के मध्य नेटवर्क्स स्थापित किया जाता है अथवा सभी संगठन/सदस्य कार्मिक संगठन द्वारा एक–दूसरे के साथ सम्पर्क में रहते हैं।

गुट नेटवर्क्स के अन्तर्गत संगठन के समूह/सदस्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर गुटबन्दी करते है तथा संगठन के अन्दर प्रभावी संचार द्वारा दूसरे अन्य संगठनों के समूहों/सदस्यों से सम्पर्क में रहते हुए सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

व्यक्तिगत नेटवर्क्स में, व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप में संगठन के समूहों/सदस्यों के सम्पर्क में रहते हैं तथा व्यक्तिगत कार्यकुशलता में वृद्धि एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्ध स्थापित करते हैं।

यदि नेटवर्क्स की विशेषताओं अथवा लक्षणों का विश्लेषण किया जाये तो नेटवर्क्स को अन्य तीन श्रेणियों में वगीकृत किया जा सकता है :–

- उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क्स
- संरचना के आधार पर नेटवर्क्स
- भौगोलिक सीमा के आधार पर यथा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय नेटवर्क्स

इस प्रकार नेटवर्क्स की प्रकृति एवं उसके विभिन्न आधारों पर विभिन्न स्वरूपों का निर्माण होता है। जिसका विवरण निम्नवत् किया गया है :–

15.2.7.1 सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क्स

सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क स्वतः संगठित नेटवर्क्स होते हैं जिसमें व्यक्तिगत तथा संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों तथा अभ्यासों के द्वारा कार्य किया जाता है। सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क अनौपचारिक नेटवर्क्स होता है। जोकि ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है जहां पर ज्ञान की साझेदारी तथा नये विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। एक समय के पश्चात् ये नेटवर्क्स औपचारिक नेटवर्क का रूप ले लेते हैं और जहां पर निरन्तर रूप में लाभों का आदान–प्रदान होता रहता है। सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क में सामान्यतः समूहिक क्रिया को शामिल नही किया जाता है इसलिए व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत क्षमता के निर्माण के लिए सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है।

15.2.7.2 ज्ञान आधारित नेटवर्क्स

जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ज्ञान आधारित नेटवर्क्स में पार्श्वीय सीख द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना को विस्तारित व निर्मित करना है। जिसका लाभ नेटवर्क के सदस्यों को मिलता है। ज्ञान आधारित नेटवर्क विशेष नेटवर्क होता है। जिसमें सूचना का आदान–प्रदान किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार का नेटवर्क अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों हो सकते हैं और आन्तरिक सूचना के स्तर के आधार पर इन नेटवर्क्स में अन्तर होता है। कुछ नेटवर्क्स कुछ विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तुरन्त निर्मित होते हैं। जबकि कुछ नियोजित रूप में दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित होते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क्स अधिकांशतः औपचारिक होते हैं। प्रबन्धन व संचार के लिए नियंत्रित सदस्यता व सुस्पष्ट अधःसंरचना द्वारा परिभाषित होते हैं। अधिकतर स्थिति में औपचारिक नेटवर्क्स का मुख्य उद्देश्य संयुक्त शोध व लक्ष्य के द्वारा ज्ञान का विस्तार करना है। सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क्स के परिप्रेक्ष्य ज्ञान आधारित नेटवर्क्स उद्देश्यपूर्ण तथा विशेषज्ञता के आधार पर निर्मित होते हैं बजाय समान इच्छा के।

15.2.7.3 क्षेत्रीय नेटवर्क्स

क्षेत्रीय नेटवर्क्स किसी विशेष क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए संगठित किये जाते हैं। यथा गैर–सरकारी संगठन, पर्यावरणीय संगठन, स्वास्थ्य संगठन इत्यादि। इन संगठनों की प्रकृति देय–उन्मुख होती है। क्षेत्रीय नेटवर्क्स के अन्तर्गत जनमानस को जनसूचना के प्रति जागरूक करना तथा किसी विशेष क्षेत्र के प्रति उनमें जागरूकता स्थापित करना होता है।

क्षेत्रीय नेटवर्क्स सामान्यतः साझेदारी पर निर्भर करते हैं और वकालत, तकनीकी, क्षमता निर्माण, संयुक्त शोध तथा विकास के मानक निर्मित करने में, सम्मिलित होते हैं।

15.2.7.4 सामाजिक परिवर्तन अथवा वकालत नेटवर्क्स

सामाजिक परिवर्तन नेटवर्क्स अथवा वकालत नेटवर्क्स को मित्र संगठन अथवा बहुदलीय संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इस नेटवर्क्स का निर्माण किसी विशेष कारण अथवा इच्छा को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क्स सदस्यों के द्वारा एक विशेष लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। यह लक्ष्य अधिकतर किसी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित होते है। अन्य प्रकार के नेटवर्क्स में वकालत नेटवर्क्स सरकारी तथा अन्तर–सरकारी व्यवस्थाओं से प्रत्यक्षरूप में सम्मिलित होते हैं। जिसका उद्देश्य सामाजिक स्थिति में आवश्यक परिवर्तन लाना होता है। ऐसे नेटवर्क्स में सदस्यों की संख्या असीमित होती है और नेटवर्क्स की प्रकृति अनौपचारिक होती है।

15.2.7.5 सेवायें प्रदान करने वाले नेटवर्क्स

सेवायें प्रदान करने वाले नेटवर्क्स स्वतंत्र संगठन होते हैं जोकि सेवायें प्रदान करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों में समन्वय को स्थापित करते हैं। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं और मानवीय सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्रों में। अधिकांशतः सेवायें प्रदान करने वाले नेटवर्क्स लोगों द्वारा प्रायोजित होते हैं। इस नेटवर्क्स का उद्देश्य सेवाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना तथा उसकी प्रभावशीलता का बढ़ाना, सेवाओं में समन्वय स्थापित करना, नेटवर्क्स द्वारा लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, किये जाने प्रयासों के दोहरीकरण को कम करना तथा प्रतियोगिता में कमी लाना।

15.2.7.6 वित्तीयन करने वाली संस्थाओं से नेटवर्क्स

इसके अन्तर्गत वे संस्थायें आती हैं जो विकासशील देशों में कार्य करने वाली संस्थाओं को समर्थन प्रदान करती हैं। ये संस्थायें अभियानों, वार्ता, समझौतों आदि के माध्यमों से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं तथा संचार एवं सहभागिता के मार्ग का चयन करती हैं ये संस्थायें एक साझेदारी का विकास करती हैं तथा बहुलवाद को बढावा देती हैं। ये संस्थायें अपनी सरकारों से भी वित्तीय सहायता की मांग करती हैं तथा विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों के निर्माण का कार्य करती हैं वे उनका संचालन भी करती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा साझेदारी के विकास के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क का विकास किया जाता है। विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन के लिए ये आपस में ही किसी संस्था की परियोजना चलाने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित कर देती हैं फिर यह नोडल संस्था बिकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है सभी संस्थाओं को वित्तीयन करती है तथा परियोजना के संचालन में आवश्यक तकनीकी परामर्श तथा अन्य प्रकार के सहायता प्रदान करती हैं तथा मार्गदर्शन भी करती हैं। यह सामुदायिक क्रिया के रूप में संयुक्त प्रयासों से किया जाने वाला कार्य होता है।

इन संस्थाओं में कुछ संस्थायें तकनीकी रूप से हस्तक्षेप करने वाली संस्थायें भी होती हैं जो विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन स्वयं करती हैं। ये संस्थायें नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्वयं ही करती हैं। किन्तु उनकी क्रियाविधि तथा रूचि का मुख्य केन्द्र किसी परियोजना का तकनीकी पुन्ज ही होता है। इन संस्थाओं में सर्वप्रमुख उल्लेखनीय संस्था केयर है जो अनेक देशों में कार्य करती है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से अन्य संस्थाओं को सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। सामाजिक संस्थाओं के

लिये आवश्यक है कि वे वित्तीयन करने वाली संस्थाओं के साथ अपने नेटवर्किंग की प्रणाली को सुदृढ रखें क्योंकि सामान्य तौर पर संस्थाओं के पास तकनीकी रूप से कार्य करने का अनुभव एवं ज्ञान अपेक्षाकृत सीमित होता है। इन संस्थाओं को क्षेत्र में कार्य करते समय तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता की आवश्यकता होती है जिनकी प्राप्ति वे वित्तीयन संस्थाओं अथवा नोडल ऐजेंसी से करती हैं। संस्थायें वित्तीय रूप से तकनीकी एवं प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं होती हैं इसलिये भी उन्हें सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग करते हुये एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के साथ सम्बन्ध बनाये रखना पडता है जिससे वे एक दूसरे के संसाधनों का सदुपयोग कर सकें।

15.2.7.7 मध्यवर्ती संगठन नेटवर्क्स

इसके अर्न्तगत वे संगठन अपना नेटवर्क बनाते हैं जो अन्य संगठनों को समर्थन देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले किसान संगठन, औद्योगिक मजदूर संगठन तथा कियात्मक संगठनों के बीच आपस में तालमेल बनाना हैं। ये संगठन इसलिए कियाशील होते हैं क्योंकि आपस में मिलजुल कर उन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य कर सकें जहां पर सरकारों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा रोजगार सृजन के लिए भी कार्यवाहियां की जाती हैं। मध्यवर्ती संगठनों के द्वारा क्षेत्र के स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों के लिये संसाधनों की व्यवस्था करना प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वित्तीयन की व्यवस्था करने के लिये भी कार्य किया जाता है। मध्यवर्ती संगठन भी कभी–कभी प्रत्यक्ष तौर पर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ये संगठनों के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हैं जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये जाने वाले उपायों से परिचित हो सकें, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और कल्याणकारी कार्यक्रम करते हैं जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के लिये विद्यालयों का संचालन आदि जैसे कार्य करने में संगठनों की मदद् की जाती है और सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है।

15.2.7.8 प्रतिनिधि संगठन नेटवर्क्स

इसके अर्न्तगत वे समूह आते हैं जो कुछ वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकारों तथा अन्य अभिकरणों से परस्पर वार्त करते हैं तथा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग भी अपनाते हैं। इनमें मजदूर संगठन, भूमिहीन किसान/मजदूर संगठन, महिलाओं के संगठन, छात्रों के संगठन, अधिवक्ताओं के संगठन तथा अन्य संगठन आते हैं जो उक्त क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए संगठित रूप से कार्यवाही करते हैं। वास्तव में ये सभी संगठन एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं और एक ऐसे सामाजिक आर्थिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समुदायों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर पाये जाते हैं इनका आपसी संजाल लक्ष्य प्राप्ति में अत्यन्त प्रभावी सिद्ध होता है। इनमें प्रत्येक संगठन की अलग–अलग कार्य प्रणाली होती है जो अपने हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्धता का परिचय देते हैं। ये संगठन विशिष्ट सामाजिक समूहों के हितों से सम्बिन्धित होते हैं इसलिये ये उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न नेटवर्कों का उपयोग करते हैं जैसे महिला आयोग एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिये गठित किया गया है। यह संगठन महिलाओं को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक हिंसा के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने में विधिक तथा अन्य साधनों की सहायता उपलब्ध करवाती हैं। यह संगठन

महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा तथा शोषण को रोकने के लिये स्थानीय स्तर पर महिलाओं के हितों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं का एक गठजोड़ बनाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से दूसरे ऐसे भी संगठन हैं जो महिलाओं के हितों के लिये कार्य करते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण एवं हिंसा से बचाने के लिये गठजोड़ अथवा नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं ऐसा ही एक प्रमुख संगठन मैस्वा (मेन्स ऐलाइंस फॉर स्टापिंग वायलेंस अगेनेस्ट वूमेन) है जो महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये कार्यवाही करता है। इसी प्रकार से एडवा जैसे संगठन भी हैं जो महिलाओं के लिये कार्य करते हैं ये सभी संगठन आपस में नेटवर्किंग का उपयोग करते हुये राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के हित में नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार नेटवर्किंग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करवाने, कानूनों का निर्माण करवाने एवं संसाधनों का आवंटन करवाने के लिये किया जाता है।

15.2.7.9 सहकारी संगठन नेटवर्क्स

सामाजिक क्रिया करने वाले संगठनों में सबसे प्रभावी नेटवर्क सहकारी संगठनों का होता है। हालांकि सहकारी संगठनों की सदस्यता खुली नही होती बल्कि इसका सदस्य बनने के लिए लोगों को पंजीकरण करवाना पड़ता है। ये संगठन अपना नेटवर्क अत्यन्त सुव्यवस्थिति ढंग से तैयार करते हैं एवं अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर एक साझा उद्देश्य को निर्धारित करते हैं तथा आन्दोलन ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त कार्यवाही में जुट जाते हैं विभिन्न प्रकार के सहकारिता आन्दोलन इसके उदाहरण हैं। ये सहकारी संगठन विभिन्न स्तरों पर सशक्तिकरण के प्रयासों से भी सम्बन्धित होते हैं।

15.2.7.10 दबाव समूहों का नेटवर्क्स

विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन नीतियों कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निर्माण तथा कियान्वयन के लिए वाह्य रूप से दबाव बनाने का कार्य करते हैं। ये संगठन सामाजिक क्रिया के रूप में विभिन्न प्रकार की कियाविधि अपनाते हैं जैसे विभिन्न प्रकारों के अभियानों का संचालन करना, कुछ क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, मार्च करना, लॉबिंग करना, मीडिया से सम्पर्क करना तथा उसे अपने पक्ष में करना व्यक्तिगत सम्पर्कों के माध्यम से समर्थन प्राप्त करना, व्यक्तियों छोटे समूहों आदि के माध्यम से अभिजात्य संस्थाओं का समर्थन जनहित के मुद्दों पर प्राप्त करने जैसे कार्य किये जाते हैं। इन दबाव समूहों के द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी कार्यवाहियां होती रही हैं।

15.3 सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक नेटवर्किंग

सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक संजाल से आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न तन्तु या रेखाएं आपस में एक दूसरे से उददेश्यपूर्ण तरीके से जुडे रहतें हैं। इन तन्तुओं का जुड़ाव किसी विशिष्ट उददेश्य की पूर्ति के लिए होता है। विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिको ने इसको व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों का एक संयोजन या जमाव बताया है। मौलिक रूप से इस अवधारणा का प्रयोग मानव समाज में आपस में पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों को समझने के लिये किया गया था। यह एक अमूर्त अवधारणा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली घटना है। सामाजिक संरचना किसी समाज के मूलभूत सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होती है। हरबर्ट स्पेन्सर ने सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सामाजिक संरचना की अवधारणा से समाज की संरचना को समझने का प्रयास प्रारम्भ हुआ। संरचना का एक अन्य अर्थ सहमति का दृष्टिकोण भी है।

इसका आधार व्यक्तियों का आपसी संबंध है। ये संबंध आपस में इस अपेक्षा से निर्मित होते है कि समाज के सभी सदस्य इन नियमों का पालन करेंगें। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक नेटवर्क का आशय उन संस्थाओं से है जो एक से अधिक व्यक्ति या समूह के संबंधों को विनियमित करतें हैं। संरचना में स्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता भी पायी जाती है अर्थात समय के साथ संरचना के विभिन्न अंगों में परिवर्तन भी होता रहता है। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करती है इसलिए समाज अपनी और सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सामाजिक नेटवर्क/संजाल की स्थापना करते हैं।

समाज कार्य में नेटवर्क या संजाल की अवधारणा का प्रयोग गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों गैर सरकारी संगठनों आदि के एक अन्तः संबंध या जाल या संरचना के विशिष्ट अर्थ में लिया जाता है। वर्तमान में बहुत से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा मिल जुल कर प्रयास किये जा रहे हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था में इन संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिकायें प्राप्त हो रही हैं। सरकारें अपनी भूमिकाओं को पुर्नपरिभाषित कर रही हैं और उन्हे सीमित भी कर रही है। राज्य अपने दायित्व को सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर डाल रही है, किन्तु गैर सरकारी संगठनों में एकरूपता का अभाव है जहाँ एक तरफ कुछ संगठन जिनका वित्तियन और कार्य अनुभव सशक्त है, सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, वही कुछ संगठनों को एक स्पष्ट कार्यप्रणाली एवं अनुभव का अभाव है। जिससे वे कमजोर एवं निष्प्रभावी दिखायी देते है। इसलिए भी सामाजिक संगठनों के द्वारा सामाजिक नेटवर्क एवं सहभागिता का विकास किया जा रहा है। इससे जहाँ एक तरफ कमजोर सामाजिक संगठनों को कार्य का अनुभव प्राप्त होता है वहीं वे अपनी वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ करते हैं। ये संगठन सामान्यत; एक नोडल एजेन्सी के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं और किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते है। प्रायः सामाजिक संस्थाये किया के रूप में भी करती हैं। वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी सामुदायिक समस्यायें ऐसी है जिनके समाधान के लिए सामुदायिक संगठन की आवश्यकता होती है। जिसका उददेश्य सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना है। सामाजिक नेटवर्क का उपयोग दबाव समूह के रूप कें भी किया जाता है। जब किसी विषेष मुददे की माँग या विरोध के लिए सामाजिक संगठनों के द्वारा किसी कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाता है तब ये सरकार तथा अन्य संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते है एवं माँग–पूर्ति के लिए दबाव भी डालते है।

अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन एक मंच पर आयें। क्योंकि सामाजिक नेटवर्क की विशेषताओं का उपयोग समाज कार्य में विभिन्न रूपों में किया जात है। इन संगठनों का कार्यक्षेत्र एक गाँव या कस्बे से पूरा विश्व हो सकता है। अतः कई संगठन एक साथ मिलकर काम करने के लिए साथ आते हैं।

सामाजिक नेटवर्क का एक लाभ यह भी होता है कि सामाजिक संस्थाए किसी विषय की समझ का विकास स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक करती है और अनुभवों का पारस्परिक लेनदेन भी करती है। ये संस्थाए साथ मिलकर कार्य करती है और विरोध और सहमति का प्रदर्शन कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करते है। इनके प्रयासों में ये संस्थाएं व्यैक्तिक स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं समूहों को भी सम्मिलित करते है। जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध व्यक्ति, वकील, सांसद, मंत्री, कलाकार तथा खिलाडी आदि कोई भी हो सकता है। इनकी सक्रियता का लाभ लेने के लिए इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सामाजिक संस्थायें इनके साथ अपने संबंधों को पुष्ट बनाते हैं

और विभिन्न मुददों पर कार्यवाही करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। यें अपने ज्ञान अनुभव और संबंधों का लाभ एक दूसरे को पहुँचाते हैं। सामाजिक नेटवर्क में प्रायः संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा साथ मिलकर कार्य करने के दौरान किसी सामान्य आचार संहिता का निर्माण कर लिया जाता है। इसके लिए सभी की परस्पर सहमति प्राप्त की जाती है और आचार संहिता पर दृढ़ रहते हुये उसका पालन किया जाता है। सामाजिक नेटवर्क के अर्न्तगत विभिन्न स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य कार्यक्रम का निर्माण करते है और बहुस्तरीय कार्यक्रमों को सम्पन्न करते हैं।

सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के बीच समायोजन स्थापित करना है। अर्थात समुदाय के सदस्यों की अनुभूत आवश्यकताओं को ज्ञात करते हुए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को गतिमान करना एवं उचितपूर्ण समायोजन स्थापित करना है। जिससे कि समुदाय के सदस्य व समुदाय आत्मनिर्भर हो सके। सामुदायिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने तथा सामुदायिक आवश्यकताओं की संदृष्टि तक समुदायिक कार्यकर्ता को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हुए सेवार्थी समुदाय, आवश्यकताओं संसाधनों स्थापित करना पड़ता है। और इसके लिए उसे नेटवर्किंग की जरूरत होती है अर्थात एक ऐसे 'जाल' का निर्माण करता है जिससे कि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में नेटवर्किंग का अत्यधिक महत्व है। इसके महत्व को आर्मर डनहम ने परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है। जिसमें समाज कल्याण के लिए समाज कल्याण आवश्यकताओं और समाज कल्याण साधनों के बीच समायोजन लाने का प्रयास किया जाता है समाज कल्याण साधनों में संस्थाए या संस्थान ही सम्मिलित नहीं होते है बल्कि इसमें कर्मचारी, भौतिक साधन, वित्तिय व्यवस्था नियम व कानून नेतत्व, नगरिकों में जागरूकता सीख और सहयागिता भी शमिल है। सामुदायिक संगठन एक गतिशील, व्यापक और प्रभाव कारी प्रक्रिया है।

सी. एफ मेकनील ने भी जो सामुदायिक संगठन की परिभाषा दी, उसका अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय के सदस्य व्यक्तिगत नागरिकों के रूप में या समूहों के प्रतिनिधियों के रूप में एक दूसरे साथ मिलकर समाज कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं को निश्चित किया जा सके, उन्हे पूरा करने की योजना बनाई जा सके और आवश्यक साधनों की गतिमान दिया जा सके।

एम0 जी0 रॉस ने सामुदायिक संगठन की आधुनिक परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधनों अर्थात आन्तरिक। बाहय अथवा दोनो का पता लगाना आवश्यक है। इसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त क्रिया विधि द्वारा समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास के द्वारा आवश्यकताओं का पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है।

इस प्रकार परिभाषाओं का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया को तभी पूर्ण किया जा सकता है जब नेटवर्किंग द्वारा लक्ष्य की प्रप्ति की जाए।

15.3.1 सामुदायिक संगठन एवं नेटवर्क्स संस्थाए

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह देखा जाये तो सामुदायिक संगठन प्रणाली की उत्पत्ति दान संगठन समिति आन्दोलन से हुई है। 1869 तथा 1877 में स्थापित दान

संगठन समिति की स्थापना का उद्देश्य वर्तमान दान एवं समाज सेवी समितियों को वर्तमान दान एवं समाज सेवी समितियों को समन्वित करना तथा सहयोग व प्रोत्साहन देना था। इन समस्याओं के समाधान हेतु कुछ दान संगठन समितियों के अन्तर्गत विशेष परिषदों की भी स्थापना की गयी। जिसका उद्देश्य कल्याण कारी क्रियाओं का समन्वय करना, सार्वजनिक एवं ऐच्छिक संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना, सेवाओं के स्तर को ऊँचा उठाना तथा बनाए रखना, स्वास्थ्य एव कल्याण के विकास के लिए सामुदायिक नेतत्व का विकास करना और सामाजिक नियोजन करना है। मिर्जा आर अहमद ने अपनी पुस्तक 'समाज कार्यः दर्शन एवं प्रणालियां' में बताया है कि सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित छः प्रकार की संस्थाओं के साथ नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है।

1. सामुदायिक कल्याण परिषद्
2. सामुदायिक कोष
3. समन्वित परिषद्
4. नेबरहुड परिषद्
5. समाज सेवाए विनिमय
6. व्यक्तिगत समाज सेवी संस्थाए

15.3.1.1 सामुदायिक कल्याण परिषद्

कल्याण कारी संस्थाओं को समन्वित करने और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए के विचार को ध्यान में रखते सर्वप्रथम ने पिट सवर्ग ने सामुदायिक कल्याण परिषद् की स्थापना हुई। सामुदायिक कल्याण परिषद का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक नियोजन और स्थानीय स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धों सेवाओं का समन्वय है भारतीय सन्दर्भ में केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जिसकी स्थापना सन् मार्च, 1953 में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य विशेषकर महिलाओं के कल्याण निकास व सशक्तीकरण के स्वौच्छिक संगठनों के साथ स्वस्थ भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त एक अन्य दातव्य संगठन भारतीय समाज कल्याण परिषद एक वैश्विक संगठन जो कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सामाजिक विकास के लक्ष्य पर आधारित है जो कि समाज कार्य अभ्यास, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर कार्य कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का एक वैश्विक संगठन अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद भी है।

15.3.1.2 सामुदायिक कोष

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षय सदस्यों की सहायता इस प्रकार से की जाए जिससे वे आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम होकर समाज के सामान्य लोगों की बराबरी में आ सके और आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन आपन कर सके। अतः स्पष्ट है कि आज दी कल्याण सेवाओं के लिए आंशिक धन की आवश्यकता नहीं है बल्कि नियमित और अधिकाधिक धन एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक समाज कल्याण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एक सामुदायिक कोष संगठन कल्याण कार्यो के लिए स्थापित धन एकत्रित करने के इच्छुक नागरिकों एवं सामुदायिक आर्थिक सहायता

के लिए आवश्यक सेवियों का संगठन है। यह कटा जा सकता है कि सामुदायिक कल्याण आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कल्याण कारी कार्यक्रमों के सचालनके लिए धन की आवश्यकता होती है।इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामुदायिक कोष एक प्रमुख संगठन है जो आवश्यक नियमों के अनुरूप सदस्यों के आपसी सहयोग एवं सहयागित के आधार पर काम करता है।

भारतीय सन्दर्भ में यदि देखा जाए तो बहुत ऐसे कोष सामुदायिक कोष ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रहे है, और उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे है। इसके अतिरिक्त कापोरिटे सोशल रिसयान्सिविलिटि का भी एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण समुदाय की तो आवश्यकताओं का पता लगाना आवश्यकता को पूरा करने में संस्थाओं को प्रोरसाहित करना तथा वित्तिय आलथन प्रदान करना।

15.3.1.3 समन्वित परिषद्

समन्वित परिषद् में नागरिको का एक समूह होता है। जिसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र की सामाजिक शक्तियों को उपयोग में लाते हुए सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए समन्वय स्थापित करना है। ऐसा माना जाता है। कि किसी मे एक विशेष समस्या के अनेक कारण होते है। और उन कारणों को दूर करने का सामर्थ्य किसी एक समूह अथवा संस्था के पास नही होता है। इसलिए समन्वित रूप से सभी कारणें को ध्यान में रखते हुए एकीकृत प्रयास किया जाता है। और विभिन्न परिषदो को एक साथ शामिल किया जाता है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय आपदा समन्वय समिति, महिला समन्वय परिषद्, उपभोक्ता समन्वय समिति इत्यादि।

15.3.1.4 नेबरहुड परिषद्

नेबरहुड परिषद में स्थानीय नागरिको को एक समिति होती है जिसका उद्देश्य एक पड़ोस की सामाजिक दशाओं में उन्नति करना होता है।

15.3.1.5 समाज सेवाए विनिमय

यह कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं का एक संघ है जो कल्याण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाओं द्वारा सहायता पाने वाले समस्त व्यक्तियों का अभिलेख रखता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक समाजसेवी संस्था को यह पता रहे कि सहायता के प्रार्थी किसी अन्य संस्था से भी तो सहायता नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ इसका उद्देश्य धोखे, द्वितीयवृत्ति एवं धन के विनाश को रोकना है।

15.3.1.6 व्यक्तिगत समाज सेवी संस्थाएं

व्यक्तिगत समाज सेवी संस्थाए अनेक समाजसेवी संस्थाएं जैसे परिवार कल्याण संस्थाएं, शिशु रक्षा संस्थाएं, दत्तक ग्रहण संस्थाएं, एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामुदायिक संगठन का कार्य करती है। यह संस्थाएं मनोरंजन सम्बन्धी सेवाओं का विकास, या मनोचिकित्सा औषाधालय आदि की स्थापना करती है और उनका संचालन करती रहती है।

15.4 सारांश

संक्षेप में यही कहा जा सकता है। सामुदायिक संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्थाओं के साथ नेटवर्किंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उचित नेटवर्क द्वारा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने में संसाधनों को गतिमान करना आवश्यक होता है। ससांधानों को गतिमान करने के लिए सामुदायिक स्तर पर नेटवर्क के द्वारा आपसी सहयोग एवं सहयागिता के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से की जा सकती है।

15.5 शब्दावली

नेटवर्क्स — नेटवर्क्स से तात्पर्य किसी भी 'इकाई के समूह' से है जिसमें एक इकाई अन्य इकाईयों से सम्बन्धित होती है। जोकि एक निश्चित नियम द्वारा परिभाषित होती है। नेटवर्किंग, समुदायों में, विभिन्न कर्ताओं में आत्म–निर्भरता की अनुभूति को प्रदर्शित करता है।

सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क्स — सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क स्वतः संगठित नेटवर्क्स होते हैं जिसमें व्यक्तिगत तथा संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों तथा अभ्यासों के द्वारा कार्य किया जाता है। सामुदायिक अभ्यास नेटवर्क अनौपचारिक नेटवर्क्स होता है। जोकि ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है जहां पर ज्ञान की साझेदारी तथा नये विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

ज्ञान आधारित नेटवर्क्स — ज्ञान आधारित नेटवर्क्स में पार्श्वीय सीख द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना को विस्तारित व निर्मित करना है। जिसका लाभ नेटवर्क के सदस्यों को मिलता है। ज्ञान आधारित नेटवर्क विशेष नेटवर्क होता है। जिसमें सूचना का आदान–प्रदान किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार का नेटवर्क अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों हो सकते हैं और आन्तरिक सूचना के स्तर के आधार पर इन नेटवर्क्स में अन्तर होता है।

मध्यवर्ती संगठन नेटवर्क्स — मध्यवर्ती संगठन अपना नेटवर्क बनाते हैं जो अन्य संगठनों को समर्थन देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले किसान संगठन, औद्योगिक मजदूर संगठन तथा क्रियात्मक संगठनों के बीच आपस में तालमेल बनाना हैं। ये संगठन इसलिए क्रियाशील होते हैं क्योंकि आपस में मिलजुल कर उन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य कर सकें जहां पर सरकारों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

प्रतिनिधि संगठन नेटवर्क्स — प्रतिनिधि संगठन में वे समूह आते हैं जो कुछ वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों

का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकारों तथा अन्य अभिकरणों से परस्पर वार्त करते हैं तथा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग भी अपनाते हैं।

15.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- खिन्दूका एस.के., सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1995।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- लिएबलर, सी. एवं फेरी, एम., एनजीओ नेटवर्क्सः बिल्डिंग कैपासिटी इन ए चेन्जिंग वर्ल्ड, ए स्टडी सपोर्टेड बाई बीडीसीएचए, 2004।
- गिलक्रष्ट, ए., डेवलपिंग द वेल कनेक्टेड कम्युनिटी, नेटवर्क लॉजिकः हू गवर्न्स इन एन इन्टर–कनेक्टेड वर्ल्ड?, 2004।
- गुडिन, जे. एम., सिन्थेसिस रिपोर्ट ऑफ पीवीसी मैचिंग ग्रान्ट इवैलवेसन्स, वाशिंगटन, डी सी, 2002।
- मैकार्थी, एच. एवं मिलर, पी., एवं स्किडमोर, एडिटेड, नेटवर्क लॉजिकः हू गवर्न्स इन एन इन्टर–कनेक्टेड वर्ल्ड?, 2004।

+ सिद्दिकी, एच. वाई., वर्किंग विद कम्युनिटीज़: एन इनटरोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क, न्यू दिल्ली, हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।

+ स्टीफेन्सन्स, के., टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ गवर्मेन्ट, नेटवर्क लॉजिकः हू गवर्न्स इन एन इन्टर–कनेक्टेड वर्ल्ड?, 2004।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. नेटवर्क्स से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. नेटवर्क्स की सामान्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. नेटवर्क्स से प्राप्त होने वाले लाभ को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. नेटवर्क्स के सिद्धान्त के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. नेटवर्क्स के स्वरूप को बताइये।

.....

.....

.....

.....

15.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. उपभाग 15.2.1 व 15.2.2 देखे।
2. उपभाग 15.2.3 देखें।
3. उपभाग 15.2.5 देखे।
4. उपभाग 15.2.6 देखे।
5. उपभाग 15.2.7 देखे।

इकाई–16 सामुदायिक संगठन में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 सामुदायिक संगठन एवं सामुदायिक कार्यकर्ता

16.2.1 सामुदायिक कार्यकर्ता की विशेषताएं

16.3 सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका

16.3 एम. जी. रॉस के अनुसार सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका

16.3.1.1 एक पथप्रदर्शक के रूप में कार्यकर्ता

16.3.1.2 एक सामर्थ्यदाता के रूप में कार्यकर्ता

16.3.1.3 एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता

16.3.1.4 एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता

16.4 सामुदायिक कार्यकर्ता की अन्य भूमिकाएं

16.4.1 एक सक्रियकर्ता के रूप में

16.4.2 एक अधिवक्ता के रूप में

16.4.3 एक शिक्षक के रूप में

16.4.4 एक मध्यस्थकर्ता के रूप में

16.4.5 एक प्रबन्धक के रूप में

16.4.6 एक परिवर्तनकर्ता के रूप में

16.4.7 एक संचारकर्ता के रूप में

16.4.8 एक सहयोगकर्ता के रूप में

16.4.9 एक नवप्रवर्तनकर्ता के रूप में

16.4.10 एक प्रेरककर्ता के रूप में

16.4.12 एक उत्प्रेरककर्ता के रूप में

16.4.13 एक सुगमकर्ता के रूप में

16.5 सारांश

16.6 शब्दावली

16.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

16.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

16.0 उद्देश्य

इस इकाई में समुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप–

1. सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका के महत्व को समझ सकेगें।

2. सामुदायिक कार्यकर्ता की विशेषताओं को जान सकेगें।

3. एम. जी. रॉस के अनुसार सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका से, अवगत हो सकेगें।

4. सामुदायिक कार्यकर्ता की अन्य भूमिकाओं को समझ सकेगें।

16.1 प्रस्तावना

समाज कार्य की इस प्राथमिक सामुदायिक संगठन प्रणाली का अविर्भाव वैसे तो मानव जीवन के साथ–साथ माना जाता है लेकिन प्रमाणित रूप से एक दान समिति के प्रयासों चैरिटी आर्गेनाइजेशन सोसाइटी के आन्दोलनों से हुआ। यह तब हुआ है जब इस दान समिति ने विभिन्न अन्य कार्यरत गैर सरकारी कल्याण समितियों के मजबूत सम्बन्धों, सहयोग एवं इन समितियों के माध्यम से उपलब्ध सहायता कोष के धन के उचित उपयोग के विषय में कदम उठाया। इन प्रयासों से जन्मी प्रणाली को सामुदायिक संगठन का नाम दिया गया।

सामान्य बोलचाल की भाषा में सामुदायिक संगठन का अर्थ किसी निश्चित क्षेत्र या भूभाग के व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं उस भू–भाग में उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य विभिन्न साधनों के बीच समुचित एवं प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुए उन व्यक्तियों में अपनी समस्याओं एवं कठिनाईयों का अध्ययन करने तथा उपलब्ध साधनों से समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास करना है।

16.2 सामुदायिक संगठन एवं सामुदायिक कार्यकर्ता

समाज कार्य की सभी प्रणालियों का उद्देश्य सेवार्थी में आत्मनिर्देशन तथा आत्मनिर्भरता की योग्यता को विकसित करने का प्रयास करना है। जिसका अंतिम उद्देश्य सेवार्थी में आत्मविकास के साथ समायोजन स्थापित करते हुये अपने पैरों पर खड़े होने की योग्यता का विकास करना है। सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत सामुदायिक कार्यकर्ता को

समुदायों के साथ कार्य करके जो भी अनुभव प्राप्त हुए है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब तक समुदाय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भता उत्पन न हो जाए, वह अपनी सस्याओं का समाधान स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को पूरा करने में असमर्थ रहता है।

वास्तव में, सामुदायिक कार्यकर्ता की वास्तविक पहचान है कि वह समुदाय को एक ऐसे स्तर पर पहुँचायें जहाँ उसे कार्यकर्ता की सहायता की न्यूनतम जरूरत हो। यह तभी संभव हो सकता है, जब समुदाय के सदस्यों में 'हम की भावना' का सम्पूर्ण विकास हो चुका हो और वह अपने समुदाय को एक प्रथक अस्तित्व के रूप में देखने लगा हो। इन सब व्यवहारिकताओं के लिए एक शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल एवं अनुभवी कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन को वैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर समुदाय को संगठित अथवा विघटित करने वाली शक्तियों अथवा बाधाओं को जानता व पहचानता हो तथा समुदाय में एकता एंव संगठन की योग्यता उत्पन्न करने की निपुणता रखता हो।

सामुदायिक कार्यकर्ता के कार्यक्षेत्र को लिपिबद्ध करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि वह एक निश्चित भू–भाग के विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों के साथ अलग–अलग समयों में भिन्न–भिन्न रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करता है। सर्वप्रथम एक कुशल कार्यकर्ता होने के कारण सदस्यों की समस्याओं, आवश्यकताओं के साथ–साथ उपलब्ध साधनों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात् निम्नलिखित प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों में आपसी सहयोग एवं संगठन के साथ आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समता स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखें:–

- सदस्यों के सामाजिक सांस्कृतिक स्तर के वास्तविक स्वरुप का ज्ञान होना।
- सदस्यों की रूचियों, आवश्यकताओं, उनकी योग्यताओं एवं उनकी सीमाओं का ज्ञान ।
- सामुदायिक कार्यकर्ता की अपनी कुशलताएं, क्षमताएं एवं अनुभव की सीमाएं क्या है?
- कार्यकर्ता में सदस्यों को सहायता प्रदान की इच्छा एवं सहयोग की भावना का होना।
- समुदाय के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का ज्ञान ।
- समुदाय की संरचना एवं उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना।
- विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं का ज्ञान जो कि सामुदायिक कल्याण सेवाओं को प्रदान करती हो।
- सामुदायिक संगठन का प्रबोध एवं कार्यात्मक, का ज्ञान ।

16.2.1 सामुदायिक कार्यकर्ता की विशेषताएं

एक अच्छे सामुदायिक कार्यकर्ता में निम्नलिखित विशेषताओं का पाया जाना आवश्यक है :–

- **जिज्ञासा** :–एक सामुदायिक कार्यकर्ता का यह कार्य होना चाहिए कि उठाए गये प्रश्नों से विचलित न हो और चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहे।

- **अवमान** :– जिज्ञासा व अवमान एक साथ होते है। कार्यकर्ता समुदाय में असंतोष को उत्पन्न करता है तथा वास्ताविक स्थिति से लोगों का अवगत कराते हुए सम्भावित समाधान प्रस्तुत करता है।

- **कल्पना** :– कल्पना करना एक मानसिक किया है एक कार्यकर्ता कल्पना द्वारा लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करता है तथा प्रतिक्रिया द्वारा वास्ताविक स्थिति का मूल्यांकन करता है।

- **अर्थपूर्ण समझदारी** :– एक कार्यकर्ता में अर्थपूर्ण समझदारी का होना आवश्यक है। क्योंकि स्थिति को समझने में समय के अनुरूप किन शस्त्रों का उपयोग किया जायेगा यह उसकी तार्किक क्षमता पर निर्भर करता है।

- **संगठित व्यक्तित्व** :– एक कार्यकर्ता विभिन्न अतार्किक परिस्थितियों में समुदाय के साथ कार्य करता है। वह प्रयास करता है। कि प्रत्येक व्यक्ति अथवा समुदाय मूल्यों के अनूरूप कार्य का सम्पादन करे। वह प्रत्येक स्तर हमेशा सीखता है और उससे दूसरों को अवगत कराता है। वह बिना भय अथवा चिंता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से निपरने के लिए तैयार रहता है और वह दोनो सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिकियाओं स्वीकार करता है।

- **मुक्त एवं खुला दिमाग** :– सामुदायिक कार्यकर्ता के व्यक्ति में लाचशीलता रहती है वह किसी भी चीज पर दृढ़ नहीं रहता है और असम्भावित परिस्थितियो का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहता है। सामुदायिक कार्यकर्ता जब समुदाय के साथ कार्य करता हो तो वह किसी भी ऐजेडे को गोपनीय नहीं रखता है और अपने विचारों को खुले मन से व्यक्ति करता है।

- **आलोचकनात्मक दृष्टि** :– एक कार्यकर्ता में स्थितियों को देखने व समझने की शक्ति होनी चाहिए और आलोचनात्मक रूप से उन स्थितियों में अन्तर स्थापित कर सके। क्योंकि प्रत्येक स्थिति का अवलोकन लोगों द्वारा किया जाता है तथा उसके लक्षणों कारणों एवं प्रभावों को जाना जाता है।

- **सुनने की क्षमता** :– एक कार्यकर्ता में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सही तरीक से सुनी गई समस्या का समाधान सही तरीके से सुनी गई समस्या का समाधान सही तरीके से हो सकता है। जब कार्यकर्ता समुदाय के साथ कार्य करता है। तो उसे सावधानी पूर्वक लोगों की समस्याओं का सुनना चाहिए तथा लोगों की किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं देना चाहिए।

16.3 सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका

सामुदायिक संगठन का अभ्यास विभिन्न समुदायों अथवा परिप्रेक्ष्यों में किया जाता है। समुदाय, समाज का एक अभिन्न अंग है जिसमें समाज के सदस्य विभिन्न समूहों में निवास करते हुए अपना जीवन निर्वाह करते है। यह कहा जा सकता कि समुदाय समाज

का वह प्राथमिक आधार है जहाँ के सदस्यों का सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित होता है। समुदाय को उसकी विशेषताओं के आधार पर क्रमश ग्रमीण नगरीय जनजातीय अथवा भागौलिक स्थिति के आधार वर्गीकृत किया जा सकता है इसके अतिरिक्त एक अन्य आधार क्रमश जाति धर्म, व्यावसाय अथवा किसी विशिष्ट उद्देश्यों को आधार पर निर्मित समुदाय को भी जाना जा सकता है। इन विभिन्न समुदायों के परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक संगठन प्रणाली का अभ्यास किया जाता है।

सामुदायिक संगठन प्रणाली का अभ्यास तब किया जाता है जब समुदाय स्वयं आवश्यकताओं को पूर्ण करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए पहल करता है। किसी विशेष स्थिति में विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान हेतु समुदाय विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है। जब समुदाय द्वारा समस्याओं के समाधान और आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पहल नहीं की जाती है तो सामुदायिक कार्यकर्ता वाह्यकर्ता के रूप में पहल करता है और समुदाय के साथ कार्य करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका समस्या की प्रकृति पर निर्भर करती है और यह भूमिका समुदाय के परिप्रेक्ष्य में, समस्या और आवश्यकता के अनुरूप होती है। सामुदायिक संगठन की विधियों एवं तकनीकियों और सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका को सामुदायिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर उपयोग में लाया जाता है।

एम.जी. रॉस ने सामुदायिक कार्यकर्ता की क्रमशः पथ प्रदर्शक, सामर्थ्यदाता, विशेषज्ञ तथा सामाजिक चिकित्सक के रूप में, चार भूमिकाओं का उल्लेख किया है। इन भूमिकाओं के अतिरिक्त सामुदायिक कार्यकर्ता अन्य भूमिकाओं का भी निर्वहन करता है।

यहां पर सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिकाओं को निम्नलिखित रूपों में बांट कर अध्ययन किया गया है। एम. जी. रॉस के अनुसार सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका निम्नवत् है :–

16.3.1.1 एक पथप्रदर्शक के रूप में कार्यकर्ता

सामुदायिक कार्यकर्ता पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की सहायता करता है जिससे कि वह अपने उद्देश्यों को निश्चित कर सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का पता लगा सके। कार्यकर्ता अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सेवार्थी को सचेत करता है कि वह असत्य मार्ग का अनुसरण न करे। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है परन्तु वह स्वयं किसी सुझाव को मानने पर सेवार्थी को विवश नहीं कर सकता। सामुदायिक कार्यकर्ता, सामाजिक परिवर्तन का दिशा निर्देशक होता है। इस प्रकार एक मार्गदर्शक/पथप्रदर्शक के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सामुदायिक लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को खोजने में सहायता करना** :– सामुदायिक कार्यकर्ता की एक योग्य मार्गदर्शक के रूप में आवश्यक है कि वह सदस्यों के जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं को पहचानने, उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी आवश्यक साधनों को ढूंढ निकालने में सदस्यों की इस प्रकार सहायता करे जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को वे स्वयं पहचानते हुए आवश्यक कदम उठा सके। इसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता में लोगों की आवश्यकता पहचानने, कार्यक्रम योजना बनाने तथा सदस्यों के साथ मिलजुल कर सामूहिक निर्णय लेने का अनुभव हो।

+ **लोगों में साथ कार्य करने के लिए कदम उठाना** :– सामान्यतः विकासशील देशों में सामुदायिक सदस्य अपने परम्परागत रीति रिवाजों में अटल विश्वास रखने के कारण परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते है। परिणामस्वरूप उनका सामाजिक जीवन पिछड़ा ही बना रहता है। उनमें परिवर्तन कायम किया जा सकता है लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। कार्यकर्ता को एक मार्गदर्शक के रूप में सामुदायिक सदस्यों द्वारा अपनाये गये परम्परागत पिछड़े रास्तों की कमियों को उन्हें महसूस कराते हुए उनके स्थान पर नये रास्तों को पहचानने तथा उनकी पूर्ति के लिए सहायता करनी चाहिए जिससे इन लाभकारी रास्तों को अपनाकर सदस्यगण अपना जीवन–स्तर ऊपर उठा सके।

  इस प्रकार के उपयोगी कदम उठाने के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के विचारों और भावनाओं का ज्ञान हो और साथ ही नये लाभकारी साधन एवं सुविधाओं का भी ज्ञान हो। साथ ही उसमें ऐसी निपुणता भी होनी चाहिए ताकि वह समुदाय के सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर उन्हें यकीन दिला सके कि ऐसा करना उनके हित में है।

+ **समुदाय की वर्तमान स्थितियों में वस्तुनिष्ठतापूर्ण व्यवहार करना** :– कार्य के प्रारम्भिक काल में कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को ही ध्यान में रखकर कार्य नहीं करता बल्कि सदस्यों की वर्तमान स्थिति को भी बिना किसी शिकायत एवं प्रशंसा के स्वीकार करता है। सदस्यों के विचारों और भावनाओं का अध्ययन करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार अच्छी बातों की प्रशंसा एवं बुरी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए वह सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है।

+ **सम्पूर्ण समुदाय के साथ सहायक होकर** :– कार्यकर्ता एक कुशल सलाहकार के रूप में न केवल किसी जाति एवं वर्ग विशेष के सदस्यों के साथ कार्य करता है बल्कि वह समुदाय के प्रत्येक वर्ग, जाति एवं धर्म के सदस्यों की भावनाओं को जानने तथा समुदायिक कल्याण के लिए उन्हें संगठित करने में सहायक होता है। वह समुदाय के सभी सदस्यों के साथ कार्य कर उनमें सामूहिक कार्य करने, निर्णय लेने, योजना बनाने तथा योजना को कार्यन्वित करने की भावना का विकास करता है।

+ **भूमिका की स्वीकृति एवं इसे सुविधाजनक बनाकर** :– व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभवसे कार्यकर्ता सदस्यों से स्वीकृति प्राप्त कर उनसे व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करता है। इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में सदस्यगण स्वयं समुदायिक संगठनकर्ता से उसके विचार जानना चाहते हैं। इसमें कार्यकर्ता अपने विचार एवं ज्ञान से सदस्यों को न केवल निर्देशित करता है बल्कि उनमें स्वयं निर्णय लेने की योग्यता का विकास भी करता है। सदस्यों के लाभकारी सुझावों की प्रशंसा करता है तथा हानिकारक सुझावों के गुणों अवगुणों को सदस्यों के समक्ष रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहायता करता है। इस प्रकार एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के नाते वह सदस्यों को आवश्यक सलाह देता है।

+ **भूमिका को सार्थक एवं समझने योग्य बनाना** :– सामुदायिक संगठनाकर्ता सदस्यों को अपने ज्ञान एवं अनुभव की जानकारी देने के साथ कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार सदस्य, समुदाय के अन्दर एवं बाहर उपलब्ध सामुदायिक शक्तियों एवं साधनों को पहचानते हुए एक सामुदायिक कल्याण तथा जन कल्याण को बढ़ावा दे पाते हैं।

16.3.1.2 एक सामर्थ्यदाता के रूप में

सामुदायिक संगठनाकर्ता का कार्य न केवल एक मार्गदर्शक के रूप में सदस्यों के रास्तों की बाधा मुक्त बनाना है, बल्कि एक व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे सदस्यों में अपनी समस्याओ, आवश्यकताओं को जानने तथा उनसे मुकाबला करने की योग्यता का निर्माण करना भी है। इस प्रकार एक कुशल सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग लेकर सामर्थ्यदाता के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है–

- **सामुदायिक असन्तोषों को केन्द्रित करना** :– एक सामर्थ्यदाता के रूप में सामुदायिक संगठनकर्ता का प्रथम कार्य सदस्यों में व्याप्त उनकी समस्याओं, असन्तोषों को जानना है। कभी–कभी सदस्यगण अपने असन्तोष को महसूस करते–करते उसे अपने जीवन का अंग मान लेते हैं। कुछ सदस्य अन्य लोगों के समक्ष अपने असन्तोषों को व्यक्त करने में अपना अपमान समझते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता को लोगों को सामुदायिक असन्तोष को व्यक्त करने का पूरा अवसर देना चाहिए तथा व्यक्त न करने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे समूह में अपने विचारों को रख सकें। व्याप्त असन्तोषों एवं सदस्यों की अपनी कार्यक्षमताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सदस्यों को उनकी योग्यता एवं शक्ति का अनुभव कराये और कार्यमों में उनकी भूमिका निभाने पर बल दे। उसे सदस्यों के प्रत्येक पक्ष को समझते हुए, उन्हें समूह के समक्ष व्यक्त करते हुए, उनमें आपसी सहयोग एवं सहायता से सामूहिक कल्याणकारी निर्णय लेने की योग्यता को विकास करना चाहिए।

- **संगठन को प्रोत्साहित करना** :– एक समुदाय में सदस्यों की अपनी जातिगत, धार्मिक, सामूहिक एवं वैचारिक भिन्नताओं के कारण वे न तो एक साथ एकत्रित होना चाहते हैं और न ही अपने–अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। कार्यकर्ता को इन बातों का ध्यान रखते हुए सदस्यों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सदस्यों में इस बारे में जो मतभेद हो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

- **अन्तःवैयक्तिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना** :– सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सामुदायिक सदस्यों के विचारों एवं व्यवहारों से पूर्ण परिचित होता है। इसलिए आवश्यकतानुसार सदस्यों में एक साथ कार्य करने तथा अन्य सामूहिक बातों पर बल देने के साथ सदस्यों में अन्तः वैयक्तिक सम्बन्धों को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम सदस्यों में अपनी स्वीकृति/विश्वास प्राप्त करता है। धीरे–धीरे अपने विश्वास एवं स्वीकृति से सदस्यों में आपसी सम्बन्धों को विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने का प्रयास करता है। लोगों में सामूहिक भावना विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता सदस्यों में व्याप्त आन्तरिक कुंठाओं एवं तनावों को जानना चाहता है तथा उन्हे दूर करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त वह समुदाय की वैमनस्यता, अन्तः समूह तनाव एवं वर्ग विभेद को पहचानने का प्रयास करता है। समयानुसार वह इनमें आवश्यक परिवर्तन स्थापित कर सदस्यों के अन्तः वैयक्ति सम्बन्धों को मधुर बनाने का प्रयत्न करता है।

- **सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल देना** :– सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल दे। इसके लिए वह विभिन्न समूहों, जातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सामने

रखकर सार्वजनिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का चुनाव करने में सदस्यों की मदद करता है। सदस्यों में समुदाय की सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने के पश्चात् कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं का श्रेणीकरण करने में उनकी सहायता करता है। इससे सदस्यों में सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने, उन पर सामूहिक विचार करने तथा उनकी पूर्ति के लिए योजना बनाने की योग्यता का विकास होता है।

16.3.1.3 एक विशेषज्ञ के रूप में

एक विशेषज्ञ के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को सूचना, तकनीकी ज्ञान/अनुभव प्रणालियों के विषय में परामर्श इत्यादि उपलब्ध कराता है परन्तु वह स्वयं अपना मत सेवार्थी से मनवाने का प्रयास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी आत्म चेतना पर नियंत्रण रखना पड़ता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को जागरूक करता है और शोध की प्रणालियों द्वारा लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। वह कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करता है और उसे सेवार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है। व्यावसायिक कार्यकर्ता अपने शिक्षण, प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव के कारण कार्य का एक विशेषज्ञ होता है। उसका पूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। इस प्रकार वह एक विशेषज्ञ के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सामुदायिक कठिनाईयों के निदान में सहायता करना** :– सामुदायिक संगठनकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में समुदाय में उत्पन्न समस्याओ एवं बुराइयों की जानकारी के साथ–साथ अपने विशेष अध्ययन द्वारा समस्याओं को उत्पन्न एवं विकसित करने वाले कारकों का पता लगाता है। उनसे सदस्यों को अवगत कराता है और सामूहिक रूप से उन पर विचार विमर्श करता है। इसे ध्यान में रखकर सदस्यगण समस्या निवारण के लिए योजना बनाने एवं कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होते हैं। धीरे–धीरे कार्यकर्ता सदस्यों में समस्याओं का निदान करने की योग्यता का विकास करता है जिससे भविष्य में उत्पन्न समस्याओं का वे स्वयं निदान कर सकें।

- **अनुसंधान की निपुणता प्रदान करना** :– कार्यकर्ता, एक विशेषज्ञ के रूप में, सदस्यों में स्वयं अध्ययन कार्य करने तथा अध्ययन नीति तैयार करने की योग्यता का विकास करता है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यकर्ता उन्हें अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराता है। सामुदायिक स्थिति को जानने के लिए उन्हें सूचना एकत्रीकरण की विभिन्न विधियों जैसे अवलोकन व साक्षात्कार आदि से अवगत कराकर उनमें अध्ययन करने की योग्यता का विकास करता है।

- **दूसरे समुदाय की सूचनाओं को उपलब्ध कराना** :– सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों में दक्षता एवं कर्मठता का विकास करने के लिए अपने व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर अन्य समुदाय के सदस्यों में व्याप्त सामुदायिक जागरूकता, कार्यकुशलता एवं उनकी उपलब्धियों का उदाहरण प्रस्तुत कर, उनके द्वारा अपनायी गयी प्रविधियों को अपनाने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है जिससे उनमें व्याप्त क्षमताओं एवं ज्ञान का प्रयोग वे सामुदायिक कल्याण एवं विकास कार्य में कर सकें।

- **कला विधि एवं उपयोगिता सम्बन्धी परामर्श** :– सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन कार्य के लिए विशेषज्ञ के रूप में सदस्यों में संगठित होकर

सामुदायिक समस्याओं पर विचार–विमर्श करने, समस्या समस्या के लिए कार्यक्रम का चयन करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन जैसी विभिन्न उपयोगी विधियों एवं कला के ज्ञान से सदस्यों को अवगत कराता है। इसके लिए कार्यकर्ता समुदाय के विभिन्न भागों में निवास करने वाले योग्य सदस्यों को संगठन का सदस्य बनाने, संगठन की आचार–संहिता के अनुसार व्यवहार करने, कल्याणकारी योजना बनाने, प्रजातांत्रिक निर्णय लेने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सदस्यों का ज्ञानवर्धन करता है। इससे सदस्यगणों में स्वयं सामुदायिक कल्याण कार्य करने की योग्यता का विकास करता है।

- **मूल्यांकन करना** :– कार्यकर्ता अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर सदस्यों द्वारा लिये गये सामूहिक निर्णयों एवं संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से सदस्यों को अवगत कराता है। कार्यक्रम पर पुनर्विचार एवं परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। इसके फलस्वरूप सदस्यों में कार्यक्रमों एवं निर्धारित लक्ष्यों के बीच तुलना करने तथा आवश्यक परिवर्तन लाने की योग्यता का विकास होता है।

16.3.1.4 एक सामाजिक चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता

सामुदायिक कार्यकर्ता एक समाजिक चिकित्सक के रूप में समुदाय में व्याप्त समस्याओं के उन महत्वपूर्ण कारकों एवं तत्वों का पता लगाता है जो विकास में बाधक है। रौस के अनुसार समाज चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता उन छिपी उपलब्ध एवं अचेतन शक्तियों से मुकाबला करता है जो सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के लिए बाधक एवं भ्रामक सिद्ध होती है। सामुदायिक कार्यकर्ता एक परामर्शदाता/चिकित्सक की भूमिका में साक्ष्य आधारित मूल्यांकन का निष्पादन करता है तथा वैयक्तिक पारिवारिक तथा सामूहिक स्तर पर लोगों से सम्बन्धित सामाजिक एवं सांवेगिक मुद्दों पर आधारित स्थिति पर हस्तक्षेप द्वारा प्रयास करता है। इस प्रकार की भूमिका में समाज कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक पर्यावरण लोगों को कैसे प्रभावित करता है, सेवार्थी की आवश्यकताओं का पता लगाने की योग्यता, सेवार्थी को हस्तक्षेप द्वारा कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है, कौन सी हस्तक्षेप तकनीकियों को अपनाया जायेगा तथा परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा सेवार्थी को निर्देशित करने की योग्यता, इत्यादि का ज्ञान हो। एक समाजिक चिकित्सक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **मनोसामाजिक आंकलन एवं निदान** :– सेवार्थी की स्थिति को समझने के लिए उसकी प्रेरणाओं, क्षमताओं तथा परिवर्तन के अवसरों का आंकलन करना, आवश्यक है। सेवार्थी तथा उसके पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचनाओं का अवधारणात्मक संकलन होना आवश्यक है। इसके साथ ही समाज कार्यकर्ता को निदान के उद्देश्य की प्राप्ति लिए आवश्यक है कि शोध, कार्यक्रम नियोजन इत्यादि के विषय में ज्ञान हो।

- **उचित देखभाल** :– एक परामर्शदाता/चिकित्सक की यह भूमिका नहीं है कि वह हमेशा सेवार्थी अथवा सामाजिक स्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास करे बल्कि यह भी आवश्यक है कि लगातार सेवार्थी को सम्बल प्रदान करे अथवा उसकी देखभाल करे।

- **सामाजिक उपचार** :– एक समाज कार्यकर्ता का, सहायता करने के लिए सेवार्थी का उससे सम्बन्धित लोगों एवं समूहों से कैसे रिश्ते हैं, सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन के

लिए किये गये सेवार्थी के प्रयासों को आलम्बन प्रदान करना, समस्या समाधान अथवा अन्तरवैयक्तिक परिवर्तन के प्रयासों में सेवार्थी को सम्मिलित करना, तथा सामाजिक परिस्थितियों और/अथवा व्यक्तियों के बीच संघर्षों अथवा असमानताओं को दूर करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष रणनीतियों द्वारा सेवार्थी के साथ आमने–सामने तथा अप्रत्यक्ष रणनीतियों द्वारा सेवार्थी को सन्दर्भित सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं।

16.4 सामुदायिक कार्यकर्ता की अन्य भूमिकाएं

सामुदायिक कार्यकर्ता, सामुदायिक संगठन की विधियों का प्रयोग करते हुए समुदाय की आवश्यकता को पहचानता है, आकलन करता है तथा विश्लेषण करते हुए स्थिति को समझने का प्रयास करता है। सामुदायिक स्थिति को समझने के लिए कार्यकर्ता प्रथम स्तर पर समुदाय को समझता है तथा द्वितीय स्तर पर ऐसे अवसर उत्पन्न करता हे जिससे कि समुदाय अपनी स्थिति को स्वयं समझ सके।

सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन के चरण तथा प्रक्रिया से सम्बन्धित ज्ञान, निपुणता तथा विशेष योग्यता रखता है। जिसे वह विभिन्न क्षेत्रों में वह उचित भूमिका का निर्वहन करते हुए लागू करता है। यहां पर सामुदायिक कार्यकर्ता की विभिन्न भूमिकाओं का विश्लेषण किया गया है।

16.4.1 एक सक्रियकर्ता के रूप में

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए समुदाय को प्रोत्साहित करता है, निर्देश देता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। समुदाय में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों पर होते हैं और स्वतः कार्य करने का निर्णय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में सामुदायिक कार्यकर्ता एक सक्रियकर्ता की भूमिका को निभाते हुए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। सामुदायिक कार्यों में यदि किसी प्रकार का सुधार व परिवर्तन होना होता है तो उसे सक्रिय कार्यकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। सामुदायिक कार्यकर्ता समग्र रूप से अपनी भूमिका के द्वारा प्रारम्भिक चरण नियोजन से लेकर अन्त मूल्यांकन तक की प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता को, विशेषकर समुदाय की समस्याओं और मुद्दों के सम्बन्ध में, सुनिश्चित करता है।

एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में सफल सिद्ध हो सकता है जहां अधिकाधिक जनसंख्या अन्याय एवं पक्षपात का शिकार हो रही हो। वैसे सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता की भूमिका विवादास्पद है लेकिन ऐसे क्षेत्र में कार्यकर्ता सदस्यों की सहायता करता है जिससे वे समुदाय की पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन कर एक कल्याणकारी एवं न्यायिक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकें। सामुदायिक कार्यकर्ता के इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर बल देते हुए मोरिस और रेइन ने कहा है कि यदि सामुदायिक संगठन को सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभानी है तो पूर्णरूपेण उदासीन नहीं रहा जा सकता और सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका आवश्यक है। इसी प्रकार पानिक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में विशेषकर सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका एक न्यायिक घटना के समान है। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- समुदाय में एक प्रेरक की भूमिका को निभाना।
- कार्यक्रमों में सहभागिता के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना।
- प्रगतिशील कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को लगातार प्रोत्साहित करना।
- कार्यक्रम नियोजन में लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।

16.4.2 एक अधिवक्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उनका पक्ष लेता है। विभिन्न जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष सेवार्थियों के पक्ष में उजागर करता है और उन पर किये एक गये अन्याय की आलोचना करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता उन संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों के दुराग्रहों एवं एकतरफा बातों को चुनौती देता है जिनके कारण सेवार्थी अन्याय का शिकार बने होते हैं। वह अपने ज्ञान एवं सामुदायिक शक्तियों से संस्थाओं एवं संगठनों की उन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और तौर–तरिकों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जो सामाजिक न्याय एवं विकास के लिए बाधक है। पानिक के अनुसार सामुदायिक कार्यकर्ता का उद्देश्य एक अधिवक्ता के रूप में किसी संस्था की पद्धति की बुराई करना नहीं है बल्कि आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार लाना है।

वकालत करना समाज कार्य का मुख्य आधार है जो कि आचार संहिता द्वारा संचालित होती है। वकालत एक या एक से अधिक व्यक्तियों, समूहों, शामिल अथवा समुदायों की ओर प्रत्यक्ष रूप से बचाव करना, आलम्बन देना अथवा सिफारिश करने की क्रिया का एक माध्यम तथा साथ में सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति अथवा संरक्षित करने का तरीका है। सामुदायिक कार्यकर्ता वकालत की विभिन्न विधियो के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया में सेवार्थी के आत्मनिर्धारण एवं सहभागिता के सिद्धान्त का अधिकतम उपयोग करते हुए संतुलन बनाने का प्रयास करता है और यह भी प्रयास करता है कि सेवार्थी अपने उद्देश्यें की प्राप्ति स्वतः वकालत करके कर सके। एक सामुदायिक कार्यकर्ता सेवार्थी की विशेषताओं का चयन करते हुए उचित देखभाल करता है तथा नकारात्मकता के विरूद्ध अथवा सम्पूर्ण अपेक्षित क्रियाओं के प्रति तैयार रहती है।

बहुधा देखा जाता है कि ग्रामीण एवं पिछड़ा समुदायों की समाज सेवी संस्थायें अपनी सेवाओं को लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाती है। कभी–कभी वे अपनी सेवाएं आवश्यकता समाप्त होने पर पहुंचाती है। बहुधा उपयोगी सुविधाओं को वे समुदाय के सम्पन्न एवं समृद्ध शक्तिशाली व्यक्तियों में ही बांट देती हैं, जरूरतमन्द व्यक्तियों में नहीं। कार्यकर्ता इन सभी बातों का ज्ञान संस्थाओं को देता है तथा जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों से नियमित एवं आवश्यकतानुसार प्रदान करने पर बल देता है। साथ–साथ सदस्यों में भी इस ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करता है जिससे सदस्यगण जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के विषयों में जानकारी रखते हुए आवश्यकतानुसार यथासम्भव लाभान्वित हो सकें। एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है :–

- **सेवार्थी अथवा वैयक्तिक वकालत** :– इस प्रकार की वकालत में यह देखा जाता है कि सेवार्थी सेवाओं अथवा संसाधनों को प्राप्त करने योग्य है, अथवा प्राप्त किया है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तथा यह निर्धारित किया जाता है कि वह आवश्यक सेवाओं के लिए योग्य है। यह प्रक्रिया सेवार्थी को अपील करने में सहायता प्रदान करती है और अन्य स्थिति में यदि आवश्यकता पड़ती है तो सेवा प्रदान करने वाले अथवा संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

- **वर्ग वकालत** :– इस प्रकार के कार्य में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के समूहों अथवा जनसंख्या के एक भाग जिनकी सामान्य समस्या है, को सेवाएं प्रदान की जाती है। विशेष रूप से लोगों के समूहों को सेवाओ से प्राप्त होने वाले लाभों अथवा नागरिक अधिकारों से प्राप्त होने वाले लाभों में आने वाली बाधाओं अथवा रूकावटों को दूर करने में वर्ग वकालत के द्वारा कार्य किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के प्रयासों का उद्देश्य संस्था के नियमों, सामाजिक नीतियों, कानूनों इत्यादि में परिवर्तन लाना होता है।

16.4.3 एक शिक्षक के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता अधिकतर अभ्यास प्रक्रिया में सेवार्थी अथवा सेवार्थी समूह के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को समझने अथवा उनके जीवन में आने वाली या उत्पन्न होने वाली समस्याओं/संकट की रोकथाम में शिक्षा प्रदान करता है। जिसका मुख्य उद्देश्य सेवार्थी को सशक्त करना है। शिक्षक की भूमिका में सामुदायिक कार्यकर्ता सेवार्थी को यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार परिस्थितियों को स्वीकार किया जाये। जो परिस्थितियां लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, को समझने के लिए सूचनाएं, योग्य सलाह, सम्भावित विकल्पों की व्याख्या और उसके प्रभाव को जानने में सेवार्थी को सहायता करता है तथा उसके जीवन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि वह उचित निर्णय ले सके।

समाज कार्य अभ्यास का आधारभूत उद्देश्य है कि सेवार्थी के अकार्यात्मक व्यवहार को परिवर्तित करे और सामाजिक अन्तक्रिया के विभिन्न पक्षों को प्रभावशाली रूप से सीखे। इस प्रक्रिया के द्वारा सेवार्थी समाज के प्रतिमानों कानूनों अथवा नियमों सामाजिक निपुणता का विकास, कार्यात्मक भूमिका को सीखना, तथा अपने व्यवहार के प्रति अन्तर्दृष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी की सहायता साक्षात्कार द्वारा अथवा संरचित शैक्षिक क्रियाओं यथा कार्यशाला द्वारा की जाती है। एक शिक्षक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है :–

- **सामाजिक और दैनिक जीवन जीने की कला** :– शिक्षक, सेवार्थी के कौशल का उपयोग संघर्ष समाधान, मुद्रा प्रबन्धन, जन यातायात के उपयोग, जीवन के नये आयाम के साथ समायोजन, वैयक्तिक देखभाल एवं स्वच्छता, प्रभावी संचार इत्यादि इस क्रिया के उदाहरण हैं, जहां पर सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं।

- **व्यवहार परिवर्तन में सहायता** :– सामुदायिक कार्यकर्ता संकेतात्मक अभिगम का प्रयोग करते हुए यथा भूमिका प्रतिपादन, मूल्यों का स्पष्टीकरण, व्यवहार आशोधन के द्वारा सेवार्थी के अन्तरावैयक्तिक व्यवहार को प्रभावी बनाता है।

- **प्रारम्भिक रोकथाम** :– ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये जो स्पष्ट होता है कि समाज कार्य व्यवसाय मानवीय समस्याओं एवं उससे सम्बन्धित लोगों की स्थिति से सम्बन्धित रहा है। वर्तमान में समाज कार्यकर्ता ने प्राथमिक रोकथाम की ओर अत्यधिक ध्यान दिया है। समस्याओं के विकास की रोकथाम कई स्थानों पर निरोधात्मक प्रयासों के द्वारा समाज कार्यकर्ता ने एक शिक्षक यहां तक की एक जन शिक्षककर्ता की भूमिका का प्रतिपादन कर रहा है। उदाहरण के रूप में पूर्व विवाह परामर्श, परिवार नियोजन से सम्बन्धित सूचनाओं को देना तथा सामाजिक मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना।

16.4.4 एक मध्यस्थकर्ता के रूप में

समाज कार्य विशेष रूप से सहायता प्रदान करने वाला व्यवसाय है जो कि लोगों की सहायता करता है जो उनके सामाजिक पर्यावरण से सम्बन्धित होते हैं। ऐसे स्थान पर सामुदायिक कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति होता है जो सेवार्थी तथा सामुदायिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता करता है। एक मध्यस्थता की स्थिति में सामुदायिक कार्यकर्ता सेवार्थी की आवश्यकताओं, उसके प्रेरणाओं का आंकलन तथा विभिन्न संसाधनों को उपयोग करने की क्षमता तथा संसाधनों को प्राप्त करने में सहायता करता है।

मानवीय सेवाओं के एक मध्यस्थकर्ता के रूप में कार्यकर्ता उपलब्ध विभिनन प्रकार की सेवाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक की शक्ति एवं सीमाओं का आंकलन करता है तथा संसाधनों के आंकलन करने की प्रक्रिया को समझता है। ये सभी संसाधन सामाजिक प्रावधानों यथा धन, भोजन, वस्त्र, आवास तथा/अथवा सामाजिक सेवाओं में परामर्श, चिकित्सा, सामूहिक अन्तःक्रिया पुनर्वास सम्बन्धी सेवाएं हो सकती है। एक मध्यस्थकर्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी स्थिति का आंकलन** :– मध्यस्थता के प्रथम चरण में सेवार्थी की योग्यता और आवश्यकताओं का सही रूप से आंकलन करते हुए वृहत् स्तर पर समझने का प्रयास करता है। एक निपुण मध्यस्थकर्ता सेवार्थी की स्वैच्छिक वादिता, संस्कृति, बोलने की क्षमता, सांवेगिक स्थिरता, बौद्धिकता तथा परिवर्तन के लिए कटिबद्धता इत्यादि कारकों आंकलन करने में निपुण होता है।

- **संसाधनों का आंकलन** :– एक समाज कार्यकर्ता उन विभिन्न संसाधनों का पता लगाने का प्रयास करता है जिससे सेवार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अपनी संस्था जिससे वह सम्बद्ध है अथवा अन्य सामुदायिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं यथा सेवा की गुणवत्ता, सेवाओं के प्रकार, सेवाओं की लागत, सेवा को प्राप्त करने की योग्यता, इत्यादि के प्रति जागरूक होता है। अतिरिक्त रूप में समाज कार्यकर्ता संसाधनों को उपयोग में लाने वाले उचित मार्ग के विषय में भलीभांति परिचित होता है।

- **संदर्भ सेवाएं** :– आवश्यक संसाधनों से सेवार्थी की सम्पर्क स्थापित होने की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की योग्यता एवं प्रेरणा के अनुसार यह निर्णय करता है कि सेवार्थी इच्छानुसार किन सेवाओं को स्वीकार करेगा अथवा नहीं। इस निर्णय के आधार पर समाज कार्यकर्ता सन्दर्भ प्रक्रियाओं से ज्यादा से ज्यादा अथवा न्यूनतम स्तर पर सक्रिय होता है। समाज कार्यकर्ता इस बात की जांच करता अथवा परखता है कि

सेवार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में पुनः कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है।

- **सेवा व्यवस्था सम्बन्ध** :– मध्यस्थता की स्थिति में कार्यकर्ता सेवा वितरण व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर लगातार सेवार्थी से सम्बन्ध बनाये रखता है। समाज कार्यकर्ता संस्था, कार्यक्रम तथा सेवाओं एवं संचार के माध्यमों, सूचनाओं, संसाधनों को गतिमान करने, संस्था की योजनाओं में, सूचनाओं में सुदृढ़ता प्रदान करना तथा लगातार सम्पर्क बनाये रखता है।

- **सूचना प्रदान करना** :– कार्यकर्ता सेवार्थी को लगातार सूचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त समाज कार्यकर्ता सामान्य जन सेवाओं के सेवार्थी की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सेवाओं के बीच जागरूकता स्थापित करता है।

16.4.5 एक प्रबन्धक के रूप में

विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवार्थी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता एक प्रबन्धक की भूमिका निर्वहन करता है। एक प्रबन्धकर्ता की भूमिका में सामुदायिक कार्यकर्ता का कार्य सहायता के लिए आवश्यकताओं का पता लगाना, सफल जीवन में आने वाली बाधाओं के मार्गों का पता लगाना, सेवार्थी को सलाह देने के लिए योग्य सहायताकर्ता से सम्पर्क स्थापित करना, और सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना है। वास्तव में सामुदायिक कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता तथा सेवा योजना की सफलता का मूल्यांकन करता रहता है। एक कुशल प्रबन्धक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह उद्देश्य के प्रति उन्मुख, क्रियाशील एवं सकारात्मक सोच वाला हो। एक प्रबन्धक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी की पहचान एवं परिचय** – इस कार्य में समाज कार्यकर्ता ऐसे लोगों का पता लगाता है जो कि सेवा चाहते हो, तथा वे परिवर्तन की निर्देशित प्रक्रियाएं, जो सकारात्मक रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाता है।

- **सेवार्थी का आंकलन** – इस कार्य में सूचनाओं का संकलन और सेवार्थी की आवश्यकताओं का आंकलन, जीवन की स्थिति तथा संसाधनों का निरूपण करना है।

- **सेवा उपचार योजना का निर्माण करना** – सेवार्थी तथा सेवाओ के मध्य समन्वय स्थापित करना, सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी को विभिन्न प्रकार संसाधनों द्वारा सेवाएं प्रदान करना। नियमित रूप से सेवार्थी तथा सेवा प्रदान करने वाले के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सेवाओं का सतत् मूल्यांकन करना तथा उसका अनुवर्तन प्राप्त करना।

16.4.6 एक परिवर्तनकर्ता के रूप में

समाज कार्य, व्यक्ति विशेष तथा पर्यावरण जिसमें समाज कार्यकर्ता वैयक्तिक, समूहों, समुदायों अथवा सामाजिक व्यवस्था में आवश्यकता परिवर्तन लाने हेतु सहयोग, दोनों पर केन्द्रित करता है। परिवर्तनकर्ता की भूमिका, सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका को अन्य व्यवसायों से अलग करता है। जब कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है

तो मानवीय सेवाओं की आवश्यकताओं तथा व्यक्ति के तनाव को कम करने की स्थिति को पहचानने में बेहतर स्थिति में होता है। सामुदायिक कार्यकर्ता सेवार्थी को यह आश्वस्त करता है कि आवश्कताओं की पूर्ति हेतु संसाधन तथा सामाजिक समस्याओं की स्थिति में परिवर्तन लाने अथवा संसाधनों को अभिप्रेरित करने का उत्तरदायित्व उसका है। सामाजिक परिवर्तन आसान नहीं है तथा राजनैतिक परिवेश में यह कार्य करना अत्यधिक कठिन है। एक परिवर्तनकर्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- सामाजिक समस्याओं अथवा नीतियों का विश्लेषण करना,
- सामुदायिक संसाधनों को गतिमान करना,
- सामाजिक संसाधनों को विकसित करना।

16.4.7 एक संचारकर्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों को सूचनाओं, विचारों, ज्ञान इत्यादि से अवगत कराता है। सूचनाओं को साझा करने से एक समुदाय समर्थ तथा सशक्त होता है। समुदाय तथा सामुदायिक कार्यकर्ता के बीच तथा समुदाय के सदस्यों के बीच संचार का होना अत्यन्त आवश्यक है। संचार से समुदाय, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया तथा उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से अवगत होते हैं और परिवर्तन के लिए सदैव तैयार रहते हैं। समुदाय में संचार को प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह लोगों से सम्पर्क स्थापित करे, सामूहिक मीटिंग का आयोजन करे, समूह चर्चा पर बल दे तथा पब्लिक मीटिंग इत्यादि पर ध्यान आकर्षित करे।

समुदाय में बेहतर संचार स्थापित करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाये और लोगों को समय–समय पर सही सूचना प्रदान करता रहे। संचार के द्वारा ही समुदाय में स्वस्थ सम्बन्धों की स्थापना की जा सकती है। जिसके द्वारा समुदाय का सहयोग प्राप्त होता है। सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन की विभिन्न तकनीकियों क्रमशः व्यंग्य रचना, नुक्कड़ नाटक, भूमिकाओं तथा श्रव्य एवं दृश्य के माध्यम से सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के लोगों को संचार की तकनीकियों से अवगत कराते हुए उन्हें प्रशिक्षित कर सकता है। इसके लिए सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय में छोटे समूह यथा महिला समूह, युवा समूह तथा अन्य माध्यमों के द्वारा लोगों को सूचित कर सकता है। सामुदायिक कार्यकर्ता छोटे–छोटे समूहों से लोगों के अन्दर उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करके उनका सदुपयोग समुदाय की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान में कर सकता है।

16.4.8. एक सहयोगकर्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया को तभी प्रभावशाली बना सकता है जब वह अपने सहकर्मियों तथा अन्य विचारों वाले लोगों एवं अन्य संगठनों को एक साथ लेकर के कार्य करे। इसके लिए सामुदायिक कार्यकर्ता के पास अन्तरवैक्तिक तथा अन्तरावैक्तिक एवं जनसम्पर्क स्थापित करने की निपुणता होनी चाहिए। आज के समय में समुदाय की समस्या का समाधान करने में अन्य संगठन भी सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जो किसी विशेष समस्या पर कार्य कर चुके होते हैं और उनके पास पर्याप्त अनुभव होता है। इन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ता को संगठनों का सहयोग लेना पड़ता है। इस दृष्टि से सामुदायिक कार्यकर्ता एक

सहयोगकर्ता की भूमिका में संगठनों के साथ नेटवर्किंग स्थापित करते हुए सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति में समुदाय की सहायता करता है।

16.4.8 एक नवप्रर्वतनकर्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक संगठन की तकनीकियों को परिष्कृत करता है, उसकी उपयोगिता को बेहतर बनाता है तथा उसे उन्नत करता है। समुदाय की समस्याओं का समाधान करने और आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समुदाय के सदस्यों में सामर्थ्य उत्पन्न करता है और नये मार्गों की खोज करता है। दूसरी ओर सामुदायिक कार्यकर्ता नवप्रवर्तनकर्ता की भूमिका में नये मार्गों के द्वारा लोगों की और समुदाय की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता व्यवस्था को बनाये रखने में स्वतः शामिल नहीं होता है बल्कि उसे चाहिए कि वह नये मार्गों द्वारा लगातार विकास के पथ पर चलता रहे।

16.4.9 एक प्रेरककर्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय की समस्या और आवश्यकता के समाधान स्तर तक पहुंचने में सदस्यों को प्रेरित करता है। जिससे कि सदस्य सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सके। सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय को सूक्ष्म कार्य के अवसर प्रदान करते हुए उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में प्रोत्साहित करता है जिससे कि वह भविष्य में अन्य कठिन कार्य को कर सके। इस प्रक्रिया में जब लोगों के द्वारा पहल नहीं की जाती है तो सामुदायिक कार्यकर्ता लोगों को प्रेरित करते हुए स्थिति का अवलोकन व विश्लेषण करते हुए उसे समझता है तथा लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। जब समुदाय के लोग हतोत्साहित होते है और लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं अथवा लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो सामुदायिक कार्यकर्ता एक प्रेरककर्ता की भूमिका को निभाते हुए अपने लगातार प्रयासों के द्वारा मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

16.4.10 एक उत्प्रेरककर्ता के रूप में

सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय में अपनी पहचान को बनाये रखता है और लोगों को सशक्त करता रहता है। इस प्रक्रिया से लोगों में संसाधनों का उपयोग करने, उस पर नियंत्रण करने तथा निर्णय करने की निपुणता का विकास होता है। सामुदायिक कार्यकर्ता क्रिया तथा प्रतिक्रिया पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लोगों को इस योग्य बनाता है जिससे कि वे आवश्यक परिणामों को प्राप्त कर सके। एक उत्प्रेरक की भूमिका में कार्यकर्ता लोगों को इस योग्य बनाता है जिससे उनमें प्रत्येक स्तर पर पहल करने की क्षमता विकसित हो सके। उत्प्रेरक की भूमिका के द्वारा ही कार्यकर्ता लोगों में आत्मनिर्भरता तथा विशेषज्ञता के गुण को विकसित करता है। जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

16.4.11 एक सुगमकर्ता के रूप में

सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय की आवश्यकताओं को लोगों के समक्ष स्पष्ट करता है, समस्याओं को पहचानता है तथा उपयुक्त रणनीतियों की खोज करते हुए, हस्तक्षेप की रणनीतियों को लागू करता है। सामुदायिक कार्यकर्ता लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें इस योग्य बनाता है जिससे कि वे प्रभावी रूप से अपनी समस्याओं से निपट

सके। एक सुगमकर्ता के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय की सहायता करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है तथा समय–समय पर सुझाव प्रस्तुत करते हुए समुदाय की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। सुगमकर्ता के रूप में कार्यकर्ता समुदाय की सहायता करता है जिससे कि वे सफल रणनीतियों, मनोबल तथा संसाधनों में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यक रूप से परिवर्तन ला सके। एक सुगमकार्यकर्ता सेवार्थी–व्यवस्था की सहायता करता है जिससे कि इनके पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन हो सके।

16.5 सारांश

इस प्रकार सामुदायिक कार्यकर्ता निपुणता तथा विशेषताओं का प्रयोग सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में करते हुए समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में कार्यकर्ता समुदाय को इस योग्य बनाता है जिससे कि वे अपनी समस्याओं को पहचान सके, विश्लेषण कर सके तथा उसका समाधान प्रस्तुत कर सके। समुदायिक कार्यकर्ता समस्याओं के अध्ययन से लेकर कार्यक्रम के मूल्यांकन तक जिस प्रकार की भूमिका की आवश्यकता सदस्यों के लिए महसूस करता है वह उसे पूरा करता है। कार्यकर्ता यदि अपनी इन भूमिकाओं को सही रूप में निभाता है तो सामुदायिक संगठन और कल्याण का काम आसान हो जाता है।

16.6 शब्दावली

एक पथप्रदर्शक के रूप में कार्यकर्ता सामुदायिक कार्यकर्ता पथप्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की सहायता करता है जिससे कि वह अपने उद्देश्यों को निश्चित कर सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का पता लगा सके। कार्यकर्ता अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सेवार्थी को सचेत करता है कि वह असत्य मार्ग का अनुसरण न करे। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है परन्तु वह स्वयं किसी सुझाव को मानने पर सेवार्थी को विवश नहीं कर सकता।

एक विशेषज्ञ के रूप में कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी को सूचना, तकनीकी ज्ञान/अनुभव प्रणालियों के विषय में परामर्श इत्यादि उपलब्ध कराता है परन्तु वह स्वयं अपना मत सेवार्थी से मनवाने का प्रयास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी आत्म चेतना पर नियंत्रण रखना पड़ता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को जागरूक करता है और शोध की प्रणालियों द्वारा लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। वह कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करता है और उसे सेवार्थी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

एक समाजिक चिकित्सक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता एक समाजिक चिकित्सक के रूप में समुदाय में व्याप्त समस्याओं के उन महत्वपूर्ण कारकों एवं तत्वों का पता लगाता है जो विकास में बाधक है। रौस के अनुसार समाज चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता उन छिपी उपलब्ध एवं अचेतन शक्तियों से मुकाबला करता है जो सामुदायिक संगठन प्रक्रिया के लिए बाधक एवं भ्रामक सिद्ध होती है।

एक अधिवक्ता के रूप में कार्यकर्ता सामुदायिक कार्यकर्ता एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उनका पक्ष लेता है। विभिन्न जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष सेवार्थियों के पक्ष में उजागर करता है और उन पर किये एक गये अन्याय की आलोचना करता है।

एक शिक्षक के रूप में कार्यकर्ता सामुदायिक कार्यकर्ता अधिकतर अभ्यास प्रक्रिया में सेवार्थी अथवा सेवार्थी समूह के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को समझने अथवा उनके जीवन में आने वाली या उत्पन्न होने वाली समस्याओं/संकट की रोकथाम में शिक्षा प्रदान करता है। जिसका मुख्य उद्देश्य सेवार्थी को सशक्त करना है।

16.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- रॉस, एम.जी. केस हिस्ट्रीज इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1958।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य : सिद्धान्त एवं अभ्यास, नवज्योति सिरनजीत पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 2011।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के.एस., होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्स, लखनऊ, 1986।

- शेफर, बी.डब्ल्यू. एवं होरेज्सी, सी. आर., टेकनिक्स् एण्ड गाइड लाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा.लि. नई दिल्ली, 2011।
- खिन्डूका एस.के., सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महल, इलाहाबाद, 1995।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- क्रेमर, आर. एम. एवं स्पेच, एच., रीडिंग्स इन कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस, न्यू जर्सी, प्रिन्टिस हॉल, 1975।
- सिद्दिकी, एच. वाई., वर्किंग विद कम्युनिटीज़: एन इनटरोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क, न्यू दिल्ली, हीरा पब्लिकेशन्स, 1997।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामुदायिक कार्यकर्ता के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. सामुदायिक कार्यकर्ता की विशेषताएं को बताइये।
3. प्रबन्धक के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका को समझाइये।
4. परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
5. प्रेरककर्ता के रूप में कार्यकर्ता की भूमिका को बताइये।

16.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 16.2 व 16.3 देखे।
2. उपभाग 16.2.1 देखें।
3. उपभाग 16.4.5 देखे।
4. उपभाग 16.4.6 देखे।
5. उपभाग 16.4.10 देखे।

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

5

सामाजिक क्रिया

इकाई 17
सामाजिक क्रिया की अवधारणा एवं उद्देश्य 226

इकाई 18
सामाजिक क्रिया की विशेषताएं 237

इकाई 19
सामाजिक क्रिया के चरण 248

इकाई 20
सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य 258

इकाई 21
सामाजिक क्रिया एवं आन्दोलन 271

इकाई 22
सामाजिक क्रिया में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका 292

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० एम०पी० दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ० एम० एन० सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० ए० एन० सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो० एस० त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो० अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ० अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो० ए० एन० सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

प्रो० ए० एन० सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

लेखक

डॉ० राकेश द्विवेदी	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
डॉ० अनूप भारतीय	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ० अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो० (डॉ०) जी०एस० शुक्ल	:	कुलसचिव, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खण्ड 5 का परिचय

सामाजिक क्रिया

खण्ड पाँच सामाजिक क्रिया को कुल छः इकाइयों में बाँटा गया है। पहली इकाई सामाजिक क्रिया अवधारणा एवं उद्देश्य पर आधारित हैं इस इकाई में सामाजिक क्रिया की अवधारणा एवं उद्देश्यों पर चर्चा की गयी है। इस खण्ड की दूसरी इकाई में सामाजिक क्रिया की विशेषताओं का वर्णन किया गया हे। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामाजिक क्रिया के चरणों पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक क्रिया के चरणों समस्या की पहचान, प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण रणनीतियाँ, कार्य योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन आदि पर विस्तार से चर्चा की गयी है। इस खण्ड की चौथी इकाई समाज कार्य एवं सामाजिक क्रिया पर आधारित है। इस इकाई में समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया एवं वैयक्तिक समाज कार्य, सामाजिक क्रिया एवं समूह कार्य, सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण प्रशासन शोध आदि पर विस्तृत वर्णन किया गया है। इस खण्ड की पाँचवी इकाई सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक आन्दोलन का अर्थ, परिभाषाएँ, विशेषताएँ, विकास के स्तर, प्रकार, परिवर्तन आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस खण्ड की छठी एवं अन्तिम इकाई सामाजिक क्रिया में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक कार्यकर्ता की विशेषताएँ निपुणताएँ, उद्देश्य एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

इकाई–17 : सामाजिक किया की अवधारणा एवं उद्देश्य

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 सामाजिक किया की अवधारणा

17.3 साामाजिक किया का उद्देश्य

17.4 सारांश

17.5 शब्दावली

17.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

17.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

17.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया की अवधारणा एवं उद्देश्यों की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक किया की अवधारणा को जान सकेंगे।
- सामाजिक किया के उद्देश्यों से परिचित हो सकेंगे।

17.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया व्यापक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाली ऐसी कार्य प्रणाली है जिसके माध्यम से मौलिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं को परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। वस्तुतः इसकी प्रकृति परिवर्तनकारी है। इसके अन्तर्गत सामूहिक प्रयास वांछनीय होता है यह मूलभूत परिवर्तन लाने के लिये कार्य करती है। सामाजिक किया में सहयोग एवं समानता के आधार पर कार्य किया जाता है। यह समाज में बन्धुत्व एवं भाईचारा बढ़ाने का कार्य करती है।

17.2 सामाजिक क्रिया की अवधारणा

समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों की समस्याओं को दूर करने हेतु 6 प्रविधियों का प्रयोग करती है। जिसमें से तीन वैयक्तिक सेवा कार्य, सामूहिक सेवा कार्य तथा सामुदायिक संगठन प्राथमिक विधियां हैं तथा शेष तीन समाज कार्य शोध, समाज कार्य प्रशासन तथा सामाजिक किया सहायक प्रविधियां हैं जिसमें से सामाजिक किया पहले सामुदायिक संगठन का एक अंग मानी जाती थी जिसका

सर्वप्रथम वर्णन मैरी रिचमण्ड ने सन् 1922 में समाज कार्य की चार प्रमुख प्रणालियों में से एक प्रणाली के रूप में किया था। इसके उपरान्त सन् 1940 में जॉन फिच ने एक कान्फ्रेन्स में सामाजिक किया की प्रकृति के ऊपर एक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किया एक वर्ष के बाद उन्होंने 'सोशल वर्क इयर बुक' में सामाजिक आन्दोलन पर निबन्ध लिखा उसके कुछ दिनों के बाद समाज कार्य के क्षेत्र में सामाजिक किया की व्यापक चर्चा चल पडी। 1945 में केनिथ एलियम प्रे ने "सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन" नामक एक लेख लिखा जिसके अनुसार यह माना जाने लगा कि सामाजिक किया सामुदायिक संगठन का एक अंग नहीं है। बाद में चलकर यह बात और भी स्पष्ट रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सामुदायिक संगठन के अन्तर्गत कार्य एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है किन्तु सामाजिक किया में कार्य बड़े पैमाने पर होता है।

सामाजिक किया समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली है। प्रारम्भ में इसे समाज सुधार का नाम दिया जाता था प्रायः समाज कार्यकर्ता सामाजिक समस्याओं में सहायता के साथ–साथ इन समस्याओं को जन्म देने वाले कारकों या दशाओं में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करते रहे है। यह सामान्य स्वीकृति है कि समाज कार्य को व्यवसायिक सेवाएं देने के साथ ही विकासशील देशों में अधिक भूमिकाएं स्वीकार करनी चाहिए इस सम्बन्ध में कुलकर्णी का कथन उल्लेखनीय है –"विकासशील देशो में सामाजिक किया की भूमिका प्रमुख है, और इसका आयोजन समाज कार्य के पूर्व में किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में सामाजिक किया की भूमिका प्रमुख है अतः सामाजिक किया को पीछे छोडकर समाज कार्य अभ्यास व्यर्थ होगा क्योंकि सामाजिक किया ही समाज कार्य के अभ्यास के लिए उपयुक्त दशाएं और वातावरण का निर्माण करती हैं।"

सामाजिक किया की अवधारणा निम्नलिखित परिभाषाओं से स्पष्ट होती है–

मैरी रिचमण्ड के अनुसार

"सामाजिक किया, प्रचार एवं सामाजिक विधानों के माध्यम से सबकी भलाई के लिए कार्य करना है।"

फीडलैण्डर के अनुसार

"सामाजिक किया एक व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक प्रयास हैं, जिसे समाज कार्य दर्शन और अभ्यास के द्वारा सामाजिक प्रगति के लिए आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक विधानों को प्रभावित करके या सामाजिक सेवाओं का प्रशासन करके सामाजिक उन्नति प्राप्त करना और व्यापक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है।"

विट्मर के अनुसार

"सामाजिक किया का तात्पर्य उन संगठित और कानूनी दृष्टि से वैद्य किया कलापों से है जिनकी संरचना समाज द्वारा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनमत, विधान और जन प्रशासन को गतिमान करने के लिए की जाती है।"

इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक किया का समाज कार्य में एक विधि के रूप में अलग अर्थ है। इसका तात्पर्य समाज में किया गया कोई भी कार्य या प्रकिया जो समाज की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार से सम्बन्धित हो सामाजिक किया है।

सामाजिक क्रिया, संगठित कल्याणकारी क्रिया के माध्यम से होने वाले सामूहिक परिवर्तन को कहते हैं जिसमें एक नये सामाजिक व्यवसाय का निर्माण होता है।

क्वायल, 1937 के अनुसार

"समाज कार्य के एक भाग या अंश के रूप में सामाजिक क्रिया सामाजिक पर्यावरण को इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास करता है जो हमारे विचार में जीवन को अधिक संतोषजनक बनायेगा। यह केवल व्यक्तियों को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि सामाजिक संस्थाओं, कानूनों, प्रथाओं तथा समुदायों को प्रभावित करने का लक्ष्य रखता है।"

एन.आई.ओ.एस.डब्लू., 1940 के अनुसार

"सामाजिक क्रिया विधिक और सामाजिक दृष्टि से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई समूह की कानून द्वारा अनुज्ञेय क्रिया या एक व्यक्ति जो सामूहिक क्रिया को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है, द्वारा की गई क्रिया है।"

ली के अनुसार

"सामाजिक क्रिया में ऐसा लगता है कि इसके अन्तर्गत सामाजिक संरचना अथवा कानून में परिवर्तनों के लिए अथवा वर्तमान सामाजिक अभ्यासों में परिवर्तन के लिए नयी क्रिया को जारी करने हेतु प्रयासों को निर्देशित करना है।"

डनहम के अनुसार

"सामाजिक रूप से क्रियाशील व्यक्तियों द्वारा सामाजिक रूप से आवश्यक समझे जाने वाले कार्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा, प्रचार, अनुनय अथवा दबाव के द्वारा वर्तमान सामाजिक अभ्यासों एवं स्थितियों में परिवर्तन लाना या उसको रोकने के लिए किये गए प्रयासों के रूप में सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया जा सकता है।"

राजाराम भास्त्री के अनुसार

"जब समाज में व्यापक स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की चेष्ठा की जाती है तो उसे सामाजिक क्रिया के अन्तर्गत समझा जाता है।"

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की सहायक प्रणाली है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य सामाजिक समस्याओं को हल किया जाता है इसमें आवश्यकतानुसार सामजिक परिस्थितियों में ही परिवर्तन लाकर वातावरण उत्पन्न किया जाता है जिससे व्यक्ति अधिकतम सुख और संतोष का जीवन व्यतीत कर सके समाज कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके इस प्रक्रिया के अन्तर्गत समाज कार्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनमत का सहारा लिया जाता है सामाजिक क्रिया ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करती है जो कि संगठित हैं तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है और जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। सामाजिक क्रिया में सामूहिक प्रयास का होना आवश्यक है चाहे इस प्रयास का आरम्भ किसी एक व्यक्ति ने ही किया हो। इसके लिए आवश्यक है कि समान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त प्रयास किया जाये और यह प्रयास विधान के अनुसार हो।

सामाजिक क्रिया के दो साधन है पहला जनमत को सूचना एवं शिक्षा की उपलब्धि द्वारा परिवर्तित कराना। दूसरा सामाजिक विधान को प्रभावित करना अर्थात परिवर्तित करना या उसका निर्माण करना।

समाज कार्य के वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप के ऐतिहासिक विकास पर यदि ध्यान केन्द्रित करें तो स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक क्रिया 1922 के आस–पास एक प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। 1922 में इसीलिए मैरी रिचमण्ड ने इसका उल्लेख भी किया था। 1940 में जान फिच ने सामाजिक क्रिया की महत्ता को रेखांकित किया । ग्रेस क्वायल के अनुसार समाज कार्य के एक अंग के रूप में सामाजिक क्रिया एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सामाजिक वातावरण में और जन–जीवन में परिवर्तन करके समाज को सामाजिक समस्याओं से मुक्त किया जाता है। विट्मर के अनुसार सामाजिक क्रिया का तात्पर्य पुनः संगठित और कानूनी दृष्टि से वैध क्रिया–कलापों से है जिनके द्वारा इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनमत अपने पक्ष में ध्रुवित किया जाता है। सामाजिक क्रिया की परिभाषायें अभी भी अन्तिम रूप नहीं ले सकी है। इन सभी परिभाषाओं में जो केन्द्रीय विचार देखे जाते हैं वे हैं–

1. व्यापक सामाजिक दशाओं में सुधार।
2. समाज कल्याण में वृद्धि।
3. सामाजिक समस्या का जनता द्वारा अपने स्तर से अन्तिम समाधान।
4. समस्या के जनक परिवेश का समापन।

सामाजिक क्रिया के इन उद्देश्यों में विद्यमान प्रत्यक्ष या परोक्ष सेवाओं से समाज कल्याण का उद्देश्य प्राथमिकता मे शिखर पर हैं। सामाजिक क्रिया के पीछे जो शक्ति कार्य करती है वो है समस्या को आमूल रूप से खत्म करना सामाजिक क्रिया का संचालन करने के दौरान विश्वसनीयता उत्पन्न करने, वैधानिकता को प्राप्त करने, नाटकीकरण करने, सहभागिता करने तथा बहिष्कार करने जैसे कार्यों को किया जाता है तथा इनके लिये आवश्यक रणनीतियों का उपयोग किया जाता है।

सामाजिक क्रिया को जनमानस में अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए यह जनता में नेतृत्व की भावना का विकास करता है। नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करना अति आवश्यक होता है। किसी संगठन तथा आन्दोलन के प्रतिभागी जनता की सहायता द्वारा सत्य व न्याय के चैम्पियन के रूप में भाग लेते हैं।

वैधानिकता एक प्रकिया है जिसके अन्तर्गत सन्दर्भ जनता और सामान्य जनता को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि आन्दोलन के सभी उद्देश्य नैतिकता की दृष्टि से उचित हैं। इन आदर्शों को आन्दोलन के नैतिक सूचक के रूप में माना जाएगा। आन्दोलनकर्ता आन्दोलन के उद्देश्यों में दृढता लाने के लिए दार्शनिक, वैधानिक तकनीक तथा जनता के दृष्टिकोण आदि तरीकों का उपाय कर सकते हैं।

नाटकीकरण का सिद्धान्त वास्तव में गतिकी या मोबलाइजेशन का सिद्धान्त है जिसके द्वारा आन्दोलन के नेता जनसंख्या को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। वीरता की भावनात्मक अपील द्वारा उत्तेजना, प्रशासन, कहानियां, आकर्षित करने वाले नारे तथा अन्य तकनीकों का प्रयोग करके करते हैं।

कोई कार्यकर्ता उन पुराने प्रणालियों को अपना सकता है जो कि वह समझता है कि वह मोबलाइजेशन व उसके लिए लाभदायक है। व्यवस्था को किसी विकासशील कार्य के लिए हस्तान्तरित करना चाहिये।

इस रणनीति के अन्तर्गत समाज कार्यकर्ता वर्तमान सामाजिक नीति में विकास करने की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणों या संस्थाओं के साथ सहभागिता करता है इस अवधारणा की मूल मान्यता एक समान रूचियों और मूल्यों के वास्तविक समझौते पर प्राप्त करने योग्य प्रस्ताव है। कोई भी अपनी शक्ति व अविष्कार खोने को तैयार नहीं होता है। और न ही किसी की शक्ति के द्वारा होता है। इसमें मूल्यों व रूचियों दोनो को ही सम्मिलित करते हैं।

सामाजिक किया में सामान्य रूप से स्वीकृत प्रचार विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से समझा–बुझाकर बातचीत करके एक कार्यकारी अनुबंध स्वेच्छा से विकसित करने का प्रयास किया जाता है प्रचार इस प्रकार से किया जाता है कि समुदाय के सदस्य उस कार्यकम की ओर उन्मुख होने लगते हैं।

बहिष्कार की रणनीति उग्र पंथ या चरमपंथी एप्रोच/प्रकृति की है। इस रणनीति के अन्तर्गत हड़ताल, बहिष्कार, भूख हड़ताल कर अदायगी न करने आदि को माध्यम बनाया जाता है। सामाजिक किया को प्रभावी बनाने के लिये इसमें कुछ सामान्य युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत् हैं–

1. अनुसंधान
2. शिक्षा
3. सहयोग
4. संगठन
5. बातचीत
6. पंचनिर्णय
7. हल्की दबावमूलक कियायें
8. विधिक आदर्शों का उल्लंघन
9. संयुक्त कार्यवाही

सामाजिक किया के अपने विशिष्ट प्रारूप भी हैं जिनका प्रयोग करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये निम्न प्रकार से हैं–

1. अभिजात्य प्रारूप
    - विधायी प्रारूप
    - आर्थिक नाकेबंदी

- प्रत्यक्ष कियाविधि

2. लोकप्रिय प्रारूप

   - शिक्षा विधि
   - अन्तर्विरोधों का प्रयोग
   - प्रत्यक्ष कियाविधि

अभिजात्य प्रारूप में–पहले अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधि अगुआई करता है। लोकप्रिय प्रारूप में सामान्य जनता पहल करती है अभिजात्य वर्ग बाद में शामिल हो जाता है क्योंकि उसका भी अस्तित्व सामान्य जनता पर निर्भर करता है। बाद में जनता स्वयं साथ हो जाती है।

अभिजात्य के सम्पर्क उच्च स्तर के होते हैं जिससे वह समस्या/मुद्दों को ऊपरी स्तर तक उठाता है यही विधायी मॉडल है क्योंकि इसके बाद उच्च स्तर पर कोई न कोई वैधानिक कार्यवाही होती है।

लोगों को संगठित कर सरकार के आय के स्रोतों को प्रभावित करके आर्थिक नाकेबन्दी करके दबाव बनाया जाता है।

प्रत्यक्ष कियाविधि में धरना प्रदर्शन, हडताल, रेल रोकों आदि शामिल है। यह अभिजात प्रारूप में अभिजात के नेतृत्व में व लोकप्रिय प्रारूप में जनता के नेतृत्व में या स्वतः स्फूर्त जनता द्वारा।

जनता के अन्दर समस्या के प्रति चेतना उत्पन्न करके सामाजिक किया करना शिक्षा विधि है।

व्यवस्था की कमियों को उजागर करके व्यवस्था के अन्तर्विरोधों को उजागर किया जाता है। इससे व्यवस्था में कुछ न कुछ समस्या के समाधान भी निकलते हैं।

इस प्रकार सामाजिक किया एक संगठित सामूहिक प्रयास है जिसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक प्रशासन को प्रभावित करके विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक किया की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

17.3 सामाजिक क्रिया के उद्देश्य

समाज कार्य अभ्यास में कार्यकताओं के द्वारा सामाजिक क्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिये कार्यवाहियां की जाती हैं। यह परिवर्तन इन क्षेत्रों के नीतियों एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित होता है। इसके लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसहयोग एवं दबाव के माध्यम से परिवर्तन लाया जाता है। कार्यकर्ता सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिये भी कार्य करते हैं। इनके द्वारा सामाजिक संरचना के कुछ दोषों में सुधार करने समुदाय की दशाओं में सुधार लाने तथा परिवर्तन लाने के लिये कार्य किया जाता है। समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य किया जाता है किन्तु कभी–कभी ऐसा भी होता है कि समुदाय की दशाओं मे सुधार लाने के लिये सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है किन्तु अधिकांश समय कार्यकर्ताओं को समुदाय अथवा समाज में कार्य करने के दौरान कानून की कमियों अथवा कानूनी अड़चनों का सामना करना पडता है। इसके लिये कार्यकर्ताओं के द्वारा सामाजिक क्रिया के माध्यम से नये कानूनों के निर्माण का कार्य अथवा वर्तमान कानूनों में संशोधन तथा सुधार करने का कार्य किया जाता है। जिससे लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके उनके लिये आवश्यक सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। सामाजिक क्रिया के माध्यम से शासन एवं प्रशासन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों को जिनसे समाज कार्य सम्बन्धित होता है। सामाजिक क्रिया के द्वारा निजी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थाओं के नीतियों एवं कार्यक्रमों को भी प्रभावित किया जा सकता है। इस प्रकार से सामाजिक क्रिया के उद्देश्य अत्यन्त विस्तृत हो जाते हैं। सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों में सामाजिक कार्यक्रमों का विकास करना सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को एक दृष्टिकोण प्रदान करना सम्मिलित है। सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता का विकास किया जाता है। जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिये जनता की तथा समुदाय के नेताओं की स्वीकृति प्राप्त की जा सके। इसके उद्देश्यों में समाज कार्य के क्षेत्रीय अनुभव तकनीकी निपुणताओं आदि पर आधारित सामाजिक समस्याओं के लिये सुझाव देने का कार्य किया जाता है।

सामाजिक क्रिया के द्वारा समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिये नीति निर्धारकों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। सामाजिक क्रिया के माध्यम से ही सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करवाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक क्रिया के द्वारा समाज कार्य के ज्ञान और मूल्यों के आधार पर समाज कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है। सामाजिक क्रिया का वृहद उद्देश्य सामाजिक संरचना में सुधार करके एक समरसता का निर्माण करना है। इसके लिये सामाजिक क्रिया के द्वारा समुदाय में लोगों की समस्याओं की पहचान करना उनके सामाजिक सम्बन्धों में सुधार करके सहयोग की भावना का विकास किया जाता है। सामाजिक क्रिया आपसी सामाजिक द्वन्दों एवं संघर्षों को कम करने के लिये भी कार्य करती है इसका उद्देश्य सामाजिक बन्धुता का विकास करना है क्योंकि सामाजिक क्रिया की कार्यप्रणाली आपसी सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित है सामाजिक क्रिया में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आपसी सहयोग एवं स्नेह अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक क्रिया आन्दोलनात्मक कार्य प्रणाली है क्योंकि इसमें लोगों को एकजुट करके आन्दोलनात्मक ढंग से कार्य किया जाता है इसके लिये आवश्यक है कि समाज में आपस में सहयोग एवं भाईचारे की स्थिति पहले से ही उपस्थित हो। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाना है। जिसके लिये जनता में जागरूकता का होना भी आवश्यक है अतः सामाजिक क्रिया समाज में लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये जागरूक करने का भी कार्य करती है। उन्हें विभिन्न ढंग से शिक्षित करने का कार्य किया जाता है।

सामाजिक क्रिया का उद्देश्य समाज की संरचना में रचनात्मक परिवर्तन लाना है यद्यपि सामाजिक क्रिया एक परिवर्तन मूलक कार्य प्रणाली है किन्तु यह समाज में विघटन लाने के स्थान पर सामाजिक संस्थाओं एवं सम्बन्धों में रचनात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है।सामाजिक क्रिया सामाजिक एवं संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिये भी कार्य करती है जिसके लिये प्रशासकीय उपायों को लागू किया जाता है जिसके लिये सुधार हो सके। यह वृहद स्तर पर सामाजिक कुसमायोजन को रोकने का कार्य करती है। इसके उद्देश्यों में यह भी सम्मिलित है कि सामाजिक वातावरण और जनजीवन में परिवर्तन करके समाज को समस्याओं से मुक्त किया जाये। सामाजिक क्रिया, सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता एवं पारस्परिक सहयोग को प्राप्त करने के लिये कार्य करती है। सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों में समतामूलक समाज की स्थापना करना शामिल है। सामाजिक क्रिया का यह भी उद्देश्य है कि समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग न हो। सामाजिक क्रिया सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास नहीं करती इसलिये सामाजिक क्रिया कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि समाज में सभी वर्गों के हित एक समान है और उनकी पूर्ति करना सामाजिक क्रिया का उद्देश्य एवं दायित्व है। सामाजिक क्रिया सामाजिक अन्याय की समाप्ति के लिये भी कार्य करती है। इसका उद्देश्य है कि सामाजिक अन्याय की स्थितियों में परिवर्तन किया जाये इसलिये सामाजिक क्रिया जनसमुदाय में सामाजिक सुधार करने तथा आवश्यकता पड़ने पर संविधान के माध्यम से भी परिवर्तन लाने वाली कार्य प्रणाली है। सामाजिक क्रिया अन्य उद्देश्यों में यह भी सम्मिलित है समाज में विपरीत परिवर्तनों से बचाया जाये और लोगों की रक्षा की जाये इसके लिये सामाजिक क्रिया वैयक्तिक और सामुदायिक स्तरों पर सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयास करती है। साामाजिक क्रिया का उद्देश्य समाज कार्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हुये समाज की उन्नति के लिये कार्य करना है।

सामाजिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के सामाजिक, संस्कृतिक पर्यावरण का विकास करना है जिसमें समाज के समस्त नागरिक सम्पन्नता का जीवन व्यतीत कर सके। ये प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं –

1. सामाजिक समस्याओं का समाधान।

2. सामाजिक स्थिति का विकास।

3. लोगों के लिए विकास रूपी संस्थागत कार्यों में परिवर्तन करना।

4. नीतियों और कियाओं में परिवर्तन।

5. नवीन मशीनीकरण और कार्यक्रमों का परिचय।

6. शक्ति का पुर्नवितरण।

7. प्रजातांत्रिक प्रकिया का विकास करना जिससे लोगों के मध्य अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से संचार, भागीदारी और सहभागिता विकसित की जा सके।

8. दबाव समूहों और उपभोक्ता संगठनों को विश्वास में लेकर सामुदायिक कियाओं के माध्यम से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना।

9. साामजिक नीतियों और कार्यक्रमों को सरकार द्वारा लागू कराये जाने के प्रयास करना।

10. समाज कार्य के मूल्यों की मान्यता और वर्तमान समाज कल्याण सेवाओं (सरकारी और गैर सरकारी) और कार्यक्रमों के विकास और सरकार द्वारा समाज कार्य का प्रयोग कराने के लिए समर्थन प्राप्त करना।

11. स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यों को करना।

12. सामाजिक नीतियों के निर्माण की सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार करना।

13. सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करना तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना।

14. अविकसित समूहों के विकास के लिए आवश्यक सेवाओं की मांग करना।

15. समाजिक समस्याओं के लिए ठोस सुझाव तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

16. नये सामाजिक स्रोतों की खोज करना।

17. सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता लाना।

18. जनता का सहयोग प्राप्त करना।

19. सरकारी तन्त्र के अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए तैयार करना।

20. नीति निर्धारण करने वाली सत्ता से प्रस्ताव स्वीकृत करना।

17.4 सारांश

सामाजिक क्रिया व्यावसायिक समाज कार्य की सहायक प्रणाली है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तनों को लाने तथा नकारात्मक परिवर्तनों को रोकने के लिये कार्य करती है। यह समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे दहेज, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी आदि को हल करने के लिये प्रयास करती है। यह समाज की संरचना में परिवर्तन लाने एवं सामाजिक दोषों को दूर करने का कार्य करती है। सामाजिक क्रिया अंहिसा एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित होकर समतामूलक समाज की स्थपना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्य करती है।

17.5 शब्दावली

सामाजिक क्रिया	समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली जो समाज कार्य के माध्यम से जन समुदाय को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने या परिवर्तन को रोकने के लिये कार्य करती है।
क्षेत्रीय अनुभव	सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा वास्तविक कार्य करने के दौरान क्षेत्र में प्राप्त होने वाला अनुभव क्षेत्रीय अनुभव कहलाता है।
वांछित परिवर्तन	वे परिवर्तन जिनको प्राप्त करने के लिये लोगों के द्वारा सोचा गया हो और जिसके लिये प्रयास किया गया हो।

17.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।
- मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंछियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–2

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक किया के उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

17.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. सामाजिक किया समाज कार्य की सहायक प्रणाली है। यह एक सामूहिक प्रकिया है जिसके द्वारा सामान्य सामाजिक समस्याओं को हल किया जाता है इसमे आवश्यकतानुसार सामजिक परिस्थितियों में ही परिवर्तन लाकर वातावरण उत्पन्न किया जाता है जिससे व्यक्ति अधिकतम सुख और संतोष का जीवन व्यतीत कर सके समाज कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके इस प्रकिया के अन्तर्गत समाज कार्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनमत का सहारा लिया जाता है सामाजिक किया ऐसी कियाओं की ओर संकेत करती है जो कि संगठित तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है और जिन्हें कानून द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

2. यह सामान्य स्वीकृति है कि समाज कार्य को व्यवसायिक सेवाएं देने के साथ ही विकासशील देशों में अधिक भूमिकाएं स्वीकार करनी चाहिए इस सम्बन्ध में फ्रीडलैण्डर ने कहा है कि "सामाजिक किया एक व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक प्रयास हैं, जिसे समाज कार्य दर्शन और अभ्यास के द्वारा सामाजिक प्रगति के लिए आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य सामाजिक विधानों को प्रभावित करके या सामाजिक सेवाओं का प्रशासन करके सामाजिक उन्नति प्राप्त करना और व्यापक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है।"

बोध प्रश्न 2

1. सामाजिक किया का उद्देश्य समाज की संरचना में रचनात्मक परिवर्तन लाना है यद्यपि सामाजिक किया एक परिवर्तन मूलक कार्य प्रणाली है किन्तु यह समाज में विघटन लाने के स्थान पर सामाजिक संस्थाओं एवं सम्बन्धों में रचनात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है।सामाजिक किया सामाजिक एवं संवैधानिक सुधारों को लागू करने के लिये भी कार्य करती है जिसके लिये प्र"ाासकीय उपायों को लागू किया जाता है जिसके लिये सुधार हो सके।

इकाई–18 : सामाजिक किया की विशेषतायें

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 सामाजिक किया की विशेषतायें

18.3 सारांश

18.4 शब्दावली

18.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

18.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

18.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया की अवधारणा एवं उद्देश्यों की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक किया की कार्य प्रणाली से परिचित हो जायेंगे।
- सामाजिक किया की विशेषताओं को जान सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया समाज कार्य की सहायक कार्य प्रणाली है। सामाजिक किया के माध्यम से समाज की संरचनात्मक समस्याओं के समाधान के लिये कार्यवाही की जाती है यह समाज कार्य की गतिशील कार्य प्रणाली है जिसमें जन सहयोग के द्वारा आन्दोलनात्मक ढंग से कार्य करते हुये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कार्य किया जाता है। यह पूर्णतया अहिंसात्मक मूल्यों पर आधारित होकर कार्य करती है। सामाजिक किया विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम आदि को कम करने के लिये अत्यन्त प्रभावशाली कार्य प्रणाली है।

18.2 सामाजिक क्रिया की विशेषताएं

मानवीय समाज विभिन्न प्रकार की सस्याओं से ग्रसित रहता है। ये समस्याएं विभिन्न स्वरूप में मानव समाज में अनादि काल से ही चली आ रही हैं। गरीबी बेरोजगारी, बीमारी एवं निराश्रितता आदि की समस्यायें ऐसी हैं जिनसे मनुष्य का पर्यावरण प्रभावित होता है और कुसमायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याओं का स्वरूप एक तो भौतिक हो सकता है और दूसरा मनो–सामाजिक। वैसे तो प्रत्येक समस्या अलग एवं विशिष्ट होती है किन्तु उनका आपस में सम्बन्ध भी हो सकता है और वे एक दूसरे की

उत्पत्ति के कारण भी बनती है। आज का युग विशेषीकरण का युग है जिसमें प्रत्येक समस्या को एक विशिष्ट समस्या मानकर उसका समाधान किया जाता है। आज के विशेषीकरण के युग में हर समस्या के निदान और उपचार में अर्न्तनिहित तत्वों का भी ज्ञान करके उनका समाधान करना चाहिए। किन्तु वर्तमान समाज आधुनिक होने के साथ–साथ जटिल भी होता जा रहा है। समस्याओं के स्वरूप की जटिलता ने निदान और उपचार को भी कठिन बना दिया है। आज की समस्यायें मात्र आर्थिक प्रकृति की ही नहीं हैं बल्कि अधिकांश समस्यायें आपसी सम्बन्धों में निर्वाह की समस्यायें हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की अधिक है कि भौतिक समस्याओं का निदान और उपचार भौतिक साधनों के माध्यमों से किया जाना चाहिए इसीलिए आज के युग में व्यक्ति या समाज की समस्याओं का निदान और चिकित्सा समस्या के विशिष्ट पहलुओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है।

आज समस्याओं के निदान और समाधान में विशेषज्ञों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान को भी स्वीकार किया जाने लगा है। मनुष्य की अधिकांश समस्यायें भौतिक ही रहीं हैं। मानव इतिहास के सभी युगों में वृद्ध, दुर्बल, अपंग और निराश्रित व्यक्ति रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्यायें रही हैं जिन्हें सुलझाने के लिए मनुष्य को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्य जब आदिम अवस्था में था तो अपने समूह के कमजोर, वृद्ध, बीमार और अपंग सदस्यों को शिकार या खेती के लायक अनुपयोगी मानते हुए उनकी हत्या तक कर देता था या फिर उनका त्याग कर देता था। एक लम्बे समय तक रोटी कपड़ा और मकान से सम्बन्धित भौतिक समस्याओं को ही मनुष्य की प्रमुख समस्यायें माना जाता था, ये समस्यायें ही कमोवेश आज भी मानवता के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों में से है। जिनके समाधान के लिये सामाजिक किया के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। जिससे व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ सन्तुलन स्थपित किया जा सके। इसी कारण वर्तमान में किसी भी समस्या के समाधान में उसके समाजिक पक्षों को समाहित करते हुए उनके सर्वांगीण समाधान का प्रयत्न करना चाहिए।

आज के समय में इसीलिए समस्याओं को हल करने में जहां भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इन संसाधनों का प्रयोग समस्याओं के समाधान में किया जाता है ये भौतिक समस्याओं के समाधान में भी प्रभावी होती है। यह स्थापित सत्य है कि समाज की प्रत्येक समस्या का सम्बन्ध भौतिक और मनोसामाजिक दोनों ही स्थितियों से होता है। इसीलिये सामाजिक किया के द्वारा समाज कार्य व्यवसाय की सभी प्रमुख प्रणालियों की कार्य पद्धतियों एवं विशेषताओं का उपयोग करते हुये व्यवस्थित ढंग से आन्दोलनात्मक कार्यवाही करने के लिये कार्ययोजना तैयार की जाती है। इसके लिये सामाजिक कार्यकर्ता को समाज कार्य की सभी कार्य प्रणालियों का ज्ञान एवं निपुणता का होना आवश्यक होता है क्योंकि समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान और प्रणालियों पर आधारित व्यवसाय है। इसकी छः कार्यप्रणालियॉ होती है जिनके माध्यम से वह लोगों को सहायता प्रदान करता है। यह सहायता प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। सहायता लेने वाला व्यक्ति सेवार्थी कहलाता है और जो प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी सहायता करता है वह सामाजिक कार्यकर्ता कहलाता है। वास्तव में समाज कार्य की इन छः पद्धतियों में कार्यकर्ता और उसके सेवार्थी का सम्बन्ध ही सर्वप्रमुख होता है। इन छः पद्धतियों में तीन पद्धतियों को प्राथमिक प्रणाली एवं तीन अन्य पद्धतियों को द्वितीयक प्रणाली/पद्धति या सहायक प्रणाली कहा जाता है। तीन प्राथमिक प्रणालियॉ क्रमशः (1) व्यैक्तिक सेवा कार्य (2) समूह सेवा कार्य (3) सामुदायिक संगठन है। तीन सहायक प्रणालियों में क्रमशः (4) समाज कल्याण प्रशासन (5) समाज कार्य शोध और (6) सामाजिक क्रिया है। सेवार्थी की सहायता का कार्य प्रमुख

पद्धतियों के माध्यम से ही किया जाता हैं समाज कार्य की इन पद्धतियों का सम्बन्ध इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के स्वरूप पर निर्भर करता है।

समाज कार्य में जब सेवार्थी एक व्यक्ति होता है तो वह व्यैक्तिक सेवा कार्य पद्धति के माध्यम से सहायता प्राप्त करता है। व्यैक्तिक सेवा कार्य के अन्तर्गत समस्याग्रस्त व्यक्ति, उसकी समस्या तथा स्थान अर्थात् संस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण है एक सामाजिक कार्यकर्ता को इनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। व्यैक्तिक सेवा कार्य के अन्तर्गत मनोसामाजिक प्रकार की समस्यायें आती हैं। व्यैक्तिक सेवा कार्य के अर्न्तगत कार्यकर्ता सेवार्थी से सम्बन्ध स्थापित करता है जिसमें वह साक्षात्कार अर्थात् बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से तथा आवश्यकतानुसार भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए सेवार्थी की समस्या को सुलझाने का कार्य करता है। वास्तव में व्यवसायिक समाज कार्य के विकास में वैयक्तिक सेवा कार्य का अभूतपूर्व स्थान रहा है। व्यैक्तिक सेवा कार्य के रूप में ही समाज कार्य का प्रारम्भिक विकास हुआ था और यही समाज कार्य का सर्वमान्य तरीका है। इसलिये सामाजिक क्रिया के दौरान व्यक्ति की समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर समझने के लिये वैयक्तिक समाज कार्य के ज्ञान का उपयोग किया जाता है।

व्यक्ति की कुछ समस्यायें सामूहिक प्रकृति की होती हैं, अतः जब सेवा या सहायता की कोई इकाई समूह होता है तो उसे सामूहिक कार्य कहते है। समूह कार्य के अन्तर्गत व्यक्ति की सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है इन आवश्यकताओं में मनोरंजन, खेलकूद, अवकाश का सदुपयोग एवं विभिन्न प्रकार के गुणों एवं निपुणताओं के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के समाजीकरण का प्रयास किया जाता है तथा उसकी भावनात्मक एवं मनो–सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है। सामूहिक कार्य में कार्यकर्ता समुदाय के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझ सकता है और उसके अनुरूप कार्यक्रम का निर्माण करवा सकता है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रेरित करता है उनका मार्गदर्शन करता है। समूह कार्य का आयोजन समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। यह सामान्य आवश्यकता वाले लोगों का भी समूह हो सकता है वहीं कभी–कभी ऐसे समूह भी गठित किए जाते हैं जो विशिष्ट आवश्यकताग्रस्त हो सकते हैं जो किसी बाधा से भी ग्रस्त हो सकते हैं। इन समूहों के साथ विशिष्ट कार्यकर्ता कार्य करते हैं। वर्तमान समाज एकाकीपन एवं अनामता की समस्या से ग्रसित हो रहा है इसलिए सामूहिक जीवन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। चूंकि सामाजिक क्रिया में भी किसी कार्यवाही को करने के लिये एक समूह के गठन की आवश्यकता होती है भले ही सामाजिक क्रिया का प्रारम्भ एकल व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न किया गया हो लेकिन इसमें कार्य सामूहिक रूप से ही किया जाता है इसलिये समूह के गठन करने एवं सामाजिक क्रिया का संचालन करने के लिये कार्यकर्ता को समूह समाज कार्य की कार्य प्रणाली का ज्ञान भी अत्यन्त उपयोगी होता है।

समाज कार्य में समदुाय भी सेवार्थी होता है। जब कोई समुदाय सेवार्थी होता है तब सहायता की प्रणाली को सामुदायिक संगठन कहते हैं। इसके माध्यम से किसी समुदाय की स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के संदर्भ में कार्य किया जाता है। ये आवश्यकतायें पूरे समुदाय की ही आवश्यकतायें होती हैं। जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार, कृषि, पशुपालन आदि। इन आवश्यकताओं /समस्याओं के लिए सम्पूर्ण समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है एवं इसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने का कार्य किया जाता है। इन संसाधनों में मानवीय एवं भौतिक दोनों ही संसाधन सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार के प्रयास को ही सामुदायिक संगठन कहा जाता है। इस कार्य में सामुदायिक

संगठनकर्ता पूरे समुदाय के व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है, वह समुदाय मे पहले से ही उपस्थित सेवाओं और संस्थाओं का आंकलन करता है। इनके आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम बनाया जाता है और आवश्यकतापूर्ति की जाती है। इस पद्धति के उपयोग के माध्यम से समुदायों को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग ग्रामीण विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक किया वास्तव में समुदाय के स्तर पर संचालित की जाने वाली ही कार्यप्रणाली है। प्रारम्भ में तो इसे सामुदायिक संगठन की उप प्रणाली ही समझा जाता था। आज भी सामाजिक किया का उपयोग समुदाय के स्तर पर पायी जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिये किया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त तीनों पद्धतियाँ सेवार्थियों की सहायता के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं इन पद्धतियों में सेवार्थियों को भी अपनी सहायता प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है।

यद्यपि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणालियां सेवार्थियों के सक्षम रूप से सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं किन्तु इसकी सहायक या द्वितीयक प्रणालियां वे प्रणालियाँ है जो प्राथमिक प्रणालियों को कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। इन प्रणालियों में समाज कल्याण प्रशासन एक महत्वपूर्ण सहायक प्रणाली है। इसका प्रयोग अधिकांशतः सामाजिक संस्थाओं के आन्तरिक प्रशासन में किया जाता है किन्तु इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के प्रयोग से ही किसी सामाजिक सेवा के लिए समुचित नीति का प्रारूप बनाना, संसाधनों का अनुमान लगाना, बजट का निर्माण करना और सेवा का लाभ प्रदान करने जैसे कार्यो को सुनिश्चित किया जाता है। समाज–कल्याण प्रशासन का कार्य है नियोजन और कार्यान्वयन। समाज–कल्याण प्रशासन के माध्यम से मानवीय और भौतिक संसाधनों का उचित और अधिकतम उपयोग हो पाता है। सामाजिक किया के लिये भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति करने के लिये कार्यकर्ता के द्वारा समाज कल्याण प्रशासन का उपयोग किया जाता है।

समाज कार्य की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक पद्धति समाज कार्य शोध है। चूंकि समाजकार्य किसी भी समस्या के समाधान के पूर्व उसका निदान करता है जिसके लिए आंकड़ा संग्रहण की आवश्यकता होती है अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज कार्य शोध आवश्यक उपकरण एवं प्राविधियाँ प्रदान करता है जिससे सेवार्थी की समस्या का सही स्वरूप ज्ञात किया जा सके और उसके अनुरूप उसे सहायता प्रदान की जा सके। समाजकार्य शोध तथ्य संकलन के लिए अध्ययन, साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि प्रविधियों के माध्यम से कार्य करता है। समाज कार्य शोध का उपयोग समाज की प्रणालियों मे नवीन प्रविधियों एवं तकनीकों के विकास में किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका उपयोग करते हुए अपनी निपुणताओं एवं कार्यकौशल में वृद्धि करता है। सामाजिक किया के लिये यह आवश्यक है कि समुदाय में उपस्थिति समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन कर लिया जाये। अतः इस कार्य के लिये कार्यकर्ता के द्वारा समाज कार्य शोध की पद्धतियों का उपयोग करते हुये समस्या से सम्बन्धित आंकडों को एकत्र किया जाता है तथा समस्या के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उस समस्या को दूर करने के लिये सामाजिक किया की जाती है।

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक पद्धति है जिसका वर्तमान में अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। वस्तुतः इसका उपयोग सामुदायिक संगठन की पद्धति के अन्तर्गत उसकी सहायक उप पद्धति के रूप में किया जाता किन्तु इसका एक विस्तृत आयाम पर भी उपयोग किया जाता है। मूलतः यह एक परिवर्तनकारी पद्धति है

जिसका स्वरूप आन्दोलनात्मक होता है। इसके माध्यम से समुदाय की दशाओं में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। इसका उपयोग सामाजिक नीतियों के निर्माण नये कानूनों के निर्माण या उसमें परिवर्तन लाने के साथ साथ सामाजिक अन्याय एवं शोषण के विरूद्ध भी कार्य करने वाली प्रणाली हैं। इससे संगठनों में ऐच्छिक परिवर्तन लाने का कार्य भी किया जाता हैं। इसमें वृहद स्तर पर लोगों को शामिल कर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गतिशील किया जाता है। किन्तु यह कार्यप्रणाली अहिंसा एवं सत्य के सिद्धान्तों का अत्यन्त कड़ाई से पालन करती है यदि किसी आन्दोलनात्मक कार्यवाही में किसी भी स्तर पर हिंसा सम्मिलित हो जाती है तो उस कार्यवाही को वहीं पर रोक दिया जाता है तथा आन्दोलन को समाप्त कर दिया जाता है। इस पद्धति में धरना प्रदर्शन, अनशन, सत्याग्रह, घेराव, रास्ता रोको जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किन्तु यह सब शांन्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक आधार पर होना चाहिए। सामाजिक किया की कार्यप्रणाली में संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है जिसमें व्यक्ति को समूह के रूप में संगठित किया जाता है तथा सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त कार्यवाही की जाती है। अतः सामाजिक किया को प्रभावी बनाने के लिये केस वर्क, ग्रुप वर्क तथा सामुदायिक संगठन की प्रविधियों का भी उपयोग किया जाता है।

सामाजिक किया एक ऐसी ही व्यवसायिक सेवा है जिसके अन्तर्गत समाजिक समस्याओं के समाधान का कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित विशिष्ट कार्य प्रणालियों द्वारा किया जाता है। हालांकि समाज कार्य का विकास हुए लगभग एक शताब्दि का समय हो चुका है किन्तु अन्य व्यवसायों की तुलना में अभी भी यह अपेक्षाकृत नवीन व्यवसाय है। समाज कार्य करना कोई नवीन कार्य नहीं है और मनुष्य सदियों से दीन दुखियों की, समाज के कमजोर सदस्यों की सहायता करता आया है किन्तु व्यवसायिक और विशेषज्ञता पूर्ण ढंग से सहायता कार्य करना तो उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही शुरू हुआ जिसका प्रारम्भिक स्वरूप दान एवं धर्म था। समय के साथ सामाजिक किया ने व्यक्ति के पर्यावरणीय कुसमायोजन को कम करने एवं उसके सुसमायोजन को स्थापित करने के लिए उन समस्याओं की तरफ भी ध्यान देना प्रारम्भ किया जिनसे व्यक्ति का सन्तुलन उसके पर्यावरण के साथ प्रभावित होता है। इसके लिए व्यवसायिक सामाजिक किया द्वारा मानव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अन्य समाज विज्ञानों की तकनीकों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक किया एक मूल्य आधारित व्यसायिक सेवा है जिसमें मानवीय गरिमा पर अत्याधिक बल दिया जाता है समाज कार्य व्यवसाय में व्यक्ति को स्वयं सक्षम माना जाता है। इसलिए यह भी प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति की क्षमताओं का ही प्रयोग करके उसकी समस्या का समाधान किया जाय और उसे आत्मनिर्भर बनाया जाय। व्यक्ति को सहायता करने में संस्थाओं का योगदान अभूतपूर्व है। संस्थायें विभिन्न प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति की संवेगात्मक–शारीरिक, सुरक्षा, अहम सन्तुष्टि एवं विकास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। व्यक्ति सदैव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता अतः वह अपनी जिन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर सकता। उन्हीं समस्याओं के समाधन के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना सामाजिक किया का कार्य है। वास्तव में सामाजिक किया द्वारा ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जाता है जो व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा डालते है। इसके द्वारा सुविधा वंचित समूह अपनी असन्तुष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। वस्तुतः सामाजिक किया व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने या इन्हें पुर्नस्थापित करने के लिए और अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में सहायता प्रदान करने वाली व्यवसायिक सेवा है। यह व्यक्ति के आर्थिक समृद्धि और उन्नति के लिए कार्य करता है। इसका सम्बन्ध

मानव व्यवहार एवं सम्बन्धों से है। यह सामाजिक पर्यावरण में समायोजन स्थापित करता है। समायोजन एक दोहरी प्रक्रिया है। इसमें केवल व्यक्ति में ही परिवर्तन नहीं लाया जाता बल्कि उसके पर्यावरण में भी परिवर्तन लाया जाता है। यह समाज की अवांछित दशाओं को परिवर्तित करने का प्रयास करता हैं यह एक मानवीय सेवा है जो सामाजिक शोषण, साामाजिक अन्याय और भेदभाव का विरोधी है। समाज कार्य के विकास के दौरान इस बात पर ही बल दिया जाता रहा है कि किसी समस्या का निदान और समाधान समायोजन से ही संभव है।

वर्तमान में यह माना जाने लगा है कि सामाजिक किया का लक्ष्य इच्छित परिवर्तन भी है। इच्छित भावी परिवर्तन से समायोजन जनतांत्रिक मूल्यों की स्वीकृति और इसी पर सामाजिक किया की स्थापना के कारण महत्वपूर्ण हो गयी है। सामाजिक किया जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सेवार्थी को उसी के प्रयासों से उसकी समस्याओं से मुक्ति दिलाता हैं और उसका समायोजन बेहतर बनाता है।

सामाज कार्य के मूल्यों एवं सिद्धान्तों के आलोक में सामाजिक किया की विशेषतायें स्पष्ट होती हैं जो निम्नवत् हैं–

सामाजिक किया एक व्यवसायिक सेवा है। यह मानव सम्बन्धों के ज्ञान और सम्बन्धों में निपुणता पर आधरित हैं यह अन्तर व्यैक्तिक समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान पर अधाारित है। यह व्यक्ति की अपूर्ण सामूहिक और सामुदायिक आवश्यकताओं की शर्तों से सम्बन्धित होती है।

सामाजिक किया वैज्ञानिक ज्ञान एवं निपुणता पर आधारित एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्ति की समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करता है। इसका सम्बन्ध मानव व्यवहार और उसके परिवर्तन से है जो मानव व्यवहार से सम्बन्धित एक विशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। मानव व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान और निपुणताओं का प्रयोग सामाजिक किया में प्रशिक्षित व्यवसायिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। सामाजिक किया में इस ज्ञान का प्रयोग परिवर्तन करने में किया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, और समुदाय की समस्याओं का अध्ययन, निदान और समाधान एक सामाजिक चिकित्सक की भांति करता हैं यह व्यक्ति की मनो सामाजिक सोच या असन्तुलन को ठीक करके व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ समायोजन और सन्तुलन में वृद्धि करता हे। यह अपने सेवार्थी के हितों का रक्षक होता है और उसके प्रति उत्तरदायित्व भी ग्रहण करता है।

सामाजिक किया व्यक्ति के समायोजन सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करता है। विभिन्न समाज–मनोविज्ञानों के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का अपने पर्यावरण के साथ समायोजन हो। यह समायोजन दो प्रकार का होता है –

1. अभ्यन्तर –व्यैक्तिक समायोजन।

2. अन्तर– व्यैक्तिक समायोजन।

1– अभ्यन्तर–व्यैक्तिक समायोजन का अर्थ है व्यक्तित्व में मनोवृत्तियें और मूल्यों का एकीकरण एवं सन्तुलन। इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति के ईगों से है और मानसिक सुदृढ़ता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की ईगो (अहं शक्ति) शक्तिशाली हो। चूंकि सामाजिक

कार्यकर्ता मानव व्यवहारों का जानकार होता है इसलिए वह व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में अहं की इस शक्ति का ध्यान रखते हुए कार्य करता है।

2– सामाजिक क्रिया में अन्तर वैयक्तिक समायोजन अर्थात सामाजिक समायोजन के लिये कार्य किया जाता है। अन्तर व्यैक्तिक समायोजना का सम्बन्ध विभिन्न व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों से होता हैं इसका सम्बन्ध व्यक्तियों के सामाजिक भूमिका–सम्बन्धी सम्पादन और भूमिका प्रत्याशाओं से है। समाजिक कार्यकर्ता समस्याग्रस्त व्यक्तियों के भूमिका–प्रत्याशाओं और भूमिका निर्वाह के बीच पाये जाने वाले असन्तुलन का समाधान करता है जिससे व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका निर्वाह कर सके। वह समस्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है और व्यक्तियों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाता है। व्यक्ति की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का कारण यह होता है कि व्यक्ति अपनी समाजिक भूमिकाओं को समाज की या अपने समूह की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पादित नहीं कर पाते है। वह सामाजिक वास्तविकताओं को समझ नहीं पाते या कभी–कभी उनमें भूमिका निर्वाह के लिए आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव होता है। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के प्रति समूह की अपेक्षायें भी यथार्थ से परे या अनुचित होती है। इसलिए व्यक्ति के लिए सदैव उन अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाना सम्भव नहीं हो पाता। यहीं पर एक विशेषज्ञ कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। समाज कार्यकर्ता विषयात्मक और वैज्ञानिक रूप से समस्या का विश्लेषण करता है और व्यक्तियों की सहायता करता है कि वे अपनी भूमिकाओं का अर्थ निरूपण कर सकें, क्षमताओं में वृद्धि कर सकें और अपने पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर सकें। चूंकि समायोजन एक ऐसी प्रघटना है जिसमें केवल व्यक्ति में ही परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सामाजिक क्रिया उन सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करती है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। सामाजिक क्रिया अवांछित दशाओं में परिवर्तन लाने तथा वांछित परिवर्तनों को प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करता है।

वस्तुतः सामाजिक क्रिया एक सहायतामूलक सेवा है इसका उपयोग प्रायः उन सभी समस्याओं के समाधान में किया जाता है जबकि समस्याओं के समाधान में व्यक्ति के अपने प्रयास सीमित हो जाते हैं तथा समस्याओं व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं। यह एक सामाजिक क्रियाकलाप है जिसका आयोजन किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सरकारी एवं गैर सरकारी या दोनों प्रकार की संस्थाओं के तत्वाधान में समुदाय के उन सदस्यों के लिए आयोजित की जाती हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। सामाजिक क्रिया एक सम्पर्क क्रियाकलाप के रूप में भी कार्य करता है। यह व्यक्ति, परिवार और समूह तथा किसी भी प्रकार के सुविधा वंचित समूह एवं व्यक्ति को अपनी अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग में सहायता करती है। सामाजिक क्रिया व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं एवं पर्यावरण के साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है जिससे व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं समायोजन प्राप्त किया जा सके।

सामाजिक क्रिया अपूर्ण आवश्यकताओं की सन्तुष्टि पर बल देती है। आवश्यकताएं जब पूरी नहीं होती तब वे समस्या का रूप धारण कर लेती है जिससे कि व्यक्ति का समायोजन बाधित होता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं विविधतापूर्ण होती हैं। ये आवश्यकतायें व्यक्तिगत, सामुहिक और सामुदायिक रूप से हो सकती हैं। सामाजिक क्रिया अपनी प्राथमिक कार्यप्रणालियों के माध्यम से व्यक्ति की उपरोक्त आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए कार्य करती रहती है। व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की सन्तुष्टि

व्यैक्तिक सेवा कार्य प्रणाली की सहायता से की जाती है। इसमें मुख्यतः कार्यकर्ता के द्वारा परामर्शात्मक सेवायें प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति तनाव, अवसाद और दुश्चिन्ता से मुक्ति प्राप्त कर व्यक्तिगत सन्तुष्टि और स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके तथा उसका अपने पर्यावरण के साथ बेहतर समायोजन संभव हो सके। इसी प्रकार समूह कार्य की प्रणाली व्यक्ति का समूह के साथ एकीकरण करती है जिससे व्यक्ति को एक बेहतर सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित किया जा सके। क्योंकि समाजकार्य का यह मानना है कि एक समाजीकृत व्यक्ति ही समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हो सकता है। सामुदायिक आवश्कयताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक संगठन की कार्यप्रणाली समुदाय को अपनी आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप कार्यक्रम बनाने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करती है। जिससे समुदाय स्थानीय स्तर पर गरीबी, बेरोजगारी और ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए कार्य करने में सक्षम एवं आत्मनिर्भर हो सके। समाजकार्य अपने सेवार्थी में चाहे वह एक व्यक्ति हो या समूह या समुदाय आत्म–निर्भरता एवं आत्म निर्देशन का विकास करता है। समाजकार्य की सभी कार्यप्रणालियों में इस बात का प्रयास किया जाता है कि सेवार्थी में आत्मनिर्भर होने की क्षमता उत्पन्न की जा सके। सामाजिक किया की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें समाज कार्यकर्ता कभी स्वयं नेतृत्व नहीं करता बल्कि अपने सेवार्थियों का मार्गदर्शन और उनमें निर्णय और अपनी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति अर्थात् आत्मनिर्देशन उत्पन्न करता है। सामाजिक किया व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए समाजिक साधनों का एकीकरण और समन्वय करता है और उन्हें गतिशील करता है। समाज कार्यकर्ताओं को उन संस्थाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं का पूरा ज्ञान होता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। वह आवश्यकताओं और साधनों में समायोजन स्थापित करने की निपुणता रखता है और साधनों को विकसित करने की विधियों का भी ज्ञान रखता है।

सामाजिक किया प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में विश्वास रखती है और इस बात का प्रयास करता है कि मनुष्यों की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि उनकी अभिरूचि और इच्छा के अनुसार हो। क्योंकि सामाजिक किया सर्वश्रेष्ठ के ही जीवित रहने के आधिकार अर्थात् सामाजिक डार्विनवाद को अस्वीकार करता है क्योंकि सामाजिक किया का यह विश्वास है कि अयोग्य व्यक्तियों की भी वही आवश्यकतायें हैं जो योग्य व्यक्तियों की। सामाजिक किया का यह विश्वास है कि एक असफल और अयोग्य व्यक्ति के भी वही अधिकार हैं जो कि सफल और योग्य के और उसे अपनी पर्यावरणीय वास्तविकताओं के अनुकूल अपनी समस्या समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। सामाजिक किया योग्यता और अयोग्यता का आधार धन और शक्ति को नहीं बनाती बल्कि वह व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करने में व्यक्ति के पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करती है और व्यक्ति की असफलता के लिए मात्र उसे ही उत्तरदायी नहीं मानती। सामाजिक किया का यह विश्वास है कि सभी मानव जातियों में समानता और प्रतिष्ठा के आधार पर सामाजिक सहयोग होना चाहिए। सामाजिक किया सांस्कृतिक बहुलतावाद को भी महत्वपूर्ण मानता है और वह सांस्कृतिक विभेदों को भी स्वीकार करते हुए उनको सम्मान प्रदान करता हैं सामाजिक किया व्यक्ति का सर्वांगीण कल्याण और विकास चाहता है इसलिए वह प्रत्येक प्रकार की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता हैं वह व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए कार्य करती है। सामाजिक किया एक गतिशील विज्ञान है इसलिए इसके क्षेत्रों की संख्या और स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। वह व्यक्ति और समाज की विविध समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित है। वर्तमान में सामाजिक किया परिवार और बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, ग्रामीण विकास, आदि तक विस्तृत है। सामाजिक किया इन सभी क्षेत्रों में लोगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्य करती है। वर्तमान मानवीय समाज आर्थिक समाजिक तथा धार्मिक आधारों पर अनेक स्तरों में विभाजित है जिसके

कारण लोग ऐसी हीन दशाओं में पहुंच गये है कि बिना बाह्य सहायता के इन वर्गो का विकास कर पाना संभव नही है। इसीलिए सामाजिक किया द्वारा भी अनेकों समाज–कल्याण की योजनाओं चलायी जाती है। इन योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन सामाजिक किया का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार सामाजिक किया कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन कर समाजिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करती है। सामाजिक किया का उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। सामाजिक किया विश्व बन्धुत्व में विश्वास रखता है वह विभिन्न मानवीय संस्कृतियों और सांस्कृतिक समूहों की ओर सहनशीलता और उदारता का दृष्टिकोण रखती है। वह मानवीय गुणों की महत्ता पर आधारित एक ऐसे प्रजातान्त्रिक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखती है जहां पर सामाजिक शोषण, अक्षमता और असमानता न हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य मानते हुए उसका सम्मान किया जाए। सामाजिक किया के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। समाज कल्याण संस्था द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के रूप में सामाजिक किया का आयोजन किया जाता है और जिसको पूरा करने के लिए प्रशासकीय साधन जुटाये जाते हैं। सामाजिक किया में भागीदार समूहों और उत्तरदायी समूहों को सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। संस्था किन–किन दृष्टिकोणों से जनता का सहयोग चाहती है इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक किया के दौरान विभिन्न प्रमुख सरकारी विभागों और अधिकारियों से निरन्तर कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित रखा जाता है। सामाजिक किया का आयोजन और नियोजन बिचारपूर्वक किया जाता है और समय के अनुसार उसे लागू किया जाता है। सामूहिक किया– एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही सामूहिक/संयुक्त प्रयास लोकहित–सामाजिक परिवर्तन में सहायक विधिक सीमाएं–कियायें विधि के सीमान्तगत सम्पन्न की जाती है। सामाजिक किया एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक किया एक संघर्षात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक किया द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्ति या समान्य व्यक्ति स्वयं अथवा दोनो ही मिलकर चेतन क्रमबद्ध एवं संगठित प्रयास करते हैं। सामाजिक किया व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उन्मुख होती है। सामाजिक किया समाज कार्य का ही एक अंग हैं इसमें भी समाज कार्य के सिद्धान्त, मान्यताओं तथा ज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग समाज कार्यकर्ताओं के व्यवसायिक संघ द्वारा किया जाता है। सामाजिक किया का उद्देश्य सही अर्थ में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है। इसके द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण सम्भव होता है जिसमें व्यक्ति को अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके। इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्थाओं, परिस्थितियों तथा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। इसका लक्ष्य यह होता है कि समाज के सदस्यों को इस योग्य बना दिया जाये कि वे आत्मानुशासित होकर अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही व्यवस्थित कर सकें। सामाजिक किया में यथा सम्भव अहिंसात्मक ढंग से काम किया जाता है। सामाजिक किया में किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी कार्य आरम्भ किया जा सकता है परन्तु बाद में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक सहयोग अपेक्षित है। इसमें कार्य जनतांत्रिक मूल्यों और संविधान में दिए गये नागरिक अधिकारों पर आधारित आन्दोलन के रूप में होता है। आन्दोलन के आरम्भ से पूर्व पूरे जन समुदाय की सहमति अपेक्षित होती है और इस जन सहमति से ही आन्दोलन की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

18.3 सारांश

सामाजिक किया के अन्तर्गत आपसी सहयोग के आधार पर कार्य किया जाता है। यह अहिंसात्मक मूल्यों को कार्य करने का आधार बनाती है इसलिये सामाजिक किया में कार्य करने की तकनीकें एवं उपकरण भी अहिंसात्मक मूल्यों के आधार पर कार्य करते हैं।

सामाजिक किया के द्वारा सामाजिक परितर्वतनों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत बल प्रयोग के स्थान पर हृदय परिवर्तन, उपवास, आत्म पीड़ा आदि का उपयोग करके परिवर्तन लाया जाता है। सामाजिक किया में कार्यवाही करने के लिये जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है इसलिये सामाजिक किया के द्वारा समाज में बन्धुत्व एवं भाईचारे में वृद्धि की जाती है।

18.4 शब्दावली

सामाजिक किया	समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है जो जन सहयोग के माध्यम से जन समुदाय को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने या परिवर्तन को रोकने के लिये कार्य करती है।
समाज कल्याण	समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की भलाई के लिये किये जाने वाले कार्य।

18.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।
- मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंछियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेंज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक किया की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक किया की विशेषताओं के आधार पर उसके महत्व का उल्लेख कीजिये।

.....

.....

.....

.....

18.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. भाग 18.2 देखें।
2. भाग 18.2 देखें।

इकाई–19 : सामाजिक किया के चरण

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 सामाजिक किया के चरण

19.3 सारांश

19.4 शब्दावली

19.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

19.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

19.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया के चरणों की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक किया के चरणों से परिचित हो जायेंगे।
- सामाजिक किया में चरणों का क्या महत्व है इसके विषय में जान सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया एक परिवर्तनमूलक कार्य प्रणाली है जिसमें अभिष्ट सामाजिक परिवर्तनों को लाने के लिये कार्य किया जाता है। यह जन सहयोग पर आधारित कार्य प्रणाली है जिसमें ऐसे समुदाय को गतिशील किया जाता है तथा किसी ऐसे समस्या को दूर करने के लिये कार्यवाही करना चाहता है जो उस समुदाय के जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। इसलिये किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से दूर करने के लिये कुछ वैज्ञानिक चरणों का पालन किया जाता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।

19.2 सामाजिक क्रिया के चरण

समाज कार्य एक व्यवहारिक व्यवसायिक सेवा है जिसके अन्तर्गत छः पद्धतियों के माध्यम से सेवायें प्रदान की जाती है। समाज कार्य की मुख्य पद्धतियॉ सेवार्थी के लिए उपलब्ध संसाधनों में सेवायें प्रदान करती है किन्तु सामाजिक किया की पद्धति सेवाओं को अपर्याप्त मानते हुए और अधिक संसाधनों की मांग करती है, लोगों को एकजुट करती है तथा संयुक्त कार्यवाही के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करती है। सामाजिक किया के माध्यम से समाज की व्यवस्था तथा संरचना में परिवर्तन लाने के लिये कार्य किया जाता है। इसके द्वारा किसी सकारात्मक परिवर्तन को लाने अथवा नकारात्मक

परिवर्तन को रोकने का भी कार्य किया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में सामाजिक किया के अन्तर्गत व्यापक जनसहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक किया सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में संगठित ढंग से परिवर्तन लाने के लिये कार्यवाही करती है। वस्तुतः सामाजिक किया व्यापक परिवर्तन लाने के लिये भी कार्य करती है। सामाजिक किया में राजनैतिक सुधार के आन्दोलन, समाज सुधार आन्दोलन, सामाजिक कानूनों का निर्माण से सम्बन्धित आन्दोलन, श्रम सुधार आन्दोलन, सामाजिक न्याय एवं जनाधिकार से सम्बन्धित आन्दोलन सम्मिलित हैं। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक किया के अन्तर्गत बहुआयामी कार्यक्रमों एवं रणनीतियों का पालन किया जाता है। इसमें विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग चरणों का पालन किया जाता है इसमें शोध, प्रचार और लॉबिंग की तकनीकों का उपयोग करते हुए कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को सुखी सम्पन्न एवं संतोषजनक बनाना है। ग्रेस कॉयल ने भी सामाज की प्रकृति एवं कार्य प्रणाली को स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक किया सामाजिक वातावरण को ऐसे तरीकों से परिवर्तित करने का प्रयास है जिससे जीवन को और अधिक सन्तोषजनक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को नहीं अपितु सामाजिक संस्थाओं कानूनों, रीति–रिवाजों तथा समुदायों को प्रभावित करना है। सामाजिक किया के अन्तर्गत विधिक सीमाओं का अनुपालन किया जाता है। सामाजिक किया में उद्देश्यों को पूरा करने की लिये सामूहिक प्रयास आवश्यक होता है इसलिये इसमें संगठित रूप से सामूहिक प्रयास किया जाता है। इसमें सामूहिक प्रयासों के द्वारा लोगों की सामाजिक समस्याएं हल करने या सामाजिक और आर्थिक परम्पराओं को प्रभावित करते हुए सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार की कार्यवाहियां सम्पन्न की जाती है तथा कुछ विशिष्ट चरणों का पालन भी किया जाता है। सामाजिक किया के अन्तर्गत भी समुदाय में लोगों का आहवान किया जाता है तथा उनकों संगठित करने का कार्य किया जाता है, इसलिए प्रायः सामाजिक किया को सामुदायिक संगठन का विस्तार भी समझ लिया जाता है। सामाजिक किया में वैयक्तिक समाज कार्य की निपुणताएं तथा समूह कार्य की दक्षताएं तथा समुदाय को संगठित करने की विधियां सम्मिलित है। सामाजिक किया में कार्य करने के लिये कार्यकर्ताओं के द्वारा निम्नचरणों का पालन किया जाता है–

1. समस्या की पहचान
2. समस्या का प्रत्यक्षीकरण/अनुमान लगाना (तथ्य और आंकडा)
3. संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण
4. रणनीतियां (कार्यवाही करने के तरीके)
5. जनसहभागिता
6. कार्ययोजना
7. कियान्वयन
8. मूल्यांकन

उपर्युक्त चरणों के अलावा सामाजिक किया में कुछ अन्य चरणों को भी सम्मिलित किया जाता है–

- जागरूकता पैदा करना
- लोगों को संगठित करना
- रणनीति का विकास
- कार्यवाही

अब हम इन चरणों को विस्तारपूर्वक जानेंगे–

1. समस्या की पहचान

सामाजिक किया की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व समुदाय की सम्पूर्ण स्थितियों का अध्ययन करने का कार्य किया जाता है। जिससे समुदाय में व्याप्त समस्याओं का ज्ञान और उनकी पहचान की जा सके। प्रायः समुदाय विभिन्न प्राकर की समस्याओं से घिरे रहते हैं। ये समस्यायें समुदाय के लोगों के जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती रहती हैं। समुदाय की अधिकांश समस्यायें उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षों से सम्बन्धित होती है जैसे–अशिक्षा, जातिवाद, पिछडापन आदि। इन समस्याओं के बने रहने के पीछे प्रायः समुदाय में जागरूकता का अभाव एवं समस्याओं को दूर करने की अनिच्छा महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यह देखा गया है कि समुदाय में लोग यह तो अनुभव करते हैं कि उनके समुदाय में समस्यायें हैं किन्तु कौन सी समस्या महत्वपूर्ण हैं और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं हैं या किस समस्या को तत्काल दूर किये जाने की आवश्यकता है तथा किस समस्या के लिये दीर्घकालिक प्रयास किये जाने आवश्यक होंगे, इसकी जानकारी करना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर समुदाय के लोग स्वयं यह कार्य नहीं कर पाते। समुदायों में समस्याओं का स्परूप भी परिवर्तित होता रहता है। भारतीय समाज भी ऐसी बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है। इन समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। समुदायों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक वर्गों के लोग रहते है। जिनकी समस्यायें और आवश्यकतायें भिन्न–भिन्न होती हैं, इसलिए कभी–कभी समुदाय के लोगों में समन्वय का आभाव पाया जाता है। समुदाय में पाये जाने वाले सभी वर्गों का अथवा समूहों की आवश्यकतायें तथा समस्यायें भी एक समान नहीं होती है। कुछ समूह समुदाय में सम्पन्न हो सकते हैं तथा कुछ निर्धन, कुछ जाति के लोग शिक्षित हो सकते हैं तथा कुछ जाति समूहों में अशिक्षा, अन्धविश्वास अधिक हो सकता है। समुदाय के कुछ मुहल्लों अथवा मजरों में जनसुविधायें जैसे पेयजल की सुविधा, पक्के रास्तो की सुविधा तथा स्वास्थ्य केन्द्र और विद्यालय आदि पहले से ही मौजूद हो सकती हैं, जबकि समुदाय के दूसरे हिस्सों में इन सुविधाओं का अभाव हो सकता है, इसलिये समुदायों में कार्य करने के दौरान समस्याओं की पहचान करना तथा कार्यवाही करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण करना अति आवश्यक हो जाता है। समुदाय में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिये संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से अध्ययन करने के पश्चात ही समस्या का चयन करना चाहिये। समस्या की पहचान अथवा चयन करने से पूर्व समुदाय के लोगों की भी सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिये क्योंकि सामाजिक किया में कोई भी कार्य जनतांत्रिक ढंग से किया जाता है इससे लोगों का सहयोग भी

आसानी से प्राप्त हो जायेगा। सामाजिक किया में सामूहिक प्रयास अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। समुदाय में पायी जाने वाली सभी समस्याओं को आगे की कार्यवाही के लिये एक साथ विचार नहीं किया जा सकता है, इसलिये सभी समस्याओं का उनकी गंभीरता लक्षणों तथा कारणों के आधार पर विश्लेषित क्रमबद्ध किया जाता है तथा समस्याओं को हल करने में प्राथमिकता दी जाती है। समुदाय में कौन सी समस्या वास्तविक है इसकी पहचान करके कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

2. समस्या का प्रत्यक्षीकरण करना अथवा अनुमान लगाना

इस चरण में समुदाय की समस्या की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाने का कार्य किया जाता है कि समस्या का स्वरूप क्या है। यह कब क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। अर्थात समस्या का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। इसके लिये जिस भी समस्या का चयन किया जाता है उससे सम्बन्धित आंकडों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। आंकडों के माध्यम से समुदाय में समस्या की व्यापकता का पता चल जाता है तथा कार्यवाही के लिये उस समस्या का चयन किया जाता है जिसकी अनुभूति समुदाय में व्यापक रूप से की जाती हो। इससे एक ऐसे सामान्य समस्या का पता चल जाता है जो पूरे समुदाय की समस्या है तथा जिससे समुदाय के सभी लोग जुडे हुए हैं। इससे समुदाय में कार्यवाही करने में सुविधा होती है तथा पूरे समुदाय का सहयोग प्राप्त करना आसान हो जाता है।

3. संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण

इस चरण के अन्तर्गत समुदाय की संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है जिसमें समुदायों में पाये जाने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समूहों के विषय में सूचनायें एवं आंकडे प्राप्त किये जाते हैं जैसे जाति समूह, धार्मिक समूह, आयु समूह, लैंगिक समूह आदि। समुदायों की अपनी विशिष्ट संरचना होती है। अलग–अलग समुदायों की संरचना अलग–अलग होती है जिसमें जाति समूह तथा अन्य समूहों में विभिन्नता पायी जाती है। इसी प्रकार समुदाय की संरचना के अन्तर्गत समुदायों में पायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं की भी गणना की जाती है जैसे समुदायों में सामुदायिक भवन का पाया जाना, पेयजल सुविधा का पाया जाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं का पाया जाना आदि वे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिससे किसी समुदाय की संरचना की विशिष्टता का पता चलता है। इसी प्रकार समुदायों में कुछ प्रकार्यात्मक विशिष्टतायें भी पायी जाती हैं जो समुदायों को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती हैं जो समुदायों में पायी जाने वाली सामुदायिक भावनायें जो समुदायों को एकसूत्रता में पिरोये रखती हैं तथा समुदायों को गतिशील बनाती हैं। इससे समुदायों में सामाजिक किया के लिये लोगों का सहयोग प्राप्त करने में आसानी रहती है। समुदायों की संरचना में जो विशिष्टातायें पायी जाती हैं उनका प्रकार्यात्मक रूप से उपयोग सामाजिक किया के लिये किया जाता है जैसे–आयु समूह तथा लैंगिक समूहों को उनके विशिष्ट हितों के आधार पर किसी समूह का सदस्य बनने के लिये एवं कार्यवाही करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है। इन समूहों को अपनी विशिष्ट मांगों की पहचान करने एवं उनकी पूर्ति करने के लिये एकजुट किया जाता है। समुदाय की इनकी आवश्यकताओं तथा समस्याओं का निर्धारण करते हुये कार्य करने के लिये सक्षम बनाया जाता है। समुदाय की प्रकार्यात्मक क्षमता को सुदृढ करने के लिये समुदाय के सदस्यों को आगे बढाया जाता है तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आगे की कार्यवाही करने के लिये उन्हें संगठन के निर्माण करने के लिये सक्षम बनाया जाता है। इस प्रकिया में लोग समस्याओं का विश्लेषण करने तथा उन्हें दूर करने के लिये तथा वांछित कार्यवाही करने के लिये आवश्यक निपुणताओं को अर्जित करते हैं। ऐसे कार्यों में कार्यकर्ताओं के द्वारा समुदाय के जागरूकता के स्तर को ऊपर उठाया जाता है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समुदाय की सामाजिक

सांस्कृतिक पर्यावरण अथवा समुदाय के किसी वर्ग या समग्र समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये सामुहिक कार्यवाही की जाती है।

4. रणनीतियां (कार्यवाही करने के तरीके)

सामाजिक किया संघर्षों का समाधान करने की प्रकिया है। यह समाज में व्याप्त असमानता एवं शोषण की स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिये संघर्षात्मक पद्धति से कार्य करती है। यह संसाधनों के समुचित उपयोग करने एवं संसाधनों के समानतापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। इसके माध्यम से समाज की व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिये जनसमुदाय को सकिय करने का कार्य किया जाता है यह मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं में परितर्वन लाने एवं सुधार करने से सम्बन्धित है। यह सामूहिक एवं संगठित रूप से परिवर्तन लाने के लिये कार्य करती है यह कार्य प्रणाली लोकतांत्रिक एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित होकर कार्य करती है। वर्तमान समय में सामाजिक संस्थायें और सामाजिक संरचना व्यक्तियों और संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम सिद्ध हो रही हैं, इसलिये सामाजिक किया की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है।

सामाजिक किया में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग किया जाता है जिनके माध्यम से कार्यवाही की जाती है और लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। सामाजिक किया में रणनीतियों से आशय है, उपवास करना, संधि और समझौता करना, वार्तालाप करना, सौदेबाजी करना, हड़ताल करना, घेराव करना आदि। इन रणनीतियों अथवा युक्तियों का अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग तरीकों से उपयोग किया जाता है जैसे लीस ने सामाजिक किया में तीन मुख्य रणनीतियों का उल्लेख किया है इनमें से सहकार, प्रतिस्पर्धा और विघटन की रणनीतियां प्रमुख हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। सहकार या सहयोग की रणनीति के अन्तर्गत समुदाय की परिस्थितियों में अथवा सामाजिक नीतियों में सुधार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों अथवा संस्थाओं से सहयोग किया जाता है। इस रणनीति की यह मान्यता है कि आपसी बातचीत मेल–मिलाप शिक्षा आदि शान्तिपूर्ण तरीकों के माध्यम से शासन सत्ता में बैठे हुये लोगों से अथवा शक्ति सम्पन्न लोगों से सहयोग प्राप्त करके परिवर्तन लाया जा सकता है। इस रणनीति के अनुसार परिवर्तन लाने के लिये सदैव संघर्ष करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि बिना संघर्ष के भी परिवर्तन लाया जा सकता है। यह रणनीति प्रतिपक्षी की सहृदयता में विश्वास रखती है। वहीं प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने में दो पक्षों अथवा एक से अधिक पक्षों में आपस में प्रतिस्पर्धा की जाती है। जहां तक प्रतिस्पर्धा शान्तिपूर्ण ढंग से चलती है वहां तक तो यह एक स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में रहती है, किन्तु जब प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार की युक्तियां एवं प्रपंच आदि सम्मिलित हो जाते हैं तो यह विभिन्न पक्षों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है और प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो जाती है प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत विभिन्न पक्ष आपस में होड करते हैं तथा वे संसाधनों एवं अवसरों का लाभ अपने पक्ष में अधिक से अधिक करने के लिये एवं दूसरे पक्ष को कम से कम देने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिये इसमें एक समय के पश्चात् आपसी समझौते की आवश्यकता दिखायी देती है। तब संघर्षरत पक्ष समझौते की भावना से बातचीत, संधि एवं समझौता करने की तकनीकों का उपयोग करते हैं और किसी ऐसे समझौते पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जिसमें संघर्षरत पक्षों को समानता के आधार पर समान लाभ प्राप्त हो।

सामाजिक किया की प्रकृति संघर्षात्मक होती है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिये कभी–कभी विद्यमान सामाजिक संरचना एवं संगठनों के विरूद्ध संघर्ष की आवश्यकता होती है तथा यथास्थिति बनाये रखने वाले लोगों एवं यथा स्थिति में परिवर्तन चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिये सामाजिक किया के माध्यम से उग्रतापूर्ण एवं संघर्षमूलक पद्धतियों का प्रयोग करते हुये कार्यवाही की जाती है जैसे हडताल करना, धरना प्रदर्शन, कर की अदायगी न करना आदि, किन्तु यह सभी कार्य अहिंसक विधियों से किये जाते हैं हालांकि लीस ने इसमें गोरिल्ला युद्ध को भी इसमें शामिल किया है। सभी रणनीतियां एक निश्चित कम में कार्य करती हैं। रणनीतियों का उपयोग चुने हुये वैध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किया जाना चाहिये। रणनीतियों का उपयोग करते समय समुदाय की स्थिति का ध्यान भी रखना चाहिये। यह कार्य नेताओं अथवा सामाजिक कार्यकर्ताओं का होता है। सामाजिक किया के चरणों में रणनीतियों का अत्यन्त महत्व है। रणनीतियां ही सामाजिक किया की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाती हैं। इन रणनीतियों का उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार अलग–अलग ढंग से किया जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने भी अहिंसक विरोध, सविनय अवज्ञा तथा उपवास जैसी तकनीकों का उपयोग किया था, जिनका व्यापक उपयोग सामाजिक किया की रणनीतियों में किया जाता है।

5. जनसहभागिता

सामाजिक किया एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें व्यापक स्तर पर जनसहयोग के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। इसके लिये आवश्यक होता है कि समुदाय में एक ऐसी चेतना का विकास किया जाये जिससे कि समुदाय के लोगों में अपनी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाये तथा वे उन समस्याओं का समाधान करने के लिये गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करने लग जायें। इसके लिये सामाजिक संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वप्रथम समुदाय को सामाजिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं से परिचित कराया जाता है तथा आमजन को सामाजिक मुद्दों तथा रणनीतियों से भी परिचित कराया जाता है। समुदाय में सहयोग प्राप्त करने के लिये उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है जिनसे समुदाय के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों के ऊपर प्रकाश पडता है।

जन सहयोग की प्राप्ति करना समुदायों में कार्य करने के लिये हमेशा से ही एक अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है क्योंकि समुदाय प्रायः उदासीनता की समस्या से ग्रसित रहते हैं, उन्हें अपने समुदाय की परिस्थितयों का समुचित ज्ञान नहीं होता है तथा वे इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि एक समूह अथवा संगठन के रूप में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये किस प्रकार से कार्य करना चाहिये, इसलिये समुदायों में किसी सार्वजनिक कार्य को लेकर उपेक्षा पायी जाती है जिससे जनसहयोग की प्राप्ति करना सामाजिक कार्यकर्ता अथवा संस्थाओं के लिये भी हताशा भरा होता है अतः जनसहयोग की प्राप्ति के लिये जनता को जागरूक बनाना भी अत्यन्त आवश्यक होता है इसलिये कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रचार का उपयोग किया जाता है एवं उन्हें सामाजिक किया करने के लिये गतिशील किया जाता है। प्रचार का उपयोग जनता को सक्रिय करने एवं संगठित रूप से कार्य करने के लिये किया जाता है। यह वृहद स्तर पर लोगों को प्रेरित करने का भी कार्य करता है। इससे समुदाय के लोगों में आपसी सहयोग की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। समुदाय में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संस्थाओं के द्वारा कुछ कल्याणकारी सेवायें भी समुदाय में संचालित की जाती हैं। जिससे जन समर्थन प्राप्त करने में सुविधा होती है। इससे समुदायों में परिवर्तन के लिये एक सकारात्मक वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक किया एक ऐसी किया विधि है जिससे समुदायों को कार्यवाही करने के लिये न

केवल एकजुट किया जा सकता है बल्कि उन्हें गतिशील करके जनसहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

6. कार्ययोजना

समाज कार्य वैज्ञानिक ढंग से सेवा प्रदान करने वाला एक व्यवसाय है। समाज कार्य की सभी कार्य प्रणालियां अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वैज्ञानिक चरणों का पालन करती हैं। सामाजिक किया में भी सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वैज्ञानिक कार्य योजना को अपनाया जाता है क्योंकि लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिये विभिन्न प्रकार के विकल्प समुदायों में पाये जाते हैं अतः इन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन कार्यवाही के लिये की जाती हैं। चयनित विकल्पों में से कार्यवाही के लिये जिन विकल्पों को अपनाया जाता है उनमें से जिस विकल्प को लेकर कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जाता है उसको लेकर एक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है। इसमें एक कार्य योजना प्रस्तावित की जाती है तथा लक्ष्य की प्राप्ति होने तक किसी संगठन के निर्माण का भी प्रयास किया जाता है। सामाजिक किया के लिये चयनित लोगों के उत्तरदायित्व तय कर दिये जाते हैं तथा संगठन के अन्तर्गत लोगों की भूमिकायें भी तय कर दी जाती हैं। सरकार द्वारा इस स्तर पर समय सीमा तय की जाती है, आवश्यक संसाधनों को शामिल करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा कार्यवाही करने के लिये स्थान समय और बैठकों आदि की रूप रेखा का खाका तैयार कर लिया जाता है।इस के अतिरिक्त यह भी तय कर लिया जाता है कि प्राधिकारियों के साथ बैठकें कौन करेगा तथा निर्णय लेने में सहभागिता कौन करेगा। इन सभी कार्यों को लेकर के योजना तय कर दी जाती है। कार्ययोजना एक प्रकार से आन्दोलन अथवा सामाजिक किया के ब्लूप्रिन्ट का कार्य करता है। कार्ययोजना को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक संसाधनों की पहचान करना, उनको इकट्ठा करना तथा उन्हें गतिशील करने का कार्य किया जाता है। सामाजिक किया के लिये आवश्यक संसाधनों में समय, धन एवं श्रम का अत्यधिक उपयोगिता होती है। इसलिये कार्ययोजना को अमल में लाने के लिये इन सभी की गणना की जाती है। सामाजिक किया को प्रभावी बनाने के लिये जनसहयोग की भी अत्यन्त आवश्यकता होती है क्योंकि बहुत सी समस्यायें ऐसी होती हैं जिनके लिये सामाजिक किया करने के लिये जन समुदाय का होना अत्यन्त आवश्यक होता है इसलिये समुदाय में जन शक्ति का एकत्रीकरण कैसे होगा और उसे गतिशील कैसे किया जायेगा इसको लेकर भी कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये। संसाधन आन्तरिक होंगे अथवा समुदाय के बाहर के होंगे इसका भी विवरण कार्ययोजना में होना चाहिये। कार्ययोजना को पूर्ण रूप से तैयार करने के पश्चात उसे प्रभावी बनाने के लिये जन सहभागिता तथा उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिये गतिशीलता उत्पन्न की जाती है एवं कार्यवाही की जाती है।

7. कियान्वयन

कियान्वयन किसी भी प्रकिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। किसी भी योजना की सफलता उसके कियान्वयन पर निर्भर करती है। सामाजिक किया के लिये भी यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि जिस भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सामाजिक किया का चयन किया गया है उसका कियान्वयन समुचित रूप से हो सके इसके लिये समेकित प्रयास किया जाना चाहिये। सामाजिक किया के कियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि सामाजिक किया में सम्मिलित सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये तथा लोगों की सहभागिता एवं उत्तरदायित्व को तय करते हुये सभी को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाये इसके लिये लोगों के सक्रिय सहयोग को भी सुनिश्चित करना चाहिये। उद्देश्यों के अनुरूप कार्यवाही करने के लिये योजना में सभी चरणों को परिभाषित कर

देना चाहिये जिससे कि योजना के क्रियान्वयन करने के लिये किस चरण में कौन सी रणनीति आवश्यक होगी इसका निश्चय पहले से ही हो सके। रणनीतियों का चयन सामाजिक क्रिया में कार्य करने के लिये अत्यन्त ही आवश्यक है क्योंकि रणनीतियों के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि प्रतिपक्षियों के पास उपलब्ध संसाधनों की स्थिति क्या है तथा वे कितना सामाजिक दबाव सह सकते हैं? सामाजिक क्रिया के क्रियान्वयन में रणनीतियां ही यह सुनिश्चित करती हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता किस हद तक अपने प्रतिपक्षियों के विरोध शान्तिपूर्ण ढंग से सहन कर सकते हैं। सामाजिक क्रिया के क्रियान्वयन के लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेतृत्वकर्ताओं की योग्यता उनके अपने मूल्य परिवर्तन के प्रतिबद्धता आदि भी सामाजिक क्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है। सामाजिक क्रिया के क्रियान्वयन में लक्ष्य के अनुसार सामाजिक क्रिया की रणनीतियां एवं मॉडलों का भी चयन किया जाता है। सामाजिक क्रिया करने के लिये कौन सी रणनीति अथवा मॉडल अपनाया जायेगा यह उद्देश्यों पर निर्भर करता है। हालांकि सामाजिक क्रिया में कोई भी कार्यवाही जन समुदाय के सहयोग पर आधारित होती है, किन्तु बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें विशिष्टजनों के माध्यम से भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है इनमें लोकप्रिय अथवा प्रचलित सामाजिक क्रिया मॉडल को रखा जा सकता है। इस मॉडल के अन्तर्गत सामाजिक क्रिया का क्रियान्वयन जन समुदाय के द्वारा विशिष्ट जनों के सहयोग से अथवा बिना उनके सहयोग के किया जाता है। सामाजिक क्रिया में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये सामाजिक संरचना में रचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है जैसे कि गांधी जी ने भी रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी कार्य किया था। इस प्रकार सामाजिक क्रिया में कार्य का क्रियान्वयन करना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण चरण है।

8. मूल्यांकन

सामाजिक क्रिया के चरणों में मूल्यांकन का चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसा चरण है जिसमें यह देखने का कार्य किया जाता है कि उद्देश्यों के अनुरूप सफलता कहां तक प्राप्त हुई है अथवा क्रियान्वयन में कहां–कहां कमियां रह गयी हैं। यह कार्य सामाजिक क्रिया करने के दौरान निश्चित समयान्तराल में प्रत्येक चरण पर किया जाता है। यह अत्यन्त ही विशेषज्ञतापूर्ण कार्य है जिसे एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता ही कर सकता है। मूल्यांकन के चरण में प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ता के द्वारा स्वयं की तथा सामाजिक क्रिया के लिये गठित समूह के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है तथा कमियों के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिये कार्य किया जाता है इसमें लोगों की सकारात्मक उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती है तथा असफलताओं की पहचान कर उन्हें रोकने तथा दूर करने के उपाय सोचे जाते हैं। मूल्यांकन का कार्य समुदाय के साथ कार्य करते हुये सतत् रूप से किया जा सकता है। इसे या तो सामयिक आधार पर किया जा सकता है अथवा किसी गतिविधि के समाप्त होने के पश्चात संगठन के भीतर के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी बाहरी विशेषज्ञ के द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य करने से न केवल लक्ष्यों की प्राप्ति में सहजता होती है कार्य में सुधार आता है बल्कि सामाजिक क्रिया की कार्यप्रणाली को भी प्रभावी बनाने में अत्यन्त सहायता मिलती है। मूल्यांकन के माध्यम से कमियों को सुधार कर नवीन तकनीकों एवं पद्धतियों का प्रवेश कराया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो पाये हैं और उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है मूल्यांकन के माध्यम से ही संसाधनों की उपलब्धता अथवा अनुपलबधता का आंकलन किया जाता है। इससे कार्यवाही के लिये आवश्यक संसाधनों को जुटाने और उन्हें उपयोग में

लाने में सरलता रहती है इस प्रकार मूल्यांकन का चरण सामाजिक किया के लिये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

सामाजिक किया सामाजिक तथा वैधानिक रूप से वैध समझे जाने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संयुक्त रूप से किया जाने वाला कार्य है इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जनमत तैयार करने का कार्य वांछित परिवर्तनों को लाने अथवा अवांछित परिवर्तनों को रोकने के लिये कानून का निर्माण करने का कार्य तथा परितर्वन के लिये जनमत बनाने का कार्य किया जाता है। सामाजिक किया जनशक्ति के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अनुपम उदाहरण है। सामाजिक किया जन सशक्तीकरण का भी एक सशक्त माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा आम लोगों के अन्दर परिवर्तन के लिये कार्य करने का साहस उत्पन्न किया जाता है। सामाजिक किया समाज में बंधुता बढ़ाने का भी कार्य करती है जिससे सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में भी आसानी रहती है। सामाजिक किया समाज कार्य की प्रणाली है अतः यह भी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वैज्ञानिक प्रकिया का पालन करती है इसलिये सामाजिक किया में योजनाबद्ध ढंग से परिवर्तन लाने के लिये कार्य किया जाता है और लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं।

19.3 सारांश

सामाजिक किया की कार्य प्रणाली के कार्य करने का ढंग ऐसा है जिसमें जन समुदाय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिये कार्यवाही की जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे सामाजिक मुद्दों का चयन किया जाता है जिनका सम्बन्ध समाज के एक बड़े समूह से अथवा वर्ग से होता है क्योंकि सामाजिक किया में परिवर्तन के लिये एक निश्चित कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है। इसलिये इसमें कार्य करने के लिये कुछ चरणों का आवश्यक रूप से पालन किया जाता है। सामाजिक किया में व्यवसायिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी नेतृत्व तथा सहयोग प्रदान किया जाता है इसलिये इसमें स्वतः ही वैज्ञानिक ढंग से योजनाओं का निर्माण किया जाता है तथा लक्ष्य प्राप्ति होने तक एक निश्चित प्रकिया का पालन किया जाता है।

19.4 शब्दावली

प्रत्यक्षीकरण	समस्या की वास्तविक स्थिति का अनुमान अथवा सत्य का पता लगाना।
जनसहभागिता	किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये लोगों का सहयोग प्राप्त करना।
कियान्वयन	सामाजिक किया में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बनायी गयी कार्य योजना का व्यवहारिक ढंग से अमल में लाया जाना।

19.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

+ सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।

+ मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

+ सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

+ वाल्टर ए0 फीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।

+ दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंडियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेंज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक किया के चरणों पर प्रकाश डालिये।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक किया करने के लिये चरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये।

.....

.....

.....

.....

19.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. भाग 19.2 देखें।

2. भाग 19.2 देखें।

इकाई – 20 : समाज कार्य एवं सामाजिक क्रिया

इकाई की रूपरेखा

20.0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 व्यावसायिक समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया

20.2.1 सामाजिक क्रियाः एक प्रणाली के रूप में

20.3 सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य की अन्य विधियों से सम्बन्ध

20.3.1 सामाजिक क्रिया एवं वैयक्तिक समाज कार्य

20.3.2 सामाजिक क्रिया एवं समूहिक समाज कार्य

20.3.3 सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन

20.3.4 सामाजिक क्रिया एवं समाज कल्याण प्रशासन

20.3.5 सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य शोध

20.4 सारांश

20.5 शब्दावली

20.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

20.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

20.0 उद्देश्य

इस इकाई में समाज कार्य एवं सामाजिक क्रिया के मध्य क्या सम्बन्ध है, की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में समझ सकेंगे।
- सामाजिक क्रिया एवं वैयक्तिक समाज कार्य के मध्य क्या सम्बन्ध है, को समझ सकेंगे।
- समूह कार्यकर्ता की भूमिका को जान सकेंगे।
- सामाजिक क्रिया एवं समूह समाज कार्य के मध्य क्या सम्बन्ध है, को समझ सकेंगे।

- सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन के मध्य क्या सम्बन्ध है, को समझ सकेंगे।

- सामाजिक क्रिया एवं समाज कल्याण प्रशासन के मध्य क्या सम्बन्ध है, को समझ सकेंगे।

- सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य शोध के मध्य क्या सम्बन्ध है, को समझ सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना

व्यावसायिक समाज कार्य में लोगों के साथ कार्य के लिए छः प्रणालियों की पहचान की गयी है। जिसमें तीन प्रमुख अथवा प्राथमिक प्रणालियां हैं। जो कि क्रमशः वैयक्तिक समाज कार्य, समूह समाज कार्य व सामुदायिक संगठन है। दैनिक अभ्यास में एक समाज कार्यकर्ता इन तीनों प्रमुख प्रणालियों का प्रयोग सेवार्थी की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। इसके अतिरिक्त अन्य तीन द्वितीयक या सहायक प्रणालियां हैं। ये अन्य तीन प्रणालियां क्रमशः समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध व सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया के द्वारा जनसमूह की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। जोकि सामाजिक विधान, प्रचार तथा उपयुक्त क्रियात्मक कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने व नकारात्मक परिवर्तन की रोकथाम के लिए अत्यधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करने के लिए सामाजिक क्रिया को उपयोग में लाया जाता है। चिपको आन्दोलन, नर्मदा बचाओं आन्दोलन तथा चिल्का आन्दोलन इत्यादि सामाजिक क्रिया के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जिससे वहां के स्थानीय लोगों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सका है।

मैरी रिचमण्ड पहली समाज कार्यकर्ता थी जिन्होंने सन् 1922 में सामाजिक क्रिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए मेरी रिचमण्ड ने कहा है कि सामाजिक विधान और प्रचार द्वारा जन–समुदाय को बेहतर किया जा सकता है। जबकि सिडने मासलिन ने सामाजिक क्रिया के क्षेत्र को सीमित करते हुए स्पष्ट किया है कि सामाजिक क्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जनसमूह अथवा जन–समुदाय की आवश्यकताओं को विधानों द्वारा संरक्षित किया जाता है। बाल्डविन ने सामाजिक क्रिया के क्षेत्र को विस्तृत करते हुए स्पष्ट किया है कि सामाजिक क्रिया के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया जाता है। बाल्डविन (1988) ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रिया में राजनैतिक सुधार, औद्योगिक प्रजातंत्र, सामाजिक विधान, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता आन्दोलन तथा इसकी तकनीकियां विशेष रूप से प्रचार, शोध व अभिमत को सम्मिलित किया जाता है। फ्रीडलैण्डर (1977) ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक अथवा सामुदायिक प्रयास है जो कि समाज कार्य दर्शन व अभ्यास पर आधारित होता है, जो सामाजिक नीति में परिवर्तन लाते हुए तथा सामाजिक विधान तथा स्वास्थ्य व कल्याणकारी सेवाओं को उन्नत करता है। मिश्रा (1992) ने सामाजिक क्रिया के निम्नलिखित लक्ष्यों को बताया है :–

1. आवश्यकताओं की रोकथाम करना,

2. जन–समुदाय की समस्याओं का समाधान करना,

3. जन–समुदाय की स्थिति को बेहतर करना,

4. संस्थाओं, संगठनों, नीतियों तथा अभ्यास के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास करना,

5. नई व्यवस्था अथवा कार्यक्रमों का निर्माण करना,

6. शक्ति तथा संसाधनों का पुनर्वितरण करना,

7. निर्णयन की क्षमता को विकसित करना,

8. विचारों और क्रियात्मक संरचना पर प्रभाव डालना, और

9. स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण में वृद्धि करना।

20.2 व्यावसायिक समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया

समाज कार्य की अन्य प्रणालियों के साथ सामाजिक क्रिया के सम्बन्ध को समझना अत्यन्त आवश्यक है। समाज कार्य की अन्य प्रणालियों क्रमशः समूह समाज कार्य और सामुदायिक संगठन से सामाजिक क्रिया थोड़ा भिन्न है। वास्तव में जब लोगों की आवश्यकताएं तथा समस्याएं अपूर्ण रहती है और समाज कार्य की अन्य प्रणालियों द्वारा समाधान नहीं हो पाता है, तो सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक क्रिया, सामुदायिक संगठन से आगे का चरण है। समाज कार्य शोध विधि, सामाजिक समस्या का वस्तुनिष्ठता को समझने में सहायता करता है वैयक्तिक समाज कार्य तथा समूह समाज कार्य, सामाजिक क्रिया के मुख्य आधार है जो कि लोगों को संगठित व गतिशील बनाने में मदद करते हैं। समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य को जमीनी आधार प्रदान करता है। जिससे कि समुदाय के लोग सामाजिक क्रिया के लिए तैयार हो सके। समाज कार्यकर्ता, समाज कार्य की अन्य विधियों की सहायता से अपनी निपुणताओं तथा अनुभवों के प्रयोग से सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया को अत्यधिक उपयोगी बनाता है।

20.2.1 सामाजिक क्रियाः एक प्रणाली के रूप में

प्रत्येक व्यावसाय का अपना एक विशेष ज्ञान जिसमें सिद्धान्त, तकनीकी, विधियां, प्रक्रिया, उपकरण तथा विशेष शब्द सम्मिलित होते हैं। व्यावसायिक समाज कार्य इस दृष्टिकोण से सत्य प्रतीत होता है। समाज कार्य अपनी विधियों की तकनीकियों के माध्यम से लोगों की सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करते हुए उन्हे समर्थ बनाता है। व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास की एक विधि के रूप में सामाजिक क्रिया, एक संगठित प्रयास है जिसमें समुदाय के लोगों को गतिशील व संगठित करते हुए सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। व्यावसायिक समाज कार्य की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा, सामाजिक क्रिया सामाजिक संस्थाओं में दीर्घकालीन परिवर्तन लाने पर बल देता है। सामाजिक क्रिया सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक सुधार आन्दोलनों, सामाजिक विधानों, मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता को शामिल करता है। प्रारम्भ में सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन के एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन अब इसे अलग से समाज कार्य की एक विशेष तकनीकी के रूप में माना जाता है

(सिद्दीकी, 1984)। प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक क्रिया को व्यावसायिक समाज कार्य को विधि माना जाये अथवा नहीं। एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया, समाज कार्य एक विधि अथवा अभिगम है जिसमें विशेष रूप से यथा एक स्थापित प्रक्रिया कि द्वारा चरणों को आसानी से समझा जा सकता है,जो कि समाज कार्य दर्शन पर आधारित है। इसके अपने सिद्धान्त अथवा मार्गदर्शिका है, लोगों के साथ करने की निपुणता है जिसे व्यावसायिक ज्ञान के द्वारा सीखा जा सकता है और उसे परिष्कृत किया जा सकता है।

सामाजिक क्रिया प्रक्रिया व्यवस्थित चरणों से होकर गुजरती है। प्रथम यह है कि वैज्ञानिक विश्लेषण अथवा शोध के द्वारा उन सामाजिक समस्या के प्रभाव को जानना। जिससे समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तत्पश्चात् समस्या के विभिन्न पक्षों के प्रति लोगों में जागरूकता को उत्पन्न करना और लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि सामूहिक व सहयोग प्रयास के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीसरे चरण में लोगों को संगठित करते हुए समन्वय स्थापित करना तथा हस्तक्षेप के लिए निर्देश देना जिससे कि उचित रणनीतियों को विकसित किया जा सके। जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके और अन्तिम रूप से क्रिया के लिए तैयार रहना। प्रत्येक सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया इन चरणों से होकर गुजरती है और व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता अथवा सक्रियकर्ता विभिन्न चरणों के लिए आवश्यक ज्ञान व निपुणता से पूरी तरह से तैयार रहते हैं।

सामाजिक क्रिया, समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में व्यावसायिक समाज कार्य दर्शन का समर्थन करता है। सामाजिक क्रिया इस बात में विश्वास करती है कि प्रत्येक मानव की अपनी अलग पहचान है, समस्या है व उसका समाधान है। सामाजिक क्रिया आराम तथा उत्तरजीविता के सिद्धान्त को पूरी तरह से नकारता है। सामाजिक क्रिया इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में यह क्षमता होती है कि वह जीवन में कठिन समय के दौरान क्रिया से अपने जीवन में सुधार ला सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यासकर्ता स्वतः सहभागिता न करते हुए लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि वह स्वयं सहायता के लिए चयन करने व कार्य को करने सम्बन्धी निर्णयको कर सके।

सामाजिक क्रिया द्वारा लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सामाजिक क्रिया का लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संसाधनों व शक्ति का पुर्नवितरण करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक व पर्यावरणीय परिवेश का निर्माण करना है जिससे कि वे आनन्दपूर्ण जीवन का व्यतीत कर सके। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य आवश्यकताओं की रोकथाम, जनसमूह की समस्याओं का समाधान, जन समूह की स्थिति को बेहतर बनाना, संस्थाओं नीतियों तथा अभ्यासों को अभिप्रेरित करना, व शक्तियों का पुर्नवितरण करना, शिक्षा प्रदान करना व लोगों का कल्याण करना है। सामाजिक क्रिया, निश्चित रणनीतियों व तरीकों से लक्ष्य की प्राप्ति करता है जो कि समाज कार्य की अन्य विधियों से इसे अलग करता है। सामाजिक क्रिया की रणनीतियों व तरीकों से समझौता, अनुनय, प्रतिस्पर्धा, विघटन, हड़ताल, विरोध करना, बहिष्कार, कर न चुकाना इत्यादि हैं। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि हिंसा तथा खून–खराबे को सामाजिक क्रिया रणनीतियो को शामिल नही किया जाता है। समाज कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया विधि को अधिक उपयोगी व पूर्ण निपुणता से उपयोग में ला सके इसके लिए उसका शिक्षण एवं प्रशिक्षण होना आवश्यक है। समाज कार्यकर्ता को इन निपुणताओं में सौहार्द सम्बन्धों की स्थापना, समस्याओं तथा सामाजिक स्थिति का विश्लेषण, समाज कार्य का ज्ञान एवं उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। समाज कार्यकर्ता समुदाय व सेवार्थी में रचनात्मक निर्माण के लिए सम्बन्धों का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग

करता है। ये सम्बन्ध एक ओर वस्तुनिष्ठ व गोपनीय होते हैं तथा वहीं दूसरी ओर संवेदनशील होते हैं। समाज कार्यकर्ता में इस बात की क्षमता होती है कि वह कार्यक्रम नियोजन, संगठन, समन्वय, प्रशासनिक तथा प्रबन्धकीय निपुणताओं का प्रयोग उचित तरीके से करता है। सामाजिक क्रिया विधि को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित समुदाय से ज्यादा एक समाज को एक इकाई मानते हुए, उपयोग में लाया जाता है। इससे संगठित प्रयासों के द्वारा सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक क्रिया के एक अन्य उद्देश्य के अन्तर्गत स्थापित सामाजिक विधान में परिवर्तन लाने व उसका निरूपण करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया को समाज कार्य व्यवसाय की एक विधि के रूप में देख सकते हैं। यह सशक्त उपकरण है जिसके द्वारा जनसमूह की स्थिति को बेहतर करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।

20.3 सामाजिक क्रिया का एवं समाज कार्य के अन्य विधियां से सम्बन्ध

व्यावसायिक समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने अथवा विपरीत परिस्थितियों की रोकथाम करने में जन–समुदाय को गतिशील बनाने तथा उन्हें संगठित करने, में किया जाता है। यह एक संगठित प्रयास होता है जिससे आर्थिक सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाता है अथवा उसको बेहतर बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में कुछ मुख्य सामाजिक समस्याओं यथा दहेज प्रथा, प्राकृतिक संसाधन के दोहन की रोकथाम, मादकद्रव्य व्यसन, इत्यादि को सामाजिक क्रिया के माध्यम से कार्य किया जाता है।

सामुदायिक सशक्तीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की प्रक्रिया में समाज कार्य की अन्य विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। हम देख सकते है कि सामाजिक क्रिया की सम्पूर्ण प्रक्रिया में समाज कार्य की अन्य विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। अतः इसके अन्तर्गत हम सामाजिक क्रिया का समाज कार्य की अन्य विधियों से क्या सम्बन्ध है?, का अध्ययन करेंगे।

20.3.1 सामाजिक क्रिया एवं वैयक्तिक समाज कार्य

हम सभी जानते हैं कि समाज कार्य व्यवसाय को एक प्रणाली के रूप में वैयक्तिक कार्य का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली तरीके से सेवार्थी की सहायता करना है जिससे कि उसकी मनोसामाजिक समस्या का समाधान हो सके। सेवार्थी की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान आमने–सामने के सम्बन्ध अर्थात् सेवार्थी व वैयक्तिक कार्यकर्ता के मध्य स्थापित सम्बन्धों द्वारा होता है। सामाजिक क्रिया व वैयक्तिक कार्य के सम्बन्ध को व्यक्तिगत तथा समाज के अन्योन्यश्रायिता के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। अधिकतर समस्याएं व्यक्ति के अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों को प्रभावित करती है। इन अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों को परिवार अथवा विभिन्न समुदाय पास–पड़ोस इत्यादि के रूप में जाना जा सकता है। अतः वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप परिवार स्तर के साथ संस्था स्तर पर यहां तक कि वृहत् समुदाय स्तर पर भी किया जाता है। जिन सामाजिक समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित होता है और कार्यकर्ता द्वारा उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है उन्हीं समस्याओं को समष्टि स्तर पर सामाजिक क्रिया द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैयक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी में इस आवश्यकता से विश्वास व आस्था उत्पन्न करता है जिससे कि वह सामाजिक क्रिया प्रक्रिया का भाग बन

सके। सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में कार्यकर्ता जब समुदाय में विश्वनीयता उत्पन्न करता है तो समाज कार्यकर्ता वैयक्तिक कार्य की विधि का प्रयोग करते हुए सेवार्थी समूह के सदस्यों की समायोजन सम्बन्धी समस्याओं तथा आवश्यक उपचार द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करने में सहायता करता है। यदि कार्यकर्ता प्रक्रिया के दौरान यह पाता है कि किसी सदस्य द्वारा समूह–सत्र में व्यावहारिक समस्याजनित, व्यवहार किया जा रहा है और उससे पूरा समूह प्रभावित हो रहा है तो वह अलग से समूह सदस्य की समस्या का समाधान करने के लिए वैयक्तिक कार्य सत्र का आयोजन करता है।

यह भी जानना आवश्यक है कि वैयक्तिक कार्य सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में आवश्यक होता है बल्कि जब समुदाय संगठित होकर प्राधिकारियों के विरूद्ध कार्य करता है तो वैयक्तिक कार्य प्रणाली कीसहायता ली जाती है। इसी समय यदि समूह के किसी सदस्य के द्वारा विचलित व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तो कार्यकर्ता आवश्यक परामर्श की प्रक्रिया को अपनाता है। सामाजिक क्रिया प्रक्रिया ठीक तरह से क्रियान्वित हो सके उसके लिए कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं का प्रयोग करते हुए वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया के समय मनोसामाजिक अध्ययन और निदान करता है मानव व्यवहार सीख का उपयोग करता है, मनोसामाजिक समस्याओं को पहचानता है, वैयक्तिककर्ता सेवार्थी सम्बन्धों का उपयाग करते हुए समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के समय न केवल अकेले व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करता है बल्कि समानान्तर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व से भी सम्पर्क स्थापित करता है जिससे कि समेकित रूप में सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

20.3.2 सामाजिक क्रिया एवं समूह समाज कार्य

व्यावसायिक समाज कार्य में समूह समाज कार्य के महत्व को इस तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि एक मनुष्य सामूहिक प्राणी है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समूह अनुभव एक आवश्यक तत्व है। एक मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में सामूहिक जीवन द्वारा ही परिवर्तित होता है। समूह समाज कार्य एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सामूहिक क्रियाओं द्वारा समूह के सदस्यों के बीच रचनात्मक सम्बन्धों की स्थापना की जाती है। समूह समाज कार्य, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। समूह समाज कार्य के द्वारा समूह के सदस्य समन्वय, सहयोग व संगठन की विशेषताओं को सीखते हैं। समूह सदस्य आत्मनिर्भरता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को सीखते हैं। समूह कार्य प्रक्रिया में जब समूह के सदस्य सहभागिता करते है तो वे एक साथ कार्य करने के सिद्धान्त के आधार पर विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। समूह समाज कार्य समायोजन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करता है तथा अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। समूह सदस्यों में एक साथ कार्य करने की उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। ये सभी कारक, सामाजिक क्रिया की सफलता के लिए आवश्यक है जिसके द्वारा सामाजिक कारणों के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए वृहत् स्तर पर जनसंख्या अथवा लोगों को प्रेरित किया जा सके।

समूह समाज कार्य प्रक्रिया के समय, समूह के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं तथा दूसरे के द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेते है। समूह क्रिया के दौरान समूह के सदस्य संवेगों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, सहनशीलता, समझने की योग्यता, सहानुभूति तथा समस्या समाधान करने हेतु सामर्थ्य में वृद्धि इत्यादि को सीखते हैं। इस प्रक्रिया के समय समूह का प्रत्येक सदस्य समूह के लक्ष्य की प्राप्ति में अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, अनिच्छाओं, अहं, सात्मीकरण इत्यादि को अलग रखता है। वास्तव में समूह के सदस्य परिवर्तन के लिए अपने आपसी मतभेदों को दूर करता है जिससे

कि आन्दोलन असफल न होने पाये। समूह समाज कार्य सदस्यों में नेतृत्व के गुण की खोज करता है। ये नेतृत्वकर्ता, यह उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं किस प्रकार से सदस्यों की सहभागिता व जनसमूह की गतिशीलता के द्वारा सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समूह समाज कार्य प्रणाली का प्रयोग करते हुए समाज कार्यकर्ता, विभिन्न व्यक्तिगत तथा अन्तरा–समूह मतभेदों को दूर करने का प्रयास करता है।

अपनी निपुणताओं एवं अनुभव के आधार पर कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में विभिन्न समूहों में व्याप्त मतभेदों को समझने का प्रयास करता है जिससे कि सामान्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम नियोजन तथा प्रबंधन के माध्यम से समूह की सहायता से सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया को सफल बनाता है। समाज कार्यकर्ता अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए नेटवर्किंग के द्वारा एक समूह के साथ अन्य समूहों को भी सहायता करने का प्रयास करता है। जिससे कि पूरे समुदाय को संगठित व गतिशील किया जा सके और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

इसके अतिरिक्त समाज कार्यकर्ता समूह निर्माण के प्रारम्भिक चरण में तथा समूह कार्य प्रक्रिया के समय समुदाय के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है तथा समुदाय के विभिन्न कार्यात्मक व संरचनात्मक पक्षों को जानने का प्रयास करता है। समाज कार्यकर्ता संरचनात्मक और सामाजिक समस्याओं के आधार पर अध्ययन करता है तथा समुदाय के अधिकतर लोगों को प्रभावित करते हुए जन आन्दोलन के लिए तैयार करता है। समाज कार्यकर्ता समूह समाज कार्य प्रक्रिया के समय समुदाय में अभिमत उत्पन्न करता है जो कि सामाजिक क्रिया की मुख्य आवश्यक तत्व है। इस प्रकार समूह समाज कार्य, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया को एक प्रकार से आकार प्रदान करता है।

20.3.3 सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन

सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन में अनेक समानताएं देखने को मिलती है। कभी–कभी यह विवाद का विषय रहता है कि सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन का एक अंग माना जाए अथवा नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक क्रिया सामुदायिक संगठन एक भाग है। सामाजिक क्रिया के साथ सामुदायिक संगठन के मध्य यह असमंजस्य की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि 'समुदाय' शब्द समाज कार्य में कहां सही प्रतीत होता है।

सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन प्रणालियों में उपयोग में लायी जाने वाली तकनीकियां समान हो सकती हैं। लेकिन उनके दृष्टिकोणों में अन्तर होता है। सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा सहकारी नियोजन को शामिल करते हुए क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक नीति को लागू करना है। जबकि सामाजिक क्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को लिया जाता है और जिसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है।

सामुदायिक संगठन, सामाजिक क्रिया का एक एकीकृत भाग है जोकि सामाजिक क्रिया की अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तव में अधिकतर व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन का विस्तार मानते है। रॉस ने सामुदायिक संगठन को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पहचानता या निश्चित करता है, उन आवश्यकताओं या उद्देश्यों को क्रमबद्ध करता है, अपने अन्दर इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों

की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का विश्वास एवं इच्छा उत्पन्न करता है, इन आवश्यकताओं या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों (आन्तरिक और बाहरी) का पता लगता है, उनकी प्राप्ति के लिए कार्यवाही करता है, और ऐसा करने में समुदाय में सहयोग एवं सहकारिता की मनोवृत्तियों और व्यवहारों में वृद्धि एवं विकास करता है।

सामाजिक क्रिया एक विरोधात्मक (मतभेद युक्त) प्रक्रिया है। जिसमें विभिन्न तीव्रता से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, लोगों को जागरूक करते हुए तथा लोगों की सामाजिक–राजनैतिक और आर्थिक वास्तविक स्थिति को ज्ञात करते हुए संगठित रूप से गतिशील करने का प्रयास किया जाता है जिससे आवश्यक परिवर्तन लाया जा सके और उन परिवर्तनों को रोका जा सके जो कि लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते है।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन एवं सामुदायिक संगठन के बीच समुदाय अथवा संगठित सदस्य अथवा लक्षित समूह एक धागे के समान होते हैं।

इन दोनों विधियों में लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को पहचानते है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में लोग अपनी सहायता के लिए स्वयं संगठित होते है। सहयोग, सहकारिता तथा एक साथ कार्य करने की भावना, के आधार सामान्य लक्ष्य को स्वीकार करते है। सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया, दोनों के प्रारम्भिक चरण में आवश्यकताओं अथवा समस्याओं की पहचान की जाती है। तत्पश्चात् इन आवश्यकताओं अथवा समस्याओं में प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। समुदाय के लोगों के बीच एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है जिससे कि उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास व आस्था उत्पन्न हो सके और समस्या अथवा आवश्कयताओं को पूर्ण कर सके। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में प्राधिकार व शक्ति संरचना, परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। इसमें शक्ति तथा संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है।

अतः हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संगठन विधि के द्वारा सामाजिक क्रिया के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। क्रिया की विभिन्न रणनीतियां अथवा तरीके यथा प्रचार, धरना, हड़ताल, बहिष्कार, भूख हड़ताल इत्यादि सामुदायिक संगठन को उससे अलग करती है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य शक्ति तथा संसाधनों का पुनर्वितरण करना है जिससे कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग को समान अंश और अनूकुलतम वृद्धि व विकास के अवसर प्राप्त हो सके। एक बार इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने के बाद समुदाय में जनसहभागिता द्वारा रचनात्मक क्रियाओं को सम्पादित किया जाता है। जनसहभागिता, सामुदायिक संगठन व सामाजिक क्रिया की प्रमुख कुंजी है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया को सामुदायिक संगठन का विस्तार माना जा सकता है।

20.3.4 सामाजिक क्रिया एवं समाज कल्याण प्रशासन

सामाजिक क्रिया व समाज कल्याण प्रशासन बीच में क्या सम्बन्ध है, को जानने से पूर्व समाज कल्याण प्रशासन को, समाज कार्य की एक विधि के रूप में समझना अत्यन्त आवश्यक है। समाज कल्याण प्रशासन की एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, करना, उसे लागू करना, निर्देशित करना, अनुश्रवण करना, संगठित करना, समन्वय स्थापित करना तथा मूल्यांकन करते हुए सेवाओं को लोगों के कल्याण व विकास हेतु उपलब्ध कराया जाता है। समाज कल्याण प्रशासन मुख्य रूप से समाज कल्याण सेवाओं इसमें बात कल्याण, महिला विकास, वृद्धों का कल्याण, युवा विकास, दुर्बल व

कमजोर वर्गों का कल्याण इत्यादि को प्रदान करता है जिसे प्रचलनात्मक नीतियों से सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। एक संगठन इन सामाजिक सेवाओं को प्रदान करते समय लक्ष्यों को निर्धारित करता है, कर्मचारियों को तैयार करता है तथा पर्याप्त प्रशासकीय तथा प्रबन्धकीय निपुणताओं का प्रयोग करता है।

समाज कल्याण संस्थाएं जो कि समुदाय के साथ मिलकर कार्य करती है, सामाजिक कारण को ध्यान में रखते हुए समष्टि स्तर ऐसा कार्य क्षेत्र प्रदान करती है जिससे कि जनसहभागिता सम्भव हो सकती है। सभी प्रारम्भिक कार्य वास्तव में सामाजिक क्रिया की आवश्यकता को महसूस करते है यथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध गहन ज्ञान, समुदाय और उससे सम्बन्धित समस्याओं का विस्तृत ज्ञान, साख निर्माण इत्यादि कार्य समाज कल्याण प्रशासन करता है। समाज कल्याण प्रशासन प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता नियोजन के लक्ष्यों का निर्धारण और संस्था के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। नियोजन एक बौद्धिक व क्लिष्ट प्रक्रिया है जिसके लिए सामाजिक कारण के विषय में पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। एक अच्छी योजना सफल सेवा प्रदान करने की पूर्व अनिवार्यता है। सामाजिक कारण के लिए सामाजिक क्रिया की महत्वपूर्ण कुंजी है। समाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कल्याण प्रशासन, संगठनात्मक रणनीति का प्रयोग करते हुए प्रशासक को नये अवसर प्रदान करता है। जिससे कि कच्चे माल का सदुपयोग किया जा सके।

समाज कार्यकर्ता स्टाफिंग में आवश्यक निपुणता का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण तथा कार्य के प्रति उन्मुख करता है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के दौरान समाज कार्यकर्ता अपनी इस निपुणता का सीधे और प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर लोगों के साथ कार्य करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है उनकी इच्छाओं को स्वीकार करता है। विभिन्न कार्य के तरीकों को अपनाता है इत्यादि। इसके अतिरिक्त अपने ज्ञान, कौशल व अनुभव के आधार पर समाज कार्यकर्ता समाज कल्याण प्रशासन से सम्बन्धित बजटिंग मूल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशन इत्यादि को सामाजिक क्रिया में उपयोग में लाता है।

20.3.5 सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य शोध

समाज कार्य शोध सामाजिक समस्या का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है और उसका उद्देश्य ज्ञान को प्रस्तुत करना है, जिसका उपयोग समाज कार्य कार्यक्रमों को करने में किया जा सकता है। समाज कार्य शोध, सामाजिक क्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। जिसकी सहायता से सामाजिक समस्या के विषय में जाना जाता है कि उसकी तीव्रता और उसका विस्तार कितना है, इसके कारण क्या है इसके द्वारा कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और इसके प्रभाव से कितने लोगों को सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। इसके द्वारा यह भी जानने में मदद मिलती है कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा सामाजिक क्रिया को करने के मार्ग प्रस्तुत करती है। इस प्रकार एक व्यस्थित अध्ययन के आधार पर सामाजिक समस्याओं को दूर करने में समाज कार्य हस्तक्षेप किस प्रकार किया जाए उसकी रूपरेखा स्पष्ट करती है जिससे कि सामाजिक क्रिया के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है।

समाज कार्य शोध के द्वारा सामाजिक क्रियाकर्ता सामाजिक समस्या के विषय में गहन अध्ययन करता है तथा कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। हस्तक्षेप तथा योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके अनुरूप रणनीतियों व

तरीकों को विकसित किया जाता है। शोध के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि समस्या के कारण कौन अलाभान्वित है और लोगों में किस प्रकार से चेतना उत्पन्न की जाए। समाज कार्य शोध वास्तव में उन आवश्यकताओं अथवा समस्याओं के कारणों प्रकाश डालता है जिनके द्वारा सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है।

समाज कार्य शोध के द्वारा समस्या अथवा आवश्यकता की खोज की जाती है जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होती है समाज कार्यकर्ता समाज कार्य शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक क्रिया को करता है यदि प्राप्त निष्कर्ष अपर्याप्त व अवैज्ञानिक है तो सामाजिक क्रिया दोषपूर्ण हो सकती है। सामाजिक नियोजन और सामाजिक क्रिया बिना शोध के अप्रभावी हो सकती है। समाज कार्य शोध, समाज कार्यकर्ता को उस योग्य बनाता है जिससे कि वह समुदाय की आवश्यकताओं का पता लगाता है तथा हस्तक्षेप व कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाता है। जिससे उसकी उपयोगिता व उपादेयता सिद्ध हो सके। समाज कार्यकर्ता शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों को समुदाय के लोगों के मध्य साझा करता है जिससे समूह व समुदाय के सदस्य जनसहभागिता कर सके। समाज कार्य शोध के द्वारा समाज कार्यकर्ता अवलोकन कर्ता है। व्यक्तियों अथवा समूह के सम्बन्धों का अभिलेख रखता है और वास्तविक स्थिति को संचालित करता है। समाज कार्य शोध के द्वारा सामाजिक क्रियाकर्ता सामाजिक समस्या की वास्तविक स्थिति को समझ पाता है जो कि सामाजिक क्रिया को सफल बनाने व इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक है।

20.4 सारांश

सारांश में, सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में संसाधनों व शक्तियां के पुर्नवितरण द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समुदाय को सशक्त करना है। सामाजिक क्रिया सामान्य लोगों को गतिशील बनाता है जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

20.5 शब्दावली

सामाजिक क्रिया — ब्यावसायिक समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने अथवा विपरीत परिस्थितियों की रोकथाम करने में जन–समुदाय को गतिशील बनाने तथा उन्हें संगठित करने, में किया जाता है। यह एक संगठित प्रयास होता है जिससे आर्थिक सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाता है अथवा उसको बेहतर बनाया जाता है।

समूह समाज कार्य — समूह समाज कार्य, समाज कार्य की एक प्रणाली है जो सामूहिक क्रियाओं द्वारा समूह के सदस्यों के मध्य रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है। जिसके लिए सामूहिक भागीदारी का होना आवष्यक है। समूह समाज कार्य का उद्देष्य व्यक्तियों के अन्तःक्रियाओं द्वारा समूह के सदस्यों का विकास करना

तथा ऐसी सामूहिक स्थिति को उत्पन्न करना जिससे की प्रजातांत्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

सामुदायिक संगठन

सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समुदाय की आवश्यकताओं तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के बीच समायोजन स्थापित करना है। अर्थात समुदाय के सदस्यों की अनुभूत आवश्यकताओं को ज्ञात करते हुए समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को गतिमान करना एवं उचितपूर्ण समायोजन स्थापित करना है। जिससे कि समुदाय के सदस्य व समुदाय आत्मनिर्भर हो सके।

समाज कार्य शोध

समाज कार्य शोध सामाजिक समस्या का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है और उसका उद्देश्य ज्ञान को प्रस्तुत करना है, जिसका उपयोग समाज कार्य कार्यक्रमों को करने में किया जा सकता है। समाज कार्य शोध के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक समस्या के विषय में गहन अध्ययन करता है तथा कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। हस्तक्षेप तथा योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके अनुरूप रणनीतियों व तरीकों को विकसित किया जाता है।

20.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- मिश्र, पी.डी., सामाजिक समूह कार्य, उत्तर प्रदेष हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1992।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य–दर्षन एवं प्रणालियां, साइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य–सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन.एस. पब्लिकेषन्स, लखनऊ, 2011।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य : दर्शन एवं प्रणालियां, ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ, 1967।

- चौधरी, डी.पाल, इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, दिल्ली आत्माराम एण्ड सन्स, 1992।
- मूर्थी, एम.वी. सोशल एक्शन, बाम्बे : एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1996।
- सिंह, सुरेन्द्र, सोशल एक्शन इन होराइजन ऑफ सोशल वर्क (एडिटेड), सिंह सुरेन्द्र एवं सूदन के. एस. ज्योत्सना पब्लिकेशन, लखनऊ, 1986।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में समझाइये।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक क्रिया एवं वैयक्तिक समाज कार्य के मध्य क्या सम्बन्ध है? बताइये।

.....

.....

.....

.....

3. सामाजिक क्रिया एवं समूह समाज कार्य के मध्य क्या सम्बन्ध है? समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक संगठन के मध्य क्या सम्बन्ध है? बताइये।

.....

.....

.....

.....

5. सामाजिक क्रिया एवं समाज कल्याण प्रशासन के मध्य क्या सम्बन्ध है? समझाइये।

.....

.....

.....

.....

6. सामाजिक क्रिया एवं समाज कार्य शोध के मध्य क्या सम्बन्ध है?

.....

.....

.....

.....

20.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

6. उपभाग 20.2.1 देखे।
7. भाग 20.3.1 देखें।
8. भाग 20.3.2 देखे।
9. भाग 20.3.3 देखे।
10. भाग 20.3.4 देखे।
11. भाग 20.3.5 देखे।

इकाई –21 : सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन

इकाई की रूपरेखा

21.0 उद्देश्य

21.1 प्रस्तावना

21.2 सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन

21.3 सामाजिक आन्दोलन

21.3.1 सामाजिक आन्दोलन का अर्थ एवं परिभाषाएं

21.3.2 सामाजिक आन्दोलन की विशेषताएं

21.3.3 सामाजिक आन्दोलन के विकास के स्तर

21.3.4 सामाजिक आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं

21.3.5 सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार

21.3.6 सामाजिक आन्दोलनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन

21.4 भारत में सामाजिक आन्दोलन के कुछ प्रमुख उदाहरण

21.4.1 चिपको

21.4.2 महिला आन्दोलन

21.5 सारांश

21.6 शब्दावली

21.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

21.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

21.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन के मध्य क्या सम्बन्ध है, की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन को समझ सकेंगे।
- सामाजिक आन्दोलन का अर्थ एवं परिभाषाएं को जान सकेंगे।

- सामाजिक आन्दोलन को प्रोत्साहन की दशाओं दशाएं को समझ सकेंगे।
- सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार, को समझ सकेंगे।
- सामाजिक आन्दोलनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, जान सकेंगे।
- भारत में सामाजिक आन्दोलन के कुछ प्रमुख उदाहरण, को समझ सकेंगे।

21.1 प्रस्तावना

प्रारम्भिक समय से ही सामाजिक समस्याएं तथा संघर्ष समाज में सदैव विद्यमान रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए समाज कार्य तथा समाज कल्याण भी समाज के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। व्यावसायिक समाज कार्य, लोगों के साथ कार्य करने में निश्चित विधियों को प्रयोग में लाता है। जिससे लोगों का सशक्त किया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। समाज कार्य की प्रणालियों में सामाजिक क्रिया, व्यावसायिक समाज कार्य अभ्यास में एक नया प्रस्तुतीकरण है। विभिन्न क्षेत्रीय स्थितियों में इसकी उपयोगिता के सन्देह के कारण समाज कार्यकर्ता द्वारा इस विधि का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता रहा है। सामाजिक क्रिया की अवधारणा के अन्तर्गत सामाजिक संस्थाओं का पुनर्समायोजन, सामाजिक न्याय के लिए संसाधनों की उपलब्धता, समुदाय को सशक्त करने के तत्व निहित हैं। एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने हेतु जन–सामान्य को संगठित व गतिशील बनाना है।

21.2 सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है जिसकी परिभाषा करते हुए फ्रीडलैण्डर ने कहा है, "सामाजिक क्रिया एक वैयक्तिक, सामूहिक या सामुदायिक प्रयास है जो समाजकार्य के दर्शन एवं अभ्यास की सीमा के अन्दर किया जाता है और जिसका उद्देश्य सामाजिक उन्नति करना, सामाजिक नीतियों को परिवर्तित करना एवं सामाजिक विधान और स्वास्थ्य एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाओं में उन्नति करना है।

केनेथ प्रे के अनुसार सामाजिक क्रिया "एक ऐसा क्रमानुसार, अन्तर–आत्मा सम्बन्धी प्रयास है जो उन मौलिक सामाजिक दशाओं एवं नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है जिनसे समाजिक समायोजन एवं असामंजस्य की वह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिनका समाज कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी सेवायें समाधान करने का प्रयास करती है।"

सामाजिक क्रिया में सामूहिक प्रयास का होना आवश्यक है चाहे इस प्रयास का आरम्भ किसी एक व्यक्ति ने ही किया हो। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया जाये और यह प्रयास विधान के अनुसार हो। सामाजिक क्रिया के दो साधन है। पहला, जनमत को सूचना एवं शिक्षा की उपलब्धि द्वारा परिवर्तित करना। दूसरा, समाजिक विधान को प्रभावित करना अर्थात् परिवर्तित करना या उनका निर्माण करना। जनमत को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है कि जन संदेशवाहन की प्रणालियों का प्रयोग किया जाये। इसके लिए आवश्यक है जनता से सम्पर्क स्थापित किया जाये और जनता को समस्या के विषय में जानकारी प्राप्त कराई जाये और

समस्या के समाधान के लिए सुझाव दिये जाये विशेष समस्याओं के विषय में सम्मेलन एवं विचार गोष्ठियां इस सम्बन्ध में पर्याप्त लाभदायक होती है।

सामाजिक विधान को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क स्थापित किया जाये, उन्हें समस्या की जानकारी प्राप्त कराई जाये और सामाजिक विधानों के परिणामों से परिचित कराया जाये और उन विधानों में परिवर्तन की आवश्यकता का ज्ञान प्राप्त कराया जाये।

कभी–कभी यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या समाज कार्यकर्ता किसी संस्था का कर्मचारी होते हुए सब कार्य कर सकता है। इस बात को अस्वीकार नही किया जा सकता कि सामाजिक संस्थाएं एवं समाज कार्य का व्यवसाय अपने कार्यों की सीमा के अन्दर और सामाजिक नीति के स्वीकृत अर्थ के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। परन्तु इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक समाज कार्यकर्ता एक नागरिक है और उसे अपनी रूचि के अनुसार किसी भी वैधानिक सामाजिक क्रिया में भाग लेने का अधिकार है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि वह समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे और अपनी प्रतिज्ञाओं का एक व्यक्ति के रूप में, या किसी व्यवसायिक समाज कार्य समूह के सदस्य के रूप में, या व्यवसायिक समाज कार्य कार्यकर्ताओं के किसी राजनैतिक क्रिया समूह के सदस्य के रूप में पालन करने का प्रयास करें। अब समय आ गया है कि पूरे संसार के समाज कार्यकर्ता संयुक्त होकर सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में एक निश्चित मत स्थापित करें और उन मतों पर दृढ़ता के साथ स्थिर रहें। प्रमुख सामाजिक विषयों से समाज कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध होने से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, और वह है सामाजिक नीति एवं सामाजिक नियोजन में उनका भाग लेना।

समाज कार्य के विद्यालयों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एथेन्स,1964) ने सामाजिक नीति की तीन विभिन्न प्रकार से परिभाषा की :

- राजनैतिक क्रिया के अर्थ में
- वैधानिक व्यवस्था एवं नियमों से सम्बन्धित नीतियां
- सामाजिक क्रिया के अर्थ में

सभी इस बात से सहमत थे कि सामाजिक नीति का क्षेत्र समाज कल्याण नीति से विस्तृत है और इसमें मानव कल्याण के सभी पहलू सम्मिलित है। सर्वसम्मति के साथ यह बात स्वीकृत कर ली गई कि समाज कार्य में सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने की योग्यता है और उसे न केवल वैयक्तिक सेवा कार्य एवं संस्था के कार्यों को प्रभावित करना चाहिए बल्कि विस्तृत नियोजन को भी प्रभावित करना चाहिए। सम्मेलन में इस सम्बन्ध में भी सर्वसम्मति थी कि समाज कार्य के विद्यालय सामाजिक नीति एवं सामाजिक नियोजन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका का सम्पादन कर सकते हैं।

इस सम्मेलन में "अध्ययन समूह–8" ने इस सम्बन्ध में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण संस्तुतियां की है। इस समूह के अनुसार समाज कार्य के विद्यालयों के अध्यापकों को सामाजिक नियोजन एवं सामाजिक नीति सम्बन्धी क्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेना चाहिए, अवांछित सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए और व्यवसाय के सिद्धान्तों एवं मानदण्डों के अनुसार सामाजिक विषयों के सम्बन्ध में एक

निश्चित मत स्थापित करना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अध्यापकों को भूमिका सम्बन्धी प्रतिमान के रूप में देखते हैं और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं।

इस समूह के विद्यार्थियों में इन बातों का होना आवश्यक बताया है जिससे कि वह सामाजिक नियोजन में भाग ले सके :

- सामाजिक परिवर्तन लाने की इच्छा और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया।
- सार्वजनिक रूप से खतरा मोल लेने की इच्छा एवं साहस।
- प्रशासकों एवं सेवार्थियों से संदेशवाहन स्थापित करने एवं विशेष समस्याओं के विषय में परामर्श करने की योग्यता।

इसके अतिरिक्त इस समूह ने इस बात की भी संस्तुति की कि समाज कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह सामाजिक नियोजन में इस सक्रिय भूमिका सम्पादन करने के लिए प्रशासकों को यह बताएं कि सामाजिक परिस्थितियां समाज में व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं, परिषदों, एवं समितियों की सदस्यता ग्रहण करके नीतियों के निर्माण में भाग लें, समुदाय को सामाजिक एवं सामुदायिक विषयों के सम्बन्ध में शिक्षित करें, सामुदायिक आवश्यकता की परिस्थितियों में नेतृत्व ग्रहण करें और नैतिक विषयों में उत्तरदायित्व स्वीकृत करें।

बिस्नो के अनुसार समाज कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिकतर गहरे एवं विस्तृत सामाजिक राजनैतिक क्रिया के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि यदि समाज कार्यकर्ता अपने युद्धकारी सामाजिक राजनैतिक कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें संगठित होना चाहिए। इसी प्रकार वह अपने को विरोधी दलों के आक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। बिस्नो ने इस बात भी बल दिया है कि समाजकार्यकर्ता समाजिक अवदोहन, आर्थिक वर्गों के विशेषाधिकार, और सामाजिक अन्याय का विरोध करें और एक ऐसे आन्दोलन की स्थापना करें तो अवदोहन एवं अन्याय को समाप्त करके सामाजिक न्याय, समानता, सहनशीलता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर समाज का निर्माण करें।

निःसन्देह समाज कार्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है कि समाज कार्यकर्ता एक निष्क्रिय प्रेक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक प्रभावशाली अस्तित्व के रूप में समाज को प्रभावित करें और सामाजिक जीवन के प्रमुख विषयों के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करे और क्रियाशील हों।

21.3 सामाजिक आन्दोलन

सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन के मध्य सम्बन्धों को समझने से पूर्व सामाजिक आन्दोलन को समझना आवश्यक है। सामाजिक आन्दोलन सामूहिक व्यवहार का एक स्वरूप है। यह एक सामाजिक उद्विकास प्रगति और विकास की भांति ही परिवर्तन का ढंग भी है। सामाजिक आन्दोलन का सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था के विरोध से अधिक है। सामाजिक आन्दोलनों का संचालन समाज तथा संस्कृति में नवीन परिवर्तन लाने अथवा नवीन परिवर्तन लाने अथवा नवीन परिवर्तनों का विरोध करने के लिए होता है। सामाजिक

आन्दोलनों का उद्देश्य, सामाजिक धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों में आंशिक अथवा आमूल चूल परिवर्तन लाना हो सकता है। अन्य शताब्दियों की तुलना में बीसवीं सदी में सर्वाधिक आन्दोलन हुए है। इसी सदी में रूस व चीन में बड़े पैमाने पर क्रान्तियां हुई, इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, कई राष्ट्रों ने सम्राज्यवाद से मुक्ति पाने व स्वतंत्र होने के लिए आन्दोलन किए। आधुनिक समाज अधिक चेतन व गतिशील होने के कारण आन्दोलन की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। वर्तमान समय में अनेक मजदूर आन्दोलन भी हुए हैं। फ्रांस, रूस व चीन की क्रान्तियों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन लाना था। भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी तथा रामकृष्ण मिशन द्वारा चलाये गये आन्दोलनों का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन व सुधार लाना था।

21.3.1 सामाजिक आन्दोलन का अर्थ एवं परिभाषाएं

किसी भी समाज में सामाजिक आन्दोलन तब पैदा होता है जब वहां के लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हों और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हों। कई बार सामाजिक आन्दोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित किये जाते हैं। सामाजिक आन्दोलनों के पीछे कोई विचारधारा अवश्य होती है। किसी भी आन्दोलन का प्रारम्भ पहले असंगठित के एक सामूहिक व्यवहार होने के कारण कॉम्ट, दुर्खीम, लीवां, एवं टार्डे आदि की इसमें काफी रूचि रही है। सामाजिक आन्दोलनों में प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों की रूचि परिवर्तन के एक प्रयास के रूप में रही जबकि वर्तमान समाजशास्त्री सामाजिक आन्दोलनों को परिवर्तन उत्पन्न करने या उसे रोकने के रूप में देखते हैं।

सामाजिक आन्दोलन को इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए **टर्नर एवं किलियन** लिखते हैं, "समाजिक आन्दोलन को समाज अथवा समूह जिसका कि यह एक भाग है, के अन्तर्गत कुछ निरन्तरता से परिवर्तन उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं।"

हार्टन एवं हण्ट भी सामाजिक आन्दोलन में इन्हीं बातों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि "सामाजिक आन्दोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है।"

हरबर्ट ब्लूमर के अनुसार, "सामाजिक आन्दोलन जीवन की एक नयी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है।"

मैरिल एवं एल्ड्रिज लिखते है कि "सामाजिक आन्दोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास है।"

थियोडोरसन लिखते हैं कि "सामाजिक आन्दोलन सामूहिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है जिसमें परिवर्तन लाने अथवा उसका विरोध करने में सहयोग देने के लिए लोगों को बहुत बड़ी संख्या में संगठित अथवा जागरूक किया जाता है।"

रोज के अनुसार, " सामाजिक आन्दोलन सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों की एक बड़ी संख्या के एक औरचारिक संगठन को कहते हैं जो अनेक व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास से प्रभुतासम्पन्न संस्कृति–संकुलों, संस्थाओं अथवा एक समाज के विशिष्ट वर्गों को संशोधित अथवा स्थानान्तरित करता है।"

कैमरॉन के अनुसार, " सामाजिक आन्दोलन तब होते हैं जब एक बड़ी संख्या में लोग विद्यमान संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था के किसी भाग को परिवर्तित करने अथवा उसके स्थान पर दूसरी को स्थापित करने के लिए एक साथ बंध जाते हैं।"

एण्डरसन और पार्कर लिखते है, "हम एक सामाजिक आन्दोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार के एक स्वरूप के रूप में परिभाषित कर सकते है जो समय के साथ–साथ धीरे–धीरे एक संरचना विकसित कर लेता है और जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में आंशिक या पूर्ण संशोधन होता है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक आन्दोलन का उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। जब समाज में लोग यह महसूस करने लगते हैं कि समाज व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं, वह उनकी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसे बदलने के सामूहिक प्रयास किये जाते हैं और उसके स्थान पर नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसे ही सामाजिक आन्दोलन कहते हैं। रूस में जारशाही का अन्त एवं साम्यवाद की स्थापना इसका उदाहरण है सामाजिक आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरीकों से भी हो सकता है एवं हिंसा, तोड़–फोड़ व रक्तपात के द्वारा भी। सामाजिक आन्दोलन में कई व्यक्ति अनौपचारिक रूप से सम्मिलित होते है। अतः यह एक सामूहिक क्रिया है, एक सामूहिक प्रयास है। प्रत्येक सामाजिक आन्दोलन एक विशिष्ट परिस्थिति की देन होता है।

21.3.2 सामाजिक आन्दोलन की विशेषताएं

उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने के पश्चात् सामाजिक आन्दोलन की निम्नलिखित विशेषताए हो सकती है :–

- सामाजिक आन्दोलन एक सामूहिक प्रयत्न है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक आन्दोलन का परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है जिसे समकालीन मूल्यों और मनोवृत्ति का समावेश होता है।

- प्रत्येक सामाजिक आन्दोलन की एक विशेष विचार धारा होता है। यह विचारधारा ही सामाजिक आन्दोलन के औचित्य को स्पष्ट करती है तथा व्यक्तियों को उसमें सहभाग करने की प्रेरणा देती है। विचारधारा ही यह बताती है कि एक विशेष आन्दोलन का लक्ष्य क्या है तथा उसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है।

- सामाजिक आन्दोलन सदैव कुछ क्षेत्रीय अथवा स्थानीय समस्याओं का परिणाम होता है। विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों की समस्याएँ एक–दूसरे से भिन्न होने कारण ही विभिन्न आन्दोलनों की प्रकृति में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए तेलंगाना का कृषक आन्दोलन केरल का श्री नायाण धर्म परिपालन आन्दोलन बिहार का यादव आन्दोलन तथा उत्तर प्रदेश का चिपकों आन्दोलन क्षेत्रीय समस्याओं से ही प्रभावित रहे है।

- सामाजिक आन्दोलन की प्रकृति व्यवस्था–विरोधी होती है। इसका तात्पर्य है कि किसी समाज में एक विशेष अवधि में जो सामाजिक सांस्कृतिक अथवा आर्थिक व्यवथा या तो किसी विशेष वर्ग को अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित कर रही हो अथवा उसके विकास में बाधाऐं पैदा कर रही हो।

- प्रत्येक सामाजिक आन्दोलन का अपना एक विशेष संगठन होता है। इसी संगठन के द्वारा एक विशेष क्षेत्र अथवा वर्ग के लोगों को इसमें भाग लेने की प्रेरणा दी जाती है। इस तरह परिवर्तन लाना होता है। जो उस दबाव समूह की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

21.3.3 सामाजिक आन्दोलन के विकास के स्तर

कोई भी सामाजिक आन्दोलन निर्मित नहीं होता है वरन् उसका शनैः–शनैः कई स्तरों में विकास होता है। यद्यपि आन्दोलन एक ही स्तर से विकसित नहीं होते फिर भी उनके विकास के चरणों में पर्याप्त समानता पाई जाती है हॉर्टन तथा हण्ट ने सभी सामाजिक आन्दोलनों के विकास में निम्नांकित चरणों का उल्लेख किया है:

- **असन्तोष की स्थिति** :– जब कोई भी समाज व्यवस्था दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो, समाज में विघटन, परिवर्तन एवं असंतोष की अधिक मात्रा हो तो आन्दोलन का जन्म होता है। यह स्थिति भी बहुत लम्बी चल सकती है।

- **उत्तेजनापूर्ण स्थिति** :– प्रारम्भ में असन्तोष सामान्य प्रकृति का होता है, धीरे–धीरे वह किसी एक समस्या के इर्द–गिर्द केन्द्रित हो जाता है और असन्तोष के कारण स्पष्ट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में नेतृत्व का विकास भी होता है जो लोगों को उत्तेजना देता है और आन्दोलन के लिए अपील करता है। चतुर और चमत्कारी नेता लोगों की भावनाओं को भड़काने एवं उन्हें आन्दोलन के लिए उकसाने में अधिक सफल होते हैं।

- **औपचारिकीकरण की स्थिति** :– नेतृत्व आन्दोलनकारियों को एक औपचारिक संगठन में बांधता है, इसके अभाव में लोग आन्दोलन से अपना विच्छेद भी कर सकते हैं। इस स्तर पर आन्दोलन के पदाधिकारी एवं कार्यविधि तय किये जाते है, आन्दोलन के लिए पैसा एकत्रित किया जाता है तथा आन्दोलन की विचारधारा स्पष्ट की जाती है। इस प्रकार तीसरे चरण में आन्दोलन व्यवस्थित, संगठित एवं अनुशासित रूप ग्रहण कर लेता है।

- **संस्थाकरण की स्थिति** :– जब कोई आन्दोलन लम्बे समय तक चलता है तो उसका कोई न कोई संस्थात्मक रूप विकसित हो जाता है। उसके नियम, संविधान, भवन, अधिकारीगण, प्रतीक, झण्डा एवं साहित्य आदि तय हो जाते हैं।

- **समापन की स्थिति** :– कुछ आन्दोलन तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद और कुछ बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ आन्दोलन लम्बे समय तक चलते रहते हैं और एक संस्था की स्थिति ग्रहण कर लेते हैं।

जे.एस. हाइम्स ने सामाजिक आन्दोलन के विकास के चार चरण माने हैं :–

- **जन प्रतिक्रिया का स्तर** :– प्रथम स्तर में किसी समस्या सम्बन्धी असन्तोष के कारण लोग उत्तेजित होते हैं।

- **भीड़ व्यवहार का स्तर** :– असन्तोष व उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए लोग प्रदर्शन, हड़ताल, तोड़–फोड़, घेराव एवं सभाओं का आयोजन करते हैं।

- **औपचारिक आन्दोलन का स्तर** :– जब आन्दोलन का उद्देश्य एवं वैचारिकी स्पष्ट हो जाती है, उसके नियम, संविधान एवं संरचना तय हो जाती है तो वह औपचारिक रूप ग्रहण कर लेता है।

- **क्रान्ति** :– यद्यपि सभी आन्दोलन क्रान्ति के स्तर तक नहीं पहुंचते हैं फिर भी कई आन्दोलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रान्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं।

21.3.4 सामाजिक आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाली दशाएँ

कोई भी सामाजिक आन्दोलन एक आकस्मिक घटना नहीं होती। यह क्रमिक वृद्धि के रूप में स्पष्ट होने वाली एक घटना है जिसका श्रारम्भ कुछ विशेष दशाओं के अन्तर्गत होता है। इस सन्दर्भ में हार्टन ने अनेक ऐसी सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख किया है। जो सामाजिक आन्दोलन के लिए अधिक अनुकूल होती है। इन्हें दो मुख्य भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। सामाजिक दशाएँ तथा वैयक्तिक संवेदनाएँ।

अ) सामाजिक दशाएँ :– इस वर्ग में जो दशाएँ प्रमुख है उन्हे हम सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन तथा दृष्टिगत सामाजिक अन्याय कह सकते है।

- **सांस्कृतिक परिवर्तन** :– आज सभी समाजों में सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहार के ढंगों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। संस्कृति के स्थायी प्रतिमानों के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही हर्सकोविट्स ने सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा सांस्कृतिक विचलन कहा ह। साकृतिक परिवर्तन की दशा में समाज के संगठन के बारे में लोगों के विचार बदलने लगते है। उदाहरण के लिए स्त्रियों में उत्पन्न होने वाली वर्ममान चेतना, भौतिकता के प्रति बढ़वा हुआ आकर्षण, नये व्यवहारों से सम्बन्धित सामाजिक मूल्य तथा शिक्षा से उत्पन्न समानता की धारणा सास्कृतिक परविर्तन की दशा को स्पष्ट करते है। सामाजिक संस्थओं द्वारा यदि इन परिवर्तनों को मान्यता नहीं दी जाती तो सामाजिक आन्दोलन के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है।

- **सामाजिक विघटन** :– एक संगठित समाज के सभी सदस्य अपने आपकों सुरक्षित और सन्तुष्ट महसूस करते है। अतः वे परिवर्तन में कोई रूचि नहीं लेते। दूसरी ओर जब एक समाज के अधिकांश लोग यह समझने लगते है कि राज्य द्वारा उनके हितो की अवहेलना की जा रही है, उनके न्यायोचित अधिकारों को कोई महत्व नहीं मिल रहा है, किसी विशेष वर्ग द्वारा उनका उत्पीड़न या शोषण किया जा रहा है अथवा यह कि व्यक्तिगत प्रयत्नों के द्वारा वे अपनी दशाओं में परिवर्तन नहीं ला सकते, तब ऐसा समाज एक विघटित समाज होता है। विघटित समाज में अलगाववाद बढ़ता है तथा बहुत से व्यक्ति स्वयं को असहाय असन्तुष्ट और असुरक्षित सहसूस करने लगते है इससे जो निराशा और भ्रम उत्पन्न होता है वह धीरे–धीरे सामाजिक आन्दोलन का कारण बन जाता है।

- **दृष्टिगत सामाजिक अन्याय** :– सामाजिक अन्याय अथवा सामाजिक विभेद को सदैव स्पष्ट रूप से देख सकता साधारणतया बहुत कठिन होता है। इसके बाद भी जब किसी समाज में पाये जाने वाले विभिन्न विभेद इतने अधिक बढ़ जाते है कि उन्हे स्पष्ट रूप से देखना सम्भव हो जाता है तब एक बड़ी संख्या में लोग उस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयत्ने करने लगते है। सामाजिक अन्याय का सम्बन्ध समाज में व्याप्त सामान्य असमानताओं से नहीं है लेकिन जब समाज में किसी वर्ग को धर्म या

संस्कृति के नाम अन्याय में वृद्धि करने लगती है। यह स्थिति सामाजिक आन्दोलन को जन्म देती है।

ब) वैयक्तिक सवेदनाएँ :– कभी–कभी समाज के संगठित होने के बाद भी कुछ वैयक्तिक संवदेनाएँ सामाजिक आन्दोलनों को जन्म देती है। इन वैयक्तिक संवेदताओं का सम्बन्ध जिन प्रमुख दशाओं से है उन्हें सक्षेंप में इस प्रकार समझा जा सकता है–

+ **गतिशीलता** :– विभिन्न समाजों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है। कि जैसे–जैसे किसी समाज में गतिशीलता बढ़ती है, वहॉ समुदाय का लोगों पर नियन्त्रण कम होने लगता है तथा वे भावनात्मक रूप से स्वयं को कम सुरक्षित समसूस करने लगते है। यदि कुछ विशेष परिस्थितियो में लोगों को बाध्य होकर स्थान–परिवर्तन करना पड़ता है। (स्थानीय गतिशीलता) तो ने अवसार भावानात्मक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक विशेष सामाजिक आन्दोलन आरम्भ कर सकते है।

+ **समूह एकीकरण में कमी** :– कभी–कभी किसी समाज में ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है। जब बहुत से व्यक्ति या तो अपनी सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पाते अथवा समूह से उनका समूचित एकीकरण नहीं हो पाता हार्टन ने ऐसे लोगों को सीमान्त व्यक्ति के नाम से सम्बोधित किया है। किसी समाज में आप्रवास के द्वारा आकर बसने वाले लोग अवसर सीमान्त व्यक्ति कि रूप में होते है। ऐसे व्यक्तियों को अवसर उस समूह का उतना महत्पूर्ण अंग नहीं समझा जाता जितनी निष्ठा के साथ वे उस समूह के मूल्यों और व्यवहार के ढंगों को अपनाने का प्रयत्न करते है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति संवेदनशील बन जाते है तथा अवसर किसी आन्दोलन के द्वारा अपनी निराशा को अभिव्यक्त करने के साथ ही उस समूह के अन्य लोगों से मान्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते है।

+ **सामाजिक अलगाव** :– अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि वे लोग तथा समूह जो अपने समुदाय से कुछ सीमा तक पृथक् होते है तथा जिनमें अलगाववादी विचारों की अधिकता होती है, वे किसी जन–आन्दोलन में बहुत जल्दी ही सम्मिलित हो जाते है। दूसरी और जो लोग अपनी सामाजिक प्रस्थिति तथा भूमिका के द्वारा समुदाय से जुड़े रहते है, वे जल्दी ही किसी आन्दोलन का हिस्सा नहीं बनते।

+ **सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन** :– कभी–कभी समाज में ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती है। जिनके कारण एक विशेष वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति कम होने लगती है अथवा उनकी प्रस्थिति में हास होने का खतरा पैदा हो जाता है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि समाज में जब किसी वर्ग की सामाजिक प्रस्थिति गिरने लगती है तब वे दूसरों के प्रति न केवल आक्रामक हो जाते है बल्कि उनकी मनोवृत्तियों में भी एक स्पष्ट विरोध दिखायी देने लगता है। इस दशा में यदि उनके अधिकारों को लेकर कोई आन्दोलन आरम्भ होता है तो इस वर्ग के अधिकांश लोग उसे जल्दी ही समर्थन देने लगते है।

+ **परिवार के बन्धन में कमी** :– सामाजिक आन्दोलन में सहभाग करने के लिए न केवल अधिक समय की आवश्यकता होती है। बल्कि ऐसे सहभाग से व्यक्ति अवसर अपने पारिवारिक दायित्वों को भी पूरा नहीं कर पाता सम्भवत यही करण है कि कुछ बड़े–बड़े सामाजिक आन्दोलन में उन व्यक्तियों का योगदान सबसे अधिक होता है जो

या तो अपने परिवार से स्वतन्त्र होते है। अथवा जो परिवार के बन्धन को स्वीकार न करते हों।

21.3.5 सामाजिक आन्दोलनों के प्रकार

सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति को समझने के लिए इसके विभिन्न प्रकारों को समझना आवश्यक है। विभिन्न आन्दोलनों के लिए उतरदायी दशाओं, आन्दोलन के लक्ष्य तथा आन्दोलन से सम्बन्धित व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर विभिन्न विद्धानों ने इसके अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है।

एण्डरसन तथा पार्कर ने दो प्रमुख आधारों पर सामाजिक आन्दोलन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :–

- **आन्दोलन के लक्ष्य और व्यवहार के ढंग के आधार पर** :– आन्दोलन के लक्ष्य और व्यवहार के ढंग के आधार पर सभी आन्दोलनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

  सुधारवादी आन्दोलन तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन, पहला आन्दोलन समाजिक व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, जबकि क्रान्तिकारी आन्दोलन का लक्ष्य सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करना होता है।

- **आन्दोलन की व्यापकता के आधार पर** :– आन्दोलन की व्यापकता के आधार पर इसके दो अन्य स्वरूप देखे जा सकते है– खण्डनात्मक आन्दोलन तथा सम्पूर्णतावादी आन्दोलन खण्डनात्मक आन्दोलन का लक्ष्य समाज के किसी एक भाग अथवा खण्ड में परिवर्तन करना होता है, जबकि सम्पूर्णतावादी आन्दोलन के द्वारा जीवन की सम्पूर्ण प्रणाली में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है।

  हार्टन ने सामाजिक आन्दोलन के पॉच प्रकारों का उल्लेख किया है।

- **प्रवासीय आन्दोलन** :– यह आन्दोलन स्थान परिवर्तन अथवा प्रवास करने वाले बहुत–से असन्तुष्ट व्यक्तियों द्वारा इसलिए किया जाता है जिससे वे अपनी स्थिति से परिवर्तन कर सके।

- **अभिव्यक्तिमूलक आन्दोलन** :– जब किसी समाज के बहुत–से लोग ऐसी दशाओं के बीच रह रहे होते हैं जिनमें परिवर्तन लाना वे अपनी शक्ति के बाहर समझते है तब मौन रूप से कुछ प्रतीकात्मक क्रियाओं के द्वारा वे अपने विरोध को अभिव्यक्त करने लगते है। ऐसे आन्दोलन सैनिक अथवा तानाशाही शासन वाले समाजों की विशेषता है।

- **स्वप्नदर्शी आन्दोलन** :– यह वे आन्दोलन है जो किसी ऐसे आदर्श लक्ष्य को लेकर किये जाते है जिन्हें व्यवहार में प्राप्त कर सकना बहुत कठिन होता है। भैतिक कर्तव्यों से विमुख होकर भक्ति को ही एकमात्र मूल्य के रूप में स्वीकार करने के लिए जो भक्ति आन्दोलन आरम्भ हुए वह इस श्रेणी के उदाहरण है।

- **सुधार आन्दोलन** :– ऐसे आन्दोलन का उछेश्य समाज में व्यापत कुरीतियों में सुधार लाना होता है। ऐसे आन्दोलन मुख्यत जनतान्त्रिक व्यवस्था में ही सम्भव है जहॉ लोगों

को अपनी संस्थओं में परिवर्तन करने की छूट मिली होती है। भारत में उन्नीसवां शताब्दी का सुधार आन्दोलन इसका उदाहरण है।

+ **क्रान्तिकारी आन्दोलन** :– क्रान्तिकारी आन्दोलन का उछेश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को तोड़कर पूर्णतया एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना होता है। यह आन्दोलन दुर्बल वर्गों के शोषण का परिणाम होते है और इसीलिए इनकी प्रकृति कभी–कभी हिंसात्मक भी हो जाती है।

एम.एस.ए. राव ने अपनी पुस्तक **'सामाजिक आन्दोलन तथा सामाजिक रूपान्तरण'** में भारत के सन्दर्भ में सामाजिक आन्दोलनों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत उल्लेख किया है। आपके अनुसार भारत में समाजिक आन्दोलनों का वास्तविक आरम्भ स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् से ही हुआ। यहाँ अधिकांश आन्दोलन पिछड़े वर्गो के शोषण का ही परिणाम रहे है। यद्यपि ऐसे सभी आन्दोलनों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी स्मृतिकालीन व्यवस्थओं व्यवहार के नियमों तथा मनोवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किये। व्यापक रूप से इन पिछड़े और दुर्बल वर्गो में हम उन सभी अनुसूचित जातियों पिछडी जातियों छोटे किसानों तथा महिला वर्ग को सम्मिलित करते है। जो परम्परागत रूप से सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक तथा धार्मिक अधिकारों से वंचित थे तथा विभेदकारी मनोवृत्तियों के कारण जिनका नियोजित रूप से शोषण हो रहा था। भारत में स्वतन्त्रता के बाद इन पिछड़े वर्गो ने अलग–अलग विचारधाराओं के आधार पर अपने आपको संगठित करना आरम्भ किया। इस दृष्टिकोण से भारत में होने वाले आन्दोलनों को चार प्रमुख विचारधाओं के आधार पर समझा जा सकता है।

+ **प्रस्थिति सुधार की विचारधारा पर आधारित आन्दोलन** :– यहाँ अनेक सामाजिक आन्दोलन इस सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा उठा सकते है। इसके लिए, अनेक पिछड़ी जातियों ने पौराणिक गाथाओं की विवेचना इस तरह करना आरम्भ की जिससे वर्ण–व्यवस्था में उन्हे अधिक सम्मानित स्थान प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में अहीर जाति महाराष्ट्र में गोली जाति आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में गोला जाति तथा तमिलनाडु में कोनार जाति ने स्वयं को श्रीकृष्ण की यदुवंश परम्परा से सम्बन्धित मानते हुए अपने आपको क्षत्रियों घोषित कर दिया। बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में इन जातियों ने स्वयं को अखिल भारतीय यादव संघ में संगठित करके न केवल जनेऊ धारण करना आरम्भ किया बल्कि उन जातियों के विरूद्ध आन्दोलन भी किये जो उन्हे ऐसा करने से रोकती थी। ऐसे प्रयत्नों को बाद में यादव आन्दोलन के नाम से जाना गया। इसी तरह का एक दूसरा आन्दोलन केरल का श्रीनारायण धर्म परिपालन आन्दोलन है। केरल में लगभ 26 प्रतिशत जनसंख्या इझसव जाति के उन लोगों की है जो परम्परागत रूप से ताड़ी बनाने रूप से ताड़ी बनाने का काम करते थे तथा सन्1953 तक जिन्हे अनुसूचित जाति के रूप में देखा जाता था। इसके बाद यहाँ श्रीनारायण गुरू स्वामी ब्राह्माणवादी हिन्दू धर्म के समानान्तर एक नया धर्म आरम्भ किया गया जिसके मानने वाले सभी लोगों के बीच किसी तरह के जातिगत विभेद को मान्यता नहीं दी गयी। धीरे–धीरे यह आन्दोलन इतना व्यापक बन गया कि आज केरल की लगभग एक–चौथईबनसंख्या इस आन्दोलन से सम्बद्ध हो चुकी है।

+ **विरोधपूर्ण विचारधारा पर आधारित आन्दोलन** :– भारत में दूसरी श्रेणी के सामाजिक आन्दोलन वे है जिनका उदेश्य बाहाणबादी धर्म तथा संस्कृति का विरोध करना था। उदाहरण के लिए द्रविड़ कड़धम आन्दोलन तमिलनाडु में उन पिछड़े वेर्गो का आन्दोलन था जिन्होने अपने अनुयायियों को यह सन्देश दिया कि उनके धार्मिक

पुरोहित भी उन्ही के जाति के द्रविड़ लोग होने चाहिए। धीर–धीर इस आन्दोलन ने तमिलनाडु की राजनीति पर भी पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। विरोधपूर्ण विचारधारा पर आधारित एक दूसरा सामाजिक आन्दोलन महाराष्ट्र में डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में आरम्भ हुआ जिसे महार आन्दोलन के नाम से जाना जाता है। इसका उदेश्य जातिगत विभेदों पर आधारित धर्म और संस्कृति का विरोध करने के लिए निम्न जातियो को संगठित करना तथा समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन देना था।

+ **नागरिक अधिकारों की विचारधारा पर आधारित आन्दोलन** :– यह वे आन्दोलन है जिनकी पृष्ठभूमि धार्मिक न होकर नागरिक अधिकारी की विचारधारा से प्रेरित है। इसी विचारधारा ने पिछड़े वर्ग के लोगों को यह प्रेरणा दी कि वे आर्थिक राजनीतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्रों में न केवल समान अधिकारों का दावा करें बल्कि विशेष सरक्षण पाने के लिए भी संगठित होकर आन्दोलन करें ऐसे आन्दोलन किसी एक पिछड़ी जाति से सम्बन्धि नहीं रहे बल्कि दूसरे सभी आन्दोलनों में लगे हुए पिछड़ी जातियों के लोगों ने इनमें हिस्सा लेना आरम्भ कर दिया। उनकी मॉग थी कि भारत की जनसंख्या में दुर्बल और पिछड़ी जातियों का जो प्रतिशत है विभिन्न सेवाओं में कम–से–कम उतने स्थान इन लोग के लिए सुरक्षित कर दिय जाए। इसी के फलस्वरूप भारत के संविधान में अनुसचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस समय भी अन्य पिछड़ी जातियों का प्रश्न शेष रह जाने के कारण स्वतन्त्रता के बाद समय–समय पर अनेक आयोगों की स्थापना इस दृष्टिकोण से की गयी जिससे अन्य पिछड़े वर्गो के लिए भी आरक्षण की सुविधा दी जा सके। इनमें मण्डल आयोग सबसे अधिक महत्पूर्ण है जिसकी संस्तुतियों के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1994 में एक विशेष निर्णय द्वारा ऐसे आरक्षण को वैधानिक मान्यता प्रदान की। कुछ व्यक्ति पिछड़े वर्गो को दिये जाने वाले आरक्षण को जाति की राजनीति पर आधारित एक राजनीतिक निर्णय मानते है लेकिन वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि में पिछड़े वर्गो के आन्दोलनों के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

+ **वर्गो–संघर्ष की विचारधारा पर आधारित आन्दोलन** :– शोषित वर्गो द्वारा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसे आन्दोलन हुआ था उसी से मिलता जुलता एक आन्दोलन भारत में दलित पेथर आन्दोलन के नाम से बम्बई और पूना की महार जाति द्वारा सन् 1972 से आरम्भ किया गया। इसी के कारण बम्बई और पूना में निम्न तथा उच्च जातियों के बीच अनेक बार संगठित संघर्ष भी हुए। वर्ग–संघर्ष की विचारधारा के आधार पर यहॉ अनेक किसान आन्दोलन भी हुए है जिनमें तेलगाना कृषक आन्दोलन सबसे प्रमुख है। हैदराबाद से आरम्भ होने वाला यह आन्दोलन बाद में इतना व्यापक हो गया कि इसमें लाखों किसानों ने एक बहुत आन्ध महासभा की स्थापना की जिसका उदेश्य किसानों के हितों की रक्षा करना था। सच तो यह है कि भारत में जमीदारी व्यवस्था का उन्मूलन तेलगाना कृषक आन्दोलन का ही परिणाम था।

उपर्युक्त विचारधाराओं के अतिरिक्त भारत में समाज–सुधार की विचारधारा पर आधारित आन्दोलन भी प्रमुख रहे है। जहॉ तक क्रान्तिकारी आन्दोलन का सम्बन्ध है कुछ व्यक्ति का विचार है कि नक्सलवाड़ी आन्दोलन को इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वास्तव में इस आन्दोलन का एकमात्र उदेश्य भूमिहीन किसानों द्वारा भूमि पर अधिकार करना था जिसमें सामाजिक अथवा राजनीतिक क्षेत्रों में किसी तरह के आमूल परिवर्तन का उदेश्य निहित नहीं था। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि भारत में अभी तक क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख कारणों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कुछ दशाओं को ही उत्तरदायी माना जा सकता है। इनमें इतना व्यापक हो गया कि इसमें

लाखों किसानों ने एक बहुत आन्ध्र महासभा को स्थापना की जिसका उदेश्य किसानों के हितों की रक्षा करना था। सच तो यह है कि भारत में जमीदारी व्यवस्था का उन्मूलन तेलगाना कृषक आन्दोलन का ही परिणाम था। इनमें स्वतन्त्रता के पश्चात् पिछड़े वर्गों में उत्पन्न होने वाली सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूतकता जनतान्त्रिक व्यवस्था में अपनी बड़ी संख्या के कारण किसानों और पिछडी जातियों को बढ़ती हुई शक्ति पिछड़ी जातियों में आत्म–सम्मान और प्रतिष्ठा की भावना, परम्परागत हिन्दू समाज के विभेदकारी मूल्य उच्च जातियों के प्रति निम्न जातियों की विरोधपूर्ण मनोवृत्ति तथा उच्च जातियों के प्रतिक्रियावादी व्यवहार आदि प्रमुख है। इस प्रकार भारत में विभिन्न सामाजिक आन्दोलन के कारण आर्थिक न होकर मुख्य रूप से सामाजिक तथा राजनीतिक ही रहे है।

21.3.6 सामाजिक आन्दोलनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन

भारत में समय–समय पर होने वाले सामाजिक आन्दोलन के फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक संरचना, संस्थाओं तथा व्यवहार–प्रतिमानों में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हुए है। डा. राव ने इन परिवर्तनों को दो प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया है। इन्हे आपने सुधार तथा रूपान्तरण के रूप में होने वाला परिवर्तन कहा है। इनके अतिरिक्त, अनेक दूसरे परिवर्तन भी इन आन्दोलनों का परिणाम रहे है जिन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है।

- सुधार एक ऐसा परिवर्तन है जो आंशिक रूप से हमारे सामाजिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करता है मुख्यतः सामाजिक सम्बन्धों को उपयोगितावादी नैतिकता से जोड़ता है। साधारणतया सुधार का सम्बन्ध हमारे विश्वासों दृष्टिकोण जीवन–विधि तथा धार्मिक व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से होता है। भारत में स्त्री आन्दोलनों तथा जाति आन्दोलनों के फलस्वरूप एक ओर सामाजिक शोषण में कमी हुई तो दूसरी ओर जाति के विभेदकारी नियमों का प्रभाव कम होने लगा। 19 वीं शताब्दी के सामाजिक आन्दोलन जैसे–आर्य समाज और बह्म समाज के प्रभाव से धर्म के कर्मकाण्डीय स्वरूप तथा अन्धविश्वासों में काफी कमी आयी। इन आन्दोलन से न केवल स्त्रियों में ही जागरूकता उत्पन्न हुई बल्कि पुरूषों ने भी उनके अधिकारों को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया। इसी का परिणाम था कि बाल–विवाह के विरूद्ध सामाजिक अधिनियम बनाया गया तथा समाज में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। स्त्रियों को सम्पत्ति में पुरूषों के समान अधिकार मिलना तथा बहुपत्नी विवाह का समाप्त होना भी सुधार की दिशा में होने वाला परिवर्तन है। जाति आन्दोलन से उत्पन्न होने बाला सबसें बड़ा सुधार अस्पृश्यता के उन्मूलन तथा अनुसूचित जातियों की परम्परागत नियोग्यताओं के बारे में उच्च जातियों की बदलाती हुई मनोवृत्तियों के रूप में हमारे सामने आया है।

- सामाजिक आन्दोलन का सबसे अधिक प्रभाव सामाजिक रूयान्तरण के रूप में देखने को मिलता है। भारत में पिछड़े वर्गों के द्वारा जो आन्दोलन आरम्भ किये गये, उनके फलस्वरूप उच्च और निम्न जातियों के बीच श्रेष्ठता तथा अधीनता के परम्परागत सम्बन्धों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक यहाँ उच्च जातियों का सभी तरह की धार्मिक शैक्षणिक आर्थिक तथा राजनैतिक सेवाओं पर एकाधिकार था। इसके बाद महाराष्ट्र मद्रास (तमिलनाडु) तथा मैसूर (कर्नाटक) में पिछड़ी जातियों के द्वारा किये जाने वाले आन्दोलनों के फलस्वरूप उन्हें न केवल सभी क्षत्रों में व्यापक अधिकार मिलने लगे बल्कि शक्ति के सन्तुलन में भी एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। इस समय भारत के कुछ क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों द्वारा

धर्मगुरूओं के रूप में भी करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्पष्ट करता है। इसका उदाहरण हमे श्रीनारायण धर्म परिपालन आन्दोलन में देखने को मिलता है।

- पिछडे वर्गो में जाति के आधार पर बड़े–बड़े राजनीतिक संगठनों का निर्माण होता सामाजिक आन्दोलन का एक प्रमुख परिणाम है। आरम्भ में सामाजिक आन्दोलन परम्परागत नियोग्यताओं को समाप्त करने तथा समतामूलक अधिकार प्राप्त करने के लिए किये गये थे लेकिन इन आन्दोलन से जब एक नयी विचारधारा विकसित होने लगी तब इससे प्रभावित अनेक छोटी–छोटी जातियों एक दूसरे के समीप आने लगी। डा. राव ने लिखा है कि स्थानीय तथा भौगोलिक रूप से पृथक अनेक समूह जैसे–जनजातियॉ, शोषित धार्मिक समूह तथा निम्न जातियों जो हिन्दू सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित थी, सामाजिक आन्दोलनों के फलस्वरूप एक–दूसरे से जुड़ने लगी। इनके द्वारा ऐसे बड़े–बड़े संगठनों का निर्माण हुआ जो अपने लिए एक पृथक संस्कृति का विकास करने में लग गये। अपने सामान्य हितों तथा संगठित प्रयत्नों के कारण इनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ने लगी। यह बात केरल की इझाव जाति द्वारा किए जाने वाले आन्दोलन तथा यादव जातियों के आन्दोलन द्वारा स्पष्ट हो जाती है।

- पिछड़े वर्गो में नेतृत्व का प्रादुर्भाव होना सामाजिक आन्दोलनों का ही परिणाम है। भारत में स्वतन्त्रता से कुछ पहले तक पिछड़ी जातियों का सामाजिक, आर्थिक और अर्थिक शोषण इस कारण होता रहा था कि नेतृत्व के अभाव में वे इस शोषण के विरूद्ध कभी आवाज नहीं उठा सके। भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गॉधी के प्रयत्नों से जब पिछड़ी जातियों के लोगों ने सहभाग करना आरम्भ किया तो उनमें भी नेतृत्व का चेतना उत्पन्न होते लगी। बाद में जब देश कुछ हिस्सों में पिछड़ी जातियों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सामाजिक आन्दोलन किये तो दूसरे हिस्से में भी इसका अनुकरण किया जाने लगा। फलस्वरूप आज प्रत्येक पिछड़ी जाति में एक नेतृत्व विकसित हो चुका है जो न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है बल्कि इसके द्वारा विभिन्न जातियों को एक–दूसरे से समीप लाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

- सामाजिक आन्दोलनों से उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख परिवर्तन पिछड़ी जातियों तथा कृषकों की राजनीतिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाना है। परम्परागत रूप से भारत में शक्ति पर उच्च जाति के अभिजनों का ही एकाधिकार था यद्यपि यह लोग संख्या में बहुत कम थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत उन वर्गो की राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगी जो संख्या के दृष्टिकोण से बड़े होने के साथ ही अधिक संगठित थे। इस स्थिति में सभी राजनीतिक दलों ने पिछड़ी जातियों का समर्थन पाने के लिए उनके पक्ष में आवाज उठाना आरम्भ कर दिया। इस प्रक्रिया में जितनी अधिक वृद्धि हुई, पिछड़ों जातियों तथा कृषकों ने यदि संगठित रूप में सामाजिक आन्दोलन न किये होने तो वे एक राजनैतिक शक्ति के रूप में न उभर पाते।

- विभिन्न सामाजिक आन्दोलन के फलस्वरूप आज पिछड़ी जातियों के प्रति उच्च जातियों को मनोवृत्तियों तथा जाति पर आधारित सामाजिक मूल्यों में भी व्यापक परिवर्तन हुए है। यह सच है कि गॉवों में कुछ परम्परावादी लोग ऐसे परिवर्तन को मान्यता नहीं देते लेकिन उच्च जातियों के अधिकांश लोग अब जाति सम्बन्धी परम्परागत मूल्यों को उचित नहीं मानते। इसके फलस्वरूप पिछड़ी जातियों तथा उच्च जातियों के बीच खन–पान, व्यवसाय तथा सामाजिक सहभागित के सम्बन्धों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सामाजिक मनोवृतियों तथा सामाजिक सम्बन्धों में होने वाले इन

परिवर्तनों ने निश्चय ही भारतीय समाज की परम्परागत सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किये है।

21.4 भारत में सामाजिक आन्दोलन के कुछ प्रमुख उदाहरण

भारत में सामाजिक आन्दोलन की प्रकृति तथा इसके प्रभावों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जातिगत संरचना तथा परम्परागत सामाजिक मूल्यों को बदलने में इन आन्दोलनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। यह आन्दोलन जहाँ एक ओर सामाजिक परिवर्तन के कारण है वहीं। इनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को भी समझना सम्भव है। कुछ व्यक्ति इन सामाजिक आन्दोलनों को एक विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में देखते है लेकिन वास्तव में इनका सम्बन्धी किसी विघटनकारी शक्ति से न होकर प्रगतिशील दृष्टिकोण तथा सामाजिक जागरूकता से है। इस प्रकार भारत में सामाजिक आन्दोलनों का मूल्यांकन परिष्कार की एक प्रक्रिया के रूप में ही किया जाना चाहिए। उद्देश्यों में वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यमान सामाजिक संस्थाओं राष्ट्रीय संगठनों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सेवाओं के बाहर समाज कल्याण के विकास के लिये प्रयास करना और सामाजिक क्रिया का समाज कार्य की प्रणालियों विधियों और दर्शनशास्त्र के अनुरूप सम्पादित किया जाना है।

सामाजिक आन्दोलन भारत की वास्तविकता को स्पष्ट करता है। अशक्त, निर्धन व सीमान्त समुदायों के लोग स्वतः अपनी सहायता हेतु लाभबन्द होते है और अपने अधिकारों के संरक्षण तथा जीवन को सुरक्षित करन हेतु राज्य अथवा समाज के असफल रहने पर अपनी आवाज को बुलन्द करते है और आन्दोलित होते है। सामाजिक आन्दोलन, संगठित व्यवहार की ओर इंगित करता है जिसके द्वारा किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना और किसी भी दिशा में सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है।

सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक आन्दोलन के बीच सम्बन्ध स्थापित करने से सामाजिक आन्दोलन के कुछ उदाहरण को देखना आवश्यक है। भारत में आन्दोलनों के फलस्वरूप समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा तथा क्या परिवर्तन हुए इसे निम्नाकिंत बिन्दुओं के तहत समझ सकते हैं।

- भारत में सामाजिक आन्दोलनों का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चित तौर पर यह ऊपर से धार्मिक प्रतीत होता है, परन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था का निर्देशक सदैव से धर्म रहा है। इसलिए बौद्ध धर्म या जैन धर्म जैसे आन्दोलन धार्मिक होते हुए भी गहरे सामाजिक प्रभाव रखते हैं। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था, जाति पदक्रम रीति–रिवाज आदि पर गहरा प्रभाव पड़ा।

- मध्यकाल में भक्ति आंदोलन प्रबल रहे। कबीर, चैतन्य, मीरा, रैदास आदि ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों के विरूद्ध जन–मानस को जागृत किया। इन आन्दोलनें का दृष्टिकोण धार्मिक होते हुए भी अपने सामाजिक प्रभाव रखते हैं।

- वास्तव में 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में जो धार्मिक–सामाजिक सुधार आन्दोलन प्रारंभ हुए, वह फिर कई रूपों में, कई चरणों में तथा कई आयामों में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर होने लगे। ब्रिटिश काल में आधुनिक, शिक्षा, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता काल में आधुनिक मूल्यों से भारतीय परिचित हुए। इन मूल्यों के प्रभाव में सर्वप्रथम विदेशी शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग आया। उसने यह पहचाना कि जब तक हिन्दू धर्म की पुरातन मान्यताओं एवं विश्वासों को खंडित नहीं

किया जाएगा, समाज का विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि इन प्रयासों को सामाजिक–धार्मिक सुधार आन्दोलन कहते हैं। इसमें राजा राम मोहनराय, केशव चन्द्र सेन, विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, जस्टिस रानाडे आदि प्रमुख हैं।

+ बीसवीं सदी के प्रांरभ में दक्षिण भारत में जाति आन्दोलन प्रारंभ हुए। दक्षिण भारत में सामाजिक संरचना मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी। ब्राह्मण तथा गैर–ब्राह्मण। ब्राह्मण अल्पसंख्यक होते हुए भी सामाजिक पदक्रम में श्रेष्ठ तथा सभी सुविधाओं के स्वामी थे। दूसरी तरफ गैर–ब्राह्मण बहुसंख्यक होते हुए भी दरिद्र तथा सभी निर्योग्यताओं के शिकार। ब्रिटिश शिक्षा के प्रभाव स्वरूप ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन प्रारंभ हो गए। श्रीनारायण धर्म परिपालन आत्म–सम्मान आन्दोलन, वाइकोम सत्याग्रह, सत्यशोधक समाज, महार आन्दोलन इस दिशा में उल्लेखनीय हैं।

+ ब्रिटिश काल में ही किसान विद्रोह तथा आन्दोलन भी उल्लेखनीय है। ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में किसान आन्दोलन कोई महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण है कि राज्य का कृषि में हस्तक्षेप नहीं था, तथा ग्राम या कृषि स्वतंत्र कृषि कार्य करते हैं। परन्तु ब्रिटिश काल में अधिक राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि राज्य के अधीन हो गई। तथा जमींदार, नम्बरदार जैसे प्रतिनिधियों या बिचौलियों के माध्यम से राज्य ने कृषकों से भूमि का स्वामित्व छी लिया। उच्च–भूमि कर, बेदखली, बिलौचियों द्वारा बेगार, शोषण आदि की घटनाएं बढ़ने लगी। जिसके फलस्वरूप समय–समय पर किसानों के विद्रोह किए। संथाल विद्रोह (1855–56), चंपारण सत्याग्रह (1917–18), खेड़ा सत्याग्रह (1918), बारदोली सत्याग्रह (1920), मोपला विद्रोह (1921) आदि कुछ प्रमुख आन्दोलन है।

+ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषकों की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य भूमि या कृषि सुधार लाने में असफल रहा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भी मृत्युदर में कमी आई, जिससे भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा तथा किसानों की स्थिति में और गिरावट आई। इन्हीं कारणों से बंगाल में नक्सबादी आन्दोलन (1967–1974) तथा आन्ध्र प्रदेश में पीपुल्स वार ग्रुप अभी भी जारी जैसे सशस्त्र आन्दोलन प्रारंभ हुए। आज भूमिहीन किसान के सशस्त्र आन्दोलन के प्रभाव में पंद्रह के आस–पास राज्य हैं जिन्हें 'रेड कॉरिडोर' कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं– झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश (सोनभद्र क्षेत्र), छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि।

+ एक दूसरे तरह का किसान असंतोष उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जो कृषि मामले में उन्नत क्षेत्र माने जाते हैं। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब आदि प्रमुख हैं। यह असंतोष विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के विरूद्ध है। उदार अर्थव्यवस्था तथा भूमण्डलीकरण के इस युग में यह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। उत्पाद का उचित दाम न मिल पाना, कृषि लागत में वृद्धि, राज्य के व्यापक समर्थन का अभाव आदि इनके असंतोष का कारण है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसानों द्वारा आत्म हत्या तथा पंजाब, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चक्का जाम, चुनाव बहिष्कार हड़ताल आदि इसके उदाहरण हैं।

यह आधुनिक युग का एक सामाजिक आन्दोलन है, जिसका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री–पुरूष की समानता स्थापित करना है। समानता के साथ –साथ शोषण को समाप्त करना है। नारीवाद पितृसत्ता को समाज–व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। यह पुरूष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। नारीवाद

महिलाओं के शोषण और उनके प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केन्द्रित करता है और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करता है तथा स्त्री जीवन के हर क्षेत्र में यह अधिकार बढ़ाने की मांग करता है।

भारत में हुए सामाजिक आन्दोलनों में चिपको आन्दोलन, महिला आन्दोलन, इत्यादि का स्थान प्रमुख है। जो कि निम्नवत् है :–

21.4.1 चिपको आन्दोलन

चिपको आन्दोलन एक सामाजिक परिस्थितिकीय आन्दोलन है जिसका मुख्य आधार सत्याग्रह और अंहिसा था जिसमें पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा करना है। आधुनिक चिपको आन्दोलन कर उसकी रक्षा करना है। आधुनिक चिपको आन्दोलन की शुरूआत सन् 1970 में प्रारम्भ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में हुई थी। यह संघर्ष तब अत्यधिक चर्चा में जब 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आन्दोलन शुरू हुआ। इस वर्ष उत्तराखण्ड के रैंणी गांव के जंगल के लगभग ढाई हजार पेड़ों को काटने की नीलामी हुई तो गौरा देवी नामक महिला ने अन्य महिलाओं के साथ इस नीलामी का विरोध किया परन्तु सरकार तथा ठेकेदारों के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो, गौरा देवी और उनके 21 साथियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की जब ठेकेदार के आदमियों ने पेड़ काटने की जिद की तो महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें ललकारा कि पहले हमें काटो फिर इन पेड़ों को भी काट लेना। जिसका परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार को वापस जाना पड़ा। और बाद में स्थानीय वन अधिकारियों के सामने इन महिलाओं ने अपनी बात रखी और रैंणी गांव का जंगल नहीं काटा गया। इस प्रकार चिपको आन्दोलन की शुरूआत हुई। यह आन्दोलन स्वतः स्फूर्ति प्रयासों का परिणाम था। इस आन्दोलन को अग्रणी बनाने में सुन्दर लाल बहुगुणा तथा ग्रामीण महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। यह आन्दोलन पर्यावरणीय विनाष के खिलाफ अहिंसक शान्त तथा सत्याग्रह आधारित होने के कारण अद्वितीय विशेषता रखता है।

इस आन्दोलन का प्रभाव यह हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। कालान्तर में यह आन्दोलन उत्तर में हिमांचल प्रदेश दक्षिण में कर्नाटक पश्चिम में राजस्थान पूर्व में बिहार तथा मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया।

21.4.2 महिला आन्दोलन

संसार के अधिकांश समाज पुरूष प्रधान होने के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने शोषण, उत्पीड़न तथा सन्यास के खिलाफ आवाज उठाई है। समानाधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्तुति, तलाक के अधिकार, मताधिकार, स्वतंत्रता, पर्दे का विरोध, शिक्षा के अधिकार आदि मांगों को लेकर आन्दोलन चलाए हैं। इस सदी के सातवें दशक में प्रारम्भ हुआ 'विमेन लिब' का आन्दोलन संसार का प्रसिद्ध महिला आन्दोलन माना जाता है। महिला आन्दोलन सदैव ही केवल महिलाओं द्वारा ही किए जाएं, यह आवश्यक नहीं होता क्योंकि भारत में ऐसे अनेक आन्दोलन हुए हैं जो मूलतः स्त्रियों के अधिकार से सम्बन्धित थे तथापि उन आन्दोलनों के जनक पुरूष ही रहे।

19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, ऐनीबेसेण्ट, महर्षि कर्वे आदि

ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था। कई महापुरूषों ने समाज सुधार के आन्दोलनों का संचालन कर स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। राजाराम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और आपके प्रयत्नों से ही 1929 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना। आपने बाल–विवाह को समाप्त तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रचलित कराने के पक्ष में जनमत तैयार किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बाल–विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और आपके प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। महर्षि कर्वे नꣳ भी विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किये। केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से 1872 में 'विशेष विवाह अधिनियम' बना जिसने विधवा पुनर्विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनों ने स्त्रियों को अधिकार दिलाने एवं उनमें जागृति लाने के प्रयत्न किए। रमाबाई रानाडे, मेडम कामा, तोरदत्त, मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेण्ट आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, आदि स्त्री संगठनों ने भी स्त्रियों की निर्योग्यताओं को कम करने एवं उनकी स्त्रियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

इन आन्दोलनों के कारण समय–समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होनें स्त्रियों की दशा को सुधारने में योगदान दिया। 1955 के हिन्दू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरूषों को विवाह के सम्बन्ध में समान अधिकार दिए गए, बाल–विवाह समाप्त कर दिए गए और स्त्रियों को पृथक्करण तथा विवाह विच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गई। 1956 के हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 आदि ने स्त्रियों को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

21.5 सारांश

सारांश में, सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक आन्दोलन, सामूहिक क्रिया द्वारा संभव है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक परिवर्तन लाना है। दोनों प्रक्रियाएं सत्ता विरोधी होती है और बाकी लोग इसके सहभागिता करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में समान रणनीतियों यथा धरना, रैली, हड़ताल, मार्च, मोर्चा इत्यादि को प्रयोग में लाते हैं। सामाजिक क्रिया एक चेतन, निर्देशित और सुरक्षित प्रक्रिया है। जबकि सामाजिक आन्दोलन अधिक अथवा कम रूप में भावनाओं पर आधारित होते हैं जिसमें व्यावसायिक विशेषज्ञ समाज कार्य को शामिल नहीं किया जाता है।

21.6 शब्दावली

सामाजिक क्रिया — व्यावसायिक समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में सामाजिक क्रिया का प्रयोग सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने अथवा विपरीत परिस्थितियों की रोकथाम करने में जन–समुदाय को गतिशील बनाने तथा उन्हें संगठित करने, में किया जाता है। यह एक संगठित प्रयास होता है जिससे आर्थिक

सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाता है अथवा उसको बेहतर बनाया जाता है।

सामाजिक आन्दोलन — सामाजिक आन्दोलन का उद्देश्य समाज अथवा संस्कृति में कोई आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन लाना अथवा परिवर्तन का विरोध करना होता है। जब समाज में लोग यह महसूस करने लगते हैं कि समाज व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं, वह उनकी आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसे बदलने के सामूहिक प्रयास किये जाते हैं और उसके स्थान पर नई व्यवस्था लाने का प्रयत्न किया जाता है। इसे ही सामाजिक आन्दोलन कहते हैं।

चिपको आन्दोलन — चिपको आन्दोलन एक सामाजिक परिस्थितिकीय आन्दोलन है जिसका मुख्य आधार सत्याग्रह और अंहिसा था जिसमें पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा करना है। आधुनिक चिपको आन्दोलन कर उसकी रक्षा करना है। आधुनिक चिपको आन्दोलन की शुरूआत सन् 1970 में प्रारम्भ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में हुई थी।

21.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, एम.आर., समाज कार्य–दर्शन एवं प्रणालियां, साइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य–सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन.एस. पब्लिकेषन्स, लखनऊ, 2011।
- चौधरी, डी.पाल, इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, दिल्ली आत्माराम एण्ड सन्स, 1992।
- मूर्थी, एम.वी. सोशल एक्शन, बाम्बे : एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1996।
- सिंह, सुरेन्द्र, सोशल एक्शन इन होराइजन ऑफ सोशल वर्क (एडिटेड), सिंह सुरेन्द्र एवं सूदन के. एस. ज्योत्सना पब्लिकेशन, लखनऊ, 1986।
- लवानिया, एम.एम. एवं राठौड़, ए.एस. (1999) भारतीय समाज, रिसर्च पब्लिकेशनः जयपुर
- लवानिया, एम.एम. एवं पडियार, जी. (2010) भारत में सामाजिक समस्यायें, रिसर्च पब्लिकेशनः जयपुर
- गुप्ता, एम.एल. एवं शर्मा, डी.डी. (2004) समकालीन भारतीय सामाजिक विचारक एवं सामाजिक आन्दोलन, साहित्य भवन पब्लिकेशनः आगरा
- अहूजा, आर (1999) सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्सः जयपुर

✝ अहूजा, आर. एवं. अहूजा एम. (2008) समाजशास्त्र : विवेचना एवं परिप्रेक्ष्य, रावत पब्लिकेशन्सः जयपुर

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक आन्दोलन के मध्य क्या सम्बन्ध है, समझाइये।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक आन्दोलन का अर्थ एवं परिभाषाएं को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

3. सामाजिक आन्दोलन को प्रोत्साहन देने वाली दशाएं को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. सामाजिक आन्दोलनों के प्रकारों को बताइये।

.....

.....

.....

.....

5. सामाजिक आन्दोलनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

6. चिपको आन्दोलन से आप क्या समझते है?

.....

.....

.....

.....

21.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 21.2 देखे।
2. उपभाग 21.3.1 देखें।
3. उपभाग 21.3.4 देखे।
4. उपभाग 21.3.5 देखे।
5. उपभाग 21.3.6 देखे।
6. उपभाग 21.4.1 देखे।

इकाई–22 : सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

इकाई की रूपरेखा

22.0 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना

22.2 सामाजिक क्रिया एवं समाजिक कार्यकर्ता

22.2.1 समाजिक कार्यकर्ता की विशेषताएं एवं निपुणताएं

22.2.2 समाज कार्यकर्ता की भूमिका

22.2.3 सामाजिक क्रिया में समाजिक कार्यकर्ता के उद्देश्य

22.3 सामाजिक क्रिया में समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

22.3.1 वैयक्तिक कार्यकर्ता के रूप में

22.3.2 समूहिक कार्यकर्ता के रूप में

22.3.3 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के रूप में

22.3.4 प्रशासनिक कार्यकर्ता के रूप में

22.3.5 शोध कार्यकर्ता के रूप में

22.3.6 सामाजिक चिकित्सक के रूप में

22.3.7 सामर्थ्यदाता के रूप में

22.3.8 सामाजिक सक्रियकर्ता के रूप में

22.3.9 अधिवक्ता के रूप में

22.3.10 शिक्षक के रूप में

22.3.11 मध्यस्थकर्ता के रूप में

22.3.12 प्रबन्धकर्ता के रूप में

22.3.13 परिवर्तनकर्ता के रूप में

22.3.14 सुगमकर्ता के रूप में

22.3.15 विशेषज्ञ के रूप में

22.3.16 प्रेरक कार्यकर्ता के रूप में

22.3.17 उत्प्रेरक कार्यकर्ता के रूप में

22.4 सारांश

22.5 शब्दावली

22.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

22.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

22.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक क्रिया कार्य में समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका की चर्चा की गई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- समाजिक कार्यकर्ता की विशेषताओं एवं निपुणताओं को जान सकेंगे।
- समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के पक्षों को समझ सकेंगे।
- सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता के उद्देश्यों को जान सकेंगे।
- सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की विभिन्न भूमिकाओं को जान सकेंगे।

22.1 प्रस्तावना

समाजिक कार्य अन्य व्यावसायिक मानवीय सेवाओं में से एक व्यवसायिक सेवा है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाने में, सहायता प्रदान करता है। समाज कार्य अपनी अद्वितीय व्यवसायिक योग्यता के द्वारा सेवार्थी की सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करता है। जिससे कि सहायता प्राप्त लोग प्रभावशाली तरीके से अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। समाज कार्यकर्ता अपनी भूमिका को निभाते हुए लोगों की सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि लाने हेतु उससे सम्बन्धित मुद्दों को स्पष्ट करने में सहायता करता है और उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं की रोकथाम हेतु कार्य करता है।

22.2 सामाजिक क्रिया एवं समाजिक कार्यकर्ता

समाज कार्य की सभी प्रणालियों का उद्देश्य सेवार्थी में आत्मनिर्देशन तथा आत्मनिर्भरता की योग्यता को विकसित करना है। सामाजिक क्रिया के अर्न्तगत समाज कार्यकर्ता को सेवार्थी समूहों के साथ कार्य करके जो भी अनुभव प्राप्त हुए है उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब तक सेवार्थी समूह में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भता उत्पन नही होती है तो वह अपनी सस्याओं का समाधान स्वयं प्रस्तुत नहीं कर पाता है और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि को पूरा करने में असमर्थ रहता है।

वास्तव में, समाज कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह सेवार्थी समूह को एक ऐसे स्तर पर पहुँचायें जहाँ उसे कार्यकर्ता की सहायता की न्यूनतम जरूरत हो। यह तभी संभव हो सकता है, जब समूह के सदस्यों में 'हम की भावना' का सम्पूर्ण विकास हो चुका हो और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर हो। इन सब व्यवहारिकताओं के लिए एक शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल एवं अनुभवी कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जो सामूहिक एवं सामुदायिक जीवन को वैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर समूह को संगठित अथवा विघटित करने वाली शक्तियों अथवा बाधाओं को जानता व पहचानता हो तथा समूह में एकता एंव संगठन की योग्यता उत्पन्न करने की निपुणता रखता हो।

समाज कार्यकर्ता के कार्यक्षेत्र को लिपिबद्ध करना अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि वह एक निश्चित भू–भाग के विभिन्न विचारों वाले व्यक्तियों के साथ अलग–अलग समयों में भिन्न–भिन्न रूप में अपनी भूमिका निर्वहन करता है। सर्वप्रथम एक कुशल कार्यकर्ता होने के कारण सदस्यों की समस्याओं, आवश्यकताओं के साथ–साथ उपलब्ध साधनों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात् निम्नलिखित प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों में आपसी सहयोग एवं संगठन के साथ आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच समता स्थापित करने की योग्यता का विकास करता है।

वर्तमान समय में अधिकतर समाजिक कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का प्रतिपादन कर रहे हैं। एक व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह निश्चित क्रियाओं का सम्पादन करेगा। यथा एक चिकित्सक से यह आशा की जाती है कि वह बीमार व्यक्ति की स्थिति का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण करेगा, उपचार देगा तथा परिणाम का मूल्यांकन करेगा। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति समाज कार्यकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है तो यह आशा की जाती है कि अभ्यास की परिस्थितियों का विश्लेषण सावधानीपूर्वक करेगा, अतिमहत्वपूर्ण हस्तक्षेप तकनीकियों को लागू करेगा, और किए गए प्रयासों की सफलता अथवा असफलता का आंकलन करेगा। अतः व्यवसाय के व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, का निर्धारण व्यावसायिक मानकों और सीमाओं द्वारा होता है कि समाज कार्यकर्ता क्या करेगा अथवा नहीं।

समाजिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य लोगों की सहायता करना जिससे कि वे सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। समाज कार्यकर्ता व्यावसायिक रूप में कार्य करता है और समूह में आत्मनिर्भरता तथा आत्मनिर्देशन का विकास करता है। जिससे कि व्यक्ति अथवा समूह स्वयं निर्णय कर सके और अपने संसधानों को गतिमान कर सके। समाज कार्यकर्ता वास्तव में एक सहायता देने वाला व्यक्ति है जो कि सेवार्थी की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है।

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक प्रणाली है। सामाजिक क्रिया के पीछे जो शक्ति कार्य करती है, वह वही है, जो सम्पूर्ण समाज कार्य के पीछे है– प्रजातांत्रिक पद्धति में दृढ़ विश्वास। समाजिक कार्य मे सामाजिक क्रिया का क्या स्थान है इसे हर देश में समाज सुधार के प्रयासों के इतिहास की समीक्षा करके जाना जा सकता है जब कई समाज सुधारकों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से और संयुक्त रूप से सामाजिक दशाओं को सुधारने और उनमें परिवर्तन लाने के प्रयास किये और सफल रहे।

समाजिक कार्य की मूल प्रवृत्ति के पीछे जो प्रमुख कारक है व इस व्यवसाय की सामाजिक क्रिया के प्रति आस्था है। समाज कार्य सम्पूर्ण व्यक्ति में नहीं है। समाज कार्य यह मानकर चलता है कि व्यक्तियों समूहों और समुदायों को उसके द्वारा दी जाने वाली

सेवाएँ उनके पर्यावरण के गुणों और दोषों से घनिष्ट रूप से संबंधित होती है। इसलिए समाज कार्य सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं की स्थापना या उन्हे पुनः गठन करता है या उन पर्यावरणीय दशाओं में आशोधन करने का प्रयास करता है जो लोकतन्त्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डालती है। इस दृष्टि से यह कहा गया है कि समाज कार्यकर्ता की सामाजिक क्रिया में रूचि ही उसकी सत्यनिष्ठा या ईमानदारी की परीक्षा है।

22.2.1 सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की विशेषताएं एवं निपुणताएं

समाज कार्य में कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया के कार्यो का सम्पादन करने के लिए विशिष्ट विशेषताएँ और निपुणताएँ रखता है। ये विशेषताएँ और निपुणताएँ इस प्रकार है।

- व्यवसाय में प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों के मूल्य और उनकी सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक क्रिया में रूचि से प्रभावित होती है।

- समाज कार्य का सामाजिक दर्शन और सामाजिक उद्देश्यों और उन्नति में इसकी आस्था सामाजिक क्रिया से तर्कपूर्ण तरीके से संबंधित है।

- समाजिक कार्य में कार्यकर्ताओं का कार्य करते समय लोगों और समुदायों के निकट रहना सामाजिक समस्याओं की समीक्षा करने में सहायता देता है।

- समाज कार्य में कार्यकर्ताओं का व्यक्तियों, समूहों और सामुदायकि जीवन की गतिकी का ज्ञान सामाजिक समस्याओं को समझने और उसका निराकरण करने की क्षमता प्रदान करता है।

- कार्यकर्ताओं में सामाजिक पर्यवेक्षण, विश्लेषण और नियोजन में प्रशिक्षण और अनुभव ऐसी मूल्यवान क्षमताएँ है जिनका प्रयोग सामाजिक क्रिया में किया जा सकता है

- कार्यकर्ता में लोगों, समूहों और समुदायों के अध्ययन, नियोजन और क्रिया के लिए संगठित करने की निपुणता सामाजिक क्रिया में मूल स्थान रखती है।

22.2.2 सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका के पक्ष

सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। हेलेन क्लार्क ने सामाजिक क्रिया मे समाज कार्यकर्ता की भूमिका के निम्नलिखित पक्ष बताये है:–

- प्रथम पक्ष के आधार पर समाज कार्य में कार्यकर्ता व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने में रूचि रखते है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक सामाजिक संस्था अन्तिम रूप से सामाजिक क्रिया के किसी न किसी पक्ष से संबंधित होती है। कुछ संस्थाए मिलकर सामाजिक क्रिया का कार्य एक केन्द्रिय संस्था को सौंप देती है।

- दूसरे पक्ष के आधार पर प्रत्येक कार्यकर्ता एक नागरिक होने के नाते उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में भाग ले सकता है अथवा सामाजिक क्रिया में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार रखता है।

- तीसरे पक्ष के आधार पर यह मतभेद है कि किस सीमा तक और कितने स्तर की साक्रियता से एक कार्यकर्ता एक व्यक्ति या कार्यकर्ताओं के राजनीतिक क्रिया–समूह के एक सदस्य के रूप में राजनीतिक सामूहिक क्रिया में व्यवसाय के हित में भाग ले सकता है। इस सन्दर्भ में केनेथ प्रे का मत है कि समाज कार्यकर्ताओं को सामाजिक परिवर्तन हेतु कार्य करते समय प्रणालियों का ध्यान रखना चाहिए। उसका पूरा व्यवहार एक उचित व्यवहार होना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह भी मत प्रकट किया गया है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में सभी सुधार के प्रयास अन्त में एक राजनीतिक क्रिया का रूप लेने लगते है, इसलिए यदि हमें सामाजिक परिवर्तन के प्रति वास्तविकता का दृष्टिकोण लेना है तो हम राजनैतिक क्रिया–समूह से अपने आप को सम्बन्धित रखने से नहीं रोक सकते।

- चौथे पक्ष के आधार पर समाज कार्यकर्ता व्यक्तियों या व्यवसायिक व्यक्तियों के रूप में विशेष कार्यक्रमों का समर्थन करेगे क्योंकि यह उनमें आस्था रखते है, इसलिए नहीं कि वह विशेषज्ञ होते है।

- पॉचवे पक्ष के आधार पर समाज कार्यकर्ता एक प्राथमिक या द्वितीयक क्रियाकलाप के रूप में सामाजिक क्रिया में भाग ले सकते है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे व्यक्ति भी होते है जो समाज कार्यकर्ता नहीं होते हैं परन्तु क्रिया में एक मुख्य या प्रासंगिक क्रिया के रूप में भाग लेते है।

22.2.3 सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता के उद्देश्य

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह के साथ कार्य करते समय उसे निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे सामाजिक मुद्दों के प्रति समूह के सदस्यों को केन्द्रित किया जा सके और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके।

- समाज कार्य कार्यकताओं एव संस्थाओं द्वारा एकत्र की गयी सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान करना,

- समाज कार्य कार्यकर्ताओं एवं संस्थाओं द्वारा एकत्र की गयी सामाजिक सूचनाओं को समुदायों को प्रदान करना और इन सूचनाओं के अर्थ निकालने में विशिष्ट ज्ञान का प्रयोग करना,

- समाज कार्य के क्षेत्रीय अनुभव प्रविधिक कुशलता और ज्ञान पर आधारित सामाजिक समाधानों समस्याओं के लिए सुझाव देना,

- सामाजिक समस्याओं के समाधानों का प्रतिपादन करने और उन्हें कार्यरूप में लाने के लिये सामाजिक साधनों का एकीकरण करना,

- सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता और प्रबोध का विकास करना कल्याण योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करना, और सामुदायिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करना,

- सरकारी अधिकारियों और नीति निर्धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा कल्याण योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त करना,

- सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को सरकार द्वारा लागू कराये जाने के प्रयास करना,

- समाज कार्य के मूल्यों की मान्यता और वर्तमान समाज कल्याण सेवाओं (सरकारी और गैर सरकारी) और कार्यक्रमों के विकास और सरकार द्वारा समाज कार्य का प्रयोग कराने के लिए समर्थन प्राप्त करना।

22.3 सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका

वर्तमान समय में अधिकतर समाज कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का प्रतिपादन कर रहे हैं। कुछ विशेष प्रकार की भूमिकाओं एवं कार्यों का निवर्हन कर रहे हैं तो कुछ सामान्य कार्यकर्ता के रूप में वृहत् स्तर पर अपनी भूमिका को प्रतिपादित कर रहे हैं। एक व्यवसाय के व्यावसायिक कार्यकर्ता के कार्य एवं भूमिका सामाजिक प्रतिमानों तथा ऐतिहासिक परम्पराओं द्वारा परिभाषित की जाती है, वैधानिक संहिताओं तथा प्रशासनिक नियमनों के द्वारा कार्य करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें संस्थागत नीतियों एवं प्रक्रियाओं की भूमिका होती है। सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की निम्नलिखित भूमिकाओं को निभाता है :–

22.3.1 वैयक्तिक कार्यकर्ता के रुप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में वैयक्तिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली तरीके से सेवार्थी समूह के सदस्यों की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना है जिससे कि वे अपना सम्पूर्ण योगदान दे सके। सेवार्थी समूह के सदस्यों की मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान आमने–सामने के सम्बन्ध अर्थात् सेवार्थी समूह व वैयक्तिक कार्यकर्ता के मध्य स्थापित सम्बन्धों द्वारा होता है। वैयक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी में इस आवश्यकता से विश्वास व आस्था उत्पन्न करता है जिससे कि वह सामाजिक क्रिया प्रक्रिया का भाग बन सके। सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में कार्यकर्ता जब समुदाय में विश्वनीयता को उत्पन्न करता है तो कार्यकर्ता वैयक्तिक कार्य की विधि का प्रयोग करते हुए सेवार्थी समूह के सदस्यों की समायोजन सम्बन्धी समस्याओं समाधान करने तथा आवश्यक उपचार द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करने में सहायता करता है। यदि कार्यकर्ता प्रक्रिया के दौरान यह पाता है कि किसी सदस्य द्वारा समूह–सत्र में व्यावहारिक समस्याजनित, व्यवहार किया जा रहा है और उससे पूरा समूह प्रभावित हो रहा है तो वह अलग से वैयक्तिक कार्य सत्र आयोजन करते हुए समूह सदस्य की समस्या का समाधान करता है।

सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में वैयक्तिक कार्य महत्वपूर्ण होता है बल्कि जब अन्य लोग संगठित होकर के लक्ष्य के विरूद्ध कार्य करता है तो वैयक्तिक कार्य प्रणाली की सहायता ली जाती है। इसी समय यदि समूह के किसी सदस्य के द्वारा विचलित व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है तो वैयक्तिक कार्यकर्ता आवश्यक परामर्श की प्रक्रिया को अपनाता है। सामाजिक क्रिया प्रक्रिया ठीक तरह से क्रियान्वित हो सके उसके लिए कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं का प्रयोग करते हुए वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया के समय मनोसामाजिक अध्ययन और निदान करता है मानव व्यवहार सीख का उपयोग करता है, मनोसामाजिक समस्याओं को पहचानता है। वैयक्तिक कार्यकर्ता सेवार्थी सम्बन्धों का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया प्रक्रिया के समय न केवल अकेले व्यक्ति से सम्बन्ध स्थापित करता है बल्कि समानान्तर विभिन्न

प्रकार के व्यक्तित्व से भी सम्पर्क स्थापित करता है जिससे कि समेकित रूप में सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

22.3.2 समूहिक कार्यकर्ता के रुप में

समूहिक समाज कार्य, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। समूह कार्यकर्ता, समूह समाज कार्य विधि का प्रयोग करते हुए के समूह के सदस्यों में समन्वय, सहयोग व संगठन के महत्व को सीखाते हैं। इससे समूह सदस्यों में आत्मनिर्भरता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता हैं। व्यावसायिक समाज कार्य में समूह समाज कार्य के महत्व को इस तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि एक मनुष्य सामूहिक प्राणी है। एक मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में सामूहिक जीवन द्वारा ही परिवर्तित होता है। समूह समाज कार्य एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सामूहिक क्रियाओं द्वारा समूह के सदस्यों के बीच रचनात्मक सम्बन्धों की स्थापना की जाती है।

समाजिक कार्यकर्ता अपनी निपुणताओं एवं अनुभव के आधार पर सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में विभिन्न समूहों में व्याप्त मतभेदों को समझने का प्रयास करता है जिससे कि मतभेदों को दूर किया जा सके और सामान्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम नियोजन तथा प्रबंधन के माध्यम से समूह की सहायता से सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया को सफल बनाता है। समाज कार्यकर्ता अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए नेटवर्किंग के द्वारा एक समूह के साथ अन्य समूहों को भी सहायता करने का प्रयास करता है। जिससे कि पूरे समुदाय को संगठित व गतिशील किया जा सके और सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

समाज कार्यकर्ता, समूह निर्माण के प्रारम्भिक चरण में तथा समूह कार्य प्रक्रिया के समय समुदाय के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है तथा समुदाय के विभिन्न कार्यात्मक व संरचनात्मक पक्षों को जानने का प्रयास करता है। समाज कार्यकर्ता संरचनात्मक और सामाजिक समस्याओं के आधार पर अध्ययन करता है तथा समुदाय के अधिकतर लोगों को प्रभावित करते हुए जन आन्दोलन के लिए तैयार करता है। समाज कार्यकर्ता, समूह समाज कार्य प्रक्रिया के समय समुदाय में अभिमत उत्पन्न करता है जो कि सामाजिक क्रिया की मुख्य आवश्यक तत्व है। इस प्रकार समूह समाज कार्य, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया की एक नई रुपरेखा तैयार करके उसे नया स्वरुप प्रदान करता है।

22.3.3 सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के रुप में

सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय तथा सहकारी नियोजन को शामिल करते हुए क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक नीति को लागू करने के विपरीत सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को लिया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक क्रिया का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है।

इन दोनों विधियों में लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को पहचानते है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में लोग अपनी सहायता के लिए स्वयं संगठित होते है। सहयोग, सहकारिता तथा एक साथ कार्य करने की भावना, के आधार सामान्य लक्ष्य को स्वीकार करते है। सामुदायिक संगठन एवं सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता, दोनों के प्रारम्भिक चरण में आवश्यकताओं अथवा समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। तत्पश्चात् इन आवश्यकताओं अथवा

समस्याओं में अभिमत द्वारा प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है। समूह सेवार्थी के बीच एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे कि उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास व आस्था उत्पन्न हो सके और समस्याओं को दूर कर सके अथवा आवश्कयताओं को पूर्ण कर सके। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में प्राधिकार व शक्ति संरचना, परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं। इसमें शक्ति तथा संसाधनों का पुनर्वितरण किया जाता है।

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता विभिन्न रणनीतियों अथवा तरीके यथा प्रचार, धरना, हड़ताल, बहिष्कार, भूख हड़ताल इत्यादि द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करता है। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य शक्ति तथा संसाधनों का पुनर्वितरण करना है जिससे कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग को समान अंश और अनूकुलतम वृद्धि व विकास के अवसर प्राप्त हो सके। एक बार इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाने के बाद समाज कार्यकर्ता समुदाय में जनसहभागिता द्वारा रचनात्मक क्रियाओं को सम्पादित करता है। जनसहभागिता, सामुदायिक संगठन व सामाजिक क्रिया की प्रमुख कुंजी है।

22.3.4 प्रशासनिक कार्यकर्ता के रुप में

प्रशासन की भूमिका में समाज कार्यकर्ता संस्था की नीतियों को लागू करना तथा संचालित कार्यक्रमों का प्रबन्ध करना है। समाज कार्यकर्ता जब प्रशासक की भूमिका का निर्वहन करता है तो वह एक संस्था का मुख्य प्रशासक अथवा अधिकारी अथवा निदेशक होता है। समाज कार्यकर्ता से यह आशा की जाती है िकवह कार्यक्रम नियोजन के लिए प्रयासरत रहेगा स्वीकार किये गये कार्यक्रमों को लागू करेगा तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बनाये रखने में उसका लगातार मूल्यांकन करेगा। एक प्रशासक की भूमिका में समाज कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह बनायी गयी नीतियों, कार्यक्रमों व विधानों को लागू करे।

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता कार्यक्रमों, सेवाओं तथा सेवार्थी समूह को बनाये रखने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त संस्था के कार्यों का संचालन करने, कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने प्राथमिकताओं का निर्धारण व विकास करने, संगठनात्मक संरचना का विश्लेषण तथा वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने इत्यादि का कार्य करता है।

एक प्रशासक की भूमिका में समाजिक कार्यकर्ता का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वह सेवार्थी समूहों अथवा लोगों के बीच समन्वय स्थापित करे, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजनाओं का विकास करे। समाज कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि वह आन्तरिक तथा बाह्य संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए उसका अनुकूलतम उपयोग करे। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं अथवा दबावों को दूर करे और आपसी विवादों का समाधान प्रस्तुत करे। प्रशासक के रूप में समाज कार्यकर्ता मुख्य निभाते हुए लोगों के मध्य उचित संचार स्थापित करता है तथा जनसम्पर्क के द्वारा लोगों में चेतना उत्पन्न करके लक्ष्य को केन्द्रित करता है।

समाजिक कार्यकर्ता स्टाफिंग में आवश्यक निपुणता का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण तथा कार्य के प्रति उन्मुख करता है। सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के दौरान समाज कार्यकर्ता अपनी इस निपुणता का सीधे और प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर लोगों के साथ कार्य करता है, उन्हें प्रशिक्षण देता है उनकी इच्छाओं को स्वीकार करता है। विभिन्न कार्य के तरीकों को अपनाता है इत्यादि। इसके अतिरिक्त अपने ज्ञान, कौशल व अनुभव के आधार पर समाज कार्यकर्ता समाज

कल्याण प्रशासन से सम्बन्धित बजटिंग मूल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशन इत्यादि को सामाजिक क्रिया में उपयोग में लाता है।

22.3.5 शोध कार्यकर्ता के रूप में

यदि समाज को कोई भी व्यवसाय विशेष योगदान देना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उस व्यवसाय में समयानुसार सतत् रूप से परिवर्तन होता रहे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से तेजी से विश्व के परिवेश में परिवर्तन हो रहा है, के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के ज्ञान में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहे। समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में भी यह आवश्यक है कि एक समाज कार्यकर्ता लगातार ज्ञान, मूल्य तथा निपुणताओं का मूल्यांकन अभ्यास के द्वारा करता रहे और नये ज्ञान को विकसित करे। इस प्रकार समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में ज्ञान को परिष्कृत करने तथा उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने में एक शोधकर्ता की भूमिका को निभाता है।

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में शोधकर्ता नये ज्ञान का विकास करता है और निर्देशित ज्ञान अभ्यास के द्वारा अथवा नई सूचनाओं के माध्यम से व्यवसायिक ज्ञान के आधार को और अत्यधिक रूप में विकसित करता है। समाज कार्यकर्ता लगातार किये जाने वाले अभ्यास के माध्यम से कार्यों का मूल्यांकन करता है। जिससे कि सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जा सके।

समाजिक कार्य शोध के द्वारा समाज कार्यकर्ता सामाजिक समस्या के विषय में गहन अध्ययन करता है तथा कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। हस्तक्षेप तथा योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके अनुरूप रणनीतियों व तरीकों को विकसित किया जाता है। शोध के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि समस्या के कारण कौन अलाभान्वित है और लोगों में किस प्रकार से चेतना उत्पन्न की जाए। समाज कार्य शोध वास्तव में उन आवश्यकताओं अथवा समस्याओं के कारणों प्रकाश डालता है जिनके द्वारा सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही है।

समाजिक कार्य शोध के द्वारा समस्या अथवा आवश्यकता की खोज की जाती है जो कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होती है समाज कार्यकर्ता समाज कार्य शोध द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामाजिक क्रिया को करता है यदि प्राप्त निष्कर्ष अपर्याप्त व अवैज्ञानिक है तो सामाजिक क्रिया दोषपूर्ण हो सकती है। सामाजिक नियोजन और सामाजिक क्रिया बिना शोध के अप्रभावी हो सकती है। समाज कार्य शोध, समाज कार्यकर्ता को उस योग्य बनाता है जिससे कि वह समुदाय की आवश्यकताओं का पता लगा सके तथा हस्तक्षेप व कार्यक्रम को प्रभावशाली बना सके, जिससे उसकी उपयोगिता व उपादेयता सिद्ध हो सके। समाज कार्यकर्ता शोध द्वारा प्राप्त तथ्यों को समुदाय के लोगों के मध्य साझा करता है जिससे समूह व समुदाय के सदस्य जनसहभागिता कर सके। समाज कार्यकर्ता, एक अवलोकन कर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है। व्यक्तियों अथवा समूह के सम्बन्धों का अभिलेख रखता है और वास्तविक स्थिति को संचालित करता है। समाज कार्य शोध के द्वारा समाज कार्यकर्ता सामाजिक समस्या की वास्तविक स्थिति को समझ पाता है जो कि सामाजिक क्रिया को सफल बनाने व इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक है।

22.3.6 सामाजिक चिकित्सक के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता एक समाजिक चिकित्सक के रूप में सामाजिक मुद्दों तथा उनके महत्वपूर्ण कारकों एवं तत्वों का पता लगाता है जो विकास में बाधक है। सामाजिक चिकित्सक के रूप में कार्यकर्ता उन छिपी उपलब्ध एवं अचेतन शक्तियों से मुकाबला करता है जो सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया के लिए बाधक एवं भ्रामक सिद्ध होती है। समाज कार्यकर्ता एक समाजिक चिकित्सक की भूमिका में साक्ष्य आधारित मूल्यांकन का निष्पादन करता है तथा वैयक्तिक पारिवारिक तथा सामूहिक स्तर पर लोगों से सम्बन्धित सामाजिक एवं सांवेगिक मुद्दों पर आधारित स्थिति पर हस्तक्षेप द्वारा प्रयास करता है। इस प्रकार की भूमिका में समाज कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसे मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक पर्यावरण लोगों को कैसे प्रभावित करता है, सेवार्थी की आवश्यकताओं का पता लगाने की योग्यता, सेवार्थी को हस्तक्षेप द्वारा कैसे सहायता प्रदान की जा सकती है, कौन सी हस्तक्षेप तकनीकियों को अपनाया जायेगा तथा परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा सेवार्थी को निर्देशित करने की योग्यता, इत्यादि का ज्ञान हो। एक समाजिक चिकित्सक के रूप में सामुदायिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी समूह की मनोसामाजिक स्थिति का आंकलन एवं निदान :–** सेवार्थी समूह की स्थिति को समझने के लिए उसकी प्रेरणाओं, क्षमताओं तथा परिवर्तन के अवसरों का आंकलन करना, आवश्यक है। सेवार्थी तथा उसके पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए सूचनाओं का अवधारणात्मक संकलन होना आवश्यक है। इसके साथ ही समाज कार्यकर्ता को निदान के उद्देश्य की प्राप्ति लिए आवश्यक है कि शोध, कार्यक्रम नियोजन इत्यादि के विषय में ज्ञान हो।

- **सेवार्थी समूह को सम्बल प्रदान करना :–** एक सामाजिक चिकित्सक की यह भूमिका नहीं है कि वह हमेशा सेवार्थी समूह अथवा सामाजिक स्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास करे बल्कि यह भी आवश्यक है कि लगातार सेवार्थी को सम्बल प्रदान करे अथवा उसकी देखभाल करे जिससे निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

- **सामाजिक उपचार :–** एक समाज कार्यकर्ता, सहायता करने के लिए सेवार्थी का उससे सम्बन्धित लोगों एवं समूहों से तथा अन्य समूहों से कैसे रिश्ते हैं, सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन के लिए किये गये सेवार्थी के प्रयासों को आलम्बन प्रदान करना, समस्या समाधान अथवा अन्तरवैयक्तिक परिवर्तन के प्रयासों में सेवार्थी को सम्मिलित करना, तथा सामाजिक परिस्थितियों और/अथवा व्यक्तियों के बीच संघर्षों अथवा असमानताओं को दूर करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष रणनीतियों द्वारा सेवार्थी के साथ आमने–सामने तथा अप्रत्यक्ष रणनीतियों द्वारा सेवार्थी को सन्दर्भित सेवाओं द्वारा सहायता प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं।

22.3.7 सामर्थ्यदाता के रूप में

समाजिक कार्यकर्ता का कार्य न केवल एक सामर्थ्यदाता के रूप में सदस्यों के मार्गों में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, बल्कि एक व्यावसायिक कार्यकर्ता होने के कारण उसे सदस्यों में अपनी समस्याओ, आवश्यकताओं को जानने तथा उनसे मुकाबला करने की योग्यता का निर्माण करना भी है। इस प्रकार एक कुशल समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह का पूर्ण सहयोग लेकर सामर्थ्यदाता के रूप में वह निम्नलिखित कार्य करता है–

- **सेवार्थी समूह के असन्तोषों को केन्द्रित करना** :– एक सामर्थ्यदाता के रूप में समाज कार्यकर्ता का प्रथम कार्य सदस्यों में व्याप्त उनकी समस्याओं, असन्तोषों को जानना है। कभी–कभी समूह के सदस्य अपने असन्तोष को महसूस करते–करते उसे अपने जीवन का अंग मान लेते हैं। कुछ सदस्य अन्य लोगों के समक्ष अपने असन्तोषों को व्यक्त करने में अपना अपमान समझते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ता को लोगों को असन्तोष को व्यक्त करने का पूरा अवसर देना चाहिए तथा व्यक्त न करने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे समूह में अपने विचारों को रख सकें। व्याप्त असन्तोषों एवं सदस्यों की अपनी कार्य क्षमताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता को चाहिए कि वह सदस्यों को उनकी योग्यता एवं शक्ति का अनुभव कराये और कार्यक्रमों में उनकी भूमिका निभाने पर बल दे। उसे सदस्यों के प्रत्येक पक्ष को समझते हुए, उन्हें समूह के समक्ष व्यक्त करते हुए, उनमें आपसी सहयोग एवं सहायता से सामूहिक कल्याणकारी निर्णय लेने की योग्यता को विकास करना चाहिए।

- **संगठन को प्रोत्साहित करना** :– एक समुदाय में सदस्यों की अपनी जातिगत, धार्मिक, सामूहिक एवं वैचारिक भिन्नताओं के कारण वे न तो एक साथ एकत्रित होना चाहते हैं और न ही अपने–अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। कार्यकर्ता को इन बातों का ध्यान रखते हुए सदस्यों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सदस्यों में इस बारे में जो मतभेद हो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

- **अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना** :– समाजिक कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर सेवार्थी समूह के सदस्यों के विचारों एवं व्यवहारों से पूर्ण परिचित होता है। इसलिए आवश्यकतानुसार सदस्यों में एक साथ कार्य करने तथा अन्य सामूहिक बातों पर बल देने के साथ सदस्यों में अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्धों को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम सदस्यों में अपनी स्वीकृति/विश्वास प्राप्त करता है। धीरे–धीरे अपने विश्वास एवं स्वीकृति से सदस्यों में आपसी सम्बन्धों को विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने का प्रयास करता है। लोगों में सामूहिक भावना विकसित करने तथा सहकारिता स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता सदस्यों में व्याप्त आन्तरिक कुंठाओं एवं तनावों को जानना चाहता है तथा उन्हे दूर करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त वह समुदाय की वैमनस्यता, अन्तः समूह तनाव एवं वर्ग विभेद को पहचानने का प्रयास करता है। समयानुसार वह इनमें आवश्यक परिवर्तन स्थापित कर सदस्यों के अन्तर–वैयक्तिक सम्बन्धों को मधुर बनाने का प्रयत्न करता है।

- **सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल देना** :– समाज कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह सार्वजनिक उद्देश्यों पर बल दे। इसके लिए वह विभिन्न समूहों, जातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के सदस्यों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को सामने रखकर सार्वजनिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं का चुनाव करने में सदस्यों की मदद करता है। सदस्यों में समुदाय की सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने के पश्चात् कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं का श्रेणीकरण करने में उनकी सहायता करता है। इससे सदस्यों में सार्वजनिक आवश्यकताओं का चुनाव करने, उन पर सामूहिक विचार करने तथा उनकी पूर्ति के लिए योजना बनाने की योग्यता का विकास होता है।

22.3.8 सामाजिक सक्रियकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाजिक कार्यकर्ता विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए सेवार्थी समूह को प्रोत्साहित करता है, निर्देश देता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। समूह में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं और स्वतः कार्य करने का निर्णय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में समाज कार्यकर्ता एक सामाजिक सक्रियकर्ता की भूमिका को निभाते हुए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाता है और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित कार्यों में यदि किसी प्रकार का सुधार व परिवर्तन होना होता है तो उसे सक्रिय कार्यकर्ता परिवर्तित करने का प्रयास करता है। सक्रियकर्ता समग्र रूप से अपनी भूमिका के द्वारा प्रारम्भिक चरण नियोजन से लेकर अन्त मूल्यांकन तक की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह की सहभागिता को, विशेषकर सामाजिक मुद्दों व सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में, सुनिश्चित करता है।

एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में सफल सिद्ध हो सकता है जहां अधिकाधिक जनसंख्या अन्याय एवं पक्षपात का शिकार हो रही हो। वैसे समाज कार्यकर्ता की भूमिका विवादास्पद है लेकिन ऐसे क्षेत्र में कार्यकर्ता सदस्यों की सहायता करता है जिससे सेवार्थी समूह की पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन कर एक कल्याणकारी एवं न्यायिक सामाजिक ढांचे का निर्माण कर सकें। सक्रिय कार्यकर्ता के इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता पर बल देते हुए मोरिस और रेइन ने कहा है कि यदि सक्रिय कार्यकर्ता को सामुदायिक विकास की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभानी है तो पूर्णरूपेण उदासीन नहीं रहा जा सकता है। इसी प्रकार पानिक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में विशेषकर समाज कार्यकर्ता की भूमिका एक न्यायिक घटना के समान है। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- सेवार्थी समूह में एक प्रेरक की भूमिका को निभाना।
- प्रगतिशील कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को विशेषकर सेवार्थी समूह को लगातार प्रोत्साहित करना।
- लक्ष्यों की प्राप्ति में सेवार्थी समूह की सहभागिता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।

22.3.9 अधिवक्ता के रूप में

समाजिक कार्यकर्ता, एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में सेवार्थी समूह के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उनका पक्ष लेता है। विभिन्न जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष सेवार्थियों के पक्ष में उजागर करता है और उन पर किये एक गये अन्याय की आलोचना करता है। समाज कार्यकर्ता उन संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों के दुराग्रहों एवं एकतरफा बातों को चुनौती देता है जिनके कारण सेवार्थी समूह अन्याय का शिकार बने होते हैं। वह अपने ज्ञान एवं सामुदायिक शक्तियों से संस्थाओं एवं संगठनों की उन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और तौर–तरिकों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जो सामाजिक न्याय एवं विकास के लिए बाधक है। समाज कार्यकर्ता का उद्देश्य एक अधिवक्ता के रूप में किसी संस्था की पद्धति की बुराई करना नहीं है बल्कि आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार लाना है।

वकालत करना समाज कार्य का मुख्य आधार है जो कि आचार संहिता द्वारा संचालित होती है। वकालत एक या एक से अधिक व्यक्तियों, समूहों, शामिल अथवा समुदायों की ओर प्रत्यक्ष रूप से बचाव करना, आलम्बन देना अथवा सिफारिश करने की क्रिया का एक माध्यम तथा साथ में सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति अथवा संरक्षित करने का तरीका है। समाज कार्यकर्ता वकालत की विभिन्न विधियो के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह के आत्मनिर्धारण एवं सहभागिता के सिद्धान्त का अधिकतम उपयोग करते हुए संतुलन बनाने का प्रयास करता है और यह भी प्रयास करता है कि सेवार्थी समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की वकालत स्वतः कर सके। एक समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह की विशेषताओं का चयन करते हुए उचित देखभाल करता है तथा नकारात्मकता के विरूद्ध अथवा सम्पूर्ण अपेक्षित क्रियाओं के प्रति तैयार करता है। एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है :–

- **सेवार्थी समूह अथवा वैयक्तिक वकालत** :–इस प्रकार की वकालत में यह देखा जाता है कि सेवार्थी समूह सेवाओं अथवा संसाधनों को प्राप्त करने योग्य है, अथवा प्राप्त किया है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्र किया जाता है तथा यह निर्धारित किया जाता है कि वह आवश्यक सेवाओं के लिए योग्य है। यह प्रक्रिया सेवार्थी को अपील करने में सहायता प्रदान करती है और अन्य स्थिति में यदि आवश्यकता पड़ती है तो सेवा प्रदान करने वाले अथवा संस्था के विरूद्ध आन्दोलन की कार्यवाही की जाती है।

- **वर्ग वकालतः**– इस प्रकार के कार्य में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी के समूहों अथवा जनसंख्या के एक भाग जिनकी सामान्य समस्या है, को सेवाएं प्रदान की जाती है। विशेष रूप से लोगों के समूहों को सेवाओ से प्राप्त होने वाले लाभों अथवा नागरिक अधिकारों से प्राप्त होने वाले लाभों में आने वाली बाधाओं अथवा रूकावटों को दूर करने में वर्ग वकालत के द्वारा कार्य किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के प्रयासों का उद्देश्य संस्था के नियमों, सामाजिक नीतियों, कानूनों इत्यादि में परिवर्तन लाना होता है।

22.3.10 शिक्षक के रूप में

समाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी अथवा सेवार्थी समूह के जीवन से सम्बन्धित समस्याओं को समझने अथवा उनके जीवन में आने वाली या उत्पन्न होने वाली समस्याओं/संकट की रोकथाम में शिक्षा प्रदान करता है। जिसका मुख्य उद्देश्य सेवार्थी समूह को सशक्त करना है। शिक्षक की भूमिका में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह को यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार परिस्थितियों को स्वीकार किया जाये। जो परिस्थितियां लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, को समझने के लिए सूचनाएं, योग्य सलाह, सम्भावित विकल्पों की व्याख्या और उसके प्रभाव को जानने में सेवार्थी समूह की सहायता करता है तथा उसके जीवन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध कराता है जिससे कि वह उचित निर्णय ले सके।

समाजिक कार्य अभ्यास का आधारभूत उद्देश्य है कि सेवार्थी के अकार्यात्मक व्यवहार को परिवर्तित करे और सामाजिक अन्तक्रिया के विभिन्न पक्षों को प्रभावशाली रूप से सीखे। इस प्रक्रिया के द्वारा सेवार्थी समाज के प्रतिमानों, कानूनों अथवा नियमों, सामाजिक निपुणता का विकास, कार्यात्मक भूमिका को सीखना, तथा अपने व्यवहार के प्रति अन्तर्दृष्टि को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी की सहायता साक्षात्कार द्वारा अथवा संरचित शैक्षिक

क्रियाओं यथा कार्यशाला द्वारा की जाती है। एक शिक्षक के रूप में समाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है :–

- **सामाजिक और दैनिक जीवन जीने की कला** :– शिक्षक, सेवार्थी के कौशल का उपयोग संघर्ष समाधान, मुद्रा प्रबन्धन, जन यातायात के उपयोग, जीवन के नये आयाम के साथ समायोजन, वैयक्तिक देखभाल एवं स्वच्छता, प्रभावी संचार इत्यादि इस क्रिया के उदाहरण हैं, जहां पर समाज कार्यकर्ता के रूप में नियमित रूप से कार्य करते रहते हैं।

- **व्यवहार परिवर्तन में सहायता करना** :– समाजिक कार्यकर्ता संकेतात्मक अभिगम का प्रयोग करते हुए यथा भूमिका प्रतिपादन, मूल्यों का स्पष्टीकरण, व्यवहार आशोधन के द्वारा सेवार्थी के अन्तरावैयक्तिक एवं अन्तरवैयक्तिक व्यवहार को प्रभावी बनाता है।

- **प्रारम्भिक रोकथाम** :– ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये जो स्पष्ट होता है कि समाज कार्य व्यवसाय मानवीय समस्याओं एवं उससे सम्बन्धित लोगों की स्थिति से सम्बन्धित रहा है। वर्तमान में समाज कार्यकर्ता ने प्राथमिक रोकथाम की ओर अत्यधिक ध्यान दिया है। समस्याओं के विकास की रोकथाम कई स्थानों पर निरोधात्मक प्रयासों के द्वारा समाज कार्यकर्ता ने एक शिक्षक यहां तक की एक जन शिक्षककर्ता की भूमिका का प्रतिपादन कर रहा है। उदाहरण के रूप में सामाजिक मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना।

22.3.11 मध्यस्थकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह की सहायता के लिए समाज कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति होता है जो सेवार्थी सेवार्थी तथा सामुदायिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता करता है। एक मध्यस्थता की स्थिति में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की आवश्यकताओं, उसके प्रेरणाओं का आंकलन तथा विभिन्न संसाधनों को उपयोग करने की क्षमता तथा संसाधनों को प्राप्त करने में सेवार्थी समूह की सहायता करता है।

मानवीय सेवाओं के एक मध्यस्थकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। प्रत्येक की शक्ति एवं सीमाओं का आंकलन करता है तथा संसाधनों के आंकलन करने की प्रक्रिया को समझता है। समाजिक कार्यकर्ता सामाजिक मुद्दों, सामाजिक विधानों, सामाजिक नीतियों के विषय में सेवार्थी समूह को बताता है तथा सामूहिक अन्तःक्रिया द्वारा उसकी उपयोगिता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। एक मध्यस्थकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी स्थिति का आंकलन** :– मध्यस्थता के प्रथम चरण में सेवार्थी समूह की योग्यता और आवश्यकताओं का सही रूप से आंकलन करते हुए वृहत् स्तर पर समझने का प्रयास करता है। एक निपुण मध्यस्थकर्ता सेवार्थी की स्वैच्छिक वादिता, संस्कृति, बोलने की क्षमता, सांवेगिक स्थिरता, बौद्धिकता तथा परिवर्तन के लिए कटिबद्धता इत्यादि कारकों आंकलन करने में निपुण होता है।

- **संसाधनों का आंकलन** :– एक समाजिक कार्यकर्ता उन विभिन्न संसाधनों का पता लगाने का प्रयास करता है जिससे सेवार्थी समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अपनी संस्था जिससे वह सम्बद्ध है अथवा अन्य सामुदायिक संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं यथा सेवा की गुणवत्ता, सेवाओं के प्रकार, सेवाओं की लागत, सेवा को प्राप्त करने की योग्यता, इत्यादि के प्रति जागरूक होता है। अतिरिक्त रूप में समाज कार्यकर्ता संसाधनों को उपयोग में लाने वाले उचित मार्ग के विषय में भलीभांति परिचित होता है।

- **संदर्भ सेवाएं** :– सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में आवश्यक संसाधनों से सेवार्थी का सम्पर्क स्थापित होने की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी की योग्यता एवं प्रेरणा के अनुसार यह निर्णय करता है कि सेवार्थी समूह इच्छानुसार किन सेवाओं को स्वीकार करेगा अथवा नहीं। इस निर्णय के आधार पर समाज कार्यकर्ता सन्दर्भ प्रक्रियाओं से ज्यादा से ज्यादा अथवा न्यूनतम स्तर पर सक्रिय होता है। समाज कार्यकर्ता इस बात की जांच करता अथवा परखता है कि सेवार्थी समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है या नहीं। ऐसी स्थिति में पुनः कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है।

- **सेवा व्यवस्था सम्बन्ध** :– मध्यस्थता की स्थिति में कार्यकर्ता सेवा वितरण व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर लगातार सेवार्थी से सम्बन्ध बनाये रखता है। समाज कार्यकर्ता संस्था, कार्यक्रम तथा सेवाओं एवं संचार के माध्यमों, सूचनाओं, संसाधनों को गतिमान करने, संस्था की योजनाओं में, सूचनाओं में सुदृढ़ता प्रदान करना तथा लगातार सम्पर्क बनाये रखता है।

- **सूचना प्रदान करना** :– समाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी समूह को लगातार सूचना प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त समाज कार्यकर्ता सामान्य जन सेवाओं के सेवार्थी की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सेवाओं के बीच जागरूकता स्थापित करता है।

22.3.12 प्रबन्धकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवार्थी समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समाजिक कार्यकर्ता एक प्रबन्धकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है। एक प्रबन्धकर्ता की भूमिका में समाज कार्यकर्ता का कार्य सेवार्थी समूह की सहायता के लिए आवश्यकताओं का पता लगाना, सफल जीवन में आने वाली बाधाओं के मार्गों का पता लगाना, सेवार्थी को सलाह देने के लिए योग्य सहायताकर्ता से सम्पर्क स्थापित करना, और सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना है। वास्तव में समाज कार्यकर्ता समस्याओं के समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता तथा सेवा योजना की सफलता का मूल्यांकन करता रहता है। एक कुशल प्रबन्धक के रूप में समाज कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह उद्देश्य के प्रति उन्मुख, क्रियाशील एवं सकारात्मक सोच वाला हो। एक प्रबन्धकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी की पहचान एवं परिचय** – इस कार्य में समाजिक कार्यकर्ता ऐसे लोगों का पता लगाता है जो कि सेवार्थी समूह के साथ जुड़ना चाहते है और उसकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। समाज कार्यकर्ता परिवर्तन की निर्देशित प्रक्रियाएं, जो कि सकारात्मक रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाता है और उसको उपयोग में लाता है।

- **सेवार्थी का आंकलन**–समाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सूचनाओं का संकलन करता है और सेवार्थी की आवश्यकताओं का आंकलन करता है, तथा संसाधनों का निरूपण करता है।

- **सेवा उपचार योजना का निर्माण करना** – समाज कार्यकर्ता का कार्य सेवार्थी तथा सेवाओ के मध्य समन्वय स्थापित करना, सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी को विभिन्न प्रकार के संसाधनों द्वारा सेवाएं प्रदान करना है। नियमित रूप से सेवार्थी तथा सेवा प्रदान करने वाले के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सेवाओं का सतत् मूल्यांकन करना तथा उसका अनुवर्तन प्राप्त करना है।

22.3.13 परिवर्तनकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता, सेवार्थी समूह विशेषकर व्यक्ति विशेष तथा उनके पर्यावरण, समूहों, समुदायों अथवा सामाजिक व्यवस्था में आवश्यकता परिवर्तन लाने हेतु सहयोग करता है। परिवर्तन कर्ता की भूमिका, समाज कार्यकर्ता की भूमिका को अन्य व्यवसायों से अलग करता है। जब कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है तो मानवीय सेवाओं की आवश्यकताओं तथा व्यक्ति के तनाव को कम करने की स्थिति को पहचानने की बेहतर स्थिति में होता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी को यह आश्वस्त करता है कि आवश्कताओं की पूर्ति हेतु संसाधन तथा सामाजिक समस्याओं की स्थिति में परिवर्तन लाने अथवा संसाधनों को अभिप्रेरित करने का उत्तरदायित्व उसका है। सामाजिक परिवर्तन आसान नहीं है तथा राजनैतिक परिवेश में यह कार्य करना अत्यधिक कठिन है। एक परिवर्तन कर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करता है:–

- सामाजिक समस्याओं अथवा नीतियों का विश्लेषण करना,

- सामुदायिक संसाधनों को गतिमान करना,

- सामाजिक संसाधनों को विकसित करना।

22.3.14 सुगमकर्ता के रूप में

समाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह की आवश्यकताओं को लोगों के समक्ष स्पष्ट करता है, समस्याओं को पहचानता है तथा उपयुक्त रणनीतियों की खोज करते हुए, हस्तक्षेप की रणनीतियों को लागू करता है। समाज कार्यकर्ता लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें इस योग्य बनाता है जिससे कि वे प्रभावी रूप से अपनी समस्याओं से निपट सके। एक सुगमकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह की सहायता करता है, उन्हें प्रोत्साहन देता है तथा समय–समय पर सुझाव प्रस्तुत करते हुए सेवार्थी समूह की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और उन्हें इस योग्य बनाता है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। सुगमकर्ता के रूप में कार्यकर्ता सेवार्थी समूह की सहायता करता है जिससे कि वे रणनीतियों, मनोबल तथा संसाधनों में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप आवश्यक रूप से परिवर्तन ला सके। एक सुगम कार्यकर्ता सेवार्थी–व्यवस्था की सहायता करता है जिससे कि इनके पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन हो सके।

22.3.15 विशेषज्ञ के रूप में

एक विशेषज्ञ के रूप में समाजिक कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह को सूचना, तकनीकी ज्ञान/अनुभव प्रणालियों के विषय में परामर्श इत्यादि उपलब्ध कराता है परन्तु वह स्वयं अपना मत सेवार्थी से मनवाने का प्रयास नहीं करता है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी आत्म चेतना पर नियंत्रण रखना पड़ता है। समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह को जागरूक करता है और शोध की प्रणालियों द्वारा लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। वह कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करता है और उसे सेवार्थी समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है। व्यावसायिक कार्यकर्ता अपने शिक्षण, प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव के कारण कार्य का एक विशेषज्ञ होता है। उसका पूर्ण सैद्धांतिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। इस प्रकार वह एक विशेषज्ञ के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है:–

- **सेवार्थी समूह की समस्याओं के निदान में सहायता करना** :– समाजिक कार्यकर्ता एक विशेषज्ञ के रूप में सेवार्थी समूह के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। उत्पन्न समस्याओ एवं बाधाओं की जानकारी के साथ–साथ अपने विशेष अध्ययन द्वारा समस्याओं को उत्पन्न एवं विकसित करने वाले कारकों का पता लगाता है। उनसे सदस्यों को अवगत कराता है और सामूहिक रूप से उन पर विचार विमर्श करता है। इसे ध्यान में रखकर सदस्यगण समस्या निवारण के लिए योजना बनाने एवं कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होते हैं। धीरे–धीरे कार्यकर्ता सदस्यों में समस्याओं का निदान करने की योग्यता का विकास करता है जिससे भविष्य में उत्पन्न समस्याओं का वे स्वयं निदान कर सकें।

- **सेवार्थी समूह में अनुसंधान की निपुणता को विकसित करना** :– समाजिक कार्यकर्ता, एक विशेषज्ञ के रूप में, सदस्यों में स्वयं अध्ययन कार्य करने तथा अध्ययन नीति तैयार करने की योग्यता का विकास करता है। इसके लिए सर्वप्रथम कार्यकर्ता उन्हें अध्ययन की आवश्यकता महसूस कराता है। सेवार्थी समूह व सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया की स्थिति को जानने के लिए उन्हें सूचना एकत्रीकरण की विभिन्न विधियों जैसे अवलोकन व साक्षात्कार आदि से अवगत कराकर उनमें अध्ययन करने की योग्यता का विकास करता है।

- **अन्य सेवार्थी समूह की सूचनाओं को उपलब्ध कराना** :– समाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सेवार्थी समूह सदस्यों में दक्षता एवं कर्मठता का विकास करने के लिए अपने व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर अन्य सेवार्थी समूह के सदस्यों में व्याप्त सामुदायिक जागरूकता, कार्यकुशलता एवं उनकी उपलब्धियों का उदाहरण प्रस्तुत कर, उनके द्वारा अपनायी गयी प्रविधियों को अपनाने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है जिससे उनमें व्याप्त क्षमताओं एवं ज्ञान का प्रयोग वे सामाजिक क्रिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं विकास कार्य में कर सकें।

- **विचार–विमर्श, विधियों का उपयोग करने एवं प्रजातांत्रिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास** :– सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता विशेषज्ञ के रूप में सदस्यों में संगठित होकर सामाजिक समस्याओं पर विचार–विमर्श करने, समस्या को दूर करने के लिए कार्यक्रम का चयन करने तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन जैसी विभिन्न उपयोगी विधियों एवं कला के ज्ञान से लोगों को अवगत कराता है। इसके लिए कार्यकर्ता विभिन्न भागों में निवास करने वाले योग्य व अनुभवी सदस्यों को सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में शामिल करने, आचार–संहिता के अनुसार व्यवहार

करने, कल्याणकारी योजना बनाने, प्रजातांत्रिक निर्णय लेने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों का ज्ञानवर्धन करता है। इससे लोगों में संगठित होकर लक्ष्य प्राप्त करने की योग्यता का विकास होता है।

+ **मूल्यांकन करना :–** समाजिक कार्यकर्ता अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर लोगों द्वारा लिये गये सामूहिक निर्णयों एवं संचालित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षों से लोगों को अवगत कराता है। कार्यक्रम पर पुनर्विचार एवं परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देता है। इसके फलस्वरूप लोगों में कार्यक्रमों एवं निर्धारित लक्ष्यों के बीच तुलना करने तथा आवश्यक परिवर्तन लाने की योग्यता का विकास होता है।

22.3.16 प्रेरक कार्यकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता एक प्रेरक कर्ता की भूमिका को निभाता है। समुदाय की समस्या और आवश्यकता को समाधान स्तर तक पहुंचने में सदस्यों को प्रेरित करता है। जिससे कि सेवार्थी समूह सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सके। समाजिक कार्यकर्ता समुदाय को सूक्ष्म कार्य के अवसर प्रदान करते हुए उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में प्रोत्साहित करता है जिससे कि वह भविष्य में अन्य कठिन कार्य को कर सके। इस प्रक्रिया में जब लोगों के द्वारा पहल नहीं की जाती है तो समाज कार्यकर्ता लोगों को प्रेरित करते हुए स्थिति का अवलोकन व विश्लेषण करते हुए उसे समझता है तथा लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है। जब समुदाय के लोग हतोत्साहित होते है और लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं अथवा लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो समाज कार्यकर्ता एक प्रेरक कर्ता की भूमिका को निभाते हुए अपने लगातार प्रयासों के द्वारा मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करता है।

22.3.17 उत्प्रेरक कार्यकर्ता के रूप में

सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता एक उत्प्रेरक की भूमिका को निभाता है। उत्प्रेरक कर्ता के रुप में वह समुदाय में अपनी पहचान को बनाये रखता है और लोगों को सशक्त करता रहता है। इस प्रक्रिया से लोगों में संसाधनों का उपयोग करने, उस पर नियंत्रण करने तथा निर्णय करने की निपुणता का विकास होता है। समाज कार्यकर्ता क्रिया तथा प्रतिक्रिया पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लोगों को इस योग्य बनाता है जिससे कि वे आवश्यक परिणामों को प्राप्त कर सके। एक उत्प्रेरक की भूमिका में कार्यकर्ता लोगों को इस योग्य बनाता है जिससे उनमें प्रत्येक स्तर पर पहल करने की क्षमता विकसित हो सके। उत्प्रेरक की भूमिका के द्वारा ही कार्यकर्ता लोगों में आत्मनिर्भरता तथा विशेषज्ञता के गुण को विकसित करता है। जिससे कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।

22.4 सारांश

सारांश में, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता सेवार्थी समूह को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है। सामाजिक समूह के असंतोषों को केन्द्रित करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार समाज कार्यकर्ता सामाजिक क्रिया की विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने अथवा

उत्पन्न विपरित परिस्थितियों को रोकने में जनसमुदाय को एकत्रित करता है तथा उन्हें गतिशील करते हुए यह प्रयास करता है कि सामाजिक व्यवस्था की आर्थिक सामाजिक संस्थाओं में वांछित परिवर्तन लाया जा सके और उसे बेहतर बनाया जा सके।

22.5 शब्दावली

समाज कार्यकर्ता — समाजिक कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य लोगों की सहायता करना जिससे कि वे सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। समाज कार्यकर्ता व्यावसायिक रूप में कार्य करता है और समूह में आत्मनिर्भरता तथा आत्मनिर्देशन का विकास करता है। जिससे कि व्यक्ति अथवा समूह स्वयं निर्णय कर सके और अपने संसधानों को गतिमान कर सके। समाज कार्यकर्ता वास्तव में एक सहायता देने वाला व्यक्ति है जो कि सेवार्थी की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है।

शोध कार्यकर्ता — समाज कार्य शोध के द्वारा समाज कार्यकर्ता सामाजिक समस्या के विषय में गहन अध्ययन करता है तथा कारकों का पता लगाने का प्रयास करता है जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। शोध के द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है।

अधिवक्ता के रूप में — समाजिक कार्यकर्ता, एक वकालत कर्ता अथवा अधिवक्ता के रूप में सेवार्थी समूह के सदस्यों की सहायता के लिए उनकी आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उनका पक्ष लेता है। विभिन्न जिम्मेदार संस्थाओं एवं संगठनों के समक्ष सेवार्थियों के पक्ष में उजागर करता है और उन पर किये एक गये अन्याय की आलोचना करता है।

प्रबन्धकर्ता के रूप में — सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेवार्थी समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समाज कार्यकर्ता एक प्रबन्धकर्ता की भूमिका का निर्वहन करता है। एक प्रबन्धकर्ता की भूमिका में समाज कार्यकर्ता का कार्य सेवार्थी समूह की सहायता के लिए आवश्यकताओं का पता लगाना, सफल जीवन में आने वाली बाधाओं के मार्गों का पता लगाना, सेवार्थी को सलाह देने के लिए योग्य सहायताकर्ता से सम्पर्क स्थापित करना, और सेवार्थी को प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराना है।

22.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- मिश्र, पी.डी., सामाजिक समूह कार्य, उत्तर प्रदेष हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1992।
- सिंह, ए.एन., सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, 1990।
- अहमद, एम.आर., समाज कार्य–दर्षन एवं प्रणालियां, साइनिंग प्रेस, लखनऊ, 2004।
- सूदन, के.एस., समाज कार्य–सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन.एस. पब्लिकेषन्स, लखनऊ, 2011।
- आर्थर हिलमैन, कम्युनिटी आर्गेनाइजेशन एण्ड प्लानिंग, द मैकमिलन कम्पनी, न्यूयॉर्क 1957।
- रॉस, एम.जी. क्म्युनिटी आर्गेनाइजेशन; थ्योरी एण्ड प्रिंसिपल्स, हार्पर एण्ड ब्रदर्स पब्लिशर्स, न्यूयॉर्क, 1955।
- चौधरी, डी.पाल, इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, दिल्ली आत्माराम एण्ड सन्स, 1992।
- मूर्थी, एम.वी. सोशल एक्शन, बाम्बे : एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1996।
- सिंह, सुरेन्द्र, सोशल एक्शन इन होराइजन ऑफ सोशल वर्क (एडिटेड), सिंह सुरेन्द्र एवं सूदन के. एस. ज्योत्सना पब्लिकेशन, लखनऊ, 1986।
- शेफर, बी. डब्ल्यू एवं होरेज्सी, सी. जे., टेकनीक्स एण्ड गाइडलाइन्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस्, नई दिल्ली : पी.एच.आइ. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2011

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. समाज कार्यकर्ता की विशेषताओं एवं निपुणताओं को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. समाज कार्यकर्ता की भूमिका के पक्षों को बताइये।

.....

.....

.....

.....

3. सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता के उद्देश्यों को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की प्रबन्धकर्ता के रूप में भूमिका को बताइये।

.....

.....

.....

.....

5. सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की शोधकर्ता के रूप में भूमिका को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

6. सामाजिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की अधिवक्ता के रूप में भूमिका को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

22.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. उपभाग 22.2.1 देखे।
2. उपभाग 22.2.2 देखे।
3. उपभाग 22.2.3 देखे।
4. उपभाग 22.3.12 देखे।
5. उपभाग 22.3.5 देखे।
6. उपभाग 22.3.9 देखे।

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश
राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

MSW-111

समाज कार्य

खण्ड

6

सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ

इकाई 23
सामाजिक क्रिया की विधियाँ 318

इकाई 24
सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ 329

इकाई 25
सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक दबाव 339

इकाई 26
सामाजिक क्रिया एवं विभिन्न नेटवर्क 349

इकाई 27
सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबन्ध 358

इकाई 28
जनसमुदाय प्रबन्ध की सीमाएँ 375

इकाई 29
सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन 387

इकाई 30
सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था 393

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रो० एम०पी० दुबे	:	कुलपति–अध्यक्ष

विशेषज्ञ समिति

डॉ० एम० एन० सिंह	:	पूर्व निदेशक समाज–विज्ञान विद्याशाखा, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो० ए०एन० सिंह	:	विभागाध्यक्ष, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो० एस० त्रिपाठी	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस
प्रो० अरविन्द जोशी	:	समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ० अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परिमापक

प्रो० ए० एन० सिंह	:	समाज कार्य विभाग, काशी विद्यापीठ महात्मागांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सम्पादक

लेखक

डॉ० अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ० राकेश द्विवेदी	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
प्रो० ए० बी० सिंह	:	अवकाश प्राप्त, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
डॉ० अनूप भारतीय	:	समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

समन्वयक

डॉ० अलका वर्मा	:	समाज कार्य विभाग, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रकाशक

प्रो० (डॉ०) जी०एस० शुक्ल	:	कुलसचिव, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रस्तुत पाठ्यसामग्री में विषय से सम्बन्धित सभी तथ्य एवं विचार मौलिक रूप से लेखक के द्वारा स्वयं उपलब्ध करायी गयी है विश्वविद्यालय इस सामग्री के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्य–सामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना, मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

खण्ड 6 का परिचय

सामाजिक क्रिया की रणनीतियाँ

खण्ड छः को कुल आठ इकाइयों में बाँटा गया है। इस खण्ड की पहली इकाई सामाजिक क्रिया की विधियों पर आधारित है इसके अन्तर्गत सामाजिक क्रिया के क्रम, विधियाँ प्रभावित करने वाले तत्वों को वर्णित किया गया है। इस खण्ड की दूसरी इकाई सामाजिक क्रिया की रणनीति, बहुकार्य, विधायीकरण रणनीति, नाटकीकरण आदि रणनीतियों पर चर्चा की गयी है। इस खण्ड की तीसरी इकाई सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक दबाव पर आधारित है। इस इकाई में विभिन्न सामाजिक दबाव समूहों का, दलित वर्ग, कृषक वर्ग, व्यवसायिक वर्ग आदि का वर्णन किया गया है। इस खण्ड की चौथी इकाई सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक नेटवर्क पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक क्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न नेटवर्कों का वर्णन किया गया है। इस खण्ड की पॉचवी इकाई सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय में प्रबन्ध पर आधारित है। इस इकाई में सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाव में प्रबन्ध के बीच अन्तसम्बन्ध, ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, सामाजिक वंचना, वास्तविक स्वरूप आदि पर विस्तृत चर्चा की गयी है। इस खण्ड की छठी इकाई जनसमुदाय प्रबन्ध की सीमाओं पर आधारित है इस खण्ड की सातवीं इकाई सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन से सम्बन्धित है इस खण्ड की आठवी इकाई सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था पर आधारित है इसके अन्तर्गत कानून व्यवस्था स्रोत, महत्व आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

इकाई – 23 सामाजिक किया की विधियां

इकाई की रूपरेखा

23.0 उद्देश्य

23.1 प्रस्तावना

23.2 सामाजिक किया के कम

23.3 सामाजिक किया की विधियां

23.4 सामाजिक किया को प्रभावित करने वाले तत्व

23.5 सारांश

23.6 बोध प्रश्न

23.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

23.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

23.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप–

- समाजिक किया के महत्व को समझ सकेगें।
- सामाजिक किया द्वारा सामाजिक सुधार को समझ सकेंगे।
- सामाजिक किया कि विधियों को समझ सकेंगे।
- सामाजिक किया की विधियों के संचालन को समझ सकेंगे।
- सामाजिक समस्याओं के निराकरण एवं सुधार के लिये कौन सी सामाजिक किया उपयोगी हो सकती है, का निर्धारण कर सकेंगें।

23.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया मानव समाज के विकास की प्रक्रिया का एक अंग रही है। सामाजिक न्याय और मानव अधिकार प्राप्त करने के लिये लोगों के पास सामाजिक किया अत्यन्त शक्तिशाली साधन है हमारे देश के सामाजिक किया को व्यवहारिक रूप देने वाले पहले व्यक्ति गांधी जी थे। समाज सुधारक,सार्वजनिक कार्यकर्ता,राजनीतिक कार्यकर्ता किसी न किसी प्रकार से सामाजिक किया आन्दोलनों से जुड़े रहे। उन सभी के लिये जो लोगों को शाक्तिशाली बनाने के इच्छुक है यह इकाई बहुत ही उपयोगी होगी।

23.2 समाजिक किया के कम

समाजिक किया एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से परिवर्तन व सुधार के लिये सामाजिक दबाव बनाने का कार्य किया जाता है। यह किया एक निर्धारित कम में आयोजित की जाती है जो निम्नलिखित है।

1. समस्या का पता लगाना इसको पहचानना इसके बारे में सूचना एकत्र करना और यह मालूम करना कि इसका समस्या प्रमुख प्रवर्तक कौन है उनकी क्या भूमिका है,उनका क्या स्वार्थ है और इससे उन्हें क्या लाभ होता है।

2. सामाजिक किया के कम में की जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करना।

3. सामाजिक किया में होने वाली अनुमानित व्यय पर विचार करना तथा उसकी तैयारी करना।

4. अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरीकों का प्रयोग करने के लिये समर्थन जुटाना।

5. प्रभावशाली लोगों का शक्ति, व शक्ति के केन्द्र का पता लगाना

6. संघर्ष पक्ष के प्रचार लिये टीम को तैयार करना एवं नेतृत्व प्रदान करना।

7. कार्यनीति निर्धारित करना,सुविचारित योजना तैयार करना जिसमें कौन कौन सी कार्यवाही की जानी हैं? तय करना एवं उसे टीम के नेतृत्वकर्ता को सौंपना।

8. संचार के माध्यमों का चुनाव करना एवं इसका कब कैसे उपयोग करना है निर्धारित करना?

9. सामाजिक किया आन्दोलन सम्बन्धी नीति निर्माण के केन्द्र को निर्धारित करना,अर्थात एक केन्द्र की स्थापना करना जहां से सारी गतिविधियों का संचालन किया जा सके।

10. सामाजिक किया का कियान्वयन करना।

11. कार्यनीति के कियान्वयन की समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना तथा वैकल्पिक योजनायें तैयार करना।

12. विरोधी व्यक्तियों पर दबाव बनाये रखना।

इस प्रकार इस सम्पूर्ण कम को हम चार भागों में बांट सकते है जो सामाजिक किया के लिये आवश्यक हैं।

- जागरूकता पैदा करना
- लोगों को संगठित करना

- कार्यनीति विकसित करना
- कार्यवाही करना

23.3 सामाजिक किया की विधियां

समाज कार्य में सामाजिक किया पद्धति को प्रभावी बनाने के लिये अनके किया विधियो का उपयोग किया जाता है। इनमें मुख्य किया विधियों निम्न प्रकार है।

1. अनुसंधान

अनुसंधान द्वारा समस्या की वास्तविक स्थिति उसके प्रभाव परिणाम लोगों का नजरियां इत्यादि का कमबद्ध योजनाबद्ध, एवं वैज्ञानिक तरीके से पता लगाने का प्रयास किया जाता है।

अनुसंधान सामाजिक किया की एक सहायक प्रणाली है इस विधि द्वारा समस्याओं का उत्तर या समाधान ढूढंने के लिये वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।

समाजिक किया में सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र

समाजिक बुराईयों, सामाजिक शोषण, सामाजिक विकास हेतु सरकार द्वारा अनेकों कार्यकम परियोजनायें संचालित की जा रही है। इन कार्यकमों की उपयोगिता क्या है। परिणाम आवश्यकता मूल्यांकन कार्यकम पर लोगों की समझ एवं नजरिया इन सब की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु अनुसंधान विधि को उपयोग में लाया जाता है। वास्तविक स्थिति ज्ञात होने के उपरान्त सामाजिक किया की रणनीतियां अपनायी जाती है।

- **सामाजिक जीवन एवं घटनायें**

लोगों के जीवन स्तर जीवन की आवश्यकतायें आपसी सामाजिक सम्बन्ध, सम्बन्धों के बीच समस्यायें, संघर्ष समाधान के रास्ते, सम्बन्ध विच्छेद ,सामाजिक घटनायें, रूढ़ियां, परम्परायें विषयों पर जानकारी एकत्र करने का माध्यम अनुसंधान है और जानकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त इन समस्याओं को दूर करने के लिये जो गतिविधियां अपनायी जाती है। वो सामाजिक किया कहलाती है।

- **सामाजिक योजनाओं एवं नीति निर्माण**

समाज के विकास के लिये एवं सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने के लिये कुछ नीतियां बनायी जाती है एवं नीतियों को बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इन नीतियों के निर्माण एवं नीतियों से सम्बन्धी लागू योजनाओं को पूर्ण कराये जाने से पूर्व लोगों की आवश्यकता, राय को जानने के लिये अनुसंधान कराये जाते है, तत्पश्चात नीतियों व योजनाओं को निर्माण एवं कियानवयन कराये जाने हेतु सामाजिक कियाओं के माध्यम से सरकार दबाव बनाया जाता है।

2. जनमत

समाजिक जीवन में अनेक ऐसे विषय होते है, जिन्हें सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सामूहिक विषय यदि ऐसे होते है जिनसे कि समाज के सदस्यों के किसी उद्देश्य या उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है तो अधिकाधिक सदस्य उनमें रूचि लेते है,और अपने अपने मत व्यक्त करते है। अतः आरम्भ में एक ही विषय के सम्बन्ध में अनेक मत प्रकट होते है और प्रायः इनमें आपस में विरोध भी होता है, पर सामाजिक अन्तःक्रियाओं, विचारों के आदान प्रदान, समालोचना आदि क्रियाओं के दौरान उन विषयों से सम्बन्धित मत अधिक स्पष्ट समन्वित व सुस्थिर हो जाते है। यह एक ऐसा मत या मतों का संयुक्त रूप होता है जिसे जनता अपना मानती है या अपना कह कर स्वीकार करती है इसे ही जनमत कहते है।

समाजिक क्रिया सामूहिक सहयोग से ही सम्पन्न की जा सकती है और किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रिया के लिये जनमत की अत्यंत भूमिका है। जनमत के आभाव में सामाजिक क्रिया सम्भव नहीं।

जनमत निर्माण की प्रक्रिया बहुत जटित होती है साधारणतया इसका आरम्भ वार्तालाप किसी विचारक द्वारा अपने किसी लेख में दिये गये सुझाव से होता है। जनमत निर्माण हेतु किसी समस्या या विषय पर एक जैसी रूचि रखने वालों के साथ बातचीत की जाती है। एवं एकमत तैयार किया जाता है। इसके पश्चात कुछ विशेषज्ञ तय किये जाते है। विशेषज्ञों के माध्यम से समस्या की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जाता है। राजनैतिक विचारक या विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता,पत्रकार तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता घटनाओं के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते है। उस मत को सारे समाज में जनता तक फैलाने के लिये इश्तहारों, पुस्तकों, समाचार पत्रों पत्रिकाओं, रेडियों, सिनेमा आदि की सहायता ली जाती है और इन सारे माध्यमों का प्रयोग करके समस्या के विषय में जनमत तैयार किया जाता है।

जनमत तैयार करने हेतु प्रभावकारी साधन

(1) प्रेस और समाचार

जनमत निर्माण के साधनों में प्रेस का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेस द्वारा ही इश्तहार,पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकें आदि छापी जाती है जिनके द्वारा सामान्य तथा विशिष्ट सूचनायें जनता को प्राप्त होती है इश्तहारों के द्वारा विशेष समस्या के प्रति हर आम व खास जनता का ध्यान सरलता से आकर्षित किया जा सकता है और उन समस्याओं से सम्बन्धित समाधानों से भी उनको अवगत कराया जा सकता है।

(2) टेलीफोन तथा टेलीग्राफ

टेलीफोन और टेलीग्राफ दोनों ही संदेश वाहन के साधन है। इनके द्वारा समाचार कुछ ही मिनटों में देश विदेश के कोने में पहुंचाये जा सकते है। इसके द्वारा विचारों का आदान एवं प्रदान दोनों ही सम्भव हो जाता है जो जनमत बनाने में प्रभावी होता है

(3) रेडियो व टेलीविजन

आधुनिक युग में रेडियो एवं टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका है।इसकी विशेषता यह है कि पल भर में सूचनायें समाचार एवं संदेश प्रसारित किये जा सकते है और इसके

लिये शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है क्यों की समाचार पत्रों का प्रयोग केवल शिक्षित लोग ही कर सकते है टेलीविजन के माध्यम से समस्या को एवं उसके स्वरूप को न सिर्फ सुनाया जा सकता बल्कि दिखाया भी जा सकता है किसी समस्या के प्रभाव को पढ़ने एवं सुनने से ज्यादा प्रभाव देखने से होता है अतःयह दोनों ही साधन जनमत निर्माण के लिये बहुत ही प्रभावकारी साधन है।

(4) सार्वजनिक भाशण

जनमत के निर्माण तथा संगठन में सार्वजनिक सभाओं में दिये गये भाषणों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हैं सार्वजनिक द्वारा निरक्षर जनता को भी सार्वजनिक जीवन की समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है। सार्वजनिक सभाओं में सार्वजनिक हित के प्रश्न उठाये जाते है और वाद विवाद के माध्यम से उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। इस सन्दर्भ में जनता की असुविधाओं का वर्णन करते हुये सरकार के कार्यों की आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक भाषण सामाजिक राजनैतिक शिक्षण का एक साधन बन जाता है एवं भाषण के प्रभाव से वक्ता जनता में एक ऐसी सबल भावना भी जगा सकता है जो आगे चलकर जनमत का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है।

(5) शैक्षणिक संस्थायें

जनमत के निर्माण एवं संगठन में इनका स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण संस्थाओं में प्रचरित विचारों एवं आदर्शों का विद्यार्थी के चरित्र तथा भावी सामाजिक जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। ये संस्थायें विद्यार्थियों में नागरिक जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। ये संस्थायें विद्यार्थियों में नागरिक चेतना जागृत करती है और नागरिकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है जिससे वे न्याय एवं देशहित के लिये अपना स्वस्थ मत रखते है जो आगे चलकर किसी न किसी सामाजिक न्याय में जनमत का काम करते है।

(6) धार्मिक संस्थायें

धर्म का हमारे भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है धर्म एवं धार्मिक संस्थाये एक ऐसा माध्यम है जिसका सहयोग लेकर किसी भी सामाजिक न्याय से सम्बन्धित समस्या को जोड़कर जनमत तैयार किया जा सकता है।

समाजिक किया, जनमत के आभाव में सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं की जा सकती और उपरोक्त साधनों का प्रयोग करके जनमत तैयार किया जा सकता है।

3. गोष्ठी एवं सेमिनार

गोष्ठी एवं सेमिनार में कुछ विशेषज्ञों द्वारा किसी समस्या पर विचार प्रस्तुत किये जाते है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है समस्या का विश्लेषण किया जाता है। समस्या पर सूचनायें एवं अनुसंधान के आंकडे प्रस्तुत किये जाते है और इन सारी प्रकियाओं के माध्यम से एक सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है जिससे एकमत तैयार किया जा सके।

एक मत तैयार हो जाने के पश्चात सामाजिक किया हेतु रणनीतियां तैयार की जाती है रणनीतियां तय किया जाता है कि कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग करके सरकार एवं जनता का ध्यान आकृष्ट किया जाये।

4. मीडिया

मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग सुनियोजित तरीके से अगर किया जाये तो भारी मात्रा में जनमत एकत्र किया सकता है सामाजिक किया हेतु मीडिया के प्रयोग हेतु निम्नलिखित रणनीतियां बनायी जा सकती है।

(1) समस्या विशेष पर सूचना व लेख प्रस्तुत करने वाले मीडिया लेखकों की सूची बना लेनी चाहिये, जिससे विषय विशेष पर रूचि व समझ रखने वाले मीडिया कर्मियों को अलग अलग श्रेणी बद्ध किया जा सके,आवश्यकता पड़ने पर समस्या का विषय देखते हुये उस विषय पर रूचि रखने वाले मीडियाकर्ता को जोड़ा जा सकें। उस विषय पर रूचि होने से मीडियाकर्ताओं का सहयोग आसानी से मिलता है एवं उनकी समस्या पर समझ बनाने में आसानी होती है।

(2) इसके पश्चात चयनित मीडिया कर्ताओं को अपनी संगोष्ठियों, बैठकों में सामाजिक किया से जुड़ी रणनीतियां बनाने की प्रकिया में आवश्यकतानुसार शामिल करना चाहिये।

(3) समस्या विशेष पर मीडिया की रूचि बनाये रखने हेतु उन्हें सूचनायें आंकड़ों के स्वरूप में देनी चाहिये । आंकडा आधारित सूचनायें मीडिया को ज्यादा आकर्षित करती है।

(4) समस्या से प्रभावित अगर कुछ केसेज हों और अगर सम्भव हो तो मीडियाकर्ताओं को उनसे मिलवाना चाहिये एवं केस स्टडीज प्रस्तुत करना चाहिये। केस स्टडीज सामने आने से जनता का समर्थन तत्काल मिलता है साथ ही सरकार का ध्यान भी शीघ्र आकृष्ट होता है।

इस प्रकार उपरोक्त रणनीतियों को अपना कर सामाजिक किया में मीडिया की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है।

5. जुलूस/रैली

जुलूस/नारे सामाजिक किया का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। जुलूस एवं नारे सामाजिक,सरकारी,न्यायायिक विषय पर अपना विरोध करने का एक साधन है। जुलूस में किसी समस्या पर मत रखने वाले कुछ लोग एकत्र हो कर बैनर,नारे का प्रयोग करते हुये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल चलते हुये जाते है और अपना विरोध प्रदर्षित करते है। और एक दबाव समूह बनाते हुये सरकार के पास अपनी मांगे रखते है।

दूसरी ओर इस तरह की प्रकिया जुलूस व रैली किसी विषय पर जनता को जागरूक करने के लिये भी की जाती है।

6. धरना प्रदर्शन

जुलूस की तरह ही धरना प्रदर्शन भी सामाजिक किया का एक महत्वपूर्ण साधन है। धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है। धरना प्रदर्शन में किसी प्रथा, कानून नियमावली, परिवर्तन या कोई ऐसी समस्या जो समाज के एक वर्ग विशेष से सम्बन्धित हो पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने व अपनी मांगे पूरी करने पर आधारित होता है। यह एक तरह का एक सामूहिक विरोध होता है जिसमें कुछ लोग एक निश्चित समयावधि के लिये किसी सरकारी दफ्तर या आवास के सामने या समीप अपनी मांगों के बैनर व पोस्टर लेकर बैठते है।

7. भूख हड़ताल

भूख हड़ताल का स्वरूप कुछ हद तक धरने जैसी ही होता है। इसमें कुछ व्यक्ति एकत्रित होकर एक निश्चित स्थान व एक निश्चित अवधि के लिये बैठते है,परन्तु इस प्रकिया में इस समूह का लीडर या समूह के कुछ लोग अन्न जल का परित्याग एक निश्चित अवधि के लिये कर देते है,या मांगे पूरी होने तक या आश्वासन मिलने तक करते है।भूख हड़ताल के लिये समूह में से कुछ प्रतिष्ठित व समाज में अपना प्रभाव रखने वाले जैसे राजनेता,अभिनेता,सामाजिक कार्यकर्ता आदि को इस प्रकिया के लिये चुना जाता है। सामाजिक किया की यह विधि विरोध प्रदर्शित करने एवं जनसमर्थन एकत्र करने हेतु प्रयोग में लायी जाती है।

8. आन्दोलन

आन्दोलन सामाजिक किया की एक महत्वपूर्ण प्रणाली या साधन है। सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में सुधार तथा परिवर्तन के लिये संगठित और सामूहिक प्रयास के रूप में देख सकते है। जिसके द्वारा सामूहिक समस्याओं को हल करने अथवा वांछनीय सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त बुनियादी सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों अथवा परिपाटियों में सुधार का प्रयास किया जाता है। इस विधि में किसी न किसी रूप में जनता के दबाव का इस्तेमाल होता है। किन्तु यहां दबाव का मतलब हिंसा या जोरजबरदस्ती नहीं है। बल्कि जनता के द्वारा सामूहिक रूप से एकत्र होकर अपनी मांगे रखने एवं पूरी करवाने की एक प्रकिया है। अक्सर कानून पास करना ही सामाजिक आन्दोलन का उद्देश्य होता है, सामाजिक आन्दोलन से तात्पर्य ऐसी संगठित और वैध कार्यवाही से है जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त की जाती है और जिसके द्वारा जनमत विधायिका तथा सरकारी प्रशासन को इन निश्चित उद्देश्यों के पक्ष में लाने का प्रयास किया जाता है।

संक्षेप में कह सकते है कि वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन अथव सुधार करने के लिये सामाजिक आन्दोलन एक सामूहिक और शान्तिमय तरीका है। जिसकी आवश्यकता इस कारण होती है कि ये संस्थायें अपनी भूमिकाएं पूरी नहीं कर पाती और परिणाम स्वरूप सामाजिक कार्य के प्रभावी होने बाधक होती है।

9. केस स्टडी

केस स्टडी का तात्पर्य समस्याग्रस्त व्यक्ति के सम्पूर्ण अध्ययन से है यहां का केन्द्र एक समस्या होती है। अतः व्यक्ति की समस्याओं से सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। समस्या के सारे श्रोतों का अध्ययन किया जाता है। समस्या के प्रभावकारी

कारकों का अवलोकन किया जाता है। अर्थात किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति का सम्पूर्ण अध्ययन कि समस्या क्या है समस्या उत्पन्न करने वाले कारक एवं व्यक्ति कौन है। और पीड़ित को समस्या के कौन कौन से कारक पीड़ा पहुंचा रहे है का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

10. जनसुनुवाई / जनअदालत

जनसुनुवाई जनअदालत एक ऐसा मंच है जिसमे अधिकारियों जज आदि जनता के सीधे सम्पर्क में आते है और समस्या का समाधान करते है। इस प्रकिया में एक साथ कई पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या लेकर सम्बन्धित अधिकारी के पास लगाये गये कैम्प में पहुंचते है और अपनी समस्या को लिखित रूप में प्रस्तुत करते है और यथा सम्भव अब उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान वहीं पर किया जाता है, या समाधान के निर्देश दिये जाते है।

11. अभियान

अभियान किसी की सामाजिक किया का बहुत बड़ा स्वरूप होता है। अभियान किसी सामाजिक,न्यायायिक, प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में या परिवर्तन के लिये या नये कानूनों के निर्माण के लिये चलाया जाता है । अभियान के अर्न्तगत कई छोटी छोटी सामाजिक कियायें शामिल होती है जैसे रैली जुलूस बैठके धरना प्रदर्शन, सेमिनार इत्यादि। अभियान के अर्न्तगत आवश्यकतानुसार इन सभी सामाजिक कियाओं को शामिल किया जाता है। अभियान के अर्न्तगत जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपने क्षेत्रों में ही इन सामाजिक कियाओं में शामिल होकर अपना समर्थन देता है।

12. हस्ताक्षर अभियान

हस्ताक्षर अभियान सामाजिक किया का एक महत्वपूर्ण भाग है सामाजिक किया की इस प्रणाली में किसी बात के समर्थन या विरोध में बैनर एवं कागजों पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेजते है।

इस प्रकिया में समाज का एक बहुत बड़ा भाग शामिल होता है लोग अपने अपने क्षेत्रों से सामूहिक रूप में हस्ताक्षर करके सरकार के पास भेजते है, यह एक प्रकार का लिखित समर्थन माना जाता है, जिससे सरकार के उपर दबाव बनता है।

13. ज्ञापन

ज्ञापन एक तरह का लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सामाजिक किया करने वाले समूह के द्वारा, सरकार को लिखित रूप से अपनी मांगे प्रस्तुत की जाती है। एवं नीतियों कानूनों का जिक करते हुये अपनी मांगों को प्रस्तुत किया जाता है।

14. पठन सामग्री निर्माण

पठन सामग्री की सामाजिक किया में बहुत उपयोगिता है।इसके अर्न्तगत,समस्या के विषय प्रभाव व अपनी मांगो को पम्पलेट, पुस्तिकाओं, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा जनता तक पहुँचा कर उन्हें जागरूक किया जाता है जागरूक करने हेतु जनता में प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करना सम्भव नहीं होता पर इन माध्यमों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचायी जा सकती है। सब कुछ लिखित होने के कारण समझने में

किसी तरह के भ्रम होने की सम्भावना कम होती है। अतः यह सामाजिक क्रिया एक बहुत अच्छा एवं प्रभावी साधन है।

23.4 समाजिक क्रिया विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व

(1) समूह अथवा समुदाय की सक्रियता

समाजिक क्रिया की सफलता के लिये किसी समूह अथवा समुदाय का सक्रिय होना आवश्यक है। समुदाय की सक्रियता नियोजित संगठित और निरूपित होनी चाहिये। इसके सदस्यों में प्रगति तथा परिवर्तन के लिये दृढ़ आकांक्षा होनी चाहिये।

(2) समुदाय के सदस्यों का सहयोग

कोई भी सामाजिक क्रिया तभी सफल हो सकती है जबकि उसे सम्बन्धित समुदाय के सदस्य समस्या के साथ अपना तादत्मीकरण (समर्पण/व्यक्तिगत रूचि) करे तथा कार्यक्रमों के निर्माण में (कार्यक्रम नियोजन) में स्वयं भाग लें । इसके अतिरिक्त सामाजिक क्रिया से संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देशन की सुविधा प्राप्त होती है कि उन्हें समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिये सक्षम बनाया जा सकें।

(3) स्वस्थ जनमत

फ्रिडलेण्डर ने सामाजिक क्रिया के लिये स्वस्थ जनमत को आवश्यक माना है। स्वस्थ जनमत के विकास के लिये समाचार पत्रों,रेडियो प्रसारण टेलीविजन तथा सार्वजनिक सभाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(4) जनतांत्रिक कार्यप्रणाली

समाजिक क्रिया के लिये द्वितीय अनिवार्यता यह है कि इसमें जो भी तौर तरीकी अपनाया जाये। उसे जनतांत्रिका मूल्यों पर आधारित होना चाहिये क्यों कि समाज कार्य का दर्शन तथा व्यवहार जनतांत्रिक आदार्शों पर निर्भर है।

(5) जनतांत्रिक नेतृत्व

सामाजिक क्रिया के दौरान नेतृत्व,सम्बन्धित समाज की सहमति से प्रभावित होना चाहिये।

(6) साधनों की व्यवस्था

सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित समूह अथवा समुदाय के सभी भौतिक अभौतिक साधनों पर भली प्रकार विचार किया जाय। साधनों का प्रयोग करते समय उनके प्रत्यक्ष एवं दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

(7) साधनों और समस्याओं में समन्वय

साधनों का सही अन्दाज लगाने के बाद ही समस्या का चुनाव किया जाना चाहिये इसके लिये सामाजिक क्रिया को आरम्भ करने से पूर्व समस्या से सम्बन्धित अभिलेखों व साहित्य का अध्ययन करना चाहिये।

23.5 सारांश

इस इकाई में सामाजिक किया की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है। तथा स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक किया किसी सामाजिक, प्रशासनिक,न्यायायिक व्यवस्था को बदलने या सुधार करने के लिये किया गया एक सामूहिक प्रयास है। और इस प्रयास में कई छोटी बड़ी गतिविधियां शामिल होती है यही गतिविधियां जब एक व्यापक रूप धारण कर लेती है तो सामाजिक किया कहलाती है।

23.6 बोध प्रश्न

(क) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्र. 1 सामाजिक किया में कौन सी विधि लागू होती है?

(अ) अनुसंधान **(ब)** भवन निर्माण **(स)** ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा

प्र. 2 जनमत क्या है?

(अ) कम्प्यूटर का ज्ञान **(ब)** जनता का मत **(स)** भवन निर्माण

प्र. 3 केस स्टडी से क्या तात्पर्य है?

(अ) समाज का अध्ययन **(ब)** व्यक्ति का अध्ययन **(स)** पर्यावरण का अध्ययन

प्र. 4 सार्वजनिक भाषण का क्या उद्देश्य है?

(अ) जनमत तैयार करना **(ब)** बांध बनवाना **(स)** नीति निर्माण करना

(ख) लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र. 1 सामाजिक किया में जनमत का क्या स्थान है?

प्र. 2 सामाजिक किया में मीडिया की क्या उपयोगिता है?

प्र. 3 आन्दोलन क्यूं किये जाते है?

प्र. 4 हस्ताक्षर अभियान से आप क्या समझते है?

(ग) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्र. 1 सामाजिक किया को प्रभावित करने वाले तत्वो का वर्णन करे।

प्र. 2 सामाजिक किया की किन्ही तीन विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करे।

23.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) उ. 1 (अ)

उ. 2 (ब)

उ. 3 (स)

उ. 4 (अ)

23.8 –सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. समाजकार्य – राजाराम शास्त्री
2. समाजकार्य – डा. कृपाल सिंह सिद्धान्त एवं अभ्यास
3. समाजकार्य – तेजस्कर पाण्डेय, ओजस्कर पाण्डेय
4. सोशल सर्विस डिपार्टमेन्ट इन ए हास्पिटल – जो आर बनर्जी
5. लान्स एण्ड प्रास्पेक्टस आफ वेलफेयर इन इंण्डिया – दुर्गाबाई देशमुख
6. सोशल वर्क एण्ड सोशल चेन्ज – सुगतादास गुप्ता
7. लेबर प्राब्लम इन इण्डियन इंइस्ट्रिज – के.बी.गिरी
8. ट्रेनिंक फॉर सोशल वेलफेयर – वी जगन्नाथम एण्ड एस. पी नन्दवानी
9. कम्यूनिटी आर्गेनाइजेषन एण्ड प्लानिंग – आर्थ हिलमैन
10. द इण्डियन वर्किंग क्लास – आर के मुखर्जी

इकाई–24 : सामाजिक किया की रणनीतियां

इकाई की रूपरेखा

24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 सामाजिक किया की रणनीतियां

24.3 सारांश

24.4 शब्दावली

24.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

24.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

24.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया की रणनीतियों की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- गेब्रियल ब्रिटटो के द्वारा बताई गयी सामाजिक किया की रणनीतियों को जान सकेंगे।
- लीस द्वारा बताई गयी सामाजिक किया की रणनीतियों को जान सकेंगे।
- देसाई द्वारा बताई गयी सामाजिक किया की रणनीतियों से परिचित हो सकेंगे।

24.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया में सामाजिक परिवर्तनों को लाने के लिये संयुक्त रूप से कार्यवाहियां एवं आन्दोलन किये जाते हैं। सामाजिक किया अनुभवी व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा सामुदायिक नेताओं के द्वारा संचालित की जाती है इसलिये इसमें ऐसी रणनीतियों एवं युक्तियों का उपयोग किया जाता है जिससे न केवल उस लक्ष्य के विषय में लोगों को जानकारी हो जाती है कि बल्कि रणनीतियों के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के माध्यमों एवं साधनों को अत्यन्त प्रभावी बनाया जा सकता है तथा जन सहयोग के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिये एक सफल सामाजिक किया के लिये रणनीतियों का प्रयोग आवश्यक होता है।

24.2 सामाजिक किया की रणनीतियां

सामाजिक किया की रणनीतियों का प्रतिपादन करते हुए ब्रिटटो ने कुछ रणनीतियों का प्रतिपादन किया, हालांकि इन कि सामाजिक किया की रणनीतियों पर गांधी जी के

गतिशील मॉडल या गांधीजी की गतिशीलता का (समान परिवर्तन लाने हेतु गतिशीलता) का प्रभाव पडा। इसी रूप में साल एलिन्स्वी जो सामाजिक किया के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है, ने भी सामाजिक किया पर गांधी जी के विाचारों और कार्यों के प्रभाव को स्वीकार किया है। समाज कार्य में सामाजिक किया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अन्याय एवं शोषण की समाप्ति के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन करने हेतु आन्दोलन का कार्य किया जाता है। इसके लिए जिन रणनीतियों को अपनाया जाता है। उसमें जन सामान्य को जोड़ा जाता है।

गेब्रियल ब्रिटटो ने सामाजिक किया के रूप में जो रणनीतियां बताई वो निम्नवत् हैं–

बहुमुखी कार्यकम रणनीति

इस रणनीति के अन्तर्गत कई कार्यकम सम्मिलित होते हैं जिसमें संघर्षात्मक गैर संघर्षात्मक साधनों एवं संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें विकासशील, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक कार्यकम आते हैं जिनके माध्यम से जनता में गतिशीलता उत्पन्न की जाती है। इस रणनीति के अन्तर्गत मिश्रित कार्यकम अपनाये जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं का उपयोग करके सामुदायिक कार्य किया जाता है। जेल्टमैन और डन्कन ने इन्हें सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया है। इनके अन्तर्गत सामाजिक किया को प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया गया है। इसमें सर्वप्रथम सामाजिक किया में सहभागिता करने वाले व्यक्तियों और समूहों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाता है इसके लिये शैक्षणिक रणनीति का उपयोग किया जाता है। शैक्षणिक रणनीति के माध्यम से समूहों को आन्दोलन के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से एक नेटवर्क के विकास का भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा बहुआयामी कार्यकमों में मनाने तथा फुसलाने की रणनीति का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अन्तर्गत किसी विचारधारा को स्वीकृति प्रदान कर परिवर्तन लाने के लिये कुछ कार्यों और कार्यकमों तथा प्रकियाओं को अपनाया जाता है। इसमें विरोधी को सम्मान देना तथा अपने विचारों एवं तर्कों के माध्यम से परिवर्तन के लिये राजी करने का कार्य किया जाता है। इस कार्यकम के अन्तर्गत सुसाध्य रणनीति तथा कार्यकम का उपयोग किया जाता है इसके कार्यकर्ता आन्दोलन के विधियों और प्रकियाओं का सरलीकरण करता है जिससे आन्दोलन में सम्मिलित सामान्य लोग भी इन कार्यकमों और रणनीतियों को सही ढंग से समझ सकें और सहभागिता कर सकें। जैसे गांधी जी ने अन्याय का विरोध करने के लिये "नमक तोड़ो आन्दोलन" का नेतृत्व किया और इसमें नमक बनाने की प्रकिया का इतना सरलीकरण किया कि यह अवैध कानूनों का विरोध करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया। इसमें शक्ति की रणनीति जैसे बहिष्कार करना आदि का भी उपयोग किया जाता है।

बहुकार्य रणनीति

इसके अन्तर्गत संयुक्त कार्यकम अपनाया जाता है जिसमें दबाव की युक्तियां तथा जनता को संघर्षशील बनाने के लिए प्रोत्साहन आदि देना सम्मिलित है क्योंकि ब्रिटटो ने सामाजिक किया में संघर्ष के तत्व को भी सम्मिलित किया है।

विधायीकरण की रणनीति

इसमें नेता अथवा कार्यकर्ता के द्वारा जनता में यह विश्वास उत्पन्न करना होता है। कि जो भी कार्यकम चलाया जा रहा है वह विधिसम्मत है तथा जनता के भलाई से सम्बन्धित है अर्थात आम जनता के मन में यह विश्वास उत्पन्न करना कि जो भी कार्यकम

चलाया जा रहा है वह जनता की भलाई के लिये चलाया जा रहा है। इसमें नेतृत्व को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो भी कार्यक्रम अपनाया गया है वह जनता के इच्छाओं के अनुरूप हो तथा कार्यक्रमों की नीतियों में जनता का विश्वास एवं सहमति हो। इसमें कार्यकर्ता अथवा आन्दोलन के नेता को इस बात को भी सिद्ध करना होता है कि जो कार्य किया जा रहा है वह कानून सम्मत है तथा उससे आम जनता की भलाई होगी। तभी आम जनता उसको समर्थन देगी। इसमें नेता को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जनता को किसी भी स्तर पर यह आभास न हो कि कार्यक्रम व्यक्तिगत या अवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चलाया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत यह सिद्ध किया जाता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वह विधि सम्मत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, न कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि यदि उद्देश्य विधि सम्मत नहीं होंगे तो आम जनता नेता को समर्थन नहीं देगी।

विश्वसनीयता का निर्माण

इस रणनीति का उपयोग उस समय किया जाता है जबकि नेतृत्व के द्वारा आम जन अथवा समुदाय में अपने कार्यों एवं लक्ष्यों को लेकर विश्वास उत्पन्न करने अथवा छवि निर्माण करने का कार्य किया जाता है। सामाजिक क्रिया करने वाले नेता की विश्वसनीयता को दो प्रकार से देखा जाता है। जैसे नेता जनता में से ही निकल कर आया हो, तभी नेता के आहवान पर जनता इकट्ठा होगी तथा इसके पूर्व भी नेता ने ऐसा कार्य किया हो जिससे जनता की किसी सामान्य समस्या का समाधान हुआ हो, जैसे समुदाय की पेयजल की समस्या का समाधान किया गया हो। अगली बार जब नेता किसी कार्य के लिए आहवान करे या नेता स्वयं से कार्य करना प्रारम्भ कर दे तो जनता का उस पर विश्वास बनेगा।

यह रणनीति उस समय प्रभावी होती है जब आन्दोलन का नेतृत्व कर्ता सहयोगियों की न्यायपूर्ण भागीदारी, ईमानदारी और सत्यता के समर्थक के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि का निर्माण करे। जिसके आधार पर आम जनता के समक्ष/बीच में उसे स्वीकृति प्राप्त हो, यह कार्य कई प्रकार से किया जा सकता है जैसे–विरोधी के समक्ष सद्भावना का प्रदर्शन करके (जैसे गांधी जी ने किया) स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि हमें सामाजिक क्रिया या आन्दोलन के लिए समुदाय को प्रभावित करने वाली त्वरित समस्याओं का चयन करके (जैसे छोटे कार्य, यदि पूरे गांव के स्वास्थ के लिए क्रिया चलानी है तो गांव का नेता पहले गांव पेयजल की समस्या को हल कर ले तो, इससे उसे जनता का समर्थन मिल जायेगा)।

नाटकीकरण की रणनीति

समुदायों में कार्य करते समय बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तीव्रता से कार्य करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह मुद्दे तात्कालिक रूप से जनसमुदायों को प्रभावित करते हैं। अतः ऐसे मुद्दों के लिये जनता को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। यह मुद्दे अथवा समस्यायें समुदायों के अस्तित्व को भी चुनौती देने लगते हैं। जैसे किसी समुदाय में स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई ऐसी समस्या उपस्थित है जिससे लोगों को गम्भीर खतरा है तब ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि समस्या को दूर करने के लिये शीघ्रता से कार्य किया जाये तथा समुदाय में गतिशीलता उत्पन्न की जाये किन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है। समुदायों में अपनी समस्यों को लेकर भी उदासीनता की

स्थिति पायी जाती है। इसका कारण समुदायों में पायी जाने वाली जागरूकता की कमी है अतः कार्यकर्ता अथवा समुदाय के नेता के द्वारा ऐसी समस्याओं से समुदाय को बचाने के लिये नाटकीकरण की रणनीति का उपयोग किया जाता है। इस रणनीति का उपयोग जनता में सक्रियता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत नेतृत्व के द्वारा भावनात्मक अनुरोध, तीक्ष्ण नारों का प्रयोग तथा कार्य करने की नवीन शैलियों तथा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जनता को गतिशील करने वाले सभी नेताओं ने इसका प्रयोग किया। इस रणनीति के माध्यम से समुदाय अथवा समाज की किसी समस्या की ओर आकर्षक ढंग से अथवा चेतावनीपूर्ण ढंग से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें उस मुद्दे जिसके लिये कि समुदाय में कार्य किया जा रहा है अथवा भविष्य में किया जाना है, को लेकर के नाटकीयता उत्पन्न की जाती है। जैसे नुक्कड नाटकों का उपयोग, नारों का उपयोग, गीतों का उपयोग, स्थानीय रीति–रिवाजों तथा परम्पराओं का उपयोग करके समुदाय का ध्यान समस्या की ओर आकृष्ट किया जाता है। इससे किसी मुद्दे को लेकर समुदाय में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और समुदाय के लोग समस्या के प्रति जागरूक होने लगते हैं तथा उस कार्यक्रम में भी सहभागिता करने के लिये तैयार हो जाते हैं जिसके माध्यम से समस्या का समाधान किया जाना है।

भाक्ति की रणनीति

सामाजिक क्रिया की रणनीतियों में शक्ति की रणनीति का भी व्यापक उपयोग किया जाता है। इस रणनीति का उपयोग लीस, देसाई एवं रिचर्ड ब्रायन्ट ने किसी न किसी रूप में किया है। इस रणनीति के अन्तर्गतग उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शक्ति का अहिंसात्मक ढंग से उपयोग किया जाता है जैसे बहिष्कार, अनशन, धरना, प्रदर्शन, असहयोग, उपवास आदि।

इसमें बात मनवाने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है लेकिन यह बल अहिंसक प्रकृति का होता है। इसमें प्रायः ऐसे साधनों का उपयोग किया जाता है जिससे कि विपक्षी पर ऐसा दबाव पडे कि वह वार्ता करने के लिये अथवा समझौते पर पहुंचने के लिये बाध्य हो जाये। इसका एक सशक्त माध्यम उपवास है। जिसमें आत्म पीड़ा सहकर विपक्षी को इस बात के लिये बाध्य किया जाता है कि वह उन मुद्दों पर समझौतों के लिये तैयार हो जाये जिसके लिये उपवास किया जा रहा है। वहीं बहिष्कार के माध्यम से इसमें सत्ता पक्ष की नीतियों एवं कार्यक्रमों का सार्वजनिक बहिष्कार किया जाता है जिससे कि ऐसे कार्यक्रमों और नीतियों की अलोकप्रियता और विरोध को सत्ता पक्ष तक पहुंचाया जा सके और वह परिवर्तन करने के लिये बाध्य हो जाये जैसे–कार्य बहिष्कार, किसी कार्यक्रम का बहिष्कार आदि। असहयोग भी इसका एक प्रभावी साधन है।

सामाजिक क्रिया की रणनीतियों के संदर्भ में प्रो० एच० वाई० सिद्दीकी ने भी गांधी दर्शन की रणनीतियों की सफलता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया तथा सामाजिक क्रिया की रणनीतियों के विभिन्न आयामों को भी स्पष्ट किया जैसे प्रचार, सेवा, विरोध, सामुदायिक कार्य में जनविश्वास जीतना जिसका प्रयोग हाल में राजेंद्र सिंह द्वारा भी किया गया। इसके अन्तर्गत उन्होंने सामाजिक क्रिया के आन्दोलन के लिए शांतिपूर्ण प्रयत्नों को सर्वाधिक महत्व दिया। सामाजिक क्रिया की रणनीतियों को स्पष्ट करते हुए प्रो० देसाई ने सामाजिक कर्ताओं द्वारा अपनायी जाने वाली कुछ रणनीतियां बतायी है जिनका समर्थन लीस द्वारा भी किया गया क्योंकि लीस ने भी ऐसी ही रणनीतियां बताई।

देसाई के अनुसार ये रणनीतियां हैं–

1. सहयोगात्मक रणनीतियां

यह रणनीति इस मान्यता पर आधारित है कि जो व्यक्ति सत्ता में होते है वे नमनशील प्रकृति के होते हैं तथा अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए उनमें सहयोग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रयास किया जाना चाहिए। इस रणनीति में मानवीय गुणों एवं मूल्यों पर अधिक विश्वास किया जाता है। जिसमें यह माना जाता है कि यदि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के सामने यदि समस्या को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये तो वे समस्या के महत्व को समझते हुये सहयोग देने के लिये आसानी से राजी हो सकते हैं। इस रणनीति को मानने वाले लोगों का यह भी मानना होता है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग न्याय प्रिय होते हैं और वे किसी भी समस्या की गम्भीरता को आसानी से समझ सकते हैं। अतः उनके सामने संघर्ष के स्थान पर सहयोग प्राप्ति अथवा हृदय परिवर्तन की रणनीति का उपयोग करना चाहिये। इस रणनीति का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया। जिनका यह सामान्य विश्वास था कि यदि अंग्रेज शासन अथवा सत्ता के सामने सुधार के प्रश्नों को सही ढंग से रखा जाये तो वे सहयोग देने के लिये आसानी से तैयार हो सकते हैं तथा इस ढंग से बिना किसी संघर्ष के विभिन्न प्रकार के सुधार किये जा सकते हैं और लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. सौदेबाजी की रणनीति

सौदेबाजी की रणीनीति के अन्तर्गत दो पक्षों के द्वारा किसी मुद्दे पर कार्य करते समय अपने–अपने पक्ष में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने तथा कम से कम त्याग करने पर बल दिया जाता है। इसमें दो पक्ष अपने पक्ष में लाभ प्राप्त करने के लिये शक्ति प्रदर्शन तथा दबाव आदि का प्रयोग करते हैं इसमें संघर्षरत पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर दबाव डालने और उन्हें झुकाने का कार्य किया जाता है। इस रणनीति के अन्तर्गत परस्पर बातचीत के माध्यम से कार्य किया जाता है और लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है यह एक प्रकार से संघर्षों के समाधान का शान्तिपूर्ण तरीका माना जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्रों में शान्ति स्थापित करने के लिये किया जाता है जबकि विरोधी पक्ष के द्वारा विरोध की सम्भावना हो, तब प्रदर्शन, मोर्चा गठन, सत्याग्रह आदि के माध्यम से सीमित दबाव बनाने का कार्य किया जाता है जिससे कि अपने पक्ष में सौदेबाजी की जा सके।

3. द्वन्दात्मक रणनीति

इसके अन्तर्गत किसी भी परिवर्तन के लिए व्यापक दबाव बनाने का कार्य किया जाता है जब दबाव अपने चरम पर पहुंचता है तब यह उत्पीड़न एवं व्यापक दमन को भी आमंत्रित करता है। इसमें किसी भी परिवर्तन के लिये व्यापक रूप में दबाव की युक्ति अपनायी जाती है। इसके लिये विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया जाता है जैसे नियमों और कानूनों का उल्लंघन, सत्ता की वैधता को चुनौती, सत्ता से सीधे संघर्ष, अवज्ञा आदि। इसके कारण संघर्ष चरम स्थिति पर पहुंच जाता है और समाज में भी विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी–कभी इसमें हिंसात्मक साधन भी जुड जाते हैं किन्तु व्यवसायिक समाज कार्य में अहिंसा के मूल्यों पर कार्य किया जाता है। इसलिये इसमें हिंसात्मक साधन नहीं अपनाये जाते है। द्वन्दात्मक रणनीति अपनाये जाने के कारण सत्ता पक्ष के दमनकारी कार्यों को भी सहन करना पडता है। इस रणनीति का भी उपयोग स्वतंत्रता संघर्ष में किया गया। सविनय अवज्ञा तथा सीधी कार्यवाही, कर न चुकाना आदि उपयों को अपनाकर व्यापक संघर्ष किया गया।

लीस ने तीन प्रकार की रणनीतियां बताई हैं–

1. सहभागिता की रणनीति

इस रणनीति के अन्तर्गत समाज कार्यकर्ता वर्तमान सामाजिक नीति में विकास करने की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणों या संस्थाओं के साथ सहभागिता करता है। इस अवधारणा की मूल मान्यता एक समान रूचियों और मूल्यों के वास्तविक समझौते पर प्राप्त करने योग्य प्रस्ताव है। कोई भी अपनी शक्ति व अविष्कार खोने को तैयार नहीं होता है। इसमें मूल्य व रूचियां दोनो ही सम्मिलित होते हैं। इस रणनीति में किसी भी प्रकार के शक्ति, प्राधिकार अथवा मौद्रिक लाभ सम्मिलित नहीं होता है बल्कि इसमें मद परिवर्तन के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसके अन्तर्गत शान्तिपूर्ण साधनों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये प्रयास किया जाता है। इसमें अनुनय, विनय, शिक्षा, प्रदर्शन आदि शान्तिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शक्ति सम्पन्न वर्ग की सकारात्मकता में विश्वास किया जाता है तथा यह माना जाता है कि शक्ति सम्पन्न वर्ग भी शक्तिहीन लोगों की समस्याओं को समझता है तथा अनुकूल परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है एवं उसके लिये सहमति देता है।

2. प्रतियोगात्मक रणनीति

इस रणनीति की यह मान्यता है कि समाज में अथवा संस्थाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये विरोध की स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति पायी जाती है जो किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। अतः इसके लिये दो पक्षों में पारस्परिक प्रतियोगिता समझौता वार्तालाप अथवा सन्धि प्रारम्भ हो जाती है। इस रणनीति में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दो पक्षों में होड लग जाती है और वे संसाधनों पर अधिक से अधिक नियंत्रण करने के लिये प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। यह प्रतिस्पर्धा कभी–कभी विघटनकारी भी हो जाती है। किन्तु इस रणनीति के अन्तर्गत सामान्य तौर पर समझौते की भावना के कार्य किया जाता है तथा इसके लिये स्वीकृति करना राजी अथवा तैयार करना और बातचीत तथा समझौता करने जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से स्वीकृत प्रचार विधियों का प्रयोग किया जाता है जिनके माध्यम से समझा–बुझाकर बातचीत करके एक कार्यकारी अनुबंध स्वेच्छा से विकसित करने का प्रयास किया जाता है। प्रचार इस प्रकार से किया जाता है कि समुदाय के सदस्य उस कार्यकम की ओर उन्मुख होने लगते हैं।

3. विध्वंसात्मक रणनीति

यह रणनीति इस मान्यता पर आधारित होती है कि सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोग अथवा यथास्थिति के समर्थक लोग किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोधी होते हैं तथा उनका परिवर्तन चाहने वाले लोगों के साथ एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः इसमें विघटन और मुकाबला प्रारम्भ हो जाता है। यह रणनीति उग्र पंथ या चरमपंथी प्रकृति की है। इस रणनीति के अन्तर्गत हड़ताल, बहिष्कार, भूख हडताल कर अदायगी न करने आदि को माध्यम बनाया जाता है जिससे कि यथा स्थितिवादियों अथवा शासकों के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाया जा सके। इस रणनीति के माध्यम से तीव्र परिवर्तन लाने के लिये कार्य किया जाता है। हालांकि लीस ने इस रणनीति में उपद्रवों एवं गोरिल्ला युद्ध कर्म को भी सम्मिलित किया है किन्तु व्यवसायिक समाज कार्य के मूल्य और सिद्धान्त अहिंसा पर आधारित होते हैं। इसलिये उपद्रव और गोरिल्ला युद्ध कर्म का प्रयोग व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जाता है। इस रणनीति का प्रयोग करते समय कार्यकर्ताओं के द्वारा विवेकशीलता, समझदारी और सावधानी का उपयोग करना चाहिये तथ इसका

सीमित प्रयोग करना चाहिये। इसके प्रयोग के लिये नेतृत्व के द्वारा उत्तरदायित्व भी निश्चित कर देने चाहिये। जिससे इसका प्रभाव समाज में अन्यत्र न हो क्योंकि असीमित प्रभाव के कारण यह रणनीति समुदाय को भी विघटित कर सकती है तथा इस रणनीति का अविवेकपूर्ण प्रयोग भी हो सकता है। जिससे समुदाय में हिंसा फैल सकती है तथा वे लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं जो ऐसे किसी संघर्ष के पक्षकार नहीं हैं।

सामाजिक किया की रणनीतियों के विषय में अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कुछ विचार प्रस्तुत किये हैं जैसे रिचर्ड ब्रायन्ट ने दो प्रकार की रणनीतियां बनायी हैं समझौता एवं संघर्ष तथा आमना–सामना समझौते की रणनीति के अन्तर्गत ब्रायन्ट ने दबाव बनाने याचिका प्रस्तुत करने तथा सूचना और प्रचार करने के कार्यक्रम तथा अभियानों को सम्मिलित किया है। जबकि संघर्षात्मक रणनीति में हडताल तथा धरना एवं प्रर्दशन आदि को सम्मिलित किया गया है इन रणनीतियों की विशिष्टता यह होती है कि इनके माध्यम से न केवल सत्ता पक्ष पर दबाव बनाया जा सकता है बल्कि याचिका आदि साधनों के माध्यम से जनता को भी संघर्ष के किसी मुद्दे से जोडा जा सकता है और समाज में जागरूकता भी फैलायी जा सकती है। इसके माध्यम से शान्तिपूर्ण एवं कानूनी ढंग से संघर्ष करके वांछित परिवर्तन प्राप्त किये जा सकते हैं।

सामाजिक किया की रणनीतियों को प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न सामाजिक कार्यकताओं के द्वारा अनेक विधियों अथवा युक्तियों का भी इस्तेमाल किया गया है इनके प्रयोग से ये रणनीतियां अत्यन्त प्रभावी हो जाती हैं ये युक्तियां निम्नवत् हैं–

1. अनुसंधान
2. शिक्षा
3. सहयोग
4. संगठन
5. बातचीत
6. पंचनिर्णय
7. हल्की दबावमूलक कियायें
8. विधिक आदर्शों का उल्लंघन
9. संयुक्त कार्यवाही

इन युक्तियों का रणनीतियों के साथ प्रयोग करते समय सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा आंदोलन के नेताओं को यह चाहिये कि वे सर्वप्रथम उन मुद्दों की पहचान करें कि जिनके बारे में समुदाय में अत्यधिक जागरूकता है अथवा जिस समस्या को लेकर समुदाय में अधिक व्याग्रता की अनुभूति की जा रही है। इसके लिये कार्यकर्ता तथा नेताओं को सामुदायिक समस्याओं के विषय में व्यापक अनुसंधान कर लेना चाहिये। जिससे कि समस्या की प्राथमिकता एवं महत्व को जन समुदाय के समक्ष स्पष्ट किया जा सके। अनुसंधान के माध्यम से समस्या के विभिन्न पहलू स्पष्ट हो जाते हैं और समस्या को किस प्रकार से दूर करना है इसको लेकर के कार्यवाही के स्वरूप को सुनिश्चित किया जा सकता है। युक्तियों

के प्रयोग के अगले चरण में कार्यकर्ताओं के द्वारा आम जनता को शिक्षित करने का भी कार्य किया जाता है जिससे उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वे समस्या को दूर करने के लिये प्रयास कर रहे है उसका क्या महत्व है तथा किस प्रकार से आगे कार्य करना है। जब जन समुदाय में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता का प्रसार हो जाता है तब उनका सहयोग प्राप्त करना सरल हो जाता है जिससे आगे चलकर सामाजिक क्रिया के लिये एक संगठन का निर्माण करने में सहायता मिलती है। इससे कार्यक्रम भी सहिष्णुतापूर्वक निर्मित हो जाता है क्योंकि कोई भी सामाजिक क्रिया तभी व्यवहारिक रूप से सफल हो सकती है जब उससे समुदाय के सदस्य अपना तादात्मीकरण कर लें तथा कार्यक्रम के निर्माण में सहयोग कर लें। इससे सामाजिक क्रिया में लगे हुये लोगों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहता है तथा समस्याओं का समाधान भी आसान हो जाता है। सामाजिक क्रिया में कार्यवाही के लिये बातचीत की प्रक्रिया का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि सामाजिक क्रिया पूर्णतया सहयोग एवं शान्तिपूर्ण ढंग से परिवर्तन लाने के लिये कार्य करती हैं किन्तु कार्य करते समय कभी–कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जब कि विपक्ष पर दबाव बनाने की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के द्वारा दबाव बनाकर कुछ लाभ प्राप्त करने का कुछ प्रयास किया जाता है। सामाजिक क्रिया करने के लिये पंच निर्णय की युक्ति का भी उपयोग किया जाता है जिसमें कि संघर्ष के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष के द्वारा निर्णय लेने अथवा समझौते तक पहुंचाने के लिये कार्य किया जाता है। इसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा पंचनिर्णयन में किये जाने वाले निर्णयों को स्वीकृति एवं मान्यता दी जाती है। किन्तु कभी–कभी विधिक आदर्शों के उल्लंघन का कार्य भी किया जाता है क्योंकि यह समझा जाता है कि जो मौजूदा विधि है वह अपर्याप्त है या अन्यायपूर्ण है अतः इसके उल्लंघन के माध्यम से विरोध किया जाता है। जैसे नमक तोडो कानून वहीं अन्तिम चरण में जबकि समुदाय में समस्या स्पष्ट हो जाती है लोगों में जागरूकता आ जाती है तथा संगठन का निर्माण हो जाता है तब विभिन्न सहभागियों के द्वारा संयुक्त रूप से आन्दोलन किया जाता है तथा लक्ष्य प्राप्त किया जाता है।

24.3 सारांश

सामाजिक क्रिया में रणनीतियों का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। यद्यपि सामाजिक क्रिया में विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग किया जाता है किन्तु मुख्य रूप से इसमें तीन प्रकार की रणनीतियां प्रमुख होती हैं जैसे सहकार की रणनीति जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से सामाजिक नीतियों में सुधार लाने तथा स्थानीय अधिकारियों से सहयोग के माध्यम से कार्य करने में प्रयोग की जाती हैं। वहीं प्रतियोगिता की रणनीति के माध्यम से संघर्षरत पक्षों द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने का कार्य किया जाता है। विघटनात्मक रणनीति उग्र साधनों का उपयोग करके परिवर्तन लाती है। इस प्रकार सामाजिक क्रिया की रणनीतियां सामाजिक क्रिया अथवा आन्दोलन को सभी आवश्यक साधन प्रदान करते हैं जिससे कार्यवाही की जा सके।

24.4 शब्दावली

रणनीतियां	कार्य करने के विशिष्ट तरीके जिसमें विचारपूर्ण एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है।
संयुक्त कार्यवाही	सामाजिक क्रिया मे जब कई पक्षों के द्वारा मिल–जुल कर एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये किया जाने वाला कार्य।

पंचनिर्णय — दो संघर्षरत पक्षों के बीच जब किसी तीसरे पक्ष के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है और जिसे दोनो पक्षों के द्वारा स्वीकार किया जाता है।

विध्वंसात्मक रणनीति — जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये तीव्र एवं उग्र कार्यवाहियां की जाती हैं तो उन्हें विध्वंसात्मक रणनीति के अन्तर्गत रखा जाता है।

24.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।
- मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंडियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक किया की रणनीतियों पर प्रकाश डालिये।

.....

.....

.....

.....

2. लीस के द्वारा बताई गयी सामाजिक किया की रणनीतियों का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

3. देसाई ने सामाजिक क्रिया की रणनीतियों को किस प्रकार वर्णित किया है।

.....

.....

.....

.....

4. विध्वंसात्मक रणनीति से आप क्या समझते हैं इसका कब उपयोग किया जाता है।

.....

.....

.....

.....

24.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. भाग 24.2 देखें।
2. भाग 24.2 देखें।
3. भाग 24.2 देखें।
4. भाग 24.2 देखें।

इकाई–25 : सामाजिक किया एवं सामाजिक दबाव

इकाई की रूपरेखा

25.0 उद्देश्य

25.1 प्रस्तावना

25.2 सामाजिक किया एवं सामाजिक दबाव

25.3 सारांश

25.4 शब्दावली

25.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

25.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

25.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया एवं सामाजिक दबाव की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक किया एवं सामाजिक दबाव की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे।
- सामाजिक किया का उपयोग किस प्रकार से सामाजिक दबाव उत्पन्न करने में किया जाता है इससे अवगत हो सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के सामाजिक दबाव समूहों के विषय में जान सकेंगे जो सामाजिक किया का प्रयोग अपने विशिष्ट एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये करते हैं।

25.1 प्रस्तावना

सामाजिक किया सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से कार्य करने की प्रणाली है। जिसके माध्यम से संस्थाओं में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। कभी–कभी यह कार्य प्रत्यक्ष कार्यवाहियों जैसे आन्दोलन आदि के माध्यम से भी किया जाता है तो कभी–कभी दबाव समूहों के माध्यम से परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। ये दबाव समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं जो विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिये गठित किये जाते हैं। सामाजिक किया के अन्तर्गत कार्यकर्ताओं के द्वारा वांछित सामाजिक, राजनीतिक अथवा वैधानिक परिवर्तन लाने के लिये इन दबाव समूहों का उपयोग किया जाता है।

25.2 सामाजिक किया एवं समाजिक दबाव

सामाजिक किया समाज कार्य की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है। इसका उपयोग प्रायः समाज की उन स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है जो समाज को व्यापक

रूप से प्रभावित करती हैं और कतिपय समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। सामाजिक किया द्वारा परिवर्तन लाने के लिए सहयोग एवं संघर्ष दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक दबाव समूहों के माध्यम से भी बहुत कार्य किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक–राजनीतिक वैधानिक परिवर्तन के प्रति सत्ता संस्थानों में विरोध की एक प्रवृत्ति होती है अतः ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों की सहायता लेकर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा सकता है। समाज में कई प्रकार के दबाव समूहों की उपस्थिति होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर नवीन दबाव समूहों का भी गठन किया जा सकता है। इन दबाव समूहों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे–एडवोकेसी समूह, लॉबींग समूह, अभियान/प्रचार समूह, हित समूह या विशिष्ट हित समूह इन सामाजिक दबाव समूहों का उपयोग जनमत तथा नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इन दबाव समूहों ने एक राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया है। और लगातार कर रहे हैं। दबाव समूह आकार, प्रभाव उद्देश्य और व्यापक सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकते हैं वहीं उनका ध्यान तात्कालिक महत्व के मुददों पर भी हो सकता है। ये समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करते हैं जिनमें प्रचार, लॉबिंग, मीडिया अभियान, शोध नीतियों का संक्षिप्त परिचय आदि सम्मिलित हैं। दबाव समूहों में से कुछ ने महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों का विकास एवं संचालन भी किया है। इनके द्वारा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही और नागरिक अवज्ञा तथा बहिष्कार को भी साधन बनाया जाता है। ये दबाव समूह सत्ता संघर्ष में प्रत्यक्ष सहभागिता करने से बचने का प्रयास करते हैं तथा समाज में किसी वर्ग या समूह के विशिष्ट हितों की प्रोन्नति के लिए कार्य करते हैं। इन सामाजिक दबाव समूहों को हित समूहों के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ऐसे समूह किसी वर्ग तथा किसी व्यवसाय से लोगों के हितों को बढावा देने के लिए अथवा किसी विपरीत परिवर्तनों से रक्षा के लिए संगठित किए जाते हैं जैसे– शिक्षकों, व्यापारियों, छात्रों, वकीलों, कृषकों, सरकारी कर्मचारियों के दबाव समूह आदि।

सामाजिक दबाव समूह संगठित समूह होते हैं जो अपने समूह सदस्यों के सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं। ये सत्ता संस्थानों से किसी न किसी प्रकार से जुडे रहते हैं तथा निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न रहकर बाहर से दबाव डालकर निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये स्वयं सत्ता का संचालन करने के स्थान पर बाहर से दबाव डालकर निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। इनका उद्देश्य शासन सत्ता का प्रत्यक्ष संचालन करने के स्थान पर नीतियों को बदलवाना होता है। ये दबाव समूह एक समय में अक्सर एक ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं। इनका सरोकार जन समुदाय के व्यापक हितों से न होकर एक विशेष उद्देश्य से होता है जो कुछ निश्चित स्वार्थों पर आधारित होता है। हालांकि ये कभी–कभी ऐसे मुद्दों को लेकर आन्दोलनात्मक स्वरूप भी हासिल करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि समाज का हित होता हो। ये दबाव समूह या हित समूह विभिन्न मुद्दों को लेकर कार्य करते हैं तथा जनता के समक्ष भी कुछ मुद्दों को रखते हैं तथा उन्हें स्पष्ट करते हैं जैसे भ्रष्टाचार, आदि से सम्बन्धित मुद्दे। हित समूह या दबाव समूह वैसे तो प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं किन्तु लोकतान्त्रिक देशों में इनकी संख्या अधिक पायी जाती है। ये दबाव समूह मजदूर संघों के रूप में, युवा संगठनों के रूप में, छात्र संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय समाज में भी दबाव समूहों की उपस्थिति किसी न किसी रूप में पायी जाती रही है। इन दबाव समूहों मे से बहुत से समूहों ने सामाजिक किया के रूप में कार्यवाही करते हुए लोगों को एकजुट किया और अभिष्ट परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही भी की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी उपस्थिति विभिन्न रूपों में रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी प्रारम्भ

में एक दबाव समूह के रूप में ही अस्तित्व में आई थी। जिसने सामाजिक क्रिया के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया था और कालान्तर में एक स्वतन्त्र राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गयी। इसी प्रकार दूसरे संगठनों ने भी नीतियों को अपने हितों के अनुकूल बनवाने के लिए प्रयास किये। सामाजिक दबाव समूहों को इनके हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–नृजातीय समूह, व्यवसायिक समूह, सामुदायिक समूह तथा संस्थात्मक समूह आदि।

नृजातीय दबाव समूह

ये विशिष्ट प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक समूह होते हैं। जो धर्म भाषा, क्षेत्र, जाति, प्रजाति तथा लैंगिक पहचान से सम्बद्ध होते हैं। इनकी जड़ें सामाजिक संरचना में ही होती हैं। ये समूह अपने विशिष्ट हितों को लेकर प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं और उनके लिए विशिष्ट मांगे रखते हैं। ये समूह समाज के संसाधनों में अधिक से अधिक भागीदारी की मांग करते हैं। नृजातीय समूहों में बहुत से धार्मिक तथा जाति आधारित समूह या तो विशुद्ध रूप से सामाजिक अथवा सामुदायिक सेवा का कार्य करने का प्रयास करते हैं अथवा राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के दबावों का प्रयोग करते हुए वांछित परिवर्तन लाने अथवा रोकने के लिए कार्य करते हैं। इस श्रेणी में हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आन्दोलनों को भी रख सकते हैं। जिनमें से अधिकांश आन्दोलनों में व्यापक स्तर पर जनसहयोग प्राप्त किया गया और अहिंसात्मक साधनों से उन्हें चलाकर दबाव बनाया गया। सामाजिक क्रिया के रूप में विभिन्न सुधार आन्दोलनों के माध्यम से समाज के व्यापक ढांचे में परिवर्तन तथा सुधार के लिए प्रयास समय–समय पर होते रहे हैं। जैसे पुर्नजागरण काल के समय से ही तथा 19वीं शताब्दी के दौरान राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों ने ब्रम्ह समाज के माध्यम से तत्कालिक समय में प्रचलित कुरीतियों यथा विधवाओं की दयनीय दशा, बाल विवाह तथा शिक्षा की खराब स्थिति के विरूद्ध दबाव बनाकर इन समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार पर कानून बनाने के लिए बल दिया। ब्रम्ह समाज एक ऐसा आन्दोलन था जिसका नेतृत्व ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा था जो शिक्षित थे तथा जिन पर पाश्चात्य जगत के विचारों का गहरा प्रभाव था। इन्होंने तार्किक विचारों तथा मानवतावादी विचारधारा के आधार पर भारतीय समाज में गहराई तक बैठी हुई कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष किया और परिवर्तन लाने के लिए प्रयास प्रारम्भ किये। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरूद्ध कार्य किये और उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप इस पर रोक लगाने के लिए विधान पारित किए गये। इसी परम्परा में आगे विधवा पुर्नविवाह और महिला शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किये गये। यह आन्दोलन जाति प्रथा की कट्टरता के विरूद्ध भी कार्य करता था तथा इसके द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भी केशव चन्द्रसेन आदि के माध्यम से कानूनी प्रावधान बनाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया। इस आन्दोलन के प्रभाव का विस्तार बंगाल और निकटवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक गहन था जिसने सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा बौद्धिक वर्गों को प्रभावित किया। ये सामाजिक दबाव समूह जो मुख्यतः सामाजिक सेवा से सम्बन्धित कार्य करते हैं वे राजनीतिक एवं आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा में सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का भी प्रयोग करते हैं जैसे रामकृष्ण मिशन ऐंग्लों इंडियन क्रिश्चियन एसोशियेशन, जैन सेवा संघ आदि अन्य संस्थाओं में जो अपने–अपने समुदाय के शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नरत है और इसके लिए वे अपने समुदाय को संगठित करते हैं और सरकार पर दबाव बनाने के लिए सामाजिक क्रिया का सहारा लेते हैं। इनमें आर्य समाज आन्दोलन एक महत्वपूर्ण दबाव समूह रहा है। इसके संस्थापक दयानन्द सरस्वती थे जिन्होंने तत्कालीन हिन्दू समाज में व्याप्त ऊंच नीच कर्मकाण्डवाद आदि धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध कार्य करना प्रारम्भ किया। इन्होंने सामाजिक कार्यक्रम चलाये तथा जाति व्यवस्था के उन्मूलन

करने और वर्ण व्यवस्था द्वारा इसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इस सामाजिक आन्दोलन ने योग्यता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने पर बल दिया। यह आन्दोलन यद्यपि वेदों की मान्यताओं का पालन करने पर बल देता था किन्तु कई मायनों में इसने आधुनिक विचारों को प्रश्रय दिया। आर्य समाज के कार्यक्रमों में लैंगिक समानता तथा स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित योजनायें सम्मिलित थीं। इन्होंने समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए दयानन्द एंग्लो–वैदिक कॉलेजों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया। यह आन्दोलन हिन्दूओं के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास से ही सम्बन्धित था इसलिए इसको एक विशिष्ट सामाजिक दबाव समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। इसी प्रकार का का एक प्रसिद्ध आन्दोलन मुस्लिमों में भी चलाया गया। जिसे अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से जाना जाता है इसके प्रवर्तक सर सैय्यद अहमद खान थे जो आधुनिक विचारों से प्रभावित थे ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार को लेकर कार्य कर रहे थे। इन्होंने मुस्लिमों में पाये जाने वाले अज्ञानता और तर्कहीनता के विरूद्ध कार्य करना प्रारम्भ किया तथा हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए भी कार्य किया। 1875 में इन्होंने मोहम्मडन–एंग्लो ओरिएण्टल कालेज की स्थापना की जो कालान्तर में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। इस आन्दोलन ने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और पर्दा प्रथा का विरोध किया। नृजातीय समूह भी सामाजिक क्रिया की रणनीतियों का उपयोग करते हुए परिवर्तनों को लाने के लिये संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हैं। नृजातीय समूहों की एक विशेषता यह भी होती है कि यह समूह अपनी विशिष्ट पहचान के आधार पर अत्यन्त संगठित होते हैं जिसके कारण ये अपने हितों के विषय में जागरूक होते हैं तथा सहजता से ही ऐसे किसी आन्दोलन अथवा कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं जिनमें उनके अधिकारों को लेकर के संघर्ष किया जाता है अथवा कोई कार्यवाही की जाती है। हालांकि कभी–कभी यह समूह अपने अधिकारों को लेकर के हिंसात्मक संघर्ष करने लगते हैं किन्तु समाज कार्य में हिंसात्मक साधनों को नहीं अपनाया जाता है। वहीं अधिकांश नृजातीय समूह अहिंसात्मक ढंग से अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करते हैं जैसे महिलाओं का समूह जो अपने लिये लैंगिक आधारों पर विशिष्ट कार्यक्रमों को अपनाये जाने की मांग करती हैं। यह वे समूह है जो अपने विशिष्ट लैंगिक समस्याओं का समाधान चाहते हैं जैसे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं प्रतिनिधित्व। इसके लिये इन समूहों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है तथा विशिष्ट स्थानों की भी मांग की जाती है।

दलित वर्ग के दबाव समूह

भारत में भक्ति काल से ही दलितों की सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हो गये थे। किन्तु एक सामाजिक दबाव समूह के रूप में ये तब महत्वपूर्ण हुए जब 19वीं शताब्दी में इन्होंने ज्योतिबा फुले के नेतृत्व एवं प्रेरणा से जाति विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ किये जो 1920 के दशक में डा. बी. आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में आगे बढा। इस वर्ग ने स्वयं को विभिन्न समूहों के रूप में संगठित करना शुरू किया। जिनमें महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज, तमिलनाडु का आत्म सम्मान, आन्दोलन बंगाल के आदि धर्म आन्दोलन प्रमुख हैं। इन संगठनों ने दलितों की स्थिति में सुधार के लिए न केवल विभिन्न प्रकार के सामाजिक आन्दोलन का संचालन किया बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में भी अपने लिए विशिष्ट स्थानों की मांग की जिनमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसी मांगे प्रमुख थी। हालांकि दलितों में अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का विकास ज्योतिबा फुले तथा अन्य दलितों सामाजिक नेताओं के प्रयासों के साथ ही प्रारम्भ हो गये थे किन्तु जब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिये विशिष्ट संगठनों की स्थापना की और दलित चेतना लीग जैसे संगठनों के माध्यम से दलितों में पायी जाने

वाली समस्याओं के उन्मूलन के लिये कार्य करना प्रारम्भ किया और इन्हें राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिये शासन और सत्ता में उपस्थिति तथा सहभागिता की मांग की इसके लिये उन्होंने दलितों के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की और दलितों के हितों को सामान्य हिन्दू जातियों के हितों से अलग और विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिये उन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये, दलितों के लिये पृथक निर्वाचन की मांग को रखा तथा दलितों को एक दबाव समूह के रूप में बनाने के लिये प्रयास प्रारम्भ किये उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दलितों की समस्यायें अन्य वर्गों की समस्याओं से अलग हैं। इसलिये उनके लिये विशिष्ट संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिये। किन्तु दलितों का एक दबाव समूह के रूप में विकास 1990 के दशक के बाद अत्यन्त तीव्र गति से हुआ जब उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी का एक राजनीतिक दल के रूप में तेजी से विकास हुआ और दलितों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन और सत्ता में सहभागिता करनी शुरू की। इससे दलित वर्ग का दबाव समूह के रूप में विकास हुआ। वर्तमान में केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं में दलित वर्ग समूहों के लिये विशिष्ट प्रावधान किये जाते हैं जैसे छात्रवृत्ति देना, सेवाओं में प्राथमिकता देना, अनुदान देना और आवासीय योजनायें चलाना तथा इन्हें सामाजिक भेदभाव से बचाने के लिये विशिष्ट कानूनों का प्रावधान करना जैसे जो भी कार्य किये जा रहे हैं उनके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में दलित वर्ग एक पृथक सामाजिक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है।

वर्तमान में सामाजिक क्रिया के रूप में दलितों के कल्याण के लिये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सरकारी तथा अन्य संस्थाओं की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा दलितों के कल्याण के लिये कार्य किया जा रहा है।

कृशकों का सामाजिक दबाव समूह

भारत कृषकों का देश रहा है और आज भी इसकी जनसंख्या का वृहद भाग गांवों में ही रहता है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। अतः कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के कार्य प्रारम्भ किये गये। जिनमें जमींदारी का उन्मूलन करना तथा भूमि–सुधार के उपायों को लागू करना जैसे कार्य थे। आगे चलकर हरित क्रांति ने ग्रामीण समाजों में सम्पन्नता उत्पन्न की और फिर चुनावी राजनीति का भी ग्रामणी क्षेत्रों पर प्रभाव पडा और यहां राजनीतिक चेतना और जागरूकता का विकास हुआ परिणामस्वरूप भिन्न–भिन्न हितों वालें समूहों का विकास हुआ जो अपने हितों की रक्षा के नाम पर संगठित होने लगे। इनमें किसान सभा एक प्रमुख समूह था। यह वामपंथी रूझान वाला एक संगठन था जिसने किसानों को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया हालांकि इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व ही हो चुकी थी फिर भी भारत में किसानों के मुद्दों की उठाने वाला यह एक प्रमुख संगठन है। इस संगठन ने समय–समय पर किसानों की मांगों को सरकार के समक्ष रखा और उन्हें पूरा करने के लिए आन्दोलन चलाये। इनकी प्रमुख मांगों में कर्ज माफी कम ब्याज पर ऋण देना तथा कृषि उपजों के उचित मूल्य देना आदि प्रमुख रही है। किसानों के ऐसे बहुत से दबाव समूह कांग्रेस, वामपंथी दलों तथा अन्य राजनीतिक दलों में उपस्थित हैं। जो किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अनुकूल नीतियां बनवाने के लिए दबाव डालते रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल किसानों को उनके शोषण के सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागरूक करने का भी कार्य करते हैं। किसान आन्दोलन की सफलता ने राजनीतिक कार्यक्रमों में कृषि सम्बन्ध मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। भारतीय किसान यूनियन उत्तर भारत में एक प्रभावी कृषक दबाव समूह है।

मजदूर दबाव समूह

भारत में मजदूर दबाव समूह आन्दोलन का एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है। औपनिवेशिक काल में ही इन्होंने एक प्रमुख सामाजिक क्रिया के रूप में प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर दिया था। इन्होंने अपने हितों के लिए संगठित होना तथा शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। भारत में श्रमिक संघ आन्दोलनों को राजनीतिक दलों का भी प्रश्रय प्राप्त हुआ जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साम्यवादी दल प्रमुख थे। ये मजदूर संगठन न केवल कारखानों के ही स्तर पर सक्रिय थे बल्कि कुछ ने राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की समस्याओं को उठाना प्रारम्भ कर दिया। इनमें 1920 में स्थापित एटक जो कांग्रेस का मजदूर संगठन था एक प्रमुख संघ था। वहीं दूसरे प्रमुख मजदूर संगठनों में इण्टक, हिन्द मजदूर सभा तथा सीटू आदि रहे हैं। इन मजदूर संघों ने राजनीतिक प्रणाली के अलावा सामाजिक प्रणाली में भी अपनी एक प्रभावी उपस्थिति बना दी थीं। इसलिए नीति निर्माण के स्तर पर दबाव डालने और मजदूरों के हितों के अनुकूल नीतियां बनवा लेने में इनको पर्याप्त सफलता भी मिली। इन्होंने मजदूर वर्गों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में भी सफलता प्राप्त की आज भी एक दबाव समूह के रूप में इनकी उपस्थिति प्रभावी है। मजदूरों के दबाव समूह भी सामाजिक क्रिया के रूप में आन्दोलनात्मक कार्य करते रहते हैं। मजदूरों के संगठन मजदूरों की समस्याओं को विशिष्ट ढंग से समझते हैं इसलिये जब कभी भी शासन, सत्ता तथा उद्योगों के द्वारा इनके हितों के विपरीत कोई नीति बनायी जाती है अथवा कोई निर्णय लिया जाता है तब ये मजदूर संगठन आन्दोलन का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा सामाजिक क्रिया में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों एवं साधनों का उपयोग किया जाता है जैसे हडताल, तालाबन्दी, काम रोको, धरना, प्रदर्शन, घेराबन्दी, उपवास आदि ये संगठन राजनीतिक रूप से भी अत्यन्त सक्रिय होते हैं इनके द्वारा राजनीतिक दलों के माध्यम से भी संस्थाओं पर दबाव डालने और अपने पक्ष में नीतियां बनवाने और लाभ प्राप्त करने के लिये कार्य किया जाता है। किन्तु मजदूर संगठनों के कार्यक्रमों में कभी–कभी हिंसा का भी प्रवेश हो जाता है जो समाजिक क्रिया के मूल्यों और दर्शन के विपरीत हैं इसलिये जब व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी किसी क्रिया अथवा आन्दोलन का संचालन किया जाता है जो मजदूरों के हितों से सम्बन्धित होती हैं तो यह प्रयास किया जाता है कि ऐसे कार्यक्रमों में हिंसा और अव्यवस्था का प्रवेश न होने पाये। इसके लिये सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मजदूर संगठनों के माध्यम से श्रमिकों को शिक्षित करने का कार्य किया जाता है तथा उन्हें अहिंसक एवं अनुशासित ढंग से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सामाजिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है।

व्यवसायिक दबाव समूह

व्यवसायिक दबाव समूह नीतियों को प्रभावित करने तथा अपने हितों की रक्षा करने में अत्यन्त सक्रिय रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में व्यवसायिक संगठनों ने स्वयं को संगठित करना प्रारम्भ कर दिया था। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं के विभिन्न दबाव समूहों का गठन करना प्रारम्भ कर दिया। जिससे उन्हें लाईसेन्स और इंस्पेक्टर राज से सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसीलिए विभिन्न प्रकार के समूहों एवं संगठनों का गठन प्रारम्भ होने लगा जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने लगी। इन संगठनों में फिक्की, सी.आई.आई. (कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज) प्रमुख है। जो न केवल भारतीय उद्योगों के हितों की देखभाल करते हैं बल्कि सरकार को भी औद्योगिक नीतियों के निर्माण में सलाह देते रहते हैं। ये संगठन उद्योगों के हितों के लिए अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए दबाव भी डालने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान समय में ये व्यवसायिक संगठन अत्यन्त ही प्रभावशाली आर्थिक–सामाजिक दबाव समूह का रूप ले

चुके हैं ये विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के हितों की रक्षा के लिये कार्य करते हैं बल्कि आवश्यकता पडने पर ये न केवल नवीन नीतियों का निर्माण करवाते हैं बल्कि वर्तमान नीतियां में परिवर्तन भी करवाते हैं। ये सरकार के ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों की प्रत्यक्ष तौर पर आलोचना भी करते हैं जिससे देश की अर्थ व्यवस्था, उद्योगों तथ आम जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पडता हो। सरकारें भी इन हित समूहों के द्वारा जिन मुद्दों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है उनको गम्भीरता से लेती हैं। सामाजिक किया के रूप में इन हित समूहों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब आम जनता के लिये किसी विशिष्ट नीति अथवा योजना का निर्माण करवाना हो, धन का आवंटन करवाना हो अथवा सरकार के किसी कार्य का विरोध करना हो इस प्रकार से व्यवसायिक संगठन भी सामाजिक किया के रूप में दबाव उत्पन्न करने का कार्य करते हैं।

संस्थागत दबाव समूह

ये समूह सरकारी तंत्र का ही हिस्सा होते हैं और अपने हितों और मांगों के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं और उनकी शर्तों के लिए कार्य करते हैं। इन्हें हम विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संगठनों के रूप में देख सकते हैं। जैसे उ.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ आदि। ये समूह आम जनता के स्तर पर कार्य करने के स्थान पर मात्र अपने हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं वे अपने हितों में नीतियों बनवाने और अधिक से अधिक सुविधायें हासिल करने के लिए कार्य करते हैं। वे ये समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों का समर्थन करने वाले समूहों की सहायता करते हैं। और कभी–कभी उनके साथ एक गठजोड का भी निर्माण करते हैं और संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सरकार पर दबाव डालते हैं। इन समूहों का अधिकतर ध्यान अपने कार्य दशाओं में सुधार करना वेतन वृद्धि के लिए कार्य करना होता है किन्तु कभी–कभी ये कुछ विशिष्ट समस्याओं को लेकर भी एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं तथा सरकार पर दबाव डालते हैं जिनका सम्बन्ध आम जनता के समस्याओं से होता हैं अपनी संख्या वनल और संगठन की क्षमता के कारण ये सरकारों पर दबाव डालने में सक्षम हो जाते हैं।

समसामयिक या तदर्थ दबाव समूह

ये समूह आवश्यकता के अनुसार अस्तित्व में आते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति होने तक सकिय एवं संगठित रहते हैं और जैसे ही उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं ये समूह प्रायः तात्कालिक महत्व के कुछ मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करते हैं। सरकार के कुछ निर्णयों का विरोध करते हैं अथवा कुछ सुविधाओं की मांग करते हैं। कभी–कभी कुछ समूह स्थायी संगठन एवं आकार भी ले लेते हैं।

इस प्रकार से ऐसे बहुत से विविधतापूर्ण दबाव समूह होते हैं जो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। ये समूह लोकतांत्रिक एवं संसदीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्य करते हैं। विधायी स्तर पर एवं पार्टी स्तर पर भी अधिकारियों से अनौपचारिक सम्बन्ध बनाये रखते हैं। ये ज्ञापन देने के माध्यम से, शिष्टमंडल भेजकर तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करके अपने सम्बन्धों का प्रयोग करते हैं एवं उसका विस्तार करते हैं। ये जनसंचार के माध्यमों का भी प्रयोग करते है तथा मीडिया एवं अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये अपने हितों को आम जनता के हितों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन सामाजिक दबाव समूहों की परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये आम जनता एवं शासक वर्ग के समक्ष सेतु का भी कार्य करते है तथा उनके बीच संचार

को बढावा देते हैं। ये आम जनता के मुद्दों को शासन सत्ता के बीच ले जाने का भी कार्य करते हैं ये किसी भी मुद्दे को गतिशील करने एवं सामाजिक परिवर्तन लाने में भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समस्याओं के सन्दर्भ में सृजित नागर जन दबाव समूह इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

25.3 सारांश

सामाजिक दबाव समूह संगठित समूह होते हैं जो अपने समूह सदस्यों के सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं ये सत्ता संस्थानों से किसी न किसी प्रकार से जुडे रहते हैं तथा निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न रहकर बाहर से दबाव डालकर निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये स्वयं सत्ता का संचालन करने के स्थान पर बाहर से दबाव डालकर निर्णयों को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं। इस रूप में कभी–कभी दबाव समूह अत्यन्त प्रभावकारी हो जाते हैं और इनके माध्यम से अल्प समय में ही परिवर्तनों को लाया जा सकता है।

25.4 शब्दावली

नृजातीय समूह	विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करने वाले समूह।
व्यवसायिक संगठन	विभिन्न व्यवसायों के लोगों के द्वारा गठित किये गये संगठन जो अपने–अपने व्यवसायों के नाम से जाने जाते हैं।
मजदूर संगठन	श्रमिकों के वे संगठन जो श्रमिकों के हितों के लिये कार्य करते हैं।
समसामयिक	वर्तमान में घटित होने वाली प्रासंगिक घटनायें।

25.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।
- मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।
- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंडियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक क्रिया और सामाजिक दबाव से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिये।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक क्रिया का सामाजिक दबाव उत्पन्न करने में कहां तक योगदान है? स्पष्ट कीजिये।

.....

.....

.....

.....

3. सामाजिक दबाव उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों का वर्णन कीजिये।

.....

.....

.....

.....

25.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. सामाजिक किया में परिवर्तन लाने के लिए सहयोग एवं संघर्ष दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामाजिक दबाव समूहों के माध्यम से भी कार्य किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक–राजनीतिक वैधानिक परिवर्तन के प्रति सत्ता संस्थानों में विरोध की एक प्रवृत्ति होती है। अतः ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों की सहायता लेकर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा सकता है। समाज में कई प्रकार के दबाव समूहों की उपस्थिति होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर नवीन दबाव समूहों का भी गठन किया जा सकता है। इन दबाव समूहों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे–एडवोकेसी समूह, लॉबींग समूह, अभियान/प्रचार समूह, हित समूह या विशिष्ट हित समूह इन सामाजिक दबाव समूहों का उपयोग जनमत तथा नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

2. सामाजिक दबाव समूह संगठित समूह होते हैं जो अपने समूह सदस्यों के सामूहिक हितों के लिए कार्य करते हैं। ये सत्ता संस्थानों से किसी न किसी प्रकार से जुडे रहते हैं तथा निर्णयों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न रहकर बाहर से दबाव डालकर निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हित समूह या दबाव समूह वैसे तो प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं किन्तु लोकतान्त्रिक देशों में इनकी संख्या अधिक पायी जाती है। ये दबाव समूह मजदूर संघों के रूप में, युवा संगठनों के रूप में, छात्र संगठनों के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय समाज में भी दबाव समूहों की उपस्थिति किसी न किसी रूप में पायी जाती रही है। इन दबाव समूहों मे से बहुत से समूहों ने सामाजिक किया के रूप में कार्यवाही करते हुए लोगों को एकजुट किया और अभिष्ट परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही भी की है।

3. दबाव समूहों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे–एडवोकेसी समूह, लॉबींग समूह, अभियान/प्रचार समूह, हित समूह या विशिष्ट हित समूह इन सामाजिक दबाव समूहों का उपयोग जनमत तथा नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इन दबाव समूहों ने एक राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया है।

इकाई–26 : सामाजिक किया एवं सामाजिक नेटवर्क

इकाई की रूपरेखा

26.0 उद्देश्य

26.1 प्रस्तावना

26.2 सामाजिक किया एवं सामाजिक नेटवर्क

26.3 सारांश

26.4 शब्दावली

26.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

26.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

26.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक किया एवं सामाजिक नेटवर्क की चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक किया एवं सामाजिक नेटवर्क की अवधारणा से परिचित हो सकंगे।
- सामाजिक किया का उपयोग किस प्रकार से सामाजिक नेटवर्क बनाने में किया जाता है इससे अवगत हो सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के सामाजिक नेटवर्किंग समूहों के विषय में जान सकेंगे जो सामाजिक किया का प्रयोग अपने विशिष्ट एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये करते हैं।

26.1 प्रस्तावना

समाज कार्य में स्वैच्छिक संगठनों या गैर सरकारी संगठन के बीच एक अन्तः सम्बंध या जाल के विकास का प्रयास किया जाता है। ऐसी संस्थायें जो समान उददेश्यों की प्राप्ति मे लगी रहती हैं का प्रभावी ढंग से काम करने के लिए साथ साथ काम करना या सहयोग करना स्वीकार कर लें इसके लिये उन्हें एक साथ लाने का प्रयास सामाजिक नेटवर्क द्वारा किया जाता है। सामाजिक नेटवर्क की मुख्य विशेषताएं हैं– समान रूचि रखने वाली संस्थायें जो एक क्षेत्र या कस्बे मे काम कर रही हैं स्वंय की नेटवर्किंग बनाने के लिए साथ साथ आती हैं ये संस्थायें अपने सामान्य हितों के संरक्षण और विकास के लिए सामाजिक संजाल स्थापित करती है और उन्हें सामाजिक हितों के माध्यम से पुष्ट करती है। ये संस्थायें प्रायः एक समान आचार संहिता बनाने के लिए सहमत होती हैं। ये विविधतापूर्ण कार्यक्रमों को सम्पन्न करती हैं। तथा सरकारी विभागों से संबंध स्थापित करती

हैं। इस प्रकार सामाजिक संस्थायें सामाजिक नेटवर्क की स्थापना करती हैं और सामाजिक किया के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संयुक्त कार्यवाही करती हैं।

26.1 सामाजिक किया एवं सामाजिक नेटवर्क

नेटवर्क या संजाल से आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न तन्तु या रेखाएं आपस में एक दूसरे से उददेश्यपूर्ण तरीके से जुडे रहतें हैं। इन तन्तुओं का जुड़ाव किसी विशिष्ट उददेश्य की पूर्ति के लिए होता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिको ने इसको व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों का एक संयोजन या जमाव बताया है। उन्होंने इस अवधारणा को संजाल या सामाजिक किया, सामाजिक विन्यास की संज्ञा देनी प्रारम्भ कर दी। मौलिक रूप से इस अवधारणा का प्रयोग मानव समाज में आपस में पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के स्वास्थ्य को समझने के लिये किया गया था। यह एक अमूर्त अवधारणा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली घटना है। सामाजिक संरचना किसी समाज के मूलभूत सामाजिक संस्थानों से संबंधित होती है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हरबर्ट स्पेन्सर द्वारा किया गया था। इसके माध्यम से समाज की बनावट को समझने का प्रयास प्रारम्भ हुआ। संरचना का एक अन्य अर्थ सहमति का दृष्टिकोण भी है। इसका आधार व्यक्तियों का आपसी संबंध है। ये संबंध आपस में इस अपेक्षा से निर्मित होते है कि समाज के सभी सदस्य इन नियमों का पालन करेंगें। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक नेटवर्क का आशय उन संस्थाओं से है जो एक से अधिक व्यक्ति या समूह के संबंधों को विनियमित करतें हैं। संरचना में स्थायित्व के साथ साथ गतिशीलता भी पायी जाती है अर्थात समय के साथ संरचना के विभिन्न अंगों में परिवर्तन भी होता रहता है। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्य करती है इसलिए समाज अपनी और सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सामाजिक नटवर्क/संजाल की स्थापना करते हैं।

समाज कार्य में नेटवर्क या संजाल की अवधारणा का प्रयोग गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों के एक अन्तः संबंध या जाल या संरचना के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। वर्तमान में बहुत से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा मिल जुल कर प्रयास किये जा रहे हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था में इन संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिकायें प्राप्त हो रही हैं। सरकारें अपनी भूमिकाओं को पुर्नपरिभाषित कर रही हैं और उन्हे सीमित भी कर रही है। राज्य अपने दायित्व को सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर डाल रहा है। किन्तु गैर सरकारी संगठनों में एकरूपता का अभाव है जहाँ एक तरफ कुछ संगठन जिनका वित्तियन और कार्य अनुभव सशक्त है, सही ढंग से कार्य कर रहे हैं वही कुछ संगठनों में एक स्पष्ट कार्यप्रणाली एवं अनुभव का अभाव है। जिससे वे कमजोर एवं निष्प्रभावी दिखायी देते है, इसलिए भी सामाजिक संगठनों के द्वारा सामाजिक नेटवर्क एवं सहभागिता का विकास किया जा रहा है। इससे जहाँ एक तरफ कमजोर सामाजिक संगठनों को कार्य का अनुभव प्राप्त होता है वहीं वे अपनी वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ करते हैं। ये संगठन सामान्यत; एक नोडल एजेन्सी के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं और किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते है। प्राय; सामाजिक संस्थाये किया के रूप में भी कार्य करती हैं। वर्तमान समाजों में बहुत सी समस्यायें ऐसी है जिनके समाधान के लिए संयुक्त कार्यवाही के रूप में सामाजिक क्रिया की आवश्यकता होती है, अत; ये संगठन मेल–मिलाप से कार्य करते है। सामाजिक नेटवर्क का उपयोग दबाव समूह के रूप में भी किया जाता है। जब किसी विशेष मुददे की माँग या विरोध के लिए सामाजिक संगठनों के द्वारा किसी

कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाता है तब ये सरकार तथा अन्य संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते है एवं माँग पूर्ति के लिए दबाव भी डालते है। जैसे– आजकल पर्यावरण से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय संस्थाओं के द्वारा प्रदूषण एवं वनों के कटान से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने एवं कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। यहाँ कभी–कभी पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक विकास में टकराव की स्थिति भी दिखाई देती है जिससे सरकारें भी औद्योगिक हितों को प्रभावित करने वाले कानूनों के निमार्ण से बचना चाहती है। अतः सामाजिक क्रिया से सम्पूर्ण रूप में संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक क्रिया एक ऐसी कार्यप्रणाली हैं जिसमें सामूहिक रूप से कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। अतः इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन एक मंच पर आयें क्योंकि सामाजिक नेटवर्क की विशेषताओं का उपयोग समाज कार्य में विभिन्न रूपों में किया जाता है। इन संगठनों का कार्यक्षेत्र एक गाँव या कस्बे से लेकर पूरा विश्व तक हो सकता है। अतः कई संगठन एक साथ मिलकर काम करने के लिए साथ आते हैं। जैसेः– पर्यावरण विषय पर देखें तो अनेकों संगठन ऐसे हैं जो स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक आपस में संजाल बनाकर कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण में क्षरण से लेकर जलवायु परिवर्तन और वैश्विकतापन तक विषयों के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्क का एक लाभ यह भी होता है कि सामाजिक संस्थाए किसी विषय की समझ का विकास स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक करती हैं और अनुभवों का पारस्परिक लेनदेन भी करती है। ये संस्थाए साथ मिलकर कार्य करती हैं और विरोध तथा सहमति का प्रदर्शन कर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। इनके प्रयासों में ये संस्थाएं वैयक्तिक स्तर पर कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं समूहों को भी सम्मिलित करते हैं जिनमें सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध व्यक्ति, वकील, सांसद, मंत्री, कलाकार तथा खिलाड़ी आदि कोई भी हो सकता है। इनकी सक्रियता का लाभ लेने के लिए इनका समर्थन प्राप्त करने के लिए सामाजिक संस्थायें इनके साथ अपने संबंधों को पुष्ट बनाते हैं और विभिन्न मुददों पर कार्यवाही करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करते हैं। यें अपने ज्ञान अनुभव और संबंधों का लाभ एक दूसरे को पहुँचाते हैं सामाजिक नेटवर्क में प्रायः संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा साथ मिलकर कार्य करने के दौरान किसी सामान्य आचार संहिता का निर्माण कर लिया जाता है। इसके लिए सभी की परस्पर सहमति प्राप्त की जाती है और आचार संहिता पर दृढ रहते हुये उसका पालन किया जाता है। सामाजिक नेटवर्क के अर्न्तगत विभिन्न स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्य एक कार्यक्रम का निर्माण कर तथ्यों को निर्धारित करते है और बहुस्तरीय कार्यक्रमों को सम्पन्न करते हैं। सामाजिक नेटवर्क का निर्माण सामाजिक क्रिया के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के कार्य किये जाते हैं तथा सामाजिक संस्थाओं, रीति रिवाजों विधानों तथा जनमत में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है। जैसा कि फिच (1940) ने सामाजिक क्रिया की विशेषता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सामाजिक क्रिया वह कार्य है जो किसी समूह या सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति के द्वारा कानूनी और सामाजिक रूप से वांछित उददेश्यों को पूरा करने के उददेश्य से संबंधित है सामाजिक क्रिया एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जहाँ पर सामूहिक प्रयासों से सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दशाओं को प्रभावित करते हुये अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए कार्य किया जाता है। यह समाज में व्यापक परिवर्तन लाने से संबंधित है। सामाजिक क्रिया के अर्न्तगत समाज कल्याण से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है जिसके लिए सामाजिक नेटवर्क की आवश्यकता पडती है क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए तथा समाज में परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक नीतियों

का रूप तय करने वाली सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए निर्देशित होती है। सामाजिक क्रिया के लिए संगठन का ज्ञान और दक्षता का होना अत्यन्त आवश्यक है सहभागिता सामाजिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण अवयव तथा लोगों की भागीदारी के परिणामस्वरूप ही कोई भी संगठन संस्थागत हो सकता है। अतः जब संगठन का निर्माण हो जाता है तब से सामाजिक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से नेताओं और समूहों की भूमिका का उपयोंग न केवल परिवर्तन के लिए बल्कि विकास के उददेश्य की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है।

सामाजिक नेटवर्क के अर्न्तगत संस्थाओं को भौगोलिक अथवा उनके गठन के उददेश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकांशतः संस्थायें विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं। इनमें से अधिकांश संस्थायें स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। जबकि बहुत सी संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है जैसे केयर, सी.आर.एस. और ऑक्सफेम जैसी संस्थायें विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती हैं और ये विकासशील देशों में भी सक्रिय है। ये संस्थायें इन देशों में प्रत्यक्षतः कार्य करती हैं तथा सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हुए स्थानीय संस्थाओं के साथ सहकार स्थापित करते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यवाही करती है। समाजिक नेटवर्क के अन्तर्गत एकल देशीय संस्थायें भी होती हैं तथा दूसरी तरफ अन्य समूह निकाय और संस्थायें भी होती है, जो पूरी तरह से सरकारों के नियंत्रण से मुक्त होती हैं। इन संस्थओं में बहुत सी संस्थाएं धरातल पर सक्रिय होती हैं, कुछ मध्यवर्ती स्तर पर कार्य करती हैं तथा कुछ सामाजिक क्रिया के लिए कार्य करने के लिए सक्रिय होती हैं। सामाजिक क्रिया में कार्यवाही के लिए सामाजिक नेटवर्क के अन्तर्गत संस्थायें निम्नवत् रूपों में कार्य करती हैं–

वित्तीयन प्रदान करने वाली संस्थाओं से नेटवर्क

इसके अन्तर्गत वे संस्थायें आती हैं जो विकासशील देशों में कार्य करने वाली संस्थाओं को समर्थन एवं जनसहयोग प्रदान करती हैं। ये संस्थायें अभियानों, वार्ता, समझौतों आदि के माध्यमों से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं तथा संचार एवं सहभागिता के मार्ग का चयन करती हैं। ये संस्थायें एक साझेदारी का विकास करती हैं तथा बहुलवाद को बढावा देती हैं। ये संस्थायें अपनी सरकारों से भी वित्तीय सहायता की मांग करती हैं तथा विकास से सम्बन्धित कार्यकमों के निर्माण का कार्य करती हैं तथा उनका संचालन भी करती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा साझेदारी के विकास के लिए अपने सामाजिक नेटवर्क का विकास किया जाता है। विकास सम्बन्धी कार्यकमों का संचालन करने के लिए ये आपस में ही किसी संस्था को प्रोजेक्ट चलाने के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित कर देती हैं फिर यह नोडल संस्था विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही सभी संस्थाओं को वित्तीयन करती है तथा प्रोजेक्ट के संचालन में आवश्यक तकनीकी परामर्श तथा अन्य प्रकार के सहायता प्रदान करती हैं तथा मार्गदर्शन भी करती हैं। यह सामाजिक क्रिया के रूप में संयुक्त प्रयासों से किया जाने वाला कार्य होता है।

इन संस्थाओं में कुछ संस्थायें तकनीकी रूप से हस्तक्षेप करने वाली संस्थायें भी होती हैं जो विकास से सम्बन्धित कार्यकमों का संचालन स्वयं करती हैं। ये संस्थायें नियोजन एवं कियान्वयन का कार्य स्वयं ही करती हैं। किन्तु उनकी कियाविधि तथा रूचि का मुख्य केन्द्र किसी प्रोजेक्ट का तकनीकी पुन्ज ही होता है। इन संस्थाओं में सर्वप्रमुख उल्लेखनीय संस्था केयर है जो अनेक देशों में कार्य करती है तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यकमों आदि के माध्यम से अन्य संस्थाओं को सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। सामाजिक संस्थाओं के लिये आवश्यक है कि वे वित्तीयन करने वाली संस्थाओं के साथ

अपने नेटवर्किंग की प्रणाली को सुदृढ रखें क्योंकि सामान्य तौर पर संस्थाओं के पास तकनीकी रूप से कार्य करने का अनुभव एवं ज्ञान अपेक्षाकृत सीमित होता है। इन संस्थाओं को क्षेत्र में कार्य करते समय तकनीकी ज्ञान एवं कुशलता की आवश्यकता होती है जिनकी प्राप्ति वे वित्तीयन संस्थाओं अथवा नोडल एजेंसी से करती हैं। संस्थायें वित्तीय रूप से तकनीकी एवं प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं होती हैं इसलिये भी उन्हें सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग करते हुये एक ही क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के साथ सम्बन्ध बनाये रखना पडता है जिससे वे एक दूसरे के संसाधनों का सदुपयोग कर सकें।

मध्यवर्ती संगठन

इसके अर्न्तगत वे संगठन अपना नेटवर्क बनाते हैं जो अन्य संगठनों को समर्थन देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले किसान संगठन, औद्योगिक मजदूर संगठन तथा कियात्मक संगठनों के बीच आपस में तालमेल बनाना है। ये संगठन इसलिए कियाशील होते हैं क्योंकि आपस में मिलजुल कर उन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य कर सकें जहां पर सरकारों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इनके द्वारा रोजगार सृजन के लिए भी कार्यवाहियां की जाती हैं। मध्यवर्ती संगठनों के द्वारा क्षेत्र के स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों के लिये संसाधनों की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा वित्तीयन की व्यवस्था करने के लिये भी कार्य किया जाता है। मध्यवर्ती संगठन भी कभी–कभी प्रत्यक्ष तौर पर कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। ये किसानों के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करते हैं जिससे वे अपनी कृषि समस्याओं का समाधान कर सकें, कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये जाने वाले उपायों से परिचित हो सकें, मजदूर संगठन मजदूरों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम करते हैं जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के लिये विद्यालयों का संचालन आदि जैसे कार्य करने में औद्योगिक संगठनों की मदद् की जाती है और सामाजिक नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है।

प्रतिनिधि संगठन

इसके अर्न्तगत वे समूह आते हैं जो कुछ वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समूह अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सरकारों तथा अन्य अभिकरणों से परस्पर वार्ता करते हैं तथा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग भी अपनाते हैं। इनमें मजदूर संगठन, भूमिहीन किसान/मजदूर संगठन, महिलाओं के संगठन, छात्रों के संगठन, अधिवक्ताओं के संगठन तथा अन्य संगठन आते हैं जो उक्त क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए संगठित रूप से कार्यवाही करते हैं। वास्तव में ये सभी संगठन एक दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं और एक ऐसे सामाजिक आर्थिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समुदायों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों पर पाये जाते हैं। इनका आपसी संजाल लक्ष्य प्राप्ति में अत्यन्त प्रभावी सिद्ध होता है। इनमें प्रत्येक संगठन की अलग–अलग कार्य प्रणाली होती है जो अपने हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्धता का परिचय देते हैं। ये संगठन विशिष्ट सामाजिक समूहों के हितों से सम्बिन्धित होते हैं इसलिये ये उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न नेटवर्कों का उपयोग करते हैं जैसे महिला आयोग एक ऐसा संगठन है जो महिलाओं के हितों की रक्षा के लिये गठित किया गया है। इसकी स्थापना 1992 में की गयी जो राष्ट्रीय स्तर तथा राज्यों के स्तर पर कार्य करती हैं यह संगठन

महिलाओं को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक हिंसा के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने में विधिक तथा अन्य साधनों की सहायता उपलब्ध करवाती हैं। यह संगठन महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा तथा शोषण को रोकने के लिये स्थानीय स्तर पर महिलाओं के हितों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं का एक गठजोड बनाने का कार्य करती है। इसी प्रकार से दूसरे ऐसे भी संगठन हैं जो महिलाओं के हितों के लिये कार्य करते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण एवं हिंसा से बचाने के लिये गठजोड अथवा नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं ऐसा ही एक प्रमुख संगठन मैत्वा (मेन्स ऐलाइंस फॉर स्टार्पिंग वायलेंस अगेन्स्ट वूमेन) है जो महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये कार्यवाही करता है। इसी प्रकार से एडवा जैसे संगठन भी हैं जो महिलाओं के अधिकारों के लिये कार्य करते हैं। ये सभी संगठन आपस में नेटवर्किंग का उपयोग करते हुये राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के हित में नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार नेटवर्किंग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण करवाने, कानूनों का निर्माण करवाने एवं संसाधनों का आवंटन करवाने के लिये किया जाता है।

सहकारी संगठन

सामाजिक किया करने वाले संगठनों में सबसे प्रभावी नेटवर्क सहकरी संगठनों का होता है। हालांकि सहकारी संगठनों की सदस्यता खुली नही होती, बल्कि इसका सदस्य बनने के लिए लोगों को पंजीकरण करवाना पडता है। ये संगठन अपना नेटवर्क अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करते हैं एवं अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर एक साझा उद्देश्य को निर्धारित करते हैं तथा आन्दोलन के सहयोग से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त कार्यवाही में जुट जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सहकारिता आन्दोलन इसके उदाहरण हैं। ये सहकारी संगठन विभिन्न स्तरों पर सशक्तिकरण के प्रयासों से भी सम्बन्धित होते हैं।

सामाजिक किया के लिए दबाव समूहों का नेटवर्क

विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निर्माण तथा कियान्वयन के लिए वाह्य रूप से दबाव बनाने का कार्य करते हैं। ये संगठन सामाजिक किया के रूप में विभिन्न प्रकार की कियाविधि अपनाते हैं जैसे विभिन्न प्रकारों के अभियानों का संचालन करना, कुछ क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, मार्च करना, लॉबिंग करना, मीडिया से सम्पर्क करना तथा उसे अपने पक्ष में करना व्यक्तिगत सम्पर्कों के माध्यम से समर्थन प्राप्त करना, व्यक्तियों छोटे समूहों आदि के माध्यम से अभिजात्य संस्थाओं का समर्थन जनहित के मुद्दों पर प्राप्त करने जैसे कार्य किये जाते हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुददों पर ऐसे अभियान प्रायः चलाये जाते रहे हैं। इन दबाव समूहों के द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भी कार्यवाहियां होती रही हैं।

सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से साझेदारी का विकास

सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, सरकार, दानदाता संस्थाओं आदि के द्वारा नियोजन प्रकिया के लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं अन्य प्रकार के संसाधनों का आदान–प्रदान आपस में करते हैं। ये संगठन आपस में साझेदारी एवं सहयोग का विकास करते हैं। इनका उदाहरण विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में विभिन्न महिला संगठनों ने आपस में सहयोग के माध्यम से एक साझेदारी का विकास किया है और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन के रूप में एक ऐसे मंच की स्थापना की है, जो महिला अधिकारों के लिए कार्य

करने वालना एक अत्यन्त प्रभावी संगठन है। इन संगठनों की यह भी विशेषता होती है कि ये अपने प्रयासों में सरकारी तथा अन्य संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करते हैं जैसे एडवा के द्वारा महिला आयोग का भी सहयोग और समर्थन प्राप्त करके महिला अधिकारों से जुडे हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। इसी प्रकार बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में बचपन बचाओ आन्दोलन जैसे संगठनों ने एक साझेदारी का विकास करते हुए अनेक संगठनों को आपस में सम्बद्ध किया है और सामाजिक किया का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बाल श्रम उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। ये संगठन आपस में साझेदारी का विकास करते हैं और उनका उपयोग परिवर्तन लाने के लिए करते हैं। ये परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए जन समुदाय को गतिशीलन करने का भी कार्य करते हैं।

26.3 सारांश

सामाजिक किया मे कार्यवाही करने के लिये विभिन्न संगठनों का आपस में सहयोग होना लाभदायक होता है। सामाजिक कार्यकर्ता उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ऐसे सभी संगठनों एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो एक ही क्षेत्र में कियाशील होती हैं। इससे न केवल दबाव बनाने में सरलता रहती है बल्कि किसी कार्यवाही के लिये साझा नेतृत्व भी प्राप्त हो जाता है। वहीं संस्थायें एक दूसरे के संसाधनों का भी उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये करती हैं तथा इसके लिये सामाजिक नेटवर्क की स्थापना करती हैं।

26.4 शब्दावली

वित्तीयन	सामाजिक उद्देश्यों के लिये कार्य करने वाली संस्थाओं के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये धन की व्यवस्था के लिये किया जाने वाला प्रयास वित्तीयन कहलाता है।
सहकारी संगठन	साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मिल–जुल कर प्रयास करने वाले संगठन को सहकारी संगठन कहा जाता है।
प्रतिनिधि संगठन	कुछ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक संगठन।
मध्यवर्ती संगठन	अन्य संगठनों को समर्थन देने वाले संगठन।

26.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- सिंह, सुरेन्द्र (1986) सोशल एक्शन इन होरिजन्स ऑफ सोशल वर्क इडी0, बाई सुरेन्द्र सिंह एण्ड के0एस0सूदन ओ0पी0सी0आई0टी0।
- मिश्रा, पी0डी0, (1992) सोशल वर्क फिलॉस्फी एण्ड मेथेड, इन्टर इण्डिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

- सिद्दीकी, एच0वाई0, (1984) सोशल वर्क एण्ड सोशल एक्शन इडी0, हीरा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

- वाल्टर ए0 फ्रीडलैण्डर एण्ड राबर्ट जेड, (1982), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस हाल इण्डिया प्रा0लि0।

- दूबे, मुचकुंद (प्रकाशित) (1995), इंडियन सोसायटी टू डे :चेलैंजेज ऑफ इक्विलिटी, इंटीग्रेसन एवं एम्पारवरमेंट, नई दिल्ली, हर आनंद पब्लिकेशन।

बोध प्रश्न–1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(ii) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक नेटवर्क का अर्थ स्पष्ट कीजीये ।

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक किया में सामाजिक नेटवर्क की उपयोगिता का उल्लेख कीजिये।

.....

.....

.....

.....

3. सामाजिक किया को प्रभावी बनाने में सामाजिक नेटवर्क का कहां तक उपयोग किया जा सकता है?

.....

.....

.....

.....

26.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. नेटवर्क या संजाल से आशय एक ऐसी संरचना से है जिसमें विभिन्न तन्तु या रेखाएं आपस में एक दूसरे से उददेश्यपूर्ण तरीके से जुडे रहतें हैं। इन तन्तुओं का जुडाव किसी विशिष्ट उददेश्य की पूर्ति के लिए होता है। विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिको ने इसको व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों का एक संयोजन या जमाव बताया है। इस अवधारणा को संजाल या सामाजिक किया, सामाजिक विन्यास की संज्ञा देनी प्रारम्भ कर दी। मौलिक रूप से इस अवधारणा का प्रयोग मानव समाज में आपस में पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के स्वास्थ्य को समझने के लिये किया गया था।

2. समाज कार्य में नेटवर्क या संजाल की अवधारणा का प्रयोग गैर सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों गैर सरकारी संगठनों आदि के एक अन्तः संबंध या जाल या संरचना के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। वर्तमान में बहुत से सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गैर सरकारी संगठनों अथवा स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा मिल जुल कर प्रयास किये जा रहे हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था में इन संगठनों को भी महत्वपूर्ण भूमिकायें प्राप्त हो रही हैं। सरकारें अपनी भूमिकाओं को पुर्नपरिभाषित कर रही हैं और उन्हे सीमित भी कर रही है राज्य अपने दायित्व को सामाजिक क्षेत्रों के ऊपर डाल रही है।

3. सामाजिक नेटवर्क का निर्माण सामाजिक किया के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक किया के माध्यम से सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के कार्य किये जाते हैं तथा सामाजिक संस्थाओं रीति रिवाजों विधानों तथा जनमत में परिवर्तन लाने का कार्य किया जाता है।

इकाई–27 : सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबन्ध

इकाई की रूपरेखा

27.0 उद्देश्य

27.1 प्रस्तावना

27.2.0 सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन– एक अन्तर्सम्बंधीय विश्लेषण

27.2.1 जनसमुदाय प्रबंधन : एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

27.2.2 जनसमुदाय प्रबंधन एवं लोक शक्ति निर्माण

27.2.3 जनसमुदाय प्रबंधन एवं मानवीय स्वतन्त्रता

27.2.4 जनसमुदाय प्रबंधन एवं सामाजिक वचना–एक संकल्पनात्मक विश्लेषण

27.2.4.1 जनसमुदाय प्रबंधन एवं सामाजिक वंचना– हस्तक्षेप रणनीतियाँ

27.2.4.2 जनसमुदाय प्रबंधन में सामाजिक स्तर पर वंचित वर्ग की सहभागिता संवर्धन हेतु सम्भावित रचनातंत्र

27.3.0 सारांश : सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन–एक पश्च–लेख

27.3.1 जनसमुदाय प्रबंधन के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में स्पष्टता का अभाव

27.3.2 जनसमुदाय प्रबंधन बौद्धिक कार्य कुशलता में भ्रमित संलग्नकता

27.3.3 सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन के प्रति राज्य का सौतेलेपन–स्वरूप जैसा व्यवहार

27.3.4 सामाजिक मुद्दों के प्रति सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण की अनुपयुक्त भूमिका।

27.3.5 सामाजिक क्रियाओं का राजनीतिक चढ़ाव (क्लइिम्बिंग) के लिए एक शार्टकट मंच के रूप में उपयोग

27.3.6 सामाजिक क्रियाओं हेतु संसाधनों के खोज में सिकुड़ता हुआ अर्थशास्त्र

27.4 टिप्पणी (बोध प्रश्न)

27.5. शब्दावली

27.6.0 उपयोगी पुस्तकें

27.6.1 वर्तमान लेख संदर्भ

27.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

27.0 उद्देश्य

सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन –दोनों में यह निर्णय कर पाना कठिन है कि इनमें से कौन–सी पहले प्रारम्भ होती है और कौन–सी बाद में। यदि हम अपने अतीत के इतिहास का अवलोकन करें तो पता चलता है कि सामाजिक बदलाव का परस्पर मानवीय–क्रिया मूल आधार रही है, इसलिए कि इसके बिना समाज एवं राष्ट्र की मूल्य–परक रचना सम्भव नहीं है। मनुष्य अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं एकांकी प्रयत्नों से नहीं कर सकता। इसके लिए उसे हमेशा दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। वैयक्तिक अथवा सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा साझा प्रयास ही सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के बीच 'साध्य' एवं 'साधन'– कड़ी के स्थापन की पृष्ठभूमि है। सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन– दोनों ही परस्पर –सहयोग की सार्वभौमिक प्रक्रियायें हैं, जो प्रत्येक समाज में पायी जाती है। जिस समाज के अन्तर्गत प्रायः तनाव अथवा संघर्ष पाया जाता है, उस समाज में भी परस्पर– सहयोग किसी–न–किसी स्वरूप में विद्यमान रहता है। परस्पर–सहयोग के बिना कोई भी समाज छिन्न–भिन्न हो जायेगा। इसी संदर्भ में, यह विचारधारा कि 'समाज– एक संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग है'[1], वर्तमान इकाई के उद्देश्य का मूल आधार है। इसी परिपेक्ष्य में, सामाजिक क्रिया एवं सामुदायिक प्रबंधन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गयी है, जिनकी जानकारी निम्नलिखित विवरण से प्राप्त की जा सकती है:–

- सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के बीच अन्तर्सम्बन्ध के आधार;
- जनसमुदाय प्रबंधन एवं लोक शक्ति में 'साध्य' एवं 'साधन' का सम्बंध;
- जनसमुदाय प्रबंधन एवं मानवीय स्वतन्त्रता परस्परता के पूरक;
- जनसमुदाय प्रबंधन एवं सामाजिक वंचना का संकल्पनात्मक विश्लेषण, हस्तक्षेप रणनीति एवं सामाजिक स्तर पर वंचित वर्गों तथा समूहों की जनसमुदाय प्रबंधन में सहभागिता संवधन हेतु सम्भावित रचनातंत्र; एवं
- भारतीय परिदृश्य में सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ चुनौतिपूर्ण प्रसंग एवं अन्तर्निहित समाधान।

27.1 प्रस्तावना

समाज कार्य मानव की सामाजिक प्रकार्यात्मक क्षमता में वृद्धि करने हेतु एक विज्ञान एवं कला है। वह इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के संसाधनों, शक्तियों एवं कारकों का संचालन करता है। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक मानव अपना जीवन तीन स्तरों पर व्यतीत करता है, व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सामुदायिक। अतः मानव की सामाजिक प्रकार्यात्मक क्षमता के विकास हेतु सभी चुनौतियाँ इन तीन स्तरों से सम्बन्धित रहती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में समाज कार्य ने इन तीन स्तरों पर अपनी विशिष्ट भूमिका हेतु तीन भिन्न–भिन्न प्राथमिक विधियों को विकसित किया है। जैसे मानव के व्यक्तिगत स्तर पर सहायता हेतु वैयक्तिक समाज कार्य, सामूहिक स्तर पर सामूहिक समाज कार्य एवं सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक संगठन। इन तीन प्राथमिक विधियों के सहायक के रूप में समाज कार्य ने तीन अन्य विधियों को भी विकसित किया है, जैसे समाज कल्याण प्रशासन,

समाज कार्य अनुसंधान तथा सामाजिक क्रिया, जिन्हें समाज कार्य की द्वितीयक विधियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं विधियों में से अन्तिम विधि अर्थात् सामाजिक क्रिया, सामाजिक अन्तःक्रिया के उद्देश्यपूर्ण संयोजन से सम्बन्धित है। यह अन्तःक्रिया किसी भी समुदाय में तीन स्तरों पर संचालित होती है, अर्थात् (क) व्यक्ति– व्यक्ति के बीच, (ख) व्यक्ति–समूह के बीच तथा (ग) समूह–समूह के बीच। इन तीन स्तर पर पारस्परिक अन्तःक्रिया के संचालन से तात्पर्य है, व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति–समूह एवं समूह–समूह के बीच जनसामुदायिक प्रबधंन के माध्यम से सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण संगठन। इसी परिदृष्य में, सामाजिक क्रिया, जनसमुदाय एवं उसका प्रबधंन वर्तमान इकाई के मुख्य विचार–बिन्दु हैं।

27.2 सामाजिक क्रिया–जनसमुदाय प्रबंधन–एक अन्तर्सम्बंधीय विश्लेषण

संयुक्त राष्ट्र संघ ने समाज सेवा को एक संगठित क्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसका लक्ष्य व्यक्तियों के पारस्पिरिक सम्बंधों और उनके सामाजिक पर्यावरण के बीच सामन्जस्य में सहायक होना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति उन तकनीकियों एवं उपायों के माध्यम से की जाती है जो व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों को उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्थितयों में सुधार हेतु एक सामूहिक क्रिया विकसित करने में सहायक होती हो।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सामूहिक क्रिया अथवा परस्पर सहयोगी क्रिया–कलाप जनसमुदाय के लिए स्वाभाविक है या नहीं? किसी की मदद या अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये किसी जनसमुदाय को अपने साथियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता पड़ी है या नहीं? क्या यह समूहशीलता सामाजिक क्रिया का आधार बन सकती है या नहीं? वास्तव में, सामाजिक क्रिया का व्यक्तिगत प्रयास की अपेक्षा जनसमुदाय आधारित सामूहिक क्रिया कहीं अधिक आधारभूत लक्षण है। सामाजिक क्रिया का इतिहास सफल सामूहिक क्रियाओं के उदाहरण से भरा पड़ा है। सामाजिक क्रिया सामान्यतः सामाजिक कानून बनाने से जुड़ी हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि सामाजिक क्रिया एक सुधारात्मक उपाय है। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या सामाजिक क्रिया सामाजिक समस्याओं के निराकरण में उपयोगी नहीं हो सकती और यदि हो सकती है तो किस विधि से इसे प्रभावशील बनाया जा सकता है? यह काबिले गौर हैं कि सामाजिक क्रिया किसी जनसमुदाय को सामाजिक गतिशीलता से तालमेल बैठाने में केवल सहायक होना ही नही है बल्कि सम्पूर्ण समाज को भी इस रूप संगठित करना है कि वह अर्न्तनिहित विभिन्न समूहों एवं समुदायों को और अधिक स्वतंत्रता और संतोष के साथ जीने में सहायक बने सके। तद्नुसार इस प्रकार की सामाजिक क्रिया के पीछे कई अन्य उद्देश्य एवं प्रेरणायें भी निहित हो सकती हैं। बहुत पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, 'प्रसन्नता ही आचरण के सभी नियमों–उपनियमों एवं जीवन के लक्ष्य की कसौटी है।' ऐसा कहते समय जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह सोचा होगा कि किसी भी समाज में केवल वे ही लोग प्रसन्न रह सकते है जो अपने मस्तिष्क को अपने व्यक्तिगत प्रसन्नता से आगे ले जाकर दूसरे समूहों, समुदायों अथवा व्यक्तियों सम्पूर्ण मनुष्य जाति की प्रसन्नता में लगा देते हैं। इस अर्थ में एक सुनियोजित जनसमुदाय प्रेरित सामाजिक क्रिया ही सम्पूर्ण समाज में प्रसन्नता एवं संतोष–प्रद जीवन स्थापित कर सकती है, परन्तु इस प्रकार का सन्तोष–प्रद जीवन किसी भी समाज में तभी स्थापित हो सकता है जब वहाँ संगठित सामाजिक क्रिया (अ) सामाजिक–आर्थिक संगठनों द्वारा भौतिक सुरक्षा, (ब) सामाजिक तथा व्यक्तिगत सामन्जस्य द्वारा भावात्मक सुरक्षा, एवं (स) विभिन्न समूहों के बीच न्यायोजित तथा सुव्यस्थित सम्बंधों

द्वारा सामाजिक सामान्जस्य, जिसमें सम्पूर्ण जनसमुदाय के समुचित विकास एवं उसके लिये उसके सामूहिक प्रयास के पूर्ण अवसर का समावेश हो और यदि इस प्रकार के सामाजिक–आर्थिक प्रगति से सामाजिक क्रिया प्रतिबद्ध होती है तो उसके कवच में जनसमुदाय प्रबंधन ही एक ऐसा आवश्यक अस्त्र है जो सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जनसमुदाय में संतोषप्रद सम्बन्धों के स्थापना हेतु से एक प्रभावी वाहक बन सकता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि समाजिक क्रिया उस समय ही प्रारम्भ होती है जब किसी सामाजिक समस्या की पहचान की जाती है। सामूहिक क्रिया अथवा परस्पर–सहयोगी क्रिया मनुष्य के लिए उसके स्वभाव–जन्य प्रक्रिया के अनुरूप माना गया है। किसी की मदद अथवा अपनी समस्याओं के सुलझाव के लिए मनुष्यों को अपने साथियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। मानव समाज की यही समूहशीलता सामाजिक क्रिया का आधार बनती है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर भी सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक बदलाव हुआ है वहाँ पर समूहशीलता एवं सामुदायिक भावना प्रेरित मनोवृत्तियों एवं व्यवहार का विकास हुआ है। परन्तु यदि किसी समाज में शासकीय उपकरणों अथवा समाज के किसी विशेष समूह द्वारा जनभावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रयास किया जाता है, जो वह समुदाय के हित में नहीं है तथा ऐसे किसी प्रयास या बदलाव को रोकने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाता है तो वह भी सामाजिक क्रिया ही कही जायेगी। उदाहरणस्वरूप, कम आमदनी वाले वर्गों एवं समूहों के लिए यदि रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को कम किया जाता है अथवा कम जोत वाले कृषक समुदाय के लिए डीजल के दामों में अनुचित वृद्धि की जाती है, तो इस शासकीय प्रयास को रोकने हेतु जनसमुदाय द्वारा किया गया संगठित कार्य भी सामाजिक किया के अन्तर्गत ही सम्मिलित की जायेगी। अतः सामाजिक क्रिया किसी बदलाव के लिए हो अथवा उसके विरोध में ही, उसमें सामूहिक शक्ति या दबाव की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात् वहाँ लोक शक्ति के प्रयोग की जरूरत होती है लेकिन उसे वास्तविक रूप में यदि सामाजिक क्रिया कहलाना है तो अनिवार्यतः उसे अहिंसक होना होगा। यह शक्ति जनसमुदाय को सामाजिक बदलाव के पक्ष या विपक्ष में स्वेच्छया योगदान के लिए लोक शिक्षण द्वारा ही उत्पन्न होती है। सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में अनेक प्रयोग यह दर्शाते हैं कि उद्देश्य, कार्यक्रम, स्थान, उत्तरदायित्व और व्यक्ति की दृष्टि से कुशल जनसमुदाय आधारित सामाजिक क्रिया की असीम सम्भावनायें हैं। जनसमुदाय प्रबंधन के माध्यम से ही सम्पूर्ण जनसमुदाय को एक प्रक्रिया में समेटने की शक्ति होती है, एक नये प्रकार के सामुदायिक जीवन का संचार करती है, इसमें सभी समुदायों की भागीदारी होती है और अन्ततः इसमें सिविल अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। अर्थात् यह समुदाय के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक परिवेश को अपने घेरे में ले लेती है। यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि कुछ सामाजिक क्रिया का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्रों में जनसमुदायों से ही सम्बंधित रहे हैं जहाँ वे अपनी समस्याओं के लिए बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं जुझते रहे है।

उपरिलिखित विवरण के माध्यम से सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के अन्तर्सम्बंधीय प्रसंग में निम्नलिखित उभयनिष्ट तत्वों की पहचान की जा सकती है :–

1. उपस्थित समस्या को पहले पूरी तरह ठीक–ठीक समझने की चेष्टा करनी चाहिये। यह कार्य व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय किसी के द्वारा सम्पन्न हो सकता है।

2. समस्या के बारे में आंकड़े वैज्ञानिक पद्धति और सर्वेक्षण नियमों के अन्तर्गत एकत्रित किये जायँ और फिर उनकी उसी प्रकार पूरी सतर्कता और नियमों के अन्तर्गत विश्लेषण किया जाय।

3. समस्या से प्रभावित या उससे सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षित करने की कोशिश किया जाये।

4. लोगों को यह पूरा मान लेना चाहिये कि स्थित में सुधार संभव है और उसका सुलझाव उनकी योग्यता के अन्तर्गत है।

5. समस्या ऐसी हो जो तुरन्त अपना समाधान चाहती है। लोगों की किसी दूरारात समस्या के लिये उत्साहित नहीं किया जा सकता।

6. किसी सामाजिक क्रिया की योजना बनाने के पूर्व क्षेत्र के सभी लोगों अथवा समस्या से सम्बन्धित लोगों से अच्छी तरह विचार विमर्श जरूरी है।

7. किसी कार्य योजना को बनाते समय हमें केवल उन्हीं लोगों से विचार–विमर्श नहीं करना है जो योजना से निकट रूप से सम्बन्धित है, बल्कि उनसे भी बात–चीत और वैचारिक रूप से जुड़ना है जो समस्या से थोड़ा हट कर सम्बन्धित हैं जैसे तकनिकी विशेषज्ञ, स्थानीय सिविल अधिकारी, सरकार आदि, ताकि सामाजिक क्रिया के लिये पूरा समर्थन जुटाया जा सके।

8. कार्य–योजना बन जाने के बाद अभियान के लिये योग्य प्रशासनिक उपायों की जरूरत है। सारा काम लोगों में विभाजित करना है और उनकी साझेदारी प्राप्त करनी है।

9. कोई सामाजिक क्रिया या अभियान पूरा हो जाने पर यह जरूरी नहीं है तो तुरन्त उसका परिणाम दिखाई पड़ जायेगा। सामाजिक क्रिया में यह भी शामिल है कि क्रिया के किसी प्राप्त परिणाम को सुरक्षित रखा जाय और सामाजिक क्रिया के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसे आगे भी बढ़ाते रहा जाय।

10. सभी जनसमुदाय प्रबंधन आधारित प्रक्रियाओं में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति, समूह या समुदाय के किसी अंग द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

11. यदि सामाजिक क्रिया द्वारा किसी स्थिति में परिवर्तन लाना जरूरी है तो वह बहुत तीव्र, उलट–पुलट वाला नहीं बनाया जा सकता। अर्थात् इसे इतना तीव्र भी नहीं बनाया जा सकता कि वह पूरे सामाजिक ढाँचे को उलट दे।

12. जनसमुदाय प्रबंधन आधारित सामाजिक क्रिया की मुख्य धुरी सामाजिक कार्यकर्ता होता है।

13. एक लोक कल्याणकारी राज्य–पद्धति में भी सामाजिक क्रिया की जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ता की ही रहेगी।

14. अन्त में, यदि किसी भी जनसमुदाय के लोग अपनी समस्याओं को भली–भाँति समझते रहते हैं, अपने प्रयासों से कुछ सीखते रहते हैं, कुशल नेतृत्व प्रदान करते रहते हैं, श्रमेव–जयते की भावना का सम्मान करते हैं तो वे सामाजिक क्रिया को उत्पन्न करने और नियंत्रित करने हेतु कुशल एवं प्रभावी जनसमुदाय प्रबधंन की कुछ महत्वपूर्ण कुंजियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

27.2.1 सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबधंन : एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव प्रकृति की देन है, परन्तु 'समुदाय' एवं उसका उद्देश्यपूर्ण 'प्रबधंन' मानव द्वारा सृजित होता है। भारत में मानव की सामुदायिक प्रबधंन सम्बन्धित सृजनात्मक क्षमता को देखते हुए अनेक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारत में सामुदायिक प्रबधंन का गौरवशाली इतिहास मिश्र, मेसोपोटामिया, चीन इत्यादि प्राचीन देशों के इतिहास से कम पुराना नहीं है। भारत की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। यही कारण है कि 'पंचायत' के माध्यम से सामुदायिक प्रबधंन का इतिहास भी हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन है। वेद, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन काल में जनसमुदायों का पंचायत द्वारा प्रबधंन का संदर्भ दिखता है। भारत में पंचायत के माध्यम से जनसमुदाय का प्रबधंन ग्रामीण व्यवस्था के उज्जवल पक्ष को उजागार करती है। वैशाली एवं लिच्छवी का गणतंत्र भी इसी 'पंचायत' संस्था का जनसमुदाय प्रबधंन के उद्गम एवं विस्तार का उच्चतर उदाहरण माना गया है। प्राचीन काल में मानव ने अपनी उचित सुरक्षा हेतु 'समूह' का निर्माण किया और समूह के उच्चतर व्यवस्थापन के लिए 'पंचायत' संस्था का गठन किया। समूह के इसी संगठन से समूह–संघ (समुदाय), फिर समाज और राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। पंचायत के माध्यम से संगठित सामुदायिक जनशक्ति के प्रयास का सर्वप्रथम उदाहरण विराह शासन काल में पाया जाता है। इस शासन काल में समुदाय द्वारा 'सामूहिक निर्णय' की परम्परा व्यवस्थित थी जो 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र' का एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसके आलोक में 'जनपदों' का प्रादुर्भाव होना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। यहाँ इस बात का उल्लेख प्रासंगिक है कि प्रारम्भ में कोई प्रादेशिक समुदाय नहीं थे। धीरे–धीरे मानव निश्चित स्थानों में बसने लगे तथा जिस स्थान में एक जनसमूह बस गया, वह जनपद कहलाने लगा। प्राचीन भारत के प्रारम्भिक काल में सोलह 'जनपदों' का उल्लेख मिलता है। इन जनपदों की स्थापना के मूल आधारशिला स्थानीय जनवासियों के बीच परस्पर प्रेम एवं जनपद की आन्तरिक स्वाधीनता थी।

इन जनपदों के प्रबधंन के विषय में हमें बौद्ध साहित्य के माध्यम से केवल कपिलवस्तु के शाक्यों द्वारा अपनायी गई प्रबंधन–व्यवस्था सम्बन्धित कुछ सीमित जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी के अनुसार जनपद अथवा गणराज्य का एक 'प्रमुख' होता था जो सम्भवतः दस वर्षों के लिए चुना जाता था, परन्तु इन जनपदों की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी, जिसको परिषद के नाम से जाना जाता था। जिस स्थान में इस परिषद की बैठकें होती थीं, उसे संस्थागार कहा जाता था। इस परिषद की बैठकें प्रायः निश्चित अन्तराल पर ही होती थी, तथा इन बैठकों का एक कोरम निर्धारित था। परिषदों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को 'प्रतिज्ञा' की संज्ञा दी जाती थी, तथा यदि किसी प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में सदस्यों के बीच मतभेद होता था तो उसे एक विशेष गठित समिति के पास विचार हेतु भेज दिया जाता था। इस समिति में उस प्रतिज्ञा के विषय में यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती थी, तो उस पर अन्तिम निर्णय मत–विभाजन के द्वारा होता था। बहुमत द्वारा पारित प्रतिज्ञा को सर्वमान्य माना जाता था। परिषद अथवा समिति के बैठकों में अनुचित व्यवहार करने वाले सदस्यों के विरूद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास करने की भी प्रथा का उल्लेख पाया जाता है। कालान्तर में इन्हीं परिषदों/समितियों को 'पंचायत' अथवा 'पंचमंडली' के नाम से जाना गया। जनपदों के अन्तर्गत झगड़ों को तय करने का अधिकार पंचायत का ही होता था तथा साथ–ही–साथ वे सार्वजनिक सेवा सम्बन्धित कार्यों को भी संचालित करती थी। चोलों के शासन काल में जब पंचायतों के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ तो विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु छोटी–छोटी समितियों के गठन की भी परम्परा का भी शुभारम्भ हुआ। इन समितियों के संचालन हेतु विस्तृत एवं स्पष्ट नियमों का निर्धारण होता था।

इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतों तथा विभिन्न उप–समितियों के माध्यम से जनसमुदायों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त होती थी तथा उनका प्रबंधन पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणाली द्वारा सम्पन्न होता था। रामचरितमानस में महासंत कवि तुलसीदास जी ने भी पंचायतों के प्रबंधन के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा है:[2]

'जो पाँचहि मत लागै नीका।
करहु हरिष हिय रामहि टीका।।

महात्मा गाँधी जी ने भी 'पंचायत' को उत्तम शब्द माना था, क्योंकि उसके साथ प्राचीनता की मिठास जुड़ी हुई थी। सरचार्ल्स मैटकॉफ ने भी ग्रामीण जनसमुदाय की निरन्तरता एवं उसके औचित्य की व्यवस्था करते हुए कहा है कि राजकुल लढ़कते रहे, क्रान्तियाँ होती रहीं, हिन्द, पठान, मुगल, मराठा, सिक्ख और अंग्रेज क्रमशः मालिक बनते रहे। लेकिन ग्राम समुदाय यथावत रहा।[3]

इस प्रकार, पंचायत जनसमुदाय प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्राचीन भारत में ही उभरी जिसका संचालन पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। यहाँ इस तथ्य का अवलोकन भी महत्वपूर्ण है कि इस काल में पंचायतें समुदाय के अन्तःवासियों के बीच उच्चकोटि के परस्पर प्रेम एवं सहयोग, तथा लोक शक्ति एवं लोक–समावेशन के भाव से अनुप्रेरित थीं।

अतः समावेशी लोकतंत्र की अवधारणा का सूत्रपात पंचायत व्यवस्था के माध्यम से सर्वप्रथम प्रचीन भारत से ही उभरा था। एक समावेशी लोकतंत्र का वास्तविक अभिप्राय राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति के प्रभुत्व की समाप्ति से ही लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जनता सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्था से निकट रहती है और वह जनसमुदाय प्रबंधन के सभी प्रक्रियाओं में अपनी स्पष्ट भागीदारी रखती है। जनसमुदाय का कोई भी वर्ग अथवा समूह सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वंचनाग्रस्त नही होता। इसमें समुदाय के विभिन्न जनसमूहों के अधिकारों की बात तो होती है, परन्तु इन अधिकारों के साथ–साथ जुड़े कर्तव्यों की उचित भावना और संतुलन बैठाने को भी उसी प्रकार महत्व प्रदान किया जाता है। एक जनसमुदाय प्रबंधन में प्रत्येक वर्ग अथवा समूह की स्वस्थ साझेदारी तभी सम्भव है जब उसमें लोगों को समान अधिकार मिले हों तथा साथ ही साथ कत्तर्व्य भावना से अनुप्रेरित कर उन्हें सर्वोत्तम देने के समान अवसर भी उपलब्ध कराये जाँय। महात्मा गाँधी जी ने इस प्रकार की जनसमुदाय प्रबंधन की अवधारणा भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति में देखी थी। गाँधी जी लिखते है '...और इस विचार में आपको स्वराज की परिभाषा भी दिखायी देगी। स्वराज तब होगा जब हम अपने पर शासन करना सीख जाएगें। जिस स्वराज के चित्र मैं अपने और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वह यह कि एक बार इसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए मनाते रहेंगे परन्तु इस प्रकार के स्वराज को प्रत्येक को स्वयं ही अनुभव करना होगा।'[4]

27.2.2 जनसमुदाय प्रबंधन एवं लोक शक्ति निर्माण

स्वातंत्रोत्तर भारत में सर्वोदय समाज की अवधारणा ने लोक शक्ति के प्रश्न पर काफी प्रकाश डाला है। इस अवधारणा के अन्तर्गत लोक शक्ति एक ऐसी परिकल्पना है जो जनसमुदाय प्रबंधन के अन्तर्निहित लक्ष्यों से निकट का सम्बंध रखती है क्योंकि इसका अभिप्राय ही है एक नये समाज का निर्माण, जिसमें सभी व्यक्तियों के पूर्ण विकास हेतु प्रयास किये जाँय। दूसरे शब्दों में, जनसमुदाय प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया लोक शक्ति के

निर्माण पर राजशक्ति की तुलना में अधिक बल प्रदान करें। देश के प्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक श्री जयप्रकाश नारायन ने भी एक लेख के माध्यम से गाँधीवादी आन्दोलन के अन्तर्गत लोक शक्ति को किन–किन अर्थों में अपनाया गया है, उस पर विस्तृत प्रकाश डाला।[5] उनकी दृष्टि से सर्वोदय आन्दोलन में लोक शक्ति को चार विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। प्रथम अर्थ में इसका छोटे समुदायों और पास–पड़ोस की क्रियाशीलता के सम्बंध में प्रयोग किया गया है। द्वितीय अर्थ में लोक शक्ति एक निश्चित भू–भाग के जनसमुदाय के स्वैच्छिक प्रयास के रूप में प्रदर्शित हुआ है। इस संदर्भ के अन्तर्गत यदि लोग अपनी समस्या का निर्धारण कर लेते हैं और उसको सुलझाने में पूरी शक्ति से लग जाते है और दूसरें को भी उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित कर देते हैं तो इससे एक विशेष प्रकार की लोक शक्ति का निर्माण होगा। तृतीय अर्थ में लोक शक्ति का उपयोग लोगों की प्रतिरोध शक्ति के उपयोग से सम्बंधित है। यह शक्ति किसी भी अन्याय या ज्यादती के विरूद्ध लोगों में प्रतिरोध शक्ति तैयार करने से उत्पन्न होगी और राजसत्ता या किसी भी संगठित शक्ति द्वारा अन्याय के विरोध में खड़ी होगी। यह वास्तविक लोक शक्ति लोगों के द्वारा केवल अपनी समस्याओं के सुलझा लेने से ही नहीं आयेगी बल्कि वह तब आयेगी जब लोग यह प्रदर्शित कर सकें कि वे अपने अपनी दैनिक जीवन के सम्बंधित सभी कार्य अपनी इच्छानुसार चला सकते है तथा उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। लोक शक्ति की यह परिकल्पना गाँधी जी के समय में तो थी ही, परन्तु विनोबा जी ने इसे एक नई परिकल्पना के अन्तर्गत रक्खी जिसे वे 'लोकनीति' की संज्ञा देते थे। चतुर्थ अर्थ में लोक शक्ति जनसमुदाय के स्व–शासन की दृष्टि से शक्ति सम्पन्नता से सम्बंधित है। विनोबा जी की लोकनीति की परिकल्पना लोक शक्ति के इसी चतुर्थ अर्थ के बहुत ही निकट प्रतीत होती है, जिसका प्रयोग विनोबा जी के अनुसार दलविहीन सरकार के गठन में भी हो सकता है। लोक शक्ति की उपरिलिखित सभी चार संदर्भो एवं उसका लोकनीति से निकटता के सम्बंध में जयप्रकाश नारायन लिखते हैः 'मैनें लोक शक्ति की चार–भिन्न परिकल्पनायें देने की चेष्टा की है और ऊँचे स्तर पर जाकर लोक शक्ति को राजशक्ति से जोड़ने की बात कही है। अब देखना यह है कि निचले स्तर पर जहाँ जनता की संस्थाएं हैं वहाँ क्या होता है। वहाँ लोकनीति का उपयोग अधिक सम्भव होगा। यदि लोकनीति का समुचित विकास होता है और राजनीति उसके अन्तर्गत आती है तो राज्य धीरे–धीरे सिकुड़ते जाने वाली वस्तु बनेगा, हालांकि यह पूरी तौर से अदृश्य नहीं हो जायेगा। इसकी पीड़ादायी तत्व काफी सीमा तक कम हो जायेगा। सर्वोदय विचार के आदर्श अवस्था में राज्य की स्थिति रहती ही नही लेकिन कम से कम विचार की स्थिति में इसका कार्य न्यूनतम हो सकता है . . . लोक कल्याण को लोक शक्ति एवं लोकनीति के सन्दर्भ में रखते हुए यह स्पष्ट है कि इसकी व्यवस्था लोग स्वयं करेंगे, कम– से –कम तुरन्त अपने सम्बंध में अथवा छोटे समुदाय के स्तर पर। लोक शक्ति के इसी अभिप्राय को लेनिन ने भी अपने शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, इसका अर्थ है, चीजों की व्यवस्था मनुष्यों द्वारा होना न कि मनुष्यों की व्यवस्था मनुष्यों द्वारा किया जाना।'[6] भारतीय स्वंतत्रता आन्दोलन के दौरान गाँधी के द्वारा विकसित किये गये रचनात्मक कार्यक्रमों का भी एक विशेष उद्देश्य इस लोक शक्ति का निर्माण करना था। 18–सूत्रीय गाँधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास यही था कि लोग अपनी इस प्रकार की शक्ति को अर्जित कर लें कि वे बिना राजशक्ति के अपने सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। रचनात्मक कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि वे क्षेत्रीय जनमानस को अपने सामाजिक–आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्साही एवं क्रियाशील बनावें और यदि उनके पास आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी रहता है तो भी उन्हें राजशक्ति से मांग कर सकने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रयास का परिणाम अधिक लोककल्याणकारी तथा क्रान्तिकारी तभी होगा जब इस दिशा में सतत् एवं निरन्तर क्रियाशीलता बनी रहे। सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के पारस्परिक जुड़ाव को

अमर्त्यसेन के इन शब्दों से भी समझा जा सकता है: 'इसमें सन्देह नहीं कि पर्याप्त सामाजिक अवसरों के साथ व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और एक–दूसरे की मदद भी कर सकता है। इसलिए उसे विकासवादी कार्यक्रमों से होने वाले लाभ का महज निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है।'[7]

27.2.3 जनसमुदाय प्रबंधन एवं मानवीय स्वतंत्रता

सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन को सामाजिक मूल्यों पर आधारित मानवीय स्वतंत्रता के विस्तर का एक घटक के रूप में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में जनसमुदाय प्रबंधन वास्तविक मानवीय स्वतंत्रता की दौड़ में बाधक तत्वों के विरूद्ध संघर्ष करने में अपनी तत्परता को सक्रिय करता है। इसी अभिधारणा के अन्तर्गत सामाजिक भेद–भाव, अन्याय, अत्याचार अथवा अन्य प्रकार की दमनकारी व्यवस्था की अतिसक्रियता, जो समावेशी लोकतन्त्र में बाधक कारक के रूप में स्थापित होती हैं, जनसमुदाय प्रबंधन मानवीय स्वतंत्रता के मूल–आधारों को केन्द्र में रखकर अपने संगठित प्रयास का ताना–बाना तैयार करता है। इस कड़ी में जनसमुदाय प्रबंधन साफ सुधरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि के अधिकार को मानवीय स्वतंत्रता के मानक के रूप में देखता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसमुदाय अथवा उसके किसी हिस्से की भागीदारी पर शासन–तन्त्र के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाये जाने की प्रक्रिया को वह मानवीय स्वतंत्रता में बाधक मानता है। इस अभिप्राय के अन्तर्गत एक उन्मुक्त सामाजिक क्रिया के हेतु मानवीय स्वतंत्रता जनसमुदाय प्रबंधन के एक 'साधन' के रूप में ही नहीं बल्कि 'परिणाम' अथवा 'साध्य' के रूप में भी स्थापित होता है। महात्मा गाँधी जी को भी मानवीय स्वतंत्रता में 'स्वराज' की परिभाषा दिखायी दी थी। उन्ही के शब्दों में, '..... यदि हम स्वतंत्र होंगे तो भारत भी स्वतंत्र होगा और इस विचार में आपको स्वराज की परिभाषा की परिभाषा भी दिखाई देगी। स्वराज तब होगा जब हम अपने पर शासन करना सीख जाएगें। जिस स्वराज का चित्र में अपने और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वह यह है कि एक बार इसे प्राप्त कर लेने के बाद हम अपने जीवन के अन्तिम क्षणें तक दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए मनाते रहेंगे। परन्तु इस प्रकार के स्वराज को प्रत्येक को स्वयं ही अनुभव करना होगा।'[8]

27.2.4.0 जनसमुदाय प्रबंधन एवं सामाजिक वंचना : एक संकल्पनात्मक विश्लेषण, हस्तक्षेप रणनीति एवं सहभागिता संवर्धन हेतु संभावित रचनातंत्र

अत्यन्त प्रचीन समय से ही प्रत्येक समाज में सामाजिक वंचना या सामाजिक बहिस्कार, एक स्थिति एवं प्रक्रिया के रूप में, वर्तमान रही है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सम्बंधो में विच्छेद या टूटन उत्पन्न होता रहा है और सामाजिक क्रिया–कलापों में व्यक्ति–विशेष तथा समूह–विशेष इकाइयों को भाग न लेने की प्रवृत्तिमें वृद्धि करता रहा है। भारत में भी वैयक्तिक एवं सामाजिक, दोनों स्तरों पर लोगों को सामाजिक संसाधनों पर नियंत्रण एवं अधिकार से वंचित किया गया है। भारत की निम्न जातियों को वैयक्तिक एवं सामूहिक रुपों में सामाजिक बहिष्कृत किया गया। ऐतिहासिक सबूत भी है कि उन लोगों के बीच जो पूरे अधिकार का उपभोग करते रहे हैं, इन जातियों को अधिकारों से वंचित किया गया है जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक दशा दीन–हीन रही है। अपने सामाजिक स्तर पर निम्न होने के विचार से ही जन्म लेकर सामाजिक वचना से प्रभावित लोग आर्थिक, सौंस्कृतिक और राजनीतिक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग नही कर पाते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें सामजिक भागीदारी, सामाजिक सम्बद्धता और सामाजिक एकीकरण के प्रति चेतना की कमी पाई जाती है। विश्व के अनेक भाग में समाज वैज्ञानिकों ने वंचना को सामाजिक, आर्थिक, सौंस्कृतिक, संस्थागत, प्रादेशिक एवं

प्रतिकात्मक संदर्भों में परिभाषित किया है। ऐसे वर्ग दुनियाँ के प्रत्येक नगर मे मौजूद रहते हैं, जिन्हें चौथी दुनिया के नाम से जाना जाता है। यह चौथी दुनिया सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल पर सामाजिक वंचनाओं के काले धब्बे के रूप में भरी पड़ी है। यह वर्ग सदियों से सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर अपने देश में ही गैर–बराबरी की व्यथा को झेलते रहे हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। सामाजिक स्तर पर वंचित वर्ग सिविल सोसाइटी की संस्थाओं, कानूनी तथा राजनीतिक संगठनों में भागीदारी से दूर रहे हैं; शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सक्षमता के आधारभूत स्तर के अभाव में जीते रहे हैं, और इन्हीं अभावों के फलस्वरूप सामाजिक भागीदारी सम्बद्धता एवं उत्तरदायित्व प्रतिमानों तक न पहुँच पाने में अपने को असमर्थ पाते रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी सामाजिक वंचना के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता प्रकट किया था जब 1997 के सितम्बर मास में अपनी हांगकांग मीटिंग में इस संस्था के अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन का शीर्षक रखा 'इन्क्लूसिव' यानी 'समावेशन' अथवा सबको शामिल करना। उन्होंने कहा था कि दुनिया की खास त्रासदी है वंचना और इसके मद्देनजर हमारे सामने यह लक्ष्य होना चाहिए कि दुनिया के देशों में ये अन्तर तथा विषमता कम हो और अधिक से अधिक लोग आर्थिक मुख्य धारा में लाए जाँय ताकि राष्ट्रीयता, नस्ल और लिंग का भेद न करते हुए विकास के लाभों में लोगों की उचित भागीदारी हो सके।

27.2.4.1 जनसमुदाय प्रबंधन एवं सामाजिक वंचना : हस्तक्षेप रणनीतियाँ

सामाजिक क्रिया माडल से सम्बंधित पक्ष में सोच रखने वाले विशेषज्ञ सामाजिक विकास के कार्यों में लोगों की भागीदारी अत्यन्त आवश्यक मानते हैं क्योंकि इससे संस्थागत कुशलता में वृद्धि तो होती है, सशक्तीकरण, समानता एवं लोकतांत्रिक ढाँचे के निर्माण में भी सहायता मिलती है। सामाजिक क्रिया–कलाप में भागीदारी समाज के बहु–स्तरीय एवं बहु–पक्षीय परिवर्तन के लिए भी उपयोगी है। सामाजिक क्रिया जहाँ भागीदारी की एक प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है तथा जिसकी जनसमुदाय प्रबंधन सम्बंधित निरन्तर प्रयोग एवं वैज्ञानिक शोध मूल आधार होता है, के माध्यम से सामजिक एवं आर्थिक ढाँचे में शीघ्रता से बदलाव लाकर लोगों की अपनी शक्ति में इस भाँति वृद्धि लाई जा सकती है ताकि सामाजिक रूप से वंचित लोगों को सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन से सम्बद्ध कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकें। यहाँ 'पीपुल्स पावर' (मानव शक्ति) को ग्रासरूट शक्ति के रूप में देखा जाता है, विशेषकर उनके लिए जो सामाजिक तौर पर वंचित हैं और जिनसे यह आशा की जाती है कि वे जनसमुदाय प्रबंधन सम्बन्धित ज्ञान एवं विज्ञान को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि वे अपने समाज के विकास के अगुआ बनें और अपने वर्ग के हित में कार्य करें।

सामाजिक स्तर पर वंचित समूहों एवं वर्गों को सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है :–

(क) पूर्व निर्धारित सामाजिक क्रिया सम्बंधित कार्यक्रमों के प्रति उनके कुछ विशेष हितों अथवा लाभों के लिए स्वैच्छिक स्तर उन्हें प्रोत्साहित करना।

(ख) संगठनों में, जो सहभागिता के मूलभूत साधन हैं, चाहे वे बाहर के हों, या आन्तरिक स्तर के हों, या उभयनिष्ट (इमरजिंग) फ्रेमवर्क के हों, इनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना,

(ग) सशक्तीकरण प्रक्रिया को उत्पन्न एवं विकसित करना जो सहभागिता के उन हुनर या योग्यताओं को विकसित करने के प्रति समर्पित हो जिसके माध्यम से सामाजिक स्तर पर वंचित वर्ग सामाजिक क्रिया सम्बंधित कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा अपने हित से सम्बंधित पहलुओं पर पूर्ण निर्णय लेने के अधिक योग्य बन सकें।

27.2.4.2 जनसमुदाय प्रबंधन में सामाजिक स्तर पर वंचित वर्ग की सहभागिता संवर्धन हेतु सम्भावित रचनातंत्र

1. सामाजिक क्रियाओं के सम्बन्ध में जानकारी शेयर की जाय और उसे स्थानीय भाषा में देने की व्यवस्था हो तथा विभिन्न मीडिया–प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक, के प्रयोग की जानकारी इस वर्ग में विस्तृत की जाय। साथ ही, जानकारी के आदान–प्रदान के लिए विशेष सेमिनार, विचार– प्रस्तुतीकरण और सार्वजनिक बैठकें संगठित की जाय।

2. सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में जो जिम्मेदारी निर्वहन कर सकें उनके साथ सलाह (कन्सल्ट) करने की दृष्टि से बैठकें की जाय, उनके साथ क्षेत्र (फील्ड) में जाया जाय तथा कार्यक्रमों के अलग–अलग चरणों में उनका साक्षात्कार किया जाय।

3. ज्वांइट असेसमेंट हो जिसमें पार्टिसिपेटरी असेसमेन्ट और स्टाकहोल्डर्स के साथ मूल्यांकन सत्रों का आयोजन हो और साथ ही वेनिफीशियरी असेसमेन्ट किया जाय।

4. कार्यक्रमों के प्रत्येक चरण मे मिल–जुल कर निर्णय किया जाय जिसमें सहभागिता एवं नियोजन तकनीकियों का समावेशन हो तथा साथ–ही–साथ वर्कशाप और अलग से बैठकें करके कार्यक्रम सम्बंधी वस्तुस्थिति और लोगों के कार्यों की पहचान की जाय, आपसी गतिरोध को सुलझाने एवं कार्य–निष्ठा बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित हो, कार्यक्रम सम्बंधी सभी दस्तावेजो का सार्वजनिक पुनरीक्षण और उसके बाद उनमें आवश्यक फेर–बदल (रिवीजन) किया जाय।

5. कोलैबरेटिव कार्य जिसमें मिले–जुले समुदाय शामिल हो, साथ ही स्टाकहोल्डर प्रतिनिधि हों, मिले–जुले कार्यसमूह (टास्क ग्रुप्स), लाभार्थी–समूह (यूजर ग्रुप्स) शामिल हों।

6. सशक्तीकरण की प्रक्रिया जिसमें सामाजिक क्रियाओं एवं जनसमुदाय प्रबंधन में साझेदारी रखने वाले संगठन के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक स्तर पर वंचित वर्गों की शक्ति बढ़ाना शामिल हो, उनकी आर्थिक और कानूनी शक्ति में वृद्धि तथा उनके नये एवं स्वतः–स्फूर्त (स्पान्टेनियस) पहल के लिए महत्वपूर्ण चिन्हित सुझाव (टिप्स) उपलब्ध कराने का समावेशन हो।

27.3.0 सारांश : सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन–एक पश्च–लेख

वर्तमान इकाई के लेखन के मूल विषय सम्बन्धित 'विस्तार' एवं 'सारांश' विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जहाँ पर 'सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन–विषय की प्रस्तावना, उसका ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि, उसका लोक शक्ति एवं मानवीय स्वतंत्रता से

सम्बन्ध तथा सामाजिक वंचना का संकल्पनात्मक विश्लेषण, हस्तक्षेप रणनीति एवं सामाजिक वंचित समूहों की भागीदारी हेतु रचनातंत्र सम्बन्धित लेखन सामग्री' विस्तार से प्रस्तुत की गयी है, वहाँ पर इकाई के पश्च–लेख के रूप में सारांश, संदिर्भत उल्लेख में सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन–विषय से सम्बन्धित कुछ चुनौतीपूर्ण प्रसंग एवं अन्तर्निहित समाधानों की व्याख्या की गयी हे। इस पश्च–लेख के माध्यम से भारतीय परिदृश्य में सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ चुनौतीपूर्ण प्रसंग हैं, जिन पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। इन प्रसंगों से परिचित होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन में प्रभावी हस्तक्षेप सम्भव नहीं हो सकेगा। इस संदर्भ में, चुनौतीपूर्ण प्रसंग निम्नलिखित हैः–

27.3.1 जनसमुदाय प्रबंधन के वास्तविक स्वरूप के सम्बंध में स्पष्टता का अभाव

वर्तमान समय में सामाजिक क्रिया या किसी भी सामजिक क्रिया–कलाप के प्रसंग में जनसमुदाय प्रबंधन के वास्तविक स्वरूप अथवा उसके विषय–क्षेत्र के सम्बंध में स्पष्टता का अभाव प्रतीत होता है। आज, ईश्वर की ही भॉति, भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग, जिसमें हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्य में आस्थावान समूह भी सम्मिलित हैं, जनसमुदाय प्रबंधन को अलग–अलग स्वरूपों में परिभाषित करता है। उदाहरणस्वरूप, गाँधीवादी विचारधारा के अन्तर्गत जनसमुदाय प्रबंधन को रचनात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु माननीय श्रमशक्ति के संचालन सम्बंधित किये गये कार्यों के रूप में देखा जाता है परन्तु जनसमुदाय प्रबंधन का राजसत्ता से क्या सम्बंध होगा, इस विषय में कोई एकमत (कन्सेनसस) प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस संदर्भ में राजसत्ता के बदले लोकसत्ता की बात आगे बढ़ाई जाती है। परन्तु इन दोनों के बीच के अन्तर्सम्बंध के विषय में वाद–विवाद चलता रहता है और फिर, लोककल्याण सम्बंधित सरकारी प्राधिकरण जनसमुदाय प्रबंधन को लोकशाह–युक्त प्रबंधन के एक सहयोगी प्रबंधन के रूप में देखना पसन्द करते हैं। सामाजिक क्रिया से जुड़ी स्वयंसेवी संस्थाएँ, गैर–सरकारी संगठन, या यूँ कहें जनसेवी सक्रिय जमातें ग्रासरूट प्रबंधन में 'कन्सलटेन्सी' को आधार बनाकर सामाजिक अथवा सामुदायिक हुनर को विकसित करने से कतराती हैं और स्वयं को केवल एन्सिलियरी में उद्योग के रूप में विकसित कर सामाजिक क्रिया–कलापों को संचालित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करती हैं। अतः यहाँ पर जनसमुदाय प्रबंधन के अस्पष्ट स्वरूप के प्रसंग में सुझाव के रूप मे कहा जा सकता है कि जनसमुदाय प्रबंधन की वैचारिक अथवा अवधारणात्मक व्याप्त भ्रान्ति को दूर करने की ओर पहल समाज कार्यकताओं को ही करना होगा, न कि किसी 'बाहरी' प्राधिकरण या समूह के द्वारा।

27.3.2 जनसमुदाय प्रबंधन एवं बौद्धिक कार्यकुशलता में भ्रमित संलग्नकता

जनसमुदाय प्रबंधन में एक सारथी की भूमिका के लिए कोई एक विशेष प्रकार की बौद्धिक कार्यकुशलता की आवश्यकता है या नही, इस विषय में भी कोई स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है। कहा यही जाता है कि सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के संचालन से समाज के अतिबुद्धिमान (वेस्टब्रेन) अपने को संलग्न करने की इच्छा नही रखते, बल्कि व्यवसायिक समाजकार्य की जमाते ही, जो अन्य जाने–माने उच्च–स्तरीय वाले पदों, जैसे प्रशासनात्मक कैडर, तकनीकी रचनातंत्र, या कारपोरेट जगत से सम्बंधित प्रबंधक–मण्डल इत्यादि, को न हासिल कर पाने से निराश होने के बाद सामाजिक गतिविधियों से जुड़ते हैं। यदि इस वास्तविकता को स्वीकार भी कर लिया जाय तो, यहाँ सुझाव के रूप में कहा जा सकता है कि व्यवसायिक समाजकार्यकर्ताओं का एक अलग 'कैडर' बनाकर उन्हें क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर के जनसमुदाय प्रबंधन के लिए एक उच्च–स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर तथा सामाजिक क्रियाओं से जुड़े जनसमुदाय प्रबंधन को राष्ट्रीय विकास का एक आवश्यक

अंगभूत के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए समाज कार्यकर्ताओं को एक सम्मानजनक प्रस्थिति निर्धारित कर, उनकी निराशा को दूर किया जा सकता है। इस अभिक्रम के माध्यम से सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन तथा बौद्धिक कार्यकुशलता के बीच की खाई सम्बंधित भ्रमित सोच को विराम दिया जा सकता है।

27.3.3 सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबंधन के प्रति राज्य का सौतेलेपन–स्वरूप जैसा व्यवहार

एक विकासशील राष्ट्र में सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में राज्य की भूमिका एक सहायक अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में अपेक्षित है परन्तु अपने देश के सन्दर्भ में यदि यह कहा जाय कि प्रारम्भ से ही स्वातंत्रयोपरान्त सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में राज्य की यह 'सहायक अभिकर्ता' की भूमिका का अभाव रहा है तो गलत नही होगा। प्रायः यही देखा जाता रहा है कि समाज कल्याण सम्बंधी विषयों के प्रति अपने यहाँ राज्य केवल मुँह–देखा (लिप–सर्विस) जैसा व्यवहार करता है, जो सौतेलेपन–युक्त (स्टेप–मदरली) सोच के रूप में देखा जा सकता है। इस संदर्भ में सुझाव हेतु यह कहा जा सकता है कि यदि हमारे राष्ट्र की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति का सामाजिक नीति के साथ मानवीय मूल्य–संदर्भित एक स्वस्थ, सुसंगठित एवं समन्वित प्रयास किये जाय, तो राष्ट्रीय विकास के क्षितिज पर एक मूल सूत्र–मंत्र के रूप में सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन प्रभावशाली आकार–स्वरूप उभर सकता है।

27.3.4 सामाजिक मुद्दों के प्रति सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण की अनुपयुक्त भूमिका

सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सामाजिक गतिविधियों के सक्रिय क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रायः यह पाया गया है कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय जनसमुदाय प्रबंधन–तंत्र द्वारा अपनी रणनीति बनाने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय स्तरों पर सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों के सम्बंध में पर्याप्त आँकड़ों का न केवल अभाव रहता है बल्कि विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी प्राधिकरणों तथा अन्य शोध संगठनों द्वारा एकत्रित आकड़े भ्रामक एवं विरोधाभास–ग्रसित होते हैं जिसके फलस्वरूप सामाजिक क्रियाओं का कुशल संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इस विसंगति को दूर करने हेतु सामाजिक शोध एवं सर्वेक्षण– रचनातंत्र का सामाजिक संघर्ष एवं नये समाज के लिए विकल्पों की तलास से जुड़े संक्रिय जमातों से प्रकार्यात्मक सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी तथा साथ–ही–साथ एकत्रित सामाजिक तथ्यों सम्बंधित सूचनाओं एवं आकणों को इन जमातों के बीच शेयर करने की व्यवस्थित रणनीति बनानी होगी।

27.3.5 सामाजिक क्रियाओं का राजनीतिक चढ़ाव (क्लाइम्बिंग) के लिए एक शार्टकट मंच के रूप में उपयोग

सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो प्रतिस्पर्धा की मुद्रा में तेजी से आगे बढ़ने क लिए शार्टकट की तलास में ही रहता है, जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रजातंत्रीय परिवेश में सामाजिक क्रियाओं से संलग्नता राजनीतिक चढ़ाव के अवसर के रूप में उपयोग होता रहा है। इसके चलते, समुदाय के स्तर पर सामाजिक क्रियायें स्थाई तौर पर प्रेरणादायक स्रोत नही बन पाती तथा राजनीतिक अर्न्तसंस्था विद्वेष भी सामाजिक क्रिया को स्थिरता प्रदान करने में बाधक होता है। इसके लिए जनसमुदाय संयोजन (मोबिलाइजेशन) को राजनीतिक कलह एवं विद्वेष से बचाने हेतु सामाजिक जमातों से जुड़े

सदस्यों को स्वयं ही पहल करना होगा तथा ग्रासरूट संघर्ष एवं नवनिर्माण के अवांछित उपयोग से बचना होगा, और इसके बदले सामाजिक क्रियाओं को राष्ट्रीय विकास का एक अधारभूत स्तम्भ बनाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक उत्तरदायित्व के सम्बर्धन में उपयोगी रणनीतियों का सृजन करना होगा।

27.3.8 सामाजिक क्रियाओं हेतु संसाधनों के खोज में सिकुड़ता हुआ अर्थशास्त्र

सामाजिक क्रिया से जुड़े जनपक्षीय कार्यों हेतु विकल्पों की तलास में संसाधन–विमर्श आवश्यक है। वर्तमान में संघर्ष एवं नवरचना से जुड़े सक्रिय संगठन स्वैच्छिक आर्थिक अंशदान को एकत्र करने मे कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं और इसके चलते जनपक्षीय कार्यों से संलग्न सक्रिय जमातों के प्रति सामान्य नागरिकों में भी सहयोगात्मक मनोवृत्ति का अभाव पनपता रहता है। राज्य एवं राजनीतिक दल भी प्रजातांत्रिक समाजवाद आधारित समाज के विचार को एक रेखा से आगे प्रोत्साहित करने से बचते रहें हैं। इसी क्रम में नागरिकों के दैनिक जीवन के हिस्सेदारी पर राज्य द्वारा लाया गया 'कर' के निरन्तर बढ़ते आकार का दबाव भी औसत आय वाले सदस्यों तथा वेतन–योगी के बचत को कम कर देते है। यहाँ तक कि धनी नागरिक भी बढ़ते हुए कर के दबाव से अपनी बचत की कमी के फलस्वरूप लोकहितकारी (फिलनथ्रापी) अभिक्रमों से धीरे–धीरे किनारा करना प्रारम्भ कर देते हैं। दैनिक जीवन की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि भी जनपक्षीय कार्यों के हेतु सभा, सोसाइटी का संगठन एवं ग्रासरूट स्तर पर विविध कार्यक्रमों का प्रबंधन महँगा होता जा रहा है। वर्तमान में बढ़ती हुई उद्योगवाद–दृष्टि भी आर्थिक समृद्धि को सामाजिक समृद्धि की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानती है, परन्तु वर्तमान समय की यह भी सच्चाई है कि औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं उपभोक्तावाद में अभिवृद्धि के परिपेक्ष्य में जनसामान्य की समस्याओं एवं उनके जीवन की जटिलताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इसी संदर्भ में आज समाजकार्य, सामाजिक क्रिया एवं जनपक्षीय संगठन–कार्य की आवश्यकता का और अधिक अनुभव किया जा रहा है, परन्तु दूसरी ओर स्वैच्छिक आर्थिक–अंशदान में क्रमिक ह्रास तथा सरकारी अनुदान में व्याप्त नौकरशाही के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप सच्चे एवं इमानदार संगठन आर्थिक संसाधनों के अभाव के चलते अपने को सक्रिय कर पाने में असमर्थ पाते रहे हैं। यह भी सत्य है कि सामाजिक क्रिया हेतु जनपक्षीय–कार्य प्रबंधन के लिए आर्थिक संसाधन अतिरिक्त पूँजी (सरप्लस) से ही आयेगा, चाहे वह पारम्परिक समाज के स्वैच्छिक अंशदान के माध्यम से आये अथवा राज्यनिर्मित अनुदान प्रणाली के माध्यम से। इस संदर्भ में, सुझाव–स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सार्वजिनक वित्त प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना, राज्य की लोकहितकारी कर–प्रणाली की रचना एवं सामाजिक क्रियाओं से जुड़े संगठनों द्वारा जमा राशि के निमित्त उस क्षेत्र की जनता के प्रति 'जवाबदेही की स्वीकार्यता, इत्यादि कुछ ऐसे सूत्र–मंत्र हैं जिनके माध्यम से सामाजिक क्रिया हेतु जनपक्षीय कार्य का प्रबंधन–तंत्र उत्पेरक हो सकता है।

27.4 टिप्पणी (बोध प्रश्न)

1. सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबंधन के बीच अन्तर्सम्बंध के आधार क्या हैं?

2. भारतीय परिदृश्य में जनसमुदाय प्रबंधन का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है?

3. जनसमुदाय प्रबंधन एवं लोक शक्ति–दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं?

4. एक उन्मुक्त सामाजिक क्रिया हेतु मानवीय स्वतंत्रता जनसमुदाय प्रबंधन के एक 'साधन' के रूप में ही नहीं बल्कि 'साध्य' के रूप में किस प्रकार स्थापित होती है?

5. सामाजिक वंचना की प्रक्रिया सामाजिक भागीदारी, सामाजिक सम्बद्धता और सामाजिक एकीकरण को किस प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है?

6. सामाजिक वंचना के प्रभावित समाज में जनसमुदाय प्रबंधन के क्षेत्र में हस्तक्षेप की क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं?

7. जनसमुदाय प्रबंधन में सामाजिक स्तर पर वंचित वर्ग की सहभागिता संबर्धन हेतु सम्भावित रचनातंत्र की रूपरेखा किस प्रकार की होगी?

8. भारतीय समाज के संदर्भ में जनसमुदाय प्रबंधन प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख चुनौतीपूर्ण प्रसंग क्या–क्या है?

27.5 शब्दावली

1. ग्रासरूट शक्ति–राष्ट्र के सूक्ष्मतम स्तर पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक योग्यता एवं हुनर।

2. उभयनिष्ट फ्रेमवर्क– उभरता हुआ रचनातंत्र।

3. उभयनिष्ट तत्व– उभरती हुआ अभिधारणायें अथवा तात्विक अंगभूत

4. कन्सलटेन्सी – प्ररामर्श।

5. ऐन्सिलियरी–सहायक, अनुषंगी।

6. सामाजिक जमात–राष्ट्र के विभिन्न स्तरों पर– सूक्ष्म अथवा वृहत्, सामाजिक गतिविधियों से सम्बद्ध समूह अथवा संगठन।

7. पारटिसीपेटरी असेसमेन्ट– सामाजिक योजनाओं से प्राप्त परिणामों का लाभार्थियों के संग मूल्यांकन।

8. स्टॉकहोल्डर्स– किसी कार्य, योजना, संस्था, संगठित कारोबार के अंशाधारक जन।

9. बेनिफीसियरी असेसमेन्ट– सामाजिक योजनाओं से प्राप्त परिणामों का लाभार्थियों द्वारा मूल्यांकन।

10. कोलैबरेट कार्य– किसी कार्य, योजना अथवा गतिविधि में विभिन्न सहयोगियों के साथ कार्य करना।

11. सामाजिक वंचना– सामाजिक वंचना वह बहु–आयामी एवं बहु–स्तरीय स्थिति तथा प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत एक समाज अथवा एक राष्ट्र अपने सदस्यों को वैयक्तिक और सामूहिक–दोनों रूपों में आवश्यक लाभों एवं साधनों पर अधिकार से बाहर रखता है।

12. समावेशन– समावेशन एक ऐसी व्यवस्थित नीति, कार्यक्रम अथवा रणनीति है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेद–भाव के विकास की मुख्य धारा में शामिल करता है।

13. पश्च–लेख (पोस्ट–स्क्रिप्ट)– किसी लेखन सामग्री के पूर्ण विवरणोंपरान्त विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष का प्रकटन।

27.6.0 उपयोगी पुस्तकें–

1. सिंह, सुरेन्द्र (मुख्य सम्पादक) इन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, तृतीय संस्करण, सभी पाँच अनुभाग, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, 2012

2. सिंह, ए.एन. एवं ए.पी.तिवारी, समाजकार्य, रेपिड बुक कम्पनी, लखनऊ, 2011

3. मिश्र, पी0डी0, सामाजिक सम्बन्धों के मूल तत्व, उत्तर प्रदेश संस्थान, 1986

4. दासगुप्ता, सुगाता, (सम्पादक) टूवर्ड्स ए फीलासफी आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, पापलुर बुक सर्विसेस, नई दिल्ली, 1967।

27.6.1 वर्तमान लेख संदर्भ–

1. 'Society – a conflict crossed cooperation.'

2. तुलसीदास, रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा–5 (3)

3. देसाई, ए0आर0 भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दिल्ली, हिन्दी मेकमिलन, 1976, पृ0–6

4. अयंगर, सुदर्शन, समावेशी लोकतंत्र : एक गाँधीवादी परिदृश्य, योजना, वर्ष : 58, अंक : 8, अगस्त 2013, पृ0– 35

5. नारायन, जयप्रकाश, दी कन्सेप्ट आफ लोक शक्ति, इन टूवर्ड्स ए फीलासफी आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, सुगाता दास गुप्ता (सम्पादक), पापुलर बुक सर्विसेज, नई दिल्ली, पृ0–109

6. नारायन, जयप्रकाश, तदैव।

7. सेन अमर्त्य, स्वतंत्रता का विकास से नाता, दैनिक हिन्दुस्तान, वाराणसी संस्करण, दिनांक 15 अगस्त, वर्ष 2013 पृ. 12 (3–6)

8. अयंगर, सुदर्शन, तदैव

27.7. बोध प्रश्नों के उत्तर

27.2 अनुभाग के अन्त में 'टिप्पणी' शीर्षक के अर्न्तगत सुझाये गये बोध प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:

1. के उत्तर हेतु – 27.2.0 अनुभाग को देखें।

2. के उत्तर हेतु – 27.2.1 अनुभाग को देखें।

3. के उत्तर हेतु – 27.2.2 अनुभाग को दखें।

4. के उत्तर हेतु – 27.2.3 अनुभाग को देखें।

5. के उत्तर हेतु – 27.2.4.0 अनुभाग को देखें।

6. के उत्तर हेतु – 27.2.4.1 अनुभाग को देखें।

7. के उत्तर हेतु – 27.2.4.2 अनुभाग को देखें।

8. के उत्तर हेतु – 27.3.1, 27.3.2, 27.3.3, 27.3.4, 27.3.5, एवं 27.3.6 अनुभागों को देखें।

इकाई – 28 : जनसमुदाय प्रबन्ध की सीमाएँ

इकाई की रूपरेखा

28.0 उद्देश्य

28.1 प्रस्तावना

28.2 जनसमुदाय प्रबन्धन की सीमाएँ

28.2.1 जनसमुदाय के अन्तर्गत रहने वाले समूहों की विविधता

28.2.2 जनसमुदाय प्रबन्धन पर वर्तमान वैश्वीकरण एवं नवउदारीकरण प्रक्रिया के प्रभाव का नकारात्मक पक्ष

28.2.3 जनसमुदाय प्रबन्धन के माननीय व्यवहार से जुड़े पक्ष

28.2.4 जनसमुदाय प्रबन्धन एवं आम आदमी की सामाजिक बेड़िओं से संलग्नकता

28.2.5 भारतीय समाज में महिलाओं का निम्न स्तर की प्रस्थिति

28.2.6 जनसमुदाय प्रबन्धन की अन्य महत्वपूर्ण सीमाएँ

28.3 टिप्पणी (बोध प्रश्न)

28.4 सारांश

28.5 शब्दावली

28.6 उपयोगी पुस्तकें

28.7 वर्तमान लेख संदर्भ

28.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

28.0 उद्देश्य

इस इकाई में जनसमुदाय प्रबन्धन की भारतीय सन्दर्भ में अन्तर्निहित सीमाओं की चर्चा की गई है तथा साथ ही इसका भी उल्लेख किया गया है कि जनसमुदाय प्रबन्धन का स्वरूप इन सीमाओं से किस प्रकार प्रभावित होता है? जनसमुदाय प्रबन्धन की प्रत्येक अन्तर्निहित सीमा के विवरण के अन्त में उस सीमा को किस प्रकार निष्प्रभावी किया जा सकता है? इसका भी उल्लेख किया गया है। इस इकाई के बाद आप :

- जनसमुदाय प्रबन्धन की अन्तर्निहित सीमाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, तथा

- जनसमुदाय प्रबन्धन की अन्तर्निहित सीमाओं से संबन्धित प्रभावी चुनौतियों की पहचान करने के बाद उन पर नियंत्रण हेतु प्रभावी रणनीतियों से अवगत हो सकेगें।

28.1 प्रस्तावना

आज प्रत्येक समाज के सामने यह चुनौती है कि वह किस प्रकार उपलब्ध संसाधनों, विशेषकर मानवीय, का प्रबन्धन करें कि वह अपने सदस्यों की अधिकाधिक प्रगति कर सके तथा साथ ही उन्हें एक संतोषप्रद, शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक जीवन प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। सामाजिक नीतिज्ञों, प्रशासकों, व्यावहारिक विशेषज्ञों, सोसल एक्टिविस्ट्स, एवं समाज कार्यकर्ताओं के सामने यह चुनौती और भी अधिक है क्योंकि उनसे आज का प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय तथा समाज यह अपेक्षा रहता है कि वे अपने विषयान्तर्गत उत्तरदायित्वों का गुणात्मक परिचय दें। कदाचित, ऐसी चुनौती तो हमेशा से रही है, किन्तु आज के ग्लोब्लाइज्ड दुनियाँ में, जहाँ 'ग्लोब्लाइज्ड गाँव' अथवा 'ग्लोब्लाइज्ड समुदाय' तक की चर्चा होने लगी है, वहीं मानवीय संसाधनों के कुशल संयोजन एवं प्रबन्धन हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध होने के साथ ही चुनौतियों की दायरा और भी अधिक अनुभव किया जाने लगा है। यह प्रश्न भी प्रासंगिक हो उठता है कि कोई भी समाज अथवा राष्ट्र अपने सदस्यों के विकास का प्रमुख उत्तरदायित्व उपरिलिखित वर्गों को ही क्यों सौपे? क्यों नहीं, इसमें प्रमुख भूमिका वह अपने सांसदों, विधायकों, विधि–तंत्रों तथा प्रशासकों जो मुख्यतः राज्य सत्ता के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, को सौपने और इस दिशा में उनके कुशल दिशा निर्देशन की अपेक्षा करे? इन वर्गों से समाज अथवा राष्ट्र द्वारा इस प्रकार के अपेक्षा का औचित्य इसलिए भी हैं क्योंकि इनको इस कार्य के लिए धन, प्रशिक्षण तथा विविध प्रकार के स्रोत्रों द्वारा व्यवहारिक ज्ञान समुचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। किन्तु, यदि बीसवीं शताब्दी एवं उसके कालान्तर के सामाजिक विकास के अभिकारणों के माध्यम से प्राप्त प्रवृत्तियों एवं परिणामों पर दृष्टिपात किया जाय तो यह पता चलता हैं कि राज्य–सत्ता प्रेरित विकास की विचारधारा केवल संकुचित ही नहीं है, बल्कि है उसमें आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता भी है। वास्तव में, अब 'मेरा विकास, मेरे सामर्थ्य द्वारा' सिद्धान्त से जनशक्ति प्रेरित विकास की विचारधरा स्थापित होने लगी है। आज से लगभग पाँच दशक पूर्व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ0 केनेडी ने अपने देश के नागरिकों को सम्बोधित करते हुए कहा था, यह न पूछो कि राष्ट्र आपके लिए क्या कर सकता है बल्कि यह पूछो कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? (ask not what the country can do for you, but ask what you can do for country) प्राश्चात्य देशों में समाज कार्य व्यवसाय के विकास में सामुदायिक कल्याण परिषदों (Community Welfare Councils) की प्रमुख भूमिका रही है, जिसके पृष्ठभूमि में जन–प्रेरित सहकारिता की भावना ही विद्यमान थी। सामुदायिक कल्याण हेतु इन परिषदों के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए एक जर्मन नागरिक द्वारा कहा गया यह वक्तब्य महत्वपूर्ण है जिसका आशय था : कि जब हमारे (जर्मन) समुदाय के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम सरकार से यह अपेक्षा रखते है कि वह यह करे, या वह यह करे, परन्तु जब एक अमेरिकी समुदाय के सामने कोई समस्या आती है तो वहाँ के सामुदायिक सदस्य यह कहते सुने जाते हैं कि 'हम यह करें, हम यह करें।' इसी वक्तब्य के आलोक में छिपे हुए दर्शन में ही सामुदायिक कल्याण परिषदों का आन्दोलन ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा अन्य पाश्चात्य देशों में फैला।

उपरिलिखित विवरण के संदर्भ में आज समूचे विश्व समाज विशेषकर विकासशील, में समेकित (इन्क्लूसिव) विकास का मुद्दा उभरकर आया है, जिसका अर्थ है ऐसा सर्वांगीण सामाजिक विकास जो सभी वर्गों को सम्मिलित करता हो। दूसरे शब्दों में, विश्व के

विकासशील समाज आज जब अपने प्रगति एवं विकास के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रयास संगठित कर रहे हों, तब इस प्रक्रिया में समाज के हाशिए पर रहने वाली जनसंख्या बाहर न रह जाये। इसी परिपेक्ष्य में, एक बुनियादी प्रश्न उभरकर आता रहा है कि इस प्रकार के समेकित विकास की रणनीति क्या हो? तथा इसी पृष्ठभूमि में जो विविध रणनीतियाँ, विधियाँ, अथवा अभिगम जिनकी चर्चा में हैं, या जो प्रयोग में लाये जा रही हैं, उनमें से 'जनसमुदाय प्रबन्धन से युक्त' सामाजिक क्रिया का संचालन समीचिन प्रतीत होती है। महात्मा गाँधी ने भी भारतीय समाज के रचनात्मक प्रयास की दिशा में इस प्रकार की रणनीति को प्रमुखतः नैतिक तथा मानवीय गुणों से युक्त माना था। उन्होंने सर्वप्रथम 1909 में 'हिन्द स्वराज' नामक पुस्तक की रचना करके जनसमुदाय–परक विकास के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था, जिसका उन्होंने 1941 में 18 सूत्रीय–रचनात्मक कार्य योजना नामक लघु–पुस्तिका के माध्यम से विस्तार किया। इन दोनों रचनाओं में गाँधी जी ने ग्राम–केन्दित राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, समुद्री लहरों (Concentric circles), अन्त्योदय, सीमित सरकारी नियंत्रण, तथा सबसे महत्वूपर्ण, सत्ता के दुरूपयोग होने की स्थिति में उसका अहिंसक प्रतिरोध जैसे–सिद्धान्तों पर बल प्रदान किया। उन्होंने सामाजिक–राजनीतिक नेतृत्व, तथा अपने सच्चे अनुयाई–सहकर्मियों को यह सुझाव दिया था कि वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की कोई भी रणनीति तैयार करते समय सर्वप्रथम समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के कल्याण को अपने मस्तिष्क में रखे। कालान्तरण में उनके सबसे प्रिय शिष्य विनोबा भावे ने ग्रामवाद, ग्राम सेवक सभा, सर्वसम्मति, विकेन्द्रित योजना, स्वावलम्बन, इत्यादि ग्रासरूट प्रशासन के लिए आवश्यक गुणों की स्थापना की। जयप्रकाश नरायन जी ने भी लोकशक्ति से अनुप्रेरित राष्ट्रनिर्माण की आवश्यकता पर बल प्रदान किया। वास्तव में, यह सभी विचारधारायें सामाजिक क्रिया के संचालन द्वारा प्रभावी जनसमुदाय प्रबन्धन हेतु आधार वाक्य (premise) के रूप में स्थापित होती हैं।

समाज कार्य की एक प्रथक प्रक्रिया के रूप सामाजिक क्रिया विधि की स्थापना की गई हैं। मेरी रिचमण्ड (1922) ने सामाजिक क्रिया को प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जनसमुदाय के कल्याण हेतु एक साधन के रूप में स्थापित किया था।[1] सामाजिक क्रिया को सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक संगठित सामूहिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इस तथ्य के आलोक में एक निश्चित सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन को व्यवहारिक विज्ञान की एक विधि के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। यह इसलिए कि यदि सामाजिक क्रिया संगठित होती है तो जन– समुदाय प्रबन्धन के सारे आयाम अपने–आप उसके साथ आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जनसमुदाय प्रबन्धन का उद्देश्य ही है कि किस प्रकार सामूहिक प्रक्रिया को सामाजिक क्रिया की ओर अग्रसारित किया जा सकता है अर्थात् सामूहिक प्रक्रिया सामाजिक क्रिया की ओर तब तक चरितार्थ नहीं होगी, जब तक उसका अधिष्ठान जनसमुदाय प्रबन्धन न हो।

28.2 जनसमुदाय प्रबन्धन की सीमाएँ

सामाजिक क्रिया एवं जनसमुदाय प्रबन्धन के सह–स्थापना की दिशा में इस तथ्य का अवलोकन भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक क्रिया के लिए जनसमुदाय प्रबन्धन कितनी भी प्रांसगिक क्यों न हो, उसकी अपनी कुछ अन्तर्निहित सीमाएं हैं।

28.2.1 जनसमुदाय में रहने वाले समूहों की विविधता

समुदाय विभिन्न समूहों का संग्रह भी कहा गया है।[2] इसी संदर्भ में सामुदायिक क्रिया का स्वभाव एवं उद्देश्य ऐसे जनसमूहों के साथ किया गया कार्य के रूप में

परिभाषित किया गया जो किसी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हों, या जो उनको प्रभावित कर रहा हो उसे करना चाहते हो।[3] जनसमुदाय को एक निश्चित भूभाग, हम की भावना, पारस्परिक सम्बन्ध जैसे आवश्यक गुणों वाली ईकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। परन्तु इसके विपरीत, भारतीय जनसमुदाय असमान जातियों, उप–जातियों, वर्गों, एवं जेन्डर–सम्बन्धों पर आधारित समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए पाये जा सकते हैं। विभिन्न जातियों के विविध भौतिक आकार वाली आवासीय व्यवस्था एवं उनका विभिन्न असमान्य टोलों में जातिगत वितरण भारतीय संदर्भ में जनसमुदाय को उन अवधाराणाओं से युक्त परिभाषित नहीं कर पाते, जो उसमें समांगीकरण (homogenisation) का भाव देखने का प्रयास करते हैं। रहन–सहन की दशा, जीवन प्रणाली, सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के आकार, समूहों की जातिगत–शक्ति संरचना इत्यादि, से इन जन समुदायों में अलंगीकरण (heterogenisation) का भाव ही दृष्टिगोचर होता है। इस तथ्य का प्रकटीकरण प्रांसगिक प्रतीत नहीं होता कि भारतीय समुदायों में अभी भी जातियों एवं उप–जातियों के समूह के आधार पर आवासीय व्यवस्था संगठित होती है, अतः इस आधार पर उनमें आमराय, समान अभिरूचि एवं प्रेरणा, तथा सामाजिक–सांस्कृतिक पारस्परिक क्रियाये इत्यादि पायी जाती हैं। स्वातंत्रयोत्तर भारत में पंचायत राज में नेतृत्व को लेकर अनेक स्तर पर गुट–बाजी जन्म लेती रही है।[4] और फिर, हमारे किसान, जो भारतीय जनसमुदाय के मौलिक ईकाई हैं, भी विभिन्न वर्गों में बटे हुए है, जैसे, बड़े किसान जो स्वयं गाँव में न रहकर केवल बटाई–किराया अथवा अनाज से प्राप्त आयकर पर निर्भर हैं, अमीर किसान जो मजूदरों द्वारा खेती करवा कर प्राप्त उत्पाद पर निर्भर हैं, सीमान्त किसान जो अपने उत्पादन विक्रय से प्राप्त आय पर निर्भर हैं, तथा कृषक मजदूर जो अपने श्रम के विक्रय से प्राप्त आय पर निर्भर रहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के उपरिलिखित चार वर्गों को केवल दो श्रेणियों में बाँटकर, जैसे ग्रामीण पूँजीपति (rural capitalists) तथा ग्रामीण प्रोलितेरियतस (rural proletariats) कृषक– समाज की प्रकृति का अध्ययन किया और इसी आधार पर कृषक आन्दोलनों की समीक्षा प्रस्तुत की।

यह भी सत्य है कि भारतीय जनसमुदाय में साम्प्रादायिकता–आधारित सदस्यता भी पाई जाती है, कोई हिन्दू होता है तो कोई मुसलमान, पूर्ण भारतीय, अथवा पूर्ण जनसामुदायिक इन्सान कोई नहीं होता। इसी तथ्य को एक गाँधीवादी विचारक आचार्य दादा धर्माधिकारी ने 'डीनामीनेशनल सिटिजेनशिप' अर्थात् सम्प्रायदायिक नागरिकता कहा है[5], उनके विचार में, आज के समुदाय में गौण सदस्यता की भी एक विशेष श्रेणी वर्तमान है। भारतीय जनसमुदाय के ये सेकेन्डरी सिटीजन्स कहे जा सकते हैं। स्त्रियाँ तो सम्पूर्ण राष्ट्र में सेकेन्डरी सिटिजन्स जैसी ही है या, यो कहा जाय कि वे सेकेन्डरी ह्यूमन वींइम्स, गौण मानव भी है। आचार्य दादा धर्माधिकारी ने भारतीय समुदाय में एक और श्रेणी देखी है जिसकी संज्ञा उन्होंने फ्रेन्कशनल सिटिजेनशिप (Fractional citizenship) के रूप में प्रदान की है, जिसको समूचा आदमी भी नहीं माना गया है। उसे मानव का एक अंश, जैसे आदिवासी, अस्पृश्य, अछूत इत्यादि की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस परिपेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि जब तक भारतीय समुदाय में इस प्रकार की सदस्यता या सिटीजेनशिप वर्तमान रहेगी तब तक "जनसमुदाय प्रबन्धन से सामाजिक क्रिया की ओर" वाली व्याख्या चरितार्थ नहीं हो सकती है। इसके लिए जनसमुदाय की सम्प्रदाय–निरपेक्ष, जाति–निरपेक्ष, स्त्री–पुरूष निरपेक्ष, भाषा निरपेक्ष सदस्यता की आवयश्कता होती है, तथा जब तक इस प्रकार की सदस्यता चरितार्थ नहीं होती तब तक सामुदायिक भावना का विस्तार नहीं हो सकता और जिसके बिना एक प्रभावी सामाजिक क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती। आचार्य दादा धर्माधिकारी के शब्दों में 'मुझसे कहीं किसी ने कहा कि हमारा देश एक अद्भुत देश है। इसमें विविधता में एकता है। विविधता में एकता जरूर है, लेकिन जोर एकता पर नहीं है, जोर तो विविधता पर है। जो विविधता एकता के लिए अनुकूल हो वह

विविधता गौरवास्पद होती है और जहाँ विविधता का उपयोग एकता को खंडित करने के लिए होता है वह विविधता गौरवास्पद नहीं है।"[6] यह सत्य ही है कि 'हमारे भारतीय समाज में जो विविधता है उससे सामुदायिक भावना का विस्तार नहीं हुआ।[7] अतः ग्रासरूट स्तर पर जनसमुदाय में विभिन्न समूहों के बीच विविधता का वर्चस्त चरितार्थ होना कुशल जनसमुदाय प्रबन्धन की सबसे मौलिक सीमा है और इस विविधता का सामुदायिक भावना में प्रकष्टीकरण ही प्रभावी सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हैं। बहु–प्रान्तीय, बहु–भाषीय, बहु–धार्मिक, जातीय तथा एक विकासशील समान वाले जनसमुदाय के संचालन एवं प्रबन्धन में लोगों की पूर्ण साझेदारी सुनिश्चित करने का लोकतांत्रिक मॉडल खड़ा किया जाना चाहिए जो विकेन्द्रीकृत, पारदर्शी, भागीदारी–पूर्ण, और जवाबदेही वाला होना चाहिए और उसमें जनसमुदाय की विविधता एवं बहुलता आधारित न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ना चाहिए।

28.2.2 जनसमुदाय प्रबन्धन पर वर्तमान वैश्वीकरण एवं नव उदारीकरण प्रक्रिया के प्रभाव का नकारात्मक पक्ष

जनसमुदाय प्रबन्धन की दूसरी कठिनाई वर्तमान वैश्वीकरण प्रक्रिया का सम्पूर्ण विश्व में बढ़ते प्रभाव से सम्बन्धित है। कमल नयन काबरा की वैश्वीकरण के संदर्भ में 'भूमण्डलीकरण के भवर में भारत' नामक एक पुस्तक आयी हैं। इस पुस्तक के प्रस्तावना में लिखा गया वाक्य समाज कार्यकर्ताओं के लिए अत्यन्त ही बैचेनीपूर्ण है। इसमें लिखा गया है, 'भूमण्डलीकरण की स्थिति और प्रक्रिया दोनों ही असमानतापूर्ण है।' वास्तव में वैश्वीकरण ने भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सत्ता को अपने अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के अधिपत्य के माध्यम से प्रभावित कर उसकी अस्मिता को ही खतरे में पहुँचा दिया है। नाम चामस्की के शब्दों में, 'वैश्वीकरण की वर्तमान प्रणाली समुदायों में असमानता की समस्या से लड़ने में विफल रही है। इसके विपरीत इसने आम आदमी के ऊपर धनवानों तथा शक्ति शालियों का आधिपत्य स्थापित करने में ही सहायता की है।[8] वैश्विक पूँजीवाद ने विकेन्द्रीकरण और जनवादीकरण परम्पराओं को शिथिल कर जनससमुदाय के प्रबन्धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हैं और जनशक्ति में सन्देह रखने वालों की संख्या में निरन्तर विस्तार किया है। कुछ गांधीवादी परम्पराओं को सुरक्षित रखने वाले सोशल एक्टिविष्ट्स का यह मानना है कि वैश्वीकरण पूर्णतयाः दो विरोधी प्रक्रियाओं, अर्थात् समरूपीकरण (Homogenisation) और वैभिन्त्रीकरण (Heterogenisation), द्वारा निर्मित होता है जिसके प्रभाव में स्थानीयवाद और वैश्वीवाद–दोनों में निरन्तर अन्तर्क्रिया होती रहती है, अतः वैश्वीवाद–प्रक्रिया के वर्चस्व से समाज को बचाने हेतु निरन्तर ग्रासरूट जनशक्ति के अचूक प्रबन्धन के माध्यम से शक्तिशाली आन्दोलनों को चलाएं जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि जनसमुदाय प्रबन्धन क्षेत्रीय संस्कृति से ही अनुप्राणित रहता है और उसी के विस्तार से ही स्वयं टिकता है। दूसरे शब्दों में, जनसमुदाय प्रबन्धन का दर्शन, सिद्धान्त, एवं रणनीतियाँ क्षेत्रीय संस्कृति में ही पनपती हैं और इससे खराब होने की भी स्थिति में अपने आस्त्वि और प्रमणिकता को खो देती हैं और विदेशी संस्कृति जो वैश्वीकरण प्रक्रिया की एक अन्तर्निहित प्रतिफल है, के प्रभाव में शरण पाकर अपने मूल विचार, भाव, या संगठन स्वरूप से विहीन हो जाती है। विदेशी संस्कृति, या संस्कृति का विदेशी– संस्करण से तात्पर्य पाश्चात्य जीवन दृष्टि एवं अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि से ही है, जो एक भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की सनातन संस्कृति के विरोधी है। इसमें जनसमुदाय प्रबन्धन की कल्पना केवल भौतिक संसाधनों के संयोजन तक सीमित हो जाती है, और इस प्रबन्धन की वास्तविक सत्ता 'वित्तीय सत्ता' की अधीन हो जाती है। ग्रासरूट जीवन शैली, पारम्परायें, नारे, कौशल, वैचारिक निष्ठा इत्यादि क्षेत्रीय संस्कृति के मानवीय पक्ष के अभाव में

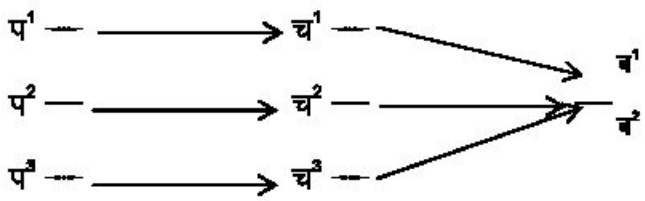
भौतिकवादी दृष्टि में ही उलझ जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जनसमुदाय प्रबन्धन–विमर्श भौतिकवाद संस्करण के आधिपत्य से पूर्णतया विहीन नहीं हो जाता तब तक, 'थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली' के नाम पर ग्रासरूट जनसमुदाय प्रबन्धन भौतिकवादी संस्करण के प्रभाव में पाश्चात्य सभ्यता का ही सहायक होता रहेगा। अन्ततोगत्वा शक्ति तो पाश्चात्य सभ्यता की ही बढ़ेगी, स्थानीय जनसमुदाय की नही। जनसमुदाय प्रबन्धन तो होगा परन्तु 'प्रबन्धन हमारा, सामर्थ्य तुम्हारा' के सन्देश से न कि 'विकास मेरा, सामर्थ्य मेरा' से नवउदारीकरण भाव के अन्तर्गत बड़े–बड़े संगठन यूरोप, अमरीका के सामर्थ्य को गाँव–गाँव तक पहुंचाने में लग जाते हैं। समन्वित वैश्वीकरण के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करते हुए उपभोक्तावाद और व्यक्तिगत जीवन शैली को प्रोत्साहन देते हैं। परिणामस्वरूप, लोकतंत्रिक आदर्शों पर आधारित स्थानीय सामुदायिक स्थिति के सिमटते जाने से नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) कमजोर होता गया है, जिससे उपभोक्तावाद की संस्कृति ने अबाध्यरूप से जनसमुदाय के दिमाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। एक लोकतांत्रिक समाज में जनसमुदाय प्रबन्धन जिस तरह के सम–सामायिक प्रांसगिक सामाजिक क्रिया में खुद को लगा सकता था, वह उपभोक्तावाद एवं भौतिकवादी संस्कृति, जो वैश्वीकरण एवं नवउदारीकरण प्रक्रिया की देन है, में कहीं गुप–छुप गया है। नब्बे के दशक के बाद सामाजिक क्रिया या यो कहें कि सामाजिक ऐक्टिविजम में हमारे यहाँ जो प्रबल वर्ग खड़ा हुआ जिसने आपने को जमीनी परिदृष्य से अलग हटकर यूरोपियन संस्थाओं, संगठनों, एन0जी0ओ0 सेक्टर की नयी उभरती विचारधारा से जोड़ा, उसमें उनकी समझदारी क्या स्वरूप रहा इसको विस्तृत में विश्लेषित करने की आवश्यकता नही है, परन्तु संक्षेप में यही कहना पर्याप्त होगा कि पूर्व में जिस प्रकार का जनसमुदाय प्रबन्धन भारतीय सांस्कृतिक चेतना से सजा हुआ था, वह प्रक्रिया पूरी तरह से परिवर्तित होती चली गयी। जनसमुदाय तो वही रहा परन्तु उसके प्रबन्धन की दृष्टि, निष्ठा एवं भाषा बदल गयी। सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में भारतीय परिदृष्य से ओत–प्रोत जनसमुदाय प्रबन्धन समन्वित पाश्चात्य दिमाग का हाथ–पैर बनकर रह गया और अपने पाश्चात्य जोड़ीदार के साथ अपनी साझेदारी (पार्टनरशिप) की स्वाभिमान–युक्त प्रमाणिकता एवं सार्थकता को खो दिया। यह कहा जाता रहा है कि वैश्वीकरण एवं नवीउदारीकरण की प्रक्रिया अपनी कुछ अवधारणाओं, उप–आवधारणाओं, अभिधारणों की प्रांसंगिकता के फलस्वरूप अवश्यमभावी हो गयी है और इसको नाहकारणा समय की सुई को पीछे ढकेलने के सामान है। परन्तु यहा एक्टिविजन के साथ भारतीय नागरिक संगठनों के स्वावलम्बन प्रक्रिया को प्रबल बनाना होगा जिससे कि उनका भी उदत्तीकरण हो। यह प्रबलता तभी स्थापित होगी जब दोनों, पाश्चात्य ऐक्टिविजम एवं भारतीय नागरिक समाज के साझेदारी या पार्टनरशिप की बात विदेशी स–सर्त आर्थिक अनुदान और अन्तर्राराष्ट्रीय एजेन्डा से निकल भारतीय एजेन्डा पर आधारित ग्रासरूट प्रबन्धन की विधियों रणनितीयों, अभिगर्मों की वरीयता को स्वीकारें। जब 'हमारा जनसमुदाय प्रबन्धन, तुम्हारा सामर्थ्य से' के बहस से निकालकर पाश्चात्य एक्टिविजम एवं भारतीय नागरिक समाज को पार्टनरशिप को वैचारिक स्वाधीनता एवं स्वाभिमान आधारित एजेन्डा की नीव पर खड़ा करेगें, तभी 'हमारा जनसमुदाय प्रबन्धन, हमारे सामर्थ्य से' की बात कर पायेगें और आज के वैश्वीकरण एवं नवउदारीकरण युग में सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में जनसमुदाय प्रबन्धन हेतु प्रमाणिक साझेदारी तभी खड़ी होगी।

28.2.3 जनसमुदाय प्रबधन से संबन्धित मानवीय पक्ष

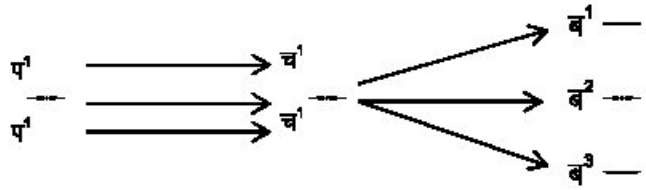
जनसमुदाय प्रबन्धन की तृतीय कठिनाई या सीमा उसके मानवीय पक्ष से जुड़ी हुई है। यह गौरतलब है कि श्रेष्ठ जनसमुदाय प्रबन्धन के लिए उसके मानवीय दृष्टिकोण के महत्व की स्वाकार्यता आवश्यक हैं और इसके अभाव में जनसमुदाय प्रबन्धन के सभी प्रयास अप्रभावी हो जाते है। जनसमुदाय प्रबन्धन से जुड़ा तंत्र अधिकांशतः अनुभवशील होता है

और उसके सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं विधियों से अवगत होता है, फिर भी वह कुशल जनसमुदाय प्रबन्धन दे पाने में समर्थ नही हो पाता। अच्छे से अच्छे प्रबन्धक भी अनेक अवसरों पर जनसमुदाय के मानवीय व्यवहार पक्ष से सम्बधित चर–मूल्यों (वैरियेबिल्स) का पता नही लगा पातें। प्रायः देखा जाता है कि जनसमुदाय अलग–अलग परिस्थितियों में भिन्न–भिन्न प्रकार से व्यवहार करता हैं, तथा साथ ही कुछ अन्य दशाओं में एक जैसी परिस्थितियाँ होने पर भी विभिन्न जनसमुदायों का व्यवहार भिन्न–भिन्न हो सकता है, जिनके परिणाम भी भिन्न होते हैं। उदाहरणस्वरूप किसी घटना के घटित हो जाने पर कुछ जनसमुदाय या उसके अन्तर्गत कुछ समूह उत्तेजित हो जाते है तो कुछ निष्क्रिय हो जाते है, तो कुछ घटना के दुष्प्रभाव को कम कर देते है, तो कुछ उसका बुद्धिमतापूर्वक सामना कर लेते है। अतः समुदाय के भीतर प्रत्येक जनसमूह का व्यवहार एक ही परिस्थिति में अलग–अलग हो सकता है। इस तथ्य का निरूपण निम्न प्रस्तुत चित्र के माध्यम से किया गया है।

चित्र–क



चित्र–ख



इस चित्र में 'क' एवं 'ख'–दो प्रकार की परिस्थितियाँ दर्शायी गयी है

चित्र : 'क' के माध्यम से यह दिखाया गया है कि तीन भिन्न–भिन्न परिस्थिति (प) एवं चुनौती (च) होते हुए भी तीन जनसमुदायों अथवा उसके अन्तर्गत रहने वाले तीन समूहों का व्यवहार (ब) एक है। इसके विपरीत, चित्र 'ख' से यह स्पष्ट है कि एक परिस्थिति (प) एवं चुनौती (च) होते हुए भी तीन जनसमुदायों अथवा उसके अन्तर्गत रहने वालों तीन समूहों के व्यवहार अलग–अलग हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कई जनसमुदायों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक, अथवा समग्र रूप में अलग–अलग परिस्थितियों एवं चुनौतियों के होने के कारण जनसमुदाय प्रबन्धक फूलप्रूफ निष्कर्ष नही निकाल पातें। प्रायः यह पाया कि जनसमुदाय प्रबन्धन के हेतु अपने व्यक्तिगत जीवन के चर–मूल्यों को स्थिर एवं चिर सत्य मान लेते हैं तथा अनेक अवसरों पर समूह अभिधारिक मूल्य (ग्रुप एजमटिव वैल्यू), समूह क्रिया, समूह मनोविज्ञान, समूह संस्कृति, इत्यादि जैसे घटक जो एक जनसमुदाय के अन्तर्गत होने वाले मानव व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं उनमें से एक का, अथवा कुछ का, अथवा सभी का, वे अनदेखा कर देते हैं, जिससे जनसमुदाय के कुशल प्रबन्धन में बाधा पहुँचती है। वास्तव में, नवउदारीकरण युग में सार्वजनिक क्षेत्र के क्रमशः घटने से तथा निजी क्षेत्र के

क्रमिक विस्तार के फलस्वरूप सामाजिक क्रिया विधि के प्रयोग में उत्तरोतर वृद्धि की सम्भावना के परिप्रेक्ष्य में यह धारणा भी व्याप्त हो रही है कि जनसमुदाय प्रबन्धन की स्थापित सिद्धान्तों, रणनितियों या नियमों के परिपालन से सभी सामयिक परिस्थितियों अथवा चुनौतियों का सामना किया जा सकता है; परन्तु यह सोच वास्तविकता से परे है। कुशल जनसमुदाय प्रबन्धन द्वारा बहुत सीमा तक सामाजिक क्रिया संबन्धित चुनौतियों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु पूर्ण रूप से, तथा सभी परिस्थितियों में ऐसा नही हो पाता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जनसमुदाय प्रबन्धन सम्बंधित सभी निर्णय एवं उनकी स्थापना सफल सामाजिक क्रिया की दिशा में एक आवश्यक कदम हो सकते हैं, परन्तु उनके प्रतिफल के बारे में कोई अचूक भविष्यवाणी नही की जा सकती है। इस संदर्भ में, यह कहना आवश्यक होगा कि एक सोशल एक्टिविष्ट मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले व्यवहारिक विज्ञानों जैसे समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, (एन्थ्रापलाजी) इत्यादि के अन्तर्गत मानव सम्बन्ध, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक अन्तःक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं, जैसी विधाओं का ज्ञान प्राप्त कर सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन की दिशा में सफल प्रयोग कर सकते हैं।

28.2.4 जनसमुदाय प्रबन्धन एवं आम आदमी की सामाजिक बेडियों से संलग्नकताः

जनसमुदाय प्रबन्धन की चौथी सीमा जनसमुदाय के आम आदमी की अपनी सामाजिक बेड़ियों से संलग्नाकता का होना है। यह अनुभव किया गया है कि भारतीय जनमानस अनेक प्रकार की कुरीतियों, अन्धविश्वासों, एवं पाखण्डों से अपने को लिप्त पाता है। वह बाल विवाह, एवं सती प्रथा, वैधव्य जैसी आत्म घातक प्रथाओं की दासता में जीता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गाँधी जी ने भी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में भारतीय महिलाओं के विशेष संदर्भ में उनके सामाजिक बेडियों से मुक्ति पर विशेष बल प्रदान किया था। गाँधी जी के विचारों में महिलाओं को शिक्षित कर, जागृत कर, एवं उन्हें संगठित कर उन्हें सामाजिक बेड़ियों से मुक्ति प्रदान की जा सकता है। इस दिशा में अपने विचारों के विस्तार करते हुए यह भी स्पष्ट किया था कि संसदीय राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक रचनात्मक कार्यक्रमों एवं लोक शिक्षण विधि उनकी मुक्ति (emancipation) में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रामदान–भूदान योजना के जनक विनोबा भावे ने महात्मा गांधी जी के द्वारा 'सत्याग्रह' की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए लोक शिक्षण को भी एक प्रकार का सत्याग्रह (सौम्य या सौम्यता का सत्याग्रह) माना था।[9] इस पृष्ठभूमि में गाँधी एवं विनोबा के दृष्टिकोण की विवेचना करते हुए महान सर्वोदयी विचारक, धीरेन्द्र मजुमदार जी ने कहा था, 'गाँधी जी का आन्दोलन युद्ध था, क्रान्ति नही थी। विनोबा का आन्दोलन क्रान्ति है। युद्ध एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को पराजित करने के लिए होता है। क्रान्ति मनुष्यों की सभ्यता, परम्पराओं को बदलने के लिए होती है। उत्कष्टता से मनुष्य का विचार बदलता नही है, उत्कटता से मनुष्य से कुछ काम करवाया जा सकता है। चूंकि इंसान के मूल्य और विचार बदलते हैं, इसलिए शिक्षण प्रक्रिया चाहिए। 'विद्या ददाति विनिमय'– शिक्षण प्रक्रिया हमेशा सौम्य होती है। युद्ध प्रक्रिया हमेशा तीव्र होती है।[10]

28.2.5 भारतीय समाज में महिलाओं का निम्न प्रस्थिति

जनसमुदाय के प्रबन्धन की एक महत्वपूर्ण सीमा भारतीय समाज में महिलाओं का निम्न प्रस्थिति का होना भी है। यह विडम्बना ही है कि भारतीय महिलाएँ सदियों से भेदभाव व शोषण सहते–सहते निःशक्त हो गयी हैं तथा राष्ट्रीय विकास के निरन्तर गति के बावजूद भी महिलाओं की प्रस्थिति में आशानुकूल सुधार नही हुआ है। भारत में लगभग उन्चास प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत निजीकरण एवं नवउदारवादी सम्बन्धित नीतियों के कारण निर्धनता के लैंगिक आयाम में निरन्तर वृद्धि हुई

है, अथवा यह कहा जाय कि उत्तर–वैश्वीकरण प्रक्रिया महिलाओं का निर्धनताकरण ही है, तो गलत नहीं होगा। निजीकरण एवं नवउदारीवादी की प्रक्रियाओं के दबाव में राज्य का कार्यक्षेत्र क्रमशः सीमित होने के फलस्वरूप लोककल्याणकारी एवं विशेषकर महिला कल्याणकारी नितियों में उल्लेखनीय कमी के चलते महिलाओं के विकास सम्बन्धित अवसरों में अभाग्यवश कटौती हुई है। कुछ दशक पूर्व स्वामी विवेकानन्द ने विश्वमंच पर कहा था कि महिलाओं की स्थिती में सुधार लाये बिना समाज का कल्याण उसी तरह से असम्भव है जैसे कि एक पक्षी का दों में से एक पंख के अभाव में उड़ान भरना। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज के परम्परागत पुरूष एवं महिला के उत्तरदायित्वों के बटवारें के परिपेक्ष्य में एक महिला की जिम्मेदारियां केवल घर तक ही सीमित कर दी गयी थी। जिसके फलस्वरूप शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान के साथ–साथ जीवन की व्यवहारिक कार्यकुशलता, वाक–पटुता, नीति–निपुणता, आदि क्षेत्रों में वह पिछड़ती गयी। इसी परिपेक्ष्य में भारतीय समाज का समस्त चिन्तन एवं मनन नारी के 'देह विमर्ष' से बाहर निकाल कर समतावादी, मानवतावादी समाज व्यवस्था के रूप में पूर्णतया स्थापित नही हो पाया। अतः सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े होते हैं, एक, सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी का अर्थ क्या है? तथा दूसरा, क्या हम कह सकते है कि भारतीय समाज की लगभग आधा हिस्सेदारी करने वाली महिलायें जनसमुदाय प्रबन्धन में अपना स्पष्ट स्थान रखती हैं? इन प्रश्नों की परख इस तथ्य से होनी चाहिए कि क्या एक महिला भयमुक्त होकर एवं स्वस्थ्य–निर्णय प्रक्रिया में सबल हो कर जनसमुदायिक जीवन में कुशल भागीदारी के लिए तैयार हैं? सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदायिक जीवन में यही महिला सबलता अथवा उसकी कुशलता की असली पहचान है और यदि इस सबलता अथवा कुशलता का अभाव है तो सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदायिक प्रबन्धन को पूर्ण रूपेण आधारशिला प्रदान नही किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से हमारे देश के संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में महिलाओं को पुरूषों के समान ही दर्जा प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा में आज तक दस प्रतिशत से अधिक महिला सदस्य नही पहुच पायीं हैं। इस कमी को दूर करने के लिए एक महिला–आरक्षण बिल भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया था जिसमें लोकसभा के साथ राज्यों की विधानसभाओं में तैंतीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना प्रस्तावित था। पर सभी राजनितीक दलों में पुरूष– सोच के चलते सहमति न होने से यह अभी तक पास नही हो पाया हैं।

महिलाएँ किसी भी राष्ट्र की शक्ति का आधार होती हैं। महिलाओं के सामाजिक प्रक्रियाओं में सबल भागीदारी की बुनियादी से ही राष्ट्र तथा समाज का विकास सम्भव हो सकेगा। महात्मा गाँन्धी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर के ही अपने अभियान को एक नयी ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान किया था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी, संसद एवं राज्य विधान मण्डलों में महिलाओं की उपयुक्त हिस्सेदारी, प्रशासन एवं औद्योगिक संगठनों के प्रबन्धन में दक्षता, प्रोफेसनल एवं तकनीकी सेवाओं के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भूमिका, पुरूषों की भाँति महिलाओं को प्रतिव्यक्ति आय का समुचित आधार, इत्यादि प्रमुख तत्वों के राष्ट्रीय विकास में समावेशन के माध्यम से महिलाओं का जनसमुदायिक प्रबन्धन में सबल हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इस अर्थ में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक प्रस्थिति जनसमुदायिक प्रबन्धन का एक प्रकार का संकेतक भी है। अतः यहाँ सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को समाज कार्य विद्यालयों एवं विभागों को मूल्योंनोमुखी प्रशिक्षण प्रदान कर प्रभावी सामाजिक क्रिया हेतु जनसमुदाय प्रबन्धन में गुणात्मक सुधार के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना होगा।

28.2.6 जनसमुदाय प्रबन्धन की अन्य महत्वपूर्ण सीमाएँ :

जनसमुदाय प्रबन्धन की उपरिलिखित पाँच अन्तर्निहित सीमाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण सीमाएं भी है, जिनका संक्षिप्त में प्रस्तुतीकरण करना आवश्यक होगा। भारतीय जनसमुदाय का अधिसंख्य भाग निम्न स्तर की आर्थिक दशा, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, साक्षरता का अभाव, कुपोषण एवं बीमारी जैसी सामाजिक समस्याओं से प्रभावित है। इनके अतिरिक्त, देश के दूर–सदूर स्थलों में बसने वाले गिरिजनों तथा बीहड़ ग्राम्य–केन्द्रित जनसमुदायों तक पहुँचने के अनुपयुक्त आवागमन साधन (लिंक रोड), कम खर्चीली जन संचार संसाधनों, प्रिन्ट पत्रकारिता का अभाव, इत्यादि जैसे कारक भी है जो जनसमुदाय प्रबन्धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

जनसमुदाय प्रबन्धन की इन अन्य महत्वपूर्ण सीमाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना वर्तमान में सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु सतत् 'जनशक्ति' के निर्माण के माध्यम द्वारा किया जा सकता है। जहाँ इन चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का अभाव है वहां स्थानीय समुदायों के नेतृत्व को वैकल्पिक संसाधनों की तलाश कर सामाजिक नीति विशेषज्ञों, जनप्रतिनिधियों जैसे सांसद, विधायक एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों (प्रधान) इत्यादि के साथ सक्रिय एवं सतत् लाबीयिन्ग तथा इडवोकेसी करनी होगी। लोक सेवा प्रसारण सामुदायिक रेडियों, तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मिडिया, द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों में सामाजिक विकास हेतु स्वस्थ एवं सक्रिय जन भागीदारी के निर्माण एवं विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल प्रदान करना होगा।

28.3 टिप्पणी (बोध प्रश्न)

1 भारतीय जनसमुदाय के अन्तर्गत समूह स्तर पर विविधता जनसमुदाय प्रबन्धन पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालती हैं ?

2 वर्तमान युग की वैश्वीकरण एवं नवउदारीकरण प्रक्रिया किस प्रकार से जनसमुदाय प्रबन्धन को प्रभावित करती हैं ?

3 जनसमुदाय का मानवीय पक्ष किस प्रकार से उसके प्रबन्धन की सीमा बन जाती हैं ?

4 भारतीय जनसमुदाय में व्याप्त सामाजिक बेड़ियों से मुक्ति उसके प्रबन्धन के लिए क्यों आवश्यक हैं ?

5 महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक–राजनीति प्रस्थिति जनसमुदाय प्रबन्धन का किस अर्थ में एक संकेतक हैं ?

6 जनसमुदाय प्रबन्धन के अन्य महत्वपूर्ण कारक कौन–कौन से हैं और उस पर नियंत्रण हेतु क्या किया जा सकता हैं ?

28.4 सारांश

आज सामाजिक नीतिज्ञों, प्रशासकों, सामाजिक नेतृत्व के समक्ष यह चुनौती है कि वे जनसमुदाय प्रबन्धन की जो सामाजिक क्रिया के संयोजन हेतु एक आवश्यक उपकरण है,

सीमाओं की पहचान कर और उस पर नियंत्रण प्राप्त करें, उसे सामाजिक विकास से जोड़ें और जनसमुदाय प्रबन्धन की सीमाओं के सम्बन्ध में वांछित जानकारी प्राप्त करें, तथा उसमें से असामान्य और अनावर्ती कारकों को निकाल देने के सभी सम्भव प्रयास करें। इस सम्बन्ध में, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जनसमुदाय प्रबन्धन को सामाजिक क्रिया की एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में उसके महत्व एवं गम्भीरता की समझ से कोई भी समाज इस क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाओं एवं कठिनाइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है तथा विकास एवं प्रगति के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रह सकता है।

28.5 शब्दावली

1. सोशल एक्टिविट्स– राष्ट्र के सूक्ष्म अथवा वृहत् स्तर पर सामाजिक क्रिया के सम्बद्ध जन।

2. ग्रासरूट– भारतीय समुदाय का सूक्ष्मतम् अंश।

3. डीनामीनेशनल सिटिजेनशिप– वह नागरिकता, जो एक–समष्टि न होकर विभिन्न साम्प्रदायिक वर्गों में विभाजित हो।

4. वैश्वीकरण–ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक सम्बन्ध जो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर देशों के बीच की दशाओं और भाग्य का निर्धारित करती हैं। इसे भूमण्डलीकरण प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है।

5. नवउदारीकरण– जब एक देश व्यापार हेतु दूसरे देशों से सम्बन्ध स्थापन में आपकी सीमाओं को खोल देता है।

6. नागरिक समाज– समाज का वह भाग जो स्वैच्छिक स्तर पर बिना सरकारी नियंत्रण के सामाजिक–आर्थिक विकास प्रक्रिया से अपने को आबद्ध करता है या उससे जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता हैं। इसे राष्ट्रीय विकास की तीसरी शक्ति भी कहते हैं। पहली शक्ति 'राज्य' तथा दूसरी शक्ति 'बाजार' कहलाती है।

28.6 उपयोगी पुस्तकें

1. सिंह, सुरेन्द्र (सम्पादक), इन्साइक्लोपीडिया आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, तृतीय संस्करण, सभी पाँच अनुभाग, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ,2012।

2. सिंह ए0एन0 एवं ए0पी0 तिवारी, समाजकार्य, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 2011।

3. तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, महात्मा गाँन्धी सहस्त्रावाद का महानायक, नई दिल्ली, 2009।

4. मिश्र, पी0डी0, सामाजिक सम्बन्धों के मूल आधार, उत्तर प्रदेश संस्थान, 1986।

5. गौतम, जी0पी0, दलित महिला सशक्तीकरण एवं वैश्वीकरण, कला प्रकाशन, लखनऊ।

6. धर्माधिकारी, दादा, सम्पूर्ण क्रान्ति के आयाम, सर्व सेवा–संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 1978

28.7 वर्तमान लेख संदर्भ

1. 'Social Action is mass betterment through propaganda and social legislation', Richmond, M.E., What is Social Case Work? Russell Sage Foundation, New York, 1922, P. 23

2. जिन्स वर्ग, मोरिस, सोशियालाजी, वटरवर्थ, लन्दन, 1935, पृ0 20,

3. सिद्धिकी, एच0वाई0 कम्यूनिटी वर्क, इन्साइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल वर्क इन इण्डिया, तीसरा संस्करण, प्रो0 सुरेन्द्र सिंह (मुख्य सम्पादक) 2012, न्यू रायल बुक कम्पनी, लखनऊ, पृ0 153

4. सिंह, ए0बी0, अग्रेरियन सोशल वर्क–ऐन इमर्जिग फील्ड फार इन्टरवेशन, तदैव पृ0 25,

5. धर्माधिकारी, दादा सम्पूर्ण क्रान्ति के आयाम, सर्व सेवा–संघ–प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 1978, पृष्ठ 16

6. तदैव, पृष्ठ–17

7. गौतम, ज्ञान प्रकाश, महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण, कला प्रकाशन, वाराणसी, 2009, पृष्ठ 11

8. तदैव

9. तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, महात्मा गाँधी सहस्त्राब्द का महानायक, सस्ता साहित्यमंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ 149

10. तदैव

28.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न–

1. के उत्तर हेतु 28.2.1 के उपभाग को देखें।

2. के उत्तर हेतु 28.2.2 के उपभाग को देखें।

3. के उत्तर हेतु 28.2.3 के उपभाग को देखें।

4. के उत्तर हेतु 28.2.4 के उपभाग को देखें।

5. के उत्तर हेतु 28.2.5 के उपभाग को देखें।

6. के उत्तर हेतु 28.2.6 के उपभाग को देखें।

इकाई–29 : सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन

इकाई की रूपरेखा

29.0 उद्देश्य

29.1 प्रस्तावना

29.2 सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन

29.3 सारांश

29.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

29.5 बोध प्रश्न

29.6 बोध प्रश्न के उत्तर

29.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन के विषय में चर्चा की गयी है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप–

- सामाजिक क्रिया के बारे में समझ सकेंगें।
- सामाजिक परिवर्तन के बारे में जान सकेगें।

29.1 प्रस्तावना

समाज सदैव से ही परिवर्तनशील रहा है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव से चलती आ रही है। परिवर्तन की गति धीमी या तेज होती रहती है परन्तु किसी भी काल में यह गति स्थिर नहीं होती। सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। यह हमारी मौलिक धारणा है कि समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सामाजिक क्रिया को अपनी व्यावसायिक सेवा का अंग मानता है। सामाजिक क्रिया के पीछे जो शक्ति कार्य करती हैं। वह वही है जो सम्पूर्ण समाज कार्य के पीछे है – प्रजातांत्रिक पद्धति में दृढ़ विश्वास। समाज कार्य सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं की स्थापना या उन्हें पुनः गठन करता है।

29.2 सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। समय एवं परिस्थिति के अनुसार उसमें कोई न कोई विचलन अवश्य आता रहता है। यह विचलन (परिवर्तन) सामाजिक संगठनों, उनके समूहों, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं में हमें देखने को मिलता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वस्तु में परिवर्तन हमारी सामाजिक संरचना में अन्तर्निहित व्यवस्थाओं के कारण होता

है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थान, समय, एवं संदर्भ के परिपेक्ष्य में सामाजिक संरचना के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।

समाज में मुख्य रूप से दो क्रियायें हैं–

- वह व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्थाओं को कायम रखती है।
- वह प्रक्रिया जो व्यवस्था के भीतर और स्वयं व्यवस्था में परिवर्तन लाती हैं।

प्रथम प्रक्रिया को अनुरूपता यर्थातपूर्ण स्थिति निरन्तरता आदि के नाम से जाना जाता है तथा द्वितीय प्रक्रिया को सांस्कृतिक और संरचनात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। इसकी निम्न लिखित विशेषताएं हैं–

- सामाजिक संरचना में परिवर्तन।
- सामाजिक एवं सांस्कृति परिवर्तन।
- संबंधों में परिवर्तन।
- सार्वभौमिक प्रक्रिया में परिवर्तन।
- निश्चित गति में परिवर्तन।
- मूल्य बोध में परिवर्तन।
- एक प्रक्रिया के रूप में परितर्वन।
- अचानक परिवर्तन।

सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं–

- भौतिक पर्यावरणीय कारक
- राजनैतिक कारक
- सांस्कृतिक कारक
- आर्थिक कारक
- औद्योगिक कारक
- कानून एवं प्रशासकीय कारक
- समसामानकीय कारक

सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। यह हमारी मौलिक धारणा है कि समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सामाजिक क्रिया को अपनी व्यावसायिक सेवा का अंग मानता है और सामाजिक क्रिया को व्यावसायिक कार्य के रूप में प्रयोग करता आया है। समाज कार्यकर्ता सदैव ही सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता के साथ–साथ इन सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाले करणों या दशाओं में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करते रहे हैं। अतः सामाजिक दृष्टि से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गयी समूह की कानून द्वारा अनुज्ञेय क्रिया या एक व्यक्ति, जो सामूहिक क्रिया को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है, द्वारा दी गयी क्रिया है।

सामाजिक क्रिया के पीछे जो शक्ति कार्य करती हैं। वह वही है जो सम्पूर्ण समाज कार्य के पीछे है – प्रजातांत्रिक पद्धति में दृढ़ विश्वास। समाज कार्य में सामाजिक क्रिया का क्या स्थान है, इसे हर देश में समाज सुधार के प्रयासों के इतिहास की समीक्षा करके जाना जा सकता है जब कई समाज सुधारकों ने व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से सामाजिक दशाओं को सुधारने और उनमें परिवर्तन लाने के प्रयास किए और सफल रहें। समाज कार्य की मूल प्रवृत्ति के पीछे जो प्रमुख कारण है वह इस व्यवसाय की सामाजिक क्रिया के प्रति आस्था है। समाज कार्य सम्पूर्ण व्यक्ति और उसके सम्पूर्ण पर्यावरण से संबंधित होता है, जो गुण अन्य व्यवसायों में नहीं है। समाज कार्य यह मान कर चलता है कि व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को उसके द्वारा दी जाने वाली सेवायें उनके पर्यावरण के गुणों और दोषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। इस लिए समाज कार्य सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग करके सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं की स्थापना या उन्हें पुनः गठन करता है या उन पर्यावरणीय दशाओं में आशोधन करने का प्रयास करता है जो लोकतंत्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डालती है। इस दृष्टि से यह कहा गया है कि "समाज कार्य कार्यकर्ता की सामाजिक क्रिया में रूचि ही उसकी सत्यनिष्ठा या ईमानदारी की परीक्षा है।"

समाज सदैव से ही परिवर्तनशील रहा है। सभ्यता के प्रारम्भ से ही परिवर्तन की प्रक्रिया फलस्वरूप विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। व्यक्तियों के रहन–सहन, विचारों, मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, यह परिवर्तन अनेक कारकों से प्रभावित होते रहते है। जिसके कारण इनकी गति धीमी अथवा तीव्र होती रहती है, परन्तु किसी काल में गति स्थिर नहीं होती। "सुख और सुविधाजनक जीवन का प्रयास मानव की प्रकृति में है।" इनकी खोज में समाज निरन्तर विकास करता रहा तथा समाज के अंदर सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, समूहों, सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिवादों, रीतियों तथा तरीकों में सदैव परिवर्तन होता रहा है, मानव सभ्यता के कारण में परितर्वन की गति धीमी होती जा रही है, विकास के साथ–साथ परिवर्तन में तीव्रता आयी है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन यह दोनों आपस में अन्तर्संबंधित है। जब समाज में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक किसी न किसी रूप में समुदाय समूह एवं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय, समूह एवं व्यक्ति के समक्ष नयी समस्यायें, आवश्यकतायें उत्पन्न होती है, जिनके साथ समाज का समायोजन अति आवश्यक है। कुछ समायोजन की स्थिति में समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध भी जन्म लेते हैं तथा समाज में विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। इस दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन के उपरान्त समाज कार्य की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। समाज कार्य अपने ज्ञान द्वारा समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का आंकलन करता है तत्पश्चात् आंकलित आवश्कताओं एवं समस्याओं के आधार पर अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है तथा फिर समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समुदाय की सहभागिता द्वारा आवश्यकता या समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि सामाजिक क्रिया परिवर्तन के परिणामों

के आधार पर अपनी रूपरेखा तैयार करता है। इस कार्य योजना में सामाजिक क्रिया माध्यम, निपुणताओं एवं यंत्रों का प्रयोग करता है जिसके आधार पर यह सामाजिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक स्तरीकरण आदि के बारे में वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या देता है।

सामाजिक परिवर्तन के परिदृश्य को यदि देखा जाए, तो अभिजात वर्ग भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण निभाये हैं। अभिजात वर्ग शब्द का प्रयोग 17 वीं शताब्दी से ही विशिष्ट वर्गों के लिए किया जाता रहा है। अभिजात वर्ग में वे लोग सम्मिलित होते है जो किसी समुदाय विशेष का नेतृत्व करते हैं। जैसे– धार्मिक गुरू, पोप, पादरी, मौलवी इत्यादि। इसी प्रकार धीरे–धीरे आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन के साथ–साथ अभिजात वर्ग के अर्थ में भी परिवर्तन आया है। अतः अभिजात वर्ग सत्ताधारी वर्ग के लोगों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, विशेषज्ञों तथा शासक वर्ग आते हैं। अभिजात वर्ग के सदस्य समाज की स्थिति को समझने में, बुद्धिमान, चतुर, कुशल एवं समर्थ होते हैं। साथ ही साथ सामाजिक जीवन में उनका एक विशेष पक्ष या क्षेत्र होता है। वे सभी अपने–अपने क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाते हैं। अभिजात वर्ग का सर्वप्रमुख कार्य शासन प्रबंध को चलाना होता है। यही शासन अभिजात वर्ग के कार्यों से प्रभावित होता है। कहीं–कहीं तो वंशानुगत रूप से यह प्रभावित होता है, तो कहीं–कहीं यह बैलेट बाक्स की लड़ाई जीत कर भी शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेते है अर्थात् यह वर्ग समाज में परिवर्तन हेतु समाज में दिशा–निर्देशों के निर्माण, कार्यक्रमों को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अभिजात वर्ग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाना, उत्पादन में वृद्धि करना, श्रम शक्ति का भरपूर उपयोग करना, उत्पादन के मध्य संतुलन बनाए रखना, उचित विपणन व्यवस्था उद्योगों को उन्नतिशील एवं गतिशील बनाना अथवा सबसे महत्वपूर्ण रूप में अर्थव्यवस्था के ही नियोजन कार्यक्रम तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष बजट का निर्माण करना है। आर्थिक रूप से अभिजात वर्ग के लोग उपरोक्त कार्यों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान समय में देश–प्रदेश के प्रशासनिक ढांचें को बनाये रखने के लिए एक नये प्रकार के अभिजात वर्ग का उदय हुआ हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें हम अधिकारी वर्ग कहते हैं। यह अभिजात वर्ग शासक वर्गों द्वारा बनाये गये नियमों एवं कानूनों के अनुसार प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालने करते हैं। इस वर्ग के महत्व को किसी भी रूप में अस्वीकार नहीं किया जाता हैं। इसी ही प्रकार विशेषज्ञों का अभिजात वर्ग भी अपने–अपने क्षेत्र में जनता एवं समाज के लिए विशिष्ट सेवाओं को उपलब्ध करवाकर सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। डाक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, कलाकार आदि सभी समाज में अपना महत्वपूर्ण दखल रखते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं द्वारा हमारा समाज प्रगतिशील बना हुआ है। इस प्रकार यदि हम देखे तो अभिजात वर्ग इन सभी प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन वास्तविक रूप में प्रजातांत्रिक वातावरण में करता रहा है। प्रजातंत्र के वातावरण द्वारा समाज में स्वतंत्रता एवं समानता की भावना फैलती रही है तथा इस वातावरण में अभिजात वर्ग खुलकर अपनी भूमिकाओं का निर्वाहन करते रही हैं।

इसी प्रकार से यदि देखा जाए तो सभ्य समाज भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। सभ्य समाज के ये सदस्य अपने–अपने क्षेत्र में समाज को दिशा देने तथा विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते है। ये समाज को सम्पूर्णतः के आधार पर समाज को विकसित या परिवर्तित करने का प्रयास करते है तथा समाज के विकास हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं और सभ्य समाज के

विकास को उचित दिशा प्रदान करता है। सभ्य समाज में चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोग नयी–नयी खोज कर चिकित्सा विज्ञान को नयी दिशा दे रहे है और समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभ्य समाज के अंग के रूप में विभिन्न प्रकार के अभियन्ता अपनी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षमता के द्वारा नये–नये परिवर्तन करते हुए समाज को नयी दिशा रहे हैं। विभिन्न समाजशास्त्री, समाज कार्यकर्ता एवं सामाजिक चिकित्सक समाज में गरीबी, बेकारी, भूखमरी एवं कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लोगों को समस्याओं के प्रति जागरूक कर कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण शब्द को उन तक पहुंचाया कर समानता पर जोर दिया है। शिक्षा के विकास में शिक्षित सभ्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। सभ्य समाज में शिक्षा के विकास द्वारा मनोवृत्तियों एवं मूल्यों में परिवर्तन बढ़ा, जिससे उनकी सोच की क्षमता व उसकी सीमा भी बढ़ी। यह समस्त क्रियायें किसी भी समाज को सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर करती है। इस प्रकार हम कह सकते है कि सभ्य समाज सामाजिक परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समाज को नए कल की ओर अग्रसर कर रहें है।

29.3 सारांश

सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन यह दोनों आपस में अन्तर्संबंधित है। जब समाज में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक किसी न किसी रूप में समुदाय, समूह एवं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय, समूह एवं व्यक्ति के समक्ष नयी समस्यायें, आवश्यकतायें उत्पन्न होती है, जिनके साथ समाज का समायोजन अति आवश्यक है। सामाजिक क्रिया परिवर्तन के परिणामों के आधार पर अपनी रूपरेखा तैयार करता है। इस कार्य योजना में सामाजिक क्रिया माध्यम, निपुणताओं एवं यंत्रों का प्रयोग करता है जिसके आधार पर यह सामाजिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक स्तरीकरण आदि के बारे में वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या देता है।

29.4 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- अहमद, मिर्जा रफीउद्दीन, समाज कार्य दर्शन एवं प्रणालियां, रैपिड बुक सर्विस, लखनऊ, 1969।
- सिंह, ए0एन, सामुदायिक संगठन, हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला, 2002।
- सूदन, कृपाल सिंह, समाज कार्य सिद्धान्त एवं अभ्यास, एन0एस0 पब्लिकेशन, लखनऊ, 2012।

29.5 बोध प्रश्न

टिप्पणी

1. अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।
2. इस इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक क्रिया के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

29.6 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. 29.2

2. 29.2

इकाई–30 सामाजिक किया एवं कानून व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

30.0 उद्देश्य

30.1 प्रस्तावना

30.2 भारतीय कानून व्यवस्था

30.2.1 कानून व्यवस्था

30.2.2 कानून की परिभाषा

30.2.3 कानून के स्रोत

30.3 कानूनी प्रक्रिया अथवा व्यवस्था का सम्पादन

30.3.1 व्यवस्थापिका

30.3.2 कार्यपालिका

30.3.3 न्यायपालिका

30.3.4 स्वतन्त्र मीडिया

30.3.5 नागरिक समाज

30.4 सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था का महत्व

30.4.1 मौलिक अधिकार

30.4.2 मौलिक कर्त्तव्य

30.4.3 प्रथम सूचना रिपोर्ट

30.4.4 निःशुल्क कानूनी सहायता

30.4.5 लोक अदालत

30.4.6 लोक–हित मुकदमें

30.4.7 सूचना का अधिकार

30.4.8 उपभोक्ता संरक्षण

30.5 सारांश

30.6 शब्दावली

30.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

30.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

30.0 उद्देश्य

इस इकाई में सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्धों का उल्लेख किया गया है तथा कानून व्यवस्था की उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है। समुदाय के हितों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन–किन उपायों को अपनाया जा सकता है, को इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप–

- सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था को जान सकेंगे।
- कानून के अर्थ एवं इसके स्रोतों को समझ सकेंगे।
- कानूनी प्रकिया को जान सकेंगे।
- सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था के महत्व को समझ सकेंगे।

30.1 प्रस्तावना

सामाजिक क्रिया को सामना अथवा मुकाबला करने की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग उस समय किया जाता है जब समाज कार्य की अन्य प्रणालियों यथा–समूह कार्य और सामुदायिक संगठन, सेवार्थी – समूह की आवश्यकताओं का पूरा करने में असमर्थ होती है। जब कभी सामुदायिक संसाधन कुछ प्रभुत्वशाली लोगों के पास होते है और वे अपनी अनिवार्यताओं तथा शर्तों के साथ उसे निदेर्शित करने लगते है जिसके कारण समुदाय में शक्ति असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तथा समुदाय विशेष के अधिकारों का हनन होने लगता है तो ऐसी स्थिति में समाजिक क्रिया की भूमिका मुख्य हो जाती है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यावसायिक समाज कार्य लम्बे समय से अपनी प्राथमिक प्रणालियों यथा वैयक्तिक समाज कार्य, समूह कार्य तथा सामुदायिक संगठन के द्वारा मानवीय समस्याओं का उपचार करता रहा है। कालान्तर में जब मानवीय पर्यावरण को एकीकृत रूप में महसूस किया जाने लगा तो यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक प्रणलियों द्वारा सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संरचनाओं की अपर्याप्तता से वैयक्तिक और सामूहिक आवश्यकताए पूरी नही की जा सकती थी। ऐसी स्थिति में सामाजिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, जनसमूह को लाभबन्द करके किया जाने वाला प्रयास एक संगठित प्रयास होता है। जिससे सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य सगंठित प्रयास के द्वारा कानून व्यवस्था का पालन करते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना करना होता है।

30.2 भारतीय कानून व्यवस्था

लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक विधानों, कानूनों, सामाजिक–आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है जिसमें समाज के विभिन्न घटकों की सहभागिता तथा उनका अनुमोदन होना जरूरी हैं। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कानून होता है। जिसके द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के में सहायता मिलती है।

यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की नियोजित समाजिक परिवर्तन की स्थिति का आंकलन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसके प्रारम्भिक चरण में 'कल्याण' की अवधारणा को स्वीकार किया गया क्योंकि यह माना गया कि बिना सभी का कल्याण किए नियोजित लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। कालान्तर में इस अवधारणा के रूप में परिवर्तन आया और 'कल्याण' के स्थान पर 'विकास' की अवधारणा पर बल दिया गया क्योंकि 'विकास' को ही सबका आधार माना गया। तत्पश्चात् यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ध्यान दिया जाए तो 'सशक्तीकरण की अवधारणा को स्वीकार किया गया और इसे केन्द्र बिन्दु माना गया। इन सभी अवधारणाओं का प्रयोग मुख्यतः ऐसे लोगों के लिए किया गया जो समाज से प्राप्त होने वाले सभी लाभों से वंचित रहे हैं और मुख्य धारा में आने के लिए सदैव संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोग समाज की मुख्यधारा में अपना स्थान बनानें के लिए किसी न किसी रूप से यथा सामाजिक गतिशीलता के द्वारा अथवा किसी स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से अथवा 'आत्म जागरूकता' व चेतना उत्पन्न से सतत प्रयास करते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ये लोग एकीकृत होकर नियोजित सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय भागीदारी करने लगे। इस लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने सामाजिक आन्दोलनों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया है। इन आन्दोलनों का प्रभाव यह हुआ कि लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ और समाज के वृहत्तर बिकास के लिए जनसहभागिता सक्रिय हुई है।

प्रश्न यह उठता है कि एकीकृत रूप से सामाजिक क्रिया द्वारा सक्रिय जनसहभागिता तथा आन्दोलनों के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कानून व्यवस्था का किस प्रकार से पालन किया जाए तथा सार्वजनिक जीवन में यह किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है।

इस इकाई में सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था का विचार किया गया है। पूर्व की इकाईयों में सामाजिक क्रिया की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है। सामाजिक क्रिया तथा कानून व्यवस्था के अन्तर्सम्बन्धों को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले भारतीय कानून व्यवस्था को समझा जाए।

30.2.1 कानून व्यवस्था

भारतीय कानून व्यवस्था, ऐसे कानून का निर्माण करता है जिससे कि उसे भारत में परिचालिन किया जा सके। भारतीय कानून अधिकतर इंग्लिस कॉमन लॉ (Enlgish Comman Law) पर आधारित है और अधिकतर कानून का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। ये कानून आज भी परिवर्तित रूप से प्रभावी है। कुछ भारतीय कानूनों की प्रकृति में यूरोपीय तथा अमेरीकी छाप भी देखने को मिलती है।

भारत में कानून व्यवस्था को जानने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि कानून क्या है, उसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं।

कानून अंग्रेजी शब्द 'Law' का अनुवाद है। साधारण शब्दों में कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा उन्हें न्याय व्यवस्था के प्रशासनके लिए लागू करता है। राज्य का पुनीत उद्देश्य मानव कल्याण को उचित व्यवस्था करना है जब तक राज्य के नागारिक अपने जीवन में आचरण के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तब तक इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों के संचालन हेतु राज्य कुछ नियमों का निर्माण करता है, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए नितांत आवश्यक है और जिनका पालन न करने पर व्यक्ति के लिए दण्ड निश्चित है। इस संदर्भ में मैकाइबर का कथन है कि 'कानून सर्वव्यापी है उसका शासन सर्वत्र है जहां जीवन है वहां उसके सर्वव्यापी कानून है।

30.2.2 कानून की परिभाषा

हालैण्ड के अनुसार, 'कानून मनुष्य के बाहय कार्यों के साधारण नियम है जो राजसत्ता द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं।'

विल्सन के अनुसार, 'कानून चिन्तन तथा आचरण का वह अंग है जिसे समरूप नियमों के रूप से स्पष्ट और औपचारिक मान्यता मिल चुकी है और जिसे सरकार की सत्ता तथा शक्ति प्राप्त होती है।

ग्रीन के अनुसार, 'अधिकारी और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहेंगे जिसे सरकार लागू करती है।

30.2.3 कानून के स्रोत

कानून के स्रोत से तात्पर्य उस साधनों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता देते हैं। आधुनिक राज्यों में सामान्यतया कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। कानून के अनेक स्रोत है यथा रीतिरिवाज या परम्पराएं, धर्म, न्यायिक निर्णय, वैज्ञानिक टीकाएं, औचित्य तथा विधायन। यद्यपि भारतीय कानून व्यवस्था के अन्तर्गत कानून के स्रोतों को समझा जाए तो उसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:–

- **प्राथमिक स्रोत**
- **द्वितीयक स्रोत**

प्राथमिक स्रोत में, संसद अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किए जाने अधिनियम। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा सीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाने वाले अध्यादेशों आदि को शामिल किया जाता है।

द्वितीय स्रोत में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा कुछ विशेष न्यायाधिकरणों के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के माध्यम से तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक प्रावधान के आधार पर घोषित किए कानून जिससे कि भारत के सभी न्यायालय बंधे हुए होते हैं, को सम्मिलित किया जाता है।

30.3 कानूनी प्रकिया अथवा व्यवस्था का सम्पादन

भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकों का यह आश्वासन प्रदान करता है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है तथा अन्याय की स्थिति में वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय संविधान को लागू करने के लिए जहां कानून बनाए गए है वहीं दूसरी ओर प्रभावी रूप से, यह लागू हो सके, को भी देखना है। प्रत्येक कानून का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं जनकल्याण को प्रोत्साहित करना है।

भारतीय संविधान ने एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की संरचना का निर्माण किया है। जिसके अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारों की स्थापना के लिए सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणा को अंगीकार किया गया है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उद्देश्य सभी लोगों की भलाई से है अर्थात् यह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामाजिक, आर्थिक नीतियों एवं योजनाओं का सृजन एवं उसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने शासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासन को संचालित करने तथा शासन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानून व्यवस्था को समझने के लिए शासन के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है क्योंकि कानून व्यवस्था शासन प्रकृति पर निर्भर करती है।

वर्तमान में सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने में शासन के मुख्य स्वरूपों के अतिरिक्त मीडिया तथा नागर समाज का भी विशेष योगदान है। शासन के स्वरूपों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत् दिया गया है।

सामान्यतः शासन/सरकार के तीन अंग होते हैं एवं वह जो कानून बनाता है इसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। दूसरा वह जो कानून को क्रियान्वित करता है जिसे कार्यपालिका तथा तीसरा वह जो कानूनों के अनुरूप न्याय करता है इसे न्यायपालिका कहते हैं।

30.3.1 व्यवस्थापिका

सरकार के तीनों अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। लेकिन इन तीनों अंगों में व्यवस्थापिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गार्नर ने कहा है कि जनता की इच्छा को प्रकट करने के और उसे पूरा करने के जो साधन है उनमें निःसन्देह व्यवस्थापिका का सबसे बड़ा स्थान है। यह जनता का दर्पण है। स्ट्रांग के अनुसार, "आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। व्यवस्थापिका केवल कानून का निर्माण करती है।

30.3.1.1 व्यवस्थापिका के कार्य

सामान्य रूप से व्यवस्थापिका के निम्नलिखित कार्य कहे जाते हैं :–

- विधि अथवा कानून निर्माण,
- कार्यपालिका पर नियंत्रण,

- वित्त पर नियंत्रण रखना,
- संविधान संशोधन का कार्य,
- शासन की नीति का निर्धारण करना,
- न्याय सम्बन्धी कार्य,
- निर्वाचन सम्बन्धी कार्य,
- जांच पड़ताल सम्बन्धी कार्य,
- जनभावनाओं की अभिव्यक्ति।

30.3.2 कार्यपालिका

कार्यपालिका शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग हैं। यह शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रशासन में नियुक्त समस्त अधिकारी व कर्मचारी वर्ग समाविष्ट है। वास्तव में शासन का एक पूरा विभाग होता है, जिसका काम शासन चलाना, कानूनों का पालन करना और प्रशासन करना होता है। गार्नर के शब्दों में व्यपाक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका विभाग के अन्तर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती है जिनका कार्य राज्य की इच्छा जिसे व्यवस्थापिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में व्यक्त किया है, कार्य रूप में परिणित करना है। कोरी का कहना है कि, "कार्यपालिका ही सरकार का सार तत्व है। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका केवल संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के साधन है।

30.3.2.1 कार्यपालिका के कार्य

सैद्धान्तिक रूप से कार्यपालिका का सृजन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए होता है। कार्यपालिका के निम्नलिखित कार्य हैं:–

- शासन नीतियों का क्रियान्वयन,
- प्रशासन सम्बन्धी कार्य,
- कूटनीति कार्य,
- सैनिक कार्य,
- विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य,
- वित्तीय कार्य,

- न्यायिक कार्य,

- विधिक कार्य यथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाले को सम्मानित करता, अलंकार पदवियों से विभूषित करना इत्यादि।

30.3.3 न्यायपालिका

न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। स्वतंत्रता और समानता के जिस प्रमुख सिद्धान्तों पर लोकतंत्र स्थापित है। उन सिद्धान्तों की रक्षा समुचित न्याय व्यवस्था के बिना नहीं हो सकती है। किसी राज्य में लोकतंत्र है या नहीं, इसकी सबसे अच्छी पहचान यह है कि उस राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है या नहीं। न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की व्याख्या करती है और कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड देती है। नागरिकों का कल्याण व उनके अधिकारों की सुरक्षा पक्षपात रहित न्याय पर ही निर्भर करता है। गार्नर ने स्पष्ट किया है कि न्याय विभाग के आभाव में एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ब्राइस ने कहा है कि 'यदि न्याय का दीपक अन्धकार से ढक जाए तो उससे उत्पन्न अंधकार का अनुमान लगाया जाना कठिन है'।

वर्तमान युग में प्रत्येक देश ने विधि के शासन के पुनीत सिद्धान्तों को मान्यता दी है। जिसमें कानून के सामने सभी समान है। न्यायपालिका की दृष्टि में छोटे बड़े, अमीर–गरीब इत्यादि सबके लिए न्याय एक होता है और अपने अपराध के अनुसार ही वे दण्ड पाते हैं। लेकिन निष्पक्ष न्यायपालिका के आभाव में यह सब निरर्थक प्रतीत होता है।

30.3.3.1 न्यायपालिका का कार्य

वर्तमान युग में न्यायपालिका निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करती है :–

- अभियोगों के नियम,

- कानूनों की व्याख्या,

- नागरिक अधिकारों की रक्षा,

- संविधान की रक्षा,

- परामर्श देना,

- संघात्मक व्यवस्था की रक्षा,

- विविध कार्य।

उक्त शासन के स्वरूपों के अतिरिक्त लोकतंत्र की व्यवस्था में 'मीडिया' तथा 'नागरिक समाज' का विशेष योगदान है।

30.3.4 स्वतन्त्र मीडिया

एक स्वतन्त्र मीडिया सदैव लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापन के लिए सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा रखता है इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्य स्तम्भ कहा जाता है। वर्तमान सूचना तकनीकि युग में किसी भी राष्ट्र का स्तर उस आधार पर अंकित होता है कि उस राष्ट्र का सूचना तकनीकी कितनी मबूत है। एक स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार को रोकने अनुवी क्षण करने और नियन्यत्रण करने में महत्पूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा मीडिया नागरिकों को भ्रष्टचार पर सूचना और शिक्षा दे सकता है। मीडिया के महत्व उस बात से स्पष्ट होता है कि प्रजातंन्त्र केवल विधान मण्डल के सचेत देखभाल में ही नही वरन् लोकमत की देखभाल और मागदर्शन के अन्तर्गत ही फलता फूलता है। प्रेस की यह सबसे बड़ी विशिष्टता है कि उसके माध्यम से लोकमत स्पष्ट होता है।

30.3.5 नागरिक समाज

नागरिक समाज को एक संगठन के रूप में राज्य और नागरिको के बीच व्याप्त दूरी को दूर करने अथवा उसे समाप्त करने के रूप में समझ सकते है। अंटोनियों ग्राम्सी के अनुसार 'राज्य से तात्पर्य है बल का और नागरिक समाज सहमति का प्रतीक है'। नागरिक समाज से तात्पर्य राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा और सौहाद्र से उन विकासात्मक कार्यो को पूरा करे जिन्हे आमतौर से राज्य और उसका अभिकर्ता प्रशासन करता है। नागरिक समाज का केन्द्र बिन्दु राज्य, राजनीति और प्रशासन न होकर नागरिक समुदाय और स्वयं सेवी संस्थाए एवं स्वयं सेवक होते है। नागरिक समाज के अन्तर्गत सभी प्रकार के स्वंय सेवी संगठनों को शमिल किया जाता है तथा उन सामुदायिक अन्तः क्रियाओं को भी स्थान दिया जाता है जिन्हे राज्य द्वारा नियंत्रित नही किया जाता है। इसके अर्थ को समझने के लिए और भी कई शब्द यथा कार्य समूह, विकास अभिकरण, पहल करने वाले समूह, समर्थन जुटाने वाले समूह इत्यादि नागरिक समाज के द्वारा सामुदायिकरण के साथ राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी गुणवत्ता और कार्यबोध, गरिमा और व्यक्तिव की अनुभूति, स्वंय सहायता बढ़ावा देने जैसे परिवेश का निर्माण होता है।

30.4 सामाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था का महत्व

वर्तमान भारत में कानून और सामाजिक परिवर्तन के उद्देश की प्राप्ति हेतु न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रभुत्वशाली तरीके से पीड़ित और निर्धन व्यक्तियों को उचित स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक कार्य कर्ताओं तथा वकालत कर्ताओं के प्रयासों से कानून व्यवस्था तथा न्यायिक गतिविधियों द्वारा सरकार द्वारा दिए जाने वाले कल्याणकारी आश्वासनों को पूरा करने में नयें–नये तरीकों से उपचारात्मक प्रयास किए जा रहे है। इन सक्रिय कायकर्ताओं की कार्यसूची द्वारा कानून के प्रयोग, राज्य तथा राजनैतिक प्राधिकार द्वारा पीडित लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता की जा रही है। परन्तु यदि कानून व्यवस्था तथा कल्याणकारी उद्देश्य असफल होता है तो अपनी मॉग को पूरा करने के लिए अन्य उपयोग तथा बल द्वारा, संघर्ष तथा इसके अतिरिक्त धरना, अभियान, रैली तथा अन्य को प्रयोग में लाया जाता है।

न्यायालय सामाजिक संघर्ष एवं तनावों को नियंत्रित करने तथा साम्य स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिक प्रतिपादन करता है। परन्तु कभी–कभी राज्य सामाजिक

व्यवस्था को बनाये रखने में और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने सफल नहीं हो पाते है। ऐसी स्थिति में जन समुदाय द्वारा सक्रिय सहयागिता की जाती है। कानून व्यवस्था के आधार पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये सक्रिय कार्यकार्ता कानून तथा वैधानिक सिद्धान्तो का पालन करते है।

सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित अनेक ऐसे क्षेत्र है जिसमें न्याय को स्थापित करने में सक्रिय सहभागिता की गयी है। जिसके फलस्वरूप अनेक ऐसे आन्दोलन हुए जिससे कि राज्य को अपने हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पडा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कानून व्यवस्था में ऐसे कई प्रावधान है जिसकी सहायता से समय–समय पर सामाजिक क्रिया द्वारा पीड़ित व्यक्ति अथवा समुदाय को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता रहा है।

सामुदायिक जीवन को प्रभावित करने वाले अनेक ऐसी सामजिक समस्याएं एवं सामाजिक मुद्दें है जिनको सामाजिक क्रिया द्वारा कानून व्यवस्था के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिससे कि समाज में सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। इससे सम्बन्धित अनेक ऐसे प्रावधान है जो कि सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् किया जा रहा है:–

30.4.1 मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त प्रदत्त अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारी बुनियादी आवश्यकताओं से सम्बन्धित है जो संविधान में लिखित रूप से स्पष्ट है। जो कि निम्नवत् है:–

30.4.1.1 समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–17)

- विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)
- धर्म मूलवंश जाति लिग या जन्यस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)
- रोजगार के अवसर में समानता (अनुच्छेद 16)
- छुआछूत का अंत (अनुच्छेद 17)

30.4.1.2 स्वंतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)

- वाक् स्वतंत्रत आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण (अनुच्छेद 19)
- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)
- जीवन की रक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21)
- शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)

30.4.1.3 शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)

- मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक (अनुच्छेद 23)
- जोखिम भऐ कामों में बच्चों से कार्य कराने पर रोक (अनुच्छेद 24)

30.4.1.4 धार्मिक स्वतंन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)

- अपना धर्म मानने उस पर आचरण करने और उसका प्रयास करने का अधिकार

30.4.1.5 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)

- सभी नागरिको की भाषा एवं संस्कृति संरक्षण का अधिकार (अनुच्छेद 29)
- अल्पसंख्यको को शैक्षिक सस्थायें स्थापित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30)

30.4.1.6 सवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32 एवं 226)

- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार मौलिक अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार के लिए राज्य के उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। (अनुच्छेद 32)
- मौलिक अधिकारों के उल्लघंन होने की स्थिति में सवौच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य अथवा राष्ट्रीय मानवाधिक आयोग में भी शिकायतकर्ता शिकयत को दर्ज करा सकता है। (अनुच्छेद 226)

30.4.2 मौलिक कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51A)

भारत के प्रत्येक नागारिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं , राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,
- भारत की प्रमुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुष्ण रखे,
- प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका सवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

30.4.3 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध को घरना होने पर पुलिस अधिकारी को कार्यवाही हेतु दर्ज कराई जाती है।

किसी व्यक्ति द्वारा किए गये अपराध को दो मागों में बाटा जा सकता है:–

30.4.3.1 संज्ञेय अपराध (धारा 154 सीआर.पी.सी.)

इसके अर्न्तगत निम्नलिखित अपराध आते है:–

- गम्भीर व संगीन प्रकृति के अपराध यथा अपराध, हत्या, बलात्कार, दंगा इत्यादि।
- अपराध जिस पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता हो।
- पुलिस दोषी को बिना वांरट के गिरफतार कर सकती है।

30.4.3.2 असंज्ञेय अपराध (धारा 155 सीआर.पी.सी)

इसमें निम्नलिखित श्रेणी के अपराध आते है:–

- सामान्य प्रकृति के अपराध यथा धोखा धड़ी, ठगी, जाल–साजी, दो विवाह करना, कम तौलना, मिलावटी सामान।
- गिरफ्तारी केवल कोर्ट के आदेश पर की जा सकती है।

30.4.3.3 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया

- वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध घटित हुआ है।
- कोई भी व्यक्ति जिसे अपराध घटित होने की जानकारी है जोकि सम्बन्धी, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है।
- अपराध होने की सूचना पुलिस को मौखिक रूप या लिखित रूप में, किसी भी रूप में की/दी जा सकती है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो उसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जायेगा एवं सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जायेगा।
- सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जायेगा।
- एफ.आई.आर. की एक छाया प्रति शिकायतकर्ता को निःशुल्क दी जायेगी।
- एफ.आई.आर. किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं। यदि एफ. आई. आर. किसी अन्य थाने में दर्ज करवाया जाता है तो उसे पुलिस दर्ज करके सम्बन्धित थाने को भेजने के लिए बाध्य है।?
- पुलिस इस बार पर एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकती है, कि अपराध उसके थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है।
- टेलीफोन द्वारा दी गयी अपराध की सूचना को भी प्रथम सूचना माना जायेगा।

30.4.3.4 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने की स्थिति में

- सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं या डाक से भेज सकते हैं। एस.पी. इस शिकायत की जांच करेंगे और अपराध सिद्ध होने की स्थिति में थानेदार को रिपोर्ट लिखने का आदेश देंगे।

- पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप–महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक जैसे उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत कर सकते हैं।

- यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा बात नहीं सुनी जाती है तो घटना की विस्तृत जानकारी लिखकर मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं।

- यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती है या इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट तरीके से लागू करती हैं तो पीड़ित राज्य/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।

- महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में शिकयत दर्ज करायी जा सकती है।

- आनलाइन एफ.आइ.आर के लिए राज्य पुलिस की बेबंसाइट hitp:// uppolice.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है तथा निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 100 पर भी सूचना दी जा सकती है।

30.4.4 निःशुल्क कानूनी सहायता

राज्य का यह उत्तदायित्व है कि वह सभी नागरिको को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलय कराए। ऐसी स्थिति में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या आन्य अयोग्यता के कारण न्याय को प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम – 1987 के अन्तर्गत ऐसे वर्गो के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है यह विधिक सहायता राज्य के कार्य पर तहसील से लेकर उच्चन्यायलय सक उपलब्ध है।

30.4.4.1 निःशुल्क विधिक सेंवा

कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय रू 1 लाख से ज्याद नहीं है तथा अन्य निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेंवा प्राप्त करने के अधिकारी है।

- मानव अवैध व्यापार से पीडित है अथवा भिखारी है,
- शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है,
- महिला एवं बच्चे,
- व्यापक विनाश जातीय पताड़ना बाढ भूकम्प सूखा औदयोगिक विनश साम्प्रदागिक दंगा तथा अनपेक्षित अभावों से प्रभावित व्यक्ति

- औच्योगिक कर्मकार और जिसे व्यक्ति जो बंदी है।

30.4.4.2 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता

- कोर्टफीस,
- टाइपिंग फोटो काफी खच,
- गवाह का खर्च,
- अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च,
- निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च,
- वकील फीस का भुगतान,
- निःशुल्क विधिक सहायता।

देश में निर्धन अथवा निःसहाय व्यक्ति जिसे निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता है। वह निम्नलिखित संस्थानों से सहायता प्राप्त कर सकता हैः–

- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण।
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण।
- तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण।

इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र व्यक्ति अपना मुकदमा उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में ले जाना चाहता है तो या फिर उसके विरूद्ध उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम् न्यायालय में केस चल रहा है तो वह निम्नलिखित संस्थानों में सहायता प्राप्त कर सकता है।

- उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
- उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 1800413023 तथा 15100 है।

30.4.5 लोक अदालत

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत लोक अदालत शीघ्र सुलभ व सस्ता न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों का निराकरण करने की एक संस्था है।

30.4.5.1 लोक अदालतों में विचारणीय तथ्यः–

- ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है,
- ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गये है,
- कोई भी विवाद/शमनीय अपराध, किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण, अभिकरण, आयोग के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित,
- ऐसे सभी विवाद जिनमें समझौता कानून वर्जित नहीं है,
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले।

30.4.6 लोक–हित मुकदमें (पी.आई.एल.)

लोक हित मुकदमें से तात्पर्य आम जनता या किसी विशेष वर्ग के लोगों के हित को लागू करने के लिए न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही आरम्भ करना जिससे जनता या किसी विशेष की या समुदाय के वैधानिक अधिकार और दायित्व का पूर्ण किया जा सके।

लोक हित मुकदमें कानूनी सहायता अभियान का एक अभिन्न अग है। इसका लक्ष्य निर्धन लोगों को न्याय दिलाना है।

लोक हित मुकदमें न्याय दिलाने की प्रक्रिया से है। यह वैधिक प्रक्रिया लोगों की समस्या उठाने व उनकी आवाज बुलन्द करने वे मदद करती है। इसका उद्देश्य है आम नागरिकों को न्याय दिलाना और उनकी वैधिक समस्याओं की सुनवाई कर उन्हे राहत पहुँचाना

लोक हित मुकदमें पारम्परिक न्याय प्रणाली से अलग है और पर यह सरकार के साचने एक चुनौती एक चुनौती रखते है और उसे अवसर प्रदान करते है कि वह गरीब और शोषित लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सके और संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ण कर सके। सरकार और उसके अधिकारियों को लोक हित प्रणाली का स्वागत करना चाहिए, क्योकि यह उन्हे अवलोकन करने का अवसर प्रदान करती है कि गरीब और पिछडे वर्ग के लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे। लोक हित मुकदमें के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक राहत कार्य क्रय जो निर्धनों के लिए चलाए जा रहे है उनका पालन करने के लिए तथा सवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए ही विचार किया जाता है।

30.4.6.1 लोक हित मुकदमा कौन दायर नहीं कर सकता हैः–

- वह व्यक्ति जो पर्याप्त लोक हित में कार्य न कर रहा हो,
- वह व्यक्ति जो निजि स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा हो,
- वह व्यक्ति जो राजनीति में उलझा हो,
- वह व्यक्ति जिसका असद्भावपूर्ण आशय हो।

30.4.6.2 लोक हित सम्बन्धी मामले

- मूलभूत सुविधाए जैसे सड़क, पानी, दवाईयां, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, बस सुविधा आदि,
- विस्थापित लोगों का पुनर्वास,
- बंधुआ एवं बाल मजदूरों की पहचान व पुनर्वास,
- बन्दों व्यक्तियों को अवैध गिरफतारी में रखना,
- पुलिस के संरक्षण में बन्दियों पर यंत्रण
- अभिरक्षा में मृत्यु,
- कैदियों के अधिकारों का संरक्षण,
- जेल सुधार,
- विचारधीन कैदियों की शीघ्र सुनवाई,
- कालेजो में रैगिंग।

30.4.6.3 पुलिस द्वारा अत्याचार

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों सदस्यों पर अत्याचार,
- सरकारी कल्याण गृहों में निवासियों की उपेक्षा,
- सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के मामले,
- कानून तथा व्यवस्था कायम करना,
- निर्धनों के लिए कानूनी सहायता,
- भुखमरी के कारण मृत्यु,
- अश्लील टेलीवीजन कार्यकम,
- पूषित पर्यावरण सम्बन्धी मामले,
- सड़क तथा झुग्गी झौपडियों में रहने वालों का संरक्षण,
- दहेज मृत्यु,

- कल्याणकारी कानून को लागू करना,
- अवैध सामाजिक प्रयाओं इत्यादि में सुधार,
- कमजोर वर्गो के मौलिख अधिकारों का हनन।

30.4.6.4 न्यायालय में आवेदन

जब किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के व्यक्तियों को वैधिक हानि पहुँचनी हो या उनके साथ वैधिक अन्याय होता हो जो उनके सवैधानिक या वैधिक अधिकारों के उल्लघंन के कारण हुआ हो और ऐसे व्यक्ति अपनी निर्धनता असहाय स्थिति अक्षमता या आर्थिक तथा सामाजिक दुर्बलता के काटा न्यायालय में राहत हेतु आवेदन करने में असमर्थ हो तब जनता का कोई भी सदस्य उचित निर्देश आदेश या रिट हेतु आवेदन कर सकता है।

30.4.7 सूचना का अधिकार

कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी तंत्र अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों से अपनी समस्याओं व सार्वजनिक हित से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के जारिए प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करना नागरिक का विधिक अधिकार है। सूचना न दिया जाना अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है।

30.4.7.1 अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- हर विभाग में जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त है। जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से विभाग के सूचना पट्ट पर लिखी होनी चाहिए।
- जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी को आवेदन करना चाहिए और वही सूचनाएं एकत्रित करके आवेदक को सूचना देंगे।
- आवेदन व्यक्तिगत रूप से जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी के पास जाकर अथवा किसी को भेजकर या सम्बन्धित अधिकारी के नाम रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते है।
- अगर कोई व्यक्ति लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तो वह आवेदन बोलकर/मौखिक रूप से दे सकते है, जिसको जन सूचना अधिकारी लिखिए दर्ज करेगें।
- जन सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन (मॉगी गयी सूचना का ब्यौरा) निर्धारित शुल्क के साथ देना होगा। आवेदन की पावती मिलेगी (धारा 6(1))।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

- सामान्यत सूचना 30 दिनों के अन्दर मिल जानी चाहिए (धारा 7) या कारण बताते हुए आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। आवेदन अस्वीकृत करने के कारण को स्पष्ट करते हुए आवेदक को सूचित किया जायेगा।

- सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों की गिनती आवेदन शुल्क दिये जाने प्राप्ति की तिथि से शुरू होती है।

- यदि मांगी गयी सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या निजी स्वंतत्रता से सम्बन्ध रखती है। तो उक्त सूचना 48 घंटे के अदर दी जायेगी (धारा–7(1))।

- फोटोकापी, सत्यापित नकल, दस्तावेजों का निरीक्षण इत्यादि के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

- जन सूचना अधिकारी आवेदन को कोई हिस्सा आवेदक से सम्बन्धित नही है ऐसा कहकर आवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता है। (धारा–7(2))।

तहसील, जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

30.4.7.2 अधिनियम के अनुसार दण्डात्मक प्रावधान

- बिना किसी पर्याप्त कारण से निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना न देने अथवा पूर्ण रूप से सूचना न देने, आधी अधूरी या भ्रामक सूचना देने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी पर रू0 250/–प्रतिदिन की दर से आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। एक शिकायत या अपील पर दण्ड की अधिकतम राशि रू0 25000/– तक की हो सकती है।

- प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार जनसूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। (धारा–20(2))।

30.4.7.3 शिकायत किससे और कहां

- निर्धारित समय–सीमा में सूचना प्राप्त न हुई हो या प्राप्त सूचना से संतुष्ट न हो तो ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी के आदेश की तिथि के 30 दिनों के अंदर सम्बन्धित विभाग के अपीलीय अधिकारी से निःशुल्क अपील की जा सकती है।

- फिर भी सूचना न मिले तो अपीलीय अधिकारी के आदेश की तिथि के 90 दिनों के अंदर केन्द्र सरकार के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार के लिए राज्य सूचना आयोग से निःशुल्क दूसरी अपील की जा सकती है।

तहसील, जिला, राज्य विधिक सेंवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

30.4.8 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए तथा उपभोक्त विवादों के निपटारें हेतु उपभोक्त संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया गया है। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एक विधिक अधिकार है। उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम, 1986 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

30.4.8.1 उपभोक्ता के अधिकार

- **सुरक्षा का अधिकार** – ऐसे माल को खरीदने के विरूद्ध संरक्षण पाने का अधिकार जो जीवन और सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो।

- **जानकारी प्राप्त करने का अधिकार**– वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानंक और कीमत के बारे में सूचना का अधिकार ताकि छल कपट से उपभोक्ताओं की संरक्षा की जा सके।

- **शिकायत सुनवाई का अधिकार**– सुनबाई तथा इस आशवासन का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर उपयुक्त मंच (उपभोक्ता फोरम) पर विधिवत रूप से विचार किया जाएगा।

- **उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार**– उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित होने का अधिकार।

- **हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार**– अनुचित/ घोखाधडी युक्त व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के विरूद्ध समाधान का अधिकार।

30.4.8.2 उपभोक्ता की सामान्य संभावित शिकायतें

- किसी व्यापारी द्वारा बाजार में अनुचित /प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से हुयी हानि/क्षति।

- खरीदे गये सामान में पायी गयी खराबी के कारण क्षति।

- किराये पर ली गई /उपभोग की सेवाओं में कमी जैसे –रेलवे अस्पताल आदि।

- निर्माता द्वारा प्रदर्शित मूल्य अथवा कानून द्वारा लागू मूल्य से अधिक कीमत लिया जाना।

- इसके अलावा यदि किसी उपभोक्ता सम्बन्धी प्रचलित कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा हो तो इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकयत दर्ज करवाई जा सकती है।

30.4.8.3 अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्रता, सरलता एवं सामान्य व्यय में दूर की व्यवस्था,

- राज्य के समस्य जिलों स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यरत है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग स्थापित किये गये है।

- जिला उपभोक्त फोरम में रू0 20 लाख तक की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती है। (अधिनियम की धारा–11)।

- राज्य उपभोक्ता आयोग में 20 लाख से अधिक 1 करोड तक की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती है। (अधिनियम की धारा–17)।

- राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 करोड से अधिक की क्षतिपूर्ति सम्बन्धिम शिकायते प्रस्तुत की जा सकती है। (अधिनियम की धारा–21)।

- जिला उपभोक्ता फोरम के आदेशों के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की जा सकती है।

- राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की जा सकती है।

- राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के आदेश के विरूद्ध सर्वोच्म न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

30.4.8.4 शिकायत किससे और कहां

- उपभोक्ता द्वारा लिखित रूप में सक्षम उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है, वकील करना आवश्यक नही है।

- शिकायत में शिकायतकर्ता तथा विपक्षी पार्टी का नाम, पता, शिकायत से सम्बन्धित तथ्य एवं उपभोक्ता हितों का हनन कब और कहां हुआ आदि का विवरण होना चाहिए।

- शिकायत जिला फोरम/आयोग को डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।

30.4.8.5 शिकायत पत्र में दिया जाने वाला सामान्य विवरण

- शिकायत कर्ता का नाम विवरण तथा पता,

- विपक्षी (जिसके विरूद्ध शिकायत है) का नाम, विवरण और पता जहॉ तक मालूम हो,

- मामला तथा मामले का पूर्ण विवरण (कब, जहां और कैसे हुआ),

- लगायें गये आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।

30.5 सारांश

समाजिक क्रिया एवं कानून व्यवस्था को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जब कभी समाज में जनता के हितो की अनदेखी की जाती है और उनके साथ अन्याय होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं अथवा सामूहिक रूप से समाजिक क्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। समुदायिक शक्ति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने के कारण, समुदाय विशेष के अधिकारों का हनन होने से तथा अन्य अनेक ऐसे कारण जिससे कि जन समुदाय में अशान्ति व्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन समुदायों में सक्रियता बढ़ जाती है ताकि सभी को न्याय मिल सके।

30.6 शब्दावली

सामाजिक क्रिया– सामाजिक क्रिया को सामना अथवा मुकाबला करने की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। सामाजिक क्रिया प्रणाली का प्रयोग उस समय किया जाता है जब समाज कार्य की अन्य प्रणालियों यथा–समूह कार्य और सामुदायिक संगठन, सेवार्थी – समूह की आवश्यकताओं का पूरा करने में असमर्थ होती है।

कानून– कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा उन्हें न्याय व्यवस्था के प्रशासनके लिए लागू करता है। राज्य का पुनीत उद्देश्य मानव कल्याण को उचित व्यवस्था करना है जब तक राज्य के नागारिक अपने जीवन में आचरण के सामान्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तब तक इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

कानून के स्रोत– कानून के स्रोत से तात्पर्य उस साधनों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून के निर्माण में सहायता देते हैं। आधुनिक राज्यों में सामान्यतया कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है।

कार्यपालिका– कार्यपालिका शासन का महत्वपूर्ण अंग हैं। यह शासन का वह भाग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को क्रियान्वित करता है। कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन यंत्र घूमता है। वास्तव में शासन का एक पूरा विभाग होता है, जिसका काम शासन चलाना, कानूनों का पालन करना और प्रशासन करना होता है।

नागरिक समाज– नागरिक समाज से तात्पर्य राज्य और उसकी शक्ति के बिना नागरिक परस्पर संगठित होकर स्वप्रेरणा और सौहाद्र से उन विकासात्मक कार्यो को पूरा करे जिन्हे आमतौर से राज्य और उसका अभिकर्ता प्रशासन करता है। नागरिक समाज का केन्द्र बिन्दु राज्य, राजनीति और प्रशासन न होकर नागरिक समुदाय और स्वयं सेवी संस्थाए एवं स्वयं सेवक होते है।

30.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

- बसु, डी. डी. (2000), भारत का संविधान बाधवा एण्ड कम्पनी नागपुरः नई दिल्ली।
- .....(2005), भारत का संविधान, ईर्स्टन बुक कम्पनीः लखनऊ ।

- फाडियां, बी. एल. (2011), लोक प्रशासन, साहित्य भवनः आगरा ।
- राम, ओ. पी. (2014), सूचना का अधिकार 2005, आलिया लॉ एजेन्सीः इलाहाबाद ।
- मिश्र, राय कृष्ण (2014), उपभोक्त संरक्षण अधिनियम 1986, पुस्तक सदन प्रकाशनः इलाहाबाद ।
- .....(2003), भारतीय संविधान और प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदः नई दिल्ली ।
- सिंह, सुरेन्द्र एवं सूदन के. एस. (1986), होराइजन्स ऑफ सोशल वर्क, ज्योत्सना पब्लिकेशन्सः लखनऊ ।
- खिन्डूका एस. के. (1995), सोशल वर्क इन इण्डिया, किताब महलः इलाहाबाद।

बोध प्रश्न – 1

टिप्पणी (i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

(i) इस इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारतीय कानून व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

.....

.....

2. कानून के स्रोत को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3. कार्यपालिका के कार्य को समझाइये।

.....

.....

.....

.....

4. मौलिक अधिकार के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5. उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को बताइये।

.....

.....

.....

.....

30.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न

1. भाग 30.2 देखे।
2. उपभाग 30.2.3 देखें।
3. उपभाग 30.3.2 देखे।
4. उपभाग 30.4.1 देखे।
5. उपभाग 30.4.8 देखे।

टिप्पणी

टिप्पणी